THE BOOK WAS DRENCHED

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186667

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 315.4/B57B Accession No. 6H 141

Author भारत सरकार

Title भारत 1955.

This book should be returned on or before the date last marked below.

भारत

(वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ)

१९५५

पब्लिकेशन्स डिवीज़न

सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय
भारत सरकार

नवम्बर १९५५

सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के रिसर्च एण्ड
रैफरेन्स डिवीज़न द्वारा संकलित तथा
पब्लिकेशन्स डिवीजन द्वारा सम्पादित ।

(४ रुपया ८ आना)

—:o:—

मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

तथा

डायरेक्टर, पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली द्वारा प्रकाशित ।

वक्तव्य

हाल के वर्षों में भारत में द्रुत परिवर्तन होते आ रहे हैं और देश तथा विदेश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे राष्ट्रीय जीवन के विविध पहलुओं के सम्बन्ध में अधिकृत जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय के पब्लिकेशन्स डिवीजन द्वारा हिन्दी में एक सन्दर्भ ग्रन्थ 'भारत' सर्वप्रथम १९५४ में प्रकाशित किया गया था। उसकी सफलता से पाठकों के आग्रह पर उसके प्रकाशकों के ग्रन्थ के क्षेत्र को विस्तृत करने की प्रेरणा मिली। तदनुसार द्वितीय ग्रन्थ 'भारत १९५५' में कई नये अध्याय जोड़े गये, यथा इतिहास, आर्थिक ढांचा, भूमि सुधार, सांस्कृतिक गतिविधियां तथा भारतीय इतिहास की घटनाओं की सूची। प्रत्येक अध्याय के अन्त में सहायक-ग्रन्थ सूची भी दी गयी है। प्रथम ग्रन्थ की अपेक्षा इसमें राज्यों पर भी अधिक प्रकाश डाला गया है।

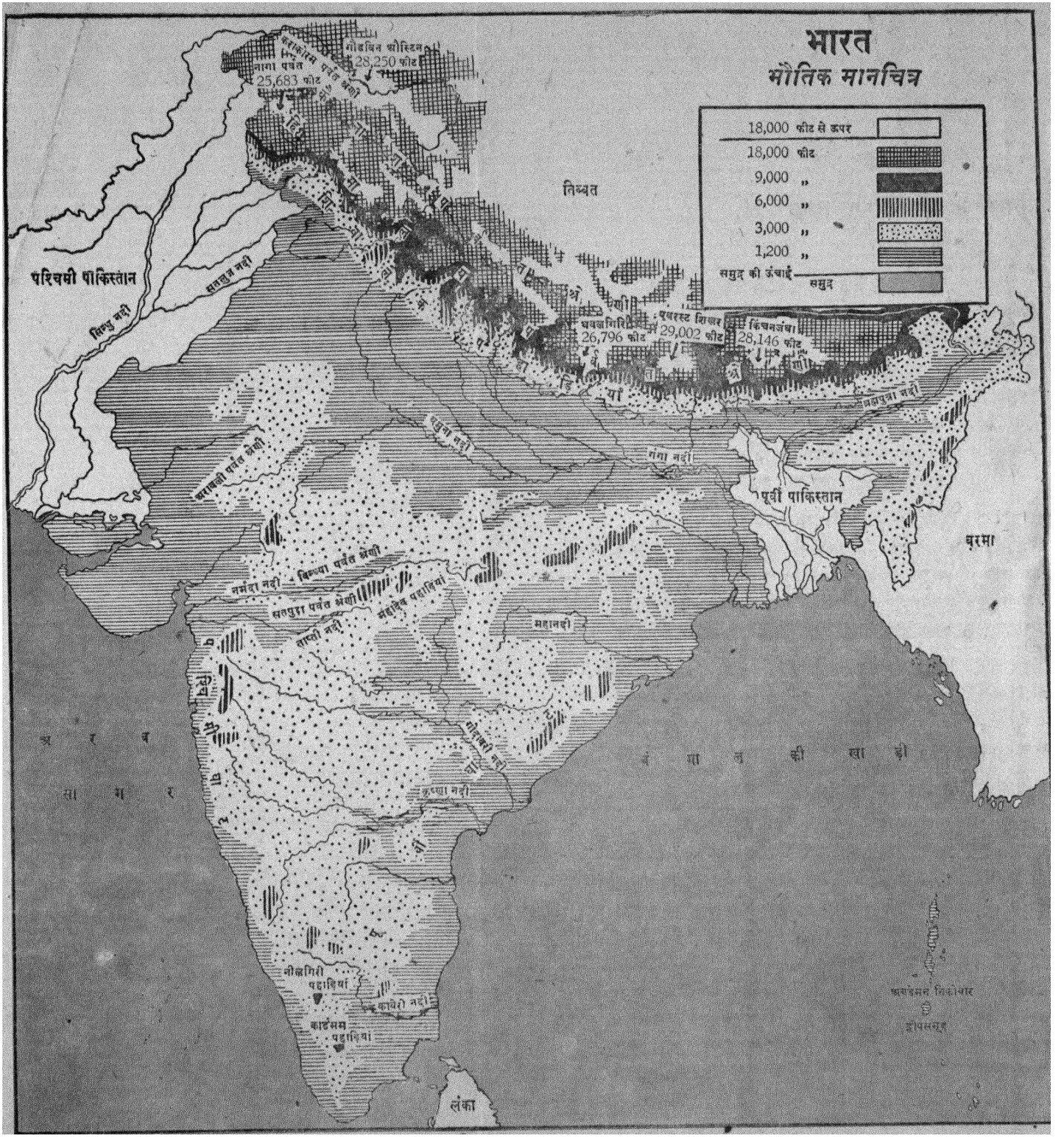
हम उन प्रसिद्ध विद्वानों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य लोगों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहेंगे, जिन्होंने इस पुस्तक के सुधार के लिये हमें अपना परामर्श और सुझाव देने का कष्ट किया।

दिल्ली;
नवम्बर, १९५५

पब्लिकेशन्स डिवीजन

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ
१.	भारत भूमि और उसके निवासी	१–२५
२.	इतिहास	२६–३८
३.	संविधान	३९–४८
४.	राष्ट्र के प्रतीक	४९–५१
५.	केन्द्रीय सरकार और संसद्	५२–८१
६.	न्याय विभाग	८२–९१
७.	सार्वजनिक सेवा	९२–९५
८.	प्रतिरक्षा	९६–१०३
९.	आर्थिक ढांचा	१०४–११६
१०.	पंचवर्षीय योजना	११७–१३१
११.	मुद्रा, बैंकिंग और बीमा	१३२–१३६
१२.	सार्वजनिक वित्त	१३७–१४५
१३.	कृषि	१४६–१६६
१४.	भूमि सुधार	१६७–१८१
१५.	सामूहिक विकास	१८२–१८८
१६.	सहकारी आन्दोलन	१८९–१९९
१७.	बिजली और सिंचाई	२००–२१७
१८.	उद्योग और वाणिज्य	२१८–२५४
१९.	वैज्ञानिक शोध	२५५–२६४
२०.	परिवहन	२६५–२८४
२१.	डाक और तार	२८५–२९३
२२.	शिक्षा	२९४–३०९
२३.	प्रेस और फिल्में	३१०–३२०
२४.	प्रसारण	३२१–३३२
२५.	सांस्कृतिक गतिविधियां	३३३–३४४
२६.	स्वास्थ्य	३४५–३६२
२७.	श्रम	३६३–३८१
२८.	अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां और पिछड़े वर्ग ...	३८२–३९०
२९.	पुनर्वास	३९१–३९८
३०.	'क' भाग के राज्य	३९९–४३०
३१.	'ख' भाग के राज्य	४३१–४४७
३२.	'ग' भाग के राज्य और 'घ' भाग के प्रदेश	४४८–४५९
३३.	१९५४ में पास किए गए कानून	४६०–४६३
३४.	खेलकूद	४६४–४७१
३५.	घटनाओं की सूची	४७२–४८०
३६.	सामान्य जानकारी	४८१–४९२
	परिशिष्ट	३९३–५२०


भारत
भौतिक मानचित्र
18,000 फीट से ऊपर
18,000 फीट
9,000 „
6,000 „
3,000 „
1,200 „
समुद्र की ऊंचाई
समुद्र
गॉडविन ऑस्टिन
28,250 फीट
नागा पर्वत
25,683 फीट
तिब्बत
पश्चिमी पाकिस्तान
सतलुज नदी
सिन्धु नदी
धवलगिरि
26,796 फीट
एवरेस्ट शिखर
29,002 फीट
किंचनजंघा
28,146 फीट
ब्रह्मपुत्रा नदी
यमुना नदी
गंगा नदी
पूर्वी पाकिस्तान
बरमा
अरावली पर्वत श्रेणी
विन्ध्या पर्वत श्रेणी
नर्मदा नदी
सतपुरा पर्वत श्रेणी
ताप्ती नदी
महादेव पहाड़ियां
महानदी
गोदावरी नदी
कृष्णा नदी
नीलगिरी पहाड़ियां
कावेरी नदी
कार्डमम पहाड़ियां
लंका
अरब सागर
बंगाल की खाड़ी
अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह

पहला अध्याय

भारत भूमि और उसके निवासी

भूमि

एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि में से जो तीन टेढ़े-मेढ़े प्रायद्वीप समुद्र में बाहर की ओर निकले हुए हैं, उनमें से बीच का प्रायद्वीप भारत है। उसके पूर्व में बगाल की खाडी है और पश्चिम में अरब सागर। भूमध्य रेखा के उत्तर में ८° से लेकर ३७° उत्तरी अक्षाश रेखाओं तथा ६६°२०′ से लेकर ९७° पूर्वी देशान्तर रेखाओ के बीच यह देश अवस्थित है। इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लम्बाई लगभग २,००० मील और पूर्व से पश्चिम तक की चौडाई लगभग १,७०० मील है। कर्क रेखा इसे प्राय दो बराबर के भागो में बाँटती है। देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबन्ध मे पडता है और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबन्ध में। देश की कुल सीमा रेखा ८,२०० मील लम्बी है जिसमें से समुद्र तट रेखा ३,५०० मील है।

हिमालय ससार की सबसे अधिक दुर्लंघ्य प्राचीर है, और वही भारत की उत्तरी सीमा है जिस पर तिब्बत, भूटान, सिक्किम और नेपाल अवस्थित है। पूर्व में कुछ पर्वतमालाएं भारत और बर्मा को अलग करती है। उत्तर-पूर्व में पश्चिम बगाल और आसाम के बीच पूर्वी पाकिस्तान अवस्थित है। उत्तर-पश्चिम में भारत और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाएं मिलती है। बगाल की खाडी में स्थित अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह भी भारत के अन्तर्गत है।

लगभग १२,६०,६४० वर्गमील मे फैले हुये भारत देश मे कुल २९ राज्य है जिनमे जम्मू और कश्मीर तथा नया बना हुआ आन्ध्र राज्य भी सम्मिलित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत ससार का सातवाँ देश है। वह ब्रिटेन से प्राय १३ गुना और जापान से ८ गुना बडा है। उसका क्षेत्रफल कनाडा के क्षेत्रफल का एक तिहाई और रूस का सातवाँ भाग है।

प्राकृतिक बनावट

सम्पूर्ण देश को तीन प्रदेशो में बाँटा जा सकता है: (१) हिमालय की बड़ी पर्वत-शृङ्खला वाला प्रदेश, (२) सिन्धु-गगा का मैदान और (३) प्रायद्वीप का दक्षिणी पठार। हिमालय प्राय: तीन समानान्तर पर्वत श्रेणियो से मिल कर बना है, जिनके बीच में लम्बे-चौड़े पठार और घाटियाँ है, जैसे कश्मीर और कुल्लू की घाटियाँ जो बडी उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न है। इन पर्वत श्रेणियो मे ससार की कुछ सब से ऊँची चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे एवरेस्ट (२९,०२८ फुट), माउण्ट गॉडविन ऑस्टिन (२८,२५० फुट), और कचनजघा (२८,१४६ फुट)। उत्तर पश्चिम स्थित पामीर की शृङ्खलासन्धि से लेकर आसाम की सीमा तक पर्वत की दीवार प्राय: १,५०० मील तक फैली हुई ह। पूर्व में बर्मा और भारत के बीच पर्वत श्रेणियों की ऊँचाई अपेक्षाकृत काफी कम है और विभिन्न स्थानों में उनके विभिन्न नाम है, जैसे आसाम के उत्तर-पूर्व में पटकई और नागा पहाडियाँ और दक्षिण-पश्चिम में जयन्तिया, खासी और गारो पहाडियाँ।

एक ओर हिमालय पर्वत और दूसरी ओर प्रायद्वीप के बीच स्थित सिन्धु-गंगा का मैदान पूर्वी पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक प्राय १,५०० मील लम्बा है। इसमें पजाब की सतलज, व्यास के अतिरिक्त गगा और उसकी सहायक नदियाँ—यमुना, गोमती, घाघरा और गण्डक—बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उस पार से निकलती है और भारत में धुर पूर्वी सीमा पर प्रवेश करती है। आसाम और पूर्वी बगाल से होकर बहती हुई वह गगा के बगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ही उसमें मिल जाती है।

प्रायद्वीप का पठार सिन्धु-गगा के मैदान से कई पर्वत श्रेणियो द्वारा,जिनकी ऊँचाई १,५०० फुट से लेकर ४,००० फुट तक है, पृथक् है। इनमें से प्रमुख श्रेणियाँ अरावली, विन्ध्य, सतपुडा, मैकल और अजन्ता है। प्रायद्वीप के एक ओर पूर्वी घाट पर्वतमालाएं है, जिनकी औसत ऊँचाई १,५०० फुट है। दूसरी ओर पश्चिमी घाट पर्वतमालाएं है, जिनकी औसत ऊँचाई ३,००० फुट है। पर कही-कही वह ९,००० फुट तक भी ऊँची है। प्रायद्वीपी पठार चट्टानी और ऊबड-खाबड है और दूर दक्षिण की उन पर्वत श्रेणियो तक फैला हुआ है जिनकी ऊँचाई कही-कही ८,००० फुट तक है। इनमें से नीलगिरि और कार्डेमम पर्वत श्रेणियाँ उल्लेखनीय है। पठार के आरपार नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है जो अरब सागर में गिरती है, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बहती है, जो बंगाल की खाडी में गिरती है।

जलवायु

भारत की जलवायु मुख्यत· वर्षा प्रधान सम-शीतोष्ण है। निस्सन्देह स्थानीय परिवर्तन इसमे विद्यमान है। भारत की जलवायु पर मौसम के हेर-फेर का स्पष्ट और सीधा प्रभाव रहता है और यहाँ मौसम का बँटवारा इस प्रकार किया जा सकता है·

(क) अक्तूबर से फरवरी के अन्त तक सर्दी का मौसम,

(ख) मार्च के आरम्भ से जून के अन्त तक गर्मी का मौसम,

(ग) जून के अन्त से सितम्बर के अन्त तक वर्षा का मौसम।

उत्तर-पूर्वी मानसून के मौसम का उप-विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है. (१) जनवरी से फरवरी तक सर्दी का मौसम, (२) मार्च से जून तक गर्मी का मौसम। इसी प्रकार दक्षिण-पश्चिमी मानसून का उप-विभाजन इस प्रकार है (१) जून से सितम्बर के मध्य तक वर्षा का मौसम और (२) अक्तूबर से दिसम्बर तक मानसून की वापसी का मौसम।

जनवरी मे सबसे अधिक सर्दी पडती है, फिर भी उत्तर से दक्षिण तक के तापमान में बहुत अन्तर रहता है। दिन प्राय: गर्म होते है और रातें निश्चित रूप से ठंडी। जनवरी के तापमान का औसत पजाब में ५५° फारनहाइट, गगा की घाटी में लगभग ६०° फा० और मद्रास में लगभग ७५° फा० होता है। अप्रैल और मई में भारत में सूर्य की किरणो के सीधी पडने के कारण ये महीने सबसे अधिक गर्म होते हैं। मई में उत्तर–पश्चिमी भारत में मैदानो का अधिकतम तापमान ११०° फा० से भी बढ जाता है, यद्यपि औसत तापमान १००° फा० से कुछ ऊपर होता है। गगा के डेल्टा में औसत तापमान ८५° फा० होता है। प्राय: जून के मध्य में वर्षा शुरू हो जाती है और तेज गडगडाहट और कौध के साथ मूसलाधार पानी पडने लगता है। भारत के अधिकाश भागो में, जहाँ दक्षिण-पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है, जून और सितम्बर के बीच वर्षा होती है। मद्रास के समुद्र-तट को छोड कर भारत में अधिकाश वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। उत्तर-पूर्वी मानसून से वर्षा केवल निरुवाकर-कोचीन और मद्रास के कुछ भागों में होती है।

जलवायु के अनुसार प्रदेशों का वर्गीकरण

जलवायु की दृष्टि से, विशेष रूप से वर्षा पर आधारित भारत के प्रदेशों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :

(क) ८० इंच से अधिक वर्षा वाले प्रदेश :

(१) पश्चिमी घाट :

(अ) उत्तर : लम्बा शुष्क मौसम, जैसे बम्बई ।

(आ) पश्चिम : छोटा शुष्क मौसम, जैसे त्रिवेन्द्रम ।

(२) बंगाल और आसाम

(ख) ४० से ८० इंच वर्षा वाले प्रदेश :

उत्तर-पूर्वी पठार और गंगा घाटी का मध्य भाग, जैसे नागपुर ।

(ग) २० से ४० इंच वर्षा वाले प्रदेश :

(१) कर्नाटक अथवा तमिलनाड जहाँ सबसे अधिक वर्षा के महीने नवम्बर और दिसम्बर होते हैं ; जैसे मद्रास ।

(२) दक्षिणी और उत्तर-पश्चिमी दक्खन का पठार जहाँ जनवरी में ६५°–७५° तापमान रहता है, जैसे हैदराबाद ।

(३) गंगा के मैदान का ऊपरी छोर जहाँ जनवरी में कम से कम तापमान होता और जुलाई में अधिक से अधिक, जैसे दिल्ली ।

इनके साथ हिमालय प्रदेश भी मिला लिया जाये, जैसे शिमला और दार्जिलिंग ।

खनिज पदार्थ और विद्युत् साधन

लोहे के धातु शोधन कार्य के लिये आवश्यक खनिज पदार्थों में भारत बहुत सम्पन्न है । संसार में अन्यत्र दुर्लभ उच्च कोटि के कच्चे लोहे के भण्डार के अतिरिक्त भारत में ढलाई, गलाने तथा ऊष्मसह बनाने के काम में आने वाले खनिज पदार्थ भी है । अभ्रक की खानों में भारत को एकाधिकार प्राप्त है । कुछ दुर्लभ और सामरिक महत्त्व के खनिज पदार्थों और रासायनिक द्रव्यों की दृष्टि से भी भारत की स्थिति दृढ़ है । लोहरहित धातुओं में हमारी स्थिति अच्छी नहीं, यद्यपि कुछ उपयोगी भण्डार मौजूद हैं जिन से अभी कोई लाभ नहीं उठाया गया । सबसे महत्त्वपूर्ण खनिज-क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है जिसे गोंडवाना कहते हैं । इसके अन्तर्गत दक्षिणी बिहार, दक्षिण-पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा आते हैं । देश को कोयले, लोहे, अभ्रक, ताँबे, अग्निजित् मिट्टी, क्रोमाइट और कियानाइट का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है ।

कोयला

संसार के कोयला निकालने वाले देशों में भारत का सातवाँ स्थान है । १९५१ में कोयले की उपज ३ करोड़ ४४ लाख टन थी । इसका ९० प्रतिशत भाग दामोदर घाटी में— मुख्यतः झरिया और रानीगंज की कोयला खानों से, प्राप्त हुआ था । लिग्नाइट के रूप में कोयले के बड़े भण्डारों का मद्रास के समुद्री तट के निकटस्थ प्रदेश में पता चला है । देश में निकाले गये कोयले का एक तिहाई भाग रेल के काम आता है और इसके अतिरिक्त दस-दस प्रतिशत कोयला इस्पात और सूती वस्त्र उद्योगों में तथा सात-सात प्रतिशत कोयला संग्रह करने

के स्थानों और बिजली पैदा करने तथा निर्यात के काम में आता है । देश के आधे से अधिक खान-मजदूर कोयले की खानो में काम कर रहे है ।

तेल

तेल उत्पादन के साधनो की दृष्टि मे हमारी स्थिति कमजोर है । हमारे तेल-क्षेत्र अभी तक केवल डिगबोई के आसपास आसाम के अन्तर्गत है । पैट्रोलियम की निकासी साढे छ. करोड से सात करोड गैलन के लगभग है जो हमारी वर्तमान आवश्यकता का दसवाँ भाग भी मुश्किल से होगी । ऐसी भी योजना है कि ४ लाख टन शीरे से, जो चीनी के कारखानो मे अब व्यर्थ चला जाता है, २ करोड गैलन उद्योग में काम आने योग्य सुरासार तैयार की जाये । इसके उत्पादन के लिये जो प्रबन्ध किया गया है उस के अनुसार एक करोड गैलन तैयार किया जा सकता है जबकि वास्तविक उत्पादन केवल २० लाख से ४० लाख गैलन ही है ।

जल-शक्ति

भारत के जल-विद्युत् के स्रोत बहुत विशाल है जिनका अभी तक पूरा-पूरा सर्वेक्षण भी नही हो पाया । १९१८ मे बनाई गई एक समिति ने अनुमान लगा कर बताया था कि हमारे देश में कम से कम ३५ लाख किलोवाट जल-विद्युत् प्राप्त की जा सकती है । वर्तमान मत यह है कि यह अनुमान बहुत ही कम है । भारत मे कुल मिला कर ४ करोड किलोवाट जल-विद्युत् पैदा करने की क्षमता है । जल-विद्युत् के उत्पादन मे प्रमुख प्रदेश ये है (१) हिमाचल प्रदेश से लेकर आसाम तक चली गई मेखला, (२) पश्चिमी घाट तथा (३) नील गिरि की दक्षिणी पहाडियाँ और मध्य कावेरी । बहु-उद्देश्यीय नदी-घाटी कार्यो के अतिरिक्त भारत के विभिन्न राज्यो में इस समय एक सौ से अधिक विद्युत् उत्पादन सम्बन्धी कार्यो पर विचार अथवा काम हो रहा है । १९५१ मे विद्युत् उत्पादन के सस्थापित कार्य द्वारा १,७१२ मि० वा० की क्षमता थी, और यह आशा की जाती है कि प्रथम पच वर्षीय योजना के अन्त तक बढ कर यह ३,०५७ मि० वा० तक जा पहुँचेगी और १९५९ में कार्यो के पूर्ण होने पर विद्युत्-उत्पादन की क्षमता ४,२३७ मि० वा० तक जा पहुँचेगी ।

कच्चा लोहा

ससार के कच्चे लोहे के सबसे बडे भण्डारों मे भारत भी एक है । कच्चे लोहे की धात में अधिकाश हाएमेटाइट और मैगनेटाइट मिले रहते है जिनमे लोहे की मात्रा ६० से ७० प्रतिशत तक रहती है । इसे प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र उडीसा की पहाडियो के उत्तरी पार्श्व मे है जहाँ कभी क्योंझर, बोनाई और मयूरभंज के देशी राज्य थे और बिहार का सिंहभूम जिला है । लोहे का यह क्षेत्र दक्षिण की ओर छत्तीसगढ, बस्तर और दक्षिणी मध्य प्रदेश तक चला गया है । अनुमान है कि सारे क्षेत्र में उत्तम कोटि का ४ अरब ५० करोड टन कच्चा लोहा उपलब्ध हो सकता है । निम्न कोटि का कच्चा लोहा रानीगज की कोयला-खानों, सलेम, मैसूर रत्नगिरि और कुमाऊँ मे मिलता है । भारत में कुल मिला कर कच्चे लोहे के भण्डार मे १० अरब टन कच्चा लोहा उपलब्ध हो सकता है और उत्पादन की वर्तमान गति को देखते हुये कहा जा सकता है कि कच्चे धात की यह राशि कभी समाप्त न होगी ।

मैंगनीज

बड़े पैमाने पर किये जाने वाले धातु-शोधनकार्य के लिये उपयोगी मैंगनीज भी देश में मिलता है । ससार के कुल मैंगनीज का एक तिहाई उत्पादन भारत

में होता है। अच्छी धात जिसमें ५० प्रतिशत मैंगनीज होती है हमारे यहाँ डेढ़-दो करोड़ टन है। इसका दो-तिहाई उत्पादन तो मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद इस सिलसिले में क्योंझर, बोनाई, आन्ध्र और उडीसा की सीमान्त पहाडियाँ, सिंहभूम, गुजरात, उदयपुर और मैसूर उल्लेखनीय हैं। भारतीय कच्ची धात भगुर नहीं है, इसलिए इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है।

क्रोमाइट

क्रोमाइट जो मिश्रित और ऊष्मसह होता है मुख्य रूप से क्योंझर, सिंहभूम और मैसूर मे पाया जाता है। निम्न कोटि का क्रोमाइट सलेम, रत्नगिरि और विजयवाडा में भी मिलता है।

अन्य लोहयुक्त और ऊष्मसह कच्ची धातें

सिंहभूम और मयूरभज में २०–३० लाख टन वेनेडियम का भण्डार है जिसे अब तक निकाला नहीं जा सका। सलेम और मैसूर में अच्छी श्रेणी के मैंगनेसाइट के भरपूर भण्डार हैं, यह बम्बई-राजस्थान सीमा पर भी पाया जाता है। अच्छी श्रेणी की अग्निजित् मिट्टी दामोदर कोयला-खानो, राजमहल पहाडियो (पश्चिम बंगाल) और कोलार स्वर्ण-खानो में प्राप्त होती है। काँच और बिजली के उद्योगो मे काम आने वाले क्यानाइट और सिल्लीमेनाइट के ५ लाख टन पाये जाने का अनुमान है। ससार में मिलने वाले क्यानाइट का अधिकाश भाग (४०,००० टन) जमशेदपुर के पास खरसावाँ मे पाया जाता है। घिसाई में काम आने वाला कोरण्डम सब का सब मद्रास और मैसूर में मिलता है, यद्यपि यह रीवा, सिंहभूम, खासी पहाडियाँ (आसाम) और कश्मीर में भी पाया जाता है।

लोह-रहित धातुएं

भारत में लोह-रहित धातुओ की उतनी ही कमी है जितनी लोहयुक्त धातुओ की अधिकता। निकल, कोबाल्ट, टगस्टन और टिन का एकदम अभाव है। सोना, तावा और अल्युमिनियम ही ऐसी लोह-रहित धातुए है जिनका किसी न किसी मात्रा मे उत्पादन होता है। सोना केवल कोलार की खानो में ही निकाला जाता है और इसका वर्तमान उत्पादन २,२६,३५७ औस है। तावे की धात का कुल उत्पादन ३,६९,००० टन है और यह ८० मील लम्बे ताम्र-अचल मे निकाला जाता है जो जमशेदपुर के दक्षिण-पूर्व में स्वर्ण रेखा नदी के साथ-साथ चला गया है। तावे की कच्ची धात उत्तरी राजस्थान और सिक्किम के अतिरिक्त कुल्लू और गढवाल मे भी उपलब्ध होती है। अल्युमिनियम की स्थिति भविष्य में और भी अच्छी होने की सम्भावना है। प्रायद्वीप में मिलने वाले लेटेराइट में ५०-६० प्रतिशत अल्युमिनियम मिला रहता है और हिमालय के पास कश्मीर में प्राप्त होने वाले लेटेराइट में ६०–८० प्रतिशत। कुल मिला कर बॉक्साइट के २५ करोड टन होने का अनुमान है। अच्छी श्रेणी का वॉक्साइट मध्य प्रदेश मे आता है।

अभ्रक

ससार के कुल अभ्रक के ७०–८० प्रतिशत का उत्पादन भारत में होता है। इसका एक तिहाई हजारीबाग से आता है और शेष नेल्लोर (आन्ध्र) और राजस्थान से। इसका वर्तमान

उत्पादन प्रति वर्ष ४,९०,००० हुंडरवेट है। केवल बिहार में ६०,००० के लगभग मजदूर खानों और कारखानों में काम करते हैं।

नमक

अच्छी श्रेणी का नमक साभर झील और पचपदरा (राजस्थान) से आता है। यह कुल उत्पादन का छठा भाग है। शेष उत्पादन घटिया श्रेणी का होता है जिसे समुद्र के जल को वाष्पीकृत करके कच्छ, बम्बई और मद्रास के सागर तट के समीपवर्ती स्थानों में तैयार किया जाता है। मण्डी (हिमाचल प्रदेश) में भी चट्टानी नमक उपलब्ध होता है।

विविध लोह-रहित खनिज पदार्थ

राजस्थान में प्राप्त होने वाला फीरोजा और तिरुवाकुर का मोनाजाइट सामरिक महत्व वाले खनिज पदार्थ हैं, क्योंकि ये अणु-विखण्डन में काम आते हैं। बिहार के गया जिले में ऐसे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें से यूरेनियम प्राप्त किया जा सकता है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों में इल्मेनाइट और जिरकोन भी उल्लेखनीय हैं।

सामान्य खनिज पदार्थों में फिटकरी, अपाटाइट, गन्धिया, ऐम्बेस्टस, बेराइटिस, फेल्सपार, मज्जी, फुलर्स अर्थ, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, शोरा और स्टेटाइट का उल्लेख किया जा सकता है जिनमें से अधिकांश का उत्पादन छोटे पैमाने पर और स्थानीय उद्योग के रूप में ही होता है। इन में से अपाटाइट की स्थिति अधिक आशापूर्ण है, क्योंकि धरती को उर्वरा बनाने में इसका उपयोग हो सकता है। यह मसूरी, हजारीबाग और सिंहभूम में पाया जाता है। राजस्थान, तिरुचिरापल्लि और सौराष्ट्र में खड़िया मिट्टी के विशाल भण्डार हैं। खड़िया मिट्टी का उपयोग सीमेन्ट उद्योग में और धरती को उर्वरा बनाने में होता है।

निवासी

जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत संसार का सब से अधिक जनसंख्या वाला देश है। १८८१ से भारत में प्रति १० वर्षों के बाद नियमित रूप से जनगणना होती रही है। १९५१ की जनगणना के अन्तर्गत 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' भाग के राज्य आ गये थे। इस जनगणना में जम्मू-कश्मीर तथा आसाम के आदिवासी क्षेत्रों का समावेश नहीं हो सका था। निम्नलिखित तालिका से पिछले ६० वर्षों की जनवृद्धि का अन्दाजा हो सकेगा।

तालिका १ (लाखों में)

वर्ष	जनसंख्या	गत दस वर्ष में वृद्धि या कमी
१८८१	२,३५९	—
१९०१	२,३५५	—४
१९११	२,४९०	+१३५
१९२१	२,४८१	—९
१९३१	२,७५५	+२७४
१९४१	३,१२८	+३७३
१९५१	३,५६९	+४४१

१९५१ की जनगणना

तालिका २ में विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों की जनसंख्या और भूमि का क्षेत्रफल दिया गया है। जम्मू-कश्मीर तथा आसाम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर भारत की कुल जनसंख्या ३५,६८,२९,४८५ है। इसमें १८,३३,०५,६५४ पुरुष और १७,३५,२३,८३१ स्त्रियाँ हैं। १९४१ से १९५१ तक ८,२०,००,००० जनसंख्या बढ़ी जो १९३१ के आँकड़ों की तुलना में १२.५ प्रतिशत अधिक थी। पंजाब और अण्डमान निकोबार में क्रमश ०·५ तथा ८ ६ प्रतिशत जनसंख्या घटी, बाकी सब राज्यों में जनसंख्या बढ़ी। सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में ६२.१ प्रतिशत बढ़ी, और दूसरे नम्बर पर कुर्ग में (३०.५ प्रतिशत)। अधिकांश राज्यों में वृद्धि १० से २२ प्रतिशत रही किन्तु बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पेप्सू में वृद्धि १० प्रतिशत से कम रही। पेप्सू की जनसंख्या केवल २ ६ प्रतिशत बढ़ी।

स्त्री और पुरुषों का अनुपात

भारत में प्रति १,००० पुरुषों के पीछे ९४७ स्त्रियाँ हैं। उड़ीसा, मणिपुर, मद्रास, तिरुवांकुर-कोचीन और कच्छ को छोड़ कर (जहाँ प्रति १,००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्रमशः १,०२२, १,०२६, १,००६, १,००८ और १,०७९ है) सब राज्यों में पुरुषों की संख्या अधिक है। सब से कम स्त्रियाँ अण्डमान-निकोबार में हैं, जहाँ उनका अनुपात १,००० पुरुषों के पीछे ६२५ है। दिल्ली में यह अनुपात ७६८ है। पश्चिम बंगाल, आसाम, कुर्ग, पंजाब और पेप्सू में स्त्रियों का अनुपात १,००० के पीछे ९०० से कम है।

जनसंख्या का विभाजन

क्षेत्रों की दृष्टि से जनसंख्या का वर्गीकरण करने पर उत्तरी भारत में केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का १८ प्रतिशत है। पूर्वी भारत (७ राज्य) की जनसंख्या २५ प्रतिशत, दक्षिणी भारत (४ राज्य) की २१ प्रतिशत, पश्चिमी भारत (३ राज्य) की ११ प्रतिशत, भारत के मध्य भाग (५ राज्य) की १५ प्रतिशत और उत्तर-पश्चिमी भारत (७ राज्य) की १० प्रतिशत है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल १,३०,२३२ वर्ग मील है। राजस्थान (क्षेत्रफल १,३०,२०७ वर्गमील) का स्थान दूसरा है। सबसे छोटा राज्य दिल्ली है जिसका क्षेत्रफल केवल ५७८ वर्गमील है।

जनसंख्या की दृष्टि से सब से बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या ६,३०,००,००० है। मद्रास दूसरा है (५,७०,००,०००) और बिहार तीसरा (४,००,००,०००)। विन्ध्य प्रदेश (जनसंख्या ३५,७०,०००) और दिल्ली (जनसंख्या १७,४०,०००) को छोड़कर और किसी भी 'ग' या 'घ' भाग के राज्य की जनसंख्या १० लाख से अधिक नहीं। अण्डमान-निकोबार की जनसंख्या केवल ३०,९७१ है।

जनसंख्या की घनता

भारत में जनसंख्या की औसत घनता ३१२ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। किसी राज्य में जनसंख्या अधिक घनी है और किसी में कम। दिल्ली में जनसंख्या की औसत घनता ३,०१७ व्यक्ति

तालिका २
क्षेत्रों तथा राज्यों की जनसंख्या

क्षेत्र और राज्य	वर्गमीलों में भूमि का क्षेत्रफल	जनसंख्या				प्रति १,००० पुरुषों के पीछे स्त्रियाँ (१९५१)	१९४१–१९५१ में वृद्धि की गति
		१९५१			१९४१		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति		
भारत . .	१२,६९,६४०	३५,६८,२९,४८५†	१८,३३,०५,६५४	१७,३५,२३,८३१	३१,४७,६६,३८०	९४७	+१२ ५
(१) उत्तर भारत . .	१,१३,४०९	६,३२,१५,७४२	३,३०,९८,८६६	३,०१,१६,८७६	५,६५,३१,८४८	९१०	+११ २
१. उत्तर प्रदेश . .	१,१३,४०९	६,३२,१५,७४२	३,३०,९८,८६६	३,०१,१६,८७६	५,६५,३१,८४८	९१०	+११.२
(२) पूर्वी भारत . .	२,६१,६५७	९,००,८०,२९७	४,६३,१५,६५८	४,३७,६४,६३९	८,०८,७३,०३८	९४५	+१० ८
१. बिहार . .	७०,३३०	४,०२,२५,९४७	२,०२,२३,६७५	२,००,०२,२७२	३,६५,२८,११९	९८९	+ ९ ६
२. उड़ीसा . .	६०,१३६	१,४६,४५,९४६	७२,४२,८९२	७४,०३,०५४	१,३७,६७,९८८	१,०२२	+ ६ २
३. पश्चिम बंगाल .	३०,७७५	२,४८,१०,३०८	१,३३,४५,४४१	१,१४,६४,८६७	२,१८,३७,२९५	८५९	+१२.७
४. आसाम* . .	८५,०१२	९०,४३,७०७	४८,१२,१६६	४२,३१,५४१	७५,९३,०३७	८७९	+१७ ४
५. मणिपुर . .	८,६२८	५,७७,६३५	२,८३,६८५	२,९३,९५०	५,१२,०६९	१,०३६	+१२ ०
६. त्रिपुरा .	४,०३२	६,३९,०२९	३,३५,५८९	३,०३,४४०	५,१३,०१०	९०४	+२१ ९
७. सिक्किम .	२,७४४	१,३७,७२५	७२,२१०	६५,५१५	१,२१,५२०	९०७	+१२ ५
(३) दक्षिणी भारत .	१,६८,००९	७,५६,००,८०४	३,७८,२२,५४२	३,७७,७८,२६२	६,८८,३७,३५०	९९९	+१५.३

१. मद्रास	१,२७,७९०	५,७०,१६,००२	२,८४,१९,००३	२,८५,९६,९९९	४,९८,३०,७४९	१,००६	+१३.४
२. मैसूर	२९,४८९	९०,७४,९७२	४६,५७,४०९	४४,१७,५६३	७३,३७,८१८	९४९	+२१ २
३. तिरुवाकुर-कोचीन	९,१४४	९२,८०,४२५	४६,२०,८०३	४६,५९,६२२	७५,००,०५७	१,००८	+२१ २
४. कुर्ग	१,५८६	२,२९,४०५	१,२५,३२७	१,०४,०७८	१,६८,७२६	८३०	+३० ५
(४) पश्चिमी भारत	१,४९,४०९	४,०६,६१,११५	२,०९,८२,२८१	१,९६,७८,८३४	३,३२,४९,७२६	९३८	+२०.१
१. बम्बई	१,११,४३४	३,५९,५६,१५०	१,८६,१४,८०२	१,७३,४१,२८८	२,९१,८१,१४६	९३२	+२० ८
२. मौराष्ट्र	२१,४५१	४१,३७,३५९	२०,९४,४४२	२०,४२,९१७	३५,६०,७००	९७५	+१५ ०
३. कच्छ	१६,७२४	५,६७,६०६	२,७२,९७७	२,९४,६२९	५,०७,८८०	१,०७९	+११ १
(५) भारत का मध्य भाग	२,८९,३९९	५,२२,६७,९५९	२,६४,९७,५२४	२,५७,७०,४३५	४,७२,७३,८८६	९७३	+१० ०
१. मध्यप्रदेश	१,३०,२७२	२,१२,४७,५३३	१,०६,६२,८१२	१,०५,८४,७२१	१,९६,३१,६१५	९९३	+ ७.९
२. मध्य भारत	४६,४७८	७९,५४,१४४	४१,३३,०७५	३८,२१,०७९	७१,६९,८८०	९२५	+१०.४
३. हैदराबाद	८२,१६८	१,८६,५५,१०८	९४,३१,०६२	९२,२४,०४६	१,६३,२७,११९	९७८	+१३ ३
४. भोपाल	६,८७८	८,३६,४७४	४,३७,६३५	३,९८,८३९	७,७८,६२३	९११	+ ७ २
५. विन्ध्य प्रदेश	२३,६०३	३५,७४,६९०	१८,३२,९४०	१७,४१,७५०	३३,६६,६४९	९५०	+ ६.०
(६) उत्तर-पश्चिमी भारत	२,८४,३४२	३,४९,७२,५९७	१,८५,६९,७२८	१,६४,०२,८६९	३,१९,६६,७६४	८८३	+ ९ ०
१. राजस्थान	१,३०,२०७	१,५२,९०,७९७	७९,६१,६७३	७३,२९,१२४	१,३३,०६,२३२	९२१	+१३ ९
२. पंजाब	३७,३७८	१,२६,४१,२०५	६७,८६,९३४	५८,५४,२७१	१,२६,९८,६०३	८६३	— ० ५
३. पेप्सू	१०,०७८	३४,९३,६८५	१८,९४,८४४	१५,९८,८४१	३४,०२,५८६	८४४	+ २ ६
४. जम्मू और कश्मीर	९२,७८०	—	—	—	—	—	—
५. अजमेर	२,४१७	६,९८,३७२	३,६०,२३६	३,३३,१३६	३,८३,६९३	९२५	+१७ २
६. दिल्ली	५७८	१७,४४,०७२	९,८६,५३८	७,५७,५३४	९,१७,९३९	७६८	+ ६२.१
७. बिलासपुर	४५३	१,२६,०९९	६४,७३८	६१,३६१	१,१०,३३६	९४८	+१३ ३
८. हिमाचल प्रदेश	१०,४५१	९,८३,३६७	५,१४,७६५	४,६८,६०२	९,४७,३७५	९१०	+ ३ ७
अण्डमान और निकोबार द्वीपपुंज	३,२१५	३०,९७१	१९,०५५	११,९१६	३३,७६८	६२५	—८ ६

*आसाम के आदिवासी क्षेत्रों के आँकडे शामिल नही हैं। † जम्मू और कश्मीर के आँकड़े शामिल नहीं हैं।

और निकोबार-कोबीन में १,०१५ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। कच्छ में यह औसत ३४ और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में केवल १० है। जनसंख्या की सघनता या विरलता सामान्यतः भूतल की बनावट, मिट्टी और वर्षा पर निर्भर करती है। विशेषकर इन्हीं तथ्यों से यह निश्चित होता है कि कितनी जमीन खाद्य-उत्पादन के काम में आ सकती है और वह किस हद तक खाद्य-उत्पादन के योग्य है।

नीचे की तालिका में भारत तथा कुछ अन्य देशों में जोती, बोई जाने वाली और जोतने योग्य भूमि का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल दिया गया है :

तालिका ३

	भारत	संसार	अमेरिका	यूरोप (रूस को छोड़ कर)	रूस
जनसंख्या (करोडो मे)	३६.१	२४०	१५ १	३९.६	१९.८
भूमि का क्षेत्रफल (करोड एकडों में)	८१.३	३,२५१	१९०.५	१२१.८	५९० ४
क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति (एकडों में),	..	.	.	.	.
कुल भूमि	२२५	१,३५४	१.२६४	३०७	३,०४६
कृषि भूमि	९७	३५१	७४१	१५३	४४८
जोतने-बोने योग्य भूमि	९७	१२६	३०२	९२	२८७

संसार में सबसे अधिक घना बसा महाद्वीप यूरोप है, परन्तु वह भारत से कम घना बसा है। औसत भारतीय भूमि के ४३ प्रतिशत भाग में खेती करता है, जबकि औसत यूरोपीय ३० प्रतिशत भाग मे ही खेती करता है। अमेरिका और रूस मे काम मे आने लायक़ जितनी भूमि है, उतनी यूरोप और भारत में नही है।

शहरी और देहाती जनसंख्या

भारत की कुल जनसंख्या ३५ करोड़ ७० लाख है। इसमें से केवल ६ करोड २० लाख आदमी शहरों और कस्बों में रहते है, शेष २९ करोड़ ५० लाख गाँवों में रहते हे। शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या की १७.३ प्रतिशत है और देहाती जनसंख्या ८२.७ प्रतिशत। नीचे की तालिका मे पता चलता है कि गाँवों की जनसंख्या धीरे-धीरे शहरों की ओर खिच रही है।

तालिका ४

वर्ष	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	
	देहाती	शहरी
१९२१	८८.८	११.२
१९३१	८७.९	१२.१
१९४१	८६.१	१३.९
१९५१	८२.७	१७.३

पिछली दशाब्दी में शहरी जनसंख्या ३.४ प्रतिशत बढी, जब कि उससे पिछली दो दशाब्दियों में कुल मिलाकर वह केवल २.६ प्रतिशत ही बढ़ी थी।

देहली और अजमेर राज्य बहुत छोटे हैं। यहाँ शहरी जनसंख्या क्रमशः ८३ और ४३ प्रतिशत है। बड़े राज्यों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या सौराष्ट्र और बम्बई में है। सौराष्ट्र मे ३४ प्रतिशत और बम्बई मे ३१ प्रतिशत लोग बड़े नगरों और शहरों में रहते हैं।

शहर, गांव और घर

देश में कुल ३,०१८ शहर और ५,५८,०८९ गाँव हैं। बसे हुए घरों की कुल संख्या ६ करोड़ ४४ लाख है, जिनमे से ५ करोड़ ४१ लाख गाँवों में और १ करोड़ ३ लाख शहरो मे है। नीचे की तालिका मे जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत गाँवों, कस्बों, शहरों और बड़े नगरों की सख्या दी गई है :

तालिका ५

गाव, कस्बे और शहर	संख्या
५०० से कम जनसख्या वाले	३,८०,०२०
५०० से १,००० तक जनसंख्या वाले	१,०४,२६८
१,००० से २,००० तक जनसख्या वाले	५१,७६९
२,००० से ५,००० तक जनसख्या वाले	२०,५०८
५,००० से १०,००० तक जनसंख्या वाले .	३,१०१
१०,००० से २०,००० तक जनसंख्या वाले	८५६
२०,००० से ५०,००० तक जनसख्या वाले . . .	४०१
५०,००० से १,००,००० तक जनसख्या वाले . . .	१११
१,००,००० और उससे अधिक जनसख्या वाले . . .	७३
योग	५,६१,१०७

भारत मे १ लाख से अधिक जनसख्या वाले ७३ शहर है। 'क' भाग के राज्यो में से आसाम मे और 'ख' भाग के राज्यो में से पेप्सू मे ऐसा एक भी शहर नही है। 'ग' भाग के सात राज्यों मे ऐसे केवल चार शहर है, दिल्ली, नई दिल्ली, अजमेर और भोपाल। उपर्युक्त ७३ शहरो मे २४ ऐसे है, जिनकी जनसंख्या दस साल पहले १ लाख से कम थी। परन्तु उससे पिछले दस सालो मे इस तरह के केवल १५ ही नये शहर बने थे।

आर्थिक वर्गीकरण

जीविका के साधनों की दृष्टि से यदि जनसंख्या का वर्गीकरण किया जाये, तो ज्ञात होगा कि ७० प्रतिशत व्यक्ति खेती पर आश्रित है और ३० प्रतिशत अन्य व्यवसायों पर। सौराष्ट्र, कच्छ, अजमेर, दिल्ली और अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर शेष सब राज्यो मे किसानो की सख्या गैर-किसानों की संख्या से अधिक है। पश्चिम बंगाल और बम्बई राज्य उद्योगो मे सबसे आगे बढ़े हुए है, यद्यपि-किसानो की संख्या यहाँ भी गैर-किसानो की संख्या से अधिक है। इसके विपरीत, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आदि अधिकांश पहाड़ी राज्यों में किसानों की जनसंख्या कल जनसंख्या के ९० प्रतिशत से भी अधिक हैं।

प्रत्येक १०० भारतीयों में, जिनमे उनके आश्रित भी शामिल है, ४७ मुख्य रूप से अपने खेतों के मालिक-किसान है, ९ मुख्य रूप से किराये की भूमि बोने वाले किसान है, १३ भूमिहीन मजदूर है, एक ज़मीदार है, और १० उद्योगों में या दूसरे किसी गैर-खेतीबाड़ी सम्बन्धी उत्पादन में लगे हुए है; ६ व्यापार मे है, २ परिवहन मे, तथा १२ नौकरियों और विभिन्न फुटकर कार्यों मे लगे हुए है। नीचे की तालिका में आजीविका की दृष्टि से खेतीबाड़ी और अन्य व्यवसायों के चार-चार उपवर्ग किये गये है, और यह दिखाया गया है इनमे कितने स्वावलम्बी है और कितने उनके आश्रित है तथा आश्रितो में कितने कमाते है और कितने नही कमाते।

तालिका ६

(लाखों मे)

वर्ग	उपवर्ग	स्वाव-लम्बी	न कमाने वाले आश्रित	कमाने वाले आश्रित	योग
१. किसान	(१) ऐसे किसान, जो सर्वथा या अधिकाश मे अपनी जमीन के मालिक है	४५८	१००१	२१४	१६७३
	(२) ऐसे किसान जो सर्वथा या अधिकाश में अपनी जमीन के मालिक नही है	८८	१८९	३९	३१६
	(३) खेतो मे काम करने वाले मजदूर	१४९	२४६	५३	४४८
	(४) ऐसे ज़मीदार जो खेती करते और लगान वसूल करते है	१६	३३	४	५३
	किसानो की कुल संख्या	७११	१४६९	३१०	२४९०
२. गैर-किसान	(१) कृषि व्यतिरिक्त उत्पादन	१२२	२२४	३१	३७७
	(२) व्यापार	५९	१४५	९	२१३
	(३) परिवहन	१७	३६	३	५६
	(४) अन्य सेवाएं और व्यवसाय आदि	१३६	२६८	२६	४३०
	गैर-किसानों की कुल संख्या	३३४	६७३	६९	१०७६
	सर्व योग	१०४५	२१४२	३७९	३५६६

जनगणना के समय जीविका के उपमाधनों के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसकी सहायता से अपनी भूमि जोतने वाले किसानों और दूसरों की भूमि जोतने वाले भूमिहीन किसानों की अलग गणना की गई है। इस गणना मे पता चला है कि अपनी भूमि जोतने वाले किसानों और भूमिहीन किसानों में परस्पर में १,००० और ४०२ का अनुपात है। एक हज़ार भूमिधर किसानो के पीछे किसानों का अनुपात हर राज्य में अलग-अलग है। उत्तरप्रदेश मे यह सबसे कम (१६१) है और तिरुवांकुर-कोचीन में सब से अधिक (७८२)। दूसरे बड़े राज्यों में ये आँकड़े इस प्रकार हैं—मैसूर (१९०), आसाम (२३५), उडीसा (२७१), बम्बई (३८३), मध्य भारत (३९७), मध्य प्रदेश (४१३), हैदराबाद (५०७), बिहार (५१०), राजस्थान (५४४), पश्चिम बंगाल (६०९) और मद्रास (७१४)।

खेती करने वाले असली किसान ५ करोड़ ४५ लाख है। इनमे ४ करोड़ ५७ लाख मालिक-किसान है और ८८ लाख लगान देने वाले किसान। मालिक-किसानो की अधिकता भारत के कृषकवर्ग की रचना की विशेषता है। हमारे देश मे इनकी अधिकता बहुत महत्वपूर्ण है। ये रैयतवारी इलाकों मे ही नही, इस्तमरारी बन्दोबस्त वाले और अस्थायी बन्दोबस्त वाले इलाक़ों में भी अधिक है।

आयु सम्बन्धी विवरण

तालिका ७ में आयु के अनुसार जनसख्या का ब्यौरा दिया गया है। प्रत्येक खंड के साथ जो संख्या नीचे दिखाई गई है, वह कुल जनसंख्या का प्रतिशत है :

तालिका ७

	आयुवर्ग (वर्षों मे)	प्रतिशत
दूध पीते और छोटे बच्चे	० से ४	१३.५
लड़के और लड़कियाँ	५ से १४	२४.८
युवक और युवतियाँ	१५ से २४	१७.४
	२५ से ३४	१५.६
अधेड पुरुष और अधेड़ स्त्रियाँ	३५ से ४४	११.९
	४५ से ५४	८.५
	५५ से ६४	५.१
वृद्ध तथा वृद्धाएं	६५ से ७४	२.२
	७५ और उससे ऊपर	१.०
		१००.०

तालिका ८

आयु और नागरिक स्थिति

(हजारों में)

आयु-वर्ग	कुल		अविवाहित		विवाहित		विधुर, विधवा और विवाह विच्छेद प्राप्त	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
१ से कम वर्ष	५,८२१	५,६६८	५,८२१	५,६६८	—	—	—	—
१ से ४ ,,	१७,९३९	१७,९०८	१७,९३९	१७,९०८	—	—	—	—
५ से १४ ,,	४४,७०३	४१,९८९	४१,८०४	३५,७३७	२,८३३	६,११८	६६	१३४
१५ से २४ ,,	३०,६७२	३०,०५२	१६,६२७	५,१८४	१३,६६०	२४,०४१	३८४	८२७
२५ से ३४ ,,	२७,८७५	२६,६३३	३,७०१	७३३	२३,१२२	२३,७३१	१,०५२	२,१२९
३५ से ४४ ,,	२२,०३२	१९,५२८	१,१५०	३०४	१९,३२३	१५,३४६	१,५५९	३,१७८
४५ से ५४ ,,	१५,७१९	१३,८९८	६०४	१७३	१३,०७६	८,३१४	२,०३८	५,४१२
५५ से ६४ ,,	९,०६४	८,६२४	२९९	८९	६,७७७	३,३३४	१,९८९	५,२०१
६५ से ७४ ,,	३,८६७	३,९७६	१०४	३७	२,५३३	१,०९२	१,२३०	२,८४७
७५ और उससे ऊपर	१,६३०	१,७५६	४६	१८	८८३	३७०	७०१	१,३६७
अज्ञात आयु . .	१११	११७	५१	६०	४६	४०	१४	१५
विस्थापितों के अलावा कुल जनसंख्या .	१,७९,४३३	१,७०,१४९	८८,१४६	६५,९५१	१२,२५३	१२,३८८	९,०३३	२१,८१०

यह स्पष्ट है कि जनसंख्या में कम आयु वालो का अनुपात बहुत अधिक है, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, जो अधेड होने के बाद जीते हैं। नीचे की तालिका में इस सम्बन्ध में दूसरे देशों की परिस्थिति के साथ हमारे देश की परिस्थिति की तुलना की गई है ।

तालिका ९

देश	कुल जनसंख्या का प्रतिशत			
	छोटे बच्चे	छोटे बच्चे और लड़के-लड़कियाँ	१५ से कम आयु वाले लड़के-लड़कियाँ	५५ और उस से ऊपर आयु वाले व्यक्ति
भारत	३.३	१३.५	३८.३	८.३
यूरोप	२.०	९.८	२६.९	१७.२
जर्मनी	१.५	७.०	२३.५	१९.१
इंग्लैंड	१.५	८.६	२२.५	२१.१
इटली	१.८	९.२	२६.६	१२.०
फ्रांस	१.६	७.२	२१.८	२१.४
उत्तरी अमेरिका	—	१०.८	२७.१	१६ ९
ओशेनिया	२.५	१०.५	२६.०	१७.८
जापान	२.८	१३.५	३५.४	११.०
दक्षिण-पूर्वी एशिया	३.३	१५.१	४०.९	७.३
दक्षिण-पश्चिमी एशिया	३.१	१६.७	४०.६	९.५
दक्षिण तथा मध्य अमेरिका	३.१	१४.६	४०.१	७.४
अफ्रीका	२.९	१३.७	१३.१	८.५

विवाह सम्बन्धी स्थिति का नमूना

भारत मे प्रति १० हज़ार व्यक्तियों में (इनमें विस्थापितों की सख्या शामिल नही है) ५,१३३ पुरुष और ४,८६७ स्त्रियाँ है। इनमे से २,५२१ पुरुष और १,८८६ स्त्रियाँ अविवाहित है। यदि पुरुषों और स्त्रियों का हिसाब एक साथ किया जाये, तो कुल जनसख्या के ४४.१ प्रति शत लोग अविवाहित है ।

विवाह सम्बन्धी परिस्थिति की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि बाल-विवाह रोक सम्बन्धी कानून होने हुए भी बाल विवाह बहुत अधिक होते हैं। १९५१ की जनगणना में ५ से लेकर १४ साल की आयु के लोगों में २८,३३,००० विवाहित पुरुष, ६१,१८,००० विवाहित स्त्रियाँ, ६६,००० विधुर और १,३४,००० विधवाएं दिखाई गई हैं। १४ साल की आयु को विवाहित स्त्रियों तथा १५ व १६ और १७ साल के विवाहित पुरुषों की संख्या क्या है, यह मालूम नही है। इस जनगणना से यह मालूम हुआ है कि लगभग ९२,००,००० विवाह ऐसे हुए हैं, जो कानून तोड़ कर किये गये थे।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बाल-विवाहों की संख्या क़रीब-क़रीब सभी स्थानों पर स्पष्टतः घट रही है। १९४१ में १५ साल से कम आयु वाली विवाहिता स्त्रियों का अनुपात विवाहित पुरुषों के मुकाबले में ९.६ प्रतिशत था, और अब १९५१ में यह प्रतिशत घट कर ७.४ रह गया है। इसी प्रकार यह अनुपात उत्तरी भारत में १०.९ से १०.१, पूर्वी

भारत में १०.५ से ८.२, दक्षिणी भारत में ५.२ से २.६, पश्चिमी भारत में ९.५ से ६.०, भारत के मध्य भाग में १२.८ से १०.६ और उत्तर-पश्चिमी भारत में ७.४ से ६.५ हो गया है ।

जन्म और मृत्यु का अनुपात

नीचे की तालिका में १९३१ से १९४६ तक की अविभक्त भारत की जन्म और मृत्यु संख्याएं दिखलाई गई हैं, साथ ही १९४७ से १९५१ तक की जन्म और मृत्यु संख्याएं भी दिखलाई गई है :

तालिका १०

वर्ष	प्रति हजार व्यक्ति		
	जन्म अनुपात	मृत्यु अनुपात	शिशु-मृत्यु
१९३१	३५	२५	१७९
१९३२	३४	२२	१६९
१९३३	३६	२३	१७९
१९३४	३४	२५	१८१
१९३५	३५	२४	१६७
१९३६	३६	२३	१६४
१९३७	३५	२२	१६२
१९३८	३४	२४	१६२
१९३९	३४	२४	१५७
१९४०	३३	२२	१६६
१९४१	३२.१	२१.९	१५०
१९४२	२९.५	२१.४	१६८
१९४३	२६.१	२३.९	१६३
१९४४	२५.८	२४.५	१६५
१९४५	२८.०	२२.१	१५९
१९४६	२८.९	१८.७	१३१
१९४७	२६.६	१९.७	१४६
१९४८	२५.४	१७.१	१३०
१९४९	२६.७	१६.०	१२३
१९५०	२४.८	१६.०	१२०
१९५१	२४.९	१४.४	१२४

ऊपर जो आंकड़े दिये गये हैं, वे विभिन्न राज्यों द्वारा रखी हुई पंजीकरण सामग्री पर आधारित हैं । यहाँ यह बता देना चाहिए कि अधिकांश राज्यों में पंजीकरण की पद्धति न तो सन्तोष जनक है और न उसका कुशलतापूर्वक पालन किया जाता है । इसी कारण जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में हमें रजिस्टरों में जो आंकड़े मिलते हैं, उनमें और दस-वर्षीय जनगणना के आंकड़ों में बहुत अन्तर हो जाता है ।

पंजीकरण सम्बन्धी सामग्री, जनगणना के आंकड़े तथा इस प्रकार की अन्य सूचनाओं का अध्ययन करने के बाद १९५१ की जनगणना की रिपोर्ट में ये परिणाम निकाले गये हैं ।

गत १० वर्षों में यानी १९४१–५० में :

(१) प्रति वर्ष प्रति हज़ार व्यक्तियों के पीछे ४० नये जन्म हुए।

(२) प्रति वर्ष प्रति हज़ार व्यक्तियों के पीछे २४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(३) इस तरह प्रतिवर्ष प्रति हज़ार व्यक्तियों के पीछे १३ व्यक्तियों की वृद्धि हुई।

धर्म

१९५१ की जनगणना में भी पहले की जनगणनाओं की तरह धर्म सम्बन्धी आँकड़े एकत्र किये गये थे। गणना सम्बन्धी लेखा पहले-पहल धार्मिक आधार पर तैयार किया जाता था, पर इस बार गणना जीविका के प्रधान साधन के आधार पर की गई है। इसलिए इस जनगणना में जनसंख्या के वर्गों के लिये जो सूचना एकत्र की गई है, वह केवल विभिन्न धर्मों के मानने वालों की संख्या की जानकारी तक ही सीमित है। नीचे जो आँकड़े दिये गये हैं, उनसे पता चलेगा कि कितने लोग किस धर्म को मानने वाले हैं :

तालिका ११

धर्म	संख्या	प्रति १०,००० व्यक्तियों पर
हिन्दू	३०,३२,००,०००	८,४९९
सिख	६२,००,०००	१७४
जैन	१६,००,०००	४५
बौद्ध	२,००,०००	६
पारसी	१,००,०००	३
ईसाई	८२,००,०००	२३०
मुसलमान	३,५४,००,०००	९९३
यहूदी	—	—
दूसरे धर्म (कबायली)	१७,००,०००	४७
दूसरे धर्म (गैर-कबायली)	१,००,०००	३
सर्व धर्म	३५,६७,००,०००	१०,०००

विशेष वर्ग

१९५१ के पहले जब भी जनगणना होती थी, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी नस्ल, उपजाति या जाति के सम्बन्ध में पूछा जाता था। यह प्रथा भारत में पृथक्ता की भावना बढाने वाली थी। इस कारण १९५१ की जनगणना में जातपातमूलक विभिन्नताओं का लेखा बन्द कर दिया गया। केवल उन्हीं विशेष वर्गों के सम्बन्ध में गणनाएँ की गई हैं, जिनके सम्बन्ध में संविधान में विशेष रूप से उल्लेख है। एक व्यक्ति विशेष-वर्ग का सदस्य केवल उसी हालत में माना गया है, जब कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य किसी पिछड़े हुए वर्ग का सदस्य

हो या 'ऐग्लो इण्डियन' हो। नीचे की तालिका मे विभिन्न राज्यों की इन विशेष वर्गों की जनसंख्या दिखलाई गई है :

तालिका १२

विशेष वर्गों की जनसंख्या

राज्य	ऐग्लो इण्डियन	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जन-जातियाँ
अजमेर	२९८	८०,९७४	९,८१६
आसाम	१,०५५	४,२४,०४८	१७,३५,२४५
भोपाल	१८	१,२९,३७०	५९,११४
बिहार	४,५९६	५०,५७,८१२	४०,४९,१८
बिलासपुर	४	२७,१३५	—
बम्बई	७,३२७	३०,०३,०२४	३३,५९,३०
चन्दन नगर	८९	—	—
कुर्ग	४१	२५,६९०	२१,०८
दिल्ली	८१२	२,०८,६१२	—
हिमाचल प्रदेश	६	२,२४,६१०	—
हैदराबाद	३,९१९	२८,००,१८४	३,५४,९३
कच्छ	—	७,४५०	१७,००
मध्य भारत	१८६	१३,२३,८८१	१०,६०,८१
मध्य प्रदेश	२,६३४	२८,९८,९६८	२४,७७,०२
मद्रास	२७,२५३	८५,३३,६३२	६,३५,९७९
मणिपुर	—	—	१,९४,२३*
मैसूर	१०,६५९	१६,०८,८२१	१५,३१९
उड़ीसा	४८५	२६,३०,७६३	२९,६७,३३०
पेप्सू	२३९	६,७६,३०२	—
पंजाब	९३५	२३,८६,१४३	२,४२९
राजस्थान	७४०	१६,०९,०७४	३,१६,३४८
सौराष्ट्र	५८	१,१९,३५८	३८,८४९
सिक्किम	—	—	—
तिरुवाकुर-कोचीन	११,९९०	८,७०,१३९	२६,५८०
त्रिपुरा	९४	४६,३७१	१,९२,२९३
उत्तर प्रदेश	६,३४३	१,१४,७९,१०२	—
विन्ध्य प्रदेश	२४०	४,७६,२३४	४,१८,२८२
पश्चिम बंगाल	३१,६१६	४६,९६,२०५	११,६५,३३७
योग	१,११,६३७	५,१३,४३,८९८	१,९१,१६ ४९८*

*इन आँकड़ों में मद्रास जिले के ५,००० व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने को हरिजन लिखाया था पर उन्हें गलती मे अनुसूचित जनजातियों में दिखला दिया गया था।

भाषाएं

१९५१ की जनगणना में यह सुविधा की गई थी कि प्रत्येक नागरिक की मातृ भाषा का नाम भी अवश्य लिखा जाये। इसके परिणामस्वरूप भाषाओं अथवा बोलियो की गिनती ८४५ तक जा पहुँची। इस सख्या मे ६३ भारतीय भाषाए भी सम्मिलित है। नीचे दी गई तालिका से ज्ञात होता है कि ३२ करोड ४० लाख लोगों अथवा कुल जनसंख्या के ९१ प्रतिशत लोगों ने संविधान के अन्तर्गत गिनाई गई चौदह भाषाओ मे से किसी एक भाषा को ही अपनी मातृभाषा बताया है। १ करोड २० लाख (३ २ प्रतिशत) लोगो ने कुल मिला कर अपनी मातृभाषा के रूप मे जनजातियो की २३ भाषाओ में से किसी न किसी का उल्लेख किया, और लगभग १ करोड ८० लाख (५ ० प्रतिशत) लोगों ने २४ अन्य भारतीय भाषाओ अथवा बोलियो मे से किसी न किसी को अपनी मातृभाषा बताया। यह बात उल्लेखनीय है कि किसी भी भाषा अथवा बोली के बोलने वालो की संख्या एक लाख से ऊपर ही बैठती है।

तालिका १३

मातृभाषा के अनुसार जनसंख्या का वर्गीकरण

	भाषाओ अथवा बोलियो की सख्या	मातृभाषा के अनुसार जनसख्या का वर्गीकरण	कुल जनसख्या का प्रतिशत
कुल जनसख्या	८४५	३५,६८,७९,३९४	१००·०
सविधान मे गिनाई गई भाषाए	१५*	३२,३९,७२,६०७	९०·८
एक लाख या अधिक व्यक्तियो द्वारा बोली जाने वाली जनभाषाए	२३	१,१५,३१,८४८	३ २
एक लाख या अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाए अथवा बोलियाँ			
(क) लाख या उससे अधिक	२४	१,७६,९८,०४१	५·०
(ख) लाख या लाख से कम	७२०	२८,६०,९७४	०·८
अभारतीय भाषाए	६३	२,२६,२५१	—
अवर्गीकृत जनसख्या	..	५,८९,६७३	०·२

पंजाब, पेप्सू, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर राज्यो मे भाषा का मामला विवाद का विषय बन गया है। यह विवाद हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी अथवा पंजाबी को लेकर हुआ। हमे विवाद के कारण विवादग्रस्त लोगो का ठीक-ठीक भाषावार वर्गीकरण न करते हुए उन्हें एक साथ रख देना पडा। इसका एक परिणाम यह हुआ कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी बोलने वालो की भारत में कुल सख्या का ठीक हिसाब न लगाया जा सका। अगली तालिका में दिखाया गया है कि भारत के सविधान मे गिनाई गई भाषाओं को बोलने वालों की कुल संख्या कितनी हैं और कुल जनसंख्या मे उनका क्या प्रतिशत है।

*संविधान मे चौदह भाषाएँ स्वीकार की गई है। कुछ लोगों ने अपनी मातृभाषा हिन्दी अथवा उर्दू के बजाय हिन्दुस्तानी लिखाना पसन्द किया। इसलिए जनगणना मे चौदह के स्थान पर १५ भाषाओं का उल्लेख हुआ है।

तालिका

क्रम संख्या	भाषाएँ	उत्तरी भारत	पूर्वी भारत	दक्षिणी भारत	पश्चिमी भारत
१	हिन्दी .	५,०४,५४,२१७	३,४०,३६,४५०	१,४६,२८७	४,६२,६०६
२	उर्दू .	४३,००,४२५	३३,६०,३५२	८,६६,८५८	१६,७७,६०७
३	हिन्दुस्तानी*	६७,४२,६३७	—	१३,४५,६६२	८,००६
४	पंजाबी .	३,२३,४५६	६०,४४३	८,६३६	६८,६७८
५	तेलुगु .	२,१४५	४,२७,५६५	२,३१,५६,६७६	३,०७,१०१
६	मराठी .	१०,८६६	१४,३३०	२,८५,०२०	१,५८,५३,३८५
७	तमिल .	८,०६१	२६,४६५	२,६३,२१,३७१	१,११,०२०
८	बगला .	७३,०४५	२,४६,८२,४५२	५,७६६	१६,०७०
९	गुजराती .	१४,१६०	२८,४८७	३१,५७३	१,५६,६२,४८५
१०	कन्नड़	२५३	४७५	८१,४६,८६७	४३,५०,६१८
११	मलयालम	२,००१	४,५६३	१,३३,१३,०७२	४०,१५३
१२	उड़िया .	४७५	१,२६,८१,८८१	१,६४,२६८	८६६
१३	असमिया .	२६०	४६,८३,०६१	६४	११०
१४	कश्मीरी .	१,६७०	१५६	१५	२६३
१५	संस्कृत	—	५०६	—	२८
	योग .	६,१६,३४,३०१	८,०६,३७,२२२	७,३८,०१,२०१	३,९२,१६,६५६

*पहले पृष्ठ पर पाद टिप्पणी देखिये ।

१४

भारत का मध्य भाग	उत्तर-पश्चिमी भारत		योग	अण्डमान और निकोबार द्वीप	योग	योग का प्रतिशत
	राजस्थान और अजमेर	अन्य राज्य				
२५,०६,८७७	३१,२०,६५४			६७५		
२६,०४,६३२	१,५७,५८५	१,८६,१३,५६८	२,२१,५६,४५६	८६२	१४,६६,४४,३११	४६.३
५६,६३६	—			४,१३६		
७८,३८४	२,६७,६२३	—	—	२२४	—	—
६,०६४,८०८	—	—	१०,५७४	१,०४४	३,२६,६६,६१६	१०.२
१,०८,५२,३२७	—	—	३३,५२६	६५	२,७०,४६,५२२	८.३
६७,६१३	—	—	१०,३६०	१,५७४	२,६५,४६,७६४	८.२
२७,२२४	—	—	१४,७२४	२,३६३	२,५१,२१,६७४	७.८
१,७६,५५०	—	—	६७,३६१	१२५	१,६३,१०,७७१	५.१
१६,७०,०२६	—	—	१६१	३४	१,४४,७१,७६४	४.५
७,५४६	—	—	६,६२६	२,८१५	१,३३,८०,१०६	४.१
३,०५,०१७	—	—	१८७	१,१८४	१,३१,५३,६०६	४.०
२८	—	—	४,६६१	१२	४६,८८,२८६	१.५
१४२	—	—	२,५०६	१	५१,०८६	—
१८	—	—	—	—	५५५	—
४,६०,५१,०२६	—	—	२,२३,१३,४७८	१५,४१७	३२,३६,७२,६०७	१००

प्रवासी भारतीय

मोटे तौर पर प्रवासी भारतीयो की कुल संख्या लगभग ४० लाख है। जिन देशों में उन की संख्या १ लाख से ऊपर है, वे हैं श्रीलंका, मलय, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ट्रिनीडाड, टोबागो, मॉरीशस, ब्रिटिश गयाना और फिजी द्वीपपुंज। इनके अतिरिक्त डच गयाना, केनिया, उगाडा, टागानिका तथा इडोनीशिया मे उनकी सख्या प्रत्येक स्थान पर २५ हजार से ऊपर है।

भारतीय मजदूरो के बाहर जाने का कार्यक्रम १९ वी शताब्दी के प्रारम्भ मे तबसे जारी हुआ जब उन्हे स्टेट्स सैटलमेंट बागानो मे काम करने के लिये ले जाया गया था। १८३७ मे जब पहला "एमीग्रेशन ऐक्ट" पास हुआ, तभी से भारतीय नियमित ढग से बाहर जा कर बसने लगे। उसके पहले यह सब बिल्कुल अनियमित था। १९२२ मे इस कानून की जगह पर एक दूसरा भारतीय एमीग्रेशन ऐक्ट पास हुआ। १९३८ मे उसमे संशोधन किया गया और फिर १९४० मे सशोधन हुआ।

नीचे की तालिका मे संसार के विभिन्न देशो मे रहने वाले भारतीयो की संख्या दिखाई गई है।

तालिका १५

प्रवासी भारतीय

देश का नाम	भारतीयो की संख्या	गणना का वर्ष
राष्ट्रमंडलीय देश		
आस्ट्रेलिया	२,५००	१९४७
कनाडा	३,०००	१९५०
न्यूजीलैंड	१,२००	१९५२
दक्षिण अफ्रीका	३,६५,५२४	१९५१
दक्षिण रोडेशिया	४,१५०	१९५१
श्रीलका†	९,८५,३२७	१९५३
ब्रिटिश मलय*	६,४०,७०९	१९५२
सिंगापुर*	८३,६२४	१९५२
हॉगकाग	१,५००	१९५२
मॉरीशस	३,२२,९७२	१९५२
सेशेल्ज	२८५	१९४७
जिब्राल्टर	४१	१९४६
नाइजीरिया	३७५	१९४७
केनिया	९०,५२८	१९४८
उगाण्डा	३३,७६७	१९४८
न्यासालण्ड	४,०००	१९५१
जंजिबार और पेम्बा	१५,८१२	१९४८
टांगानिका	५६,४९९	१९५२

†१९५३ के १५ मार्च तक जिन भारतीयो तथा पाकिस्तानियों ने इंडियन मिशन में अपना पंजीकरण कराया, उनकी संख्या १८.५०० थी।

*इसमे पाकिस्तानियों की सख्या भी सम्मिलित है।

तालिका १५ (क्रमश:)

देशों के नाम	भारतीयों की संख्या	गणना का वर्ष
जमैका	२५,०००	१९५२
ट्रिनीडाड और टोबागो	२,२७,३९०	१९५०
ब्रिटिश गयाना	१,९७,६९६	१९५१
फिजी द्वीप	१,४८,८०२	१९५२
उत्तरी रोडेशिया	२,६००	१९५१
ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो	१,२९८	१९४८
अदन	९,४५६	१९४६
सारावाक	२,३००	१९४०
ब्रुनेई	४३६	१९४७
ब्रिटिश सोमालीलैण्ड	२५०	१९४६
माल्टा	३७	१९४८
ग्रनाडा	९,०००	१९४६
सेंट लूसिया	७,०००	१९५२
ब्रिटिश होण्डुरास	२,०००	१९४६
सियर्रालिओनें	७६	१९४८
ब्रिटेन	७,१२८	१९३२
लीवार्ड द्वीप	९९	१९४६
गोल्ड कोस्ट	२५०	१९४८
सेंट विंसेंट	१,८१८	१९५०
बारबडोस	१००	१९५०
सेंट किट्स	९७	१९५०
डोमिनिका	५	१९५०
राष्ट्रमडलीय देशो मे भारतीयो की कुल सख्या	३२,५४,६५१	
अन्य देश		
बर्मा*	—	—
इन्डोनीशिया गणराज्य	४०,०००	१९५२
थाई देश	१७,०००	१९५२
हिन्दचीन	२,३००	१९५०
जापान	४७४	१९५२
बेहरीन	१,१३५	१९४८
ईराक	६५०	१९४८
मस्कत	१,१४५	१९४७
पुर्तगीज़ पूर्वी अफ्रीका	५,०००	१९४८
मदागास्कर	९,९५५	१९५०
रीयूनियन	२,२००	१९४७

*बर्मा के सही अंक प्राप्य नही है १९३१ की जनगणना के अनुसार वहाँ भारतीयों की जनसंख्या करीब ११ लाख थी। रंगून स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार भारतीयो की जनसंख्या अब लगभग ७ लाख होने का अनमान है।

तालिका १५ (क्रमश)

देशों के नाम	भारतीयों की सख्या	गणना का वर्ष
अमेरिका	२,४०५	१९४७
ब्राजील	४०	१९५१
पनामा	९०८	१९५०
अफगानिस्तान*	२६४	१९५१
ईरान	७५२	१९५२
इथियोपिया†	१,२५०	--
डच गयाना	६०,०००	१९५३
फिलिपीन	१,८००	१९५१
लेबनान	४९	१९४८
सीरिया	३२	१९४८
कुवेत	१,२५०	१९४८
सऊदी अरब	२,४००	१९४८
फिलिस्तीन	५६	१९४७
जर्मनी	३५	१९५३
ऑस्ट्रिया	३९	१९५३
इटली	२००	१९५२
बेल्जियन कांगो	१, २२७	१९५०
बेल्जियम	६०	१९५२
युआण्डा ऊरुण्डी	१,९६३	१९५०
इटालियन सोमालीलैण्ड	१,०००	१९४७
नेपाल	१०,४४१	१९४१
चेकोस्लोवाकिया	११	१९५३
बल्गारिया	३	१९५३
सोवियत रूस	१५	१९५३
स्विट्जरलैण्ड	१००	१९५३
फ्रांस	२३	१९५१
नीदरलैण्ड	--	१९५३
लक्जमबर्ग	--	१९५२
पुर्तगाल	१	१९५२
यूगोस्लाविया	--	१९५३
विदेशों में कुल भारतीयों की संख्या (बर्मा को छोड़कर)	१,६६,१८३	
सब देशों मे कुल भारतीयों की संख्या (बर्मा को छोड़कर)	३४,२०,८३४	

* ये आँकड़े केवल काबुल और कन्धार के ही हैं। पूरे अफगानिस्तान के सम्बन्ध में जानकारी अप्राप्य है।

†इथियोपिया के ये आँकड़े गैर-सरकारी है। वहां कभी जनगणना नहीं हुई।

सहायक ग्रन्थ सूची

१. इम्पीरियल गजेटीयर ऑफ इंडिया, वाल्यूम १
२. एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका
३. सेन्सस ऑफ इण्डिया, १९५१ : रिपोर्ट एण्ड पेपर्स
४. स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इण्डिया, १९५१–५२ [सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गनाइजेशन]
५. दि कोलम्बिया लिप्पिनकॉट गजेटियर ऑफ दी वर्ल्ड
६. जथार और बेरी : "इण्डियन इकनॉमिक्स"
७. एल० डडले स्टैम्प : "एशिया ए रीजनल एण्ड इकनॉमिक ज्योग्राफी"
८. ओ० एच० के० स्पेट : इंडिया एड पाकिस्तान : ए जनरल एण्ड रीजनल ज्योग्राफी
९. किंगस्ले डेविस : 'दि पॉपुलेशन ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान' [प्रिंसटन यूनिवर्सिटी]

दूसरा अध्याय

इतिहास

भारत मे किस आदिम कालीन जाति के लोग रहते थे, इसका हमे अधिक ज्ञान नही, यद्यपि पूर्व पाषाण-काल और उत्तर पाषाण-काल के मनुष्यो के कुछ प्रमाण उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत मे प्राप्त हुए है। कुछ विद्वान् भारत के उत्तर पाषाण कालीन निवासियो का सम्बन्ध मलय प्रायद्वीप, इण्डोनीशिया और हिन्द चीन मे स्थापित करते है।

प्रागैतिहासिक काल सिन्धु घाटी की सभ्यता

१९२१–२२ मे भारत के पुरातत्त्व विभाग के तत्कालीन मुख्य डायरेक्टर सर जान मार्शल के मार्गदर्शन मे दो भारतीय पुरातत्त्वज्ञों—बनर्जी और साहनी—ने सिन्ध के अन्तर्गत लरकाना जिले मे मोहेंजोदड़ो के स्थान पर और पजाब मे मिन्टगुमरी जिले मे हड़प्पा के स्थान पर पुरातत्त्व सम्बन्धी खुदाइयाँ कराई। इसके बाद के वर्षो मे मजूमदार, मैके वाट्स और स्टाइन इत्यादि पुरातत्त्वज्ञ ने सिन्धु घाटी मे तीस से अधिक अन्य स्थानो की खुदाई में उसी संस्कृति के अवशेष ढूँढ निकाले। देश के विभाजन के पश्चात् अब तक ऐसे हो तीस से अधिक अन्य स्थानो पर खुदाई की जा चुकी है, जिनमे से २५ राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में तथा शेष सौराष्ट्र और अम्बाला डिवीजन मे है। इन खुदाइयों मे प्राप्त अवशेषो का अध्ययन अभी पूरा नही हुआ, पर कुछ तथ्य तो निर्विवाद है।

सिन्धु घाटी की सभ्यता का प्रसार ई० पू० ३००० और ई० पू० १५०० के बीच हुआ और इसके मुख्य केन्द्र नगरो मे थे। पानी को बाहर निकालने के लिये पक्की नालियो का अच्छा प्रबन्ध और नगर निवासियो के लिये महास्नानागार की व्यवस्था सम्पन्न नागरिक जीवन के लक्षण है। सिन्धु घाटी से प्राप्त अवशेषो की मिस्र और मैसोपोटेमिया मे नील, दजला और फरात की घाटियो मे खुदाई से प्राप्त अवशेषो के साथ तुलना की जाये तो इन दो सस्कृतियो की आर्थिक सम्पन्नता और उनके बीच निकटतम व्यापार-सम्बन्धो के प्रमाण उपलब्ध होते है। सिन्धु घाटी के लोग गाय, भैंस, भेड, हाथी, ऊँट और शायद कुत्ते भी पालते थे। वे गेहूँ और जौ की खेती करते थे, और कपास भी उपयोग मे लाते थे। युद्ध के शस्त्र प्रायः ताँबे और काँसे के होते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला विशेष रूप मे उन्नत थी, और बढ़ई, लोहार, पत्थर काटने वाले, जौहरी, सुनार और हाथी दाँत का काम करने वाले अपने-अपने धधे में बडे परिश्रमी और दक्ष थे। घर पक्की ईंटो के बनाये जाते थे जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उन दिनों इस प्रदेश के आस-पास इमारती लकडी आसानी से उपलब्ध हो सकती थी। सम्भवतः समाज का नेतृत्व व्यापारियों के हाथ मे था जो शिल्पियों के लिये सुदूर स्थानों से कच्चा माल लाते थे और फिर तैयार माल, जिसमे रूई के धागे से बने हुए वस्त्र भी होते थे, पश्चिमी एशिया के सुदूर देशों में पहुँचाते थे।

सिन्धु घाटी के निवासियो की लिपि चित्रमय थी । अभी तक इस लिपि को पढा नहीं जा सका। मुहरों और अन्य वस्तुओं से पता चलता है कि उस समय मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी और सम्भवतः इसी के अन्तर्गत शिव की उपासना भी होने लगी थी।

अभी तक यह पता नही चलाया जा सका कि सिन्धु घाटी के निवासी किस जाति के थे। अधिकाश विद्वानों का विश्वास है कि वे आर्यो से पहले के लोग थे, जब कि कुछ विद्वान् मानते है कि वे लोग द्रविड थे। इतना तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता इसी धरती की उपज थी और इसका काफी दूर-दूर तक प्रसार हुआ था।

मौसमी हवाओं के दिशा-परिवर्तन और जगलो को अविवेकपूर्ण ढग से काटने चले जाने के कारण ही सिन्धु घाटी की सुषमा नष्ट हुई होगी, यह अनुमान लगाया जा सकता है। वे नगर, जो कभी अत्यन्त समृद्ध थे, आर्यो की शक्ति के सामने न ठहर सके।

आर्यो का उदय : वैदिक सभ्यता

भारत पर आर्यो के आक्रमण पर आक्रमण हुए। वस्तुत आर्यो का आक्रमण उनके देशान्तरगमन का ही एक पक्ष था जिसका प्रसार पूर्व मे मगोलिया से लेकर पश्चिम मे भूमध्य सागर के पूर्वी तट तक हुआ। यह मालूम नही हो सका कि आर्यो ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया। विद्वानो का एक मत यह है कि ईसा-पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के मध्य में सप्त सिन्धु में आर्य जाति के लोग आकर बस गये थे ।

ऋग्वेद-कालिक राष्ट्र का शासन साधारणतः 'राजन्' के हाथ मे रहता था। जो विभिन्न जनपदो की सहायता से शासन करता था ।

सामाजिक गठन का आधार परिवार था । प्रत्येक परिवार 'कुल' कहलाता था । कुल बडे-बडे घटको मे विभक्त थे । इन घटको की रचना यद्यपि अब तक बहुत अधिक रुढिवादी नहीं थी, फिर भी राज्य कर्मचारी और योद्धा, पुरोहित और ऋषि, कारीगर और किसान—इनकी अलग-अलग श्रेणियाँ थी। इन तीन श्रेणियो की दृष्टि से आर्यों के सामाजिक गठन का आधार इस देश के मूल-निवासी द्रविड़ो और पूर्व-द्रविडो से बहुत भिन्न था।

अन्तर्जातीय विवाह वर्जित नही था। ऐसा भी होता था कि इन तीन श्रेणियों में ही नही बल्कि आर्यो और मूल-निवासियो के बीच भी एक व्यक्ति अपने धन्धे या कुल को छोडकर दूसरे धन्धे या कुल को अपना ले ।

ऋग्वेद-कालिक आर्य अच्छे किसान थे । उनके पास पालतू पशु रहते थे। वे व्यापार में भी दक्ष थे और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे सामुद्रिक जहाजरानी से भी अनभिज्ञ नही थे ।

उनके धर्म में प्रकृति की उपासना ही मुख्य वस्तु थी। वरुण, सूर्य, अग्नि और इन्द्र इत्यादि उनके मुख्य देवता थे। यज्ञ का स्थान प्रधान था। एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद की प्रवृत्ति वैदिक

धर्म की एक और मुख्य विशेषता थी। ऋग्वेद की वे ऋचाएं जिनमें 'हिरण्यगर्भ' और 'विश्वकर्मन्' (सृष्टिकर्ता) का बखान किया गया है, अत्यन्त पावन और शुभ मानी जाती थी।

उत्तरी भारत में बंगाल पर्यन्त आर्यों का विस्तार १००० ई० पू० तक हो चुका था। वेद, उपनिषद् और वेदांग इसी काल की रचनाएँ हैं। राजनीति के क्षेत्र में कुछ जनपदों के राजा अधिक शक्तिशाली हो गये, क्योंकि वे पड़ौस के आर्य जनपदों के राजाओं पर ही नहीं यहाँ के मूल-निवासियों के जनपदों पर भी अपना आधिपत्य जमाते चले गये। इस युग में अनेक सामाजिक परिवर्तन भी हुए और वर्ण-व्यवस्था की मर्यादा अधिक से अधिक कड़ी होती गई। मूल निवासियों का विनाश नहीं किया गया और न उन्हें पृथक् रखना ही उपयुक्त समझा गया। उन्हें भी आर्य धर्म में समाविष्ट करके आर्यों की समाज-व्यवस्था के अन्तर्गत ले लिया गया। ब्राह्मणों को जो अधिकार प्राप्त थे वे भी क्षीण होते गये। ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित यज्ञों और संस्कारों की पद्धतियाँ भी पहले की तरह जटिल रहें, यह लोगों को उतना सह्य नहीं था।

जैन धर्म और बौद्ध धर्म

ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित धर्म के विरुद्ध जो आवाज उठाई गई वह आगे चल कर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में फलीभूत हुई। जैन धर्म के प्रवर्त्तक भगवान् महावीर और उनके समकालीन तथा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान् गौतम बुद्ध का जन्म पूर्वी भारत के क्षत्रिय कुलों में हुआ था। ये दोनों धर्म पुनर्जन्म में आस्थावान् थे, पर वेद की प्रामाणिकता में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था और यज्ञ में पशु बलि की प्रथा भी उन्हें एकदम अस्वीकार्य थी। जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धान्त को चरम सीमा पर पहुँचा दिया गया और मोक्ष उपलब्धि के लिये कठोर तपस्या पर बल दिया जाने लगा। बौद्ध धर्म में बीच का मार्ग अपनाया गया और एकमात्र ऐन्द्रियक सुखों के पीछे दौड़ना और जीवहत्या का निषेध कर दिया गया।

मगध का उदय : ईरानी और यूनानी

राजनीतिक इतिहास में यह 'षोडश महाजनपद' का युग था। इनमें मगध ही ऐसा राज्य था जो उत्तरी भारत को ही नहीं बल्कि दक्षिणी भारत के बहुत से अंश को भी एक सूत्र में सम्बद्ध करने में समर्थ हुआ।

एकता की प्रेरणा विदेशी आक्रमणों से प्राप्त हुई। यह ५१८ ई० पू० का समय था जब फारस के सम्राट दारयवहु ने सिन्धु घाटी के बहुत से भागों पर अधिकार जमा लिया था, और यह माना जाता था कि उसके साम्राज्य का भारतीय प्रदेश बहुत समृद्ध था। पर कुछ ही पीढ़ियों में सिन्धु घाटी पर फारस की सत्ता मिट गई। यह प्रदेश छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त हो गया। भारत की सीमा के पास वाले प्रदेश पर फारस का आधिपत्य बहुत अल्प-जीवी था, पर इससे दो सभ्यताओं को निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला। खरोष्ठी नामक नई लिपि, कुछ नये राजनीतिक विचार और सम्भवतः भारतीय संस्कृति के कुछ अन्य विशेष पहलू फारस की देन माने जाते हैं। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि धर्म तथा दर्शन सम्बन्धी भारतीय विचारधारा का सम्पर्क भूमध्यसागर के पूर्व के देशों तक स्थापित हो गया।

जब सिन्धु घाटी में फारस का आधिपत्य समाप्त हो रहा था, मगध का शक्तिशाली नन्द वंश पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। ३२६ ई० पू० में सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, पर वह व्यास नदी से आगे न बढ़ सका, क्योंकि निरन्तर युद्ध से थकी उसकी सेना स्वदेश को लौट जाने के लिये उत्सुक थी और उसने गंगा के प्रदेश की ओर बढने से साफ इन्कार कर दिया जहाँ नन्द साम्राज्य से लोहा लेना इतना आसान नहीं था। सिकन्दर सिन्धु नदी के रास्ते लौटा। रास्ते मे उसे अनेक स्वतन्त्र और लडाकू जातियों से जूझना पडा। उत्तर-पश्चिमी भारत में यूनानी राज्य का प्रभाव सिकन्दर की मृत्यु के तुरन्त बाद समाप्त हो गया।

मौर्य साम्राज्य अशोक

चन्द्रगुप्त मौर्य, जिसने मगध मे नन्द वंश की राज-सत्ता को हटा कर पाटलिपुत्र का सिंहासन प्राप्त किया, एक नये राष्ट्रीय आन्दोलन का नेता था। उसने न केवल समूचे उत्तरी भारत को अपने अधिकार मे लिया बल्कि ई० पू० ३०५ में सेल्यूकस को खदेड़ कर काबुल, हिरात, कन्धार और बलूचिस्तान को भी अपने राज्य मे मिलाया, साथ ही सम्भवत: दक्षिण की ओर भी उसने अपने राज्य का विस्तार किया। उसके पौत्र अशोक का साम्राज्य काबुल नदी से ब्रह्मपुत्र तक और श्रीनगर से श्रीरंगपटनम् तक फैला हुआ था।

चन्द्रगुप्त मौर्य और उसके मन्त्रियों ने, जिनमे चाणक्य भी सम्मिलित था, केवल ब्राह्मण राजनीतिक विचारधारा और व्यवस्था मे ही काम नही लिया, बल्कि उन्होंने यूनानी और ईरानी शासन पद्धतियो को भी अपनी आवश्यकतानुसार ढाल कर अपनाया। कूटनीति, सैनिक सगठन, नागरिक शासन तथा ललित कलाओ मे मौर्यकालीन भारत उन्नति के शिखर पर था, पर चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक ने अपना और अपने देश का नाम समूचे विश्व मे अमर कर दिया।

कलिंग के युद्ध में अशोक ने विजय पाई, पर वह मानसिक शान्ति खो बैठा। अन्त में उसने बौद्ध धर्म मे शरण ली। उसने अपने प्रतिनिधि 'शान्ति-दूत' अपने साम्राज्य के विभिन्न भागो में ही नही बल्कि अपने साम्राज्य की सीमाओ से दूर श्रीलका, पडौस के यूनानी प्रदेशो और मध्य एशिया मे भी भेजे और सर्वत्र शान्ति तथा मैत्री का सन्देश पहुँचाया।

अशोक के सबल अनुशासन के हटते ही उसके उत्तराधिकारी देश के केन्द्रीय शासन को सम्भालने में असमर्थ सिद्ध हुए और इस दुरवस्था ने एशिया मे बसे हुए यूनानियों को भारत पर पुनराक्रमण के लिये प्रोत्साहित किया।

नई जातियाँ नये विचार

उत्तर-पश्चिमी भारत में २०० ई० पू० से १०० ई० तक का तीन सौ वर्ष का समय आक्रमणों का समय माना जाता है। इन्हें सैनिक आक्रमण कहने की बजाय कुछ जातियो का आगमन कहना उचित होगा। यूनानी, शक, पार्थियन और युए-चि जातियों ने बारी-बारी से आक्रमण किये और ये जातियाँ कम्बोज-गन्धार में तथा इसके आसपास बस गई और भारतीय जीवन-पद्धति को अपनाने में उन्हें अधिक समय नहीं लगा।

एक यूनानी राजदूत विष्णु का पक्का भक्त बन गया था तथा भारत का सबसे बड़ा यूनानी राजा बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। एक युए-चि राजा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पश्चात् सैद्धान्तिक वाद-विवाद मे भी सक्रिय भाग लेता था और उसी के प्रयत्नो के फलस्वरूप सिकियाग और तुर्फान मे बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रसार हुआ। भारत के मध्य और पश्चिमी भागो के कुछ शक राजा सस्कृत-साहित्य के प्रसार मे अग्रणी रहे।

भारतीय सभ्यता विशेष रूप से ललित कलाओ और धर्म के क्षेत्र मे बाहर के प्रभावों से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। प्रारम्भिक ब्राह्मण धर्म मे मूर्ति पूजा का प्रचलन अधिक नही हुआ था। गौतम बुद्ध और उनके भिक्षुको द्वारा प्रस्तुत किये गये धर्म मे भी इसके लिये कोई स्थान नही था। लेकिन हम देखते है कि मूर्ति कला के प्रति सम्मान की भावना सदा विद्यमान रही और इसी युग मे बुद्ध की मूर्ति बनाने की ओर ध्यान दिया गया। इस दिशा मे कहाँ तक बाहर के प्रभावो को श्रेय दिया जाना चाहिये और कहाँ तक भारतीय मूर्तिकारो का अपनी कला का हाथ रहा, इसका निर्णय नही किया जा सकता। यूनानी और रोमन प्रभावो के कारण ही इस युग मे सिक्के ढालने का काम पूर्णता को प्राप्त हुआ।

इसी युग मे ईसाई धर्म ने भारत मे प्रवेश किया। सबसे पहला ईसाई धर्म-प्रचारक सम्भवतः ई० सन् की पहली शताब्दी मे उत्तर-पश्चिमी भारत मे आया था। इसके कुछ समय पश्चात् ही मलाबार मे सीरिया का ईसाई चर्च कायम हुआ।

यूरोप के साथ व्यापार

भारत मे यूनानी बस्तियो के साथ-साथ भारत के यूनान और रोम के साथ व्यापारिक सम्बन्ध अधिक से अधिक सुदृढ होते गये। भारत के राजदूत रोम मे भेजे गये और भारतीय व्यापारी कला तथा विज्ञान की वस्तुएँ सिकन्दरिया मे ले जाने लगे। गणना करने की दशमलव पद्धति भारत की पश्चिम को सबसे बडी देन थी।

मणि-रत्नो, जडी-बूटियो तथा फर के अतिरिक्त गरम मसाले, हाथी-दाँत, इस्पात और सूती कपडा—ये वस्तुएँ भारत से पश्चिम के देशो को भेजी जाती थी। पश्चिम से भारत में आने वाली वस्तुए बहुत ही कम होने के कारण भारत को अपने निर्यात का मूल्य सोने के सिक्को के रूप मे प्राप्त होता था जिनमे सामान्यतया रोमन सिक्के होते थे। यह निर्यात मुख्यतः दक्षिण भारत से ही होता था और इसी के फलस्वरूप भारत समृद्ध होता चला गया।

इस युग मे भारत का राजनीतिक चित्र क्या था, यह कहना सहज नही। इस सम्बन्ध में हम यही जानते है कि विन्ध्याचल के उत्तर और दक्षिण मे कितने ही राजवश राज्य कर रहे थे जिनमें उत्तरी भारत का नागवश और दक्षिणी भारत का सातवाहन वश प्रमुख थे।

ई० सन् की चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र और प्रयाग के गुप्त राजाओं को उत्तरी भारत के अनेक प्रदेशो को एक सूत्र मे सम्बद्ध करने का श्रेय प्राप्त हुआ। दक्षिणी भारत पर भी उन्होंने कई सफल आक्रमण किये। कुछ गुप्त सम्राट विक्रमादित्य की पदवी से विभूषित हुए। विक्रमादित्य

सम्राटों के युग में अनेक साम्राज्य निर्माता, महाकवि, ज्योतिषाचार्य, धातु-ढलाई के कारीगर, मूर्तिकार और चित्रकार हुए ।

सम्राट् समुद्रगुप्त स्वयं एक महाकवि और कुशल संगीतज्ञ था । गुप्त सम्राटों के युग में ही संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास ने अनेक सुप्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना द्वारा युग-प्रतिभा पर अपनी छाप लगाई । 'रामायण' और 'महाभारत' जैसे महाकाव्यों का सम्पादन भी इसी युग में हुआ और यह भी विश्वास किया जाता है कि कुछ प्रमुख पुराणों का संकलन-कार्य भी इसी युग में हाथ में लिया गया । ब्राह्मण मूर्तिकला का श्रीगणेश भी इसी युग में हुआ । अजन्ता की गुफाओं में अनेक भित्ति-चित्र अंकित करने का कार्य भी बड़ी सफलता से किया गया । सिक्के ढालने की कला भी भारत में चरम सीमा पर पहुँच गई । दिल्ली में मेहरौली के समीप लोहे की लाट गुप्तकालीन धातु-ढलाई का उत्कृष्ट नमूना है ।

श्रीलंका के सम्राट् ने चन्द्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था जिसके सुझाव पर बुद्ध गया में श्रीलंका के तीर्थयात्रियों के लिये एक बौद्ध विहार का निर्माण किया गया । चीनी यात्री फाह्यान भी कुछ समय के पश्चात् यहाँ आया था ।

हर्ष और पुलकेशिन

चीनी यात्रियों में सबसे महान हुएन त्सांग ने ६२९–६४५ ई० में भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा की थी । उस समय उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राजा हर्ष था और दक्षिण में सब से प्रतापी था चालुक्य राजवंश का पुलकेशिन द्वितीय । साहित्य-सृजन और अध्ययन के प्रति हर्ष का विशेष अनुराग था । विद्वानों के संरक्षक, दानवीर और सहिष्णु के रूप में उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यद्यपि उसकी आस्था बौद्ध धर्म में थी । पुलकेशिन द्वितीय युद्ध-कला और सैनिक योग्यता में हर्ष से अधिक कुशल था, उसकी ख्याति फारस के बादशाह खुसरो द्वितीय तक जा पहुँची थी । दोनों सम्राटों के बीच उपहारों का आदान प्रदान और कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुए ।

हर्ष और पुलकेशिन के अवसान के बाद सातवीं शताब्दी के मध्य से लेकर एक सौ वर्ष तक उत्तरी और दक्षिणी भारत में कोई केन्द्रीय राज्यशक्ति नहीं रही । उस समय कश्मीर के शक्तिशाली राजवंश के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रमुख राजवंश दृष्टिगोचर नहीं होता था ।

राजपूत

आठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से नये क्षत्रिय राजवंशों के रूप में राजपूतों का आविर्भाव होने लगा । समूचे उत्तरी भारत में और दक्षिण के कुछ प्रदेशों में उनका विस्तार हुआ । राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह स्पष्ट नहीं है । कुछ विद्वानों के कथनानुसार उनका सम्बन्ध हूणों से, जिन्होंने गुप्त काल की समाप्ति पर भारत पर आक्रमण किया था, और भारत की कुछ आदिमजातियों से जोड़ा जाना चाहिए, जो धीरे-धीरे हिन्दू धर्म को स्वीकार करती चली गईं और जिन्हें शुद्धिकरण के धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा सामाजिक विधान में क्षत्रिय की पदवी देकर क्षीण होती हुई सैनिक व्यवस्था को फिर से शक्तिशाली बनाने का काम सौंपा गया ।

इन राजपूत राजवंशों में सब से प्रमुख थे अरावली-हिमालय-नर्मदा प्रदेश के गुर्जर-प्रतिहार, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट और पूर्वी भारत के पाल। ये तीनों राजवंश उत्तरी भारत पर अधिकार जमाये रखने के लिये (८००–१००० ई०) युद्ध मे अत्यन्त व्यस्त रहने के बावजूद विद्या और कला के संरक्षण में कभी भी उदासीन नही रहे। साम्राज्य की कीर्ति के प्रतीकस्वरूप कन्नौज पर इन तीनों राजवशों की आँखें रहती थी और इसीलिए कनौज कभी किसी एक ही राज्यवंश के अधिकार में नही रह सका।

सिन्ध पर अरब आक्रमण ७११ ई० मे हुआ। मुलतान पर ७१३ ई० मे अरबों का अधिकार हो गया। आक्रमणकारी की प्रगति को वहाँ से आगे प्रतिहारों और चित्तौड़ के गहलोतों ने रोक दिया। अरब-व्यापारियों के साथ-साथ पारसियों को भी, जिन्होंने इस्लाम का विस्तार होता देख कर फारस छोड़ दिया था, राष्ट्रकूटों की ओर से पश्चिमी बंदरगाहों पर आतिथ्य और सद्व्यवहार प्राप्त रहा। प्रतिहारों की सत्ता का विस्तार भूमि पर ही हुआ था, परंतु राष्ट्रकूटों और पालों की शक्ति सामुद्रिक शक्ति के रूप मे दूर-दूर तक फैल गई। राष्ट्रकूटों से भी पाल राजवश की शक्ति अधिक अग्रसर हुई, क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक मलय द्वीप-समूह मे औपनिवेशिक और व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे।

मुस्लिम आक्रमण

पहले मुस्लिम आक्रमण से २०० वर्ष पश्चात् हिन्दूकुश के रास्ते दूसरे मुस्लिम आक्रमण हुए जिनके फलस्वरूप उत्तरी भारत मे मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया। इन आक्रमणकारियों में महमूद गज़नी और मुहम्मद गौरी विख्यात हैं। महमूद ने नगरों और मन्दिरों को लूटने के लिए १५ बार भारत पर चढाई की। इन चढाइयों से किसी प्रकार की स्थायी विजय को तो बल नही मिला, लेकिन उसके कारण देश की सैनिक और आर्थिक शक्ति बुरी तरह क्षीण होती चली गई। महमूद ने प्रतिहारों का बुरी तरह विनाश कर डाला जिन्होंने मुस्लिम शक्ति के विस्तार का डटकर विरोध किया था।

महमूद से दो सौ वर्ष पश्चात् मुहम्मद गौरी आया जिसने राजपूत राजाओं की फूट से—विशेष रूप से दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचन्द राठौड की आपस की लड़ाई से, बहुत लाभ उठाया। ये आक्रमणकारी, जिनमें अधिकांश तुर्क और अफगान थे, लूटपाट करने की दृष्टि से नही बल्कि इस देश की सुखदायक जलवायु के कारण स्थायी रूप से यही बस जाने के लिये आये थे। इन्ही आक्रमणकारियो मे मुहम्मद गौरी भी था जिसने ११९२ ई० मे राजपूतों की शक्ति का थानेश्वर के स्थान पर अन्त कर दिया, और क्रमशः अजमेर, दिल्ली, बनारस और ग्वालियर को रौंदते हुए बगाल तक समूचे गगा प्रदेश पर अधिकार जमा लिया। १२०६ ई० में मुहम्मद गौरी की मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम शासक बना।

दिल्ली सल्तनत

दिल्ली को राजधानी बनाकर जिन राजवंशों ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया, उनमें गुलाम वंश, खिलजी-वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के नाम प्रसिद्ध हैं।

खिलजी बादशाहों ने मालवा और गुजरात पर अधिकार किया और दक्षिण में भी दूर तक अपने राज्य का विस्तार किया। दिल्ली सल्तनत को तो थोड़े-बहुत विराम के बाद उत्तर-पश्चिम से होने वाले आक्रमणों का सामना करना पड़ता था। ये आक्रमणकारी थे मंगोल, जिन्हें भोजन और निवास-स्थान की तलाश इतनी दूर खींच लायी थी। सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण १२२१ ई० में चंगेज खां के नेतृत्व में, जो एक राजनीतिक भगोड़े की खोज में आया था, हुआ। उसके बाद के आक्रमण लूट-मार से अधिक महत्त्व नहीं रखते थे, कभी-कभी तो ये आक्रमणकारी घूंस मिलने पर बाहर ही बाहर से लौट जाते थे। मध्य एशिया को रौंदते हुए तैमूर ने १३९८ ई० में भारत पर आक्रमण किया। लूट मार और कत्ले आम का बाजार गरम करते हुए वह दिल्ली तक चला आया। इसके अनेक वर्ष पश्चात् १५२६ में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया जिसकी रगों में पिता की ओर से तैमूर के वंश का और माता की ओर से चंगेज के वंश का रक्त बह रहा था।

मुहम्मद गौरी के साथ जो तुर्क और अफगान आये थे, वे उत्तर भारत में ही बस गये और दिल्ली में उनका केन्द्र था। बादशाह सुलतान कहलाता था और वह प्रायः तुर्क होता था, लेकिन सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कुछ सुलतान पठान थे। मुस्लिम आक्रमणकारी शक, यूएचि, हूण और अन्य खानाबदोश आक्रमणकारियों के समान नहीं थे। उनका एक निश्चित मजहब था और हिन्दुओं के साथ उनकी मुठभेड चलती रहती थी। यह देखकर आश्चर्य होता है कि मुठभेड़ के अवसर संख्या में अधिक नहीं थे, और उनका रूप साम्प्रदायिक न होकर राजनीतिक और आर्थिक ही रहता था।

हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध

दोनों सभ्यताओं के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रभाव दोनों के साहित्य और कला पर ही नहीं, दोनों के आध्यात्मिक विश्वासों और धर्म पर भी पड़ा।

सुलतानों की राजधानी इस्लाम-सम्बन्धी धार्मिक अध्ययन और साहित्य का केन्द्र होती थी और बगदाद तथा काहिरा के समान ही इसका महत्त्व स्वीकार किया जाता था। अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बरनी जैसे विद्वान् और कवि दिल्ली के दरबार में मौजूद थे। अफ्रीका-निवासी सुप्रसिद्ध विद्वान् और यात्री इब्नबतूता ने अपनी चीन-यात्रा से पूर्व भारत में आठ साल गुजारे थे।

सुलतानों और उनके द्वारा स्थापित प्रादेशिक सरकारों की बनाई हुई इमारतों में हिन्दू और मुस्लिम भवन-निर्माण की कला का सम्मिश्रण मिलता है जो अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होता है।

मुस्लिम विद्वान् और सन्त हिन्दू धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि से प्रभावित हुए बिना न रह सके और इतना तो निर्विवाद है कि मुस्लिम रहस्यवाद, जिसे प्रायः 'सूफी' विचारधारा कहा जाता है, वेदान्त और योग के प्रभाव से अछूता नहीं है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस्लाम के प्रजातन्त्रात्मक रूप ने हिन्दू धर्म को प्रभावित किया। यदि कुछ भाष्यकार और विद्वान् ऐसे भी थे जो अन्य धर्मावलम्बियों को अपने मजहब में दीक्षित करने की इस्लामी प्रथा से हिन्दुओं की रक्षा करना चाहते थे, तो बहुत से सन्त और विद्वान् ऐसे भी थे जिन्होंने सब धर्मों की आधारभूत समानता का प्रचार किया और भक्ति को हो

मुक्ति का एकमात्र साधन घोषित किया। इनमें चौदहवीं शताब्दी में कबीर और पन्द्रहवी शताब्दी के गुरु नानक (१४६९ ई०) और चैतन्य (१४८५) के नाम उल्लेखनीय हैं। गुरु नानक ने धर्मान्धता, अन्धविश्वास और सामाजिक असमानता की भावना पर कड़ा प्रहार किया और उनकी विचारधारा द्वारा ही आगे चल कर सिख धर्म का उदय हुआ जिसमें एक उदार-चेता और जात-पात की भावना से मुक्त समाज की नीव रक्खी गई।

दक्षिण के हिन्दू राज्य

जब मुसलमानो ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया, दक्षिणी भारत मे बलशाली और सम्पन्न राज्य स्थापित थे। कांची के पल्लव, जो हर्ष और पुलकेशिन के समकालीन थे, अपने युग के महान् योद्धा और भवन-निर्माता थे, परन्तु दसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे चोलवंश ने उनके स्थान पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। चोल राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजराज महान् और उसका प्रसिद्ध पुत्र राजेन्द्र चोल थे जब कि पिता ने लक्कादीव और मालदीव द्वीपों को जीता, उसके पुत्र ने पूर्वी भारत के राजा महीपाल को हराकर अपनी शक्ति का प्रमाण दिया और जिसने अपना आधिपत्य समुद्र पार के भू-भागों पर स्थापित किया जिनमें लंका, निकोबार द्वीप तथा मलय प्रायद्वीप ही नही बल्कि मलय द्वीप-समूह के कुछ भाग भी सम्मिलित थे। चोल राजाओं ने अत्यन्त व्यावहारिक शासन-प्रणाली का आविष्कार किया।

बारहवी शताब्दी के आरम्भ मे चोल साम्राज्य का पतन हुआ। इसके पश्चात् मदुरइ के पाण्ड्यो, दोरा समुद्र के होयसलो और देवगिरी के यादवों की अलग-अलग राजसत्ता दक्षिण भारत के राजनीतिक चित्रपट पर अपना विशिष्ट स्थान बना सकी। खिलजियो और तुगलकों द्वारा चौदहवी शताब्दी के आरम्भ मे यादव और होयसल राज्यो को विनाश का मुह देखना पडा।

शीघ्र ही तुगभद्रा के किनारे विजयनगर राज्य का उदय हुआ। निस्सन्देह विजयनगर साम्राज्य बहुत शक्तिशाली और सम्पन्न था, यद्यपि उसे बीच-बीच में दक्षिणी भारत के मुस्लिम बादशाहों से युद्ध करना पड़ता था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुण्डा और बीदर के मुस्लिम राज्यो की सेनाओं ने मिल कर १५६५ ई० मे अहमदनगर, तालीकोट के युद्ध में विजयनगर की सत्ता को हमेशा के लिए मिटा दिया। विजयनगर साम्राज्य के पतन से कुछ ही वर्ष पहले उत्तरी भारत मे अकबर के नेतृत्व मे मुगलो द्वारा पठानों की शक्ति हमेशा के लिए नष्ट कर दी गई।

वास्को डि गामा

दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के पतन से सत्तर वर्ष पूर्व उस से भी महत्त्वपूर्ण एक घटना हो चुकी थी। यह था भारत और यूरोप के बीच सागर के रास्ते सीधे सम्बन्ध का श्रीगणेश। २० मई १४९८ ई० के दिन पुर्तगाली जहाजी बेडे का नेता वास्को डि गामा कालीकट पहुँच गया। उस के बाद यूरोप के व्यापारी सैनिक सुरक्षा से सन्नद्ध हो कर भारतीय सागर पर अधिकार जमाते चले गये।

मुग़ल साम्राज्य : अकबर

उत्तरी भारत मे बाबर के पौत्र अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। १६०५ ई० में जब अकबर का देहान्त हुआ, उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में कन्धार से पूर्व में ढाका तक और उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में अहमदनगर तक हो चुका था।

योद्धा और विजेता के रूप में तो अकबर महान् था ही, व्यवस्थापक, राजनीतिज्ञ और ललित कलाओं तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में भी वह कुछ कम महान् न था। बचपन में उसकी शिक्षा नहीं हुई थी इसलिए उसे शिक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका फिर भी अकबर को आश्चर्यजनक स्मृति का वरदान प्राप्त था। मन की उदारता और विशालता उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उसने अपने मंत्रियों और सैनिक अधिकारियों का चुनाव करते समय उनकी गति और धर्म को कभी आड़े नहीं आने दिया था। अतः टोडरमल, मानसिंह, और अब्दुर्रहीम जैसे सलाहकारों की सहायता से उसने न केवल अपनी विजयों को पक्का किया बल्कि ऐसी शासन-प्रणाली को जन्म दिया जो कई पीढ़ियों तक चलती रही। योद्धाओं और राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त अकबर के सलाहकारों में विद्वान्, कवि और कला-मर्मज्ञ भी थे। उसके दरबार में तानसेन जैसा गायक था तो फैजी जैसा सूफी कवि भी। इसके अतिरिक्त अबुलफजल जैसा कवि और विद्वान् उसके सलाहकारों में मौजूद था।

अकबर की बनवाई हुई इमारतें उसके वैभव की प्रतीक हैं, साथ ही उनके निर्माण में भारतीय और मुस्लिम शैलियों का सम्मिश्रण भी उल्लेखनीय है। नवनिर्मित नगर फतहपुर सीकरी केवल मुगल साम्राज्य की राजधानी ही नहीं था बल्कि हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक भी था जिसकी कल्पना अकबर ने की थी। मुस्लिम, हिन्दू, पारसी और ईसाई—सभी फतहपुर के दरबार में एकत्रित होते थे जहाँ विभिन्न धर्मों पर परस्पर विचार होता था। इस प्रकार की ज्ञान-गोष्ठी संसार के इतिहास में पहिली ही थी।

अकबर की विशाल हृदयता विद्यानुराग तक ही सीमित नहीं थी, राजनीति और शासन में भी इसे स्थान दिया गया था। अकबर से भी पहले कश्मीर के सुलतान जैनुलाब्दीन (१४२०–७०) और उत्तर भारत के पठान बादशाह शेरशाह (१५३८–४५) सार्वजनिक जीवन में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच समानता की भावना स्थापित कर चुके थे, यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में वे धर्मनिष्ठ मुसलमान थे। अकबर ने न केवल हिन्दुओं को जजिया नामक कर से मुक्त करके और प्रतिभावान् व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोल कर अपने पूर्ववर्त्तियों के आदर्श को फिर से स्थापित किया, बल्कि एक आदर्शवादी के रूप में एक कदम और आगे जा कर विभिन्न धर्मों का समन्वय करने का यत्न किया।

महान् मुगल

अकबर के उत्तराधिकारी जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब योग्य और बलशाली शासक थे। १७०७ ई० में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् मुगल सल्तनत का पतन आरम्भ हो गया। जहाँगीर और शाहजहाँ वैभव-प्रिय सम्राट् थे। मुगल स्थापत्य का गौरव बढ़ाने वाली अनेक इमारतें उनके राज्यकाल में बनकर तैयार हुईं। परन्तु औरंगजेब गम्भीर प्रकृति का सम्राट्, था और धार्मिक मामलों में वह कठोर नियम-परायणता का पक्षपाती था।

औरंगज़ेब

युद्ध-कला और सैनिक शक्ति में औरंगजेब मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर अथवा अपने प्रपितामह अकबर से किसी तरह कम न था, परन्तु यह बड़ा विरोधाभास ही क्यों न प्रतीत हो,

किसी अन्य शक्ति से कही अधिक वह स्वयं ही मुगल साम्राज्य के पतन के लिये जिम्मेदार था। उसके राज्यकाल मे मुगल साम्राज्य का विस्तार अपनी चरम सीमा पर था। दक्षिणी भारत के मुस्लिम राज्य बीजापुर और गोलकुण्डा—औरंगजेब ने जीत लिये थे और इस विजय द्वारा मुगल साम्राज्य की सीमा कावेरी नदी तक जा पहुँची थी।

जजिया फिर से लगा दिया गया था; हिन्दुओ के साथ प्रभेदात्मक व्यवहार किया जाने लगा था। हिन्दुओ के बहुत से मन्दिर गिरा दिये गये। सिक्खों के नौवे गुरु तेगबहादुर का सिर धड से अलग कर दिया गया।

राजपूत, जो मुगल साम्राज्य की राजकीय व्यवस्था मे प्रमुख स्थान रखते थे, विमुख हो गये। पश्चिमी घाट के उत्थानशील मराठा लोग मुगल साम्राज्य से शत्रुता पर पूरी तरह तुल गये।

शिवाजी (१६२७–८०) के अधिनायकत्व में मराठे शक्तिशाली हो चुके थे और औरंगजेब के कमजोर उत्तराधिकारियों के राज्यकाल में मराठा शक्ति हिन्दू साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गई और इसने उत्तरी और दक्षिणी भारत की राजनीति को प्रभावित किया।

अफगानिस्तान पर मुगलो की सत्ता समाप्त हो गई। शीघ्र ही यह प्रदेश नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली की लूटमार के लिये मूल-स्थान बन गया। पानीपत के मैदान में १७६१ ई० मे अहमदशाह अब्दाली के साथ मराठो का तीसरा युद्ध हुआ। मराठे हार गये, पर भारत पर पूर्ण अधिकार किसी के भी हाथ में न आया। मुगल साम्राज्य दिल्ली के आस-पास के प्रदेश तक सीमित हो गया और इसकी शक्ति क्षीण होते-होते अपना महत्त्व खोती चली गई। वे सब प्रान्त, जो दिल्ली के मुगल बादशाह मे निष्ठा रखते थे, एक प्रकार से स्वतन्त्र राज्य थे। मराठों ने १७९४ ई० मे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा, पर इसमे वे असफल रहे। सफलता विदेशी व्यापारियों की 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' नामक संस्था को हुई जिसकी स्थापना १६०० ई० मे हुई थी।

यूरोपीय जातियों का आगमन

यूरोपीय जातियो मे सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही भारत के साथ सीधा व्यापार आरम्भ किया था और उन्होने सागर के साथ-साथ बस्तियाँ भी बसा ली थी। उनके बाद डच, अंग्रेज डेनिश, और फ्रांसीसी आये। मूर्खता और संकीर्णता के कारण पुर्तगालियों को पश्चिमी घाट के कुछ स्थानो को छोड़ कर आगे कदम बढ़ाना नसीब न हुआ।

डेनमार्क निवासी और डच भी अपने कार्य में अधिक अग्रसर न हो पाये। अब केवल अंग्रेज और फ्रांसीसी ही भारत पर अपने व्यापार का आधिपत्य जमाने के लिये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी रह गये। इन दोनों शक्तियों ने पतनशील मुगल साम्राज्य और विभिन्न भारतीय शक्तियों में राष्ट्रीय चेतना के अभाव से लाभ उठाया।

अंग्रेज़ी साम्राज्य

नेपोलियन के युद्धों की समाप्ति पर (१८१५–२० ई०) भारत में फ्रांसीसी बस्तियाँ माही, कराइकल, पाण्डिचेरी, यनाम और चन्दरनगर तक सीमित थी, जब कि अंग्रेजों के हाथ में बंगाल,

बिहार, उड़ीसा, आधुनिक उत्तरप्रदेश का कुछ भाग, मद्रास प्रेसिडेन्सी और बम्बई प्रेसिडेन्सी आ गये थे जिन पर उनका सीधा अधिकार था, और देश के बड़े-बड़े भूभागों पर उनका आधिपत्य कही कम और कही अधिक था।

अंग्रेजी सत्ता के रास्ते में एक ही रुकावट थी: पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह (१८३९ ई०) का शक्तिशाली सिक्ख राज्य। सिन्ध पर १८५३ ई० में विजय प्राप्त कर ली गई थी और १८५० ई० तक सिक्ख प्रतिरोध भी कुचल दिया गया और पंजाब भी अंग्रेजों के हाथ में आ गया। बर्मा का निचला प्रदेश, नागपुर और अवध भी शीघ्र ही अंग्रेजों के हाथ में आ गये। १८७८ ई० में बलूचिस्तान पर और १८८६ ई० में बर्मा के ऊपर के प्रदेश पर भी अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया।

एक व्यापारी सघ को साम्राज्यवादी सरकार का रूप देने की प्रक्रिया का आरम्भ अठारहवी शताब्दी के अन्तिम दिनों में प्रारम्भ हो गया था। ईस्ट इंडिया कम्पनी का व्यापार १८३३ ई० में बन्द कर दिया गया और अब इंग्लैंड के व्यापारियो के लिये व्यक्तिगत रूप से भारत में व्यापार के द्वार खोल दिये गये।

उन्ही दिनो 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' द्वारा संस्थापित स्कूलो और कालेजों मे अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। कम्पनी की सरकार द्वारा कुछ सामाजिक सुधार भी किये गये जिनके पीछे राजा राममोहन राय और ईश्वर चन्द्र विद्यासागर सरीखे सुधारको और विद्वानों का हाथ था।

१८५३–५४ ई० मे भाप की शक्ति का प्रचलन आरम्भ हुआ। फिर सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हुई। रेलवे लाइनो का भी श्रीगणेश हुआ और तार भेजने के लिये भी लाइनों का जाल बिछाया जाने लगा। प्राचीन उद्योग धन्धे, जिनमे अधिकतर छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योग अथवा ग्रामो के शिल्प थे, यातायात की नई सुविधाओं द्वारा बाहर से धड़ाधड़ आने वाले अंग्रेजी माल के सामने ठप्प होते चले गये।

१८५७ ई० मे अंग्रेजो राज्य के विरुद्ध देशवासियों की प्रतिक्रिया 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' की सेना मे भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में प्रकट हुई। वह विद्रोह अधिकतर गंगा प्रदेश और भारत के मध्य भाग तक सीमित था। इस विद्रोह को कुचल दिया गया और कम्पनी के राज्य के स्थान पर इग्लैंड की सम्राज्ञी का राज्य स्थापित हो गया। मुगल-सम्राट् का मुकदमा अंग्रेजी अदालत मे पेश हुआ, उसे सिहासन से उतार कर बर्मा में निर्वासित कर दिया गया।

भारत पर इंग्लैंड का पूर्ण अधिकार स्थापित होने से लेकर १९४७ ई० तक भारत के राजनीतिक चित्र के दो पक्ष है। देश के वे सब भाग, जिन पर 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' और उसकी उत्तराधिकारी भारत सरकार ने विजय प्राप्त की और उन्हें अधिकार में लिया, प्रान्तों के रूपमे निर्मित हुए और उन पर सीधा अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। मुख्य प्रान्तों के प्रमुख शासक गवर्नर अथवा लैफ्टिनैण्ट गवर्नर कहलाते थे जब कि गौण प्रान्तों के मुख्य शासकों को चीफ कमिश्नर की पदवी दी जाती थी।

देशी राज्य, जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता का संरक्षण स्वीकार किया, अपने-अपने राजवंश द्वारा शासित होते रहे, यद्यपि उन पर भी ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य पूरी तरह लागू होता था। भारत का गवर्नर जनरल, जो वायसराय के रूप में ब्रिटिश सम्राट् का प्रतिनिधित्व करता था, अपने ऐजेंटों द्वारा देशी राज्यों पर भी अंकुश रखता था।

प्रथम युद्ध के पश्चात् के अंग्रेजी सरकार द्वारा शासित प्रान्तों के शासन में भारत के लोगों का सम्पर्क पहले से कहीं अधिक हो गया। केन्द्रीय सरकार में भी, जहाँ तक प्रान्तों का सम्बन्ध था, कुछ परिवर्तन किये गये।

अंग्रेज़ी राज्य का अन्त

भारत मे स्वाधीनता आन्दोलन की नीव १८८० ई० में रखी गई। डेविड ह्यूम, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फीरोजशाह मेहता सरीखे नेता इस स्वाधीनता आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे। रूस पर जापान की विजय और चीन की क्रान्ति ने इस भ्रान्ति का सदा के लिये अन्त कर दिया कि एशिया पिछड़ा हुआ देश है। साथ ही बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किया गया वैधानिक आन्दोलन, स्वदेशी आन्दोलन और आतंकवादी क्रान्तिकारियों के योगदान द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन अंग्रेजी साम्राज्य के लिये वास्तविक संकट बन गये।

प्रथम महायुद्ध में भारत द्वारा मित्र राष्ट्रों को दी गई सहायता के पीछे स्वराज्य-प्राप्ति की भावना काम कर रही थी। युद्ध की समाप्ति पर भारत के शासन में जो सुधार कार्यान्वित किये गये उनसे भारत की आशाओ की पूर्ति न हो सकी और मोहनदास करमचन्द गान्धी के नेतृत्व म अखिल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने अहिसात्मक असहयोग और सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किये। १९३५ ई० के वैधानिक सुधार भी भारत की आकांक्षा पूर्ण न कर सके।

द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ तो भारत का इतिहास बड़ी नाजुक घड़ी से गुजर रहा था। भारत को उसकी स्वीकृति के बिना ही इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। भारत में सत्याग्रह और 'भारत छोड़ो' आन्दोलन चल रहे थे और उधर दक्षिण-पूर्वी एशिया में 'आजाद हिन्द फौज' का निर्माण हो चुका था। इनसे आमूलचूल परिवर्तन की भावना सामने आ रही थी। वस्तुतः युद्ध की समाप्ति पर भारत से अंग्रेजी सत्ता को उठा लेने की प्रक्रिया एक पूर्व निश्चित सी बात थी।

१५ अगस्त, १९४७ को भारत और पाकिस्तान के रूप में दो अलग-अलग राज्यों की स्थापना हुई। भारत के देशी राज्यों पर से भी अंग्रेजो सत्ता का एकछत्र अंकुश समाप्त हो गया।

(तिथि-क्रम परिशिष्ट में दिया गया है।)

सहायक ग्रन्थ सूची

सामान्य ग्रन्थ : निबन्ध और विवेचनात्मक

जे० एन० सरकार : 'इण्डिया थ्रू दि एजेज' (कलकत्ता, १९५१)

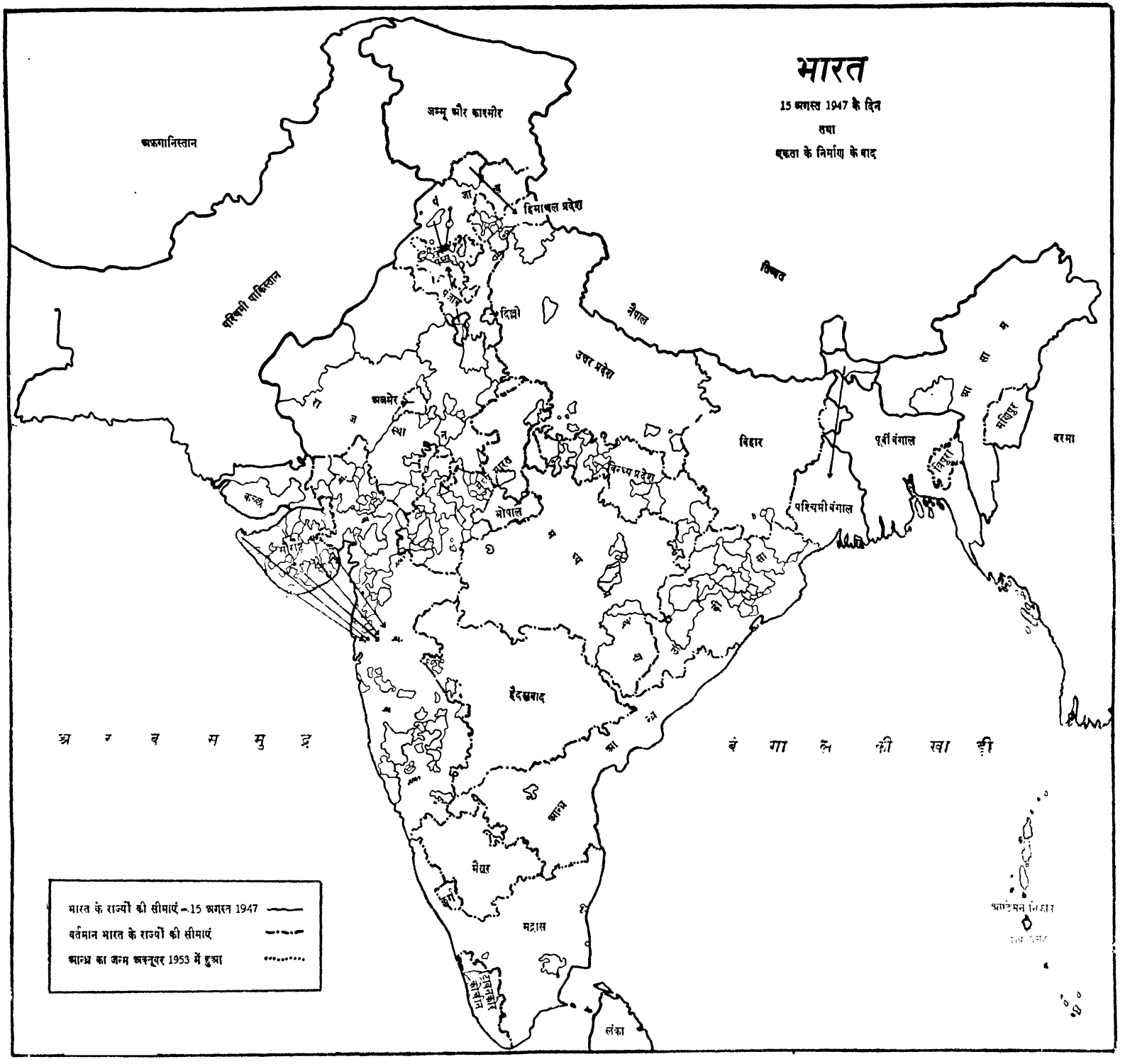
हुमायूँ कबीर : 'आवर हेरिटेज' (बम्बई, १९४६)

सेन : 'कल्चरल यनिटी ऑफ इण्डिया' (दिल्ली, १९५४)

प्रामाणिक ग्रन्थ

आर० सी० मजूमदार, एच० सी० राय चौधरी और के० के० दत्त : 'एन एडवान्स्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' (लन्दन, १९४९)

कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी द्वारा सम्पादित : 'दि हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ इण्डियन पीपल' (भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित की जा रही है।)


भारत
15 अगस्त 1947 के दिन
तथा
एकता के निर्माण के बाद
अफगानिस्तान
जम्मू और कश्मीर
हिमाचल प्रदेश
पश्चिमी पाकिस्तान
तिब्बत
नेपाल
दिल्ली
उत्तर प्रदेश
अजमेर
बिहार
पूर्वी बंगाल
त्रिपुरा
मणिपुर
बरमा
कच्छ
मध्य भारत
भोपाल
विन्ध्य प्रदेश
पश्चिमी बंगाल
हैदराबाद
अ र ब स मु द्र
बं गा ल की खा ड़ी
आन्ध्र
मैसूर
मद्रास
अंडमान निकोबार
लंका
भारत के राज्यों की सीमाएं – 15 अगस्त 1947
वर्तमान भारत के राज्यों की सीमाएं
आन्ध्र का जन्म अक्तूबर 1953 में हुआ

तीसरा अध्याय

संविधान

भारत का संविधान २२ भागों में विभक्त है और उसमें ३९५ अनुच्छेद तथा ९ अनुसूचियाँ । संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है । संविधान का उद्देश्य अपने सब नागरिको के लिये निम्नलिखित बातों को सुरक्षित करना है :

न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ;

विचारों की स्वाधीनता—अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना के सम्बन्ध में;

समानता—संविधान की निगाह में सब एक समान है और सबको एक समान अवसर है;

भ्रातृभाव—व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित करना ।

नागरिकता

संविधान के पाँचवे अनुच्छेद में कहा गया है :

"प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का निवासी बन गया है और

(क) जो भारत की सीमा में जन्मा था; अथवा

(ख) जिसके माता-पिता मे से कोई भारत की सीमा म जन्मा था; अथवा

(ग) जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत की सीमा में सामान्यतया रहता आया है;

भारत का नागरिक होगा ।"

पाकिस्तान से भारत आये व्यक्तियों के लिये यह व्यवस्था की गई है ; भारतीय उद्भव के ऐसे व्यक्तियों को भी नागरिकता का अधिकार दिया गया है, जो इस समय भारत के बाहर अन्यत्र निवास कर रहे हैं । इनमें वे व्यक्ति भी आ जाते है जो स्वयं अथवा जिनके माता-पिता अथवा दादा-दादी या नाना-नानी मे से कोई भारत-शासन-कानून १९३५ में परिभाषित रूप में भारत में जन्मे थे, तथा जो विदेश स्थित भारत के राजनीतिक अथवा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों द्वारा अपने को भारत का नागरिक पंजीकृत करा चुके हैं ।

जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, वह फिर भारत का नागरिक नहीं रह जाता । किन्तु उपरोक्त नियम नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे में भारतीय संसद् को कानून बनाने से नहीं रोकते ।

मौलिक अधिकार

भारतीय नागरिको के मौलिक अधिकारो को इन सात श्रेणियो मे विभाजित किया गया है : समता का अधिकार; स्वातन्त्र्य अधिकार; शोषण के विरुद्ध अधिकार; धर्मस्वातन्त्र्य का अधिकार; सस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार और संविधानिक उपचारो का अधिकार ।

समता के अधिकार द्वारा धर्म, वंश, जाति, लिग अथवा जन्मस्थान के कारण सभी प्रकार के भेदभावो का निषेध किया गया है । तो भी राज्य को महिलाओ तथा बच्चो के लिये किसी विशेष कानून बनाने तथा सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछडे लोगो, अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के लोगो के विकास की व्यवस्था करने का अधिकार अवश्य दिया गया है । सविधान के अन्तर्गत सरकारी नौकरियो के सम्बन्ध मे सभी लोगो को समान अवसर दिया जायेगा । अस्पृश्यता का किसी भी दशा मे आचरण करना निषिद्ध ठहराया गया है और अस्पृश्यता के कारण किसी को किसी भी कार्य के लिये अयोग्य ठहराना कानून की दृष्टि मे (अनुच्छेद १७) दण्डनीय अपराध है । साथ ही सविधान द्वारा सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधियो को छोड अन्य उपाधियो की प्रथा का भी अन्त कर दिया गया है ।

अनुच्छेद १९(१) द्वारा भारत के सभी नागरिको को बोलने और भाव प्रकट करने, संस्था या सघ बनाने, भारत राज्य-क्षेत्र मे सर्वत्र आ जा सकने, भारत के किसी भी भाग मे निवास करने या बस जाने, सम्पत्ति के कमाने और व्यय करने, कोई भी वृत्ति या उपजीविका अपनाने तथा कोई भी व्यापार या कारोबार करने के अधिकार की गारटी दी गई है । परन्तु इसमे राज्य पर ऐसे कानून बनाने पर रुकावट नही डाली गई जिसके फलस्वरूप राज्य की सुरक्षा हो, विदेशो के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार अथवा सदाचार का हित हो । साथ ही न्यायालय-अवमान, मान-हानि अथवा उकसाहट पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए चाहे जैसे कानून बनाये जा सकते है । इसके अतिरिक्त इन अधिकारो का किसी भी वर्तमान कानून पर कोई प्रभाव नही पडता और न सार्वजनिक हित और व्यवस्था के लिये कोई नया कानून बनाने मे ही रुकावट आती है जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई हो कि अमुक पेशे व्यापार अथवा कार्य के लिये अमुक प्रकार की व्यावसायिक अथवा प्रौद्योगिक योग्यता आवश्यक है ।

संविधान के अनुच्छेद २१ व २२ में व्यक्ति की स्वाधीनता का संरक्षण किया गया है और इसी के अनुसार नियमविरुद्ध गिरफ्तारी तथा अनियमित नजरबन्दी पर भी रोक लगाई गई है । अन्य अधिकारो द्वारा वेगार, बाल श्रम तथा मनुष्यो के व्यापार पर रोक लगाई गई है; धार्मिक मामलों मे अन्त.करण की स्वतन्त्रता का आश्वासन दिया गया है; अल्पसंख्यको के सास्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी हितों की रक्षा की गई है तथा यह कहा गया है कि पर्याप्त मुआवजा दिये बिना सरकार किसी की सम्पत्ति पर कब्जा न कर सकेगी ।

३२ के अनुसार उपरोक्त अधिकारों के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है । यह निश्चय कराने के लिये कि इन अधिकारों का पूर्ण पालन किया जायेगा, अनुच्छेद १२ में राज्य की परिभाषा करते समय कहा गया है : 'राज्य के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद्

तथा भारतीय राज्यो मे से प्रत्येक की सरकार और उनके विधान-मण्डल, तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य अधिकारी भी हैं।' एक दूसरे उपबन्ध (अनुच्छेद १३) द्वारा वे सभी कानून, जो इन अधिकारो के विरोधी हैं और जो इस सविधान के प्रारम्भ होने से पहले चालू थे, उस मात्रा तक अवैध घोषित कर दिये गये हैं, जहाँ तक उनका इन अधिकारों से विरोध है।

निर्देशक सिद्धान्त

न्यायालयों द्वारा लागू न किये जा सकने पर भी निर्देशक तत्त्व देश के शासन में मूलभूत माने जाते हैं। अनुच्छेद ३८ मे कहा गया है : लोक कल्याण की भावना से राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बढाने का अधिकतम प्रयत्न करेगा, जिसमे सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सकेगा। अनुच्छेद ३९ के अनुसार राज्य अपनी नीति का ऐसा सचालन करेगा, जिसमे निश्चित रूप से—

(क) सभी नागरिकों को, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बँटा हो, जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सम्पन्न हो ;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन के साधनो का ऐसा एकत्रीकरण न होता चला जाये, जो सार्वजनिक हित का विरोधी हो;

(घ) पुरुषो और स्त्रियों दोनो को समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाये;

(ङ) श्रमिक पुरुषो और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालको की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जा सके। साथ ही आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिको को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े, जो उन की आयु अथवा शक्ति के अनुकूल न हो ;

(च) बच्चों और कम उम्र के लोगो का शोषण या चारित्रिक तथा भौतिक पतन न होने दिया जायें।

यह भी निश्चय किया गया है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का तथा राष्ट्रो के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण सम्बन्धो को बनाने और बढ़ाने का प्रयास करेगा।

केन्द्रीय कार्यपालिका

भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति द्वारा देश के शासन की व्यवस्था है। केन्द्र की कार्यपालिका में एक राष्ट्रपति और एक मन्त्रिपरिषद् है।

राष्ट्रपति

भारत गणराज्य का कार्यकारी मुखिया भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। संघ की कार्यकारी शक्ति, जिसमें सेनाओं का सर्वोच्च सेनापतित्व भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति में निहित है और

राष्ट्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसा निर्वाचक मण्डल करता है, जिसमें संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। निर्वाचन सानुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार इकहरे संक्रमणशील मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार भारत का नागरिक ३५ वर्ष की आयु से अधिक तथा लोक सभा के सदस्य निर्वाचित होने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। राष्ट्रपति अपने पद पर पाँच वर्ष तक रह सकता है तथा वह दुबारा भी चुना जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण की दशा में राष्ट्रपति पर अभियोग चला कर उसे पदच्युत भी किया जा सकता है।

राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। वह संसद् के दोनों सदनों को बैठक बुला सकता है, सत्र को समाप्त किये बिना बैठक स्थगित करवा सकता है, दोनों सदनों को सम्बोधित कर सकता है तथा उनको सन्देश भेज सकता है। वह अध्यादेश जारी कर सकता है तथा संसद् द्वारा पास किये गये कानूनों पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। कुछ खास मामलों में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, दण्डादेश का परिहार अथवा उसको लघु भी कर सकता है।

उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति को चुनने वाला निर्वाचक मण्डल ही उपराष्ट्रपति को भी चुन सकता है। उसका कार्यकाल भी पाँच वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यपरिषद् के सभापति का कार्य करता है। राष्ट्रपति की अस्थायी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रपति के रूप में उस समय तक कार्य करेगा जब तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद भार न संभाल ले।

मन्त्रिपरिषद्

संविधान के अनुच्छेद ७४ में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करती है। परिषद् का प्रमुख प्रधान मन्त्री होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य मन्त्री भी प्रधान मन्त्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, यद्यपि मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति की इच्छा की अवधि पर्यन्त रहती है, तो भी वह लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

संसद्

केन्द्र का व्यवस्था सम्बन्धी भाग राष्ट्रपति और दो सदनों—(१) राज्य सभा और (२) लोक सभा—से मिलकर बनता है।

राज्य सभा

राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या २५० है। इनमें से १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में उनकी ख्याति के कारण नामजद किये जाते हैं। शेष सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। स्थानों का बँटवारा संविधान की चतुर्थ अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार होता है।

राज्य सभा भंग नहीं होती। इसके एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल प्रति दो वर्षों के बाद समाप्त हो जाता है और उन स्थानों का नया चुनाव होता है। राज्य सभा के

निर्वाचन परोक्ष होते है। प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित सदस्यों का निर्वाचन उसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा संक्रमणशील मत पद्धति के अनुसार होता है।

लोक सभा

लोक सभा की अधिकतम सदस्य संख्या ५०० है। ये जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किये जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बाँटे जाते है कि प्रति ७,५०,००० की जनसंख्या के लिये एक से कम सदस्य तथा प्रति ५,००,००० की जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य न रहे (अनुच्छेद ८१)।

कोई व्यक्ति संसद् में न चुना जा सकेगा जब तक कि वह

(क) भारत का नागरिक न हो,

(ख) राज्य सभा के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का तथा लोक सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का न हो, तथा

(ग) ऐसी अन्य योग्यताएँ न रखता हो जो इस बारे में संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्धारित की जायें।

संविधान द्वारा संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों को कई अधिकार और विशेषाधिकार दिये गये है। अनुच्छेद १०५ (२) के अनुसार संसद् में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषयों में संसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद् के किसी सदस्य के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी। संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्य की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और छूट ऐसी होंगी, जैसी संसद् समय-समय पर नियत करे तथा इस सम्बन्ध में जिन बातों पर संसद् कोई नियम नहीं बनाती, उनके बारे में जो कायदे कानून ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाऊस ऑफ कामन्स के हैं, वे ही लागू होंगे।

न्याय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय मे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये एक मुख्य न्यायाधिपति और न्यायाधीश जो ७ से अधिक न हो, होते है। न्यायाधीश ६५ वर्ष की अवस्था तक पद पर बने रहते है। यदि आवश्यक हो तो अनुच्छेद १२४ (१) के अन्तर्गत संसद् अधिक संख्या भी निर्दिष्ट कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय मे तदर्थ तथा पेन्शन प्राप्त जजों की नियुक्ति भी हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिये व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और वह (क) किसी एक या दो हाई कोर्टों का कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा (ख) किसी एक या दो हाई कोर्टों में दस वर्ष तक लगातार वकील रहा हो अथवा (ग) राष्ट्रपति की राय मे कानून का पण्डित हो। सर्वोच्च न्यायालय से अवसर-प्राप्त मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश भारत की किसी भी अदालत में वकालत का काम नहीं कर सकता।

राज्य सरकारें

राज्यपाल

संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 'क' में उल्लिखित राज्य का मुख्य-कार्यवाहक राज्यपाल कहलाता है। राष्ट्रपति साधारणतः पाँच वर्ष की अवधि के लिये उसकी नियुक्ति करते हैं, और वह उनकी इच्छा पर्यन्त उस पद पर रहता है। ३५ वर्ष से अधिक अवस्था वाले भारतीय नागरिक ही इस पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं। राज्यपाल केन्द्र अथवा राज्य के किसी विधान मण्डल की सदस्यता का अथवा कोई भी सरकारी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता।

राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, और उससे प्रत्यक्षतः अथवा अपने अधीन अधिकारियों द्वारा संविधान के अनुरूप इस शक्ति के प्रयोग की अपेक्षा की जाती है।

मन्त्रिपरिषद्

अनुछेद १६३ में एक ऐसी मन्त्रिपरिषद की व्यवस्था है, जो सिवाय उन मामलों में, जहाँ संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल से अपने निर्णय की अपेक्षा की जाती है, सभी कामों में राज्यपाल को मन्त्रणा और सहायता देती है। इसका नेता मुख्य मंत्री होता है। मुख्य मन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अन्य मन्त्री मुख्यमन्त्री की सलाह पर नियुक्त किये जाते हैं। मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के सम्मुख उत्तरदायी है।

विधानमण्डल

संविधान में प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान मण्डल की व्यवस्था है। बिहार, बम्बई, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मैसूर इन ७ राज्यों में दो सदनों के विधान-मण्डल हैं। शेष राज्यों में एक सदन के विधान मण्डल हैं। उच्च सदन विधान परिषद् कहलाता है और निचला सदन विधान सभा।

विधान सभा

किसी विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या ५०० से अधिक और ६० से कम न होगी। साधारण तौर से ७५,००० की जनसंख्या के पीछे एक सदस्य लिया गया है। विधान सभा का साधारण कार्यकाल ५ वर्ष है, यदि इससे पूर्व उसे भंग न कर दिया जाये।

विधान परिषद्

किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-चौथाई से अधिक न होगी। कम से कम निर्दिष्ट संख्या ४० है। जब तक संसद् किसी विधि द्वारा अन्य व्यवस्था न कर दे, विधान परिषद् के आधे सदस्य स्थानीय प्रशासन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के स्नातकों और शिक्षकों के निर्वाचक मण्डलों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। एक-तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा

---

१. भाग 'क' के १० राज्य हैं—आसाम, आन्ध्र, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

उन व्यक्तियों मे से निर्वाचित किये जायेंगे जो विधान सभा के सदस्य नही है और शेष राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जायेंगे जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आन्दोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया है। केन्द्र में अपने प्रतिरूप की तरह विधान परिषदे स्थायी है। प्रति दूसरे वर्ष के बाद उनके एक तिहाई सदस्य निवृत होते रहते है।

राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के लिये ये बातें आवश्यक हैं --

(क) भारतीय नागरिक होना;

(ख) विधान सभा के स्थान के लिये न्यूनतम आयु २५ वर्ष है, और विधान परिषद् के लिये ३० वर्ष; और

(ग) ऐसी योग्यताएँ जो इस सम्बन्ध मे ससद् द्वारा बनाई किसी विधि अथवा उसके अन्तर्गत आवश्यक करार दी जायें।

न्याय

सविधान मे प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) का विधान है। इसमे एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते है, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करता है। उच्च न्यायालयो के न्यायाधीशो की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशो की नियुक्ति के सम्बन्ध मे सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। वे ६० वर्ष की अवस्था तक अपने पद का उपभोग कर सकते है।

भाग 'ख' के राज्य [१]

अनुच्छेद २३८ मे निर्दिष्ट कुछ रूपभेदों और छूटों के अतिरिक्त भाग 'क' के राज्यो पर लागू होने वाले सभी उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' में उल्लिखित सभी राज्यों पर लागू होंगे। ये रूपभेद विशेष रूप से राज्य के प्रधान के पद के बारे में और भूतपूर्व नरेशों की रियासतो का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियो के कुछ विशिष्ट मामलो के सम्बन्ध में है।

इन राज्यो में राज्य का प्रधान (जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त) राजप्रमुख कहलाता है। जम्मू और काश्मीर मे वह 'सदरे रियासत' कहलाता है। राज्य का राजप्रमुख राष्ट्रपति द्वारा इसी रूप मे मान्यता प्राप्त करता है और वह उन सभी मतो और विशेषाधिकारो का अधिकारी है जो राष्ट्रपति सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निश्चित कर दे। राज्य के प्रधान कार्यपालक के रूप में राजप्रमुख की भी स्थिति 'क' राज्यों के राज्यपाल के समान है।

भाग 'ग' के राज्य [२]

संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 'ग' में निर्दिष्ट राज्यो का प्रशासन राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त द्वारा करेंगे। इन राज्यों का प्रशासन पड़ौसी राज्य की सरकार द्वारा भी किया जा

---

[१]. भाग 'ख' के ये ८ राज्य हैं: हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, और तिरुवाकुर-कोचीन।

[२]. भाग 'ग' में ये ९ राज्य हैं : अजमेर,भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विन्ध्य प्रदेश।

सकता है । संसद् को अधिकार है कि इन राज्यों में स्वायत्त शासन को बढ़ाने के अभिप्राय से इन राज्यों के लिये स्थानीय विधान मण्डल या मन्त्रणादाताओं या मन्त्रि-परिषदों की स्थापना कर दे । इसी के अनुरूप भाग 'ग' के ६ राज्यों में निर्वाचित विधान-मण्डल और मन्त्रि–परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं ।

केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध

वैधानिक सम्बन्ध

संसद् समस्त भारत के बारे में या उसके किसी भाग के बारे में कानून बना सकती है और राय का विधान मण्डल समस्त राज्य या राज्य के किसी भाग के बारे में कानून बना सकता है । संसद् का बनाया कोई कानून कभी इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि वह क्षेत्र के आधार पर अथवा क्षेत्रों का ख्याल किये बिना बनाया गया है ।

केन्द्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में संसद् को कानून बनाने के पूर्ण अधिकार है, और संघ की राज्य–सूची में उल्लिखित सभी विषयों पर राज्य विधान मण्डलों के साथ-साथ संसद् को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है ।

एक राज्य विधान-मण्डल को राज्य–सूची में उल्लिखित किसी भी विषय के बारे में कुल राज्य या उसके एक भाग के लिये विधि निर्माण करने का पूर्ण अधिकार है । विधान निर्माण की अतिरिक्त शक्तियाँ भारतीय संसद् में निहित हैं (अनुच्छेद २४८) ।

शासन सम्बन्ध

प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का इस ढंग से प्रयोग किया जायेगा कि संसद् द्वारा निर्मित कानूनों और राज्य में प्रयुक्त होने वाले कानूनों में परस्पर कोई विरोध न हो । संघ की कार्यकारी शक्ति उस सीमा तक राज्य को निर्देश देगी, जहाँ तक वह इस उद्देश्य के लिये आवश्यक समझे (अनुच्छेद २५६) । राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे अपनी शक्तियों का इस ढंग से प्रयोग करेंगी कि केन्द्र की कार्यकारी शक्ति पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

केन्द्रीय सूची

केन्द्रीय सूची में ९७ विषय है और इन में प्रतिरक्षा, परमाणु शक्ति, वैदेशिक मामले, नागरिकता और निष्कासन, रेल और राष्ट्रीय राजपथ, समुद्रपथ, नौवहन, व्यापारिक समुद्री यातायात और राष्ट्रीय जलमार्ग, विमान और वायुपथ, डाक और तार, नोट और सिक्के, बैंकिंग और बीमा, विदेशी मुद्रा-विनिमय, विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य, व्यापार–चिन्ह, पेटेण्ट, आविष्कार, नमूने और कापीराइट, सीमा-शुल्क, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, निगम–कर आदि विषय सम्मिलित हैं ।

राज्य सूची

राज्य सूची में ६६ विषय हैं और इनमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय–प्रशासन, जेल और सुधारालय, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आरोग्य, शिक्षा, भूमि वन

और मछली उद्योग, पथ-कर तथा कृषि-कर, पेशे, व्यापार, आजीविका, विलास की वस्तुओं पर कर, मनोरंजन-कर, शर्त और जुए पर कर आदि विषय सम्मिलित हैं।

समाधिकार सूची

समाधिकार सूची मे ४७ विषय है। इन में दण्ड-विधि और दण्ड-प्रक्रिया, विवाह और तलाक, शर्तनामे, खाद्यों में मिलावट, ट्रेड यूनियन, मजदूरों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, आर्थिक और सामाजिक योजना, मूल्य नियन्त्रण, कारखाने, बिजली, समाचारपत्र, पुस्तक और मुद्रणालय आदि सम्मिलित है।

यदि एक राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाया गया कोई कानून संसद् द्वारा बनाये गये किसी कानून के विरुद्ध है अथवा समाधिकार सूची में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध मे दोनों पक्षों द्वारा बनाये गये कानूनों में कोई विरोध है, तो संसद् निर्मित कानून ही मान्य होगा। यदि राज्य सभा दो-तिहाई संख्या के बहुमत मे यह निश्चय करले कि राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के बारे में भी संसद् कानून बनाये, तो उस विषय पर भी संसद् कानून बना सकती है।

संकटकालीन निर्देश

युद्ध अथवा भीतरी उपद्रवों के कारण उत्पन्न गम्भीर संकट के समय राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा (क) उस प्रदेश के राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग किस रूप मे करे; साथ ही वे (ख) संविधान के उन अनुच्छेदों को भी स्थगित कर सकते है जिन के अनुसार केन्द्र राज्यों को कुछ आर्थिक सहायता देता है। इस विपत्तिकालीन अवधि में केन्द्र की संसद् राज्य-सूची मे उल्लिखित किसी भी विषय के बारे मे कानून बना सकती है।

चुनाव आयोग

संसद् और राज्यो के विधान मण्डलों के सभी चुनावों तथा संघ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावो की देख-रेख, निर्देशन और नियन्त्रण राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक चुनाव आयोग करेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को वही अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है।

सरकारी भाषा

अनुच्छेद ३४३ मे व्यवस्था है कि संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि मे हिन्दी होगी और सरकारी उद्देश्यों के लिये भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूपो का प्रयोग होगा। तथापि संविधान जारी होने से १५ वर्षों तक अंग्रेज़ी भाषा सरकारी भाषा के रूप मे जारी रहेगी। इस अवधि मे राष्ट्रपति को एक विशेष आयोग* बनाने का अधिकार होगा जो हिन्दी के विकास और उन्नति का निरीक्षण करे और सभी सम्भावित उद्देश्यों के लिये इसके प्रयोग को आगे बढाने के लिए यत्न करे। उद्देश्य यह है कि निश्चित अवधि की समाप्ति पर हिन्दी पूर्ण रूप से अंग्रेजी का स्थान ले ले।

संविधान के अनुसार किसी राज्य का विधान-मण्डल कानून बना कर राज्य में प्रचलित एक या कई प्रादेशिक भाषाओं[1] को अथवा हिन्दी को सभी सरकारी उद्देश्यो अथवा विशेष

---

*इस वर्ष इस आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है जिसके अध्यक्ष श्री बी० जी० खेर है।

१. संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की निम्नलिखित १४ भाषाओं को प्रादेशिक भाषाएं स्वीकार किया गया है: असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू।

कार्यों के लिये राज्य भाषा स्वीकार कर सकता है। राज्यों के बीच और राज्य तथा केन्द्र के बीच उसी भाषा का प्रयोग होगा, जो संघ की भाषा है अर्थात् १५ वर्षों तक अंग्रेजी और बाद मे हिन्दी। सर्वोच्च न्यायालय की और उच्च न्यायालयो की कार्रवाई तथा कानूनों के लिये भाषा अंग्रेजी के प्रयोग की आवश्यकता स्वीकार कर ली गई है और अनुच्छेद ३४८ मे इस बात की व्यवस्था भी की गई है।

संविधान मे संशोधन

अनुच्छेद ३६८ मे व्यवस्था है कि संविधान मे संशोधन, संसद् के किसी भी सदन मे पेश किया जा सकता है और जब वह दोनो सदनों मे उपस्थित सदस्यों की दो-तिहाई संख्या के बहुमत से पास हो जाये, तो उसे राष्ट्रपति के सम्मुख उनकी अनुमति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा और उस अनुमति के प्राप्त हो जाने पर वह संविधान का भाग बन जायेगा। केवल निम्नलिखित संशोधनो के लिए राज्यों के विधान-मण्डलों की कम से कम आधी संख्या का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है— सर्वोच्च न्यायालय और उच्च-न्यायालय, केन्द्र और राज्यो के बीच शक्तियों का वितरण, तीनो व्यवस्थापिका सूचियाँ संसद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व तथा संविधान मे संशोधन की विधि।

सहायक ग्रन्थ सूची

भारतीय संविधान (१ सितम्बर १९५१ तक संशोधित) : दि मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, दिल्ली,

कान्स्टीट्यूएन्ट एसेम्बली डिबेट्स,ऑफिशियल रिपोर्ट : मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, दिल्ली.

आवर कान्स्टीट्यूशन (द्वितीय संशोधित संस्करण) . पब्लिकेशन्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग

के० सन्तानम : 'दि कान्स्टीट्यूशन ऑफ इडिया,'

डी० डी० बसु : 'कमेन्टरी ऑफ दि कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया'

एस० सी० अग्रवाल : 'कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया'

चितालेज कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया : ऑल इण्डिया रिपोर्टर, नागपुर

जी० एन० जोशी : 'दि कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया'

ए० सैंडहिल : 'दि रिपब्लिक ऑफ इण्डिया : इट्स लाज एण्ड कान्स्टीट्यूशन'

आइवर जैनिंग्स : 'सम कैरैक्टरिस्टिक्स ऑफ दि इण्डियन कान्स्टीट्यूशन'

एन० श्रीनिवासन : 'डैमोक्रैटिक गवर्नमेंट इन इण्डिया'

बी० आर० मिश्र : 'एकोनामिक आस्पैक्ट्स ऑफ दी इण्डियन कान्स्टीट्यूशन

चौथा अध्याय

राष्ट्र के प्रतीक

राष्ट्रीय चिन्ह

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तम्भ के शीर्ष का प्रतिरूप है। मूल अशोक स्तम्भ मे चौकोर आधार पर चार सिह एक-दूसरे मे पीठ मिलाये खडे है। राष्ट्रीय चिन्ह में —जैसा कि मुद्रित प्रतिरूप मे स्पष्ट है, केवल तीन सिह ही दिखाई देते है, चौथा सिह नजर आ सकना सम्भव नही। चौकोर आधार पर बीच में उभरी हुई नक्काशी के रूप में 'धर्मचक्र' अंकित है। धर्मचक्र के दाईं ओर एक बैल है, बाईं ओर एक घोडा तथा दायें-बायें छोर पर धर्मचक्र की रूपरेखा अकित है। दायें और बाये सिरे पर धर्मचक्र का छोर दिखाई देता है। चिन्ह के नीचे मुण्डक उपनिषद् मे लिये गये "सत्यमेव जयते" (सत्य ही की विजय होती है) शब्द देवनागरी लिपि मे अंकित हैं।

२६ जनवरी, १९५० को भारत सरकार ने सिह मस्तक को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। मूल सिह मस्तक का यह चिन्ह २४२–२३२ ई० पू० मे तैयार किया गया था, और इसे सम्राट् अशोक ने उस स्थान पर प्रतिष्ठापित किया जहाँ बुद्ध ने अपने शिष्यों को सर्वप्रथम अष्टाग मार्ग में दीक्षित किया था। इस कारण इस चिह्न को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्त्व प्राप्त हो गया है। एक बलुए पत्थर में से तराशी गयी लाट के मस्तकर पर यह चक्र अवस्थित था।

राष्ट्रीय झण्डा

राष्ट्रीय झण्डा तिरंगा झण्डा है जिस में तीन आयताकार पट्टियाँ हैं—सब से ऊपर केसरिया, बीच मे श्वेत और नीचे गहरी हरी पट्टी। झण्डे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात तीन और दो है। झण्डे का चिन्ह सारनाथ मे अशोक स्तम्भ के मस्तक के चक्र की हू-ब-हू प्रतिलिपि है। यह बीच की पट्टी पर पट्टी की पूरी चौडाई के अनुरूप बनाया जाता है। इसका रंग गहरा नीला है और चक्र मे २४ अरे हैं।

२२ जुलाई, १९४७ को भारत की संविधान सभा ने इस राष्ट्रीय झण्डे का स्वीकार किया था और १४ अगस्त, १९४७ को संविधान सभा के अर्धरात्रि के अधिवेशन में भारत की नारियों द्वारा यह राष्ट्र को भेंट किया गया था।

झण्डे का प्रयोग

झण्डे के समुचित प्रयोग को अधिकृत करने के लिये गृह मन्त्रालय और सेना के सदर मुकामों ने नियम बना दिये हैं। यह किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सम्मान में न झुकाया जाये। जहाँ इस सम्मान की आवश्यकता हो, वहाँ रेजिमैण्ट का झण्डा, राज्य का झण्डा या संगठन अथवा संस्था का झण्डा काम में लाया जाये।

राष्ट्रीय झण्डे के ऊपर या इसके दाहिनी ओर कोई भी अन्य झण्डा अथवा चिन्ह न रखा जाये। यदि झण्डे एक पंक्ति में फहराने हों, तो सभी झण्डे राष्ट्रीय झण्डे के बाईं ओर रहेंगे, और यदि उन को ऊँचे फहराना हो तो राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर फहराया जाये।

यदि राष्ट्रीय झण्डे के साथ अन्य झण्डे भी एक ही ध्वज दण्ड पर फहराये जाने हों, तो राष्ट्रीय झण्डा सब से ऊपर रहना चाहिए। झण्डे को लिटा कर या गिरी हुई अवस्था में कभी न ले जाया जाये, सदा ऊँचा और खुला हुआ ले जाया जाये। जब कभी किसी जुलूस में राष्ट्रीय झण्डा ले जाया जाये, तो यह ध्वजावाहक के दाहिने कन्धे पर ऊँचा उठा रहे और जलूस के आगे-आगे रहे।

जब झण्डे को किसी खिडकी या छज्जे या भवन के आगे एक दण्ड पर क्षितिज के समानान्तर अथवा किसी कोण पर झूलता हुआ दिखाया जाये, तो केसरिया भाग सबसे ऊपर रहे।

भवनों पर प्रदर्शन

साधारणतया राष्ट्रीय झण्डा केन्द्र और राज्यो में उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, कमिश्नरों और कलक्टरो के दफ्तरो, जेलों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा नगरपालिकाओं के दफ्तरों जैसे सभी महत्त्वपूर्ण सरकारी भवनो पर भी फहराया जाना चाहिये। सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ विशेष स्थानो पर भी राष्ट्रीय झण्डा लहराया जा सकता है। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति, राज्यपालों और राजप्रमुखो के अपने निजी झण्डे हैं।

स्वतन्त्रता दिवस, महात्मा गान्धी के जन्म-दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह और किसी अन्य राष्ट्रीय आनन्दोत्सव पर झण्डे के प्रयोग पर कोई रोक-टोक न होगी।

राष्ट्रीय गान

२४ जनवरी, १९५० को 'जन-गण-मन०' भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में ग्रहण किया गया। उसके साथ ही यह निर्णय भी किया गया कि 'वन्दे मातरम्' को भी, जिसका भारत के स्वाधीनता संग्राम में ऐतिहासिक स्थान रहा है, समान दर्जा प्राप्त रहेगा।

जन-गण-मन०

२७ दिसम्बर, १९११ को कलकत्ता काग्रेस अधिवेशन में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित 'जन-गण-मन०' पहली बार गाया गया था। जनवरी १९१२ में यह गान 'भारत विधाता' शीर्षक से 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' में, जिस के सम्पादक स्वयं श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर थे, सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। १९११ में 'दि मार्निंग साग ऑफ इण्डिया' शीर्षक से कवि ने स्वयं इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पूरे गान में ५ पद हैं। प्रथम पद, जिसे सेनाओं ने अंगीकार किया है, और जो साधारणतया समारोहों के अवसरों पर गाया जाता है, इस प्रकार है

जन-गण-मन-अधिनायक, जय हे भारत-भाग्य-विधाता
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि-तरंग
तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मांगे,
गाहे तव जय गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे, भारत-भाग्य-विधाता।
जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे!

वन्दे मातरम्

'जन-गण-मन' की अपेक्षा 'वन्दे मातरम्' अधिक पुराना गान है और यह स्वर्गीय बंकिम चन्द्र चटर्जी के उपन्यास 'आनन्दमठ' से लिया गया है जो १८८२ में प्रकाशित हुआ था। सर्व-प्रथम यह गान १८९६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इस का प्रथम पद इस प्रकार है :

वन्दे मातरम् ।
सुजला सुफला मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलां मातरम् ।
शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनी सुमधुरभाषिणीम्
सुखदा वरदा मातरम् ।
वन्दे मातरम् ।

सहायक ग्रन्थ सूची

विन्सेन्ट स्मिथ : 'ए हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन'
बी० पट्टाभि सीतारामैया : 'कांग्रेस का इतिहास'
'हमारा झण्डा' : पब्लिकेशन्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड
'ओवर नेशनल मास्ट्स' : ब्राडकास्टिंग, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया

पाँचवाँ अध्याय

केन्द्रीय सरकार और संसद्[1]

राष्ट्रपति	राजेन्द्रप्रसाद
उप-राष्ट्रपति	एस० राधाकृष्णन्

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री		पद ग्रहण की तिथि
१ प्रधान मन्त्री और वैदेशिक मामलों के मन्त्री	जवाहरलाल नेहरू	१३ मई, १९५२
२ शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा	अबुल कलाम आजाद	,,
३ स्वराष्ट्र	गोविन्द वल्लभ पन्त[2]	१० जनवरी, १९५५
४ संचार	जगजीवनराम	१३ मई, १९५२
५ स्वास्थ्य	राजकुमारी अमृतकौर	,,
६ वित्त	सी० डी० देशमुख	,,
७ योजना, सिंचाई और बिजली	गुलज़ारीलाल नन्दा	,,
८ प्रतिरक्षा	कैलासनाथ काटजू[3]	१० जनवरी, १९५५
९ वाणिज्य और उद्योग	टी० टी० कृष्णमाचारी[4]	१३ मई, १९५२
१० विधि तथा अल्प-संख्यक कार्य	सी० सी० बिस्वास	,,
११ रेल और परिवहन	लालबहादुर शास्त्री	,,
१२ निर्माण, आवास तथा संभरण	स्वर्णसिंह	,,
१३ उत्पादन	के० सी० रेड्डी	,,
१४ खाद्य और कृषि	अजितप्रसाद जैन[5]	२५ नवम्बर, १९५४
१५ श्रम	खण्डूभाई के० देसाई	१० सितम्बर, १९५४
मंत्री मंडल के स्तर के मंत्री (परन्तु मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं)		
१६ ससदीय मामले	सत्यनारायण सिन्हा	१३ मई, १९५२

[1] १० जनवरी, १९५५ की स्थिति के अनुसार ।

[2] गोविन्द वल्लभ पन्त ने ३ जनवरी, १९५५ को बिना कार्य-विभाग के मन्त्री की शपथ ली थी ।

[3] कैलासनाथ काटजू १३ मई, १९५२ से लेकर ९ जनवरी, १९५५ तक गृह और राज्य विभाग के मन्त्री रहे ।

[4] १५ जून १९५५ से नव निर्मित लोहा तथा इस्पात मन्त्रालय भी टी० टी० कृष्णमाचारी के अधीन है ।

[5] अजितप्रसाद जैन १३ मई, १९५२ से पुनर्वास के राज्य मन्त्री थे । ११ अगस्त, १९५४ को उन्होंने मन्त्रिमण्डल के मन्त्री के रूप में कार्य संभाला ।

१७	प्रतिरक्षा संगठन	महावीर त्यागी	१६ मार्च, १९५३
१८	सूचना तथा प्रसार	बी० वी० केसकर	१३ मई, १९५२
१९	वाणिज्य	डी० पी० करमरकर	१२ अगस्त, १९५२
२०	कृषि	पंजाबराव एस० देशमुख	,,
२१	वैदेशिक मामले	मैयद महमूद	७ दिसम्बर, १९५४
२२	विधि	एच० बी० पाटसकर	,,
२३	प्राकृतिक संसाधन	के० डी० मालवीय[1]	,,
२४	राजस्व और असैनिक व्यय	एम० सी० शाह[2]	,,
२५	राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय	ए० सी० गुहा[2]	,,
२६	पुनर्वास	एम० सी० खन्ना	,,

उपमंत्री

२७	संचार	राज बहादुर	४ जून, १९५२
२८	प्रतिरक्षा	सुरजीतसिंह मजीठिया	१२ अगस्त, १९५२
२९	स्वराष्ट्र	बी० एन० दातार	,,
३०	श्रम	आबिद अली	,,
३१	पुनर्वास	जे० के० भोंसले	,,
३२	रेल और परिवहन	ओ० वी० अलगेशन	,,
३३	स्वास्थ्य	श्रीमती एम० चन्द्रशेखर	,,
३४	वैदेशिक मामले	ए० के० चन्दा	,,
३५	खाद्य और कृषि	एम० वी० कृष्णप्पा	,,
३६	सिचाई और बिजली	जयसुखलाल हाथी	१२ सितम्बर, १९५२
३७	प्रतिरक्षा	सतीशचन्द्र	२७ नवम्बर, १९५२
३८	योजना	श्यामनन्दन मिश्र	१० सितम्बर १९५४
३९	वाणिज्य और व्यवसाय	नित्यानन्द कानूनगो	२८ सितम्बर, १९५४

संसदीय सचिव

१	वैदेशिक मामले	श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन
२	रेल और परिवहन	शाहनवाज खाँ
३	वैदेशिक मामले	जे० एन० हजारिका
४	वित्त	बी० आर० भगत
५	उत्पादन	आर० जी० दुबे

[1] महावीर त्यागी १३ मई, १९५२ से लेकर १५ मार्च, १९५३ तक राजस्व और व्यय के राज्य मन्त्री थे ।

[2] ये तीनों ७ सितम्बर, १९५४ को राज्य मन्त्री का कार्य संभालने से पहले उपमन्त्री थे ।

६	वैदेशिक मामले . .	सआदत अली खाँ
७	सूचना तथा प्रसार .	जी० राजगोपालन्
८	शिक्षा . .	के० एल० श्रीमाली
९	शिक्षा . .	मनमोहन दास

अंतरिम सरकार के सदस्य

जिसका निर्माण २ सितम्बर, १९४६ को हुआ था

१	उप प्रधान और वैदेशिक मामले तथा राष्ट्र-मण्डल सम्पर्क . . .	जवाहरलाल नेहरू
२	स्वराष्ट्र (सूचना तथा प्रसार मन्त्रालय सहित) . .	वल्लभ भाई पटेल
३	प्रतिरक्षा	बलदेव सिंह
४	वित्त	जान मथाई
५	संचार, युद्ध-परिवहन और रेल .	एम० आसफ अली
६	कृषि और खाद्य . . .	राजेन्द्र प्रसाद
७	श्रम	जगजीवनराम
८	स्वास्थ्य, शिक्षा और कला . .	सफात अहमद खाँ
९	विधि, डाक और वायुयान . .	अली जहीर
१०	उद्योग और संभरण . .	चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
११	निर्माण, खान और विद्युत . .	शरत चन्द्र बोस
१२	वाणिज्य	सी० एच० भाभा

मन्त्रालय के सदस्य

जिन्होंने १५ अगस्त १९४७ को कार्यभार संभाला

१	प्रधान मन्त्री और वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्र-मण्डल सम्पर्क तथा वैज्ञानिक शोधण मन्त्री	जवाहरलाल नेहरू
२	स्वराष्ट्र राज्य और सूचना तथा प्रसार	वल्लभभाई पटेल
३	खाद्य और कृषि . . .	राजेन्द्र प्रसाद
४	शिक्षा	अबुल कलाम आजाद
५	रेल और परिवहन . . .	जान मथाई
६	प्रतिरक्षा	बलदेव सिंह
७	श्रम	जगजीवन राम
८	वाणिज्य	सी० एच० भाभा
९	संचार	रफी अहमद किदवई
१०	स्वास्थ्य	राजकुमारी अमृतकौर
११	विधि	बी० आर० अम्बेदकर

१२	वित्त . . .	आर० के० षण्मुखम् चेट्टी
१३	उद्योग और संभरण . .	श्यामाप्रसाद मुखर्जी
१४	निर्माण, खान और बिजली . .	नरहरि विष्णु गाडगील

संसद्

लोक सभा

अध्यक्ष	जी० वी० मावलंकर
उपाध्यक्ष . . .	एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार

राजनीतिक दलों की सदस्य-संख्या

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	३६३
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी	२६
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	१७
पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट	७
गणतन्त्र परिषद् (उड़ीसा)	५
तमिलनाड टॉयलर्स पार्टी	४
हिन्दू महासभा	४
अकाली दल (पंजाब और पेप्सू)	३
अन्य दल	२२
स्वतन्त्र तथा अन्य	४१
रिक्त (उप-चुनाव होने बाकी) . . .	७
	४६६

लोकसभा के सदस्य[1]

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
१	अकरमपुरी, चेन्ना रेड्डि .	गुरदासपुर (पंजाब) .	कांग्रेस

[1] दलों के संक्षिप्त नाम इस प्रकार हैं :
क० पा० इ० (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया)
प्र० सो० पा० (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी)
छो० ना० म० प० ज० पा० (छोटा नागपुर एण्ड सन्थाल परगना जनता पार्टी)
लो० से० सं० (लोक सेवक संघ)
पी० व० पा० (पीजेण्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी)
शे० का० फे० (शैडूल्ड कास्ट्स फेडरेशन)
झा० ब्लो० (झारखंड ब्लाक)
त० टॉ० पा० (तमिलनाड टायलर्स पार्टी)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
२	अग्रवाल, श्रीमन्नारायण .	वर्धा (मध्य प्रदेश) . .	काग्रेस
३	अग्रवाल, होतीलाल .	जालौन-इटावा पश्चिम–झांसी उत्तर (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
४	अग्रवाल, मुकन्द लाल .	पीलीभीत-बरेली पूर्व (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
५	अचलसिह . .	आगरा पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
६	अचलू, सुंकम् .	नलगोण्डा, अ० जा० सु० (हैदराबाद)	पी० डी०
७	अचिन्तराम . .	हिसार (पंजाब) . .	काग्रेस
८	अच्युतन, के० टी० .	क्रैंगन्नूर (तिरुवाकुर—कोचीन) .	काग्रेस
९	अजितसिह . .	कपूरथला-भटिडा, अ० जा० सु० (पेप्सू)	काग्रेस
१०	अजीत-सिंह जी .	सिरोही-पाली (राजस्थान) .	स्वतन्त्र
११	अन्सारी, शौकतुल्ला शाह	बीदर (हैदराबाद) . .	स्वतन्त्र
१२	अब्दुल्ला-भाई, मुल्ला तेहर अली	चान्दा (मध्य प्रदेश) .	काग्रेस
१३	अब्दुस्सत्तार . .	कलना-कटवा (पश्चिम बगाल)	कांग्रेस
१४	अमजद अली . .	ग्वालपाड़ा-गारो पहाडियाँ (आसाम)	प्र० सो० पा०
१५	अमीन, इन्दुभाई बी० .	बडौदा पश्चिम (बम्बई) .	स्वतन्त्र
१६	अमृतकौर, राजकुमारी .	मण्डी-महासू (हिमाचल प्रदेश)	कांग्रेस
१७	अय्यगार, एम० अनन्तशयनम्	तिरुपति (आन्ध्र)	काग्रेस
१८	अलगेशन, ओ० वी० .	चिगलपट (मद्रास) . .	कांग्रेस
१९	अस्थाना, सीता राम .	आजमगढ़ पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस

का० वी० पा० (कामनवील पार्टी)
मु० ली० (मुस्लिम लीग)
ग० प० (गणतन्त्र परिषद्)
हि० म० स० (हिन्दू महासभा)
रै० सो० पा० (रैवोलूशनरी सोशलिस्ट पार्टी)
ज० सं० (जन संघ)
पी० डे० फ्र० (पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्ट)
कृ० लो० पा० (कृषिकार लोक पार्टी)
रा० रा० प० (राम राज्य परिषद)
ति० न० का० (तिरुवाकुर तमिलनाड कांग्रेस)
यू० अ० ब्ला० (यूनाइटेड अपोजीशन ब्लाक)
अ० ज० जा० सु० (अनुसूचित जनजाति के लिये सुरक्षित)
अ० जा० सु० (अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
२०	अहमद मुहीउद्दीन	हैदराबाद नगर (हैदराबाद)	कांग्रेस
२१	आजाद, भागवत झा	पूर्णिया-सन्थाल परगना (बिहार)	कांग्रेस
२२	आजाद, मौलाना अबुल कलाम	रामपुर-बरेली पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
२३	आनन्दचन्द	बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	स्वतन्त्र
२४	आल्तेकर, गणेश सदाशिव	उत्तर सतारा (बम्बई)	कांग्रेस
२५	आल्वा, जोकीम	कनारा (बम्बई)	कांग्रेस
२६	इक़बालसिंह	फाजिल्का-सिरसा (पंजाब)	कांग्रेस
२७	इब्राहीम, ए०	राँची उत्तर-पूर्व (बिहार)	कांग्रेस
२८	अय्युण्णी, मी० आर०	त्रिचूर (तिरुवांकुर-कोचीन)	कांग्रेस
२९	इलयापेरूमाल, एल०	कडलूर, अ० जा० सु० (मद्रास)	कांग्रेस
३०	ईयाचरण, आई०	पोल्लानी, अ० जा० सु० (मद्रास)	कांग्रेस
३१	उइके, एम० जी०	मण्डला-जबलपुर दक्षिण अ० ज० जा० सु० (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
३२	उपाध्याय, मुनीश्वर दत्त	प्रतापगढ़ पूर्व (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
३३	उपाध्याय, शिव दत्त	सतना (विन्ध्य प्रदेश)	कांग्रेस
३४	उपाध्याय, शिव दयाल	बाँदा-फतहपुर (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
३५	एन्थनी, फ्रैंक	एग्लो-इण्डियन	नामजद
३६	एबनजिर, एस० ए०	विकाराबाद (हैदराबाद)	कांग्रेस
३७	कन्दस्वामी, एस० के० बेबी	तिरुचेंगोड (मद्रास)	स्वतन्त्र
३८	कक्कन, पी०	मदुरइ, अ० जा० सु० (मद्रास)	कांग्रेस
३९	कजरोल्कर, नारायण सादोबा	बम्बई नगर उत्तर, अ० जा० सु० (बम्बई)	कांग्रेस
४०	कथम, वीरेन्द्र नाथ	उत्तर बंगाल, अ० ज० जा० सु० (पश्चिम बंगाल)	कांग्रेस
४१	कमलसिंह	शाहाबाद उत्तर-पश्चिम (बिहार)	कांग्रेस
४२	करमरकर, डी० पी०	धारवाड़ उत्तर (बम्बई)	कांग्रेस
४३	कर्णीसिंहजी	बीकानेर-चुरू (राजस्थान)	स्वतन्त्र
४४	कामले, डी० एन० पी०	नांदेड, अ० जा० सु० (हैदराबाद)	कांग्रेस
४५	कासलीवाल, नेमिचन्द्र	कोटा—झालावाड (राजस्थान)	कांग्रेस
४६	काचिरोयर, एन० डी०	कडलूर (मद्रास)	त० टा० पा०
४७	काज़मी, मुहम्मद अहमद सैयद	सुलतानपुर उत्तर-फ़ैज़ाबाद दक्षिण पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४८	काटजू, कैलास नाथ	मन्दसौर (मध्य भारत)	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
४९	कानूनगो, नित्यानन्द	केन्द्रपाड़ा (उड़ीसा)	कांग्रेस
५०	काले, श्रीमती अनुसूया बाई	नागपुर (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
५१	किरोलिकर, वासुदेव एस०	दुर्ग (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
५२	कुरील, बैजनाथ	प्रतापगढ़ पश्चिम-रायबरेली पूर्व, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
५३	कृपालानी, जे० बी०	भागलपुर-पूर्णिया (बिहार)	प्र० सो० पा०
५४	कृपालानी, श्रीमती सुचेता	नई दिल्ली (दिल्ली)	प्र० सो० पा०
५५	कृष्ण, एम० आर०	करीमनगर, अ० जा० सु० (हैदराबाद)	कांग्रेस
५६	कृष्णचन्द्र	मथुरा पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
५७	कृष्णप्पा, एम० वी०	कोलार (मैसूर)	कांग्रेस
५८	कृष्णमाचारी, डी० टी०	मद्रास (मद्रास)	कांग्रेस
५९	कृष्णस्वामी, ए०	काचीपुरम् (मद्रास)	का० बी० पा०
६०	केलप्पन, के०	पोन्नानी (मद्रास)	प्र० सो० पा०
६१	केशवैयंगार एन०	बंगलौर उत्तर (मैसूर)	कांग्रेस
६२	केसकर, बी० वी०	सुलतानपुर दक्षिण (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
६३	कौट्टुकपल्ली, जार्ज टी०	मीनाचिल (तिरुवांकुर-कोचीन)	कांग्रेस
६४	कोले, जगन्नाथ	बाँकुरा (पश्चिम बंगाल)	कांग्रेस
६५	कासा, मुचाकी	बस्तर, अ० ज० जा० सु० (मध्य प्रदेश)	स्वतन्त्र
६६	खंडेकर, वी० एच०	कोल्हापुर-सतारा (बम्बई)	स्वतन्त्र
६७	खरे, एन० बी०	ग्वालियर (मध्य भारत)	हि० म० स०
६८	खाँ, सआदत अली	इब्राहीमपटनम (हैदराबाद)	कांग्रेस
६९	खाँ, शाहनवाज़	मेरठ उत्तर-पूर्व (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
७०	खोमणा, भवनजी ए०	कच्छ पश्चिम (कच्छ)	कांग्रेस
७१	खेडकर, गोपाल राव बाजीराव	बुलढाना-अकोला (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
७२	खोगमेन, श्रीमती बी०	म्वयशासित जिले, अ० जा० सु० (आसाम)	कांग्रेस
७३	गंगादेवी, श्रीमती	लखनऊ-बाराबंकी, अ० ज० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
७४	गर्ग, रामप्रताप	पटियाला (पेप्सू)	कांग्रेस
७५	गणपति राम	जौनपुर पूर्व, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
७६	गान्धी, माणिकलाल मगनलाल	पचमहल-बड़ौदा पूर्व (बम्बई) .	काग्रेस
७७	गान्धी, फ़ीरोज़ .	प्रतापगढ़ पश्चिम-रायबरेली पूर्व (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
७८	गान्धी, वी० बी० .	बम्बई नगर–उत्तर (बम्बई) .	काग्रेस
७९	गाडगील, नरहरि विष्णु .	पूना मध्य (बम्बई) . .	काग्रेस
८०	गिडवानी, चोइथराम प्रताबराय	थाना (बम्बई) . .	प्र० सो० पा०
८१	गिरि, वी० वी० . .	पातपटनम् (आन्ध्र) . .	काग्रेस
८२	गिरिराजशरण सिंह .	भरतपुर-सवाई माधोपुर (राजस्थान)	स्वतन्त्र
८३	गुप्त, बादशाह .	मैनपुरी, पूर्व (उत्तर प्रदेश) .	काग्रेस
८४	गुप्त, साधनचन्द्र	कलकत्ता दक्षिण-पूर्व (पश्चिम बगाल)	क० पा० इ०
८५	गुरुपादस्वामी, एम० एस०	मैसूर (मैसूर) . .	प्र० सो० पा०
८६	गुलाम कादिर, खा .	जम्मू और कश्मीर . .	काग्रेस
८७	गुहा, अरुण चन्द्र .	शान्तिपुर (पश्चिम बगाल) .	काग्रेस
८८	गोपालन्, ए० के० .	कन्नूर (मद्रास) .	क० पा० इ०
८९	गोपी राम . .	मण्डी-महासू, अ० जा० सु० (हिमाचल प्रदेश)	काग्रेस
९०	गोविन्द दास . .	गण्डेला-जबलपुर दक्षिण (मध्य प्रदेश)	काग्रेस
९१	गोहिन, चोलामून .	नामचद–'स' भाग के जन जाति क्षेत्र (आसाम)	काग्रेस
९२	गौडम, सी० डी० .	बालाघाट (मध्य प्रदेश) .	काग्रेस
९३	गौडर, के० शक्तिवाडिवेल	पैरियकुलम (मद्रास)	काग्रेस
९४	गौडर, के० पेरियास्वामी .	ईरोड (मद्रास) . .	काग्रेस
९५	गौडा, डी० मल्लिगा .	बगलोर दक्षिण (मैसूर) .	काग्रेस
९६	गाडिविगन गौड, वाई०	कुरनूल (आन्ध्र) . .	काग्रेस
९७	घोष, अतुल्य .	बर्दवान (पश्चिम बंगाल) .	काग्रेस
९८	घोष, सुरेन्द्र मोहन .	मालदा (पश्चिम बंगाल) .	काग्रेस
९९	चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु .	बसीरहाट (पश्चिम बंगाल) .	क० पा० इ०
१००	चटर्जी, एन० सी० .	हुगली (पश्चिम बगाल) .	हि० म० स०
१०१	चटर्जी, दुधार . .	श्रीरामपुर (पश्चिम बंगाल) .	क० पा० इ०
१०२	चटर्जी, सुशील रंजन .	पश्चिम दीनाजपुर (पश्चिम बंगाल)	काग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
१०३	चट्टोपाध्याय, हरीन्द्रनाथ .	विजयवाडा (आन्ध्र) .	स्वतन्त्र
१०४	चतुर्वेदी, रोहन लाल .	एंटा मध्य (उत्तर प्रदेश) .	कांग्रेस
१०५	चन्दा, अनिल कुमार .	वीरभूम (पश्चिम बगाल) .	कांग्रेस
१०६	चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० .	तिरुवल्लूर, अ० जा० सु० (मद्रास)	कांग्रेस
१०७	चरक, लक्ष्मण सिह .	जम्मू और कश्मीर .	कांग्रेस
१०८	चाण्डक, बी० एल० .	बैतूल (मध्य प्रदेश) .	कांग्रेस
१०९	चालिहा, बिमला प्रसाद .	शिवसागर-उत्तर-लखीमपुर (आसाम)	कांग्रेस
११०	चावदा, अकबर .	बनस्कठा (बम्बई) .	कांग्रेस
१११	चिनारिया, हीरासिह .	महेन्द्रगढ (पेप्सू) . .	कांग्रेस
११२	चेट्टियार, टी० एस० अविनाशिलिगम्	तिरुपुर (मद्रास) . .	कांग्रेस
११३	चेट्टियार, वी० वी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा	रामनाथपुरम् (मद्रास) .	काग्रेस
११४	चौधरी, रोहिणी कुमार .	गौहाटी (आसाम) . .	कांग्रेस
११५	चौधरी, मुहम्मद शफी .	जम्मू और कश्मीर .	काग्रेस
११६	चौधरी, गणशी लाल .	शाहजहानपुर उत्तर-खेरी पूर्व अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
११७	चौधरी, त्रिदिव कुमार .	बरहामपुर (पश्चिम बंगाल) .	रे० सो० पा०
११८	चौधरी, सी० आर० .	नरसरावपेट (आन्ध्र) .	स्वतन्त्र
११९	चौधरी, निकुंज बिहारी .	घाटल (पश्चिम बंगाल) .	क० पा० इ०
१२०	चौधरी, रणवीर सिह .	रोहतक (पंजाब) .	कांग्रेस
१२१	जगजीवनराम . .	शाहाबाद दक्षिण, अ० ज० जा० सु० (बिहार)	काग्रेस
१२२	जजवाड़े, रामराज .	सन्थाल परगना-हजारीबाग (बिहार)	कांग्रेस
१२३	जयपालसिंह . .	राँची पश्चिम, अ० ज० जा० सु० (बिहार)	झारखण्ड
१२४	जयरमन्, ए० . .	तिण्डीवनम्, अ० जा० सु० (मद्रास)	त० टा० पा०
१२५	जयसूर्य, एन० एम० .	मेदक (हैदराबाद) . .	पी० डै० फ्र०
१२६	जाँगड़े, रेशम लाल .	बिलासपुर, अ० जा० सु० (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
१२७	जाटव वीर, मानिक चन्द .	भरतपुर-सवाई माधोपुर, अ० जा० सु० (राजस्थान)	कृ० लो० पा०

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
१२८	जेठन, खेरवर	पालामऊ - हजारीबाग - राँची, अ० ज० जा० सु० (बिहार)	काग्रेस
१२९	जेना, कान्ह चरण	बालासोर अ० जा० सु० (उड़ीसा)	काग्रेस
१३०	जेना, निरंजन	ढेंकानल-पश्चिम कटक, अ० जा० सु० (उड़ीसा)	काग्रेस
१३१	जेना, लक्ष्मीधर	जाजपुर-क्योझर, अ० जा० सु० (उड़ीसा)	स० प०
१३२	जैदी, बी० एच०	हरदोई उत्तर-पश्चिम - फर्रुखाबाद पूर्व-शाहजहानपुर-दक्षिण (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
१३३	जैन, अजितप्रसाद	सहारनपुर पश्चिम - मुजफ्फरनगर उत्तर (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
१३४	जैन, नेमीशरण	बिजनौर दक्षिण (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
१३५	जोगेन्द्रसिंह	बहराइच पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
१३६	जोशी, नन्दलाल	इन्दौर (मध्य भारत)	काग्रेस
१३७	जोशी, एम० डी०	रत्नागिरि दक्षिण (बम्बई)	काग्रेस
१३८	जोशी, कृष्णाचार्य	यादगीर (हैदराबाद)	—
१३९	जोशी, जे० एच०	मध्य सौराष्ट्र (सौराष्ट्र)	काग्रेस
१४०	जोशी, लीलाधर	शाजापुर-राजगढ (मध्य भारत)	काग्रेस
१४१	जोशी, श्रीमती सुभद्रा	करनाल (पंजाब)	काग्रेस
१४२	ज्वालाप्रसाद	अजमेर उत्तर (अजमेर)	काग्रेस
१४३	झुनझुनवाला, बी० पी०	भागलपुर मध्य (बिहार)	काग्रेस
१४४	टण्डन, पुरुषोत्तम दास	इलाहाबाद पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
१४५	टामस, ए० एम०	एर्नाकुलम् (तिरुवाकुर-कोचीन)	काग्रेस
१४६	टामस, ए० वी०	श्रीवैकुण्ठम् (मद्रास)	काग्रेस
१४७	टेकचन्द	अम्बाला-शिमला (पंजाब)	काग्रेस
१४८	डामर, अमर सिंह	झाबुआ, आ० जा० सु० (मध्य भारत)	काग्रेस
१४९	तालिब, प्यारेलाल कुरील	बाँदा-फतहपुर, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
१५०	तिम्मय्या, डोडा	कोलार, अ० जा० सु० (मैसूर)	काग्रेस
१५१	तिवारी, रामसहाय	छतरपुर-दतिया-टीकमगढ (विंध्य प्रदेश)	कांग्रेस
१५२	तिवारी, राजभानु सिंह	रीवा (विन्ध्य प्रदेश)	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
१५३	तिवारी, द्वारकानाथ .	सारन दक्षिण (बिहार) .	काग्रेस
१५४	तिवारी, बी० एन० .	निमाड (मध्य प्रदेश) .	काग्रेस
१५५	तिवारी, वेकटेश नारायण	कानपुर उत्तर-फर्रुखाबाद दक्षिण (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
१५६	तीर्थ, रामानन्द .	गुलबर्गा (हैदराबाद) .	काग्रेस
१५७	तुलसीदास किलाचन्द .	मेहसाना पश्चिम (बम्बई) .	स्वतन्त्र
१५८	तेलकीकर, शंकर राव .	नान्देड़ (हैदराबाद) . .	कांग्रेस
१५९	त्यागी, महावीर .	देहरादून-बिजनौर उत्तर-पश्चिम-महारनपुर पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
१६०	त्रिभुवननारायण सिह .	बनारस पूर्व (उत्तर प्रदेश) .	काग्रेस,
१६१	त्रिपाठी, कामाख्या प्रसाद	दरांग (आसाम) . .	काग्रेस
१६२	त्रिपाठी, विश्वम्भर दयाल .	उन्नाव-रायबरेली पश्चिम-हरदोई दक्षिण-पूर्व, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
१६३	त्रिपाठी, हीरावल्लभ .	मुजफ्फरनगर दक्षिण (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
१६४	त्रिवेदी, यू० एम० .	चित्तौड (राजस्थान) .	ज० सं०
१६५	थिरानी, जी० डी० .	बारगढ (उडीसा) .	स्वतन्त्र
१६६	थिरुकुरलार, वी० एम० अवल	तिण्डीवनम् (मद्रास)	त० टा० पा०
१६७	दत्त, अमीम कृष्ण .	कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम (पश्चिम बंगाल)	काग्रेस
१६८	दत्त, सन्तोष कुमार .	हावडा (पश्चिम बंगाल) .	काग्रेस
१६९	दत्त, बीरेन . .	त्रिपुरा पश्चिम (त्रिपुरा) .	क० पा० इ०
१७०	दामी, फूलसिंहजी बी० .	कैरा उत्तर (बम्बई) .	काग्रेस
१७१	दामोदरन्, नेत्तूर पी० .	तेल्लिचेरी (मद्रास) . .	प्र० सो० पा०
१७२	दामोदरन्, जी० आर० .	पोल्लाची (मद्रास) . .	काग्रेस
१७३	दातार, बलवन्त नगेश .	बेलगाँव उत्तर (बम्बई) .	काग्रेस
१७४	दास, नयन तारा .	मुगेर मदर-जमूई, अ० जा० सु० (बिहार)	काग्रेस
१७५	दास, मनमोहन .	बर्दवान, अ० जा० सु० (पश्चिम बंगाल)	कांग्रेस
१७६	दास, श्रीनारायण .	दरभंगा मध्य (बिहार) .	काग्रेस
१७७	दास, कमल कृष्ण .	बीरभूम, अ० जा० सु० (पश्चिम बंगाल)	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
१७८	दास, बी०	जाजपुर-क्योंझर (उड़ीसा)	कांग्रेस
१७९	दास, बसन्त कुमार	कोन्टाई (पश्चिम बंगाल)	कांग्रेस
१८०	दास, विजय चन्द्र	गंजम् दक्षिण (उडीसा)	क० पा० इ०
१८१	दास, बेली राम	बारपेटा (आसाम)	कांग्रेस
१८२	दास, राम धनी	गया पूर्व अ० जा० सु० (बिहार)	कांग्रेस
१८३	दास, रामानन्द	बैरकपुर (पश्चिम बंगाल)	कांग्रेस
१८४	दास, सारगधर	ढेकानल-पश्चिम कटक (उडीसा)	प्र० सो० पा०
१८५	दिगम्बरसिंह	एटा पश्चिम-मैनपुरी पश्चिम-मथुरा पूर्व (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
१८६	दिग्विजयनारायण सिंह	मुजफ्फरपुर उत्तर-पूर्व (बिहार)	कांग्रेस
१८७	दीवान, आर० एम०	उस्मानाबाद (हैदराबाद)	कांग्रेस
१८८	दुबे, राजाराम गिरधरलाल	बीजापुर उत्तर (बम्बई)	कांग्रेस
१८९	दुबे, मूलचन्द	फर्रुखाबाद उत्तर (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
१९०	दुबे, उदय शकर	बस्ती उत्तर (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
१९१	देव, राजेन्द्र नारायण सिंह	कालाहाडी-बोलनगिर (उडीसा)	ग० प०
१९२	देव, चण्डिकेश्वर शरण सिंहजू	सरगुजा-रायगढ़ (मध्य प्रदेश)	स्वतन्त्र
१९३	देव, एस० सी०	कचार-लुशाई पहाडियाँ (आसाम)	कांग्रेस
१९४	देव, दशरथ	त्रिपुरा पूर्व (त्रिपुरा)	क० पा० इ०
१९५	देवगम, कान्हूराम	चैबस्सा, अ० ज० जा० सु० (बिहार)	झारखण्ड
१९६	देशपाडे, गोविन्द हरि	नासिक मध्य (बम्बई)	कांग्रेस
१९७	देशपाण्डे, विष्णु घनश्याम	गुना (मध्य भारत)	हि० म० स०
१९८	देशमुख, के० जी०	अमरावती पश्चिम (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
१९९	देशमुख, पंजाबराव एस०	अमरावती पूर्व (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
२००	देशमुख, सी० डी०	कोलाबा (बम्बई)	कांग्रेस
२०१	देसाई, कन्हैयालाल नानाभाई	सूरत (बम्बई)	कांग्रेस
२०२	देसाई, खण्डू भाई के०	हालर (सौराष्ट्र)	कांग्रेस
२०३	द्विवेदी, एम० एल०	हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
२०४	द्विवेदी, दशरथ प्रसाद	गोरखपुर मध्य (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
२०५	धुलेकर, आर० वी०	झांसी दक्षिण (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
२०६	धूसिया, सोहन लाल	बस्ती मध्य पूर्व व गोरखपुर पश्चिम, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
२०७	धोलकिया, जी० ए० .	कच्छ पूर्व (कच्छ) . .	कांग्रेस
२०८	नन्दा, गुलज़ारी लाल .	सबरकण्ठा (बम्बई) . .	कांग्रेस
२०९	नटवाडकर, जयन्त राव जी०	पश्चिम खानदेश, अ० ज० जा० सु० (बम्बई)	कांग्रेस
२१०	नटेशन, पी० . .	तिरुवल्लर (मद्रास) . .	कांग्रेस
२११	नथवानी, नरेन्द्र पी० .	सोरठ (सौराष्ट्र) . .	कांग्रेस
२१२	नथानी, हरिराम .	भीलवाडा (राजस्थान) .	रा० रा० प०
२१३	नम्बियार, के० आनन्द .	मयूरम् (मद्रास) . .	क० पा० इ०
२१४	नरसिहन्, सी० आर० .	कृष्णगिरि (मद्रास)	काग्रेस
२१५	नरसिहम्, एस० वी० एल०	गुन्टूर (आन्ध्र) .	स्वतन्त्र
२१६	नास्कर, पूर्णेन्दु शेखर .	डायमण्ड हारबर, अ० जा० सु० (पश्चिम बंगाल)	काग्रेस
२१७	नानादास, मंगलगिरि .	ओगोल, अ० जा० सु० (आन्ध्र)	स्वतन्त्र
२१८	नायडु, नाला रेड्डी .	राजामन्द्री (आन्ध्र)	प्र० सो० पा०
२१९	नायर, एन० श्रीकान्तन .	क्वीलोन-मावेलिक्करा (तिरुवाकुर-कोचीन)	रे० सो० पा०
२२०	नायर, वी० पी० .	चिरयिनकील (तिरुवाकुर-कोचीन)	स्वतन्त्र
२२१	नायर, सी० कृष्णन् .	बाह्य दिल्ली (दिल्ली) .	काग्रेस
२२२	नायर, श्रीमती शकुन्तला .	गोण्डा पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	हि० म० स०
२२३	निजलिगप्पा, एस० .	चितलदुग (मैसूर) . .	काग्रेस
२२४	नेवटिया, आर० पी० .	शाहजहानपुर उत्तर- खेरी पूर्व (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
२२५	नेसवी, टी० आर० .	धारवाड दक्षिण (बम्बई) .	काग्रेस
२२६	नेमामनी, ए० . .	नागरकोइल (तिरुवांकुर-कोचीन)	ति० त० का०
२२७	नेहरू, श्रीमती उमा	सीतापुर-खेरी पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
२२८	नेहरू, जवाहरलाल .	इलाहाबाद पूर्व-जौनपुर पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
२२९	पटनायक, उमा चरण .	घुमसूर (उड़ीसा) .	स्वतन्त्र
२३०	पटेरिया, सुशील कुमार .	जबलपुर उत्तर (मध्य प्रदेश) .	कांग्रेस
२३१	पटेल, बहादुरभाई कुण्ठाभाई	सूरत, अ० ज० जा० सु० (बम्बई)	कांग्रेस
२३२	पटेल, श्रीमती मणिबेन वी० .	कैरा दक्षिण (बम्बई) .	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
२३३	पटेल, राजेश्वर .	मुज़फ्फरपुर-दरभंगा (बिहार) .	कांग्रेस
२३४	पन्त, देवीदत्त* .	अल्मोड़ा उत्तर-पूर्व (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
२३५	पन्नालाल . .	फैज़ाबाद, उत्तर-पश्चिम, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
२३६	परमार, रूपाजी भावजी .	पंचमहल-बड़ौदा पूर्व, अ० ज० जा० सु० (बम्बई)	कांग्रेस
२३७	परांजपे, आर० जी० .	भीर (हैदराबाद) . .	पी० डी० फ्र०
२३८	परागीलाल . .	सीतापुर-खेरी पश्चिम, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
२३९	पवार, व्यकटराव पी० .	दक्षिण सतारा (बम्बई) .	काग्रेस
२४०	पाण्डे, नटवर .	सम्भलपुर (उड़ीसा) . .	ग० प०
२४१	पाण्डे, चन्द्रदत्त .	नैनीताल-अलमोडा दक्षिण-पश्चिम —बरेली उत्तर (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
२४२	पाटसकर, हरि विनायक .	जलगाँव (बम्बई) .	कांग्रेस
२४३	पाटिल, एस० के० .	बम्बई नगर दक्षिण (बम्बई) .	काग्रेस
२४४	पाटिल, पी० आर० कानावडे	अहमदनगर उत्तर (बम्बई) .	कांग्रेस
२४५	पाटिल, एस० वी० .	बेलगांव दक्षिण (बम्बई)	काग्रेस
२४६	पारीख, शान्तिलाल जी० .	मेहसाना पूर्व (बम्बई) .	काग्रेस
२४७	पारीख, जे० एन०	जालावाड (सौराष्ट्र)	काग्रेस
२४८	पालचौधरी, श्रीमती इला .	नवद्वीप (पश्चिम बगाल) .	कांग्रेस
२४९	पिल्ले, पी० टी० थानू .	तिरुनेल्वेलि (मद्रास) .	कांग्रेस
२५०	पुन्नूस, पी० टी० .	आल्लपी (तिरुवांकुर-कोचीन) .	स्वतन्त्र
२५१	पोकर, बी . .	मलप्पुरम् (मद्रास) . .	मु० ली०
२५२	प्रभाकर, नवल . .	बाह्य दिल्ली, अ० जा० सु० (दिल्ली)	कांग्रेस
२५३	फोतदार, शिव नारायण .	जम्मू और कश्मीर .	कांग्रेस
२५४	बंसल, घमण्डी लाल .	झज्जर-रिवाडी (पंजाब) .	कांग्रेस
२५५	बदनसिह . .	बदायू पश्चिम (उत्तर प्रदेश) .	कांग्रेस
२५६	बनर्जी, दुर्गाचरण .	मिदनापुर-झाडग्राम (पश्चिम बगाल)	ज० सं०
२५७	बर्मन, उपेन्द्र नाथ .	उत्तर बंगाल, अ० जा० सु० (पश्चिम बंगाल)	काग्रेस
२५८	बरुआ, देव कान्त .	नौगाँव (आसाम) .	कांग्रेस
२५९	बलदेवसिह . .	नवाशहर (पंजाब) .	कांग्रेस

*इनकी हाल ही में मृत्य हो गई है ।

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
२६०	बसु, ए० के०	उत्तर बंगाल (पश्चिम बंगाल)	कांग्रेस
२६१	बसु, कमल कुमार	डायमण्ड हारबर (पश्चिम बंगाल)	क० पा० इ०
२६२	बाबूनाथसिंह	सरगुजा-रायगढ़, अ० ज० जा० सु० (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
२६३	बहादुरसिंह	फिरोजपुर-लुधियाना, अ० जा० सु० (पंजाब)	अकाली
२६४	बागड़ी, मयन लाल	महासमुन्द (मध्य प्रदेश)	प्र० सो० पा०
२६५	बाहरमल, पन्नालाल	गंगानगर-झुझनू, अ० जा० सु० (राजस्थान)	कांग्रेस
२६६	बालकृष्णन्, एस० सी०	ईरोड, अ० जा० सु० (मद्रास)	कांग्रेस
२६७	बालसुब्रह्मण्यम्, एस०	मदुरइ (मद्रास)	कांग्रेस
२६८	बाल्मीकी, कन्हैयालाल	बुलन्दशहर, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
२६९	बासप्पा, सी० आर०	तुमकुर (मैसूर)	कांग्रेस
२७०	बिदारी, रामप्पा बालप्पा	बीजापुर दक्षिण (बम्बई)	कांग्रेस
२७१	बीरबलसिंह	जौनपुर पूर्व (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
२७२	बुचिकोटय्या, सनक	मसुलीपटनम् (आन्ध्र)	क० पा० इ०
२७३	बूवराघस्वामी, वी०	पेरम्बेलूर (मद्रास)	त० द्रा० पा०
२७४	बैरो, ए० ई० टी०	एंग्लो-इण्डियन	नामजद
२७५	बोगावत, यू० आर०	अहमदनगर दक्षिण (बम्बई)	कांग्रेस
२७६	बोरकर, नाम अर्जुन	भण्डारा, अ० जा० सु० (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
२७७	बोस, पी० सी०	मानभूम उत्तर (बिहार)	कांग्रेस
२७८	ब्रजेश्वर प्रसाद	गया पूर्व (बिहार)	कांग्रेस
२७९	ब्रह्मचौधरी, सीतानाथ	ग्वालपाडा-गारो पहाडियाँ, अ० ज० जा० सु० (आसाम)	कांग्रेस
२८०	भण्डारी, दौलतमल	जयपुर (राजस्थान)	कांग्रेस
२८१	भक्तदर्शन	गढवाल पूर्व-मुरादाबाद उत्तर-पूर्व (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
२८२	भगत, बी० आर०	पटना-शाहाबाद (बिहार)	कांग्रेस
२८३	भटकर, लक्ष्मण श्रावण	बुलडाना-अकोला, अ० जा० सु० (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
२८४	भट्ट, चन्द्र शंकर	भडौंच (बम्बई)	कांग्रेस
२८५	भवानीसिंह	बाड़मेर-जालौर (राजस्थान)	स्वतन्त्र

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
२८६	भार्गव, मुकुट बिहारी लाल	अजमेर दक्षिण (अजमेर)	कांग्रेस
२८७	भार्गव, ठाकुरदास	गुड़गाँव (पंजाब)	कांग्रेस
२८८	भारती, जी० एस० राजा	यवतमाल (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
२८९	भारतीय, शालिग्राम आर०	पश्चिम खानदेश (बम्बई)	कांग्रेस
२९०	भीखाभाई	बाँसवाड़ा-डूंगरपुर, अ० जा० सु० (राजस्थान)	कांग्रेस
२९१	भोई, गिरधारी	कालाहाण्डी,-बोलनगिर, अ० ज० जा० सु० (उड़ीसा)	ग० प०
२९२	भोंसले, जे० के०	रत्नगिरि उत्तर (बम्बई)	कांग्रेस
२९३	मण्डल, पशुपति	बाँकुरा, अ० जा० सु० (पश्चिम बंगाल)	कांग्रेस
२९४	मजीठिया, सुरजीत सिंह	तरनतारन (पंजाब)	कांग्रेस
२९५	मथुरम्, एडवर्ड पाल	तिरुच्चिरापल्लि (मद्रास)	स्वतन्त्र
२९६	मल्लय्या, यू० श्रीनिवास	दक्षिण कनारा–उत्तर (मद्रास)	कांग्रेस
२९७	मल्लूदोरा, गाम	विशाखपटनम्, अ० जा० सु० (आन्ध्र)	स्वतन्त्र
२९८	मसुरियादीन	इलाहाबाद पूर्व-जौनपुर पश्चिम, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
२९९	मसूदी, मुहम्मद सईद	जम्मू तथा कश्मीर	कांग्रेस
३००	मस्करीन, कुमारी एनी	त्रिवेन्द्रम (तिरुवाकुर कोचीन)	स्वतन्त्र
३०१	मेहता, बलवन्तसिंह	उदयपुर (राजस्थान)	कांग्रेस
३०२	महताब, हरेकृष्ण*	कटक (उडीसा)	कांग्रेस
३०३	महाता, भजहरि	मानभूम दक्षिण-धालभूम (बिहार)	लो० से० सं०
३०४	महापात्र, शिवनारायण सिंह	सुन्दरगढ, अ० ज० जा० सु० (उडीसा)	कांग्रेस
३०५	महेन्द्रनाथसिंह	मारन मध्य (बिहार)	कांग्रेस
३०६	महोदय, बैजनाथ	निमाड (मध्य भारत)	कांग्रेस
३०७	माझी, रामचन्द्र	मयूरभंज, अ० ज० जा० सु० (उडीसा)	कांग्रेस
३०८	माझी, चेतन	मानभूम दक्षिण-ढालभूम, अ० ज० जा० सु० (बिहार)	कांग्रेस
३०९	मात्तन, सी० पी०	तिरुवल्ला (तिरुवांकुर-कोचीन)	कांग्रेस
३१०	मायदेव, श्रीमती इन्द्रा ए०	पूना दक्षिण (बम्बई)	कांग्रेस
३११	मालवीय, केशवदेव	गोण्डा पूर्व-बस्ती पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस

*सदस्यता से त्यागपत्र देने के पश्चात् १ मार्च १९५५ को बम्बई के राज्यपाल नियक्त हुए ।

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
३१२	मालवीय, मोती लाल	छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़, अ० जा० सु० (विन्ध्य प्रदेश)	कांग्रेस
३१३	मालवीय, भगु नन्दु	शाजापुर-राजगढ़, अ० जा० सु० (मध्य भारत)	कांग्रेस
३१४	मालवीय, चतुरनारायण	रायसेन (भोपाल)	कांग्रेस
३१५	मावलंकर, जी० वी०	अहमदाबाद (बम्बई)	कांग्रेस
३१६	मिनीमाता, श्रीमती	बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर, अ० जा० सु० (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
३१७	मिश्र, रघुवर दयाल	बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
३१८	मिश्र, मथुरा प्रसाद	मुंगेर उत्तर-पश्चिम (बिहार)	कांग्रेस
३१९	मिश्र, ललित नारायण	दरभंगा-भागलपुर (बिहार)	कांग्रेस
३२०	मिश्र, श्याम नन्दन	दरभंगा उत्तर (बिहार)	कांग्रेस
३२१	मिश्र, सरयू प्रसाद	देवरिया दक्षिण (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
३२२	मिश्र, सुरेश चन्द्र	मुंगेर उत्तर-पूर्व (बिहार)	प्र० सो० पा०
३२३	मिश्र, भपेन्द्र नाथ	बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
३२४	मिश्र, लिंगराज	खुर्दा (उडीसा)	कांग्रेस
३२५	मिश्र, लोकनाथ	पुरी (उड़ीसा)	कांग्रेस
३२६	मिश्र, विभूति	सारन-चम्पारन (बिहार)	कांग्रेस
३२७	मित्र, विज्ञेश्वर	गया उत्तर (बिहार)	प्र० सो० पा०
३२८	मुखर्जी, हीरेन्द्र नाथ	कलकत्ता उत्तर-पूर्व (पश्चिम	क० पा० इ०
३२९	मुक्णे, यशवन्तराव एम०	थाना, अ० ज० जा० सु०) (बम्बई)	कांग्रेस
३३०	मुत्तुकृष्णन्, एम०	वेल्लोर, अ० जा० सु० (मद्रास)	कांग्रेस
३३१	मुदलियार, सी० रामस्वामी	कुम्भकोणम् (मद्रास)	कांग्रेस
३३२	मुनिस्वामी, एन० आर०	वान्दिवाश (मद्रास)	का० वी० पा०
३३३	मुरली मनोहर	बलिया पूर्व (उत्तर प्रदेश)	स्वतन्त्र
३३४	मुरारका, आर० आर०	गंगानगर-झुझुनू (राजस्थान)	कांग्रेस
३३५	मुसहर, किराई	भागलपुर-पूर्णिया, अ० जा० सु० (बिहार)।	प्र० सो० प०
३३६	मुसाफिर, गुरुमुख सिंह	अमृतसर (पंजाब)	कांग्रेस
३३७	मुहम्मद अकबर, सूफी	जम्मू और कश्मीर	कांग्रेस
३३८	मुहम्मद इस्लामुद्दीन	पूर्णिया उत्तर-पूर्व (बिहार)	कांग्रेस
३३९	मुहम्मद खुदाबख्श	मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
३४०	मूर्ति, बी० एस०	एलूरू (आन्ध्र)	प्र० सो० पा०
३४१	मेनन, के० ए० दामोदर	कोजिकोड (मद्रास)	प्र० सो० पा०
३४२	मेहता, अशोक	भण्डारा (मध्य प्रदेश)	प्र० सो० पा०
३४३	मेहता, बलवन्त राय गोपालजी	गोहिलवाड़ (सौराष्ट्र)	कांग्रेस
३४४	मेहता, जसवन्तराज	जोधपुर (राजस्थान)	स्वतन्त्र
३४५	मैथ्यू, सी० पी०	कोट्टयान (तिरुवांकुर-कोचीन)	कांग्रेस
३४६	मोरे, शंकर शान्ताराम	शोलापुर (बम्बई)	पी० व० पा०
३४७	मोरे, के० एल०	कोल्हापुर-मनारा, अ० जा० सु० (बम्बई)	कांग्रेस
३४८	राघवैया, पशुपति वेकंट	ओगोल (आन्ध्र)	स्वतन्त्र
३४९	रघुरामय्या, कोत्ता	तेनाली (आन्ध्र)	कांग्रेस
३५०	रघुनाथ सिंह	बनारस मध्य (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
३५१	रघुवीर सिंह	आगरा पूर्व (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
३५२	रजमी, मैयदुल्ला खा	सिहोर (भोपाल)	स्वतन्त्र
३५३	रणजीतसिंह	मगरूर (पेप्सू)	स्वतन्त्र
३५४	रणदमन सिंह	शाहडोल—सिद्धी, अ० ज० जा० सु० (विन्ध्य प्रदेश) ।	प्र० सो० पा०
३५५	राउत, भोला	सारन—चम्पारन, अ० जा० सु० (बिहार)	कांग्रेस
३५६	राघवाचारी, के० एस०	पेनुकोण्डा (आन्ध्र)	प्र० सो० पा०
३५७	राचय्या, एन०	मैसूर, अ० जा० सू० (मैसूर)	कांग्रेस
३५८	राजबहादुर	जयपुर—सवाई माधोपुर (राजस्थान)	कांग्रेस
३५९	राजभोज, पी० एन०	शोलापुर, अ० जा० सू० (बम्बई)	शे० का० फै०
३६०	राधारमण	दिल्ली नगर (दिल्ली)	कांग्रेस
३६१	राने, शिव राम रागो	भुसावल (बम्बई)	कांग्रेस
३६२	रामचन्द्र, डी०	वैल्लोर (मद्रास)	का० बी० पा०
३६३	रामनारायण सिंह	हजारीबाग पश्चिम (बिहार)	छो० ना० स० प० ज० पा०
३६४	रामदास	होशियारपुर, अ० जा० सु० (पंजाब)	कांग्रेस
३६५	रामसरन	मुरादाबाद पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
३६६	रामशंकर लाल	बस्ती मध्य-पूर्व—गोरखपुर पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम		चुनाव क्षेत्र	दल
३६७	रामशेषय्या, एन०	.	पार्वतीपुरम् (आन्ध्र)	स्वतन्त्र
३६८	राम सुभग सिंह	.	शाहाबाद दक्षिण (बिहार)	कांग्रेस
३६९	रामस्वामी, एम० डी०	.	अरुप्पुक्कोट्टइ (मद्रास)	फा० ब्लो०
३७०	रामस्वामी, पी०	.	महबूबनगर, अ० जा० सु० (हैदराबाद)	कांग्रेस
३७१	रामस्वामी, एस० वी०	.	सेलम (मद्रास)	कांग्रेस
३७२	रामाराव, च० वि०	.	काकिनाडा (आन्ध्र)	क० पा० इ०
३७३	राय, पतिराम	.	बशीरहाट, अ० जा० सु० (पश्चिम बंगाल)	कांग्रेस
३७४	राय, विश्वनाथ	.	देवरिया, पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
३७५	राय, सत्यवान	.	डलुबरिया (पश्चिम बंगाल)	कांग्रेस
३७६	रायजी, श्रीमती जयश्री	.	बम्बई उपनगर (बम्बई)	कांग्रेस
३७७	राव, कौदू सुब्बा	.	एलुरू, अ० जा० सु० (आन्ध्र)	क० पा० इ०
३७८	राव, कादियाला गोपाल	.	गुड़िवाड़ा (आन्ध्र)	क० पा० इ०
३७९	राव, पैड्याल राघव	.	वारंगल (हैदराबाद)	पी० डै० फ०
३८०	राव, पी० सुब्बा	.	नौरंगपुर (उडीसा)	ग० पा०
३८१	राव, बी० शिवा	.	दक्षिण कनारा—दक्षिण (मद्रास)	कांग्रेस
३८२	राव, कैनेटी मोहन	.	राजामद्री, अ० जा० सु० (आन्ध्र)	क० पा० इ०
३८३	राव, राजगोपाल वी०	.	श्रीकाकुलम् (आंध्र)	स्वतन्त्र
३८४	राव, टी० बी० विट्ठल	.	खम्मम (हैदराबाद)	पी० डै० फ०
३८५	राव, रायसम शेषगिरि	.	नन्दयाल (आन्ध्र)	कांग्रेस
३८६	रिचर्डसन, जॉन	.	अण्डमान-निकोबार द्वीप	नामजद
३८७	रिशांग किशिंग	.	बाह्य मणिपुर, अ० जा० सु० (मणिपुर)	प्र० सो० पा०
३८८	रूपनारायण	.	मिर्जापुर—वनारस पश्चिम, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
३८९	रेड्डी, रवि नारायण	.	नलगोण्डा (हैदराबाद)	पी० डै० फ०
३९०	रेड्डी, वाई, ईश्वर	.	कडप्पा (आन्ध्र)	क० पा० इ०
३९१	रेड्डी, के० जनार्दन	.	महबूबनगर (हैदराबाद)	कांग्रेस
३९२	रेड्डी, बद्दम येल्ला	.	करीमनगर (हैदराबाद)	पी० डै० फ०
३९३	रेड्डी, सी० माधव	.	आदिलाबाद (हदराबाद)	प्र० सो० पा०
३९४	रेड्डी, वी० रामचन्द्र	.	नेल्लोर (आन्ध्र)	स्वतन्त्र

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
३९५	रेड्डी, टी० एन० विश्वनाथ	चित्तूर (आन्ध्र)	कांग्रेस
३९६	लंकासुन्दरम् . .	विशाखपटनम् (आन्ध्र)	स्वतन्त्र
३९७	ललन जी . .	फैजाबाद उत्तर-पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
३९८	लक्ष्मय्या, पैडी . .	अनन्तपुर (आन्ध्र)	कांग्रेस
३९९	लाल सिंह . .	फिरोजपुर लुधियाना (पंजाब)	अकाली
४००	लाश्कर, निवारण चन्द्र .	कचार-लुशाई पहाड़ियां, अ० जा० सु० (आसाम)	स्वतन्त्र
४०१	लिंगम, एन० एम० .	कोयमुत्तूर (मद्रास)	कांग्रेस
४०२	लेसराम जोगेश्वर सिंह .	भीतरी मणिपुर (मणिपुर)	कांग्रेस
४०३	लोटन राम . .	जालौन-इटावा पश्चिम-झांसी उत्तर, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४०४	वर्मा, बुलाकी राम .	हरदोई—उत्तर-पश्चिम—फर्रुखाबाद पूर्व—शाहजहानपुर-दक्षिण (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४०५	वर्मा, बी० बी० .	चम्पारन उत्तर (बिहार) .	कांग्रेस
४०६	वर्मा, माणिक्यलाल .	टौंक (राजस्थान)	कांग्रेस
४०७	वर्मा, राम जी .	देवरिया पूर्व (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४०८	वल्लाथरास, के० एम० .	पुदुकोट्टइ (मद्रास)	प्र० सो० पा०
४०९	वाघमारे, नारायण राव .	परभनी (हैदराबाद)	पी० ब० पा०
४१०	विद्यालंकार, अमरनाथ .	जालन्धर (पंजाब)	कांग्रेस
४११	विल्सन, जे० एन० .	मिर्जापुर—बनारस पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४१२	विश्वनाथ प्रसाद .	आजमगढ़ पश्चिम, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४१३	वीरस्वामी, वी० .	मयूरम्, अ० जा० सु० (मद्रास)	स्वतन्त्र
४१४	वेंकटरामन, आर० .	तंजावूर (मद्रास)	कांग्रेस
४१५	वेलायुधन, आर० .	क्वीलौन-मावेलिक्करा, अ० जा० सु० (तिरुवांकुर-कोचीन)	स्वतन्त्र
४१६	वैद्य, मूलदास भूधरदास .	अहमदाबाद, आ० जा० सु० (बम्बई)	कांग्रेस
४१७	वैष्णव, हनुमन्तराव जी०	अम्बड़ (हैदराबाद)	कांग्रेस
४१८	वोडयार, के० जी० .	शिमोगा (मैसूर)	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
४१९	व्यास, राधेलाल	उज्जैन (मध्य भारत)	काग्रेस
४२०	शंकरपाण्डियन, एम०	शंकरनायिनार कोविल (मद्रास)	काग्रेस
४२१	शर्मा, राधाचरण	मुरैना—भिण्ड (मध्य भारत)	कांग्रेस
४२२	शर्मा, नन्द लाल	सीकर (राजस्थान)	रा० रा० प०
४२३	शर्मा, खुशीराम	मेरठ पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
४२४	शर्मा, कृष्णचन्द्र	मेरठ दक्षिण (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४२५	शर्मा, दीवान चन्द	होशियारपुर (पजाब)	काग्रेस
४२६	शर्मा, बालकृष्ण	कानपुर दक्षिण-इटावा पूर्व (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
४२७	सर्मा, देवेश्वर	गोलाघाट—जोरहाट (आसाम)	काग्रेस
४२८	शास्त्री, अलगूराय	आजमगढ पूर्व—बलिया पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
४२९	शास्त्री, भगवान दत्त	शाहडोल—सिद्धी (विन्ध्य प्रदेश)	प्र० सो० पा०
४३०	शास्त्री, रामानन्द	उन्नाव—रायबरेली पश्चिम—हरदोई दक्षिण-पूर्व, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश),	काग्रेस
४३१	शाह, रायचन्द भाई एन०	छिन्दवाडा (मध्य प्रदेश)	काग्रेस
४३२	शाह, श्रीमती कमलेन्दुमती	गढवाल पश्चिम—टेहरी गढवाल-बिजनौर (उत्तर प्रदेश)	स्वतन्त्र
४३३	शाह, चिमनलाल चाकूभाई	गोहिलवाड-सोरठ (सौराष्ट्र)	काग्रेस
४३४	शिवनजप्पा, एम० के०	मण्डया (मैसूर)	काग्रेस
४३५	शिव, एम० वी० गगाधर	चित्तूर, अ० जा० सु० (आन्ध्र)	काग्रेस
४३६	शुक्ल, भगवतीचरण	दुर्ग-बस्तर (मध्य प्रदेश)	काग्रेस
४३७	शोभा राम	अलवर (राजस्थान)	काग्रेस
४३८	संगण्णा, टी०	रायागढ़—फुलबनी, अ० ज० जा० सु० (उडीसा)	काग्रेस
४३९	सक्सेना, मोहन लाल	लखनऊ बाराबकी (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
४४०	सत्यनाथन्, एन०	धर्मपुरी (मद्रास)	स्वतन्त्र
४४१	सत्यवादी, वीरेन्द्र कुमार	करनाल, अ० जा० सु० (पजाब)	काग्रेस
४४२	सतीश चन्द्र	बरेली दक्षिण (उत्तर प्रदेश)	काग्रेस
४४३	सहगल, अमर सिह	बिलासपुर (मध्य प्रदेश)	काग्रेस
४४४	सहाय, रघुवीर	एटा उत्तर-पूर्व—बदायू पूर्व (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
४४५	सहाय, श्यामनन्दन	मुजफ्फरपुर मध्य (बिहार)	कांग्रेस
४४६	सामन्त, सतीश चन्द्र	तामलुक (पश्चिम बंगाल)	कांग्रेस
४४७	साहा, मेघनाद	कलकत्ता उत्तर-पश्चिम (पश्चिम बंगाल)	स्वतन्त्र
४४८	साहू, भागवत	बालासोर (उडीसा)	कांग्रेस
४४९	साहू, रामेश्वर	मुजफ्फरपुर-दरभंगा, अ० जा० सु० (बिहार)	कांग्रेस
४५०	सिंघल, श्रीचन्द	अलीगढ (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४५१	सिंह, अनिरुद्ध	दरभगा पूर्व (बिहार)	कांग्रेस
४५२	सिंह, आर० एन०	गाजीपुर पूर्व-बलिया दक्षिण-पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	प्र० सो० पा०
४५३	सिंह, सत्यनारायण	समस्तीपुर पूर्व (बिहार)	कांग्रेस
४५४	सिंह, युगल किशोर	मुजफ्फरपुर उत्तर—पश्चिम (बिहार)	कांग्रेस
४५५	सिंह, बनारसी प्रसाद	मुंगेर सदर—जमुई (बिहार)	कांग्रेस
४५६	सिंह, सत्येन्द्र नारायण	गया पश्चिम (बिहार)	कांग्रेस
४५७	सिंह, सिंहासन	गोरखपुर दक्षिण (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४५८	सिद्धनजप्पा, एच०	हासन—चिकमगलूर (मैसूर)	कांग्रेस
४५९	सिन्हा, अवधेश्वरप्रसाद	मुजफ्फरपुर पूर्व (बिहार)	कांग्रेस
४६०	सिन्हा, नागेश्वर प्रसाद	हजारीबाग पूर्व (बिहार)	कांग्रेस
४६१	सिन्हा, एस०	पाटलीपुत्र (बिहार)	कांग्रेस
४६२	सिन्हा, कैलाशपति	पटना मध्य (बिहार)	कांग्रेस
४६३	सिन्हा, गजेन्द्र प्रसाद	पालामऊ—हजारीबाग—राँची (बिहार)	कांग्रेस
४६४	सिन्हा, झूलन	सारन उत्तर (बिहार)	कांग्रेस
४६५	सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी	पटना पूर्व (बिहार)	कांग्रेस
४६६	सिन्हा, सत्य नारायण	सारन—पूर्व (बिहार)	कांग्रेस
४६७	सुन्दर लाल	सहारनपुर पश्चिम—मुजफ्फरनगर उत्तर, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४६८	सुब्रह्मण्यम्, कन्दाला	विजयनगरम् (आन्ध्र)	प्र० सो० पा०
४६९	सुब्रह्मण्यम्, टेकूर	बेल्लारी (मैसूर)	कांग्रेस
४७०	सुरेश चन्द्र	औरंगाबाद (हैदराबाद)	कांग्रेस
४७१	सूर्य प्रसाद	मुरैना—भिण्ड, अ० जा० सु० (मध्य भारत)	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र	दल
४७२	सेन, राजचन्द्र	कोटा-बूदी (राजस्थान)	रा० रा० प०
४७३	सेन, फणि गोपाल	पूर्णिया मध्य (बिहार)	कांग्रेस
४७४	सेन, श्रीमती सुषमा	भागलपुर दक्षिण (बिहार)	कांग्रेस
४७५	सेवल, ए० आर०	चम्बा–सिरमूर (हिमाचल प्रदेश)	स्वतन्त्र
४७६	सैयद महमूद	चम्पारन पूर्व (बिहार)	कांग्रेस
४७७	सोधिया, खूब चन्द	सागर (मध्य प्रदेश)	कांग्रेस
४७८	सोमना, एन०	कुर्ग (कुर्ग)	कांग्रेस
४७९	सोमानी, जी० डी०	नागौर—पाली (राजस्थान)	स्वतन्त्र
४८०	स्नातक, नरदेव	अलीगढ, अ० जा० सु० (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४८१	स्वामी, शिवमूर्ति	कुडतगी (हैदराबाद)	स्वतन्त्र
४८२	स्वामीनाथन्, श्रीमती अम्मू	डिण्डीगल (मद्रास)	कांग्रेस
४८३	हजारिका, जे० एन०	डिब्रूगढ (आसाम)	कांग्रेस
४८४	हरप्रसादसिंह	गाजीपुर पश्चिम (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४८५	हरिमोहन	मानभूम उत्तर, अ० जा० सु० (बिहार)	कांग्रेस
४८६	हासदा, एस०	मिदनापुर—झाडगाम अ० जा० सु० (पश्चिम बगाल)	कांग्रेस
४८७	हिफजुर्रहमान, एम०	मुरादाबाद मध्य (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४८८	हुक्मसिंह	कपूरथला—भटिण्डा (पेप्सू)	अकाली
४८९	हेडा, एच० मी०	निजामाबाद (हैदराबाद)	कांग्रेस
४९०	हेमब्रोम, लाल	सन्थाल परगना—हजारीबाग, अ० ज० जा० सु० (बिहार)	कांग्रेस
४९१	हेमराज	कागडा (पजाब)	कांग्रेस
४९२	हैदर हुमैन, चौधरी	गोण्डा उत्तर (उत्तर प्रदेश)	कांग्रेस
४९३	रिक्त	पूर्णिया—सन्थाल परगना, अ० ज० जा० सु० (बिहार)	
४९४	रिक्त	श्री विल्लीपुत्तुर (मद्रास)	
४९५	रिक्त	कानपुर मध्य (उत्तर प्रदेश)	
४९६	रिक्त	गोरखपुर उत्तर (उत्तर प्रदेश)	
४९७	रिक्त	बहराइच पूर्व (उत्तर प्रदेश)	
४९८	रिक्त	लखनऊ मध्य (उत्तर प्रदेश)	
४९९	रिक्त	हाथरसगाबाद (मध्य प्रदेश)	

राज्य सभा

सभापतिः एस० राधाकृष्णन्

उपसभापतिः एस० वी० कृष्णमूर्ति

राज्य सभा के सदस्य

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	राज्य	दल
१	अग्रवाल, बेणी प्रसाद	पश्चिम बंगाल	काग्रेस
२	अग्रवाल, अमरनाथ	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
३	अग्रवाल, जगन्नाथ प्रसाद	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
४	अग्रवाल, आर० जी०	बिहार	कांग्रेस
५	अग्निभोज, रामेश्वर उमराव	मध्य प्रदेश	कांग्रेस
६	अख्तर हुसैन	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
७	अनूप सिह	पजाब	कांग्रेस
८	अब्दुल रज्ञाक़, ए०	तिरुवाकुर-कोचीन	ति० त० का०
९	अम्बेदकर, बी० आर०	बम्बई	शै० का० फै०
१०	अमोलक चन्द	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
११	अन्वा, श्रीमती वायलेट	बम्बई	कांग्रेस
१२	अहमद हुसैन	बिहार	काग्रेस
१३	अहमद, फ़खरुद्दीन अली	आसाम	काग्रेस
१४	अहमद, गुलशेर	विन्ध्य प्रदेश	कांग्रेस
१५	आबिद अली	बम्बई	कांग्रेस
१६	आदित्येन्द्र	राजस्थान	काग्रेस
१७	इतालिया, दिनशा, डी०	हैदराबाद	कांग्रेस
१८	इन्द्र विद्यावाचस्पति	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
१९	इस्माइल, एम० मुहम्मद	मद्रास	मु० ली०
२०	उबैदुल्ला, वी० एम०	मद्रास	काग्रेस
२१	ऐजाज रसूल, बेगम	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
२२	ओकार नाथ	दिल्ली	काग्रेस
२३	कमलास्वामी, टी० वी०	मद्रास	स्वतन्त्र
२४	कपूर, जसपत राय	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
२५	कपूर, पृथ्वी राज	राष्ट्रपति द्वारा नामज़द	स्वतन्त्र
२६	करयालर, एस० चट्टनाथ	तिरुवाकुर-कोचीन	काग्रेस
२७	करीमुद्दीन	मध्य भारत	प्र० सो० पा०

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	राज्य	दल
२८	करुम्बाया, के० सी०	अजमेर और कुर्ग	कांग्रेस
२९	काणे, पी० वी०	राष्ट्रपति द्वारा नामजद	स्वतन्त्र
३०	कालेलकर, काका साहब	राष्ट्रपति द्वारा नामजद	कांग्रेस
३१	किशन चन्द	हैदराबाद	प्र० सो० पा०
३२	किशोरी राम	बिहार	काग्रेस
३३	कुजरू, हृदयनाथ	उत्तर प्रदेश	स्वतन्त्र
३४	केशवानन्द	राजस्थान	काग्रेस
३५	कौशल, जगन्नाथ	पेप्सू	काग्रेस
३६	कृष्णन्, श्रीमती पार्वती	मद्रास	स्वतन्त्र
३७	कृष्ण कुमारी, श्रीमती	विन्ध्य प्रदेश	काग्रेस
३८	खाँ, अब्दुर रज्जाक	पश्चिमी बगाल	—
३९	खाँ, अहमद सैयद	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
४०	खाँ, अकबर अली	हैदराबाद	काग्रेस
४१	खाँ, पीर मुहम्मद	जम्मू और कश्मीर	काग्रेस
४२	खाँ, बरकतउल्ला	राजस्थान	काग्रेस
४३	गालिब, शेख	आन्ध्र	काग्रेस
४४	गिल्डर, एम० डी० डी०	बम्बई	काग्रेस
४५	गुप्त, भूपेश	पश्चिम बगाल	क० पा० इ०
४६	गुप्त, आर० सी०	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
४७	गुप्ते, भालचन्द्र एम०	बम्बई	कांग्रेस
४८	गुरुमूर्ति, वी० वी०	हैदराबाद	काग्रेस
४९	गोपाल, बी० जी०	बिहार	काग्रेस
५०	गौड, राजबहादुर	हैदराबाद	पी० डी० फ०
५१	घोष, विमलचन्द्र	पश्चिम बंगाल	प्र० सो० पा०
५२	चतुर्वेदी, बनारसीदास	विन्ध्य प्रदेश	काग्रेस
५३	चन्द्रावती, श्रीमती लखनपाल	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
५४	चमनलाल	पजाब	काग्रेस
५५	चौहान, नवाब सिंह	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
५६	जफर इमाम	बिहार	काग्रेस
५७	जलाली, आगा सैयद मुहम्मद	जम्मू और कश्मीर	काग्रेस
५८	जाकिर हुसैन	राष्ट्रपति द्वारा नामजद	स्वतन्त्र
५९	जैन, श्रीयास प्रसाद	बम्बई	काग्रेस
६०	टण्डा, रामप्रसाद	उत्तर प्रदेश	काग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	राज्य	दल
६१	ठाकुर दास	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
६२	डागा, नारायण दास	हैदराबाद	कांग्रेस
६३	डांगे, आर० बिट्ठल राव	मध्य प्रदेश	कांग्रेस
६४	ढिल्लों, गुराज सिंह	पंजाब	अकाली
६५	तजम्मुल हुसेन	बिहार	काग्रेस
६६	तन्खा, श्याम सुन्दर नारायण	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
६७	तय्यबुल्ला, एम०	आसाम	कांग्रेस
६८	थन्हिलिरा, आर०	आसाम	काग्रेस
६९	दत्त, त्रिलोचन	जम्मू और कश्मीर	—
७०	दत्त, नलिनाक्ष	पश्चिम बंगाल	कांग्रेस
७१	दवे, सोमनाथ, पी०	बम्बई	काग्रेस
७२	दास, विश्वनाथ	उडीसा	काग्रेस
७३	दास, जगन्नाथ	उडीसा	काग्रेस
७४	दासप्पा, एच० सी०	मैसूर	काग्रेस
७५	दिनकर, रामधारी सिंह	बिहार	काग्रेस
७६	द्विवेदी, सुरेन्द्रनाथ	उडीसा	प्र० सो० पा०
७७	दुबे, बोधराम	उडीसा	काग्रेस
७८	दुबे, आर० पी०	मध्य प्रदेश	कांग्रेस
७९	दुग्गड़, राजपाल सिह	पश्चिम बगाल	काग्रेस
८०	देवगिरिकर, टी० आर०	बम्बई	काग्रेस
८१	देशमख, नरसिहराव, बी०-	हैदराबाद	पी० व० पा०
८२	देशमुख, रामराव, एम०	मध्य प्रदेश	कांग्रेस
८३	दोषी, लालचन्द हीराचन्द	बम्बई	काग्रेस
८४	धगे, वेंकट कृष्ण	हैदराबाद	पी० डे० फ०
८५	धर्मदास, ए०	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
८६	नरसिहम्, के० एस०	मद्रास	क० पा०
८७	नरेन्द्र देव	उत्तर प्रदेश	प्र० सो० पा०
८८	नागोके, ऊधम सिह	पंजाब	काग्रेस
८९	नायडू, पी० एस० राजगोपाल	मद्रास	स्वतन्त्र
९०	नारायण, देवकीनन्दन,	बम्बई	कांग्रेस
९१	निहालसिह, एम० एच० एस०	पजाब	काग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	राज्य	दल
९२	नौशेर अली	पश्चिम बंगाल	कांग्रेस
९३	पट्टाभिरामन्, टी० एस०	मद्रास	कांग्रेस
९४	परमानन्द, श्रीमती सीता	मध्य प्रदेश	काग्रेस
९५	पवार, धैर्यशीलराव बाई०	बम्बई	कांग्रेस
९६	प्रसाद, भैरों	भोपाल	कांग्रेस
९७	प्रसादराव, एन० डी० एम०	आन्ध्र	—
९८	पजहन्नारी, रघुवीर सिंह	पेप्सू	कांग्रेस
९९	पाण्डे, तारकेश्वर	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
१००	पाणिग्रही, स्वप्नानन्द	उडीसा	कांग्रेस
१०१	पारीख, चन्दूलाल, पी०	बम्बई	काग्रेस
१०२	पिल्ले, सी० नारायण	तिरुवाकुर-कोचीन	कांग्रेस
१०३	पुस्तके, त्रिम्बा दामोदर	मध्य भारत	काग्रेस
१०४	पुष्पलतादास, श्रीमती	आसाम	काग्रेस
१०५	फारूकी, मुहम्मद	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
१०६	फेरूमन, दर्शन सिह	पंजाब	काग्रेस
१०७	बरगोहाइन, श्रीमती वेदवती	आसाम	काग्रेस
१०८	बसवापुन्नय्या, मक्किनेनि	आन्ध्र	क० पा० इ०
१०९	बारलिगे, वामन शिवदास	मध्य प्रदेश	काग्रेस
११०	बिष्ट, जसोदसिंह	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
१११	बिस्वास, सी० सी०	पश्चिम बगाल	काग्रेस
११२	विश्वासराय, राधाकृष्णन्	उड़ीसा	—
११३	बीड, इन्द्र भूषण	पश्चिम बंगाल	काग्रेस
११४	बुद्ध सिह	जम्मू और कश्मीर	काग्रेस
११५	बोदरा, थियोडर	बिहार	झारखण्ड
११६	बनर्जी, सत्यप्रिय	पश्चिम बंगाल	फा० ब्लो०
११७	बोस, सत्येन्द्र नाथ	राष्ट्रपति द्वारा नामजद	स्वतन्त्र
११८	भट्ट, नाना भाई	सौराष्ट्र	काग्रेस
११९	भंजदेव, प्रफुल्लचन्द्र	उडीसा	ग० प०
१२०	भारती, श्रीमती के०	तिरुवाकुर-कोचीन	कांग्रेस
१२१	मजहर इमाम	बिहार	कांग्रेस
१२२	मजुमदार, सत्येन्द्र नारायण	पश्चिम बंगाल	क० पा० इ०
१२३	मजुमदार, एम० आर०	मध्य प्रदेश	कांग्रेस
१२४	मजुमदार, सुरेशचन्द्र	पश्चिम बंगाल	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	राज्य	दल
१२६	मेहता, श्रीनारायण	बिहार	कांग्रेस
१२७	महन्ती, सुरेन्द्र	उड़ीसा	ग० प०
१२८	महेश शरण	बिहार	कांग्रेस
१२९	माथुर, हरिश्चन्द्र	राजस्थान	स्वतन्त्र
१३०	माधवन् नायर, के० पी०	तिरुवाकुर-कोचीन	कांग्रेस
१३१	मान, जोगेन्द्र सिंह	पेप्सू	यु० फ्रं०
१३२	माया देवी, श्रीमती छेत्री	पश्चिम बंगाल	कांग्रेस
१३३	मालवीय, आर० के०	मध्य प्रदेश	कांग्रेस
१३४	मित्र, पूर्णचन्द्र	बिहार	कांग्रेस
१३५	मित्र, श्याम धर	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
१३६	मुखर्जी, राधाकुमुद	राष्ट्रपति द्वारा नामजद	कांग्रेस
१३७	मुखर्जी, बी० के०	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
१३८	मुदलियार, ए० रामास्वामी	मद्रास	स्वतन्त्र
१३९	मुरारीलाल	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
१४०	मेनन, के० माधव	मद्रास	कांग्रेस
१४१	मेनन, वी० के० कृष्ण	मद्रास	कांग्रेस
१४२	मेहता, जी० बी०	मध्य प्रदेश	कांग्रेस
१४३	मैथिली शरण गुप्त	राष्ट्रपति द्वारा नामजद	स्वतन्त्र
१४४	रघुवीर	मध्य प्रदेश	कांग्रेस
१४५	रघुवीर सिंह	मध्य भारत	कांग्रेस
१४६	रफीक मुहम्मद	आसाम	यु० अ० ब्ला०
१४७	रंगा, एन० जी०	आन्ध्र	कृ० लो० पा०
१४८	राउत, आर, बी०	बम्बई	पी० व० पा०
१४९	राजगोपालन्, जी०	मद्रास	कांग्रेस
१५०	राजा, एच० डी०	मद्रास	स्वतन्त्र
१५१	राजू, ए० एस०	आन्ध्र	कांग्रेस
१५२	राव, राघवेन्द्र	हैदराबाद	कांग्रेस
१५३	राव०, एस० वी० कृष्णमूर्ति	मैसूर	कांग्रेस
१५४	राव, टी० भास्कर	मद्रास	स्वतन्त्र
१५५	राव, वी० प्रसाद	हैदराबाद	शे० का० फै०
१५६	राय, सत्येन्द्र प्रसाद	पश्चिम बंगाल	कांग्रेस
१५७	रुक्मिणी देवी, श्रीमती ए०	राष्ट्रपति द्वारा नामजद	स्वतन्त्र
१५८	रेड्डी, ए० बालारामी	आन्ध्र	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	राज्य	दल
१५९	रेड्डी एम० गोविन्द	मैसूर	कांग्रेस
१६०	रेड्डी, एस० चन्ना	हैदराबाद	कांग्रेस
१६१	रेड्डी, के० सी०	मैसूर	कांग्रेस
१६२	लक्ष्मण सिंह जी	राजस्थान	स्वतन्त्र
१६३	लक्ष्मी, श्रीमती एन० मेनन	बिहार	कांग्रेस
१६४	लाखमशी, लावजी	कच्छ	कांग्रेस
१६५	लाल, कैलाशबिहारी	बिहार	कांग्रेस
१६६	लियूबा, प्रेमजी ठोभनभाई	बम्बई	कांग्रेस
१६७	लीलावती श्रीमती मुन्शी,	बम्बई	कांग्रेस
१६८	व्यास, कृष्णकान्त	मध्य भारत	कांग्रेस
१६९	वर्मा, सी० एल०	हिमाचल प्रदेश	कांग्रेस
१७०	वरियावा, डी० एम०	सौराष्ट्र	कांग्रेस
१७१	वल्लभराव, जे० वी० के०	आन्ध्र	—
१७२	वलीउल्ला, मुहम्मद	मैसूर	कांग्रेस
१७३	वाडिया, ए० आर०	राष्ट्रपति द्वारा नामजद	स्वतन्त्र
१७४	विजयवर्गीय, गोपीकृष्ण	मध्य भारत	कांग्रेस
१७५	विजया, राजे कुवरानी	बिहार	जनता पार्टी
१७६	वेंकटनारायण, पी०	आन्ध्र	प्र० सो० पा०
१७७	वेंकटरामन्, एस०	मद्रास	कांग्रेस
१७८	वेंकटरामन, वी०	आन्ध्र	—
१७९	वैद्य, कन्हैया लाल डी०	मध्य भारत	कांग्रेस
१८०	शम्भूप्रसाद, एम०	आन्ध्र	कांग्रेस
१८१	शर्मा, ब्रजबिहारी	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
१८२	शारदा, श्रीमती भार्गव	राजस्थान	कांग्रेस
१८३	शास्त्री, लाल बहादुर	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
१८४	शाह, भोगीलाल मगनलाल	सौराष्ट्र	कांग्रेस
१८५	शाह, मणिलाल चतुर भाई	बम्बई	कांग्रेस
१८६	श्रीमाली, के० एल०	राजस्थान	कांग्रेस
१८७	शेखर, एन० मी०	तिरुवाकुर-कोचीन	यू० फ्रं० लै०
१८८	शेट्टी, वी० पी० बासप्पा	मैसूर	कांग्रेस
१८९	सक्सेना, हर प्रसाद	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
१९०	सत्यनारायण, एम०	राष्ट्रपति द्वारा नामजद	कांग्रेस
१९१	सरवते, वी० एस०	मध्य भारत	कांग्रेस

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	राज्य	दल
१९२	सावित्री देवी, श्रीमती निगम	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
१९३	सिह, अवधेश प्रताप	विन्ध्य प्रदेश	कांग्रेस
१९४	सिह, भानु प्रताप	मध्य प्रदेश	कांग्रेस
१९५	सिह, गोपीनाथ	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
१९६	सिह, कामेश्वर	बिहार	स्वतन्त्र
१९७	सिह, एन० तम्पोक	मणिपुर और त्रिपुरा	काग्रेस
१९८	सिह, रामकृपाल	उत्तर प्रदेश	कांग्रेस
१९९	सिंह, सरदार	राजस्थान	संयुक्त दल
२००	सिह, स्वर्ण	पजाव	कांग्रेस
२०१	सिह, विजय	राजस्थान	काग्रेस
२०२	सिह, ब्रजकिशोर प्रसाद	बिहार	काग्रेस
२०३	सिह, महेश्वर प्रसाद नारायण	बिहार	प्र० सो० पा०
२०४	सिह, राजेन्द्र प्रताप	बिहार	स्वतन्त्र
२०५	सिह, राजेश्वर प्रसाद नारायण	बिहार	काग्रेस
२०६	सिह, राम बहादुर	बिहार	काग्रेस
२०७	सुन्दरैया, पी०	आन्ध्र	क० पा०
२०८	सुब्बारायन, पी०	मद्रास	काग्रेस
२०९	सुमन प्रसाद	उत्तर प्रदेश	काग्रेस
२१०	सुरेन्द्र राम, वी० एम०	मद्रास	काग्रेस
२११	सूर्य नारायण	आन्ध्र	प्र० सो० पा०
२१२	सोखे, साहिबसिह	राष्ट्रपति द्वारा नामजद	स्वतन्त्र
२१३	हार्डिकर, एन० एम०	बम्बई	काग्रेस
२१४	हसराज	पंजाब	काग्रेस
२१५	हाथी, जयसुख लाल	सौराष्ट्र	काग्रेस
२१६	हैगडे, के० एस०	मद्रास	काग्रेस
२१७	हेन्समैन, श्रीमती मोना	मद्रास	काग्रेस
२१८	हेमराज, सुन्दर मोहन	उडीसा	काग्रेस
२१९	रिक्त	उत्तर प्रदेश	

छठा अध्याय

न्याय विभाग

२६ जनवरी, १९५० को भारत मे नया सविधान जारी हुआ था, परन्तु देश के न्याय विभाग मे उससे कोई विशेष परिवर्तन नही आया। संविधान के अनुच्छेद ३७२ मे यह कहा गया है कि यह संविधान जारी होने के दिन तक भारत मे जो कानून चल रहे है, उनमे से 'भारत सरकार कानून १९३५' तथा 'भारतीय स्वाधीनता कानून १९४७' के अतिरिक्त शेष सब कानून उसी तरह जारी रहेगे, जब तक कि अधिकारप्राप्त व्यवस्था द्वारा उनमे परिवर्तन या सुधार न कर दिया जाये। वर्तमान कानूनो को सविधान के अनुकूल बनाने के लिये उनमे आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। इस तरह भारत मे न्याय सम्बन्धी कानून लगभग उसी तरह जारी है, जिस तरह वे स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर थे।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सविधान के अनुच्छेद १२४ मे कहा गया है कि देश मे एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमे एक मुख्य न्यायाधिपति और ७ न्यायाधीश रहेगे। ससद् इस संख्या को बढा भी सकती है। इस समय सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य इस प्रकार है.

मुख्य न्यायाधिपति	नियुक्ति की तिथि
विजनकुमार मुखर्जी	२३ दिसम्बर, १९५४
न्यायाधीश	
१. सुधी रजन दास	२० जनवरी, १९५०
२. विवियन बोस	३ मार्च, १९५१
३ एन० एच० भगवती	८ सितम्बर, १९५२
४ बी० जगन्नाथ दास	९ मार्च, १९५३
५ टी० एल० वेंकटराम अय्यर	४ जनवरी, १९५४
६ बी० पी० सिन्हा	३ दिसम्बर, १९५४
७. सैयद जफर इमाम	७ जनवरी, १९५५

न्यायाधिकार क्षेत्र

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे नये मुकदमे सुनना तथा अपीलें सुनना दोनों है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच के झगडे अथवा राज्यों के पारस्परिक झगडे सर्वोच्च न्यायालय के सामने आते है। कानून की व्याख्या के सम्बन्ध मे हाईकोर्टों द्वारा दिये गये सभी निर्णयो के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय मे अपील की जा सकती है। दीवानी और फौजदारी के मामलों मे सर्वोच्च न्यायालय को वही अधिकार प्राप्त है, जो १९४७ तक प्रीवी कौसिल को थे। इसके अतिरिक्त

नागरिकों के मौलिक अधिकारो को अक्षुण्ण रखने के सम्बन्ध मे सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्राप्त है। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा निर्णयार्थ प्रेषित विषयों पर इस न्यायालय से सलाह भी मांगी जा सकती है।

१९३५ के कानून के अनुसार, उस जमाने के प्रस्तावित फैडरल कोर्ट मे कानून सम्बन्धी केवल वे ही मामले पेश किये जा सकते थे, जिनके सम्बन्ध में हाईकोर्ट अपना निर्णय दे चुका हो और हाईकोर्ट ने यह भी कहा हो कि उसका सम्बन्ध संविधान की व्याख्या से है। परन्तु नये संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मे वे मामले भी पेश किये जा सकते है जिनके सम्बन्ध मे हाईकोर्ट ने इस तरह की कोई बात नही कही हो। वे आर्थिक मामले भी सर्वोच्च न्यायालय मे पेश हो सकते है, जिनमे २० हजार रुपयों से अधिक की राशि का निर्णय होना हो। इससे पहले प्रीवी कौंसिल के सामने कम से कम १०,००० रुपये की धनराशि के सम्बन्ध में अपील हो सकती थी।

फौजदारी के मुकदमो मे से वे मामले सर्वोच्च न्यायालय मे पेश हो सकते है, जिनके सम्बन्ध मे हाईकोर्ट ने (क) निचले न्यायालय मे अभियुक्त की रिहाई के निर्णय के प्रतिकूल मौत की सजा दे दी हो (ख) अपने से निम्न कोटि के किसी न्यायालय से किसी मुकदमे को अपने हाथ मे ले लिया हो और उस मुकदमे मे अभियुक्त को मौत की सजा दी हो या (ग) यह प्रमाणित किया गया हो कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय मे अपील के लिये उपयुक्त है (अनुच्छेद १३४)। समद् को यह अधिकार भी प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और भी बढा कर उसे यह अधिकार दे दे कि वह भारत के किसी हाईकोर्ट द्वारा फौजदारी मामले मे दिये हुए निर्णय, अन्तिम आज्ञा या सजा के सम्बन्ध मे अर्जी प्राप्त करे तथा सुने।

अन्य अधिकार

अनुच्छेद ३२ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को नागरिको के मौलिक अधिकारो की रक्षा के लिये कई विशेष अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार हाईकोर्टों को भी है।

अनुच्छेद १४५ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपने लिये कार्यपद्धति के नियमोपनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। संविधान सम्बन्धी मामलो मे, जो सर्वोच्च न्यायालयो की डिवीजन बचो के सन्मुख पेश होंगे, कम से कम ५ जज अवश्य होंगे। अगर जजो मे मतभेद होगा, तो बहुमत की राय मानी जायेगी, परन्तु मतभेद रखने वाले जजो को यह अधिकार होगा कि वे अपने मतभेद को कारण सहित अंकित कर दे।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले

आलोच्य समय मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधानिक मामलो मे दिये गये फैसलो में महत्त्वपूर्ण निर्णय अनुच्छेद १४ (कानून के सन्मुख समानता) अनुच्छेद १९ (व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार) और अनुच्छेद ३१ (सार्वजनिक कार्यो के लिये सम्पत्ति को अनिवार्य रूप से अधिकार मे लेना) की व्याख्या के सम्बन्ध में है।

पहला मुकदमा "हरनाम सिंह तथा अन्य बनाम आंवलिक परिवहन अधिकारी कलकत्ता तथा अन्य" सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक सिविल अपील के रूप मे पेश हुआ। इसका सम्बन्ध छोटी टैक्सियो के लिये परमिट जारी करने तथा उनके लिये कर की दर कम निश्चित करने से

था। इसमे वैधानिक प्रश्न यह था कि क्या ऐसा करने से, उन व्यक्तियों के जिन्हें परमिट पहले से ही प्राप्त है, अपने व्यवसाय को चलाने के मौलिक अधिकारों का हनन तथा सविधान के अनुच्छेद १९ और १४ द्वारा दी गई कानून के प्रति समान सुरक्षा का व्याघात होता है या नहा ? न्यायालय ने अपने निर्णय मे कहा. (१) छोटी टैक्सियो के उपयोग की बात तथा उनके लिये कर की दर का कम होना उचित वर्गीकरण पर आधारित है और यह सविधान के १९वें अनुच्छेद के विपरीत नही है, (२) क्योकि बडी टैक्सियों के लिये परमिट रखने वाले व्यक्तियों को अपना व्यवसाय तथा टैक्सियाँ चलाने से रोका नही गया, इसलिए संविधान के अनुच्छेद १९(१) (जी) का उल्लंघन नही होता।

सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण

१९ अक्तूबर, १९५४ को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एकमत से दिये गये निर्णय मे उत्तर-प्रदेश के १९५१ के सड़क परिवहन विधि को—जिसके द्वारा राज्य सरकार को अपने प्रदेश में सडक यातायात पर एकाधिकार मिल जाता—संविधान का विरोधी और अनुच्छेद १९(१) (जी) तथा ३१(२) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारो पर व्याघात करने वाला घोषित किया।

न्यूनतम मजदूरी कानून

सविधान के अनुच्छेद १९(१)(जी) की व्याख्या के विषय मे इस न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य निर्णय भी है। यह एक अपील के सम्बन्ध मे था जिसमे १९४८ के न्यूनतम मजदूरी कानून की प्रामाणिकता पर आक्षेप किया गया था। इस कानून के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के धन्धो के लिये न्यूनतम वेतन की दरे निर्धारित करना जरूरी था। प्रार्थियो का कहना यह था कि न्यूनतम मजदूरी कानून नियोक्ताओ के अधिकारो पर एक दृष्टि मे अनुचित पाबन्दियाँ लगा देता है क्योकि इसके अनुसार जब तक नियोक्ता न्यूनतम मजदूरी देने को उद्यत न हो उसे व्यवसाय या व्यापार करने की मुमानियत है। नियोक्ता के अधिकार इस दृष्टि से भी सीमित हो जाते है कि वह अपने और मजदूरो के बीच मे तय हुई शर्तो पर किसी व्यापार या उद्योग मे कार्य करने मे अयोग्य बना दिया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद १९(१) (जी) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारो पर व्याघात होता है।

माननीय न्यायाधीशो के सर्वसम्मति से किये गये निर्णय को श्री बी० के० मुखर्जी ने पढ कर सुनाया। इसमे कहा गया था कि यद्यपि कानून द्वारा लगायी जाने वाली पाबन्दियाँ १९(१) (जी) अनुच्छेद द्वारा सुरक्षित पेशे, व्यवसाय या व्यापार की स्वतन्त्रता मे कुछ हद तक बाधक अवश्य है किन्तु फिर भी "वे न्यायोचित है और उन्हे आम जनता के हित मे लगाया गया है" और ये सविधान के १९वे अनुच्छेद की ७वी धारा के द्वारा रक्षित है।

नागरिकों के सम्पत्ति विषयक अधिकार

दो अन्य मामले, जिन पर दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का सम्बन्ध सविधान के अनुच्छेद १९ (१) (एफ) और अनुच्छेद ३१ की १ और २ धाराओं के क्षेत्र से है ये है (१) पश्चिम बगाल सरकार बनाम सुबोध गोपाल बोस तथा अन्य ; (२) बम्बई निवासी द्वारिका दास श्रीवास्तव बनाम दी शोलापुर वीविंग एन्ड स्पिनिग कं० लिमि० तथा अन्य[1]।

---

[1] मुकदमों की विस्तृत रिपोर्ट के लिये सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट, १९५४, भाग ५, विभाग ५–६, जून-जुलाई, १९५४ देखे।

अनुच्छेद १९ (१) (एफ) के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री पतंजलि शास्त्री ने कहा कि इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "होल्ड" शब्द का तात्पर्य स्वामित्व रखने से है और उपधारा (एफ) के अनुसार भारत के नागरिकों को सम्पत्ति के उपार्जन का, उस पर स्वामित्व रखने का तथा उसके उत्सर्जन का अधिकार प्राप्त है। मुख्य न्यायाधीश ने आगे चल कर यह भी कहा कि इस अनुच्छेद का सम्बन्ध भारत के नागरिको के सम्पत्ति को अर्जित करने और उस पर स्वामित्व बनाये रखने के मौलिक अधिकारो से नही है। इन मौलिक अधिकारों का वर्णन सविधान के ३१ वे अनुच्छेद मे है, जो राज्य द्वारा स्वामी की अनुमति के बिना सम्पत्ति को ले लेने के अधिकार को सीमित करके, नागरिकों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करता है। ३१ वे अनुच्छेद की १ ली और २री धाराएँ अपने क्षेत्र और विषय मे परस्पर अपवर्जी नही हं, किन्तु उन्हे एक ही विषय से सम्बद्ध समझा और पढा जाना चाहिए।

न्यायाधीश एस० आर० दास के अनुसार अनुच्छेद १९(१)(एफ) और अनुच्छेद ३१ का परस्पर सम्बन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद ३१ के अनुसार अनिवार्य रूप मे सम्पत्ति के प्राप्त कर लिये जाने के कारण उसे खो देता है, तो उसका वह सम्पत्ति सधारण का अधिकार समाप्त हो जाता है और वह यह शिकायत नही कर सकता कि अनुच्छेद १९(१) (एफ) के अनुसार उसे मिले हुए मौलिक अधिकार का व्याघात हुआ है। अनुच्छेद १९ (१) मे गिनाये हुए अधिकार अवस्थित रहते है और उन्हे प्रयुक्त करने की नागरिक की कानूनी योग्यता विद्यमान रहती है। इस विचार को और अधिक स्पष्ट करते हुए न्यायाधीश दास ने कहा कि ३१वे अनुच्छेद की धारा (१) और (२) का ठीक-ठीक क्षेत्र और प्रभाव यह है कि धारा (१) 'पुलिस अधिकार' द्वारा सम्पत्ति के ले लिये जाने मे सम्बद्ध है और उसमे उन पाबन्दियो के स्वरूप के विषय मे बताया गया जिन्हे सविधान के निर्माताओ ने उस अधिकार पर लगाना उचित समझा; धारा (२) का सम्बन्ध विशिष्ट क्षेत्र विषयक अधिकारो के प्रयोग से और उस पर लगी हुई पाबन्दियो से है। राज्य के 'विशिष्ट क्षेत्र' सम्बन्धी अधिकारों के मुकाबले मे ये मर्यादाएँ ही नागरिको के मौलिक अधिकार हैं।

शोलापुर मिल्स का मुकदमा

शोलापुर मिल्स के मुकदमे के कारण सविधान के ३१वे अनुच्छेद की धारा (२) पर फिर से विचार का अवसर आया। इस मामले मे सर्वोच्च न्यायालय ने बम्बई के उच्च न्यायालय के निर्णय को बदल दिया। न्यायालय के विचार के लिये मुख्य प्रश्न ये थे: क्या उस अध्यादेश की धाराएं, जिसके अनुसार बम्बई सरकार ने शोलापुर मिल्स का प्रबन्ध अपने अधिकार मे ले लिया था, सविधान के ३१वे अनुच्छेद की धारा (२) के विपरीत है? और क्या वह सारा ही अध्यादेश या उसकी कुछ धाराए सविधान के १४ वे और १९ वें अनुच्छेद का उल्लंघन करती है? इस अध्यादेश को लागू करके बम्बई सरकार ने केवल कम्पनी के कार्यकलापों पर निगरानी रखने का काम ही अपने हाथ मे लिया है—अटर्नी जनरल के इस विचार को न्यायालय ने नही माना। न्यायाधीश महाजन के विचार मे, जिसके साथ अन्य न्यायाधीश भी सहमत थे, इस विरोधी कानून ने 'समुचित सामाजिक नियंत्रण के नियम की सीमा का अतिक्रमण किया है तथा संविधान के ३१(२) अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कम्पनी के अधिकारों का हनन किया ह।'

बम्बई के स्कूल का मुकदमा

न्यायालय के सामने विचार के लिये उपस्थित एक महत्त्वपूर्ण मुकदमे का सम्बन्ध अनुच्छेद २९(२)—जिसमे धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव किये बिना राज्य के प्रबन्ध में चलने वाली संस्थाओं मे प्रवेश के अधिकार की व्यवस्था है—तथा अनुच्छेद ३३७ से था, जिसमे ऐंग्लो इण्डियन सम्प्रदाय के लोगों के लाभ के लिये शिक्षा विषयक अनुदानों की विशेष व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय ने बम्बई के उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध की गई बम्बई राज्य की तीनों अपीलों को खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने अपने निर्णय मे राज्य सरकार के परिपत्र को—जिसके द्वारा ऐंग्लो इण्डियन स्कूलों मे, जो अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा देते है, गैर-ऐंग्लो इण्डियन छात्रो अथवा एशियाई उद्भव वाले छात्रो का प्रवेश निषिद्ध है—अनुचित तथा सविधान के उपर्युक्त अनुच्छेदो का विरोधी बताया।

उच्च न्यायालय

राज्यो मे न्याय के लिये सब से उच्च अदालत उच्च-न्यायालय (हाई कोर्ट) है। वर्तमान समय मे 'क' और 'ख' भागों के राज्यो में कुल १८ उच्च न्यायालय है।

लगभग ७५ वर्षो तक इनमे से कुछ न्यायालय देश के सर्वोच्च न्यायालय बने रहे। प्रिवी कौसिल इस देश से बहुत दूर थी, इसलिये उसका शासन सम्बन्धी नियंत्रण उच्च न्यायालयों पर नही रह सकता था। नये संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार स्वभावतः अधिक है। उसके अपील सम्बन्धी अधिकार भी प्रिवी कौसिल की अपेक्षा विस्तृत है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के व्यवस्था सम्बन्धी मामलों में अब भी हस्तक्षेप नही कर सकता। यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, जो उच्च न्यायालय के जजो की नियुक्ति करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायाधिपति से भी राय लेता है।

उच्च न्यायालयो के जजो की संख्या का निर्णय राष्ट्रपति विभिन्न राज्यो की आवश्यकताओ को देखकर करता है।

उच्च न्यायालयों की स्वाधीनता

साधारणतः उच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र अपने राज्यों तक ही सीमित है। राज्य के विधान मण्डलो को यह अधिकार प्राप्त नही है कि वे उच्च न्यायालय के विधान या सगठन में कोई परिवर्तन कर सकें। यह अधिकार संसद् को है। इसी तरह उच्च न्यायालय के किसी जज को हटाने का अधिकार भी संसद् को ही है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को हटाने के सम्बन्ध में जो कानून है, उसी के अनुसार उच्च न्यायालय के जजों को हटाया जा सकता है (अनुच्छेद १२४, धारा ४ और ५)

अधिकार तथा कार्य

संविधान में उच्च न्यायालयों के कार्य तथा अधिकार में विशेष परिवर्तन नही किया गया। भारत में ये उच्च न्यायालय रायल लैटर्स पेटेण्ट के अनुसार जारी किये गये थे।

उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी अदालतों और न्यायमण्डलों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। वह इन न्यायालयों के सभी कार्यों, गतिविधि, हिसाब-किताब तथा कार्य पद्धति के सम्बन्ध में नियम बना सकता है तथा देखरेख रख सकता है।

अनुच्छेद २२६ के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी सीमा के भीतर किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या सरकार को पेशी के लिये बुला सके या सविधान के भाग ३ के अधिकारो का प्रयोग करते हुए वैयक्तिक स्वतन्त्रता, परमादेश, मद्य-निषेध, अधिकारपृच्छा और उत्प्रेषण, अथवा उनमे से किसी एक से सम्बन्धित किसी मामले में कोई आदेश दे सके।

अधीनस्थ अदालतें

जिले के न्यायाधीशो की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय की राय से करता है। ये न्यायाधीश दीवानी मामलो के सम्बन्ध में पेश होने वाले मुकदमे सुनते है। जिले के शेष न्यायाधिकारी उनके अधीन होते है। इन शेष न्यायाधिकारियों की नियुक्ति राज्य के लोक सेवा आयोग की राय से राज्यपाल करता है, और उसकी मजूरी उच्च न्यायालय से ली जाती है। इन न्यायाधिकारियो के सम्बन्ध में सभी कानून, उनके स्थान का निश्चय, पदोन्नति, छुट्टी आदि के कार्य उच्च न्यायालय के अधीन होते है।

ढाँचा और कार्य

देश भर मे छोटे न्यायालयो का ढाँचा लगभग एक समान है। प्रत्येक राज्य कुछ जिलो मे बंटा हुआ है, और प्रत्येक जिले मे एक जिला न्यायाधीश होता है। उसके नीचे विभिन्न ओहदों के न्यायाधिकारी होते है। इनमे से कुछ को नये मामले सुनने का अधिकार होता है, और कुछ को अपीले सुनने का भी। छोटे दीवानी मामलो के लिये सबजजी अदालते होती है।

दीवानी अदालतें जायदाद या रुपये पैसे सम्बन्धी मुकदमो के अतिरिक्त अभिभावकत्व, विवाह, तलाक, जायदाद का प्रबन्ध और अधिकार क्षेत्र के निश्चय आदि के सम्बन्ध में पेश होने वाले मामले भी सुनती है। भूमि अधिगति कानून (लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट) तथा जंगलात कानून के दीवानी मामले विशेष अफसर सुनते हैं, परन्तु उनकी अपील दीवानी अदालतों में हो सकती है। नागरिकता के अधिकार सम्बन्धी मामलों को सुनने के लिये तीसरी तरह की अदालतें भी होती है, जो प्रायः इसी काम के लिये अस्थायी रूप से बनाई जाती है। इन मामलों मे अपील सम्बन्धी अधिकारो के बारे मे कोई स्पष्ट व्यवस्था नही है, इसलिए ऐसे मामलों में वादी और प्रतिवादी प्रायः उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप का अनुरोध किया करते है।

फौजदारी न्याय

भारत का फौजदारी कानून समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है, और उसके अनुसार फौजदारी अदालतें काम करती है। प्रत्येक जिले में इन अदालतों का मुखिया एक सैशन जज होता है। आवश्यकता के अनुसार उस की सहायता के लिये सहकारी सैशन जज भी नियुक्त किया जाता है। ये न्यायाधिकारी सीधे उच्च न्यायालय के नीचे होते है, और प्रायः जिले का शासक उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उनके सन्मुख गम्भीर मामले ही पेश किये जाते है, जिनके बारे में कोई मजिस्ट्रेट पहले छानबीन कर चुका हो। इन अदालतों मे जूरी या असेसर भी नियुक्त किये जाते हैं। जिला मजिस्ट्रेट इस बात पर निगरानी रखता

है कि उसके जिले में विभिन्न न्यायाधीश क्या काम कर रहे है। जिला कलक्टर के रूप में वह जिले की कार्यव्यवस्था का भी मुखिया होता है। इसी सम्बन्ध में यह प्रश्न पैदा होता है कि न्याय को शासन-व्यवस्था से कहाँ तक पृथक् रखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में एक अभीष्ट बात यह है कि न्याय सम्बन्धी सभी मामले उच्च न्यायालय के अधीन होते है, और उसी की देखरेख में चलाये जाते है। फौजदारी के कुछ छोटे मामले आनरेरी मजिस्ट्रेटों के सामने भी पेश किये जाते है। प्रायः पेन्शन प्राप्त अधिकारियों अथवा अन्य उत्तरदायी नागरिकों को ही आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। फौजदारी के कुछ छोटे मामले मजिस्ट्रेटों के बेंच के सामने भी पेश किये जाते है।

पंचायती अदालतें

संविधान के अनुच्छेद ४० के अनुसार राज्यों को यह हिदायत दी गई है कि वे गाँवों की पंचायतों को क्रमशः ऐसे अधिकार दे कि वे धीरे-धीरे स्वायत्त शासन करने योग्य संस्थाओं का रूप धारण कर लें। इस निर्देश के अनुसार कई राज्यों ने पचायत सम्बन्धी कानून पास कर दिये है, और वहाँ पंचायतो ने कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है।

इन पंचायतो के कानूनी विभाग को पंचायती अदालत कहा जाता है। उदारहण के लिये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गाँव मे एक गाँव-सभा होती है, जिसका सदस्य प्रत्येक ग्रामवासी होता है। यह गाँव-सभा ५ प्रतिनिधियो को चुनती है। इसी तरह से कई गाँव मिल कर २५–३० आदमियों की एक अदालत सी बना लेते है। ये पचायती अदालते अपने मे से फिर ५ पचों को चुन लेती है। गाँव के छोटे-छोटे मामले इन पंचायतो के सामने पेश होते है। ये पंच मौके पर जाकर अपने विचाराधीन मामलो के सम्बन्ध में निर्णय देते है। उनके निर्णय के खिलाफ अपील नही की जा सकती। अगर किसी मामले मे दीवानी जज यह समझे कि कोई भारी अन्याय हुआ है, तो वह किसी नये ट्रिब्यूनल के सामने उस मामले को पेश कर सकता है। परन्तु पचायती अदालत के निर्णय को वह स्वय नही बदल सकता। ३१ मार्च, १९५४ तक प्राप्त आँकड़ो के अनुसार उत्तर प्रदेश मे इन पंचायती अदालतो द्वारा निपटाये गये १३ लाख से अधिक मामलो में से केवल ३ प्रतिशत मामले पुनर्विचारार्थ पेश हुए और उनमें से भी केवल १ प्रतिशत के निर्णय मे परिवर्तन करना पड़ा।

न्याय और शासन का पृथक्त्व

संविधान के अनुच्छेद ५० के अनुसार सभी राज्य अब यह प्रयत्न कर रहे है कि न्याय को शासन से पृथक् कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक उन्नति मद्रास मे हुई है। वहाँ फौजदारी कानून मे निम्नलिखित परिवर्तन किये गये है। मजिस्ट्रेट के कार्यों को इन दो भागों में बाँटा गया है—(१) न्याय सम्बन्धी तथा (२) अन्य। जो अधिकारी न्याय सम्बन्धी कार्य कर रहे है, उन्हे हाईकोर्ट के अधीन कर दिया गया है। जो शासन अधिकारी कानून और व्यवस्था की रक्षा का कार्य कर रहे है, उनके अधिकारों में कोई कमी नही की गई है। यह भी नियम बना दिया गया है कि न्याय सम्बन्धी अधिकारी केवल वही लोग बनाये जायें, जिन्हे कानून का ज्ञान हो। अन्य राज्यों में भी इसी तरह के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

न्याय प्रणाली में संशोधन

विधि आयोग

३ दिसम्बर, १९५४ को लोक-सभा में एक सदस्य के व्यक्तिगत प्रस्ताव के रूप में विधि आयोग की स्थापना का प्रश्न उठाया गया। प्रस्ताव में कहा गया था: "इस सदन की यह सम्मति है कि फौजदारी और दीवानी तथा राजस्व, मूल विधान और कार्यविधि से सम्बद्ध कानूनो में और विशेषकर भारतीय दण्ड संहिता की दीवानी और फौजदारी कार्य विधि के संशोधन और नवीकरण के विषय में सिफारिशें करने के लिये, नजीरों की मात्रा में कमी करने और कुछ प्रश्नों पर उच्च न्यायालयो के निर्णयों में विद्यमान विरोधों को समाप्त करने के लिये तथा न्याय को सरल, सस्ता, प्रभावपूर्ण और शीघ्रता से प्राप्त होने वाला बनाने के लिये एक विधि आयोग की स्थापना की जाये।"

दण्ड प्रक्रिया में संशोधन

२२ दिसम्बर, १९५३ को भारत सरकार ने एक विधेयक प्रकाशित किया जिसमें दण्ड विधान प्रक्रिया (१८९८ के एक्ट ५) के संशोधन से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। इस विधेयक के कानून का रूप ले लेने के बाद देश की न्यायव्यवस्था अब की अपेक्षा अधिक सरल, कम समय लेने वाली और प्रभावशाली बन जायेगी। संसद् के शरत्कालीन अधिवेशन में यह विधेयक विचाराधीन था और इसे कानून का रूप लेने में अभी कुछ और समय लगने की सम्भावना है।

भारत का एटर्नी-जनरल

संविधान के अनुच्छेद ७६ के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे एक ऐसे व्यक्ति को भारत का एटर्नी-जनरल नियुक्त करे, जिसमे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता विद्यमान हो। यह एटर्नी-जनरल भारत सरकार को कानूनी मामलो में सलाह देगा। एटर्नी-जनरल भारत की सब अदालतों मे उपस्थित हो सकता है। इस के साथ एक सॉली-सिटर-जनरल होता है। आजकल ये पद इन लोगों के पास है:

भारत के एटर्नी-जनरल: एम० सी० सीतलवाद

भारत के सॉलीसिटर-जनरल: सी० के० दफ़्तरी

प्रत्येक राज्य मे एक एडवोकेट-जनरल होता है। उस की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

वकील

१९२६ के बार कौसिल कानून के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को राज्य भर के एडवोकेटो की एक सूची रखनी पड़ती है। इस कानून का उद्देश्य यह था कि देश में वकालत का काम करने वाले विभिन्न पदवी-प्राप्त लोगों, यथा—वकील, एटर्नी, बार-एट-ला, मुख्तार, प्लीडर, एडवोकेट आदि को एक ही सूची में लाया जा सके।

वर्तमान प्रथा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में सब वकील अपना नाम दर्ज कराते हैं और किसी मामले में बिना छोटे वकील को साथ लिये कोई बड़ा वकील पेश नही हो सकता। उच्च न्यायालयों में वकालत करने वाले वकीलो की सूची पृथक् है, और उसके सम्बन्ध में

विशेष नियम है । छोटी अदालतो मे वकालत करने वाले वकीलों के सम्बन्ध मे राज्य का उच्च न्यायालय कानून बनाता है ।

अखिल भारतीय विधि-जीवी संघ (बार)

सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद देश में इस बात का विशेष अनुभव किया गया कि एक अखिल भारतीय विधि जीवी संघ स्थापित करना आवश्यक है । दिसम्बर, १९५१ मे न्यायाधीश एस० आर० दास की अध्यक्षता मे भारत सरकार ने एक बार-कमेटी का निर्माण किया था । इस कमेटी को यह कार्य दिया गया था कि वह अखिल भारतीय विधि-जीवी संघ की आवश्यकताओ और सम्भावनाओ के सम्बन्ध मे विचार करे ।

मई, १९५३ मे इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी । इस कमेटी ने सिफारिश की कि (१) एक अखिल भारतीय बार कौसिल की स्थापना की जाये, (२) कलकत्ता और बम्बई के उच्च न्यायालयो मे कौसिल और सॉलीसिटर की दोहरी प्रथा जारी रहे, (३) सर्वोच्च न्यायालय मे यह दोहरी प्रथा न डाली जाये और (४) देश भर मे वकालत के पेशे के लिये अपना नाम दर्ज कराने के सम्बन्ध मे कम से कम योग्यता का एक समान माप नियत कर दिया जाये ।

सहायक ग्रन्थ सूची

१	एन० सी० सेनगुप्त	.	'एवोल्यूशन आफ एन्शेंट इण्डियन लॉ (कलकत्ता, १९५३)
२	पी० वी० काणे	.	'हिन्दू कस्टम्स एण्ड माडर्न लॉ' (बम्बई, १९५०)
३	सर विलियम मार्कबी	.	'हिन्दू एण्ड मोहम्मडन लॉ' (ऑक्सफोर्ड, १९०६)
४	मुहम्मद वशीर अहमद	.	'एड्मिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मिडियेवल इण्डिया' (अलीगढ, १९४१)
५	वी० टी० गुणे	.	'जुडीशियल सिस्टम ऑफ दी मराठाज' (पूना १९५३)
६	एच० कविल	.	'हिस्ट्री एण्ड कान्स्टीट्यूशन आफ दी कोर्ट्स इन इण्डिया एण्ड लैजिस्लटिव अथोरिटीज' (सिक्स्थ रिवाइज्ड एडीशन, १९३६)
७	सर ई० जे० ट्रेवेल्यान	.	'कान्स्टीट्यूशन एण्ड जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आफ सिविल जस्टिस इन ब्रिटिश इण्डिया' (लन्दन, १९२३)
८	जी० डी० खोसला	.	'ऑवर जुडीशियल सिस्टम' (इलाहाबाद, १९४९)
९	एम० पी० जैन	.	'आउट लाइन्स ऑफ इण्डियन लीगल हिस्ट्री' (दिल्ली, १९५२)
१०	बी० एस० सिन्हा	.	'लीगल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' (लखनऊ, १९५३)
११	बी० के० आचार्य	.	'कोडिफिकेशन इन ब्रिटिश इण्डिया' (कलकत्ता, १९१४)
१२	जी० एस० एल० श्रीवास्तव		'एडप्टेशन एण्ड एक्सटेन्शन ऑफ लॉज एण्ड चेजेज इन दी कान्स्टीटयूशन' (आगरा, १९५१)
१३	वर्मा और गकचम्र	.	'कान्स्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इण्डिया' (बम्बई, १९५२)

१४ ओ० पी० अग्रवाल . 'फण्डामैण्टल राइट्स एण्ड कान्स्टीट्यूशनल रेमेडीज', वाल्यूम १ एण्ड २ (दिल्ली, १९५३-५४)

१५ टी० बी० सप्रू . 'इनसाइक्लोपीडिया ऑफ दी जनरल एक्ट्स एण्ड कोड्स ऑफ इण्डिया', वाल्यूम्ज १–१३ (कलकत्ता, १९३५–४५)

१६ डी० आर० प्रेम . 'सिविल प्रेक्टिस : इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिविल केस लॉ, १८४०–१९५४, वाल्यूम्ज १–६ (शिमला, १९५०–५३)

सातवाँ अध्याय

सार्वजनिक सेवा

संविधान के अनुसार केन्द्र मे तथा भारत के प्रत्येक राज्य मे एक लोक सेवा आयोग बनाने का विधान है। दो या अधिक राज्य चाहे तो वे मिलकर अपना एक ही लोक सेवा आयोग बना सकते है। किसी राज्य के प्रधान की प्रार्थना पर राष्ट्रपति की अनुज्ञा से केन्द्रीय लोक सेवा आयोग सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति के लिये उस राज्य में सहायता कर सकता है।

इन आयोगों के सगठन की प्रणाली सविधान के अनुच्छेद ३१६ में बताई गई है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति—केन्द्रीय लोक सेवा आयोग[1] और संयुक्त आयोग के मामले मे—राष्ट्रपति करता है, तथा राज्यो मे ये नियुक्तियाँ राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा की जाती है। आयोगों के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिएँ जो अपनी नियुक्ति के समय तक कम से कम १० साल केन्द्रीय या राज्यीय सरकार मे सेवा कर चुके हो। आयोग के सदस्यो का कार्यकाल सामान्यतः ६ वर्ष या केन्द्रीय आयोग के सदस्यो के विषय मे उनकी ६५ वर्ष की आयु तक और राज्यीय आयोग के सदस्यो के विषय मे उनकी ६० वर्ष की आयु तक अथवा इनमे जो भी तिथि पहले आये, तब तक होता है। एक बार कार्यकाल की समाप्ति पर किसी सदस्य की पुर्ननियुक्ति नही हो सकती।

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को दुर्व्यवहार के आधार पर और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच पडताल करने के बाद केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उनके पद से पृथक् किया जा सकता है। सरकार के किसी भी व्यवहार मे किसी प्रकार की रुचि लेने का उन्हे सर्वथा निषेध होता है। यदि वे ऐसा करते है तो उन्हे दुर्व्यवहार का दोषी माना जायेगा। सदस्यों को पद से पृथक् किये जाने की दूसरी स्थितियाँ ये है: (१) यदि वे दिवालिये घोषित कर दिये जाये, या (२) वे अपने पद के अतिरिक्त किसी दूसरी सवैतनिक नियुक्ति को स्वीकार कर लें या (३) शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के कारण वे राष्ट्रपति की सम्मति मे अपने पद पर बने रहने के अयोग्य हों।

संविधान के अनुच्छेद ३१९ के अनुसार केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अपने पद से मुक्त होने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद स्वीकार करने का निषेध है। किसी राज्य आयोग के अध्यक्ष को केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर या किसी अन्य राज्य के आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के दूसरे सदस्यों को उस आयोग के अध्यक्ष पद पर या किसी अन्य राज्यीय आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु किसी

---

१. केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

अन्य सरकारी पद को वे स्वीकार नही कर सकते। इसी प्रकार राज्यीय लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य उस आयोग का अध्यक्ष या किसी अन्य राज्य आयोग का अध्यक्ष अथवा केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

केन्द्रीय और राज्य आयोग केन्द्रीय और राज्यीय सेवाओं मे भरती के लिये परीक्षाएँ लेते है। नियुक्ति और पदोन्नति के लिये ये आयोग उम्मीदवारों को इन्टरव्यू के लिये बुला सकते हैं। ये आयोग अपनी-अपनी सरकारो को अनुशासनात्मक कार्यवाहियों तथा सरकारी सेवाओं सम्बन्धी सभी मामलो पर सलाह देते है। वस्तुतः केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिये यह आवश्यक है कि वे (१) सब नागरिक सेवाओ और पदों पर भरती के तरीकों के विषय मे, (२) नियुक्ति और पदोन्नति करने के नियमो को पालन करने के विषय मे तथा एक सेवा से दूसरी सेवा के लिये दली करने के और ऐसी नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों की योग्यता के सम्बन्ध मे, (३) किसी भी राज्य कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध मे, (४) सरकारी सेवा से निवृत्त या उसमे लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले दावों के विषय में, और (५) किसी राज्य कर्मचारी को सरकारी काम करते हुये लगी चोट आदि के कारण उसके द्वारा की जाने वाली पैन्शन की माग के विषय मे अपने-अपने आयोगों से राय ले। राष्ट्रपति या राज्यपालो द्वारा बनाये गये नियम, जिनके विषय मे आयोग की राय लेना जरूरी नही है, संसद् या राज्य विधान सभा के सामने उनकी स्वीकृति के लिये रखे जाने चाहिएं।

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजता है। अगर किसी मामले मे सरकार आयोग से असहमत हो, तो वह मामला तथा उक्त रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा ससद् के सामने पेश की जाती है। राज्यों मे भी इसी तरह की कार्य-पद्धति का विधान है।

अखिल भारतीय सेवाएँ

भारतीय नागरिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के पुनर्गठन तथा उनके पूरी तरह भारतीयकरण की ओर सरदार वल्लभभाई पटेल का ध्यान उसी समय आकर्षित हुआ, जब वे पहले-पहल अन्तरिम सरकार मे गृहमन्त्री बने। अक्तूबर, १९४६ मे ही उन्होने भारतीय नागरिक सेवा की जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारम्भ की और पुलिस सम्बन्धी सेवाओं की भरती तथा शिक्षा के लिये भी आवश्यक परिवर्तन किये।

तीन वर्षो के बाद जब भारत की प्रायः सब रियासते भाग "ख" के रूप मे भारत मे शामिल हो गई, तब उन्हे भी (जम्मू और कश्मीर को छोड कर), इन सेवाओ के अन्तर्गत ले आया गया।

न्याय विभाग मे पदाधिकारियो की नियुक्ति को छोड़ कर आई० सी० एस० द्वारा पूरे किये जाने वाले सब प्रयोजनो के लिये आइ० ए० एस० का उपयोग होता है। वर्तमान भारतीय प्रशासनिक सेवा अखिल भारतीय सेवा होने के कारण भारत की केन्द्रीय सरकार के अधीन है किन्तु उसका वर्गीकरण विभिन्न राज्यों के आधार पर किया जाता है।

प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण विद्यालय

द्वितीय महायुद्ध तक आई० सी० एस० के सभी चुने हुए उम्मीदवारो को इंगलैड जाकर वहाँ के किसी विश्वविद्यालय में एक या दो वर्षो तक शिक्षण प्राप्त करना पड़ता था।

महायुद्ध के दिनों में यह प्रथा बन्द करदी गई और देहरादून में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया गया और १९४७ में दिल्ली में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा स्कूल खोल दिया गया। इस स्कूल के पाठ्यक्रम में, फौजदारी कानून, प्रारम्भिक दीवानी कानून, भारतीय भाषाओं, वैधानिक रचना में आये हुए परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए सेवा सम्बन्धी व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षा, भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनात्मक दृष्टि से विकास के इतिहास और विशेषकर देश की वर्तमान आर्थिक समस्याओं से सम्बद्ध अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाती है।

भारतीय पुलिस सेवाएँ

राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जिस सम्मेलन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सम्बन्ध में नया ढंग स्वीकार किया गया, उसी सम्मेलन में भारतीय पुलिस सेवा के लिए भी यही ढंग स्वीकार किया गया। यह निश्चय हुआ कि पुलिस सेवा के व्यक्ति भी राज्यों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा चुने जायेंगे। इन सेवाओं के वेतन वर्तमान स्थिति के दृष्टिकोण से विभिन्न राज्यों की सलाह से नियुक्त किये जायेंगे। शुरू-शुरू में एक विशेष भरती बोर्ड रिक्त स्थानों की पूर्ति बाहर से योग्य व्यक्तियों के चुनाव द्वारा करेगा।

सेवाओं सम्बन्धी नियम

संविधान के अनुच्छेद ३१२ के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा—ये दोनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। विधि द्वारा सभी तरह की व्यवस्था करने का अधिकार संसद् को दिया गया है, उसी के अनुसार अक्तूबर, १९५१ में संसद् ने अखिल भारतीय सेवाएं कानून पास किया।

संविधान में सेवाओं के सदस्यों को उनके सदस्यत्व-काल के लिये उचित सुरक्षा भी दी गई है। अनुच्छेद ३११ के अनुसार किसी अखिल भारतीय सेवा का कोई व्यक्ति उसी संस्था द्वारा पदच्युत किया जा सकता है जो उसे नियुक्त करती है, और साथ ही यदि कभी उसे पदच्युत करने की स्थिति उत्पन्न भी हो जाये, तो पदाधिकारी को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर दिया जायेगा। परन्तु वह अधिकार तीन अवस्थाओं में नहीं मिलेगा—(१) जिन अधिकारियों पर फौजदारी का अभियोग हो, या (२) जिन्हें पदच्युत करनेवाला अधिकारी यह समझे कि अपराधकर्ता को, अपनी सफाई दे सकने की सुविधा देना सम्भव नहीं है, और (३) जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस बात का विश्वास हो कि इस तरह की सफाई से राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।

केन्द्रीय सचिवालय की सेवाएं

केन्द्रीय सचिवालय की सेवाओं में असिस्टेंट से लेकर अण्डर सैक्रेटरी तक की सेवाएँ सम्मिलित हैं। गृह-मंत्रालय चाहे तो इसमें कुछ अपवाद रख सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी इन्हीं में सम्मिलित हैं, जिनके बारे में विभिन्न मन्त्रालय, अर्थ सचिवालय

तथा स्वराष्ट्र मंत्रालय की सहमति से यह निश्चय करें कि उनकी गणना उक्त सेवाओं में की जाये ।

मन्त्रि-मण्डल ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा सम्बन्धी नई योजना २२ अक्तूबर, १९४८ को स्वीकार की थी। इस योजना के अनुसार इन सेवाओं को चार भागों में बाँटा गया है : (१) अण्डर सेक्रेटरी, (२) सुपरिन्टेण्डेन्ट, (३) असिस्टेन्ट सुपरिन्टेण्डेन्ट, (४) असिस्टेन्ट। पिछले दो दर्जो के लिये सीधा चुनाव किया जायेगा। २५ प्रतिशत असिस्टेन्ट साधारण क्लर्को मे से चुने जायेगे। बाकी स्थानो की पूर्ति केन्द्रीय लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा करेगा। असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट के लिये ५० प्रतिशत स्थान पदोन्नति द्वारा पूरे किये जायेगे और शेष की पूर्ति प्रतियोगिता-परीक्षाओ द्वारा की जायेगी, जिनका नियन्त्रण प्रशासनिक सेवा तथा केन्द्रीय श्रेणी १ की परीक्षाओं के ढंग पर किया जायेगा। सुपरिन्टेण्डेन्ट तथा अण्डर सेक्रेटरी की नियुक्ति पदोन्नति के द्वारा की जायेगी।

सहायक ग्रन्थ सूची

१. एल० एम० एस० ओ' मेले — 'दी इडियन सिविल सर्विस' (लन्दन, १९३१)
२. ई० ब्लन्ट — 'दी इडियन सिविल सर्विस'
३. करी — 'दी इडियन पुलिस'
४. जे० डब्ल्यू० केई — 'लाइव्स ऑफ इडियन आफिसर्स'
५. इवान मेकनोशी — 'लाइफ इन दि इण्डियन सिविल सर्विस'
६. ए० के० घोष — 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया' : (कलकत्ता, १९३०)
७. पाल एच० एप्पलबी — 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया' :रिपोर्ट ऑफ ए सर्वे' (दिल्ली, १९५३)
८. एन० गोपालस्वामी अयगार — 'रिपोर्ट ऑन दी रिआर्गनाइजेशन ऑफ दी मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट'
९. ए० डी० गोरवाला — 'रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' (१९५१)
१०. 'एनुअल रिपोर्ट ऑफ दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स', गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ।
११. 'एनुअल रिपोर्ट ऑफ दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन', १९४७–४८ ऑनवार्डस ।

आठवाँ अध्याय

प्रतिरक्षा

अगस्त, १९४७ मे भारतीय सेनाओं को एक साथ बहुत सी पेचीदा समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्ही दिनो सेना के बहुत से अंग्रेज अफसर इंग्लैड वापस चले गये और अनेक मुसलमान अफसर पाकिस्तान चले गये। इससे भारतीय सेना को नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्ही दिनो पाकिस्तान से लाखो व्यक्तियों को भारत मे लाना और भारत से लाखों व्यक्तियों को पाकिस्तान ले जाना था। यह सब काम भी भारतीय सेना ने किया। यह कठिन काम समाप्त हुआ ही था कि भारतीय सेनाओं को जम्मू और कश्मीर में आतताइयों को खदेड़ने के काम पर जाना पड़ा। उसके कुछ दिन बाद हैदराबाद में भारतीय सेना को पुलिस कार्यवाही करनी पडी।

सगठन

भारतीय सेनाएं जिन दिनों ऐसे विविध कार्यो मे लगी हुई थी, उन्ही दिनों उनके संगठन मे नये और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे थे। सबसे पहला परिवर्तन तो यह किया गया कि सशस्त्र सेनाओ को नागरिक नियत्रण मे लाने के लिये उन्हे एक प्रतिरक्षा मन्त्री के अधीन कर दिया गया, जो प्रतिरक्षा सेनाओं से सम्बन्धित सब मामलो मे, जिनमे निधियो का नियोजन और बँटवारा, प्रतिरक्षा के लिये नागरिक और मन्त्रालय सम्बन्धी सब कार्यवाहियो मे समन्वय तथा शोध नीति के लिये निर्देश और उस पर नियन्त्रण भी सम्मिलित है, संसद् के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन स्थल सेना, जल सेना, और वायु सेना के लिये पथक्-पृथक् प्रधान सेनापति की नियुक्ति करना था। नये सविधान के लागू होने पर सशस्त्र सेनाओ के सर्वोच्च सेनापतित्व को राष्ट्रपति मे निहित कर के एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। ऐसा करने पर भी प्रशासकीय और कार्यकारी नियन्त्रण का उत्तरदायित्व तीनों सेवाओं के प्रधान केन्द्रो के अन्तर्गत ही रहा।

प्रतिरक्षा मंत्रालय

सैन्य सेवा के प्रधान केन्द्रो का ऊपरी नियन्त्रण प्रतिरक्षा मन्त्रालय मे निहित होता है, जो सब प्रकार के प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलो मे सरकार के नीति-निर्णयों को प्राप्त करने के लिये तथा उन्हे प्रधान केन्द्रो के पास भेजने का जिम्मेवार होता है। सामान्यतः नीति सम्बन्धी सभी निर्णय मन्त्रिमण्डल की प्रतिरक्षा समिति द्वारा किये जाते है, जिसमे अध्यक्ष के रूप में प्रधान मन्त्री और सदस्य रूप मे प्रतिरक्षा मन्त्री, स्वराष्ट्र मन्त्री, वित्त मन्त्री तथा परिवहन मन्त्री रहते है। तीनों सेनाओं के प्रधान, प्रतिरक्षा सचिव और प्रतिरक्षा मन्त्रालय का आर्थिक सलाहकार भी इस समिति की बैठक में भाग लेते है।

स्थल सेना का प्रधान केन्द्र

स्थल-सेना का प्रधान केन्द्र सीधे तौर पर स्थल सेना के मुखिया के अधीन होता है। इसकी मुख्य शाखाएँ निम्नलिखित है: (१) जनरल स्टाफ शाखा,

(२) एजुटेंट जनरल की शाखा, (३) क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा, (४) आर्डनेन्स के मास्टर-जनरल की शाखा, (५) चीफ इंजीनियर की शाखा और (६) सेना सचिव की शाखा। ये छहों शाखाएं कितनी ही उपशाखाओं में विभक्त की गई हैं, जिनको डायरेक्टररेट कहा जाता है।

स्थल सेना को तीन कमानों में संगठित किया गया है: (१) दक्षिणी कमान; (२) पूर्वी कमान और (३) पश्चिमी कमान। इनमें से प्रत्येक कमान एक जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के अधीन होती है, जो लैफ्टिनेंट जनरल के ओहदे वाला होता है। ये कमानें क्षेत्रों में विभाजित होती हैं और क्षेत्र मेजर-जनरल की पदवी वाले जनरल आफिसर कमांडिंग के अधीन होते हैं। इन क्षेत्रों को उपक्षेत्रों में बाँटा गया है जो एक ब्रिगेडियर के अधीन होते हैं।

जल तथा वायु सेना के प्रधान केन्द्र

जल सेना की कमान जलसेना के मुखिया के अधीन है, जिसके नीचे चार प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं इनमें से एक का कार्यालय तो नौसेना के जहाज़ पर तथा शेष तीन के कार्यालय स्थल पर होते हैं। इसी तरह वायु सेना की कमान वायु सेना के मुखिया के अधीन है। १९४९ में सेना के सब फ्रण्टलाइन यूनिट आपरेशनल कमान के आधीन कर दिये गये हैं, और सैनिक शिक्षा देने वाली संस्था ट्रेनिंग कमान के नीचे ले आई गई है।

विभिन्न सेनाओं में पारस्परिक समन्वय

तीनों सेनाओं में पारस्परिक समन्वय बनाये रखने के लिये विभिन्न स्तरों पर अनेक कमेटियाँ बनाई गई हैं। इनमें सबसे ऊँची प्रतिरक्षा मन्त्री की कमेटी है, जो विभिन्न सेनाओं की मुख्य समस्याओं पर विचार करती है। भारत के प्रतिरक्षा मन्त्री, तीनों सेनाओं के मुखिया प्रतिरक्षा सचिव तथा सेना के आर्थिक सलाहकार इस कमेटी के सदस्य हैं। यह समिति उन सब महत्त्वपूर्ण मामलों में अपना निर्णय देती है जिनका सम्बन्ध दो या तीन सैन्य सेवाओं से होता है तथा योजना सम्बन्धी उन सब कागजात को मन्त्रिमण्डल के सामने उपस्थित करती है जिन पर वह स्वयं कार्यवाही नहीं कर सकती।

राष्ट्रीयकरण

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय सेनाओं का राष्ट्रीयकरण बहुत शीघ्रता से हुआ। आज भारतीय सेना में केवल कुछ ही अंग्रेज अफसर हैं और उनमें से भी अधिकांश विशेषज्ञ-सलाहकार का काम ही कर रहे हैं। भारतीय जल सेना तथा वायु सेना में राष्ट्रीयकरण की यह प्रक्रिया बड़ी तेजी से जारी है।

प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी संगठन

१९४८ में एक वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन बनाया गया था, जिसका उद्देश्य प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी आवश्यक बातों के सम्बन्ध में अन्वेषण करना है, जैसे यथाशक्तिक्षेपण (ballistics), युद्ध कार्य सम्बन्धी अनुसन्धान, युद्ध सम्बन्धी यातायात, बारूद सम्बन्धी अन्वेषण, सैनिक भोजन तथा सैनिक शिक्षा आदि।

१९५२ में किरकी में शस्त्रास्त्रों के अध्ययन के लिये एक संस्था खोली गई थी। अक्तूबर, १९५३ से इस संस्था ने सेना के प्रौद्योगिक कर्मचारियों को नियमित रूप से शिक्षा देना आरम्भ किया है। इस संस्था का शिक्षाक्रम १८ महीनों का है और इसका उद्देश्य अधिकारियों को शस्त्रास्त्र सम्बन्धी विज्ञान और प्रौद्योगिक विज्ञान में प्रशिक्षित करना है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी

अपने प्रशिक्षण के मामले में स्थल सेना पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर है। जल सेना और वायु सेनाएं भी इस लक्ष्य के मार्ग पर काफी आगे बढ़ गई हैं। प्रतिरक्षा अकादमी और संयुक्त सैन्य सेवा विभाग (ज्वाइंट सर्विसेज विंग) के केन्द्रों को दिसम्बर १९५४ में देहरादून से हटा कर पूना के समीप खडकवासला नामक स्थान पर ले जाया गया है और इस वर्ष के प्रारम्भ से अकादमी के नये बनाये गये स्थायी भवनों में इन केन्द्रों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। संयुक्त सैन्य सेवा विभाग का तेरहवाँ अनुक्रम (कोर्स), जो खडकवासला में प्रारम्भ होने वाला पहला अनुक्रम था, १० जनवरी १९५५ से शुरू हो गया। अकादमी में प्रति वर्ष ५०० कैडेटों को स्थान देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना पर ६.५ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसमें ६,५०० एकड जमीन का मूल्य जो बम्बई सरकार द्वारा दान दी गई है, शामिल नही है।

प्रवेश

अकादमी में प्रवेश केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा देश के विभिन्न केन्द्रों में योग्यता जाँचने के लिये ली जाने वाली लिखित परीक्षाओं के आधार पर तथा उसके पश्चात् सैन्य सेवा चुनाव मण्डल (सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड) के सामने इन्टरव्यू के आधार पर होता है। अन्तिम चुनाव दोनों के संयुक्त परिणाम के आधार पर होता है। जिन लड़कों ने मैट्रिक या उस के समकक्ष कोई परीक्षा पास की हो और उनकी आयु, जिस महीने में अकादमी का अनुक्रम प्रारम्भ होता है उसकी पहली तारीख को १५ और १७ वर्ष के बीच मे हो, वे अकादमी में प्रवेश के योग्य होते हैं। जनवरी और जुलाई से प्रारम्भ होनेवाले अनुक्रमों के लिये अकादमी मे प्रवेशार्थ वर्ष में दो बार चुनाव होता है। प्रवेशार्थी कैडेटों को प्रवेश के समय अविवाहित होना चाहिए और अकादमी में अपने निवास काल में उन्हे विवाह करने की अनुमति नही होती।

अकादमी में कैडेटों का सारा खर्च, उनके जेब खर्च के लिये तीस रुपये की राशि के सिवाय जिसकी व्यवस्था स्वयं उन्हे करनी होती है, सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यदि कैडेट के पिता की आय तीन सौ रुपये से कम हो तो जेब खर्च भी सरकार उठाती है।

दूसरी महत्त्वपूर्ण संस्था, जहाँ अन्तर्सैन्य सेवा के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है, वेलिंग-टन का स्टाफ कालेज है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में सैन्य सेवाओं में आपसी सहयोग के लिये रखी गई नीव को इस संस्था में और मज़बूत किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षाअ कादमी, स्टाफ कालेज तथा अन्य बहुत सी वायु सेना की अकादमियों और जल सेना के स्कूलों को बहुत से पड़ोसी देशों से प्रशंसात्मक सराहना मिली है। इनमें से बहुत से देश अपने कैडेटों को इन संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिये भेजते हैं।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन

प्रतिरक्षा सेनाओं को दिये जाने वाले शस्त्रों और अन्य सामग्री की श्रेष्ठता और परिमाण प्रशिक्षण के समान ही महत्वपूर्ण है। पहले आयात की जाने वाली सामग्री के स्थान पर अब

देश में बनी हुई सामग्री का प्रयोग होने लगा है। इस वर्ष प्रतिरक्षा-सम्बन्धी सामग्री के विषय में आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से बहुत से कदम उठाये गये हैं जिनमें मुख्य ये हैं: (१) अम्बरनाथ में यान्त्रिक औजारों के लिये कारखाने का खोला जाना; (२) एक फ्रांसीसी फर्म के साथ इलैक्ट्रोनिक इण्डस्ट्री की स्थापना के लिये एक करार का किया जाना; (३) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर द्वारा प्रशिक्षण के काम में आने वाले एच टी-२ वायुयानों का निर्माण। १९५६–५७ में इलैक्ट्रोनिक्स, रेडियो, राडार तथा अन्य सामग्री का उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है। भारतीय जल सेना जिन नये जहाजों को प्राप्त करना चाहती है उनमें से सर्वेक्षण पोत (सर्वे शिप) तथा अन्य छोटे जहाजों के भारत में ही निर्मित किये जाने की आशा है। इस प्रयोजन के लिये जल सेना के प्रधान केन्द्र में डायरेक्टर ऑफ नेवल कन्स्ट्रक्शन की स्थापना करने का विचार है।

कमानों के लिये हिन्दी शब्द

सशस्त्र सेनाओं ने आदेश देने के लिये फिलहाल प्रयोग में आने वाले अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर हिन्दी के नये शब्द बनाने का जो काम शुरू किया था उसका पहला चरण अब समाप्त हो गया है। सैन्य सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में से कुछ चुने हुए शब्दों के हिन्दी समानार्थ शब्दों की दो सूचियाँ तैयार की गई है और उन्हें देश भर में तीनों सेनाओं की इकाइयों के पास उनके सुझाव और टिप्पणियाँ जानने के लिये भेजा गया है। पहली सूची में स्थल सेना के प्रयोग में आने वाले सामान्य और तीनों सेनाओं के विविध शस्त्रास्त्रों के विशिष्ट नामों के कुल मिलाकर ७५० शब्द हैं। दूसरी सूची में सशस्त्र सेनाओं में आदेश देने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले लगभग १६० शब्द हैं।

स्थल सेना

पिछले दो वर्षों में भारतीय सेना को दो एकदम नये कार्य करने के लिये कहा गया और ये दोनों कार्य भारत की सीमा से बाहर करने थे। उनकी अनन्यता इस बात में है कि सम्भवतः ज्ञात इतिहास में प्रथम बार एक देश की सेनाएँ दूसरे देश में एकमात्र शान्तिपूर्ण और मानव हितकारी कार्य के लिये गई।

पहला सेवा कार्य कोरिया में किया गया, जब भारतीय संरक्षक सेना की पाँच बटालियनें सितम्बर, १९५३ में संयुक्त राष्ट्र, उत्तर कोरिया और चीनी कमानों को कोरिया में युद्धविराम समझौते को लागू करने में सहायता देने के लिये वहाँ गई। यह संरक्षक सेना कोरिया में लगभग छः महीने रही और जिस चतुराई, धैर्य और निष्पक्षता के साथ उसने अपने कठिन कार्य को पूरा किया उसकी सब ओर से प्रशंसा की गई।

सेवा करने का दूसरा अवसर सितम्बर, १९५४ में आया जब भारतीय सशस्त्र सेनाओं के व्यक्तियों को २० जुलाई, १९५४ को जेनेवा में किये गये समझौते के अनुसार वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया में निरीक्षण और नियन्त्रण के लिये नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को सहायता देने के लिये नियुक्त किया गया। ये व्यक्ति जो अब भी उन तीन देशों में काम कर रहे हैं, यातायात, संचार, सुरक्षा और साधारण सेवाओं में नियुक्त हैं। आयोग को जिस रूप में इन्होंने सहायता पहुँचाई है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है।

जल सेना

अधिक उन्नति की ओर अग्रसर होने की दिशा में जल सेना के लिये १९५४, प्रशिक्षण योजना और सतत उन्नति के क्षेत्रों मे उत्साहपूर्ण कार्यवाहियों का वर्ष रहा। वर्ष की महत्त्वपूर्ण घटना जल सेना के उड्डयन शिक्षण का प्रारम्भ और कोचीन में भारतीय जलसेना के प्रथम हवाई स्टेशन गरुड़ की स्थापना थी। इस इकाई का मुख्य कार्य जल सेना के सैनिकों को उड्डयन का प्रशिक्षण देना है। जल सेना की अन्य सफलताओं में प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार और एकीकरण, एक टैंकर और ८,००० टन के कॉलोनी श्रेणी के क्रूजर 'नाइजीरिया' की प्राप्ति तथा कुछ भारतीयों की उच्च पदो पर नियुक्तियाँ करना है। नया क्रूज़र जल्दी ही बेड़े मे शामिल हो जायेगा। इसका नाम 'मैसूर' रखा गया है।

जहाजों की मरम्मत आदि करने के लिये कोचीन मे एक छोटा सा संगठन स्थापित किया गया है। विशाखापटनम मे ऐसा ही संगठन स्थापित करने की और बम्बई के जहाजीघाट के विस्तार की योजनाओं पर अमल किया जा रहा है।

प्रशिक्षण की सुविधाएं

जल सेना अपने अफसरों और जवानो को प्रबन्धकारिणी, सभरण-सम्बन्धी (सप्लाई), सचिवालय और शिक्षण शाखाओं की सेवाओं के लिये भारत मे ही प्रशिक्षण दे सकती है। अत्यधिक प्रौद्योगिक शाखाओं मे सम्बन्धित प्रशिक्षण के एक भाग के लिये अब भी इंगलैंड जाना पड़ता है। भारतीय जहाजों पर ही प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रस्तावो पर निरन्तर उचित ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय जल सेना के जहाजों द्वारा प्रशिक्षण के कुछ प्रयोग किये गये थे जिनमे नव-निर्मित बेड़े की रिक्वायरमेंट यूनिट ने भी भाग लिया था।

भारतीय जल सेना सद्भावना-दूत के रूप मे भी कार्य करती रही है। दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में ऐसे मिशन भेजे गये थे। इस वर्ष भारतीय जल सेना का 'दिल्ली' जहाज मनीला गया था। एक भारतीय जहाज द्वारा फिलिपाइन्स की यह पहली यात्रा थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, मित्र तथा कुछ राष्ट्रमण्डलीय देशों की जल सेनाओं के जहाज़ भारत की औपचारिक यात्रा पर आये।

वायु सेना

१ अप्रैल, १९५४ का दिन भारतीय वायु सेना के लिये दुगुने महत्त्व का है, क्योंकि इस दिन अपनी २१ वी वर्षगाँठ मनाकर वायुसेना ने वयस्कता प्राप्त की और इसी दिन से वह एक भारतीय अधिकारी के नियन्त्रण में आई। उसी दिन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने इसे राष्ट्रपति का पताका-चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया। वायु सेना के सभी प्रशासनिक पदों पर भारतीय अधिकारी ही नियुक्त है।

प्रशिक्षण संस्थाएं

भारतीय वायुसेना ने अपने उड़ानों तथा प्रौद्योगिक (टैक्निकल) और अन्य कार्यों मे लगे हुये व्यक्तियों के प्रशिक्षण में तीन वर्ष पहले आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी। तब से एशिया स्थित अन्य पड़ौसी देशों की वायुसेनाओं के सैनिकों के लिये भी इन प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वार खोल दिये गये है। इण्डोनीशिया, अफ़गानिस्तान और बर्मा के विमान-चालकों

के कुछ दलों को भारतीय वायु सेना ने उड्डयन सम्बन्धी तथा ज़मीन पर रह कर किये जाने वाले कार्यों के लिये प्रशिक्षित किया। सभी फ्रण्ट-लाइन युनिटों में पोस्ट-स्क्वैड्रन प्रशिक्षण का कार्य बिना किसी विघ्न-बाधा के आगे बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना की देश में और देश से बाहर जाने वाली अपनी संवाहक सेवाएँ हैं और भारतीय वायुसेना का कम्युनिकेशन स्क्वैड्रन प्रमुख व्यक्तियों के लिये यातायात की व्यवस्था करता है। १९५४ में प्रधान मन्त्री की ऐतिहासिक चीन यात्रा के समय भारतीय वायु सेना को उनके लिये यातायात की व्यवस्था करने का सौभाग्य मिला था।

प्रादेशिक सेना

अक्तूबर १९४९ से प्रादेशिक सेना में भरती शुरू की गई। इस 'नागरिक सेना' में ऐसा प्रत्येक भारतीय शामिल हो सकता है, जिसकी आयु १८ से ३५ वर्ष के बीच हो। परन्तु फौजियों तथा प्रौद्योगिक योग्यता के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु की सीमा ३५ वर्ष तक ही सीमित नहीं है।

वायुयान से होने वाले आक्रमणों से रक्षा तथा तटीय रक्षा के लिये यह प्रादेशिक सेना उत्तर-दायी है। अन्य सैनिक कार्यों में भी इस से सहायता ली जा सकती है। इस का मुख्य उद्देश्य यह है कि नागरिक अपना कुछ समय निकाल कर सैनिक शिक्षण ले और अपने को देश की रक्षा के योग्य बनाये।

सहायक प्रादेशिक सेना

अधिक से अधिक लोगों को प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा देने के लिये परीक्षण के तौर पर पिछले वर्ष सहायक प्रादेशिक सेना की स्थापना की गई। अब यह निर्णय किया गया है कि इसका नाम बदल कर 'नेशनल वालण्टियर फोर्स' कर दिया जाये और अगले पाँच वर्षों में ५,००,००० व्यक्तियों को सैनिक शिक्षा दी जाये।

नेशनल कैडेट कोर के भूतपूर्व कैडेटों और फौज के भूतपूर्व सैनिकों को छोड़ कर १८ और ४० वर्ष की आयु के स्वस्थ शरीर वाले भारतीय नागरिक इसमें भरती हो सकते हैं। इस के सदस्यों को आवश्यकता के समय सेना में सम्मिलित होने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। नई योजना के अनुसार सीमा के समीपवर्ती प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को और अधिक ध्यान दिया जायेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य जनता में आत्मविश्वास और अनुशासन की भावना को बढ़ाना है।

नेशनल कैडेट कोर

नेशनल कैडेट कोर का उद्देश्य स्कूलों और कालेजों के लड़के-लड़कियों को सैनिक शिक्षण देना है ताकि उनमें अनुशासन, नेतृत्व की शक्ति और कष्ट सहन आदि गुण पैदा किये जा सकें।

नेशनल कैडेट कोर के तीन भाग हैं— उच्च विभाग, निम्न विभाग तथा लड़कियों का विभाग। इनमें से पहले दोनों विभागों में सब तरह का सैनिक शिक्षण दिया जाता है। इस के साथ-साथ उन्हें स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना के योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जल सेना की शिक्षा का प्रबन्ध केवल उन नगरों में है, जो समुद्र के किनारे हैं। जो विद्यार्थी वायु सेना की शिक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें हवाई जहाज चलाना भी सिखाया जाता है। लड़कियों के विभाग

का उद्देश्य उनमें आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना है। इससे उनकी शारीरिक रचना भी सुधरती है। वे इस लायक बन पाती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर देश के लिये कठिन से कठिन काम भी कर सकें। सारे देश के कालेजों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की इकाइयों की स्थापना की गई है।

सलाहकार समिति की सिफारिशें

नेशनल कैडेट कोर की सलाहकार समिति ने जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री कर रहे थे, अपनी १३ नवम्बर १९५४ की बैठक में यह विचार व्यक्त किया कि भविष्य में नेशनल कैडेट कोर के विस्तार के कार्य को दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ मिला देना चाहिए। अभी तक नेशनल केडेट कोर का विस्तार तदर्थ आधार पर ही किया जा रहा था। इसके पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ जाने से सरकार इस पर दीर्घकालीन योजना के रूप में विचार कर सकेगी और इस प्रकार केन्द्र और राज्यों के लिये यह सम्भव हो सकेगा कि इस के विस्तार के लिये वे आवश्यक निधि जुटा सकें।

नेशनल कैडेट कोर की उन्नति का सिंहावलोकन करते हुए इस के संचालक ने बताया कि १९५४-५५ के आर्थिक वर्ष की समाप्ति तक इस कोर के वरिष्ठ विभाग में ९११ अधिकारी और ३७,३७४ कैडेट; कनिष्ठ विभाग मे १,६३७ अधिकारी और ५३,८९५ कैडेट तथा लड़कियों के विभाग में १७० अधिकारी और ५,१०० कैडेट हो जायेंगे। लड़कियों के बहुत से हाई स्कूलों में प्रारम्भिक ३,००० संख्या वाला एक कनिष्ठ विभाग भी खोला जा चुका है।

सहायक कैडेट कोर

स्कूलो और कालेजो के उन लडको और लड़कियों के लिये, जो नेशनल कैडेट कोर मे शामिल नही हुए, सैनिक शिक्षा की बढती हुई माग को पूरा करने के लिये एक सहायक कैडेट कोर की स्थापना की गई है। इसने बहुत शीघ्र उन्नति की है और १९५८-५५ की समाप्ति तक इस की संख्या ५,००,००० तक पहुच जाने की आशा थी।

सहायक कैडेट कोर के कार्य शिविरों मे २०० शिक्षको और सहायक कैडेट कोर के चुने हुए १२,००० कैडेटो ने भाग लिया था। कैडेटों को राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों मे हाथ बँटाने का अवसर देने के लिये और उन्हे श्रम का महत्त्व समझाने के लिये ये शिविर लगाये गये थे। ये शिविर २८ भिन्न-भिन्न योजनाओं के क्षेत्रों मे राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के स्थानों पर सगठित किये गये थे।

इन शिविरों में अलग-अलग राज्यो के अनुसार कार्य भी अलग-अलग थे; किन्तु मुख्यत. गाँवो की सड़क बनाना, वहाँ के तालाबो को मछली पालने के स्थानो मे बदलना, कृषि योग्य जमीन पर से झाड झखाड को साफ करना, स्कूलो के लिये खेल के मैदान बनाना, वृक्ष लगाना और अशिक्षितो को पढाना आदि काम थे। एक शिविर मे कैडेटो ने स्कूल के लिये इमारत बनाने में मदद दी। शिविरो का कार्य काल दो से तीन सप्ताह का था और केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने इन शिविरों के लिये विशेष अनुदान दिया था।

पैन्शनों के लिये नियम

गत वर्ष पैन्शन कानून मे कुछ सुधार किये गये और अवसर-प्राप्त सैनिकों की पैन्शन बढा दी गयी। इन दरों के अनुसार एक सैनिक लेफ्टिनेन्ट को ३५० रुपये पैन्शन मिलेगी, और एक जनरल

को १,००० रुपये। एक सूबेदार मेजर को १५३ रुपये, चीफ आर्टिफिसर को ११६ और मास्टर वारन्ट आफिसर को १६५ रुपये। एक साधारण सिपाही को, जो पन्द्रह वर्ष सेना म काम कर चुका हो, १५ रुपये प्रति मास पेन्शन मिलेगी। यह भी निश्चय किया गया कि कन्याणवाला कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सैनिकों की निर्वाह निधि में सरकारी देन ६½ प्रतिशत मे बढ़ाकर ८½ प्रतिशत कर दी जाये।

१९५४ में सरकार ने प्रतिधारण शुल्क की और रक्षित सेना के सैनिकों की पेन्शन के संशोधित दरों की भी घोषणा की तथा सवार, सिपाही या उनके समकक्ष ओहदे वाले स्थल सेना के रक्षित सैनिकों के लिये उन संशोधित दरों के बदले में इनाम आदि देने की घोषणा की। ये दरें १ जनवरी, १९५३ से लागू हुई।

भूतपूर्व सैनिक

१९५४ में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्स्संस्थापन के कार्य में सन्तोषजनक प्रगति रही। भारत के विभिन्न भागों मे बनाई जाने वाली कृषि प्रधान बस्तियों में से भोपाल-स्थित बस्ती बन कर तैयार हो गई है और उत्तर प्रदेश राज्य के मनुनगर में एक बड़ी बस्ती के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। जीवन को नये सिरे से प्रारम्भ करने में भूतपूर्व सैनिकों को सहायता पहुँचाने के लिये बनाई गई और योजनाओ मे भी प्रगति हो रही है।

भूतपूर्व सैनिको के पुनस्संस्थापन में एक नई प्रगति रक्षा मंत्रालय की प्रार्थना पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा भूतपूर्व सैनिको को राज्य के बुनियादी कृषि-स्कूलों में प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध कर दिये जाने के कारण हुई है। इस पाठ्यक्रम का समय एक वर्ष है और १९५५ की समाप्ति तक इस योजना के अनुसार २,२५० भूतपूर्व सैनिको को प्रशिक्षण मिलने की आशा है। प्रशिक्षणार्थियों को कृषि, पशुपालन, गौशाला चलाना, पशु चिकित्सा विज्ञान, उद्यान-सम्बन्धी, पौधो की सुरक्षा सम्बन्धी, कृषि इंजीनियरिंग, जलवायु विज्ञान तथा उन्नति के अन्य तरीकों मे प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस पाठ्यक्रम मे सफल होने वालो को ग्राम-सेवक के रूप मे नियुक्त करने मे पूर्व छः महीने तक विस्तार कार्यो म प्रशिक्षण दिया जायेगा। अभी तक ३२८ भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न राज्यों में ग्राम सेवकों के रूप मे नियुक्ति हो चुकी है।

सहायक ग्रन्थ सूची

१. डी० जैक्सन—'इंडियन आर्मी' (लन्दन, १९४२)

२. एफ० ईट्स ब्राऊन—'मार्शल इंडिया' (लन्दन, १९४५)

३. राजेन्द्र सिंह—'आर्गनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन दि इंडियन आर्मी' (गेल एंड पोल्डन, १९५२)

४. के० वी० वैद्य—'दी नवल डिफन्स आफ इंडिया' (बम्बई, १९४९)

५. प्रतिरक्षा मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट १९४६-५०

नवाँ अध्याय

आर्थिक ढांचा

राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय

१९५१–५२ के लिये राष्ट्रीय आय ९,९९० करोड रुपये कूती गई थी। १९५०–५१, १९४९–५० और १९४८–४९ के लिये यह संख्या क्रमशः ९,५३० करोड, ९,०१० करोड और ८,६५० करोड थी। प्रचलित मूल्यो के आधार पर प्रति व्यक्ति आय १९५१–५२ मे २७४·५ रुपये, १९५०–५१ मे २६५.२ रुपये, १९४९–५० मे २५३.९ और १९४८–४९ मे २४६.९ रुपये कूती गई थी। यदि यह मान लिया जाये कि मूल्यों का स्तर एक समान रहा, तो १९५१–५२ की प्रति व्यक्ति आय १९५०–५१ की आय से २ २ प्रतिशत अधिक थी। परन्तु प्रचलित मूल्यो के आधार पर वह १९५०–५१ से ३.५ प्रतिशत अधिक थी।

१९५१–५२ की राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत इस प्रकार थे : कृषि से, जिसके अन्तर्गत पशुपालन, वनोद्योग और मछली पालन सम्मिलित है, ४,९९० करोड; खानो, खनिज उत्पादनों और हस्त कौशल उद्योगो से १,७३० करोड; वाणिज्य, बैंकिंग और बीमा, परिवहन और संवाद-वहन (रेलो सहित), डाक, तार और टेलीफोन सेवाओ से १,७९० करोड, तथा अन्य सभी सेवाओ से जिस के अन्तर्गत धन्धे और शिक्षणादि, सरकारी नौकरियाँ (प्रशासन) घरेलू नौकरियाँ और मकान आदि है १,५०० करोड रुपये। इन प्रमुख मदो से कुल आय १०,०१० करोड रु० हुई जिसमे से २० करोड विदेश को भेजी जाने वाली रकम है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय ९,९९० करोड रु० कूती गई है। तालिका १९ और २० मे (१) प्रचलित तथा स्थिर मूल्यो के आधार पर राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय तथा (२) १९४८ से १९५२ तक प्रति वर्ष औद्योगिक स्रोत से राष्ट्रीय आय को दिखाया गया है।

काम मे लगे लोगो की सख्या

१९५०–५१ मे देश की जनसख्या ३५ ९३ करोड थी जिसमे से १४.३२ करोड कार्य-संलग्न लोग थे, १० ३७ करोड़ (कुल कार्यक्षम लोगो का ७२.४ प्रतिशत) लोग कृषि कार्यों मे लगे थे, १.५३ करोड (१०.६ प्रतिशत) खानो, खनिज उत्पादनों और हस्त-कौशल में; १.११ करोड़ (७ ७ प्रतिशत) वाणिज्य, बैंकिंग और बीमा, परिवहन तथा संवादवहन, रेल, डाक, तार, टेलीफोन सेवाओ आदि में, ६४ लाख धन्धों व शिक्षणादि में, ३९ लाख सरकारी नौकरियों (प्रशासन) मे और २९ लाख घरेलू नौकरियों में। विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के वितरण का विवरण तालिका २१ मे दिया गया है।

मुख्य फसलें

१९५०–५१ में लगभग ३२.०३ करोड़ एकड़ जमीन पर खेती होती थी और देश की समस्त कृषि उपज का कुल मूल्य ४, ८६६ करोड़ रुपये था। लेकिन कृषि उत्पादन का वास्तविक मूल्य ४,११२ करोड़ रु० ही था।

मुख्य उद्योग

उत्पादक उद्योगों का राष्ट्रीय आय मे वास्तविक योगदान १९५० मे ५१३.४ करोड़ आँका गया था जिस का विवरण इस प्रकार है : सूती माल मे १०७·९ करोड़, चाय मे ६९.३ करोड, पटसन के माल मे ४६.६ करोड, चीनी से ३५ ७ करोड़, आम और बिजली इंजीनियरिंग से २९.४करोड़, लोहा और इस्पात मे २६.९ करोड़, रासायनिको मे १४ ० करोड, वनस्पति तेलो से १३.७ करोड, तम्बाकू से बनी चीजो से १९.५ करोड, रबड और रबड मे बनी चीजो मे १०.१ करोड़, सीमेन्ट से ८.५ करोड, मोटरो और डिब्बो के निर्माण मे ७.४करोड़ तथा कागज और गत्ते मे ६.६ करोड़ ।

१९५० मे बैंकिंग और बीमा मे प्राप्त ६५.१२ करोड रुपये की आय मे से ३६ २९ करोड बैंकिंग मे, २२.८५ करोड बीमा मे और शेष ५.९८ करोड सहकारी समितियों मे प्राप्त हुआ ।

धन्धे और शिक्षणादि

१९५०–५१ मे धन्धो व शिक्षणादि की आय ४६८ करोड रु० कूती गई है इसमें से ११९ करोड चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओ मे, ६९ करोड शिक्षा सेवाओं मे, ६३ करोड कला और विज्ञान आदि मे, ३२ करोड वकालत आदि मे, ४७ करोड धार्मिक और दातव्य सेवाओ मे तथा ३७ करोड सफाई सेवाओं मे प्राप्त हुई। घरेलू नौकरियों की आय १३० करोड़ रु० थी जिसमे से ११४ करोड बावर्चियो, बागवानो तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अर्जित की गई और १६ करोड मोटर ड्राइवरो तथा क्लीनरों द्वारा ।

मकान आदि से १९५०–५१ मे प्राप्त ४०८ ३ करोड रुपये की आय मे से २१२.८ करोड शहरो के मकानो से और १९५ ५ करोड देहातो के मकानों से प्राप्त हुई ।

प्रति व्यक्ति उत्पादन

कुल राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत १९५०–५१ में रोजी में लगे प्रति व्यक्ति के उत्पादन का मूल्य ६७० रुपये कूता गया है। कृषि मे लगे व्यक्तियों का ५०० रुपये और खानो व उत्पादन में लगे व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति उत्पादन मूल्य ७०० रुपये रहा है । रेलो व संवाद वहन सेवाओ मे लगे व्यक्तियों का १,६०० रुपये तथा बैंकिंग, बीमा व अन्य वाणिज्य तथा यातायात मे लगे व्यक्तियों का १,५०० रुपये रहा है। छोटे उद्योगों मे लगे लोगो का प्रति व्यक्ति उत्पादन मूल्य ८०० रुपये, धन्धों व शिक्षणादि मे लगे हुए लोगों का ७०० रुपये और सरकारी नौकरियो (प्रशासन) में लगे लोगो का १,१०० रुपये रहा है। घरेलू सेवाओं में लगे लोगों का उत्पादन-मल्य न्यूनतम केवल ४०० रुपये रहा है ।

तालिका १६

१९५०–५१ में काम में लगे प्रति व्यक्ति का वास्तविक उत्पादन-मूल्य

	वास्तविक-उत्पादन-मूल्य (करोड़ रुपयों-में)	कार्य-संलग्न प्रति व्यक्ति का वास्तविक उत्पादन-मूल्य (रुपयों में)	कार्य-संलग्न लोगो की संख्या (करोड़ों में)
कृषि	४,८९०	१०.३६	५००
खानें और कारखाने . . .	६२०	०.३७	१,७००
छोटे उद्योग	९१०	१.१५	८००
रेलें और संवादवहन . . .	२२०	०.१४	१,६००
बैंकिंग, बीमा और अन्य वाणिज्य तथा यातायात	१,४७०	० ९७	१,५००
धन्धे व शिक्षणादि . . .	४७०	०.६४	७००
सरकारी नौकरियाँ (प्रशासन) . .	४३०	० ३९	१,१००
घरेलू नौकरियाँ . . .	१३०	० २९	४००
वास्तविक घरेलू उत्पादन . .	९,५५०	१४.३२	६७०

देहाती अर्थ-व्यवस्था का रूप

राष्ट्रीय नमूना पड़ताल की आरम्भिक जाँच के अनुसार, जो अक्तूबर १९५० से मार्च १९५१ तक की गई, भारत के देहातों में प्रत्येक घर में औसतन ५.२१ व्यक्ति थे। इनमें से एक चौथाई से कुछ अधिक (२८.१ प्रतिशत) कमाऊ आश्रित लोग थे और आधे से अधिक (५५.३ प्रतिशत) गैर-कमाऊ आश्रित। देहाती क्षेत्रों में उपभोग वस्तुओं पर वार्षिक व्यय, नमूना पड़ताल के अनुसार, १९४९–५० में २२० रुपया प्रति व्यक्ति था। प्रति व्यक्ति औसत उपभोग व्यय उत्तर-पश्चिमी भारत में अधिकतम ३१८ रुपये था और भारत के मध्य भाग में सब से कम १९८ रुपये था।

देहाती क्षेत्रों में एक औसत परिवार के व्यय का दो तिहाई भाग (६६.३ प्रतिशत) खाने में खर्च होता था, लगभग दशमांश (९.७ प्रतिशत) कपड़े में और लग चतुर्थांश (२४.० प्रतिशत) छोटे-मोटे घरेलू खर्चों में। शिक्षा, समाचार-पत्र और किताबों पर होने वाला खर्च केवल १.५६ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था (प्रति व्यक्ति व्यय का ०.७ प्रतिशत) और चिकित्सा-सेवाओं

तथा दवाइयों पर २.८ रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष (१.२१ प्रतिशत)। शिक्षा और स्वास्थ्य पर मिला कर कुल प्रति व्यक्ति व्यय का २ प्रतिशत ही खर्च होता था। ईंधन और रोशनी पर ३.२५ प्रतिशत खर्च आता था, उत्सव-समारोहों पर ७.२१ प्रतिशत और कुल व्यय का शेष अष्टमांश अन्य सुख-सुविधाओं पर। उत्तर-पश्चिमी भारत में एक औसत व्यक्ति के खाने पीने का मूल्य अधिकतम लगभग २१३ रुपये था और भारत के मध्य भाग में न्यूनतम १२४ रुपये। कुल उपभोक्ता व्यय और भोजन के व्यय का अनुपात पूर्वी भारत में अधिकतम ७१ प्रतिशत था और पश्चिमी भारत में न्यूनतम ५४ प्रतिशत।

सारे भारत को देखते हुए देहाती क्षेत्रों में कपड़े पर प्रति व्यक्ति औसत व्यय लगभग २१ रुपये था। आंचलिक औसत इस प्रकार थी : पश्चिमी भारत में अधिकतम ३१.४ रुपये, पूर्वी भारत में सब से कम १५.५ रुपये। देश में कपड़े पर जो कुल खर्चा हुआ उसका ७४ प्रतिशत मिलों में बने हुए कपड़ों पर, हाथकरघे के कपड़े पर २०.४ प्रतिशत, खद्दर पर २.८१ प्रतिशत और ऊनी तथा अन्य कपड़ों पर केवल २.७४ प्रतिशत व्यय हुआ।

जूते–चप्पलों पर औसत वार्षिक व्यय उत्तर पश्चिम भारत में ५·३९ रुपये अधिकतम था और दक्षिण भारत में सब से कम ०·५६ रुपये। चिकित्सा और दवाइयों पर खर्च पूर्वी भारत में ३·९८ रुपये अधिकतम प्रति व्यक्ति था और उत्तरी भारत में सब से कम १·४२ रुपये। सारे भारत को देखते हुए उत्सव समारोहों पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष व्यय १५·८ रुपये था और यह कुल व्यय का ७·२ प्रतिशत था। पश्चिमी भारत में यह व्यय अधिकतम ३९·४ रुपये या कुल व्यय का १५·६ प्रतिशत और दक्षिणी भारत में सब से कम ८·४६ रुपये या कुल व्यय का ४·१७ प्रतिशत।

राष्ट्रीय नमूना पड़ताल के दूसरे दौर के आधार पर, जो अप्रैल से जून १९५१ तक की गई, देहाती क्षेत्रों के परिवारों को उनके मासिक खर्च के अनुसार वर्गीकृत किया गया और कुल परिवारो को देखते हुए उस का अनुपात निम्न तालिका मे बताया गया है।

तालिका १७

मासिक व्यय की मात्रा को देखते हुए देहात–निवासियो का प्रतिशत वितरण

अप्रैल–जून १९५१

मासिक व्यय (रुपयों मे)	कुल परिवारो को देखते हुए प्रतिशत अनुपात
५० रुपये तक	२० ४
५१–१००	३१ २
१०१–१५०	२१ १
१५१–२००	१० ४
२०१–३००	७ ५
३०१–४००	३ ६
४०१–५००	१ ५
५०१–६००	० ६
६०१–८००	१ ०
८०१–१,०००	० ३
१,००० से ऊपर	० ४
कुल जोड़	१००·०

इस प्रकार देहाती क्षेत्रों में सभी परिवारों के २०·४ प्रतिशत भाग का मासिक व्यय ५० रुपये से कम था और ५१·६ प्रतिशत से अधिक लोग १०० रुपये मासिक से कम रकम खर्च कर रहे थे। केवल ७·४ प्रतिशत ही २०० रुपये मासिक से अधिक खर्च कर रहे थे, २·३ प्रतिशत ५०० रुपये से अधिक। हजार में ७ व्यक्ति ही ८०० रुपये मासिक से अधिक और ३ व्यक्ति एक हजार रुपये मासिक से अधिक खर्च कर रहे थे।

उक्त पडताल के अनुसार देहाती विनियोग का जून १९५० से मई १९५१ तक का मूल्य २७ ७४ रुपये प्रति परिवार था जिसमें आधा भाग मकानों, कुँओं, तालाबों, बाँधों आदि की मरम्मत में खर्च होता था और एक तिहाई भूमि सुधार में। देहाती क्षेत्रो में वार्षिक पूजी संचयन १६६ करोड़ रुपये आँका गया था।

राष्ट्रीय नमूना पड़ताल के दूसरे दोर में देहाती क्षेत्रो के परिवारों को उनके अधीन भूमि के आकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। यहाँ भू-सम्पत्ति का तात्पर्य केवल उस भूमि से नही है जिसका कोई मालिक है, बल्कि उस वास्तविक भू-सम्पत्ति से है जिसका वह मालिक है तथा जिसमे वह भूमि सम्मिलित है जिसे उसने पट्टे पर लिया हो और उसमें वह भूमि सम्मिलित नही है जो उसने आगे किसी को दे दी हो। देहाती क्षेत्रो मे समस्त परिवारों मे १६ ३ प्रतिशत ही ऐसे थे जिनके पास १० एकड या उससे अधिक भूमि थी। ५ ३ प्रतिशत के पास २५ एकड या उससे अधिक थी, और इस वर्ग के लोग कुल खेती की जमीन के ३३·४ प्रतिशत का प्रबन्ध करते थे। जिन परिवारो के विषय मे पूरे रिकार्ड पाये गये उनमे ५·९ प्रतिशत के पास जमीन थी ही नही, ४९·२ प्रतिशत के पास २·५ एकड़ प्रति परिवार थी और वे कुल खेती वाली जमीन के ७ ६ प्रतिशत का प्रबन्ध करते थे। १४·३ प्रतिशत के पास २.५ से ५ एकड़ तक जमीन थी और वे कुल खेती वाली जमीन के ११·१ प्रतिशत भाग का प्रबन्ध करते थे।

तालिका १८

एकड भूमि	कुल परिवारो का प्रतिशत जिन के बारे में पूरे रिकार्ड प्राप्त थे	पूरे रिकार्ड प्राप्त परिवारो द्वारा प्रबन्धित भूमि का कुल खेती की भूमि के मुकाबले प्रतिशत
—	५·९	—
० ०१-०२ ४९	४९ २	७ ६
२.५०-४.९९	१४ ३	११ १
५ ००-७ ४९	९ ५	११.४
७ ५०-९ ९९	४ ८	७ २
१०.००-१४ ९९	६ १	१३ १
१५ ००-२४.९९	४ ९	१६ २
२५ ०० और अधिक	५·३	३.४

राष्ट्रीय नमूना पड़ताल के तीसरे दोर की जाँच के अनुसार गाँवो मे प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग-खर्च अगस्त-नवम्बर १९५१ में २४·२२ रुपये था। शहरों में यह खर्च ३१ ५५ रुपये था

ओर कलकत्ता, मद्रास, बम्बई तथा दिल्ली में ५४·८२ रुपये। सारे देश को मिलाकर प्रति माह औसत खर्च २५·७० रुपये था। इस प्रकार शहरों का प्रति व्यक्ति खर्च कस्बों और गाँवों के खर्च से अधिक था। गाँवों से शहरों का खर्च तो लगभग दूना था।

उपभोग के प्रकार भी गाँवों और कस्बों से शहरों से भिन्न थे। गाँवों में खर्च का ८० प्रतिशत अनाजों पर था जब कि कस्बों में यह खर्च २२ प्रतिशत ही था और शहरों में ११ प्रतिशत। गाँवों से खाद्यान्न पर लागत कुल खर्च की ६६ प्रतिशत थी, कस्बों में ५५ प्रतिशत और शहरों में ४६ प्रतिशत लेकिन खाने पीने पर वास्तविक खर्च कस्बों व गाँवों के मुकाबले शहरों में कहीं अधिक था। गाँवों से ईंधन और रोशनी पर खर्च न्यूनतम था और शहरों में अधिकतम ; यद्यपि कुल खर्च को देखते हुए उसका अनुपात लगभग तीनों ही क्षेत्रों में समान था।

कपड़े पर आनुपातिक व्यय तीनों ही क्षेत्रों से प्रायः समान था : ६ प्रतिशत से कुछ अधिक जबकि अपने-आप से कपड़े पर शहरों का व्यय अधिकतम था।

शेष विषयों पर विशेषतः शिक्षा, सेवाओं, भूमि और करों पर खर्च, जैसे-जैसे हम गाँवों से कस्बों तक और कस्बों से शहरों तक बढ़ते जाएं, क्रमशः बढ़ता जाता है, गाँवों में जो खर्च होता है वह प्रायः अखिल भारतीय औसत के निकट है क्योंकि भारत में गाँवों की अर्थ व्यवस्था ही प्रमुख है। अन्त में दी गई तालिका २० से इस सम्बन्ध में सभी विवरण प्राप्त हो जाता है।

मूल्य और जीवन का देशनांक

यद्यपि द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले के स्तर से १९५३-५४ में भारत में थोक मूल्यस्तर चार गुना अधिक था, तथापि १९४९ के बाद से मूल्य अपेक्षाकृतः स्थिर रहे हैं। १९५३-५४ में भारत में थोक मूल्यों का सामान्य देशनांक ३९७·५ था (अगस्त १९३९ में समाप्त होने वाला वर्ष=१००) जब कि १९४८ को आधार वर्ष मानने पर १९५३ का देशनांक १०७ था, दूसरे देशों की तुलना में १९४८ से मूल्यों का चढ़ाव और जीवन-यापन-व्यय सामान्य रहा है। केवल १९५१ में कोरियाई युद्ध के कारण मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई थी। इस दिशा में भारत की स्थिति बहुत कुछ अमेरिका और कनाडा के समान और ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया से भिन्न रही है जहाँ इसी काल में मूल्य-स्तर १०० से २ गुना तक ऊंचा चढ़ गया था।

१९५३-५४ में फुटकर सामान और औद्योगिक कच्चे माल के दामों में युद्ध पूर्व के स्तर से सब से अधिक वृद्धि हुई जब कि अर्ध-तैयार माल, तैयार माल और खाद्य पदार्थों में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही।

१९५३-५४ के बाद मूल्यों के आम स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई। अप्रैल १९५४ और जनवरी १९५५ के बीच में थोक मूल्यों का सामान्य देशनांक १० प्रतिशत नीचा गया, खाद्यान्न का देशनांक १८ प्रतिशत, औद्योगिक कच्चे माल का ८ प्रतिशत, तैयार माल का १३ प्रतिशत और फुटकर चीजों का २० प्रतिशत। दामों में इस गिरावट का कारण मुख्यतः यह है कि १९५३-५४ में अनाज और व्यावसायिक फसलों की उत्पत्ति में काफी वृद्धि हुई।

जबकि अखिल भारतीय, बम्बई और मद्रास के श्रमिकों के जीवन-यापन का देशनांक १९५३-५४ में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ बढ़ा, दिल्ली का देशनांक १०७ पर स्थिर रहा, कलकत्ते के देशनांक में १ की अल्प गिरावट रही। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है।

अप्रैल १९५४ और जनवरी १९५५ के बीच अनाज और व्यावसायिक फसलों के दाम तेजी से गिरे और परिणामतः सभी केन्द्रों में जीवन-देशनांक भी गिरा। १९५३–५४ की तुलना में अखिल भारतीय श्रमिक जीवन-यापन देशनांक नवम्बर १९५४ में ८ बिन्दु नीचे गिरा। नवम्बर के बाद दामों में जो गिरावट आती रही उस से विभिन्न केन्द्रों में जीवन-यापन देशनांक में और भी गिरावट आनी चाहिए।

तालिका १९

प्रचलित और स्थिर मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय

१९४८–४९ से १९५१–५२ तक

वर्ष	राष्ट्रीय आय (करोड़ रुपयों में)		प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)	
	वर्तमान मूल्यों के अनुसार	१९४८-४९ के मूल्यों के अनुसार	वर्तमान मूल्यों के अनुसार	१९४८–४९ के मूल्यो के अनुसार
१९४८–४९	८,६५०	८,६५०	२४६.९	२४६.९
१९४९–५०	९,०१०	८,८२०	२५३.९	२४८.६
१९५०–५१	९,५३०	८,८५०	२६५.२	२४६.७
१९५१–५२	९,९९०	—	२७४.५	२५१.३

तालिका २०

औद्योगिक स्रोतों से राष्ट्रीय आय

(करोड़ रुपयों में)

	१९५१–५२	१९५०–५१	१९४९–५०	१९४८–४९
कृषि				
१. कृषि, पशुपालन और संबद्ध कार्य	४,८८०	४,७८०	४,३८०	४,१६०
२. वनोद्योग	७०	७०	७०	६०
३. मछली पालन	४०	४०	४०	३०
कुल जोड़	४,९९०	४,८९०	४,४९०	४,२५०

तालिका २० (क्रमशः)

	१९५१–५२	१९५०–५१	१९४९–५०	१९४८–४९
खनिज उत्पादन और हस्त-उद्योग				
४. खनिज	९०	७०	६०	६०
५ कारखाने	६९०	५५०	५४०	५५०
६. छोटे उद्योग	९५०	९१०	९००	८७०
कुल जोड	१,७३०	१,५३०	१,५००	१,४८०
वाणिज्य, परिवहन और संवाद वहन				
७. संवाद वहन (डाक, तार, टेलीफोन)	४०	४०	३०	३०
८. रेलें	२१०	१८०	१८०	१७०
९. संगठित बैंकिंग व बीमा	८०	७०	६०	५०
१०. अन्य वाणिज्य व यातायात	१,४६०	१,४००	१,३९०	१,३५०
कुल जोड़	१,७९०	१,६९०	१,६६०	१,६००
अन्य सेवाएं				
११ धन्धे व शिक्षणादि	५००	४७०	४५०	४३०
१२. सरकारी नौकरियाँ (प्रशासन)	४५०	४३०	४१०	४००
१३. घरेलू नौकरियाँ	१४०	१३०	१२०	१२०
१५. मकान	४१०	४१०	४००	३९०
कुल जोड़	१,५००	१,४४०	१,३८०	१,३४०
वास्तविक घरेलू उत्पादन	१०,०१०	९,५५०	९,०३०	८,६७०
वास्तविक विदेशी आय	—२०	—२०	—२०	—२०
वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय	९,९९०	९,५३०	९,०१०	८,६५०

तालिका २१

उद्योगों में लगे हुए लोगों का वितरण

(लाखों में)

मदें	१९५०–५१		१९४९–५०		१९४८–४९	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
कृषि, पशु पालन और सम्बद्ध कार्य	१,०२७	७१.८	१,०११	७१ ८	९९५	७१.८
वनोद्योग . .	३	०.२	३	०.२	३	०.२
मछली पालन . .	५	०.४	५	०.४	५	०.४
कृषि का कुल जोड़ .	१,०३६	७२.४	१,०२०	७२ ४	१,००५	७२ ४
खान . . .	७	० ५	७	०.५	७	०.६
कारखाने . .	२९	२.१	३०	२.२	३०	२ २
छोटे उद्योग . .	११५	८.०	११३	८.०	११२	८ १
खान, उत्पादन और हस्त-कला उद्योगों का कुल जोड .	१५०	१० ६	१५१	१० ८	१५०	१० ९
संवादवहन (डाक, तार और टेलीफोन) .	१	० १	१	० १	१	० १
रेलें . . .	११	०.८	११	० ८	११	० ८
संगठित बैंकिंग और बीमा .	१	० १	१	० १	१	० १
अन्य वाणिज्य तथा परिवहन	९५	६ ७	९४	६.७	९३	६ ७
वाणिज्य, परिवहन तथा संवाद-वहन का जोड .	११०	७ ७	१०९	७.७	१०८	७ ८
धन्धे व शिक्षणादि .	६४	४.५	६१	४.४	६०	४ ३
सरकारी नौकरियाँ (प्रशासन) . .	३८	२.७	३७	२ ७	३५	२.६
घरेलू नौकरियाँ . .	२९	२ १	२८	२.०	२७	२ ७
अन्य सेवाओं का जोड .	१३२	९ ३	१२८	९.१	१२३	८.९
कुल कार्य मग्न लोग	१,४३२	१००.०	१,४०९	१००.०	१,३७८	१००.०
जनसंख्या .	३,५९३	—	३,५४८	—	३,५०३	—

तालिका २२

शहरों, गाँवों और भारत के लिये उपभोक्ता व्यय प्रति व्यक्ति प्रति माह

अगस्त–नवम्बर १९५१

मदें	प्रति माह प्रति व्यक्ति रुपये				कुल व्यय का प्रतिशत			
	शहर	कस्बे	गाँव	भारत	शहर	कस्बे	गाँव	भारत
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१. अनाज . .	५.८७	६.९४	९.६४	९.२१	१०.७१	२२.००	३९.८०	३५.८४
२. दालें . .	१.४६	१.०३	०.९४	०.९९	२.६६	३.२७	३.८८	३.८५
३. खाने योग्य तेल .	२.१०	१.२९	०.७७	०.९०	३.८३	४.०९	३.१८	३.५०
४. सब्जियाँ . .	२.५३	१ ०३	०.५६	०.६४	४.६२	३.२६	२.३१	२.४९
५. दूध और दूध से बनी चीजें . .	५.०६	२.६६	१.५९	१.८०	९.२३	८.४३	६.५६	७.००
६. मांस, अण्डे और मछली	२.४४	०.८५	०.४७	०.५६	४.४५	२.६९	१.९४	२.१८
७. फल . .	०.९८	०.४७	०.१७	०.२१	१.७९	१.४९	०.७०	०.८२
८. नाश्ता . .	२.५७	१ २०	०.३०	०.४७	४.६९	३.८०	१.२४	१.८३
९. नमक . .	०.०९	०.०९	०.११	०.०९	०.१६	०.२९	०.४५	०.३५
१०. मसाले . .	०.९९	०.७७	०.६४	०.६४	१.८०	२.४४	२.६४	२.४९
११. खाण्ड . .	१.२०	०.९४	०.६९	०.६९	२.१९	२.९८	२.८५	२.८४
खाद्यों का कुल जोड़ .	२५.२९	१७.२७	१५.८८	१६.२४	४६.१३	५४.७४	६५.५५	६३.१९

तालिका २२ (क्रमशः)

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१२. पान (पत्ती) .	०.६०	०.३९	०.१७	०.२२	१.०९	१.२४	०.७०	१.९९
१३. तम्बाकू . .	०.८६	०.६०	०.५१	०.५१	१.५७	१.९०	२.११	०.५१
१४. मादक द्रव्य .	०.४७	०.१७	०.१३	०.१३	०.८६	०.५४	०.५४	६.५१
१५. ईंधन और रोशनी .	३.३९	१.९३	१.६३	१.६७	६.१८	६.१२	६.७३	६.१९
१६. वस्त्र . .	३.७८	२.०५	१.४८	१.५९	६.९०	६.५०	६.११	०.८७
१७. बिस्तर . .	०.२२	०.११	०.१०	०.११	०.४०	०.३५	०.४१	०.४२
१८. जूते आदि . .	०.४३	०.१८	०.१४	०.१५	०.७८	०.५७	०.५८	०.५८
१९. मनोविनोद और वाद्य यन्त्र . .	०.७५	०.३१	०.०९	०.१४	१.३७	०.९७	०.३७	०.५४
२०. शिक्षा . .	१.४७	०.६५	०.१६	०.२५	२.६८	२.०६	०.६६	०.९७
२१. दवाइयाँ . .	१.३१	०.८६	०.३२	०.४१	२.३९	२.७३	१.३२	१.६०
२२. प्रमाधन .	०.५८	०.२६	०.०८	०.१२	१.०६	०.८२	०.३३	०.४७
२३. छोटी मोटी चीजें .	०.४५	०.२२	०.१४	०.१५	०.८२	०.७०	०.५८	०.५९
२४. सवारी . .	१.६७	०.६८	०.२९	०.३७	३.०५	२.१६	१.२०	१.४४
२५. सेवाएं . .	४.७७	२.४३	०.८१	१.०९	८.७०	७.७०	३.३४	४.२४
२६. फर्नीचर . .	०.१६	०.०५	०.०४	०.०४	०.२९	०.१५	०.१७	०.१६
२७. घरेलू बर्तन .	०.१३	०.०७	०.०६	०.०६	०.२४	०.२२	०.२५	०.२३
२८. अन्य उपकरण तथा गहने . .	१.८२	०.५२	०.३८	०.५३	३.३२	१.६५	१.५७	१.६७
२९. उत्सव समारोह .	२.९१	१.८६	१.४७	१.५४	५.३१	५.९०	६.०७	५.९९
३०. किराया . .	२ ४६	०.६७	०.२९	०.३८	४.४९	२.१२	१.२०	१.४८
३१. कर . .	१ ३०	०.२७	०.०५	०.१०	२ ३७	०.८६	०.२१	०.३९
गैर-खाद्यों का जोड़ .	२९ ५३	१४.२८	८ ३४	९.४५	५३.८७	४५.२६	३४.४५	३६.८१
कुल जोड़ . .	५४.८२	३१.५५	२४.२२	२५.७०	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००

तालिका २३

थोक मूल्यों के देशनांक

आम मामलों की सारणी

(आधार अगस्त १९३९ में समाप्त होने वाला वर्ष = १००)

वर्ष	खाद्य वस्तुएं	औद्योगिक कच्चे माल	अर्ध-तैयार माल	तैयार माल	विविध	आय देशनांक
१९४७–४८	३०६.१	३७७ ५	२६१ ६	२८६ ४	४५६.२	३०८.२
१९४८–४९	३८२.९	४४४ ८	३२७ ३	३४६.१	५२५.२	३७६.२
१९४९–५०	३९१ ३	४७१.७	३३१ ६	३४७.२	५७० ७	३८५.४
१९५०–५१	४१६.४	५२३ १	३४'.०	३५४.२	७०७ ४	४०९.७
१९५१–५२	३९८.६	५९१ ९	३७४ ४	४०१ ५	७२१.६	४३४.६
१९५२–५३	३५७.८	४३६ ९	३४३.८	३७१ २	६१४.१	३८०.६
१९५३–५४	३८४.४	४६७ ७	३५९ २	३६७ ४	६८६ ६	३९७.५
जनवरी १९५५	३१० ३	४३२.९	३४४.३	३७५.३	५६८.८	३६३.९

तालिका २४

जीवन यापन देशनांक (कामगरों के लिये)

(वर्ष १९४९=१००)

वर्ष	अखिल भारतीय	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास
१९४८–४९	१००	१०२	९९	१०१	९७
१९४९–५०.	१०२	१००	१००	१००	१००
१९५०–५१.	१०२	१०४	१०१	१०२	१०१
१९५१–५२.	१०५	१०८	१०६	१०८	१०४
१९५२–५३.	१०४	११२	१००	१०७	१०३
१९५३–५४.	१०६	११९	९९	१०७	१०९
नवम्बर १९५४	९८	११७	९३	१०५	१०४

सहायक ग्रन्थ सूची

१ 'दि नेशनल सर्वे' : आम रिपोर्ट सं० १ जो पहिली पड़ताल अक्तूबर १९५० से मार्च १९५१ तक के विषय में है। (आर्थिक मामलो का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, दिसम्बर १९५२)

२ 'दि नेशनल सैम्पल सर्वे' : सं० २–दूसरी पड़ताल पर तालिकाएं और टिप्पणियाँ, अप्रैल–जून १९५१ (आर्थिक मामलो का विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, दिसम्बर १९५३)

३ 'दि नेशनल सैम्पल सर्वे' : सं० ३–तीसरी पड़ताल पर तालिकाएं और टिप्पणियाँ, अगस्त–नवम्बर १९५१ (आर्थिक मामलो का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, जनवरी १९५४)

४. 'फाइनल रिपोर्ट ऑफ दि नेशनल इन्कम कमेटी', फरवरी १९५४ (आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित)

५. 'एस्टीमेट्स ऑफ नेशनल इन्कम' १९४८-४९, १९५१–५२ (केन्द्रीय आंकड़ा संगठन, मन्त्रिमंडल सचिवालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, सितम्बर १९५४)

६. 'रिपोर्ट ऑन करेन्सी एन्ड फिनान्स फॉर दि ईयर १९५३–५४, (रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई १९५४)

दसवाँ अध्याय

पंचवर्षीय योजना

मार्च, १९५० में भारत सरकार ने भारत के साधनों का अधिकतम, प्रभावशाली और सन्तुलित उपयोग करने के उद्देश्य से एक योजना आयोग की स्थापना की थी। जुलाई १९५२ में इस आयोग से अनुरोध किया गया था कि वह राष्ट्रमण्डलीय सलाहकार समिति के सम्मुख पेश करने के लिये देश के आर्थिक विकास की एक योजना प्रस्तुत करे। दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के सहकारी आर्थिक विकास के लिये जो कोलम्बो-योजना बनी थी उसमें उक्त योजना सम्मिलित की गई थी।

जुलाई १९५१ मे योजना आयोग ने अपनी प्रथम पचवर्षीय योजना की रूपरेखा सार्वजनिक जनता की अधिकतम आलोचना प्राप्त करने की दृष्टि से प्रकाशित की थी। उसके बाद दिसम्बर १९५२ मे जो प्रथम पचवर्षीय योजना भारतीय ससद् के सम्मुख पेश की गई, उसके अनुसार १९५१–५६ तक २,०६९ करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय हुआ। अक्तूबर १९५३ मे इस राशि मे १ अरब ८० करोड रुपये की वृद्धि इस उद्देश्य से की गई कि उस के द्वारा देश मे बढती हुई बेकारी को रोका जा सके और नये-नये कार्यों का क्षेत्र विस्तृत किया जा सके।

उद्देश्य

योजना का केन्द्रीय उद्देश्य बताते हुए यह कहा गया है कि उसके द्वारा इस प्रकार के विकास का क्रम आरम्भ होगा जो जीवन के मानदंड को ऊँचा उठाएगा और लोगों के लिये इस प्रकार के अवसर प्रस्तुत करेगा जिससे वे अधिक समृद्ध और अधिक विविधतापूर्ण जीवन बिता सके। आर्थिक योजना का सम्बन्ध अनिवार्य रूप से एक व्यापकतर विकास-क्रम से है जिस का उद्देश्य केवल संकीर्ण अर्थों में साधनों का विकास ही नही है बल्कि मानव के गुणो का विकास भी है और इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण भी है जो जनता की आवश्यकताओं और अभिलाषाओ की पूर्ति कर सके।

वर्तमान पंचवर्षीय योजना उन अनेक योजनाओं की पहली कड़ी है जिनका उद्देश्य भारतीय जनता का आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना होगा। दीर्घकालीन उद्देश्य यह है कि १९७७ तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना कर दिया जाये अर्थात् १९५०–५१ को आधार वर्ष मान कर लगभग २७ वर्षो में उक्त उद्देश्य पूर्ण किया जाये। इस अवधि में उपभोग के स्तर को आधार वर्ष के मुकाबले लगभग ७० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा दिया जायेगा। प्रथम योजना काल में अर्थात् १९५१ से १९५६ तक राष्ट्रीय आय, ९,००० करोड़ रुपये से बढ़ कर १०,००० करोड़ रुपये हो जायेगी अर्थात् लगभग ११ से १२ प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। आर्थिक प्रगति के लिये बहुत बड़ी पूजी संचयन की आवश्यकता होती है। इसलिए यह कल्पना की गई है कि राष्ट्रीय आय के भाग के रूप मे बचत की दर १९५०–५१ में ५ प्रतिशत से बढ़ कर

१९५५–५६ मे ६½ प्रतिशत, १९६०–६१ मे ११ प्रतिशत और १९६७–६८ में २० प्रतिशत होनी चाहिए। इसके बाद उक्त भाग के बढाने की जरूरत नही पड़ेगी, यद्यपि विनियोग के लिये लगाये गये साधनो मे वृद्धि होती रहेगी।

उपर्युक्त स्तर को प्राप्त करने के लिये कुछ बुनियादी बातें स्वीकृत की गई है जो इस प्रकार है: (१) पिछली दशाब्दी की भाँति जनसंख्या प्रति वर्ष १¼ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती रहेगी (२) राष्ट्रीय उत्पादन और आय की एकिक वृद्धि के लिये पूंजी सचयन मे ३ गुनी वृद्धि की आवश्यकता होगी और उत्पादन मे वृद्धि पूंजी-विनियोग की तिथि से तीसरे वर्ष से आरम्भ होगी, तथा (३) प्रत्येक काल मे इस बात के चुनने को गुंजाइश रहेगी कि अतिरिक्त आय के किस भाग को विनियोग के लिये लगाया जाये और यह बात इच्छित विकास की दर, कष्ट सहन की मात्रा और आवश्यक योजना सम्बन्धी परिवर्तनो के अनुसार होगी।

वर्तमान पचवर्षीय योजना का अनिवार्य उद्देश्य भविष्य मे अधिक तेजी से होने वाले विकास की नीव डालना है। इसलिए विनियोग का लक्ष्य और उत्पादन मे वृद्धि का लक्ष्य आगामी २० वर्षों के लक्ष्यों को तुलना मे साधारण है।

सार्वजनिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रम पर किये जाने वाले व्यय का विवरण निम्नलिखित तालिका मे मिलेगा।

तालिका २५

(करोड़ रुपयो मे)

	१९५१–५६ का व्यय	कुल का प्रतिशत
कृषि और सामुदायिक विकास	३६१	१७.५
सिचाई	१६८	८.१
बहूद्देशीय सिचाई और विद्युत् कार्य	२६६	१२.९
विद्युत्	१२७	६ १
यातायात और डाक-तार	४९७	२४ ०
उद्योग	१७३	८ ४
समाज सेवाए	३४०	१६ ४
पुनर्वास	८५	४.१
विविध	५२	२.५
कुल जोड़	२,०६९	१०० ०

वर्तमान योजना में देश के कृषि सम्बन्धी विकास, सिंचाई की व्यवस्था तथा बिजली के उत्पादन पर सब से अधिक बल दिया गया है। भारत में यातायात तथा संवादवहन के साधनों के विकास को भी बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। संभवतः इसका परिणाम यह हुआ है कि व्यवसाय के विकास पर सार्वजनिक विनियोग को सीमित करना पड़ा है। स्पष्टतः इसका अभिप्राय यह है कि पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में देश का व्यावसायिक विकास मुख्यतः निजी क्षेत्र के साधनों तथा प्रेरणा शक्ति पर निर्भर करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र मे व्यय होने वाले २,०६९ करोड़ रुपये में से दो तिहाई अर्थात् लगभग १,२०० करोड़ रुपये के व्यय द्वारा इस प्रकार की उत्पादक पूंजी का निर्माण होगा जिसका स्वामित्व केन्द्रीय और राज्य सरकारों के हाथों में होगा। यह विशेषतः सिंचाई और शक्ति, परिवहन और संवादवहन उद्योगों मे होगा। ३९६ करोड़ रुपया निजी क्षेत्र की उत्पादक सामग्री की वृद्धि मे व्यय होगा और ४२५ करोड़ रुपया वर्तमान सामाजिक सेवाओं को कायम रखने और उन के विकास करने के लिये सामाजिक पूंजी के रूप में व्यय होगा।

योजना का वित्तीय आधार इस प्रकार है :

तालिका २६

(करोड़ रुपयों मे)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य (जम्मू और कश्मीर सहित)	योग
विकास सम्बन्धी आयोजित व्यय .	१,२८१	८२८	२,०६९
बजट सम्बन्धी स्रोत —			
(१) चालू आय मे से बचत . .	३३०	४०८	७३८
(२) पूंजीगत प्राप्तियां (संरक्षित कोष मे से निकाली गई राशियों के अतिरिक्त) .	३९६	१२४	५२०
(३) योजना के सम्बन्ध में आन्तरिक अन्तर-सरकारी हस्तान्तरण (यथा केन्द्रीय सहायता) . . .	(–)२२९ (क)	२२९ (क)	–
	४९७	७६१	१,२५८
बाहरी स्रोतों से प्राप्त . . .	१५६	—	१५६
कुल जोड़ . . .	६५३	७६१	१,४१४

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिये ४ करोड़ ६० के सरकारी अनुदान सहित, जो आसाम राज्य की अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास पर व्यय किया जायेगा।

विकास व्यय के २,०६९ करोड़ रुपयों में से लगभग एक तिहाई अर्थात् ७३८ करोड़ रुपये वर्तमान राजस्व की बचत में से प्राप्त हुए, ५२० करोड़ रुपये पूंजी अर्जन से प्राप्त होंगे, और १५६ करोड़ रुपये पहले ही बाहरी सहायता के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार कुल योग १,४१४ करोड़ रुपये होता है। शेष ६५५ करोड़ रुपये (१९५३ के संशोधन के अनुसार ८३५ करोड़ रुपये) या तो और अधिक बाहरी सहायता से प्राप्त करने होंगे अथवा आन्तरिक करों और कर्जों और हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा।

लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र मे विकास के कार्यक्रम को अपने आप में नहीं उठाया जा सकता। विकास कार्यक्रमों की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि अर्थ व्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों मे कितना तालमेल स्थापित रहता है। नीचे दी हुई तालिका में बताया गया है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रो में विकास के कार्यक्रमों तथा लक्ष्यों की कौन-कौन सी आवश्यकताएं होंगी।

तालिका २७

	१९५०–५१	१९५५–५६
१. कृषि		
खाद्यान्न (क) (करोड़ टन)	५.२७	६.१६
रूई (लाख गाँठे)	२९.७	४२.२
पटसन (लाख गाँठे)	३३.०	५३.९
गन्ना (लाख टन)	५.६	६३
तिलहन (लाख टन)	५.१	५५
२. सिंचाई और बिजली		
बड़े पैमाने की सिंचाई के साधन (करोड़ एकड़)	१	६.९७
छोटे पैमाने की सिंचाई के साधन (करोड़ एकड़)		
बिजली शक्ति (स्थापित सामर्थ्य: लाख किलोवाटो में)	२३	३५
३. उद्योग		
लोहा और इस्पात :		
ढलाई के कारखानों के लिये कच्चा लोहा (लाख टन)	३.५	६.६
तैयार इस्पात (लाख टन)	९.८	१३.७
सीमेंट (लाख टन)	२६.९	४८.०
अल्युमिनियम (हज़ार टन)	३.७	१२.०
खादें		
एमोनियम सल्फेट (हजार टन)	४६.३	४५०.०
सुपरफ़ास्फेट (हज़ार टन)	५५.१	१८०.०
इंजिन (संख्या)	—	१५०
मशीनों के औज़ार (संख्या हज़ारों में)	१.१	४.६
पैट्रोल शुद्ध करने का काम		
द्रव पैट्रोल (करोड़ गलन)	—	४०.३
बिटुमेन (हज़ार टन)	—	३७.५

(क) इन में दाल और चना सम्मिलित हैं। १९४९-५० में उत्पादन (जिस के आधार पर १९५५-५६ का लक्ष्य निर्धारित किया गया) ५४० लाख टन रहा।

तालिका २७ (क्रमशः)

रुई की बनी हुई वस्तुए		
सूत (लाख गज) :	११,७९०	१६,४००
मिल का कपड़ा (लाख गज) . . .	३७,१८०	४७,०००
करघे का कपड़ा (लाख गज) . . .	८,१००	१७,०००
पटसन की वस्तुएं (हजार टन) . .	८९२	१,२००
कृषि सम्बन्धी मशीनें :		
बिजली से चलने वाले पम्प (हजार) . .	३४.३	८५.०
डीजेल इंजिन (हजार) . . .	५.५	५०.०
बाइसिकिल (हजार)	१०१.०	५३०.०
पॉवर अलकोहल (लाख गैलन) . .	४७	१८.०
४. परिवहन		
जहाजरानी (टन) :		
समुद्रतटीय (जी० आर० टी० हजार) . .	२११.०	३१५.०
समुद्र पार की (जी० आर० टी० हजार) .	१७३.५	२८३.०
सडकें :		
राष्ट्रीय सड़कें (हजार मील) . .	११.९	१२.५
राज्यों की सड़कें (हजार मील) . .	१७.६	२०.६
५. शिक्षा (क)		
विद्यार्थी ।		
प्राथमिक स्कूल (लाख) . . .	१५१.१	१८७.९
जूनियर बेसिक स्कूल (लाख) . .	२९.०	५२.८
माध्यमिक स्कूल (लाख) . . .	४३.९	५७.८
औद्योगिक स्कूल (हजार) . . .	१४.८	२१.८
प्रौद्योगिक तथा काम धंधों का शिक्षण देने वाले अन्य स्कूल (हजार)	२६.७	४३.६
६. स्वास्थ्य		
चिकित्सालय (रोगीशय्याएं हजारों में) . .	१०६.५	११७.२
औषधालय (संख्या) :		
शहरी	१,३५८	१,६१५
देहाती	५,२२९	५,८४०

(क) इन आंकड़ों में (औद्योगिक स्कूलों को छोड़ कर) हैदराबाद, राजस्थान, अजमेर, और विंध्य प्रदेश के आंकड़े नही है। कुछ मामलों में कुछ राज्यों के आंकड़े (जैसे प्राथमिक स्कूलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के, और जूनियर बेसिक और माध्यमिक स्कूलों के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश के इनमें नही हैं।

तालिका २७ (क्रमशः)

७. विकास संस्थायें		
पंचायत (हजार) . . .	५५ १	६६.१
सहकारी सस्थाएं (क) :		
ऋण देने वाली (हजार) . .	८७.८	११२.५
बिक्री और बाजार व्यवस्था करने वाली (हजार) .	१४.७	२० ७
बहूद्देशीय (हजार) . . .	३१ ५	४० ५
त्रिपट सिचाई (संख्या)	१९२ ०	५१४ ०
सहकारी कृषि (सख्या) .	३५२ ०	९७५ ०
अन्य (हजार) . .	२७ ३	३५.८
योग (हजार) . .	१६१.९	२११ १

कृषि

कृषि और सामूहिक विकास कार्यो की वृद्धि के लिये कुल ३६१ करोड रुपयो की व्यवस्था है । कृषि पर १८४ करोड रुपये, सामूहिक विकास कार्यो और देहात-सुधार पर १०० करोड मे कुछ अधिक रुपये, पशुवृद्धि और दुग्धालयो पर २२ करोड रुपये, स्थानिक प्राधिकारियो द्वारा स्थानिक विकास कार्यो को प्रोत्साहन देने के लिये १५ करोड रुपये, अभाव-ग्रस्त क्षेत्रो के विकास-कार्यो के लिये १५ करोड रुपये रखे गये हैं । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारो के कार्यक्रमो मे समन्वय स्थापित करेगी और राष्ट्रीय विस्तार सगठन, केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के वर्तमान प्रोग्राम की पूर्ति, पशुओ की दशा मे सुधार, भूमि-सुरक्षा के उपायो तथा सहकारिता के प्रशिक्षण, सहकारी कृषि के प्रयोगो, तथा अन्य सहकारी संगठनों की व्यवस्था द्वारा वह राज्य सरकारो की सहायता करेगी । योजना का उद्देश्य यह है कि १९४९-५० के स्तर मे †खाद्यान्न की उपज १८ प्रतिशत, कपास की ४२ प्रतिशत, पटसन की ६३ प्रतिशत, गन्ने की १३ प्रतिशत और तिलहन की ८ प्रतिशत बढ जाये । सामूहिक विकास कार्यो को प्रारम्भिक रूप मे कुछ चुने हुए क्षेत्रो के भरपूर विकास के लिये आरम्भ किया गया था । उनके द्वारा भी कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती रहेगी । इन कार्यो के लिये योजना के अन्तर्गत ९० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त राज्यों मे देहात-विकास और ग्राम पचायतों के लिये १० करोड़ रुपये रखे गये हैं ।

(क) इनमें पंजाब, उड़ीसा, हैदराबाद, पेप्सू तथा भाग 'ग' के अधिकांश राज्यों के आँकड़े सम्मिलित नही है ।

† १९५०-५१ की तुलना में, जबकि उत्पादन १३ टन कम था, ।प्रतिशत वृद्धि और अधिक होगी ।

सिचाई और बिजली

सिचाई और बिजली के विकास के लिये योजना के अन्तर्गत ५१८ करोड रुपये की यवस्था है। इस कार्यक्रम द्वारा ८५,००,००० एकड और अधिक भूमि को सिचाई हो सकेगी तथा ११,००,००० किलोवाट और अधिक बिजली पैदा होगी। योजना के अन्तर्गत सिचाई और बिजली के मद में कुल खर्च ७६५ करोड़ रुपये होगा जिसमे से १५३ करोड रुपये योजना के आरम्भ होने मे पहले ही खर्च हो चुके है, और १०० करोड रुपये योजना-काल के बाद के वर्षो मे व्यय होगे। पूर्ण हो जाने पर इन कार्यो द्वारा १,६६,००,००० एकड भूमि की सिचाई होग अ.र १ ,००,००० किलोवट बिजली पैदा होगी। दीर्घकालीन कार्यक्रम यह है कि अगली दो दशाब्दियो मे प्रा: ४,००,००,००० मे ४,५९,००,००० एकड़ भूमि की सिचाई हो सके और आज की बिजली-उत्पादन क्षमता के स्थान पर ७०,००,००० किलोवाट बिजली पैदा हो। बडे सिचाई कार्यों के अतिरिक्त ७७ करोड रुपये छोटे सिचाई कार्यों पर व्यय होगे (जैसे बाँधो और नालियो का निर्माण, कुएँ, नलकूप, तालाब और पम्पिंग व्यवस्था) जिन से १,१२,००,००० एकड भूमि को लाभ पहुँचेगा।

निजी बिजली उद्योगों के विस्तार-कार्यो द्वारा योजना-काल को स्थापित क्षमता मे १,७६,००० किलोवाट की और अधिक वृद्धि होगी।

देहातो के विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत २७ करोड रुपयो के व्यय की व्यवस्था है, विशेषत मद्रास, मैसूर और तिरुवाकुर-कोचीन राज्यो मे इन योजनाओं द्वारा पम्पिंग और कृषि उत्पादनो के परिष्कार तथा अन्य कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगो आदि कृषि सम्बन्धी कार्यो को लाभ पहुँचेगा।

उद्योग

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो के विकास मे १७३ करोड रुपये व्यय होगे जिनमे से १४० करोड रुपये बडे उद्योगो और सम्बन्धित परिवहन अभिकरणो के विस्तार पर, २७ करोड रुपये कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगो पर तथा प्राय: ६ करोड रुपये खनिजो के विकास और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान पर व्यय होगे। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ योजनाएँ, जैसे चित्तरजन का रेल इजिन कारखाना और इस्पात के रेल के डिब्बो का बगलोर स्थित कारखाना, रेलो की विकास-योजना के अन्तर्गत दिखाये गये है। उत्पादन के सहायक उद्योगो मे सकल विनियोग, जिसके अन्तर्गत बुनियादी उद्योगो तथा परिवहन की मद के ५० करोड रुपये सम्मिलित है, पाँच वर्ष की अवधि में ९४ करोड रुपया होगा। यह अनुमान किया गया है कि योजना-काल मे निजी क्षेत्र के अन्तर्गत विस्तार और आधुनिकीकरण पर ३८३ करोड रुपये व्यय होगे। इस प्रकार औद्योगिक विकास पर कुल विनियोग लगभग ४७७ करोड़ रुपये होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण उद्योगों मे एक नया लोहे व इस्पात का कारखाना होगा (जिस पर योजना-काल मे ३० करोड़ रुपये और आरम्भ से लेकर ६ वर्ष के कुल समय मे ८० करोड़ रुपये व्यय होगे); सिन्द्री का रासायनिक खाद का कारखाना होगा (जहाँ प्रति मास १,००० टन अमोनियम सल्फेट तैयार होगा); चित्तरंजन का रेल-इंजिन का कारखाना होगा (जहा १९५७ तक १२० इंजिन प्रति वर्ष तैयार होंगे); तथा टाटा लोकोमोटिव और इंजीनियरिंग कम्पनी आदि होंगे। सूक्ष्म मशीनी औजारों, टैलीफोन सम्बन्धी सामान, ड्राइ कोर केबल और अखबारी कागज के उत्पादन के लिये भी योजनाएँ है। निजी उद्योगों की योजनाओं को संबधित

उद्योगों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके बनाया गया है। इनके अन्तर्गत कई पूंजीगत तथा उत्पादक सामग्री सम्बन्धी उद्योगों की संस्थापित क्षमता के विस्तार और कई उपभोग वस्तुओं के उद्योगों की वर्तमान क्षमता के अधिक पूर्ण उपयोग का उद्देश्य सम्मुख रखा गया है। इससे आशा की जाती है कि योजना काल मे भारी रासायनिकों के उत्पादन में १,५६,००० टन, रासायनिक खादों के उत्पादन मे ५,२८,६०० टन, कच्चे लोहे के उत्पादन मे ३,१०,००० टन, इस्पात मे ३,९४,००० टन, सीमेन्ट मे २१,००,००० टन, कपड़े मे १,८७,२०,००,००० गज शक्कर मे ३,८४,००० टन, नमक मे ४,२९,००० टन और वनस्पति तेलो मे १,८२,००० टन की वृद्धि हो जायेगी। बुनियादी उद्योगो और सम्बन्धित परिवहन व्यवस्था के विकास के लिये निर्धारित ५० करोड़ रुपये के अन्तर्गत खनिजो के निर्यात को संगठित करना और देश मे बिजली के विकास को देखते हुए उसके उपयुक्त सामग्री का उत्पादन भी है।

ग्रामोद्योग के विकास-कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य गाँवो मे रोजगारी के अवसरों को बढ़ाना है। इसके अन्तर्गत अन्य उद्योगों के अतिरिक्त निम्नलिखित उद्योग आते हैं, खादी, रस्सी, तेल, माचिस, चमड़ा, हाथ से बना कागज, गुड और खाण्डसारी, ताडगुड, ऊनी कम्बल और मधु-मक्खी पालन। खादी सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये वित्तीय व्यवस्था मिल के कपड़े पर एक शुल्क लगा कर होगी। गाँवो मे तेल-उद्योग के विकास के लिये भी मिलो के तेल-उत्पादन पर हल्का शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। योजना मे यह सुझाव रखा गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एक खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की जाये जो राज्य सरकारो तथा उक्त क्षेत्र मे काम करने वाली अन्य संस्थाओं से सहयोग करके ग्रामोद्योगो के कार्यक्रमों को आरम्भ करे। फरवरी १९५३ में इस बोर्ड की स्थापना कर दी गई। कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगो पर कुल व्यय २७ करोड़ रुपये होगा।

परिवहन और संवादवहन

परिवहन और संवादवहन के कार्यक्रम के लिये ४९७ करोड रुपये की व्यवस्था है जिसमे से आधे मे अधिक रेलों पर व्यय होगा और वह मुख्यतः पिछड़े हुए कामों को, जो विशेषत. विश्व-युद्ध काल मे ही अपूर्ण चले आ रहे हैं, पूरा करने मे व्यय किया जायेगा। योजना काल मे रेल की नई पटरियों को बिछाने मे केवल २० करोड रुपये व्यय होगे। सड़क विकास पर केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा लगभग १ अरब रुपये व्यय होगे जिसका एक चौथाई राष्ट्रीय मार्गो के निर्माण मे और शेष राज्यीय मार्गो के निर्माण मे व्यय होगा। २ करोड़ रुपयों की व्यवस्था उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाले गंगा-पुल के निर्माण के लिये रखी गई है। आशा है कि ऐच्छिक श्रम तथा अन्य स्थानीय साधनों की सहायता से योजना-काल में १६,००० से १७,००० मील तक देहाती मार्गो का निर्माण हो सकेगा। योजना में भारत के पूर्वी तट पर कण्डला में (कराची के पाकिस्तान मे चले जाने से होने वाली हानि की पूर्ति के लिये) एक नये बन्दरगाह के निर्माण के लिये १२ करोड़ रुपये रखे गये है। ८ करोड़ रुपये तेल-शोधन कारखानों के लिये बन्दरगाह की सुविधाएं प्रस्तुत करने में व्यय होंगे। इनके अतिरिक्त वर्तमान बन्दर-गाहों के सुधार और आधुनिकीकरण के लिये १२ करोड़ रुपये कर्ज के रूप मे देने की व्यवस्था है।

जहाजरानी के कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के तटीय व्यापार को भारतीय जहाजों के लिये सुरक्षित रखना और समुद्रपार व्यापार में भारतीय जहाजों का अधिकाधिक भाग लेना सम्मि-

लित है। विशाखापटनम् जहाज-निर्माण घाट मे अतिरिक्त स्थानों को सुरक्षित करने और जहाजी कम्पनियो को समुद्र पार व्यापार के लिये और अधिक जहाज प्राप्त हो सकें, इस उद्देश्य से उन्हे कर्ज देने की भी व्यवस्था रखी गई है। नये हवाई जहाजो को खरीदने और राष्ट्रीयकरण के बाद उड्डयन कम्पनियों को मुआवजा देने के लिये ९.५ करोड रुपये की व्यवस्था है।

प्रसारण विकास कार्यक्रम का लक्ष्य है मीडियम वेव प्रसारणो के क्षेत्र को १,१७,००० वर्ग मील से बढ़ा कर ३,७०,००० वर्ग मील कर देना, सुनने वालो की संख्या को दुगुनी करके १९५५-५६ तक १७,००,००,००० कर देना और अन्ततः शार्ट वेव पर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवाओ को बढ़ाना।

सामाजिक सेवाएं

सामाजिक सेवाओ पर होने वाले कुल ३ अरब ४० करोड रुपयो के व्यय मे से १ अरब ५२ करोड शिक्षा पर, १ अरब चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओ पर, ४९ करोड़ गृह-निर्माण पर, २९ करोड पिछड़े वर्गो पर (जिन के अन्तर्गत अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन-जातियाँ सम्मिलित है) ७ करोड श्रम और श्रम-कल्याण पर और ४ करोड़ ऐच्छिक समाज-कल्याण सस्थाओ की सहायता पर व्यय होगा।

यह आशा की जाती है कि योजना-काल मे प्रारम्भिक, जूनियर बेसिक, माध्यमिक और प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक (औद्योगिक स्कूलो के अतिरिक्त) स्कूलो मे पढ़ने वालो की सख्या मे क्रमश. २५, ८१, ३२ और ६३ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी।

मलेरिया निरोध कार्यक्रम का उद्देश्य देहाती क्षेत्रो मे प्राय २०,००,००,००० व्यक्तियो की रक्षा करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो डी. डी. टी. कारखानो की स्थापना भी है जिस से घटे हुए दामो मे यथेष्ट मात्रा मे डी० डी० टी० उपलब्ध हो सके। राज्यो द्वारा भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये, विशेषत पानी की उपलब्धि और नालियो की व्यवस्था के लिये, ३९ करोड रुपये, औद्योगिक श्रमिको के लिये तथा कम आमदनी वालो के लिये १,५०,००० मकानो के निर्माणार्थ ३८.५ करोड रुपये, पिछड़े वर्गो की दशा मे सुधार के लिये ३८ करोड रुपये और शरणार्थियो के पुनर्वास के लिये ८५ करोड रुपये व्यय किये जायेगे।

कुल मिला कर योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक अधिकारियो द्वारा विकास व्यय १९५०-५१ मे २ अरब ३२ करोड से बढ कर १९५५-५६ मे ४ अरब रु० हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप रोजगारी की स्थिति मे काफी वृद्धि होगी।

योजना की प्रगति

मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों मे केन्द्रीय व राज्य सरकारो ने योजना पर ८ अरब ८५ करोड रुपये खर्च किये जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

तालिका २८

(करोड रुपयो में)

	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४ (संशोधित अनुमान)	कुल जोड
केन्द्र . . .	१३०.५	१२६.१	१८८.३	४४४.९
राज्य . . .	१२९.०	१४३.६	१६७.३	४३९.९

यह योजना के पाँच वर्षों के लिये प्रस्तावित कुल रकम का लगभग ४० प्रतिशत है।

योजना के प्रथम तीन वर्षों में विभिन्न मदों में होने वाले व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

तालिका २९

(करोड़ रुपयों में)

१	२ १९५१-५२	३ १९५२-५३	४ १९५३-५४ (संशोधित अनुमान)	५ १९५१-५४ योग	६ १९५१-५६ योग	प्रतिशत
कृषि और सामूहिक विकास	२८.९	२९ ६	४९.१	१०७ ६	३७३ ६	२९
सिंचाई और बिजली	८१ ७	९७ ८	१२० ६	३००.१	६१६.८	४२
परिवहन और संवाद वहन	६७.७	६२.१	९४.३	२२४.१	५३५ ९	४२
उद्योग	१२.३	१०.१	११ ८	३४ २	१७८ १	१९
सामाजिक सेवाएँ (शरणार्थियों के पुनर्वास सहित)	६३ ५	६३ ८	७१ ३	१९८ ६	४८९ ८	४१
अन्य	५.४	६.३	८ ५	२०.२	५५ ०	३६

इसमें केन्द्रीय सरकार का भाग ४ अरब ४५ करोड़ रु० था और राज्य सरकारों का ४ अरब ४० करोड़।

योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने १९५१-५२ से १९५३-५४ तक तथा १९५४-५५ (बजट) में जो कुछ व्यय किया उसका विस्तृत विवरण तालिका ३१ में दिया गया है।

पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित वित्त की ७ अरब १ करोड़ रु० की कमी को (जैसा कि उसे संशोधित रूप में १९५३ में आँका गया) बाहरी सहायता द्वारा और करों तथा कर्जों की अतिरिक्त व्यवस्था द्वारा या और अधिक हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा पूरा करना था। १९५१-५४ में भारत को २ अरब ३४ करोड़ २० लाख रुपये के मूल्य की (प्रमाणित रकम की) बाहरी सहायता अनुदानों या कर्जों के रूप में प्राप्त हुई जिसमें से १ अरब ३१ करोड़ ९० लाख रु० को वास्तविक रूप में उपयोग में लाया गया।

खाद्यान्न और वस्त्र का उत्पादन योजना के लक्ष्यों से अधिक हुआ जबकि कपास, सीमेन्ट, अमोनियम सल्फेट, इंजिन और तटीय जहाजरानी की प्रगति क्रमोवेश निर्धारित लक्ष्यों तक ही हुई। कुछ अन्य क्षेत्रों में, जैसेकि पटसन, पटसन से बनी वस्तुएं, इस्पात, साइकिलें, गन्ना सिंचाई के क्षेत्र, बिजली का उत्पादन, सड़क-निर्माण और स्कूलों तथा अस्पतालों की स्थापना में प्रगति लक्ष्यों से कम हुई। पर १९५०-५१ के मुकाबले कृषि उत्पादन कुल मिला कर १८ प्रतिशत अधिक हुआ और औद्योगिक उत्पादन १९५४ के प्रथम पाँच महीनों

में १९५० के मुकाबले ४४ प्रतिशत अधिक हुआ । नीचे दी गई तालिका में आयोजना के अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्यों को दिखाया गया है :

तालिका ३०

	१९५०–५१ आधार-वर्ष	१९५५–५६ योजना लक्ष्य से आधिक्य	१९५३–५४ मे उपलब्ध-वृद्धि	योजना के लक्ष्य से आधिक्य का प्रतिशत
१. कृषि उत्पादन				
खाद्यान्न* (करोड टन) .	५ ४†	.७६	१.१४	१५०.०
कपास (लाख गाठे) .	२९.७	१२ ६	९.६	७६.२
पटसन (लाख गाठे) .	३२.८	२० ९	–१.५	—
गुड (लाख टन) .	.५६ २	७ ०	–१०.०	—
२. बिजली उत्पादन (लाख किलोवाट) . .	२३	१२	५	४१.७
३. सिचाई (करोड़ एकड़) .	५	१.९७	.७५**	३८ १
४. औद्योगिक उत्पादन				
तैयार इस्पात (लाख टन)	९.८	६.७***	१.०	१४.९
सीमेन्ट (लाख टन) .	२६.९	२१.१	३.४	६३.५
अमोनियम सल्फेट (लाख टन) . .	.४६	४.०४	२ ६१	६४.६
इजिन (संख्या) .	७	१४३	७९	५५.२
पटसन से तैयार माल (लाख टन) .	८.९२	३.०८	–.२८	—
मिल के वस्त्र (करब गज)	३.७१८	.९८२	१.१८८	१२०.९
साइकिले (लाख) .	१ ०१	४ ९२	१ ८८	४३.८
तटीय जहाजरानी (लाख जी० आर० टी०) .	२१७	१.६५	१.०२	६१ ८
५. राष्ट्रीय मार्ग (हजार मील)	११.९	० ६	०.६	५०.०
६. शिक्षा और स्वास्थ्य :				
प्राथमिक स्कूल (लाख विद्यार्थी) . .	१.७३	३८‡	.१६	४२.१
जूनियर बेसिक (हजार विद्यार्थी) . .	३५.०	९.५‡	२.२	२३.२
अस्पताल (लाख रोगीशय्याएं)	१.०६५	.१०७	.०४८†††	४४.८

*चना और दाल समेत

†आधार वर्ष १९४९-५० है

‡संशोधित लक्ष्य

**जिसमे से .२९ बड़े कार्यों द्वारा

***१९५७–५८ तक लक्ष्य प्राप्त होना है

†††इस के अतिरिक्त .०४८ लाख रोगीशय्याएं १९५३–५४ में तपेदिक के अस्पतालों में बढ़ायी गयी है ।

तालिका

योजना के अन्तर्गत विकास

	केन्द्रीय सरकार				
	व्यय की प्रगति				
	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४ (संशोधित)	१९५१-५४ (योग)	१९५४-५५ (जट)
१. कृषि और सामूहिक विकास					
कृषि	१८७.५	३८० ३	७५५.०	१,३२२.८	२,४८१.३
पशुपालन (दुग्ध-व्यवसाय सहित)	—	१०.५	१३.१	२३.६	३९ ६
वन	—	—	२.८	२.८	४१.१
सहकारिता	—	—	०.५	०.५	२०.०
मछली पालन	—	०.८	११ ४	१२.२	३३.०
ग्राम विकास	—	—	—	—	—
सामूहिक योजना	—	१४४.०	७८६.०	९३० ०	२,४०४.९
स्थानीय निर्माण कार्य	—	—	२००.०	२००.०	६००.०
अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम	—	—	४५० ०	४५० ०	४००.०
कुल जोड	१८७ ५	५३५.६	२,२१८ ८	२,९४१.९	६,०२३.२
२. सिंचाई और बिजली					
बहुउद्देश्यीय कार्य	३,३४७.०	४,१८१.०	५,५६३.०	१३,०९१.०	७,६८३ ०
सिंचाई कार्य	—	—	—	—	—
बिजली कार्य	—	—	—	—	—
कुल जोड	३,३४७.०	४,१८१.०	५,५६३ ०	१३,०९१.०	७,६८३.०
३. परिवहन और संवाद-वहन					
रेल्वे	४,०८६.०	३,०१८.०	३,९२६.०	११,०३०.०	६,५००.०
सड़कें	३८२.८	४२२ ६	५६०.०	१,३६५.४	७५८.०
सड़क परिवहन	३८.२	१८ ८	५४.८	१११.८	१०३.०
जहाजरानी	२०२.७	९४ ४	५९२.५	८८९.६	५९४ ०
नागरिक उड्डयन	१४७.४	१५१.३	४३५.७	७३४.४	९९७.०
बन्दरगाह	८१.०	५५.२	७७१.१	९०७.३	१,३०४.५
आन्तरिक जल परिवहन	२.०	—	२.०	४.०	४.०
डाक-तार	५५३.०	६१७.०	८००.०	१,९७०.०	१,२००.०
प्रसारण	२२.८	१०.८	६१.४	९५.०	१४२.३

(क) दिल्ली में सड़क-परिवहन पर व्यय केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत दिखाया

३१

व्यय की प्रगति—केन्द्र और राज्य (लाख रुपयों में)

राज्य						
व्यय की प्रगति						
पाँच वर्ष का योग (योजना)	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४ (संशोधित)	१९५१-५४ (योग)	१९५४-५५ (बजट अनुमान)	पाँच वर्ष का योग (योजना)
५,९२२.२	२,१२८.१	१,८३८.९	१,९३१.४	५,८९८.४	२,०२७.२	१२,४९०.०
४१२.०	२४९.५	२५७ ९	३०३ १	८१०.५	३२७ ०	१,८१६ ५
२००.०	८७.३	१०३.८	१५६.५	३४७.६	२२९.१	९६०.४
५० ०	७६.३	६९.१	८९.७	२३५.१	१०३.७	६६१.२
५०.५	४३.५	३५.२	४०.४	११९ १	६३ १	४१४.१
—	१२२.०	१२२.५	१६८.०	४१२ ५	२१३ ८	१,०४६.६
९,०००.०	—	—	—	—	—	—
१,५००.०	—	—	—	—	—	—
१,५००.०	—	—	—	—	—	—
१८,६३४.७	२,७०६.७	२,४२७.४	२,६८९.१	७,८२३.२	२,९६३.९	१७,३९७.८
२६,५९०.०	—	—	—	—	—	—
—	२,५८६.८	३,१५३.३	३,६७२.५	९,४१२.६	५,४७४.२	१६,७६९.७
—	२,२३७.५	२,४४५.१	२,८२३.१	७,५०५.७	३,५९३.७	१२,७५४.०
२६,५९०.०	४,८२४.३	५,५९८.४	६,४९५.६	१६,९१८.३	९,०६७.९	२९,५२३.७
२५,०००.०	—	—	—	—	—	—
३,१२४.०	१,१६५.६	१,५५५.७	१,९६७.३	४,६८८.६	२,७४५.५	७,७६३.६
(क)	७६ ९	२४७ ५	२१८.३	५४२.७	२४९.५	८९६.९
१,८०५.८	—	—	—	—	—	—
२,२८७.०	—	—	—	—	—	—
३,२०६.४	४.७	५ ८	१७.१	२७.६	३६.९	१०२.४
१०.०	—	—	—	—	—	—
५,०००.०	—	—	—	—	—	—
३५२.०	—	—	—	—	—	—

गया है। योजना के अन्तर्गत संशोधित रक़म २७६ लाख रुपये है।

तालिका ३१

	केन्द्रीय सरकार				
	व्यय की प्रगति				
	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४ (संशोधित)	१९५१-५४ (योग)	१९५४-५५ (बजट)
समुद्र पार संचार	४.८	३.४	१५.६	२३.८	४३.०
अन्तरिक्ष विज्ञान विभाग	२.८	१०.९	७.६	२१.३	२१.२
कुल जोड	५,५२३.५	४,४०२.४	७,२२६.७	१७,१५२.६	११,६६७.०
४. उद्योग					
बड़े उद्योग	७४६.४	५६२.१	४७४.०	१,७८२.५	२,१९४.२
कुटीर एवं छोटे उद्योग	१४.३	२९.३	९२.८	१३६ ४	३१३.०
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान।	८४.७	९७.२	७१.८	२५३.७	१२०.१
खनिज विकास	१.४४	५.९	१२.३	१९.६	३६.१
कुल जोड़	८४६.८	६९४.५	६५०.९	२,१९२.२	२,६६३.४
५. सामाजिक सेवाएं					
शिक्षा	२०१.५	२९०.३	४१३.६	९०५.४	१,४७२.२
स्वास्थ्य	१३.९	१६.८	२६३.७	२९४.४	७६०.८
गृह निर्माण	८३.०	१३३.४	३०५.७	५२२.१	१.३००.०
श्रम और श्रम कल्याण।	४६.२	४८ १	५१.४	१४५.७	६०.७
पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण।	(क) —	(क) २.४	(क) १३७.५	(क) १३९.९	(क) ३०१.०
कुल जोड	३४४.६	४९१.०	१,१७१.९	२,००७.५	३,८९४.७
६. पुनर्वास	२,६७९.०	२,०६२.०	१,४६९.०	६,२१०.०	२,३२८.०
७. कार्य और इमारतें	२३.२	१४४.६	१०७.३	२७५.१	४५०.५
८. वित्त मंत्रालय की विकास योजनाएं।	७८.८	७५.१	१४८.२	३०२.१	३७८.४
९. उत्तर-पूर्वी सीमान्त प्रदेश।	२२.२	२७.२	४९.६	९९.०	९७.०
१०. अण्डमान के विकास की योजनाएं।	—	—	१९.९	१९.०	३५.८
११. निगमों को ऋण	—	—	२००.०	२००.०	४००.०
कुल जोड़	१३,०५२.०	१२,६१३.४	१८,८२५.३	४४,४९१.०	३५,६२१.०

(क) रक़म १९५१-५६ में, संविधान की धारा २७५ (१) के अन्तर्गत सामान्यतः

क्रमश)

राज्य

व्यय की प्रगति

पाँच वर्ष का योग (योजना)	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४ (संशोधित	१९५१–५४ (योग)	१९५४–५५ (बजट अनुमान)	पाँच वर्ष का योग (योजना)
१००.०	—	—	—	—	—	—
६२ ०	—	—	—	—	—	—
०,९४७.२	१,२४७.२	१,८०९.०	२,२०२ ७	५,२५८.९	३,०३१.९	८,७६२.९
२,६५७.३	२५९.७	१७९.७	३७८.५	८१७.९	३८०.६	१,४२२.१
१,५००.०	१२०.२	१२६.५	१४७.८	३९४.५	२५६.८	१,१९४.०
४६१.०	—	—	—	—	—	—
१०६.१	—	—	—	—	—	—
४,७२४.४	३७९.९	३०६.२	५२६.३	१,२१२ ४	६३७.४	२,६१६.१
३,९०१.६	१,७२१.३	१,९२३.९	२,३२५.७	५,९७०.९	२,६०९.४	११,६३७.७
१,७८७.४	१,१३९.६	१,२७७.६	१,४६७.२	३,८८४.४	१,९२०.८	८,२३३.१
३,८५०.०	११४.४	२०२.८	१९१.८	५०९.०	२४८.४	१,०१७.३
३९७.३	३०.२	२८.३	३२.०	९०.५	४८.९	२९९.८
७००.०	३२५.१	३९०.९	४७४.२	११,९०.२	६२७.४	२,१८६.५
१०,६३६ ३	३,३३०.६	३,८२३.५	४,४९०.९	११,६४५.०	५,४५४.९	२३,३७४.४
८,५००.०	—	—	—	—	—	—
१,१०२.३	—	—	—	—	—	—
४८९.१	—	—	—	—	—	—
३००.०	—	—	—	—	—	—
३८२.८	—	—	—	—	—	—
१,२००.०	—	—	—	—	—	—
२४,१०७.३	१२,६८३.३	१३,९८१.६	१६,७४३.१	४३,४०८.०	२१,५४६.०	८२,८२३.०

दिये गये ९ करोड़ रुपये के अनुदान के अतिरिक्त है ।

ग्यारहवाँ अध्याय

मुद्रा, बैंकिंग और बीमा

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के वर्षों में मुद्रा विस्तार को रोकने के सब प्रयत्न किये गये। इस सम्बन्ध मे रिजर्व बैंक ने ये प्रयत्न किये : बैंकों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को खुले बाजार म साख पर रुपये देना, तथा बाजार मे विद्यमान रुपये के चलन पर नियन्त्रण रखना। १९४९-५० मे १२,५२,९६,००,००० रुपये बाजार मे थे और १९५०-५१ मे १३,४२,६९,००,००० रुपये। १९५१-५२ मे यह घट कर १२,२३,३९,००,००० रुपये हो गये और १९५२-५३ में १२,०९,६६,००,००० रुपये।

१९५३-५४ वर्ष मे उपलब्ध बैंक और मुद्रा सम्बन्धी आँकड़ों से ज्ञात होता है कि पिछले वर्षों मे दीख पड़ने वाली मुद्रा-विस्फीति की प्रवृत्ति मे इस वर्ष कुछ विपरीत गति रही। पिछले दो वर्षों के मुद्रापरिमाण की कमी के मुकाबले मे इस वर्ष वृद्धि रही।

विकास कार्यों के लिये मुद्रा-पूर्ति

१९५३-५४ के वर्ष मे मुद्रापरिमाण मे जो वृद्धि हुई वह इस देश की विकासमान अर्थव्यवस्था की बढती हुई माग के अनुरूप थी। यह वृद्धि मुख्यत: भुगतान के सतुलन मे पर्याप्त बचत और बजट को घाटे वाला बनाया जाने के कारण थी। बजट मे दिखाई गई राशि का परिमाण प्रारम्भिक अनुमान मे कम था। निजी क्षेत्र मे मुद्रा के परिमाण को रिजर्व बैंक की सहायता से बढाया गया। यह सहायता पिछले वर्ष की अपेक्षा मात्रा मे अधिक थी। अनुसूचित बैंकों के पास विद्यमान राशि मे सामयिक वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक दृष्टिगोचर हुई, ऐसा होने का एक कारण अनाज के व्यापार का मुख्य रूप मे निजी स्रोतो को पुन: सौपा जाना था किन्तु कुल मिलाकर वर्ष भर मे बैको के पास जमा राशि मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि नही हुई। योजना के पहले तीन वर्षों में कर (१९५१-५४) सार्वजनिक क्षेत्र मे विद्यमान मुद्रा का परिमाण १ अरब ५७ करोड़ रुपये कम हुआ।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

१९५३-५४ में मुद्रा मे कुल विस्तार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नोटों में हुआ जबकि साथ ही रुपये के सिक्के के प्रचलन मे—जिसमे भारत सरकार का एक रुपये का सिक्का तथा छोटे सिक्के भी सम्मिलित है—और अधिक कमी आई। पिछले वर्ष के ८ करोड़ रुपये के मुद्रा-संकोच और १९५१-५२ में १ अरब रुपये की नितान्त कमी के मुकाबले में इस वर्ष चलन मे आने वाले नोटों की संख्या ५३ करोड़ बढ़ कर ११ अरब ४३ करोड़ हो गई। अन्त मे दी हुई दो तालिकाओं में सार्वजनिक क्षेत्र मे विद्यमान मुद्रा के तथा १९५१-५४ मे चालू मुद्रा के सही आँकड़े दिये गये है।

१९५४ में बड़ी संख्या वाले नोटों को फिर से चालू करने के लिये कानून पास किया गया। युद्ध की समाप्ति पर १३ जनवरी १९४६ से ५०० रु० और उससे बड़ी राशि के नोटों का मूल्यापहार कर दिया गया। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया (अमैण्डमैण्ट एण्ड मिस्सलेनियस)

कानून के द्वारा इन्हें फिर से जारी किया गया। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया ने १,०० रु०, ५,००० रु०, और १०,००० रुपये के नोटों को १ अप्रैल, १९५४ से फिर चालू करना शुरू किया। ये नोट डिजाइन, वाटर-मार्क, रंग आदि में पुराने नोटों से भिन्न हैं।

बैंकों की गतिविधि

नोटों के चलन को बढ़ाने के अतिरिक्त इस वर्ष रिजर्व बैंक की मुख्य गतिविधियाँ ये थी : (१) केन्द्रीय सरकार की रोकड़ बाकियों में कमी किन्तु राज्यो की सरकारो की रोकड़ बाकियों में वृद्धि, (२) बैंक की विदेशी सम्पत्तियो मे अनुरूप वृद्धि, (३) बैंक द्वारा रुपये के भुगतान में वृद्धि, और (४) बैंक द्वारा रक्खी गई सरकारी सिक्योरिटियों में कमी।

१९५३-५४ में अनुसूचित बैंको की संख्या ४ कम होकर ८९ रह गई। अनुसूचित बैंको के कार्यालयों की संख्या मार्च १९५३ में २,६९९ से बढ़ कर मार्च १९५४ की समाप्ति तक २,७२८ हो गई।

बीमा

निजी और सार्वजनिक एजेन्सियाँ

भारतीय और विदेशी कम्पनियाँ, प्राविडैण्ट सोसाइटियों और भारत सरकार के डाक और तार विभाग द्वारा जीवन बीमा का कारोबार किया जाता है।

सरकारी नियंत्रण

१९५० में किये गये १९३८ के बीमा कानून के संशोधन के अनुसार केन्द्रीय सरकार बीमा करने वाली भारतीय और विदेशी कम्पनियो की कार्यवाहियो पर नियन्त्रण रखती है जिससे बीमादारों और एजेण्टो के हितो की रक्षा हो सके और इस प्रकार यह कारोबार ठोस और वैज्ञानिक आधार पर चल सके।

प्राविडैन्ट सोसाइटियाँ

सामान्यत. बीमा कम्पनियाँ सभी आर्थिक वर्गों के व्यक्तियों की सेवा करती है किन्तु प्राविडैण्ट सोसाइटियाँ थोडी आय वाले व्यक्तियों के लिये ही कार्य करती हैं। प्राविडैण्ट सोसाइटी मे अधिक से अधिक २,००० रु० तक का बीमा कराया जा सकता है।

डाक विभाग द्वारा किया जाने वाला बीमा

डाक विभाग द्वारा १८८३ मे बीमा निधि स्थापित की गई थी और प्रारम्भ म यह विभाग केवल इस विभाग के कर्मचारियो की ही आवश्यकताएँ पूरी करता था। बाद मे सभी स्थायी नागरिक कर्मचारियों के लिये यह विभाग खोल दिया गया और जनवरी १९४९ से प्रतिरक्षा सेवाओ के सदस्य भी इससे लाभ उठा सकते है। प्रारम्भ में इस निधि द्वारा जीवन भर के लिये पॉलिसियाँ तथा वार्षिक वृत्तियाँ जारी की जाती थी। १८९८ मे प्रारम्भ की गई बन्दोबस्ती बीमा योजना द्वारा ९३० मे वार्षिक वृत्तियों का जारी किया जाना रोक दिया गया। नागरिक कर्मचारियो द्वारा बीमा के लिये नियत अधिकतम राशि ३०,००० रुपये और प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यक्तियों के लिये २०,००० रुपये है।

तालिका ३२

मुद्रा का चलन

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	चलन (अ)			चलन में वृद्धि या कमी (आ)			
	नोट (इ)	रुपये का सिक्का (ई)	कुल योग (१+२)	नोट (उ)	रुपये का सिक्का	छोटे सिक्के	कुल योग (४+५+६)
१९५१-५२ . . .	१,०९७.९४	१२५.४५	१,२२३.३९	-१००.२१	-१३.००	-३.०५	-११६.२६
१९५२-५३ . . .	१,०८९ ९५	११९.७१	१,२०९.६६	-७.९९	-५ ७४	-४.०९	-१७.८२
१९५३-५४ . . .	१,१४२ ७५	११७.९२	१,२८०.६७	+५२.८१	-१.७९	-३.१७	+४७.८५

तालिका ३३

जनता में चालू मुद्रा (आ)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रचलित नोटों की संख्या (इ)	प्रचलित एक रुपये के सिक्कों की संख्या (ऊ)	केन्द्रीय और राज्य सरकारो की खजानों मे विद्यमान रोकड़ बाकी (ए)	अनुसूचित, गैर-अनुसूचित (ऐ) तथा अन्य सहकारी बैंकों के पास पड़ी हुई नकद (ओ)	जनता मे चालू मुद्रा (सिक्कों को छोड़ कर) (१+२-३-४)	जनता में चालू मुद्रा में उतार चढ़ाव (उ)
१९५१-५२ . .	१,०९७.९४	१२५.४५	३.७०	३७.४५	१,१८२ २४	-११०.८०
१९५२-५३ . .	१,०८९ ९५	११९.७१	७.३४ (औ)	३७ ५१	१,१६४ ८१ (औ)	-१५.७५
१९५३-५४ . .	१,१४२.७५	११७.९२	५ ९२ (अ)	३७.१९	१,२१७.५६	+५२.७५

(अ) समय के अन्त में

(आ) आँकड़ों में देश मे आने वाली या देश से बाहर जाने वाली कुल मुद्रा का तथा हैदराबाद मे हाली सिक्कों के बदले मे जारी की गई भारतीय मुद्रा का भी जिनके सम्बन्ध में आँकड़े अपूर्ण है—समायोजन नही किया गया है ।

(इ) मार्च १९५० से परिचलन में रहे नोट सम्बन्धी आँकड़े संशोधित किये जा चुके है और इन आँकड़ों में ४३ करोड़ के वे नोट शामिल नहीं हैं, जो पाकिस्तान से वापस आये और यहाँ चालू नही किये गये ।

(ई) ऐसा मान लिया गया है कि मार्च १९४८ के अन्त में (जब से पाकिस्तान मे परिचलित भारतीय रुपये के सिक्कों की वापसी आरम्भ हुई) भारतीय संघ के मुद्रा परिचलन में रुपये के सिक्के १३५.१४ करोड़ थे और यह संख्या नोटों की भाँति मार्च १९४८ के अन्त में अविभक्त भारत मे परिचलित कुल रुपयों (सिक्कों) की ८७ प्रतिशत था । ऐसा इसलिए मान लेना पड़ा कि पाकिस्तान मे परिचलन के सभी भारतीय सिक्के पाकिस्तान (मुद्रा प्रणाली और रिजर्व बैंक) के आदेश १९४७ (संशोधित) के भाग ४ की धारा ३ के अनुसार भारत को वापस लौटाये जाने वाले नही थे ।

(उ) अक्तूबर १९५१ से फरवरी १९५२ तक के आँकड़ों के तैयार किये जाते समय अदन से वापस आये भारतीय नोटों का समायोजन कर लिया गया था ।

(ऊ) मार्च १९५० के बाद के आँकड़े भारतीय संघ के है ।

(ए) ये आँकड़े महीने/वर्ष के अन्तिम दिन के है । भाग 'ख' क केवल दो राज्यों—मैसूर तथा तिरुवांकुर-कोचीन की ही रोकड़ बाकियाँ प्राप्य हैं । इन्हें जनवरी १९५३ से सम्मिलित कर लिया गया है ।

(ऐ) अप्रैल १९५२ के बाद से उन गैर अनुसूचित बैंकों के आँकड़े जो भाग 'ख' के राज्यों में स्थापित हुए थे तथा जिनका कार्य क्षेत्र उन्हीं राज्यों तक सीमित रहा, सम्मिलित कर लिये गये हैं, इसलिए इस महिने से आँकड़ों को पहले के आँकड़ों से ठीक-ठीक तुलना नहीं की जा सकती ।

(ओ) आँकड़े केवल सूचना देने वाले सहकारी बकों के हैं ।

(औ) संशोधित (अं) अस्थायी ।

जीवन बीमा व्यापार में वृद्धि

१९४३ में नये जीवन बीमा कारोबार में ७४.२ करोड़ रुपये (६४.२ भारतीय और १० करोड़ विदेशी) लगाये गये। १९५२ में यह राशि बढ़ कर १ अरब ४५ करोड़ ७० लाख रुपये (१ अरब २९ करोड़ ३० लाख भारतीय और १६ करोड़ ४० लाख विदेशी) हो गई। १९४३ मे जीवन बीमा कारोबार में लगी हुई कुल राशि ३ अरब ७८ करोड़ (२ अरब ९८ करोड़ भारतीय और ८० करोड़ गैर भारतीय थी)। १९५२ में यह बढ कर ९ अरब १६ करोड़ रु० (७ अरब ९० करोड़ भारतीय और १ अरब २६ करोड़ गैर भारतीय) हो गई।

१९५२ की समाप्ति तक जीवन बीमा पॉलिसियों की कुल संख्या ३९,२५,००० (३६,७८,००० भारतीय और २,४७,००० गैर भारतीय) थी।

सम्पत्तियां और विनियोग

१९५२ के अन्त मे बीमा कराने वाले भारतीयों की कुल सम्पत्ति २ अरब ९२ करोड़ ९२ लाख रुपये थी। मोटे तौर पर इस सम्पत्ति का ४० प्रतिशत से अधिक केन्द्रीय सरकार की सिक्यो-रिटियो में और १५ प्रतिशत 'क' और 'ख' भाग के राज्यों की तथा नगरपालिकाओं की सिक्योरिटियों मे लगा है। लगभग १५ प्रतिशत भारतीय कम्पनियो के ऋणपत्रो और हिस्सो में विनियुक्त है। ५ प्रतिशत सम्पत्तियों के रहन पर, ७ प्रतिशत पॉलिमियों पर दिये जाने वाले कर्जों मे लगा हुआ है। सम्पत्ति का लगभग ३ प्रतिशत ब्रिटिश उपनिवेशों और विदेशी सरकार की सिक्योरिटियों में लगा है।

सहायक ग्रन्थ सूची

१ रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया : 'बैंकिग एण्ड मोनेटरी स्टेटिस्टिक्स ऑफ इण्डिया'

२. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया : 'रिपोर्ट ऑन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स'

३. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया : 'स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिगार्डिंग बैंक्स् इन इण्डिया'

४. भारत सरकार : 'दि इण्डियन इन्श्योरेन्स ईयर बुक'।

बारहवाँ अध्याय

सार्वजनिक वित्त

फण्ड और हिसाब-किताब

संविधान के अनुसार सरकार की आमदनी जमा करने का अधिकार केवल किसी एक ही केन्द्रीय प्राधिकारी को नही है। यह अधिकार केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों में बँटा हुआ है, और उनकी आय के स्रोत अलग-अलग हैं। देश में केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपना-अपना बजट तैयार करती है और उनके अपने अलग-अलग खज़ाने भी हैं। इसलिए यह कहना कि देश भर के लिये एक ही समेकित निधि है, ठीक न होगा क्योंकि देश में ऐसी कई निधियाँ है।

संविधान के अनुसार लेखा-परीक्षक सभी सरकारी व्ययो का निरीक्षण करता है, और उस पर कार्यकारी अधिकारी मण्डल का अधिकार नही होता। सभी राज्यो के व्यय के लेखे तथा उनकी जाँच-पडताल की रिपोर्टें विधान मण्डलों के सामने पेश की जाती है।

संसद् मे तथा राज्यों के विधान मंडलों मे क्रमशः भारत सरकार और राज्यों की सरकारों के बजट प्रति वर्ष अप्रैल के महीने मे पेश किये जाते हैं। इनकी अनुमति के बिना कोई व्यय नही किया जा सकता। व्यय के कुछ निर्दिष्ट मद ऐसे है, जिनके लिये स्वीकृति लिये बिना ही सरकार उन पर व्यय कर सकती है।

रेल उद्योग सबसे बडा राष्ट्रीय उद्योग है। इसकी अपनी अलग ही धन-निधियाँ और हिसाब-किताब होते है। रेलवे का बजट भी पृथक् रूप से उपस्थित किया जाता है। रेलो के व्यय विनियोग और वितरण पर भी संसद् का नियन्त्रण होता है और उसी प्रकार लेखा-परीक्षण के नियम लागू होते हैं।

आय के स्रोतों का विभाजन

केन्द्र की आय के मुख्य स्रोत ये है: चुगी, उत्पाद-कर, निगम कर तथा आय कर (जिसमें कृषि से होने वाली आय सम्मिलित नही है), सम्पदा तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क, टकसाल की आय। इनके अतिरिक्त रेल तथा डाक और तार विभागो से भी कुछ आय केन्द्र के सामान्य बजट मे होती है। केन्द्रीय सरकार की आय का लगभग ९० प्रतिशत चुंगी, उत्पाद-कर, निगम कर तथा आयकर से आता है। सम्पदा तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क १५ अक्तूबर १९५३ से जारी किया गया है।

राज्यों की आय के स्रोत जंगल, मछली उद्योग, राज्यों द्वारा प्रारम्भ किये गये उद्यम तथा केन्द्र से प्राप्त होने वाली सहायता है। आयकर से केन्द्रीय सरकार को जो धन प्राप्त होता है, उसका आधे से अधिक भाग राज्यों को दे दिया जाता है। कृषि पर लगाये

गये सब करो की आय पूर्णरूप से राज्यों को प्राप्त होती है। राज्यों की आय के अन्य स्रोत ये हैं : कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क, मकानों और ज़मीनों पर कर, खनिज कर, शराब, भंग, धतूरा आदि पर कर, बिक्री कर, बिजली से प्राप्त होने वाली आय, तथा विज्ञापनों पर (अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों के अतिरिक्त) कर, पथ कर, कुछ वाहन कर, चुंगी, विभिन्न पेशों तथा व्यापार पर कर, टिकटों का शुल्क, विलास की वस्तुओं तथा मनोविनोद पर कर।

करों की जाँच

अप्रैल १९५३ में भारतीय करों की जाँच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग न इन बातों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की :

(१) विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों पर केन्द्रीय तथा राज्यों के करों का बोझ किस तरह पड़ता है ;

(२) देश के विकास कार्यक्रम को ध्यान में रख कर तथा आय और सम्पत्ति की विषमता को कम करने की दृष्टि से वर्तमान कर प्रणाली कहाँ तक उपयुक्त है ;

(३) वर्तमान आयकर के विभिन्न दर्जों से देश की पूंजी-निर्माण तथा उत्पादक उद्यम के विकास पर कहाँ तक प्रभाव पड़ता है ;

(४) मुद्रा अपस्फीति (डिफ्लेशन) तथा मुद्रा स्फीति (इन्फ्लेशन) की दशा में सुधार करने के लिये करों का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है ;

(५) वर्तमान कर प्रणाली की पूरी छानबीन करना और नये करों के स्रोत तलाश करना।

इस आयोग के अध्यक्ष डा० जान मथाई और सदस्य श्री वी० एल० मेहता, डा० वी० के० आर० वी० राव, श्री वी० वेंकटप्पैया, डा० बी० के० मदान थे।

नवम्बर १९५४ की समाप्ति तक करों की जाँच का कार्य समाप्त हो गया और ३० नवम्बर को आयोग के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किये। दिसम्बर में यह रिपोर्ट सरकार के समक्ष उपस्थित की गई। इस रिपोर्ट में आधुनिक कल्याणकारी राज्य को लक्ष्य मान कर कर-प्रणाली को ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से पूरी-पूरी जाँच की गई है। आयोग की सिफारिशों में कर लगाने के सभी पहलुओं और मूल बातों, यथा—केन्द्रीय, राज्यीय या स्थानीय कर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगने योग्य राजस्व और करातिरिक्त राजस्व—पर विचार हुआ है। मोटे रूप में इन सिफारिशों का उद्देश्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर लगाने के क्षेत्र और आधार को विस्तृत करना तथा दरों के ढाँचे में पुनस्समायोजन करना है।

आयोग की इन सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार के १९५५-५६ के बजट प्रस्तावों में लागू किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, कई नये उत्पाद-शुल्क लगाये गये हैं और आयकर की दरों में परिवर्तन किया गया है। ऊनी कपड़े, बिजली के पंखे, बल्ब, बिजली की ड्राई और स्टोरेज बैटरी, कागज (अखबारी कागज को छोड़ कर), गत्ता, रंग और वारनिश पर मल्य के अनुसार लगने वाले १० प्रतिशत शुल्क से ४ करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। आयकर के ढाँचे में प्रस्तावित परिवर्तनों को अनुसूची में दिखाया गया है। ढाँचे में किये जाने वाले इन

परिवर्तनो के कारण ८.७ करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व के प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें ४.२ करोड़ रुपये राज्यों का भाग होगा ।

आयकर तथा सम्पदा शुल्क

आयकर तथा सम्पदा शुल्क की दरें अन्यत्र दी गई है । इनमें बहुत सी छूटें भी दी जाती हैं । उदाहरण के लिये कृषि से प्राप्त होने वाली आय, न्यासों तथा धार्मिक और दान सम्बन्धी संस्थाओं की आय, वह आय जो धार्मिक संस्थाओं को चन्दे द्वारा प्राप्त होती है, पूंजी की आय, इनाम तथा वर्ग पहेली प्रतियोगिताओं से प्राप्त होने वाली आय, नौकरी छूट जाने की दशा में प्राप्त होने वाली इकट्ठी राशि, कतिपय आय-कर-मुक्त सरकारी ऋण के ब्याज से प्राप्त होने वाली आय इत्यादि ।

सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में और भी अधिक छूटें दी गई है । यह शुल्क केवल उसी दशा में लगेगा, जबकि किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाने पर उसकी सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगी । इसके अतिरिक्त ६ श्रेणियों की सम्पत्ति पर यह शुल्क नही लगेगा । इनके सम्बन्ध में यह माना गया है कि ये मृत्यु के बाद हस्तान्तरित नही होती ।

केन्द्रीय बजट

१९५५-५६ में ४९०.४६ करोड़ रुपये के राजस्व, ४९८.९३ करोड़ रुपये के व्यय और ८.४७ करोड रुपये के घाटे का अनुमान है । यह घाटा करों की वर्तमान दर के अनुसार ३०.१७ करोड़ रुपये का होता है । क्योकि राजस्व में यह घाटा मुख्यत: चालू हिसाब मे अधिक खर्च के कारण है, इसलिए, नये और अतिरिक्त करों द्वारा इस घाटे के अधिकांश की पूर्ति करने की व्यवस्था की गई है । उत्पाद-शुल्क में परिवर्तन के कारण, जिसमें ऊपर बताये गये शुल्क भी सम्मिलित हैं, १७.७ करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है । आय कर में परिवर्तन के कारण केन्द्रीय सरकार को ४.२ करोड़ रुपये की आय होगी । इस सब के परिणामस्वरूप केन्द्रीय राजस्व में २१.७ करोड़ रुपये की कुल वृद्धि होगी और राजस्व लेखे में केवल ८.४७ करोड़ रुपये का घाटा रह जायेगा । इस प्रकार का घाटा खतरनाक नही होता और इसे न्याय भी माना जा सकता है । १९५४-५५ में १५.३६ करोड़ रुपये के प्रारम्भिक अनुमान के मुकाबले में राजस्व में अब केवल ५ करोड़ रुपये के घाटे का ही अनुमान है । राजस्व में ६५ लाख रुपये की कमी के कारण खर्च में ११.०१ करोड़ रुपये की बचत के परिणामस्वरूप यह सुधार हुआ है ।

१९५५-५६ के बजट में ३४० करोड़ रुपये के ट्रेजरी बिलों को मिला कर ५०२ करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले में जिसमें चालू वर्ष के २२० करोड़ रुपये के ट्रेजरी बिल भी शामिल थे ६६३ करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्ति होगी । चालू वर्ष के लिये अनुमानित ४८४ करोड़ के मुकाबले में आने वाले वर्ष में पूंजी लेखे में वितरण के लिये ६३२ करोड़ रुपये के होने का अनुमान है । इसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्ष में ३० करोड़ रुपये की और चालू वर्ष में १८ करोड़ रुपये की बचत होगी । कुल घाटे के कारण पड़ने वाले अन्तर को दूर करने के लिये ३४० करोड़ रुपये के ट्रेजरी बिलों की व्यवस्था की गई है । सरकार को आशा है कि वह १२५ करोड़ रुपये बाजार-ऋण के द्वारा और ५२ करोड़ रुपये छोटी बचत की मद से इकट्ठा

कर सकेगी। पूंजी लेखे के लिये किये जाने वाले वितरण मे मुख्यतः विकास खर्च, राज्यों को दिया जाने वाला पेशगी धन और कर्ज तथा कर्जों का भुगतान शामिल है।

चालू वर्ष के लिये केन्द्रीय सरकार के राजस्व और पूंजी लेखे में होने वाली हानि अन्यत्र दिखाई गई है। रेलों के व्यय और प्राप्ति का हिसाब रेलो वाले अध्याय में दिया गया है।

विकास खर्च

केन्द्रीय सरकार की अर्थ व्यवस्था मे आवर्तक रूप मे कुल घाटा विकास योजनाओं के लिये आवश्यक भारी व्यय के कारण होता है। विकास की इन योजनाओं को, युद्ध और विभाजन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित भारतीय अर्थ-व्यवस्था की पुनरुन्नति के लिये ही नहीं किन्तु देश के अप्रयुक्त स्रोतों को लाभ के रूप मे प्रयुक्त करने के लिये भी प्रारम्भ किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ऋण

१९४८-४९ से अर्थात् स्वतन्त्रता और विभाजन के तुरन्त बाद केन्द्रीय सरकार का कुल ऐसा राष्ट्रीय ऋण जिस पर सरकार सूद देती थी २,४५५ ८० करोड़ रुपये से बढ कर १९५४-५५ मे ३,०३९ १५ करोड़ रुपये हो गया। १९५५-५६ के बजट मे इस राशि के कुल ३,५०८ ७६ करोड रुपये होने का अनुमान है। १९४८-४९ से ऐसे आन्तरिक ऋण की राशि जिन पर सरकार सूद देती थी २,४१२ ९६ करोड रुपये से बढ कर १९५४-५५ मे २,८९९.९८ करोड रुपये हो गई और १९५५-५६ मे इस राशि के ३,३५६.७८ करोड रुपये हो जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय और राज्यीय सरकारो की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये १९ अप्रैल १९५४ को भारत सरकार ने अपरिमित राशि के लिये ३½ प्रतिशत ब्याज पर 'नेशनल प्लान लोन, १९५४' जारी किया। इस ऋण के लिये रुपया लगाने का कार्य अनिर्दिष्ट समय तक जारी रख कर १५ सितम्बर को बन्द कर दिया गया। १९ अप्रैल से २४ अप्रैल तक के लिये १०० रुपये के ऋणपत्र का प्रचारित मूल्य ९८ रु० ८ आ० रखा गया जिससे ऋण के लिये जल्दी रुपया लगाने वालों को ३.६८ प्रतिशत की छूट का लाभ मिल सके। उसके पश्चात् यह मूल्य ९ पाई प्रति सप्ताह अर्थात् कुल बढे हुए ब्याज के अनुसार बढता गया। साथ ही साथ जनता को ट्रेजरी बिल की बिक्री भी रोक दी गई।

इसके साथ-साथ नेशनल प्लान लोन के हिस्से के रूप मे १९ मई १९५४ का दस वर्षीय सेविंग्स सर्टिफिकेट की एक सिरीज जारी की गई। ये सर्टिफिकेट २५ रुपये और ५० रुपये की संख्या के जारी किये गये और इनमे एक ही व्यक्ति द्वारा लगाये जा सकने की सीमा १,००० रुपया है। इन सर्टिफिकेटो को यदि पूरे समय के बाद भुनाया जाये तो इन पर ४½ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा जो आयकर से मुक्त होगा। इन सर्टिफिकेटो का प्रचारित किया जाना जारी है। नेशनल प्लान लोन मे जमा हुई रकम १५८ करोड़ रुपये है।

छोटी बचत

स्वतन्त्र भारत मे छोटी बचत के लिये रकम लगाने में वृद्धि होना राष्ट्रीय ऋण का एक मुख्य पहलू है। छोटी बचत के लिये जमा की गई धनराशि १९४६-४७ में ७३.२० करोड़ रुपये से बढ़ कर १९५३-५४ मे ४५४.८७ करोड़ रुपये हो गई और १९५४-५५ में ५०० करोड़ रुपये से अधिक हो जायेगी।

१९५३-५४ में छोटी बचत के लिये कुल प्राप्ति १४८ करोड रुपये और प्रतिदान ११२ करोड़ रुपये था, इस प्रकार १९५२-५३ की ४० करोड रुपये की शुद्ध वृद्धि पर ३६ करोड रुपये की और शुद्ध वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष २० करोड़ रुपये की अधिकतम राशि की वृद्धि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेटों मे ही हुई जबकि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट से १२ करोड रुपये और ट्रेजरी सेविंग्स बैंक डिपॉजिट सर्टिफिकेटो से ६ करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। राज्य सरकारों द्वारा छोटी बचत के लिये अधिक से अधिक धन संग्रह की प्रवृत्ति को बढावा देने के लिये राज्य विशेष में निर्दिष्ट लक्ष्य से अधिक एकत्र की गई राशि को सम्पूर्ण देश में एकत्र की गई राशि के कुल योग पर विचार किये बिना उसी राज्य को कर्ज के रूप में दे दिया जाता है। सेविंग्स सर्टिफिकेटो की बिक्री की एजेन्सियों का और अधिक विस्तार और विकेन्द्रीकरण किया गया और ऐसा करते हुए सारे देश मे स्त्रियो के संगठनो तथा कुछ राज्यों मे ग्राम पंचायतों की ओर अधिक ध्यान दिया गया।

१९५३-५४ मे ११ राज्यो ने ३१ करोड की कुल रकम के लिये ऋण जारी किया। इस मे बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश राज्यों मे से प्रत्येक का भाग ५ करोड रुपये, पश्चिम बगाल, मैसूर, तिरुवाकुर-कोचीन और हैदराबाद मे से प्रत्यक का भाग ३ करोड रुपये, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और सौराष्ट्र मे से प्रत्येक का भाग १ करोड रुपये है। इन कर्जो पर ४ प्रतिशत ब्याज मिलेगा और १९६३ मे ये अदा किये जायेगे।

विदेशी ऋण

१९३८-३९ में अर्थात् युद्ध से ठीक पहले इग्लैण्ड मे भारत सरकार का कुल ऋण जिस पर इस देश की सरकार को ब्याज देना पडता था ४६९ १२ करोड रुपये था। १९४६-४७ मे यानी युद्ध की समाप्ति पर यह राशि घट कर ५८ ७४ करोड रुपये ही रह गई। इस कमी का कारण भारत द्वारा इग्लैण्ड को युद्ध के दिनो मे सामग्री का भेजा जाना और उस देश की सेवा किया जाना था। १९४८-४९ मे इस ऋण की राशि ४२ ८४ करोड़ रुपये थी। १९५४-५५ की समाप्ति पर यह राशि २७ २६ करोड रुपये और १९५५-५६ मे इसके घट कर २५ ९५ करोड रुपये रह जाने का अनुमान है।

जहाँ एक ओर स्टर्लिंग ऋण इस प्रकार घट रहा है दूसरी ओर डालर ऋण बढ रहा है। डालर ऋण का मामला अभी हाल के ही वर्षो का है। १९४९-५० मे १६ ७७ करोड से बढ़ कर १९५४-५५ मे यह १११ ९१ करोड हो गया और १९५५-५६ मे इसके १२६ ०६ करोड़ हो जाने का अनुमान है। डालर क्षेत्रो से सामान और फण्ड तथा उस क्षेत्र के लोगो की सेवाए लेने के कारण यह ऋण हो गया है। युद्ध के परिणाम और विभाजन के कारण बिगडी हुई अर्थ व्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिये तथा नये विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिये इन सेवाओ, सामग्री और फण्ड का लिया जाना बहुत ज़रूरी हो गया था।

भारत और पाकिस्तान के बीच दिसम्बर १९४७ मे हुए आर्थिक समझौते में अविभक्त भारत के सार्वजनिक ऋण में पाकिस्तान का हिस्सा, उन भौतिक और आर्थिक सम्पत्तियों के मूल्य को मिला कर निश्चित किया गया जो पाकिस्तान मे रह गई थी या जो वहाँ की सरकार को दे दी गई थी। यह राशि अग्रहीत कर्ज के १७.५ प्रतिशत से—जो अविभक्त केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों से दायित्व के रूप में अधिक था—अतिरिक्त है। पाकिस्तान सरकार द्वारा अगीकृत किये गये कर्जों को इस राशि में से घटाया जाना था। सामरिक महत्त्व वाली रेलों के अति-

रिक्त जिनके मूल्य मे लगभग ५० प्रतिशत की कमी की जानी थी दोनों उपनिवेशों द्वारा ली गई सम्पत्तियों का मूल्याकन उन के खातों मे लिखित मूल्य के अनुसार किया जाना था। विभाजन के समय अविभक्त सरकार द्वारा सम्पूर्ण देय धनों का उत्तरदायित्व अस्थायी रूप से भारत सरकार ने सम्हाल लिया था और पाकिस्तान सरकार के लिये यह निश्चित किया गया कि १५ अगस्त, १९५२ से वह मूलधन और ब्याज को बराबर की ५० वार्षिक किश्तों में भारत सरकार को दे। कर्ज मे पाकिस्तान के हिस्से का अनुमान भारत सरकार ने ३०० करोड़ रुपये लगाया और ब्याज की दर ३ प्रतिशत निश्चित की। अभी तक पाकिस्तान ने कुछ भी अदायगी नही की है। हाल ही मे कर्ज मे पाकिस्तान के हिस्से को पक्के रूप मे निश्चित करने के लिये और उसकी अदायगी के विषय मे समझौते की बातचीत शुरू की गई है।

सम्पत्तियाँ

ऐसी सम्पत्तियाँ जिन पर भारत सरकार को ब्याज मिलता है, १९४८-४९ में १,४३१·१२ करोड़ रुपये की थी और १९५४-५५ में ये बढ़ कर २,२६६·०८ करोड़ रुपये की हो गईं और १९५५-५६ मे उनके २,६६७·९१ करोड़ रुपये की हो जाने का अनुमान है।

तालिका ३४

भारत सरकार का राजस्व और व्यय

(राजस्व लेखा)

(करोड़ रुपयों में)

(१)	१९५३-५४ (लेखा) (२)	१९५४-५५ (संशोधित) (३)	१९५५-५६ (बजट) (४)
राजस्व			
सीमा शुल्क	१५८.७१	१८०.००	१६५.००
			—०.५० (अ)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	९४.९८	१०३.६५	१२३.४५
			+१७.७० (अ)
निगम कर	४१.५४	३८.४१	३९.७७
आय पर कर	१२२.८४	१२६.५९	१२५.२३
			+८.७० (अ)
सम्पदा शुल्क	—	१.२६	३.००
अफीम	१.९६	२.२६	२.००
ब्याज	२.९१	३.६१	२.९१
असैनिक प्रशासन	९.८०	१०.८१	१०.५४
मुद्रा तथा टकसाल	१५.७४	२०.७६	२३.१८
असैनिक कार्य	२.२९	१.८०	१.९०
राजस्व के अन्य स्रोत	१३.१५	१०.५९	२०.४९
डाक और तार (शुद्ध अंशदान)	२.४०	१.४०	०.७०
रेलवे (शुद्ध अंशदान)	६.९५	७.०८	६.१५

(अ) बजट प्रस्तावों का प्रभाव

तालिका ३४ (क्रमशः)

(१)	(२)	(३)	(४)
घटाइये—राज्यों को दिये आयकर का भाग . . .	—५७.२६	—५५.६६	—५२.७७ —४.२० (अ)
घटाइये—राज्यों को दिये सम्पदा शुल्क का भाग . .	—	—१.१८	—२.७६
कुल राजस्व . . .	४१५.६८	४५१.०८	४६८.७६ +२१.७० (अ)
राजस्व लेखे में घाटा . .	—	५.००	३०.१७ —२१.७०
कुल जोड़ . . .	४१५.६८	४५६.०८	४६८.६३
व्यय			
राजस्व पर प्रत्यक्ष मांग . .	२६.८४	३०.४६	३३.१३
सिंचाई . . .	०.१०	०.१४	०.१३
ऋण सेवाएँ . . .	४०.८२	३६.४०	३६.२०
असैनिक प्रशासन . . .	६४.१७	८३.६३	१११.७६
मुद्रा तथा टकसाल . .	२.६०	३.४९	३.३६
असैनिक कार्य . . .	१३.८५	१५.०६	१६.३३
विविध . . .	३२.११	३०.८६	४३.२२
प्रतिरक्षा सेवाएं (शुद्ध) . .	१८६.३०	१६८.०२	२०२.६८
राज्यों को दिये अंशदान और अनुदान	२५.६१	३२.०५	३५.६३
असाधारण मदें . . .	११.७८	२२.६७	१३.१६
कुल व्यय . . .	४०७.४८	४५६.०८	४६८.६३
राजस्व लेखे में बचत .	८.५०	—	—
कुल जोड़ . . .	४१५.६८	४५६.०८	४६८.६३

(अ) बजट प्रस्तावों का प्रभाव

तालिका ३५

भारत सरकार का पूंजीगत लेनदेन (करोड़ रुपयों में)

	बजट १९५४-५५	संशोधित १९५४-५५	बजट १९५५-५६
प्राप्तियां			
अमेरिकी तथा उधारपट्टे की बचतवाली वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त	—	—	०.३६
नये ऋण . .	७८ २८	१६०.४०	१४१.१३
१५ वर्षीय वार्षिक सर्टिफिकेट .	—	० ५६	०.७६
अन्तर्राज्यीय ऋण	—	१०.९२	४ ६८
शुद्ध प्राप्तियां—निम्न मदों से .	२५०.००	२२०.००	३४० ००
ट्रेजरी सेविंग डिपाजिट सर्टिफिकेट्स	७.५०	५ ००	५ ००
पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक .	१३.५०	२० ५०	२१.००
पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट्स .	−२.०७	−२ ०४	−१.३०
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स .	२६.५०	१९ १२	२०.००
डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स .	−०.२०	−० १४	−० १०
नेशनल प्लान सर्टिफिकेट .	—	७ ००	७.००
निधि व्यतिरिक्त अन्य ऋण	१५.३९	१५ ८४	१७ ००
रेलवे मूल्यह्रास निधि	−९.७०	−१० ११	−३.३७
राजस्व की रक्षित निधि (रेलवे)	१ १८	१.१९	८.५१
रेल विकास निधि . .	−४.९५	−५ ००	−१२.०१
टेलीफोन विकास निधि .	−०.१५	−० ३०	−०.२५
डाक व तार नवीकरण रक्षित निधि	−०.२०	०.१५	०.३५
अन्य विविध रक्षित निधियां .	० २७	० ०१	०.६४
ऋण के परिहरण या कमी का नियोजन लेखा .	५.००	५ ००	५.००
अतिरिक्त लाभ कर तथा आयकर निक्षेप (शुद्ध) . .	−४.२५	−२.५५	−१.३३
बट्टा निमज्जन निधि (शुद्ध) .	१.०४	−१.३७	१.१६
रुपये के सिक्के की बाबत रिजर्व बैंक द्वारा अदायगी . . .	५.००	५.००	५.००
राज्यों द्वारा ऋण का चुकाया जाना .	२०.९०	२४.०५	२४.९२
अन्य ऋणों का चुकाया जाना .	२.७४	७.६०	६.१३
अन्य निक्षेप और अग्रिम धन (शुद्ध) .	२७.८४	२०.७१	७३.६५
कुल प्राप्तियां . .	४३३.०८	५०१.५२	६६२.६५
पूंजीगत लेखे पर घाटा .	—	—	—
कुल जोड़ . . .	४३३.०८	५०१.५२	६६२.६५

तालिका ३५ (क्रमशः) (करोड़ रुपयों में)

	बजट १९५४-५५	संशोधित १९५४-५५	बजट १९५५-५६
व्यय			
पूंजीगत खर्च			
रेलवे	३३.९३	३२.४९	६६.०९
सिंचाई	०.२५	०.२५	०.२३
डाक तार	११.४९	११.४५	११ ८५
औद्योगिक विकास	२४.१०	१५.०४	१६.४२
उड्डयन	३ ३४	२ ८७	५.२८
प्रसारण	१.२४	१ १२	२.००
बन्दरगाह	५ ३१	३ ६०	५.२९
टकसाल	० ७२	० ५७	० ५०
दिल्ली में नई राजधानी	६.०७	५.४९	६ ८६
बहुउद्देशीय नदी योजनाएं	३ ९४	३.९२	४.३०
बिजली सम्बन्धी योजनाएं	० ७६	० २८	०.३७
असैनिक कार्य	२५ ०५	१५.६८	१० २६
पेंशनों का विनिमय	० २६	०.१०	० ०१
स्टर्लिंग पेंशन	−७.०५	−७ ०५	−६ ९५
प्रतिरक्षा के लिये पूंजीगत व्यय	१७ ७५	१३.०९	२२ ३८
सरकारी व्यापार की योजनाएँ	−३ ११	५८ ४८	२९.००
विकास-अनुदान	१६.००	१२ ५२	१८ ३१
विस्थापित लोग	४ ००	७ ६५	२०.९९
जहाजी टैंकर आदि	—	—	१.००
अन्य असैनिक मदें	१ ७०	१ ००	९ १०
स्थायी ऋण का उन्मोचन	५३.०२	४८ ३१	७३ ०५
अन्तर्राज्यीय ऋण का परिशोधन			
भारत और तिरुवांकुर कोचीन	—	१ १०	—
भारत और मैसूर	—	—	० ४५
राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अग्रिम धन	१७८ ७९	२२०.२७	२७९.२९
अन्य ऋण और अग्रिम धन	२९.०६	३५.८३	५६.३६
कुल व्यय	४०६.६२	४८४.०६	६३२.४४
पूंजीगत लेखे पर बचत	२६ ४६	१७.४६	३०.२१
कुल जोड़	४३३.०८	५०१.५२	६६२ ६५

सहायक ग्रन्थ सूची

१ 'कास्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया', अनु० ११२-७, १८८-५१, २०२ ।
२ 'ऐन इन्ट्रोडक्शन टु इण्डियन गवर्नमेंट अकाउंट्स ऐंड ऑडिट', अध्याय ३-६ ।
३ 'रिपोर्ट ऑन करेन्सी ऐंड फिनान्स' (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अनुअल)
४ भारत सरकार का बजट
५ 'बैंकिंग ऐंड मानेट्री स्टेटिस्टिक्स ऑफ इण्डिया' (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, १९५४)

तेरहवाँ अध्याय

कृषि

भारत का सब से बड़ा प्राकृतिक साधन भूमि है और देश के प्राय ७० प्रतिशत लोग उस पर रोजी के लिये निर्भर रहते ह। कृषि द्वारा प्राय आधी राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है जो १९५०-५१ के अनुमानो के अनसार ९,५३० करोड रुपये थी।

क्षेत्रफल और मिट्टी

देश का कुल भागोलिक क्षेत्रफल ८१,१०,००,००० एकड है। नीचे दी हुई तालिका मे १९४८-४९ मे और १९५१-५२ मे भूमि के उपयोग के बारे मे विवरण दिया गया है :

तालिका ३६

(हजार एकडो मे)

वर्गीकरण	१९४८–४९	१९५१–५२	१९४८–४९ मे वृद्धि
१ कुल भोगोलिक क्षेत्रफल	८,१०,८०९	८,१०,८०९	—
२ कुल क्षेत्रफल जिसकी सूचना मिली	५,८२,८८८	७,०३,८४१	१,२०,९५३
३ जगल	८९,७८७	१,०९,८९५	२३,१०८
४ खेती के लिये अप्राप्य	१,००,६११	१,१२,२५३	११,६४२
५ बजर को छोड कर अन्य अकृष्ट भूमि	९३,३८१	१,१२,९२१	१९,५४०
६ बजर	६२,८७९	६९,२२९	६,३५०
७ वास्तविक क्षेत्रफल जिस पर बुवाई हुई	२,४३,९७६	२,९६,३८७	५२,४१३
८ एकाधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	३३,४३६	३३,७१३	२७७
९ कुल भूमि जिस पर खेती हुई	२,७७,४१०	३,३०,१००	५२,६९०
१० सख्या (५) मे सम्मिलित कृषि योग्य भूमि	१०,८८८	५२,०७६*	४१,१८८

कुल भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती है, अब २९,९०,००,००० एकड है जिसमे से केवल ३,४०,००,००० एकड या ११ ५ प्रतिशत भूमि ही ऐसी है जिस पर वर्ष मे एक से अधिक फसले होती है। लगभग ५ २०,००,००० एकड कृषि योग्य भूमि और ६,९०,००,००० एकड बजर भूमि को देखते हुए व्यापक तथा भरपूर खेती की अधिक सम्भावनाए है।

भारत मे प्राप्त होने वाली मिट्टी ४ प्रकार की है (१) रेत मिली मटियाली, (२) काली, (३) लाल, और (४) भरी।

*१९५०-५१ की सख्या।

सिंचाई

खेती के अन्तर्गत कुल भूमि के १७ प्रतिशत भाग की सिंचाई छोटे और बड़े सिंचाई कार्यों द्वारा होती है, शेष भाग को वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है। इसीलिए यदि कभी वर्षा न हो या कम हो तो देश के कुछ भागों में अकाल पड़ सकता है। नीचे दी हुई तालिका में १९४७ से १९५२ तक के सिंचाई के स्रोत तथा सिंचित क्षेत्रफल दिखाये गये हैं।

तालिका ३७

(हजार एकड़ों में)

वर्ष	नहरों से			तालाबों से	कुँओं से	अन्य स्रोतों से	कुल जोड़
	राज्य	निजी	जोड़				
१९४७–४८	१५,३१७	४,४४८	१९,७६०	७,९९१	१२,५२५	६,३६८	४६,६४४
१९४८–४९	१५,९२९	४,५२४	२०,४५३	७,६५८	१२,६४३	६,१७१	४६,९२५
१९४९–५०	१६,९३४	३,८६४	१९,७९८	८,४८६	१३,६८७	७,९३५	४९,९०६
१९५०–५१	१७,९३८	३,८१७	२०,७५५	८,२८८	१४,६९५	७,६०१	५१,३३९
१९५१–५२	१८,५३०	३,९७१	२१,२०१	८,६२६	१५,९४७	५,६५०	५१,४६६*

जिस भूमि की सिंचाई होती है उसकी उपज असिंचित भूमि की अपेक्षा प्रायः दुगुनी से चौगुनी तक होती है। इसीलिए पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के विस्तार पर बहुत अधिक बल दिया गया है। १९५१-५६ तक योजना में सम्मिलित सिंचाई की बड़ी और छोटी योजनाओं द्वारा ८,९०,००,००० एकड़ सिंचित भूमि में १,९७,००,००० एकड़ की और वृद्धि हो जायेगी।

भूमि स्वामित्व

भारत में भूमि स्वामित्व की तीन प्रथाएं प्रचलित हैं जमींदारी महलवारी तथा रैयतवारी। जमींदारी प्रथा के अनुसार एक या अधिक व्यक्ति भूमि का स्वामी होता है और वह सरकार को लगान देता है। पश्चिम बंगाल बिहार, आसाम, उड़ीसा, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में यह प्रथा प्रचलित है। महलवारी प्रथा के अनुसार गाँव के कुछ लोगों या गाँव की कुछ जमातों के पास अपने गाँव की भूमि का स्वामित्व होता है, जिसमें सब लोग मिल कर और अलग-अलग रूप में लगान देने के जिम्मेवार होते हैं। यह प्रथा मध्य प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जारी है। रैयतवारी प्रथा के अनुसार किसान भूमि का स्वामी होता है, और वही लगान देता है। यह प्रथा बम्बई और मद्रास में है।

भूमि सुधार द्वारा, जिसकी चर्चा अन्यत्र की गई है, गाँवों की अर्थ-व्यवस्था के आर्थिक और सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन आ रहा है।

*इसमें वे ४२,००० एकड़ भी शामिल हैं जिनके विषय में विवरण प्राप्त नहीं है।

लगान

अंग्रेजी राज्य के जमाने में पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम के कुछ भागों, मद्रास, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में स्थायी बन्दोबस्त की प्रथा विद्यमान थी। जमींदारी प्रथा की समाप्ति के साथ इसे भी समाप्त कर दिया जा रहा है। शेष भारत में अस्थायी बन्दोबस्त की प्रथा है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकारों से लगान निश्चित किया जाता है। अर्थात् समय समय पर लगान की दरों में आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। बम्बई, मैसूर, हैदराबाद और बिहार में पहले अनुभव के आधार पर लगान निश्चित किया जाता है और महलवारी, रैयतवारी अथवा जमींदारी प्रथा वाले प्रदेशों में लगान की दर निश्चित है। पंजाब में यह शुद्ध उत्पादन का २५ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में ४० प्रतिशत तथा मद्रास में ५० प्रतिशत है।

भूमिस्वामित्व के आकार

भारत में औसतन एक भूमिधर किसान के पास ५ एकड़ भूमि है। बम्बई में औसत भूमि ११.७ एकड़, पंजाब में १० एकड़, उत्तर प्रदेश में ६ एकड़, बंगाल में ४.५ एकड़, मद्रास में ४.४ एकड़ तथा हैदराबाद में १२ एकड़ है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अधिकांश किसानों के पास औसत से बहुत कम भूमि है। मद्रास, बिहार और पश्चिम बंगाल में १९४९-५० में कृषि श्रम सम्बन्धी एक जाँच-पड़ताल की गई थी। उसके अनुसार इन राज्यों के अधिकांश किसान के पास दो एकड़ से भी कम भूमि है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भूमि इतने छोटे-छोटे भागों में बँट गई है कि इस पर अच्छी तरह खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि पशु तथा खेती बाड़ी का सामान भी बहुत अल्प मात्रा में बँट जाता है और उन से यथेष्ट लाभ नहीं उठाया जा सकता।

१९१२ से भारत में इस तरह के प्रयत्न आरम्भ किये गये कि भूमि का यह विभाजन अब और अधिक न बढ़ने पाये। इस कार्य के लिये सहकारी समितियों से सहायता ली गई। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक कार्य पंजाब में हुआ। वहाँ १९५०-५१ में ३६१ सहकारी समितियाँ थीं और उनकी सदस्य संख्या १,८९,०५७ थी। इन सहकारी समितियों के पास कुल मिला कर ७,०७,००० एकड़ भूमि थी और एकीकरण विभाग की ओर से ३,५०,००० एकड़ भूमि एकत्र की गई।

सहकारिता आन्दोलन की उन्नति की रफ्तार इस कारण बहुत अधिक नहीं है कि सरकार इस सम्बन्ध में जबरदस्ती नहीं करना चाहती। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि लोगों को समझा-बुझा कर इस कार्य के लिये प्रेरित किया जाये। कुछ राज्यों में कानून बना कर सहकारी प्रथा जारी की जा रही है। इस सम्बन्ध में सबसे पहला कानून १९२८ में मध्य प्रदेश सरकार ने पास किया, उसके बाद कुछ अन्य राज्यों में भी इस सम्बन्ध में कानून पास किये गये उत्तर प्रदेश (१९३९), बम्बई (१९४७), पंजाब (१९३६ और १९४८), दिल्ली (१९३६ और १९४८), जम्मू और कश्मीर (१९९६ विक्रमी) तथा पेप्सू (२००७ विक्रमी)।

सहकारी खेती को भी संगठित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार आर्थिक तथा टेक्निकल सहायता देती है। नये विकसित होने वाले प्रदेशों में वह कुछ भूमि भी देती है। लगान में भी कुछ रियायत दी जाती है। आसाम, बम्बई, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद में इस आशय के कानून बना लिये गये हैं कि एक निश्चित परिमाण से

कम भूमि वाले कुछ निर्दिष्ट किसानों को सहकारी समितियों द्वारा खेतीबाड़ी करनी होगी। इस समय बम्बई में ३२६ सहकारी कृषि समितियाँ हैं तथा उत्तर प्रदेश में ५२। १९५१-५२ में पंजाब में इस तरह की समितियों की संख्या १९८ थी और मद्रास में ८१।

पिछले वर्षों में सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति का संचालन ये दो उद्देश्य ध्यान में रख कर किया गया है (१) भूमि और अधिक हिस्सों में न बँटने पाये, साथ ही (२) भूमि कुछ ही व्यक्तियों के पास जमा न हो जाये। बहुत से राज्यों में, उदाहरण के लिये आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, जम्मू और कश्मीर, बम्बई, पंजाब और पेप्सू में कम से कम और अधिक से अधिक भूमि की मात्रा निश्चित कर दी गई है या की जा रही है।

उपज

भारतीय कृषि उत्पादन के दो महत्त्वपूर्ण पहलू ये हैं कि यहाँ बहुत तरह की चीजें उत्पन्न होती हैं तथा उपज में खाने की वस्तुओं का प्राधान्य रहता है। गरम, सम-शीतोष्ण अथवा तराई वाले क्षेत्रों की शायद ही कोई ऐसी उपज हो, जो इस देश में पैदा न होती हो। कुल खेती वाली भूमि के ८५ प्रतिशत भाग पर खाने-पीने की वस्तुएं बोई जाती हैं।

देश की मुख्य उपजों को दो मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है: (१) खरीफ और (२) रबी। खरीफ की उपज में मुख्यतः चावल, ज्वार, बाजरा, मक्की, रूई, गन्ना तथा मूंगफली आदि होती हैं और रबी की फसलों में मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, तिलहन, सरसों आदि।

उपज की दृष्टि से भारत की औसत प्रतिवर्ग एकड़ उपज बहुत कम है। इसके मुख्य कारण हैं सिंचाई के साधनों की कमी, वर्षा की कमी, बाढ़ें तथा कृषि-नाशक बीमारियाँ।

पंचवर्षीय योजना काल के आरम्भ में खाद्यान्नों तथा मुख्य व्यावसायिक फसलों की उपज देश की जरूरतों को देखते हुए यथेष्ट न थी। केवल खाद्यान्नों की कमी १९५० की जनसंख्या और उपभोग को देखते हुए प्रायः ३०,००,००० टन थी। अतः उत्पादन में निम्नलिखित वृद्धि की योजना बनाई गई

तालिका ३८

वस्तु	मात्रा (लाख में)	प्रतिशत वृद्धि
खाद्यान्न	७६·० टन	१४
रूई	१२·६ गाँठें	४२
पटसन	२०·९ गाँठें	६३
तिलहन	४ ० टन	८
गन्ना	७·० टन	१२

उपर्युक्त लक्ष्यों के लिये १९५०-५१ को आधारवर्ष माना गया। केवल खाद्यान्नों के लिये १९४९-५० को आधार वर्ष माना गया क्योंकि १९५०-५१ में खाद्यान्नों का उत्पादन सामान्य स्तर से बहुत कम था। मोटे तौर पर पहले तीन सालों में खाद्यान्न, रूई और तिलहन के लक्ष्यों को या तो प्राप्त कर लिया गया या प्रायः उन तक पहुँच लिया गया। परन्तु गन्ने और पटसन की उपज लक्ष्यों से कम रही।

खाद्यान्न

नीचे दी गई तालिका में खाद्यान्नों की कुल वार्षिक उत्पत्ति और आधार-वर्ष के मुकाबले वास्तविक वृद्धि या ह्रास को दिखाया गया है :

तालिका ३९

(लाख टनों में)

वर्ष	खाद्यान्नों की कुल उपज	अतिरिक्त उत्पादन
१९४९-५०	५४० ०	—
१९५१-५२	५२३ ०	—१७
१९५२-५३	५८४ ०	४४
१९५३-५४	६५४ ०	११४

१ करोड़ १४ लाख टन का खाद्यान्नों का १९५३-५४ में उत्पादन १९५५-५६ के लिये निर्धारित ७६ लाख टन से कहीं अधिक है। नीचे दी गई तालिका से प्रकट हो जायेगा कि चावल तथा अन्य अनाजों में वृद्धि गेहूं की तुलना में कहीं अधिक हुई है —

तालिका ४०

(लाख टनों में)

फसल	अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य १९५५-५६	१९५३-५४ में अतिरिक्त उत्पादन
चावल	४० ०	४७ ५
गेहूं	२० ०	६ ५
अन्य अनाज	६ ०	५१ ७
चना और दालें	१० ०	१३ ०
कुल जोड़	७६ ०	११३·७

खाद्यान्नों की उत्पत्ति में काफी वृद्धि के कारण आयात में भारी कमी हुई है जिससे बड़ी मात्रा में वैदेशिक विनिमय की बचत हुई है।

१९५४ की सबसे उल्लेखनीय बात प्रायः दस कष्टप्रद वर्षों के बाद खाद्यान्नों पर से सभी प्रकार के नियन्त्रण उठा लेना और सरकारी अनाज वसूली की नीति को त्याग देना रही है।

रूई

रूई की कमी को पूरा करने के लिये योजना में १२.६ लाख गाँठों के अतिरिक्त उत्पादन

का लक्ष्य रखा गया था। रूई के उत्पादन में वृद्धि को नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :

तालिका ४१

(लाखों में)

वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़)	उत्पादन (३९२ पौंड की गाँठें)
१९५०-५१ . . .	१४६	२९७
१९५१-५२ .	१६२	३१३
१९५२-५३ .	१५७	३१३
१९५३-५४ . .	१७०	३९३

यह स्पष्ट है कि आधार वर्ष के मुकाबले उत्पादन प्राय १० लाख गाठ या ३३ प्रतिशत बढ़ गया और इस प्रकार योजना के तीसरे वर्ष ही पंचवर्षीय लक्ष्य के ८० प्रतिशत की प्राप्ति हो गई। पर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लम्बे रेशे वाली रूई की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। १९५०-५१ में यह क्षेत्रफल ३४ लाख एकड़ था पर १९५३-५४ में ६० लाख एकड़ रह गया। देश में इस बढ़े हुए उत्पादन के कारण आयात की मात्रा घट गई है। १९५१-५२ में आयात १ करोड़ २४ लाख गाँठ का था पर १९५३-५४ में घट कर ६३ लाख गाँठ ही रह गया।

पटसन

योजना में पटसन के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य २० ९ लाख गाँठ रखा गया था। इस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिये जो उपाय अपनाये गये वे इस प्रकार थे रासायनिक खादों का वितरण, पटसन के पार्थ सड़ाने वाले तालाबों का निर्माण, बीज-वृद्धि फार्मों की स्थापना, पंक्तियों में बोने की पद्धति का प्रदर्शन और दूसरी फसल के लिये बोने वालों को आर्थिक सहायता। प्रथम दो वर्षों में इन उपायों द्वारा अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई और १९५१-५२ में उत्पादन ३२ ८ लाख गाँठ से बढ़ कर अगले दो वर्षों में ४६ लाख गाँठ हो गया। पर १९५३-५४ में पटसन के मूल्य में काफी गिरावट के कारण और अधिक बाढ़ों और पौधों की बीमारियों के कारण पटसन के उत्पादन में और कृषि-क्षेत्र में काफी कमी हुई। नीचे दी गई तालिका में पिछले चार वर्षों में पटसन की कृषि के क्षेत्र और उत्पादन को दिखाया गया है :

तालिका ४२

(लाखों में)

वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़)	उत्पादन (४०० पौंड की गाँठें)
१९५०-५१ . . .	१४·११	३२·८
१९५१-५२ . . .	१९·५१	४६·८
१९५२-५३ . . .	१८·१७	४६·१
१९५३-५४ . . .	११·९६	३१·३

शक्कर

अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य योजना काल के लिये ७ लाख टन गुड रखा गया था। पहले वर्ष में मुख्यतः गन्ने के ऊँचे दामो के कारण शक्कर की औसत और रवादार शक्कर का उत्पादन १५ लाख टन हुआ जो सभी समय के लिये एक रिकार्ड था। १९५१-५२ मे गन्ने का मूल्य १ रुपया १२ आना प्रति मन था। १९५२-५३ मे वह घट कर १ रुपया ५ आना प्रति मन रह गया और उसमे अगले वर्ष १ रुपया ७ आना प्रति मन रहा। इससे गन्ने की खेती के क्षेत्र और उत्पादन में कमी हुई और १९५३-५४ मे वह आधार-वर्ष से भी कम रहे। नीचे दी गई तालिका मे पिछले चार वर्षों के क्षेत्रफल और उत्पादन को दिखाया गया है :

तालिका ४३

वर्ष	क्षेत्रफल (लाख एकड़)	उत्पादन (लाख टन)
१९५०-५१	४२	५६
१९५१-५२	४८	६१
१९५२-५३	४४	५३
१९५३-५४	३६	४६

शक्कर की कमी को दूर करने के लिये जो अंशतः खपत के बढ़ जाने के कारण भी थी सरकार ने १९५३-५४ में ७.५ लाख टन शक्कर के आयात का प्रबन्ध किया।

तिलहन

योजना काल मे तिलहन का अतिरिक्त उत्पादन ४ लाख टन रखा गया था। यद्यपि प्रथम दो वर्षों में तिलहन की खेती का क्षेत्रफल बढ़ा तथापि उत्पादन आधार-वर्ष से कम ही रहा। १९५३-५४ में उत्पादन ५६ लाख टन हो गया जो न केवल पिछले दो वर्षों की औसत उपजो से अधिक था बल्कि योजना के लक्ष्य से भी अधिक था। पिछले चार वर्षों मे मुख्य तिलहनो (मूगफली, सरसों, राई और तिल, रेडी) के कृषि-क्षेत्र और उत्पादन का विवरण नीचे दी गई तालिका मे प्रस्तुत किया गया है :

तालिका ४४

वर्ष	क्षेत्रफल (लाख एकड़)	उत्पादन (लाख टन)
१९५०-५१	२६५·१	५०·८
१९५१-५२	२८८·७	४९·३
१९५२-५३	२७६·६	४६·४
१९५३-५४	२७६·०	५५·९

'अधिक अन्न उपजाओ' आंदोलन

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन १९४३ में प्रारम्भ किया गया था। पिछले ४ वर्षों में इस कार्य के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारें किसानों को आर्थिक सहायता तथा कर्ज देती रही। आजकल केन्द्रीय सरकार केवल कुछ विशेष कार्यक्रमों के लिये ही आर्थिक सहायता दे रही है। इस आन्दोलन के अधीन दो तरह की योजनाएँ चल रही हैं : (१) नए कार्य तथा (२) आवश्यक पूर्ति के कार्य। पहली योजना के अन्तर्गत, कुँए, तालाब, छोटे बाँध, नालियाँ, ट्यूबवैल और पानी के नलके इत्यादि का निर्माण और मरम्मत हो रही है। इसी योजना के अन्तर्गत बेकार पड़ी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। दूसरी योजना के अन्तर्गत किसानों को अच्छे बीज तथा खाद आदि बाँटे जाते हैं। १९५१-५२ में इस सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की अपेक्षा उत्तम वैज्ञानिक ढंग से काम करना अधिक अच्छा रहेगा।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त १९५०-५१ में एक संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम भी बनाया गया, जिसका उद्देश्य अन्न, रूई, पटसन और चीनी के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। बाद में यह कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया और अब भूमि-सुधार के सम्बन्ध में एक दस-वर्षीय योजना भी बन चुकी है।

कृषि-विकास के लिये पंचवर्षीय योजना में निर्धारित केन्द्रीय सहायता का अधिकांश भाग राज्यों को "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के लिये दिया जाना है। पहले तीन वर्षों में इस प्रकार कितनी रकम की स्वीकृति दी गई और कितना व्यय हुआ, यह नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है

तालिका ४५

(करोड़ रुपयों में)

योजना का नाम	१९५१–५२		१९५२–५३		१९५३–५४
	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत
छोटी सिंचाई	११.६९	६.९५	११.९३	९.७९	१६.८५
भूमि सुधार	१ १६	१.२३	२.०३	१.६२	१.७८
खाद और रासायनिक खाद .	२.६५	१ ६०	२.३१	१.४७	१.०१
बीज .	०.६४	०.४९	१.००	०.६१	०.६६
अन्य कार्यक्रम	१.५५	१.०२	२.०८	०.६७	१.४४
जोड़ .	१७.६९	११.२९	१९.३५	१४.१६	२१.७४

छोटे सिंचाई कार्य

योजना के पहले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई के छोटे कार्यों : यथा कुँओं और तालाबों की खुदाई और मरम्मत, पम्पों को लगाने, और बाँधों व नहरों-नालियों में सुधार के लिये ४० करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी। पिछले तीन वर्षों में जो कार्यक्रम पूरे हुए उन के फल-स्वरूप १ करोड़ १२ लाख एकड़ के पंचवर्षीय लक्ष्य को देखते हुए ५३ लाख एकड़ को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है या लाया जा रहा है। विभिन्न कार्यों द्वारा प्राप्त लाभ को नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है

तालिका ४६

(लाख एकड़ों में)

कार्य का नाम	पाँच वर्षों का लक्ष्य	सफलता (१९५१–५४)
कुँओं का निर्माण और मरम्मत	१६.५	६.०
नलकूप	६.६	४.०
पम्पों का लगाया जाना (रहट आदि)	७.०	३.०
बाँध, नालियाँ, तालाब आदि	५२.२	२३.०
अतिरिक्त छोटे सिंचाई कार्यक्रम	३०.०	११.०
कुल जोड़	११२.३	४७.०

भूमि का पुनरुद्धार और सुधार

७४ लाख एकड़ भूमि के पुनरुद्धार और सुधार के लिये योजना में निर्धारित ३५ करोड़ रुपये में से १० २२ करोड़ केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के लिये थे, जिसने पाँच वर्षों में १४ लाख एकड़ के पुनरुद्धार का कार्यक्रम बनाया था। नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है कि योजना के पहले तीन वर्षों में कितनी भूमि का पुनरुद्धार हुआ .

तालिका ४७

वर्ष	क्षेत्रफल (लाख एकड़)
१९५१-५२	२.५५
१९५२-५३	२.६६
१९५३-५४	२.८५
कुल जोड़	८.०६

कई राज्य सरकारों के अपने ट्रैक्टर संगठन हैं जिनका कार्य अशत भूमि का पुनरुद्धार करना है पर वे मुख्यत: लगातार फसलों को उगाने में भी सहायता देते हैं । १९५३-५४ में उनमें पूर्व के वर्ष के मुकाबले इन संगठनों की ताकत बढ़ी है जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है ·

तालिका ४८

राज्य	सूचना-प्राप्त ट्रैक्टरों की संख्या	
	१९५२–५३	१९५३–५४
उत्तर प्रदेश	४९२	५५०
मद्रास .	२९९	३०३
मध्य भारत . . .	२७	३५
पंजाब	८९	१८३
मध्य प्रदेश . . .	१००	१४४
हैदराबाद .	५१	५१

भूमि-पुनरुद्धार और मशीनी खेतों के अतिरिक्त कुछ राज्यों में शारीरिक श्रम की सहायता से पूरी होने वाली भूमि की कुछ योजनाएं आगे बढ़ रही हैं ।

खाद और उर्वरक

खेतों की मिश्र खाद और शहरों की विष्ठा तथा कूड़े की खाद का निर्माण पिछले वर्षों में बढ़ता रहा । जिन ३,००० स्थानों में शहरी नागरिक संस्थाएं काम कर रही हैं, उनमें से १९५०-५१ में १,०४८ स्थानों के मुकाबले आज १,७२९ स्थानों में कम्पोस्ट या मिश्र-खाद तैयार करने का काम चल रहा है । १९५०-५१ में मिश्र-खाद का उत्पादन १४ ०३ लाख टन था और १९५३-५४ में १८·५० लाख टन । योजना के पहले तीन वर्षों में गन्दे नालों के उपयोग की १४ नई योजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिये स्वीकार की गई । बजबजखानों के उपोत्पाद के उपयोग के लिये योजना का आरम्भ उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास, पश्चिम बंगाल और हैदराबाद में हुआ ।

रासायनिक खाद के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में अमोनियम सल्फेट की खपत बढ़ी है । खपत में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई । १९५० में वह २ ७५ लाख टन थी जबकि १९५३ में वह ४·२ लाख टन हो गई । १९५५-५६ के लिये ६.१ लाख टन की खपत का लक्ष्य रखा गया है ।

पशु-पालन

१९५१ की गणना के अनुसार भारत में १५,५०,००,००० गाय, बैल आदि ४,३०,००,००० भैंसें और ३,९०,००,००० भेड़ें थी । भारत में कृषि का सबसे बड़ा और महत्त्व-पूर्ण साधन बैल है, तथा देश की अधिकांश जनता के भोजन में दूध और उस से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । ३,९०,००,००० भेड़ों से भारत को यथेष्ट ऊन

प्राप्त होती है। भारत में बकरियों की संख्या भी ४,७०,००,००० है। भारत की पशु संख्या के लिये निम्नलिखित तालिका देखिये—

तालिका ४९*

(हजारो में)

पशु	१९४०	१९४५	१९५१
गाय-बैल . .	१,३७,९२९	१,३६,७३९	१,५५,०९९
भैंस . . .	४०,१२५	४०,७३२	४३,३५१
भेड़ . . .	४१,५०६	३७,७२८	३८,८२९
बकरियाँ . .	५०,२५३	४६,३०२	४७,०७७
घोड़े और टट्टू . .	१,७८०	१,३९८	१,५१४
खच्चर . .	५०	४५	६०
गधे . . .	१,१८६	१,१३१	१,२३९
ऊँट . . .	६१७	६५६	६२९
सुअर . .	२,७०२	३,७०९	४,४२०
जोड़ . . .	२,७६,१४८	२,६८,४४०	२,९२,२१८
मुर्गीपालन			
चिड़ियाँ . .	५५,०६२	५४,६६६	६७,१३५
बत्तखें .	२,३४६	३,५८१	६,२६४

भारत के पशु बहुत अच्छी किस्म के नही होते क्योकि उनकी नस्ल तथा भोजन पर विशेष ध्यान नही दिया जाता। इस देश में एक गाय एक वर्ष में औसतन ४१३ पौड दूध देती है जोकि ससार में सबसे न्यून मात्रा है। अधिकाश देशो में यह मात्रा २,००० पौड से ७,००० पौड तक है।

सुधार की महत्त्वपूर्ण योजनाएं

पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पशुओ के सुधार के लिये कुछ योजनाए बनाई गई है जो इस प्रकार है :

केन्द्र ग्राम

इस योजना के अन्तर्गत भारत भर मे ऐसे गाँव चुन लिये जायेगे जिनमे पशुओ की नस्ल सुधारने के लिये कुछ साँड रखे जा सके। यथेष्ट सख्या मे साँड नही मिल पाते, इसलिए गायो के वैज्ञानिक गर्भाधान का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। योजना के पहले दो वर्षों मे २२२ केन्द्र ग्रामो और ९६ वैज्ञानिक गर्भाधान केन्द्रो की स्थापना की गई। १९५३-५४ तक ये संख्याएं क्रमश: ३४५ और ११२ हो गई। परन्तु यथेष्ट निरीक्षण-व्यवस्था न होने के कारण इस योजना की प्रगति मन्द रही है।

गोसदन योजना

जबकि केन्द्र ग्राम योजना का उद्देश्य पशुओ की नस्ल मे सुधार है, गोसदनो का उद्देश्य बेकार और बूढ़े पशुओ का पृथक्करण है। यह योजना भी यथेष्ट प्रगति नही कर सकी है। १९५३-५४

*१९४० और १९४५ के आँकड़े भिन्न है, क्योंकि दोनो जनगणनाओं में भाग लेने वाले राज्यो की संख्या एक समान नही थी।

तक केवल १० गोसदन स्थापित हो पाये । इसके मुख्य कारण हैं उपयुक्त भूमि के बड़े खण्डों का अभाव, सार्वजनिक सहयोग का अभाव, और इस कार्य के लिये अपने हिस्से का धन जुटाने में कुछ राज्यों की असमर्थता ।

जंगलात

यद्यपि जंगल सम्बन्धी अध्ययन का सूत्रपात दक्षिणी भारत में १८५०-५७ में हो गया था, तथापि जंगलों के वैज्ञानिक प्रबन्ध और प्रशासन का आरम्भ १८६३ में प्रथम इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फारिस्ट्स की नियुक्ति के साथ हुआ ।

१८९४ में भारतीय जंगलों के सम्बन्ध में तत्कालीन सरकार ने एक अस्पष्ट सी नीति का सूत्रपात किया था । १९५१ में स्वतंत्र भारत में जंगलों के सम्बन्ध में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया ।

भारतीय जंगलों का कुल क्षेत्रफल २,८०,१५९ वर्गमील है, जो देश की कुल भूमि का २२ ११ प्रतिशत भाग है । संसार के अन्य अधिकांश देशों की तुलना में यह अनुपात कम है । इस कारण १२ मई १९५२ के जंगल नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार यह निश्चय किया गया कि देश के एक तिहाई भाग पर जंगल लगाये जायें । हिमालय, दक्कन तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में यह अनुपात ६० प्रतिशत रहेगा, तथा मैदानों में २० प्रतिशत । जंगल का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिये एक दीर्घ-कालीन योजना बनाई गई है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में चार करोड़ एकड़ जमींदारी जंगलों को विकसित करने का कार्यक्रम सम्मिलित है । यह कार्य राज्यों की सरकारों के अधीन है ।

तालिका ५०
जंगल-क्षेत्रों का वर्गीकरण

(क्षेत्रफल वर्ग मील में)

	१९५०–५१	१९५१–५२
१ भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल .	१२,६६,८९०	१२,६६,८९०
२ देश में जंगलों का क्षेत्रफल . .	२,७४,०५०	२,८०,१५९*
(क) स्वामित्व		
(१) सरकारी जंगल विभाग के अधीन . .	२,२४,८३८	२,५६,५६०
(२) सहकारी संस्थाओं के अधीन . .	६१५	७०६
(३) व्यक्तिगत सम्पत्ति .	४८,५९७	२२,८९३
(ख) जंगलों की किस्में		
(१) व्यापारोपयोगी . . .	१,५७,३३८	१,६८,४५७
(२) दुर्गम या लाभ के अयोग्य . . .	५१,५१८	७०,२५३
(ग) कानूनी स्थिति		
(१) सुरक्षित (रिजर्वड) . . .	१,३३,७२६	१,३४,००७
(२) रक्षित (प्रोटेक्टेड) . . .	४१,५९९	४३,९८९
(३) अवर्गीकृत . .	८५,७९६	८६,०५४
(घ) किस्म		
(१) देवदार वर्ग के . . .	१४,०१८	१३,२७५
(२) साल	४२,११३	४०,४८०
(३) सागौन (टीक) . . .	१६,७८०	१९,८२०
(४) विविध	१,८८,४१०	१,९०,७६२

*कुल जंगल-क्षेत्र पृथक् शीर्षकों में दिखाये गये क्षेत्रों के जोड़ से नहीं मिलता क्योंकि कुछ राज्यों और कुछ क्षेत्रों के विवरण प्राप्त नहीं हो सके हैं ।

नीचे दी गई तालिका में इमारती लकड़ी, लुगदी, लट्ठे, ईंधन, और कोयले की लकड़ी की १९४९ से १९५२ तक मात्रा और मूल्य को दिखाया गया है :

तालिका ५१

वर्ष	मात्रा (हजार घन फुट)	मूल्य (हजार रुपयों में)
१९४९-५०	५,३४,५२८	१,७१,६४८
१९५०-५१ . .	५,५७,५८७	१,८९,४१७
१९५१-५२ .	५,१३,९२१	१,९९,७७६

नीचे की तालिका में १९४९-५२ में साधारण वन्य उत्पादनों का मूल्य दिया गया है। इसके अन्तर्गत पशु-जन्य उत्पादन, बाँस और बेत, दवाइयाँ, मसाले, गोंद और रेज़िन, लाख, रबड़, घास रंग आदि हैं .

तालिका ५२

वर्ष	साधारण वन्य उत्पादनों का मूल्य (हजार रुपयों में)
१९४९-५० .	५६,७९२
१९५०-५१ .	६९,२६५
१९५१-५२ . .	६९,८३४

जंगल में संचार के साधन

जंगल विकास के अन्तर्गत संचार-साधनों का विकास बड़ा महत्त्वपूर्ण है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में आसाम में ५७ मील लम्बी सड़कें बनाई गई और १८५ मील लम्बी सड़कें सुधारी गईं। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में क्रमशः १५० मील और १५७ मील लम्बी नई सड़कें इसी अवधि में बनाई गईं।

माचिस की लकड़ी के वन

जंगलों में माचिस, प्लाईवुड और कागज उद्योग के लिये कच्चा माल प्राप्त होता है। आसाम, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश और तिरुवांकुर-कोचीन में माचिस उद्योग के लिये उपयुक्त पेड़ लगाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अण्डमान द्वीप से प्रतिवर्ष १५,००० टन माचिस-उद्योग के काम की लकड़ी मंगाई जाती है।

हाल के वर्षों में अण्डमान से आने वाली माचिस उद्योग के काम की लकड़ी की मात्रा बढ़ी है। १९५३-५४ में २५,००० टन कठोर और मुलायम लकड़ी प्राप्त हुई जबकि १९५१-५२ में ७,५०० टन प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त प्लाईवुड की लकड़ी भी १०,००० टन प्रतिवर्ष आती है।

बाजार

कृषि-उत्पादन बिक्री सलाहकार (अब बाजार और निरीक्षण डायरेक्टरेट) का कार्यालय भारत सरकार द्वारा १९३५ में आरम्भ किया गया था। इसने विभिन्न वस्तुओं के लिये राष्ट्रव्यापी पड़ताल की है और कई रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। १९५३-५४ में प्रकाशित रिपोर्ट तिल, मूंगफली, तम्बाकू, तथा मक्की और जुआर के सम्बन्ध में है। तम्बाकू के वर्गीकरण और वनस्पति तेलों तथा चिकनाई के परीक्षण तथा श्रेणी विभाजन के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट निकली हैं। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की आर्थिक सहायता से कुछ राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार के संगठन बनाये हैं। बम्बई, मद्रास, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब तथा हैदराबाद और मैसूर में इस प्रकार के स्थायी संगठन बन गये हैं।

१९३७ में कृषि उपज का वर्गीकरण और बाजार का कानून बनाया गया था। यह कानून फल, फलों से बनने वाले सामान, वनस्पति, अंडा, दूध, दूध से बनने वाले सामान, तम्बाकू, कहवा, चावल, बूरा, आटा, गेहूं, गुड़, तिलहन, तिल, रूई, लाख, मन, चमड़ा, खाल, ऊन और बकरियों के बालों पर लागू होता है। हाल ही में इस सूची में लकड़ी, सरू की छाल, बिरोजा, तारपीन, सुपारी आदि बढ़ा दिये गये हैं।

नियन्त्रित बाजार

उत्पादनों की उचित दामों में बिक्री के लिये और किसानों को भ्रष्टाचार तथा अन्य असुविधाओं से मुक्त करने के उद्देश्य से कई राज्यों में नियन्त्रित बाजार स्थापित किये गये हैं। १९५०-५१ में इस प्रकार के बाजारों की संख्या २८३ थी। १९५३-५४ में यह संख्या ३५६ हो गई। कुछ राज्यों में, जैसे हैदराबाद, पेप्सू और पंजाब में, अधिकांश महत्त्वपूर्ण थोक-बाजार नियन्त्रित हैं जबकि औरों में अभी इस दिशा में काम आरम्भ भी नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में इस विषय का कानून तक नहीं बना था।

सहकारी बाजार

बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में सहकारी बाजारों की प्रगति हुई है। बम्बई में ९३ रूई-बिक्री समितियों ने १९५१-५२ में ३ ७४ करोड़ रुपये का माल बेचा और ४५ अन्य समितियों ने फल और सब्जियों की बिक्री को सहकारी ढंग पर संगठित किया। मद्रास में १९५२-५३ में ५० सरकारी समितियों ने ४७ लाख रुपये की खेती की उपज बिक्री के लिये प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में १०९ गन्ना समितियों ने शक्कर मिलों को गन्ना पहुँचाना जारी रखा और बीज तथा खाद की खरीद के लिये आर्थिक सहायता दी। इन समितियों ने १९५१-५२ और १९५३-५४ में ९१.४ और ९३.३ प्रतिशत गन्ना पहुंचाया।

मछली उद्योग

प्रथम पंचवर्षीय योजना में मछली पालन उद्योग के विकास के लिये ५.१४ करोड़ रुपये रखे गये थे। इस में से १.३ करोड़ रुपये या २५ प्रतिशत रकम प्रथम तीन वर्षों में खर्च की गई।

देश के भीतर का उद्योग

देश के भीतर मछली-पालन उद्योग की मद्रास, बम्बई, बिहार और उड़ीसा में प्रगति हुई है। मद्रास में १९५३-५४ में ३०० लाख फ्राइ और फिंगरलिंग मछलियाँ इकट्ठी की गईं।

१९५०-५१ मे केवल १५० लाख इकट्ठी की गई थी। बम्बई मे फ्राइ का वितरण १९५०-५१ मे २ लाख था और १९५३-५४ में ६१३ लाख। बिहार के सात केन्द्रो ने १ करोड ३३ लाख फ्राइ बाँटी, और इस प्रकार तीन वर्ष के लक्ष्य मे १३ लाख अधिक का वितरण हुआ।

सागरतटीय मछली उद्योग

योजना मे वर्तमान नावो के यंत्रीकरण और नये शक्ति चालित यानों को काम में लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। १४० नावों मे इन्जिन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया मगर इसमे अधिक काम हो चुका है। पिछले तीन वर्षों मे बम्बई मे २०० नावो और मद्रास मे १२ नावो का यन्त्रीकरण हो चुका है। तिरुवाकुर-कोचीन में कई असफल परीक्षणो के बाद नार्वे मे आने वाली २० फुट की एक नाव को उपयक्त पाया गया। इस राज्य मे क्वीलोन के निकट एक मार्ग-दर्शक योजना नार्वेजियन सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई है जिसका उद्देश्य मछियारो का सर्वतोमुखी विकास है। इस योजना पर ३८ लाख रुपया खर्च होगा और इसके अन्तर्गत अन्य बातो के साथ-साथ एक शीत-सरक्षण यन्त्र की स्थापना और एक बर्फ का कारखाना भी है।

गहर समुद्र में मछली पकड़ना

बम्बई मे एक गहरे समुद्र मे मछली पकड़न का केन्द्र स्थापित हो चुका है। इसके अन्तर्गत दो 'कटर्स' और दो नावो का सचालन होता है और बम्बई तथा सौराष्ट्र तट के आसपास ४० फैदम गहराई के १२,००० वर्गमील समुद्र की पडताल हो चुकी है। इस केन्द्र की नावो की सहायता से १९५०-५२ में २१८ टन मछली पकडी गई और १९५३-५४ में ४१० टन। पश्चिम बंगाल सरकार भी मछली पकडने के सम्बन्ध मे पडताल कर रही है।

६ जापानी और १० नार्वेजियन जानकारों की सेवाएँ अमेरिकन औद्योगिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त की गई है। ये लोग भारतीय मछुओ को शक्ति-चालित नावो की सहायता से मछली पकडने की तरकीब सिखा रहे हैं।

व्यावसायिक मछली-उद्योग

एक जापानी ट्रालर ने तीन वर्ष पहले व्यावसायिक मछली उद्योग का कार्य आरम्भ किया था। उसकी सफलता से उत्साहित हो कर कई भारतीय और विदेशी फर्मो ने इस काम को हाथ मे लिया है और कुछ स्थानो पर कार्य आरम्भ किया है।

अनुसन्धान

१८८० के अकाल आयोग की सिफारिश पर १८९४ मे केन्द्रीय कृषि विभाग की स्थापना प्रान्तो मे सम्बद्ध विभागो के साथ हुई थी। उससे पहले १८८९ मे भारत सचिव द्वारा डा० वोएलकर को भारत भेजा गया था जिससे वे यह सलाह दे सकें कि आधुनिक विज्ञान का प्रयोग कृषि मे कैसे किया जा सकता है। १८९१ में प्रकाशित उनकी रिपोर्ट सरकार की कृषि-नीति का आधार बनी। १९०५ में पूसा में इम्पीरियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट और अखिल भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना से कृषि के विकास को गति मिली। १९२८ में अखिल भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की स्थापना हुई। इस परिषद् की सलाहकार समिति मे विभिन्न राज्यो, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधि है तथा इसकी व्यवस्था

समिति में सभी भारतीय राज्यों के कृषि मंत्री और संसद् के व्यापारी हितों के प्रतिनिधि सदस्य रूप में सम्मिलित हैं। व्यवस्था समिति को सहायता देने के लिये एक अनुसन्धान बोर्ड बनाया गया है, तथा एक विस्तार बोर्ड। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी जो अनुसन्धान कार्य हो रहे हैं, उन सबमें परस्पर समन्वय करना, उनके कार्यों का बँटवारा करना, उन्हें आर्थिक सहायता देना इस भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के कार्य है।

१९५१ में इस परिषद् का पूरी तरह पुनर्गठन किया गया। अनुसन्धान विभाग के कार्यकर्ताओं तथा किसानों में परस्पर किसी तरह की खाई न रहे, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय पैमाने पर एक राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है। इसी तरह कुछ महत्त्वपूर्ण वस्तुओं तथा रूई, गन्ना, तिलहन, तम्बाकू, नारियल आदि के उत्पादन में सुधार करने तथा उनकी बिक्री की व्यवस्था करने के लिये कुछ केन्द्रीय समितियों का निर्माण किया गया है।

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय विभिन्न अनुसन्धान संस्थाओं में तालमेल रखने के अतिरिक्त कुछ अन्य अनुसन्धान संस्थाओं का संचालन भी करता है। यह कार्य भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, केन्द्रीय अनुसन्धान परिषदों और केन्द्रीय पदार्थ समितियों द्वारा होता है। १९५२-५३ में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कृषि, पशुपालन, आँकड़ा आदि सम्बन्धी १२८ अनुसन्धान कार्यक्रम आरम्भ किये। इन पर ४४ लाख रुपया खर्च होना है। कुछ समय से परिषद् ने अपना ध्यान गेहूं के रोग रतुवे की ओर केन्द्रित किया है क्योंकि उसके कारण फसल की काफी हानि होती है। रतुआ-निरोधक एक नई दवाई एन० पी० ८०९ है जिसका शिमला उपकेन्द्र में परीक्षण किया गया है। धान के विभिन्न रोगों की निरोधक दवाइयों को भी तैयार किया गया है। ज्वार, बाजरा, दालों, और कन्दों की ऐसी किस्मों की खोज की गई है जिनकी उपज अधिक हो और जो रोगों का सामना अधिक सफलतापूर्वक कर सकें।

केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थाएं

दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् कृषि सम्बन्धी ऐसी महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसन्धान किया करती है, जिनका सम्बन्ध सारे भारत से है, यथा भूमि की उपजाऊ शक्ति की वृद्धि, अच्छे किस्म के बीज जो पानी की कमी, बीमारी, कीटाणुओं आदि को सह सकें तथा विभिन्न भूमियों और जलवायुओं में पनप सकें। परिषद् के अन्तर्गत स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की भी व्यवस्था है। कटक मे जो केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्था खोली गई है, वह चावल की बनावट, गुण, उपज, विकास, कृषि आदि के सम्बन्ध में सब तरह की वैज्ञानिक परीक्षा करती है। चावल की उपज किस तरह बढ़ाई जा सकती है तथा उसकी किस्में किस तरह अच्छी की जा सकती हैं, हरी खाद से क्या लाभ हैं, इत्यादि के सम्बन्ध में भी वहाँ परीक्षण होते हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया मे अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग द्वारा दिये गये धन से भारतीय किस्म के चावल की परीक्षा के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। इसमें यह देखा जायेगा कि विभिन्न किस्म के चावलों को एक दूसरे के साथ मिलाकर उनकी उपज किस तरह बढ़ाई जा सकती है।

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था आलू की किस्म अच्छी बनाने तथा उनकी उपज बढ़ाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रही है। पंचवर्षीय योजना के अनुसार आलू का ऐसा बीज तलाश

करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिस पर बीमारियों का प्रभाव न पड़े तथा उन्हें चाहे तो पहाड़ पर और चाहे मैदान में बोया जा सके। इस तरह के ३० लाख मन आलुओं के बीज पैदा करने का लक्ष्य है। इस योजना पर १४,५०,००० रुपया खर्च आयेगा, परन्तु बाद में यह योजना आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन जायेगी।

कुल्लू का केन्द्रीय सब्जी उपज केन्द्र ऐसे बीजों की उत्पत्ति का प्रयत्न कर रहा है, जिनके उत्पादन की शक्ति तथा उपज साधारण बीजों की अपेक्षा बहुत अधिक हो।

१९१४ में देहरादून में जंगल अनुसन्धान संस्था की स्थापना की गई थी। यह संस्था कृषि, लकड़ी की रचना, लकड़ी की सुरक्षा, सैल्यूलोस और कागज उद्योग तथा जंगल के अन्य उत्पादनों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य करती है। जंगलात के अफसरों को भी इस संस्था में शिक्षा दी जाती है। इन वर्षों में यह प्रयत्न किया जा रहा है, कि यह संस्था जंगल की उपज के अधिकतम और श्रेष्ठ उपयोगों की ओर अपना ध्यान दे।

आइज़टनगर की भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्था की स्थापना १८९० में की गई थी। अब इस संस्था में ६ अनुसन्धान विभाग तथा ४ सहायक विभाग हैं। पशुओं के लिये टीके की दवाइयाँ बनाने के अतिरिक्त यह संस्था विद्यार्थियों को शिक्षा भी देती है। अमेरिका के विशेषज्ञों की सहायता से इस संस्था द्वारा तैयार की गयी दवाओं में उन्नति की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र स्वीकार किया है।

बंगलोर की भारतीय दुग्ध अनुसन्धान संस्था दुग्धालयों की समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के अतिरिक्त विद्यार्थियों को शिक्षा भी देती है। इस संस्था में अच्छे दर्जे की गाय और बैल उत्पन्न करने का प्रयत्न भी किया जाता है। करनाल और कोयमुक्षूर में भी दो पशु केन्द्र खोले गये हैं, तथा आनन्द में एक विशेष दुग्धालय का प्रबन्ध किया गया है।

नामकुम में भारतीय लाख अनुसन्धान संस्था लाख सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य कर रही है।

पदार्थ समितियां

भारत में विभिन्न स्थानों पर रूई, पटसन, तिलहन, गन्ना, नारियल, सुपारी, और तम्बाकू के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिये भारतीय केन्द्रीय समितियाँ बनाई गई हैं।

भारत के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालयों के साथ २२ कृषि महाविद्यालय भी जारी हैं। इनमें से कितने ही महाविद्यालयों में अनुसन्धान कार्य का बहुत अच्छा प्रबन्ध है।

तालिका ५३

फसलों का समय

फसल	अवधि
खरीफ फसल	१ नवम्बर से ३१ अक्तूबर
रबी	१ मई से ३० अप्रैल
चावल	१ नवम्बर से ३१ अक्तूबर
गेहूं	१ मई से ३० अप्रैल
गन्ना	१ नवम्बर से ३१ अक्तूबर
रूई	१ सितम्बर से ३१ अगस्त
पटसन	१ जुलाई से ३० जून
खरीफ तिलहन	१ नवम्बर से ३१ अक्तूबर
रबी तिलहन	१ अप्रैल से ३१ मार्च
चाय	१ जनवरी से ३१ दिसम्बर
कहवा	१ जुलाई से ३० जून

तालिका ५४

फसल की ऋतु

मुख्य फसलें, ऋतु और समय

फसल	ऋतु	समय (*)
चावल	जाड़ा	५½–६ महीने
	पतझड़	४–४½ ,,
	गर्मी	२–३ ,,
गेहूं	रबी	५–५½ ,,
ज्वार	खरीफ	४½–५½ ,,
	रबी	४½–५ ,,
	जाइद खरीफ	२½ ,,
बाजरा	खरीफ	४½ ,,
मक्का	खरीफ	४–४½ ,,
रागी	खरीफ	३½ ,,
जौ	रबी	५–५½ ,,
चना	रबी	६ ,,
गन्ना	सालभर	१२–१५ ,,
तिल	खरीफ	३½–४ ,,
	रबी	५ ,,
मूंगफली	खरीफ	पहले की ४–४½ महीने
		बाद की ४½–५ ,,
सरसों और राई	रबी	४–५ महीने
	जाइद रबी	४ ,,
अलसी	रबी	५–५½ ,,
अरण्डी	खरीफ	पहले की ६ ,,
		बाद की ८ ,,
रूई	खरीफ	पहले की ६–७ महीने
		बाद की ७–८ ,,
पटसन	खरीफ	६–७ ,,

(*) इससे उन महीनों से तात्पर्य है जिन दिनों फसल जमीन पर रहती है।

तालिका

जोते-बोये

वर्ष	मुख्य खाद्यान्नों की फसलें				
	चावल	गेहूं	अन्य अनाज	चना	मूगफली
१९४७ .	६४,६९२	२५,००७	८९,१५९	१६,९७१	१०,२६७
१९४८ .	६४,४१५	२०,८४३	८६,९४३	१९,३३६	१०,०७९
१९४९ .	७२,४८५	२२,३४२	९१,९७६	२०,४९७	९,१६५
१९५० .	७५,४१४	२४,११४	९५,६६९	२०,४९७	९,८३२
१९५१ .	७६,१३५	२४,०८२	९३,०९७	१८,७०६	११,१०६
१९५२ .	७३,७१३	२३,४०४	९५,९४९	१६,८७६	१२,१५२
१९५३ .	७४,२०९	२४,२८५	१,०४,६६५	१८,०१४	११,८५०
१९५४ .	७६,६४६	२६,०९८	१,०७,६२१	१८,८९३	११,३५६

तालिका

मुख्य फसलों

वर्ष	खाद्यान्नों की फसलें				
	चावल (हज़ार टन)	गेहूं (हज़ार टन)	अन्य अनाज (हज़ार टन)	चना (हज़ार टन)	मूंगफली (हज़ार टन)
१९४७ .	२१,६६९	४,९७१	१५,९०४	३,५९९	३,५८८
१९४८ .	२१,२४७	५,५७०	१६,९२४	४,५०३	३,४११
१९४९ .	२२,५९७	५,६५०	१५,०६७	४,५३५	२,९०१
१९५० .	२३,१७०	६,२९०	१६,५५८	३,६६७	३,३७९
१९५१ .	२०,२५१	६,३६०	१५,१३३	३,५९३	३,४२६
१९५२ .	२०,९६४	६,०८५	१५,८०६	३,३३४	३,१४२
१९५३ .	२२,४९५	७,३८३	१९,२२५	४,१६५	२,८८४
१९५४ .	२७,०७९	७,७९२	२१,२५९	४,५५१	३,७७२

५५

गये क्षेत्र (हज़ार एकड़ों में)

			अन्य मुख्य फसलें				
गन्ना	चाय	कहवा	रूई	पटसन	अन्य तिलहन	तम्बाकू	रबड़
३,५२८	७६६	२१२	११,६७१	६५२	१२,६५२	८४५	१५६
४,०५६	७६८	३१५	१०,६५५	८३४	१३,६८६	८२७	१६२
३,७५२	७७२	२१८	११,२६३	१,१६३	१४,४२१	८०३	१६८
३,६२४	७७७	२२३	१२,१७३	१,४११	१५,०५३	८६०	१७१
४,२१७	७७६	२२४	१४,५३६	१,६५१	१५,४०२	८८३	१७१
४,७६२	—	२३०	१६,२०१	१,८१७	१६,७२२	७१३	१७३
४,२७२	—	—	१५,६६३	१,१९६	१५,८११	८६५	१७४
३,५६८	—	—	१७,०२७	—	१६,२४२	८६०	—

५६

का उत्पादन

			अन्य फसले				
गन्ना शक्कर और गुड़ (हजार टन)	चाय (लाख पौंड)	कहवा (लाख पौंड)	रूई (हजार गाँठ)	पटसन (४०० पौंड की हज़ार गाँठें)	तिलहन (हजार टन)	तम्बाकू (हजार टन)	रबड़ (लाख पौंड)
४,६१३	५,६२०	४१०	२,१६८	१,६५८	१,५६०	२७०	३७०
५,८१७	५,७८०	३५०	२,१८८	२,०५५	१,७०६	२३४	३५०
४,८६६	५,८५०	३५०	१,७६७	३,०८६	१,६०१	२५५	३५०
४,६३८	६,०७०	४८०	२,६२८	३,२८३	१,७६३	२६४	३५०
५,६१५	६,४१०	५४०	२,६१०	४,६७८	१,६५०	२५७	३८०
६,०००	—	५५०	३,१३३	४,६०५	१,७६१	२०६	४४०
५,०१६	—	—	३,१३१	३,१२८	१,७६२	२४१	४७०
४,६१४	—	—	३,६३५	—	१,८१६	२५६	—

सहायक ग्रन्थ सूची

१. जथार और बेरी : 'इण्डियन एकोनॉमिक्स'

२. केन्द्रीय आंकड़ा संगठन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, भारत सरकार : (१) 'स्टेटिस्टीकल एबस्ट्रैक्ट, इण्डिया, १९५१-५२' (२) 'मन्थली एबस्ट्रैक्ट ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स'

३. आर्थिक, और आंकड़ा सलाहकार, खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार :

(१) 'एब्स्ट्रैक्ट ऑफ़ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, इण्डिया, १९५२'

(२) 'इण्डियन लिवस्टाक स्टेटिस्टिक्स, १९५१'

(३) 'इण्डियन क्रौप कैलेण्डर'

(४) 'एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इण्डिया' (मासिक)

(५) 'एग्रीकल्चरल लेजिस्लेशन इन इण्डिया, वाल्यूम् टू कन्सालीडेशन ऑफ होल्डिंग्स

४. योजना आयोग, भारत सरकार :

(१) दि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान,

(२) 'फाइव ईयर प्लान : प्रोग्रेस रिपोर्ट फार १९५३-५४'

५. कृषि तथा खाद्य मंत्रालय : 'रिपोर्ट, १९५३'

चौदहवाँ अध्याय

भूमि सुधार

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जो समझौता जमीदारों से किया था, उसी समझौते मे भारत की वर्तमान भूमि व्यवस्था का मूल सम्बन्ध है। मुगल साम्राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने पर जो गडबड़ मची उसका लाभ उठा कर जमीदारों ने अपने भूमि सम्बन्धी अधिकारों को बहुत बढा-चढ़ा कर बताना शुरू कर दिया। अठारहवी शताब्दी के अन्त में जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल में जमीदारों से उनके सम्पत्ति सम्बन्धी स्वार्थों के विषय में समझौता करने का निश्चय किया, उस समय उनके सामने राजनीतिक और व्यवस्था सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त करना केवल ये दो ही ध्येय थे।

इसके बाद दूसरा कदम जो उन्होने उठाया, वह था कृषि का विस्तार तथा लगान वसूली कार्यक्रम को सुदृढ और सुनिश्चित बनाना। इसलिए इस कार्यक्रम का बिहार, बनारस तथा मद्रास के कुछ भागो तक विस्तार किया गया। मद्रास मे पूर्णरूप से जमीदारी प्रथा लागू करने का घोर विरोध किया गया और लगान वसूली के विषय मे सीधे किसानों से ही समझौता करना पडा। आगरा और अवध मे महलवारी प्रथा के अन्तर्गत भूमि पर संयुक्त तथा जातीय स्वामित्व बना रहा और बाद मे यह प्रथा पंजाब तथा मध्य प्रदेश मे भी चालू की गई। मध्य प्रदेश मे यह प्रथा कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार के साथ लागू की गई। मालगुजारो को जो मराठो के राज्य काल मे लगान चुकाने वाले किसान थे, फिर से संगठित कर के गाँवो के सरपच बना दिया गया और उन्हें सम्पत्ति का अधिकार भी दे दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश मे इस प्रथा ने लगभग जमीदारी प्रथा का ही दूसरा रूप धर लिया। इस प्रकार उत्तर तथा मध्य भारत में एक ऐसी भूमि व्यवस्था जोर पकड़ गई जिसमे कानूनी तौर पर रईस जमीदार वर्ग को बढ़ने में प्रोत्साहन मिला। राज्य और किसानो के बीच के इस नये वर्ग ने प्राप्त सुविधाओं का बहुत दुरुपयोग किया तथा उन्होंने लगान की दर में मनमानी वृद्धि कर दी और अनचाहे किसानों को बेदखल कर दिया।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ज़मीन सम्बन्धी जो समझौता जमीदारो से किया था उसका बुरा परिणाम लगभग पचास साल बाद महसूस होने लगा। परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कानून बना कर स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया और बंगाल रेन्ट एक्ट १८५९, टेनेन्सी एक्ट १८८५, मद्रास स्टेट लेंड एक्ट १९०८, तथा १९२८ और १९३८ के एक्ट आदि पास करके किसानो की दशा में कुछ थोड़ा सा सुधार किया भी गया। पर भूमि व्यवस्था की बुनियादी बातों में कुछ परिवर्तन नही हुआ। १९४० में जब लगान आयोग बंगाल ने अपनी रिपोर्ट दी तभी सरकार ने यह महसूस किया कि भमिव्यवस्था तथा खेती करने की प्रणाली में तुरन्त ही महत्त्वपूर्ण और मौलिक सुधार किये जाने बहुत ज़रूरी है।

स्वतन्त्रता के बाद

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार को संविधान के अन्तर्गत दिये गय प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए भूमि के प्रश्न को हल करना था। अप्रैल १९५१ में पंचवर्षीय योजना चालू हुई। उसने तमाम देश के लिये एक भूमि सुधार योजना निर्धारित की। लेकिन इससे भी पहले बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और पेप्सू में मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के सम्बन्ध में कानून बनने शुरू हो गये थे। उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़मींदार-उन्मूलन कानून को लागू करने में इसलिए देर हो गई कि इन प्रान्तों के ज़मीदारों ने इस कानून की प्रमाणिकता पर आपत्ति की।

भूमि व्यवस्था सुधार के सिलसिले मे योजना आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :

(१) राज्य और किसानों के बीच मध्यवर्ती वर्गों का उन्मूलन।

(२) लगान कम किया जाये और भूमि पर किसानों के मौरूसी हक सुरक्षित बनाये रखने के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में एक निश्चित रकम चुका देने की सुविधाएं दी जायें। ज़मीदार खुद काश्त के लिये कितनी भूमि रख सकेगा, इसकी सीमा निर्धारित कर दी जाये।

(३) भू-सम्पत्ति की सीमा निर्धारित कर दी जाये।

(४) भूमि व्यवस्था सुधार के सिलसिले में ज़मीन को आगे बँटने से रोका जाये, चकबन्दी की जाये, सहकारी खेती तथा प्रबन्ध व्यवस्था को गाँवों में प्रोत्साहन दिया जाये।

केन्द्रीय समिति

योजना आयोग की सिफारिश पर मई १९५३ में भारत सरकार ने भूमि सुधार के लिये एक केन्द्रीय-समिति नियुक्त की। इस समिति में योजना आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्य तथा स्वराष्ट्र और राज्य मंत्री थे। इस समिति का काम था राज्य सरकारो के भूमि सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों की जाँच-पड़ताल करना और योजना आयोग के भूमि सुधार विभाग का पथ प्रदर्शन करना।

जब से पंचवर्षीय योजना चालू हुई भूमि सुधार कानून कई राज्यों में लागू किया गया। आन्ध्र, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य भारत, पेप्सू, सौराष्ट्र, भोपाल और विध्य प्रदेश मे किसान और राज्य के मध्यवर्ती वर्ग को बिल्कुल या अधिकांशतः हटा दिया गया। बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में यह कानून अंशतः लागू हुआ। आसाम, पश्चिम बंगाल, मैसूर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में इसका लागू किया जाना अभी बाकी है।

क्षतिपूर्ति

सिवाय जम्मू और कश्मीर के और सब राज्यों में जिन मध्यवर्ती लोगों को भूमि अधिकार मे वंचित किया गया उन्हें क्षतिपूर्ति दी गई है। जिन राज्यों में यह कानून लागू कर दिया

गया है वहाँ क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकारों ने ३७०.४ करोड़ रुपया दिया है। इसके अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान के रूप में ८९.९ करोड़ रुपया दिया गया। ४६०.३ करोड़ रुपये में से लगभग ७० प्रतिशत क्षतिपूर्ति उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने दी। अन्त में जबकि क्षतिपूर्ति का भुगतान पूरा हो जायेगा, मध्यवर्ती वर्ग के उन्मूलन से राज्यों की आय में अतिरिक्त वृद्धि होगी।

इस सिलसिले में पंचवर्षीय योजना के मुख्य सुझाव ये है (१) लगान की दर में कमी (२) किसानों के मौरूसी हक की सुरक्षा (३) किसानों को अपने खेत खरीदने का अधिकार देना।

बहुत से राज्यों मे लगान की दर लगभग उतनी है जितनी कि योजना ने रखने का सुझाव दिया है। कई राज्यों में यथा आंध्र, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, तिरुवांकुर-कोचीन और भोपाल में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि लगान की दर कम कर दी जाये या अधिकतम दर निर्धारित कर दी जाये। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में वर्तमान किसानों को मौरूसी हक और भूमि स्वामित्व अधिकार बनाये रखने के लिये कानून पास कर दिया गया है। इस कानून के अनुसार कोई भी किसान खुद काश्त जमीन से जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जा सकता। राजस्थान का काश्तकारी विधेयक राज्य के विधानमण्डल में विचारार्थ प्रस्तुत है। मध्यभारत के जमींदारी तथा जागीरदारी क्षेत्रों में सभी काश्तकार के शिकमियों को मिल्कियत सम्बन्धी अधिकार दे दिये गये हैं। पर इसमें एक शर्त है कि कानून पास होने के दो साल की अवधि के अन्दर यह अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए।

कुछ थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ यह कानून बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश, पेप्सू, सौराष्ट्र और कच्छ में भी स्वीकार कर लिया गया है। इन राज्यों में जमीदार को अपनी निजी खेती के लिये एक सीमित क्षेत्र रखने की छूट दी गई है। पंजाब में केवल उन किसानों को भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया है जिनके कब्जे मे लगातार बारह साल तक वह भूमि रही है; मध्य प्रदेश, मद्रास और मैसूर राज्यों में किसानों को भूमि खरीदने का अधिकार तो नही दिया गया, परन्तु जमीन पर जमींदार के अधिकार सीमित कर दिये गये।

जम्मू और कश्मीर में एक आदमी के लिये भू-सम्पत्ति की सीमा २२½ एकड निर्धारित कर दी गई है। इससे अधिक भूमि पर उसको जोतने वाले किसान का अधिकार मान लिया गया है। इसके लिये किसान को कोई मुआवजा नहीं चुकाना पड़ा। पश्चिम बंगाल में कानून के अनुसार ३३ एकड़ से अतिरिक्त भमि पर लगान वसूली का अधिकार राज्य को दे दिया गया है।

भू-सम्पत्ति का सीमा निर्धारण

योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि भू-सम्पत्ति-सीमा सम्बन्धी विस्तृत योजना प्रत्येक राज्य अपने यहाँ की भूमि समस्याओं को मद्देनजर रख कर बनाये। योजना शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश को छोड़ कर और किसी राज्य में भमि-सम्पत्ति—सीमा निर्धारित करने के

लिये कोई कानून लागू नही था । उत्तर प्रदेश में ३० एकड़ तक सीमा निर्धारित की गई थी । इसके बाद निम्नलिखित राज्यों मे सीमा इस प्रकार तय की गई :

बिहार — पाँच व्यक्तियो वाले एक परिवार के लिये ३० एकड़ ।
छोटा नागपुर के पहाड़ी हिस्से में ४५ एकड़ ।

हैदराबाद — एक फसलवाली, सिचाई वाली भूमि के लिये ७ से ९ एकड़ तक ।
चाल्का मिट्टीवाली भूमि के लिये ३० से ६० एकड़ तक ।
काली मिट्टी वाली भूमि के लिये २१ से ३६ एकड़ तक ।
वह भूमि जो सिचाई योजना के अन्तर्गत है—प्रति परिवार के लिये ६ एकड़ ।

सौराष्ट्र — ३ एकड़ भूमि जो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है ।

दिल्ली — ३० एकड़ भूमि ।

हैदराबाद राज्य को छोड कर अन्य किसी राज्य ने इस सम्बन्ध में कि भूमि की व्यवस्था और उससे उत्पादन का क्या स्तर निश्चित किया जाये, कोई कानून नही बनाया और यदि भूमि का मालिक पैदावार का निश्चित स्तर बनाये रखने मे असफल रहा तो जमीन उससे वापस ले ली जायेगी । १९५४ मे हैदराबाद काश्तकारी और कृषि योग्य भूमि सम्बन्धी कानून १९५० मे, जो सुधार किये गये उसके अनुसार कृषि उत्पादन के सम्बन्ध मे स्तर निश्चित कर दिया गया है । इस कानून के अनुसार यदि भूमि के किसी टुकड़े मे जो तीन परिवारो के खेतों की चकबन्दी के बराबर या उससे अधिक है, उत्पादन का स्तर निश्चित परिमाण से कम होता है तो उस जमीन पर लोकहित की दृष्टि से सरकार कब्जा करके उसकी व्यवस्था खुद करेगी । पर इस जमीन के लिये मालिक को मुआवजे की रकम दी जायेगी । हिमाचल प्रदेश मे भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत चम्बा मे खेती की व्यवस्था मे सुधार करने की दृष्टि से ३० एकड भूमि या उससे अधिक की व्यवस्था राज्य सरकार अपने हाथ मे ले सकती है । अन्य भागो मे जहाँ लगान १२५ रु० या इससे अधिक है, यदि सरकार यह देखती है कि कृषि उत्पादन निश्चित स्तर से नीचे जा रहा है तो खेतो की व्यवस्था वह अपने हाथ मे ले सकती है । उड़ीसा मे, कृषि-भूमि सम्बन्धी कानून, १९५१ के अनुसार, कृषि उत्पादन का कम से कम स्तर बनाये रखने की शर्त खेतो के क्षेत्रफल पर निर्भर नही है । अनेक अन्य राज्यो मे यह नियम बना दिया गया है कि जो भूमि काफी अर्से तक बिना जोते-बोये पडी है या जो बेकार पड़ी है उसे सरकार अपने कब्जे मे कर सकती है ।

खेतों के आंकड़े

योजना आयोग का एक महत्त्वपूर्ण सुझाव यह है कि सब राज्य खेतो के आँकड़े इकट्ठे करने में पारस्परिक सहयोग दे । ऐसी आशा है कि यह काम १९५५ के मध्य तक पूरा हो जायेगा । पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में जहाँ गाँवों के रिकार्ड पूरे नही हैं, राज्य सरकारें इस मामले में नमूने के तौर पर सवक्षण करने को राजी हो गई है ।

खेतों का बँटना और टुकड़े होना

पुश्त दर पुश्त सम्पत्ति अधिकार कानून के अन्तर्गत खेती का जो बँटवारा होता आया है उस से खेत बँट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। इसका कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए योजना आयोग ने सब राज्यों के लिये यह सुझाव दिया है कि न केवल खेतों के और बँटने और टुकडे-टुकडे किये जाने से रोकने के उचित उपाय किये जायें, बल्कि लोगों की स्वेच्छा और सहयोग प्राप्त करके तथा सरकारी तौर पर समझा बुझा कर खेतों की चकबन्दी की जाये। खेतों को आगे अधिक छोटे टुकड़ो मे विभाजित होने से रोकने के लिये एक यह भी उपाय है कि जब परिवार में बँटवारा हो तो खेत का बँटवारा एक हद के बाद रोक दिया जाये। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेत की कम से कम सीमा ६$^{1}/_{2}$ एकड रखी है। हैदराबाद राज्य ने यह सीमा २ एकड़ से २४ एकड़ तक के बीच में निर्धारित की है। दिल्ली ने ८ एकड़ और मध्य भारत तथा भोपाल ने १५ एकड़ निश्चित की है। विन्ध्य प्रदेश ने सिंचाई वाली भूमि ५ एकड़ तथा गैर-सिंचाई वाली भूमि १० एकड निश्चित की है। राजस्थान ने भी इसी आधार पर कानून बनाया है, परन्तु सीमा निर्धारित करने का काम अभी बाकी है। बम्बई, पजाब, उड़ीसा तथा पेप्सू मे भी चकबन्दी कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार खेतो की सीमा निर्धारित कर सकती है।

खेतों की चकबन्दी

बम्बई, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर के इस विषय में अपने-अपने कानून हैं। मध्य प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर मे इस कानून के अन्तर्गत राज्य को यह अधिकार है कि यदि किसी क्षेत्र में अधिकांश लोग चकबन्दी के हक मे हों तो वहाँ चकबन्दी अनिवार्य घोषित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इधर-उधर बिखरे हुए खेतो के लिये चकबन्दी की योजना अनिवार्य रूप से लागू कर दी है। यह योजना मुज्जफरनगर और सुलतानपुर के जिलो मे कार्यान्वित की जा रही है। इस सम्पूर्ण योजना पर लगभग २० करोड रुपया खर्च आयेगा। चकबन्दी से जिन्हे लाभ होगा उन्हे प्रति एकड़ ४ रुपये के हिसाब से चकबन्दी का खर्च चुकाना पडेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रयोग को दो वर्ष में सारे राज्य भर मे चालू करने की योजना बना रही है। कुछ अन्य राज्यो में कानून द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि खेतो की चकबन्दी के लिये वह खुद कदम उठा सकती है। इस विषय मे आन्ध्र, बिहार और मद्रास मे विधेयक पास किये जा रहे हैं। उत्तरप्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों मे जहाँ चकबन्दी तेजी के साथ की जा रही है चकबन्दी का काम सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है। जबकि बम्बई, पेप्सू, दिल्ली तथा कुछ हद तक पंजाब में भी चकबन्दी का काम पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम का एक अंग बना दिया गया है।

जनता के उपयोग के लिये भूमि सुरक्षित रखने का कार्य

पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार और देहातों की उन्नति ही सामूहिक विकास की आधार शिला है। इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि जनता के काम के लिये कुछ भूमि सुरक्षित रखी जाये। चकबन्दी का एक उद्देश्य यह भी है कि सामूहिक उपयोग के लिये भूमि सुरक्षित रखी जाये।

तालिका ५७

चकों का परिमाण

(स्वामित्व सम्बन्धी तथा आधिपत्य वाली भू-सम्पत्ति)

(हज़ारों में)

परिमाण (एकड़ों में)	चकों की संख्या	चको का प्रतिशत	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	क्षेत्रफल का प्रतिशत	विवरण
१	२	३	४	५	६
१. उत्तर प्रदेश					
०–५ . . .	६,६७१	८१.२	१६,०२४	३८.८	चकबन्दी होने से पूर्व का सम्पूर्ण अधिकृत क्षेत्र जो वर्तमान क्षेत्र का ६० प्रतिशत था, इस जाँच पड़ताल के अन्दर आ गया है ।
५–१० . .	१,५६३	१२.७	१०,८२४	२६.१	
१०–१६ . .	४४०	३.६	५,४६४	१३.२	
१६–२५ . .	१६०	१.६	३,६६४	६.०	
२५ से ऊपर .	११४	०.६	५,३१०	१२.६	
जोड़ . .	१२,२७८	१००.०	४१,३१६	१००.०	
२. बम्बई					
०–५ . . .	१,३१३	५२.३१	३,६७२	१४.००	चकबन्दी होने से पहले रैयतवारी के नीचे जितना क्षेत्रफल था— तत्सम्बन्धी आँकड़े
५–१५ . .	७०७	२८.१८	६,५४८	२४.६५	
१५–२५ . .	२७४	१०.६०	५,१६३	१६.६८	
२५–१०० . .	२०१	८.०२	८,११४	३०.६२	
१००–५०० . .	१४	०.५७	२,३१४	८.८२	
५०० से ऊपर .	१*	०.०२	४२८	१.६३	*यथार्थ संख्या ५६३ है ।
जोड़ . .	२,५१०	१००.००	२६,२३६	१००.००	

३. मध्य प्रदेश					
०–५ . .	१,२९६	५१.५	२,८५६	१०.०	ये आँकड़े राज्य के ७७ प्रतिशत अधिकृत क्षेत्र के विषय में हैं। बाकी २३ प्रतिशत भाग जो कि जाँच समिति की रिपोर्ट में नहीं है—विलयित प्रदेश के हैं।
५–१० . .	४९३	१९.५	३,५२८	१२.०	
१०–२० . .	३७५	१४.८	५,६५६	१८.६	
२०–५० . .	२६९	१०.७	८,४५३	२८.९	
५०–१०० . .	६३	२.५	४,११०	१४.०	
१००–५०० . .	२६	०.९	३,६८०	१२.९	
५०० से ऊपर . .	०.९३	०.०४	१,०६७	३.६	
जोड़ . .	२,५२२.९३	१००.०	२९,३५०	१००.०	
४. उड़ीसा					
०–५ . .	—	७४.२	—	३०.१	६०,२३० एकड़ क्षेत्रफल में राज्य के विभिन्न भागों में जहाँ नमूने के तौर पर जो सर्वेक्षण किया गया था उसी के आधार पर यह आँकड़े हैं।
५–१० . .	—	१५.३	—	२२.०	
१०–२० . .	—	७.१	—	२०.८	
२०–५० . .	—	३.०	—	१७.१	
५०–१०० . .	—	०.३	—	४.१	
१०० से ऊपर . .	—	०.१	—	५.९	
जोड़ . .	—	१००.०	—	१००.०	
५. बिहार					
०–५ . .	—	८३.३	—	—	ये आँकड़े नमूने के तौर पर किये गये सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इसलिए साधारण स्थिति के सूचक हैं।
५–१० . .	—	३.४	—	—	
१०–१५ . .	—	७.८	—	—	
१५–३० . .	—	२.५	—	—	
३०–५० . .	—	२.०	—	—	
५० से ऊपर	—	१.०	—	—	
जोड़ . .	—	१००.०	—	—	

तालिका ५७ (क्रमश:)

१	२	३	४	५	६
६. आसाम					
०–५ . .	—	६६.१	—	२६.०	नमूने के तौर पर ५,२९५ चकों में विभाजित २६,००० एकड़ भूमि के विषय में किया गया सर्वेक्षण ।
५–१० . .	—	२२.५	—	३२.९	
१० से ऊपर .	—	११.४	—	४१.१	
जोड़ . .	—	१००.०	—	१००.०	
७. मद्रास					
चकों के निर्धारण का आधार					
१. १० रु० और कम .	५,९०६	८२.२	११,३५६	४१.२	रैयतवारी क्षेत्रफल से सम्बन्धित आँकड़े जो कि सम्पूर्ण क्षेत्र का ८२ प्रतिशत है । इन चकों मे साझे के पट्टे भी शामिल है । अतएव बडे परिमाण के समूहों में जो व्यक्तिगत चक है वे तुलना में छोटे हैं ।
२. १० रु० से ऊपर पर ३० से अधिक नहीं .	८२२	११.४	७,५०४	२७.२	
३. ३० रु० से ऊपर पर ५० से अधिक नहीं .	२६४	३.७	२,८२६	१०.२	
४. ५० से ऊपर पर १०० से अधिक नहीं (२३-४५ एकड़)	१३७	१.९	२,३३७	८.५	
५. १०० से ऊपर २५० से अधिक नहीं (४५–११४ एकड़) . .	४६	०.६	१,६९२	६.०	
६. २५० रु० से ऊपर (११४ से ऊपर) . .	१४	०.२	१,८७६	६.९	
जोड़ . .	७,१८९	१००.०	२७,५९१	१००.०	

८. मैसूर					
०–५	८२०	६६.२	२,०६१	२५.३	इस जाँच पड़ताल में राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्र आ गया ।
५–१०	२६५	२१.२	२,००२	२४.०	
१०–५०	१४४	११.४	२,८९८	३५.०	
५०–१००	११	०.९	८५६	१०.३	
१००–५००	२	०.२	३७९	४.६	
५०० से ऊपर	०.१	०.१	६७	०.८	
जोड़	१,२४२.१	१००.०	८,२६३	१००.०	
९. तिरुवांकुर-कोचीन					
०–५	१,५४१	९४.१	१,३२२	४४	
५–१०	५६	३.४	३६८	१३	
१०–१५	२१	१.३	२५३	९	
१५–२५	११	०.७	२०७	७	
२५–५०	४	०.३	१५८	५	
५०–१००	२	०.१	११८	४	
१०० से ऊपर	१	०.१	४९३	१८	
जोड़	१,६३६	१००.०	२,९१४	१००	
१०. पेप्सू					
०–५	२३९	४५.४	५१८	८.२	इस जाँच पड़ताल मे राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्र आ गया ।
५–१०	९३	१७.६	६८०	१०.७	
१०–२०	१०७	२०.३	१,५७२	२४.८	
२०–५०	७७१	१३.४	२,०७२	३२.६	
५०–१००	—	—	५४३	८.६	
१००–५००	१७	३.३	२२७	३.५	
५०० से ऊपर					
जोड़	५२७	१००.०	६,३४७	१००.०	

तालिका ५७ (क्रमशः)

१	२	३	४	५	६
११. दिल्ली					
०–१० . .	—	—	—	—	
१०–२० . .	३०	—	१०	—	
२०–५० . .	१	—	४५	—	
५०–१०० . .	०.२	—	१७	—	
१०० से ऊपर .	०.१	—	१३	—	
जोड़ . .	३१.३	—	८५	—	
१२ हिमाचल प्रदेश					
०—५ . .	६९	९५.०	८३	७१	आँकड़े केवल चम्बा जिले के विषय में ही हैं ।
५–१० . .	२	३.०	१३	११	
१०–१५ . .	१	२.०	१२	१०	
१५ से ऊपर . .	१	०.१	१	८	
जोड़ . .	७३	१००.०	११९	१००	
१३. कुर्ग					
०–५ . .	४२	७६.०	१२८	३०.०	राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्रफल इसमें शामिल है ।
५–१० . .	७	१२.०	५४	१३.०	
१०–१५ . .	३	५.०	३१	७.०	
१५–२५ . .	२	३.०	३४	८.०	
२५–५० . .	१	२.०	३१	०.७	

५०–१०० . .	०.५	१.०	३५	८.०	
१००–५०० . .	०.८	१.०	९५	२३.०	
५०० से ऊपर . .	—	—	१५	४ ०	
जोड़ . .	५५.९	१००.०	४२३	१००.०	

१४. पश्चिम बंगाल

परिमाण (एकड़ों मे)	फ्लाऊड आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत	जनगणना रिपोर्ट के अनुसार (प्रतिशत)
०–२	४१.९	३४.४
२–४	२०.६	२७.६
४ से ऊपर	३७.५	३८.०

तालिका ५८

१९५१ में कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का विभाजन

(व्यक्ति हजारों की संख्या में)

राज्य	कुल जनसंख्या	खेतिहरों की जनसंख्या				गैर-खेतिहर जनसंख्या	कुल जनसंख्या में खेतिहरों का प्रतिशत
		किसान (जो कि भूमि के स्वामी थे, या नही थे) और उनके परिवार	खेतिहर मजदूर तथा उन के आश्रित	गैर-खेतिहर भूस्वामी लगान वसूल करने वाले और उनके आश्रित	(३, ४, ५) का जोड़		
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
आसाम	९,०४४	६,३९४	१५७	८२	६,६३३	२,४११	७३.३
बिहार	४०,२२६	२५,५६९	८,७९५	२४७	३४,६११	५,६१५	८६.०
बम्बई	३५,९५६	१८,१३४	३,२५३	७१२	२२,०९८	१३,८५८	६१.५
मध्य प्रदेश	२१,२४८	११,४६९	४,३३६	३४४	१६,१४९	५,०९९	७०.०
मद्रास	५७,०१६	२५,३९०	१०,३९३	१,२३८	३७,०२२	१९,९९४	६४.९
उड़ीसा	१४,६४६	९,५८९	१,८०४	२२०	११,६१२	३,०३४	७९.३
पंजाब	१२,६४१	६,८३८	९६३	२६८	८,०६९	४,४३८	६३.८
उत्तर प्रदेश	६३,२१६	४२,६१७	३,६१२	६६८	४६,८९७	१६,३१९	७४.२
पश्चिम बंगाल	२४,८१०	११,००४	३,०४२	१४९	१४,१९५	१०,६१५	५७.२
हैदराबाद	१८,६५५	९,०६६	३,२००	४४९	१२,७१५	५,९४०	६८.२
मध्य भारत	७,९५४	४,८२४	८४९	७२	५,७४४	२,२१०	७२.२
मैसूर	९,०७५	५,४६५	६१६	२६२	६,३४३	२,७३२	६९.९
पेप्सू	३,४९४	२,०९४	३५९	८२	२,५३५	९५९	७२.६

राजस्थान	१५,२६१	१०,११८	४७५	२४४	१०,८३७	४,४५४	७०.६
सौराष्ट्र	४,१३७	१,७०१	१५६	७३	१,६२६	२,२०८	४६.६
तिरुवाकुर-कोचीन	६,२८०	३,१०४	१,८७२	११५	५,०६०	४,१६०	५४.८
अजमेर	६६३	२८१	२०	१४	३१५	३७८	४५.५
भोपाल	८३६	३७१	१६७	१०	५४८	२८८	६५.६
बिलासपुर	१२६	१११	२	१	११४	१२	६०.०
कुर्ग	२२६	१०१	२५	७	१३२	६७	५७.६
दिल्ली	१,७४४	१३७	२६	६	१७२	१,५७२	६.६
हिमाचल प्रदेश	६८३	८६५	६	१०	६१४	६६	६३.०
कच्छ	५६८	२१३	१७	६	२३६	३२६	४२.१
मणिपुर	५७८	४६६	१	१२	४८२	६६	८३.४
त्रिपुरा	६३६	४३८	३१	१२	४८१	१५८	७५ ३
विन्ध्य प्रदेश	३,५७५	२,४६६	६३०	१६	३,११४	४६०	८७ १
अन्डमान निकोबार द्वीप	३१	४	(ग)	(ग)	४	२७	१२.६
जोड़ (क)	३,५६,६६१	१,६८,८६०	४४,८१२	५,३२४	२,४८,६६६	१,०७,५६०	६६ ८
सिक्किम	१३८	१२६	(ग)	(ग)	१२६	१२	६१.३
कुल जोड़ (ख)	३,५६,८२६	१,६८,६८६	४४,८१२	५,३२४	२,४६,१२२	१,०७,५७२	६६.८

(क) इसमे १,३५,००० व्यक्ति शामिल हैं जिनके विषय मे विस्तार मे पता नही ।

(ख) इसमे जम्मू और कश्मीर तथा 'ख' भाग के राज्य आसाम के आदिवासी क्षेत्र की वह संख्या शामिल नही है जिनके धंधो के आँकड़े अप्राप्य हैं ।

(ग) ५०० व्यक्तियो मे कम ।

नोट—(१) भूमि का मालिक कौन है यह उस आधार पर (स्थानीय रूप से चाहे उसका कुछ भी नाम हो) माना जाता है जिसे खेती को जोतने बोने का स्थायी अधिकार हो । ये अधिकार बाप से बच्चों को सहज प्राप्त होते हैं । यह अधिकार (जरूरी नही है) दूसरो को भी दिया जा सकता है ।

(२) किसान से खेतिहर मजदूर भिन्न हैं । किसान वह है जिसे खेत में क्या बोना, किस विधि से बोना—यह निर्णय करने का अधिकार हो । तमाम खेति-हर मजदूर किसान के नौकर हैं ।

सूचना का स्रोत :—भारतीय जनगणना—पत्र सं० १, १६५२ ।

भूमि चकबन्दी कानून १९४८ के अन्तर्गत पंजाब सरकार ने यह तय कर लिया है कि हर एक गाँव में जिसका क्षेत्रफल १५० एकड़ से अधिक है, ५ से ले कर ५० एकड़ तक भूमि गाँव की जरूरत के मुताबिक ग्राम इस्तेमाल के लिये सुरक्षित रखी जाये। ऐसी भूमि ग्राम पंचायत के संरक्षण में होगी और इसकी सार संभाल के मामले में ग्राम पंचायत कानून, १९५२ लागू होगा। इस भूमि से जो आय होगी वह स्थानीय संस्थाओं द्वारा सबकी भलाई के लिये खर्च जायेगी। उत्तर प्रदेश के चकबन्दी विधेयक (संशोधन) १९५४ में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि किस हिसाब से भूमि के मालिक जनता के उपयोग के लिये भूमि देंगे।

सहकारी खेती

कृषि की उन्नति तथा सहकारी प्रयत्न की सार्थकता का ध्यान रख कर योजना आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि निम्न और मध्यम वर्ग के किसान स्वेच्छा से सहकारी कृषि समितियाँ बना ले। इन समितियो को राज्य सरकारों से विशेष सुविधाएँ मिलेंगी। आयोग ने दूसरा सुझाव यह दिया है कि जिस बजर भूमि का अभी हाल ही में पुनरुद्धार हुआ है तथा जो बेकार पडी भूमि खेती के योग्य है उस पर भूमिहीन किसानो को समूहों में बसाकर उनसे सहकारी खेती करवाई जायेगी। इन सुझावो को उत्तर प्रदेश और बम्बई मे तेजी के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। बम्बई सरकार ने १९४९ मे सहकारी-खेती-समितियो के निर्माण की एक विस्तृत योजना बनाई थी। उसने इन समितियो को लगभग ८.३ लाख रुपये का ऋण और सहायता दी। १ अप्रैल १९५४ तक बम्बई राज्य मे ७६,८१७ एकड भमि मे २५६ सहकारी-खेती-समितियाँ बनाई गई। उत्तर प्रदेश मे १९५०-५१ मे परीक्षण के तौर पर सहकारी खेती की गई। १९५२-५३ के अन्त में भूमि उपनिवेश योजना के अधीन सगठित कुल मिला कर ८८ सहकारी समितियाँ बन चुकी थी। १९५३ के अन्त मे इन समितियो के अन्तर्गत ३२,४०६ एकड भूमि थी तथा समितियो की हिस्सेदार पूजी ९.८१ लाख रुपये थी।

कई राज्यों मे सामूहिक खेती चालू की गई है। सौराष्ट्र मे इस प्रकार की पाँच समितियाँ दर्ज हो चुकी है तथा इनमे से तीन ने काम करना शुरू भी कर दिया है। भोपाल मे ऐसी ५ समितियाँ है जिनके १२४ सदस्य है। त्रिपुरा और कुर्ग मे एक-एक समिति है। हैदराबाद सरकार ने सहकारी समितियो के निर्माण में कई प्रकार मे प्रोत्साहन दिया है, यथा—भूमि लगान मे कमी, कृषि-आयकर में छूट या उसकी दर मे कमी, निःशुल्क प्रौद्योगिक सलाह तथा रियायती दरों पर ऋण या आर्थिक मदद। योजना आयोग की राय में सहकारी खेती के विकास की मन्द गति के कारण है—किसानो का अपनी भूमि से अत्यधिक मोह, नवीन सुधारो के विषय में शकित दृष्टिकोण तथा छोटे खेतो के मालिको मे पारस्परिक झगड़े और असहयोग।

भूदान आन्दोलन

स्वेच्छा से भूमिदान या भूदान आन्दोलन की शुरूआत १९५१ के आरम्भ में आचार्य विनोबा भावे ने जब कि दौरा करते हुए वे तेलंगाना पहुँचे थे, की थी। वहाँ किसानो को भूमि प्राप्त करनें की तीव्र चाहना थी, इससे वहाँ भूमि के प्रश्न पर काफी गड़बड़ मची हुई थी। आचार्य विनोबा भावे ने गान्धी जी के आदर्शों के अनसार प्रेमपूर्वक समझा-बझा कर जमीन मालिकों से भूमि दान मे प्राप्त कर ली।

इस आन्दोलन के उद्देश्य के विषय मे विनोबा भावे का कथन है, 'न्याय और समानता के आधार पर टिके हुए समाज में भूमि पर सबका अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम भूमि की भिक्षा नही माग रहे परन्तु उन भूमिपुत्रों का हिस्सा माग रहे है जो भूमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी है।'

इस आन्दोलन का मुख्य ध्येय यह है कि लोग न्याय और दूसरो के अधिकार की बात भी सोचे-समझें और बिना किसी खून-खच्चर के देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता मिट जाये। विनोबा भावे भूदान आन्दोलन को एक प्रकार का सत्याग्रह या शान्तिपूर्ण क्रान्ति मानते है।

१९५१ मे एक छोटी सी घटना से आरम्भ होकर अब यह आन्दोलन देश में चारो ओर फैल गया है। ५ अक्तूबर १९५४ तक दान में प्राप्त भूमि ३६,००,००० एकड तक पहुँच गई थी। भूमि दाताओ की सख्या ३,४९,१५० थी। २७,३०७ परिवारों मे लगभग ९६,४९७ एकड भूमि बाँटी जा चुकी थी।

सहायक ग्रन्थ सूची

१. मिनिस्ट्री ऑफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर : 'एग्रीकल्चर इन इण्डिया : वाल्यूम ४'

२. एच० डी० मालवीय : 'लैण्ड रिफॉर्म्स इन इण्डिया'

३. प्लानिग कमीशन : 'प्रोग्रेस ऑफ दी फाइव इयर प्लान, १९५३-५४'

४. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स : 'सेन्सस ऑफ इण्डिया, पेपर नम्बर १, १९५२'

पन्द्रहवाँ अध्याय

सामूहिक विकास

१९४६ से भारत के कुछ राज्यों में ग्राम विकास सम्बन्धी परीक्षण बड़े पैमाने पर किये गये। उदाहरण के लिये उस वर्ष मध्यप्रदेश के सेवाग्राम मे, बम्बई के सर्वोदय केन्द्रों में, मद्रास की फिरका विकास योजना के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपुर जिलो में मार्ग-दर्शक कार्यों के अन्तर्गत ग्राम-विकास के प्रयोग जोरों से शुरू किये गये। इन कार्यो की सफलता से उत्साहित होकर ही योजना आयोग ने ग्राम विकास योजनाओं के कार्यक्रम को अपने पंच-वर्षीय कार्यक्रम का आन्तरिक अंग बना लिया। तदनुसार, योजना आयोग ने सामूहिक योजनाओ के लिये तथा आगामी १० वर्षों मे देश भर में विस्तार योजनाओ का जाल बिछा देने के लिये ९० करोड़ रुपये रखे हैं। ठोस विकास के लिये केवल वही स्थान चुने गये है, जहाँ यथेष्ट वर्षा होती है तथा जहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है।

२ अक्तूबर १९५२ को भारत के विभिन्न राज्यो मे इस तरह के ५५ कार्य प्रारम्भ किये गये। इनमे से प्रत्येक कार्य का क्षेत्र २०० गाँवो तक विस्तृत है तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल औसतन ४५० से ५०० वर्ग मील है, जनसख्या लगभग २ लाख है तथा जोती बोयी गयी भूमि का क्षेत्रफल लगभग १,५०,००० एकड। प्रत्येक कार्य का क्षेत्र ३ विकास खण्डो मे विभाजित किया गया है। प्रति ५ गाँवों के पीछे एक ग्राम सेवक रखा गया है। सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम में दो तरह के कार्य सम्मिलित किये गये है। कुछ कार्य केवल ग्राम विस्तार सम्बन्धी है, और कुछ कार्य मिले-जुले। इन दूसरे किस्म के कामो मे छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगो का विकास तथा कस्बो का निर्माण भी सम्मिलित है। प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम यह है कि ग्रामो की एक चौथाई जनता को राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामूहिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाये। इस प्रकार कुल २९½ करोड ग्रामवासियो मे से ७ करोड़ ४० लाख को इन कार्यक्रमों से लाभ पहुँचेगा। १९५२-५३ मे सामूहिक विकास कार्यों के अन्तर्गत १८०.३ लाख लोग आते थे। १९५३-५४ मे ५३ सामूहिक विकास खण्डो के अन्तर्गत ३९.३ लाख और २५९ राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओ के अन्तर्गत १८७.० लाख व्यक्ति आते थे। २ सितम्बर १९५४ को २४१ राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यों को आरम्भ किया गया जिनसे १५९.१ लाख व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार कुल ५६५.७ लाख व्यक्तियों को किसी न किसी विकास योजना का लाभ मिलेगा।

उद्देश्य

सामूहिक विकास कार्यों के मूल उद्देश्य निम्नलिखित है—(१) प्रत्येक सम्भव उपाय से कृषि की उपज बढ़ाना, (२) ग्रामीण इलाकों में बेकारी की समस्या हल करना, (३) गाँव के संचार साधनों को सुधारना, (४) गाँव में प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के केन्द्रों का प्रबन्ध करना तथा (५) मकानों में सुधार करना तथा (६) देशी

दस्तकारियों और छोटे पैमाने के उद्योगों की उन्नति करना। सामूहिक विकास कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रामवासी उनमें कितनी और कैसी दिलचस्पी लेते हैं। सरकार तो उन्हें इस सम्बन्ध में मार्ग ही दिखा सकती है और उनके कार्यों में वित्तीय सहायता दे सकती है।

वित्त

सामूहिक विकास कार्यों के लिये सरकार और जनता दोनों ही से साधन प्राप्त होते हैं। प्रत्येक कार्यक्षेत्र मे यह बात मान ली गई है कि ग्रामवासी यथेष्ट आर्थिक सहायता देंगे तथा स्वयं कार्य भी करेंगे। इन कार्यों के लिये सरकार जो सहायता देगी, उसमें केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों द्वारा दी गई अनावर्तक सहायता का अनुपात ३ और १ रहेगा। व्यय सम्बन्धी आवर्तक सहायता केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारें बराबर-बराबर देंगी। यह आशा की जाती है कि ३ वर्षों के बाद इन कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार को सहायता देने की जरूरत नही रहेगी। राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामूहिक विकास योजनाओं के लिये नियुक्त कर्मचारियों पर आने वाला जो आवर्त्तक खर्च केन्द्रीय सरकार देती है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल मे भी देती रहेगी। केन्द्र कुल खर्च का ५० प्रतिशत या अधिकतम ६ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष देगा। गाँव में किये जाने वाले सामूहिक कार्यों पर ३ वर्षों मे लगभग ६५ लाख रुपये खर्च किये जायेंगे, जिनमे से ६,५३,००० रुपये डालर व्यय के रूप में होगे। सामूहिक विकास के प्रत्येक शहरी कार्यक्रम पर ११,००,००० रुपये व्यय किये जायेगे, जिसमे से ४,५०,००० रुपये डालर व्यय के रूप में होगे।

१९५३-५४ में आवंटित सामूहिक विकास खण्ड

२ अक्तूबर, १९५२ को आरम्भ हुए कार्यक्रम के एक वर्ष के अन्दर ही ५५ अन्य विकास खण्डो में कार्य आरम्भ हो गया। साथ ही राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम भी स्वीकृत हुआ। इस प्रकार सामूहिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षित विकास तथा इसके कार्यक्रम से युक्त विस्तार सेवाओं का काम साथ-साथ चलने लगा। मार्च १९५४ तक समाप्त होने वाले ६ महीनो में नये खण्डो की प्रगति इस प्रकार रही :

मिश्रखाद के गढ़े खोदे गये . .	१६,३००
उर्वरक बाँटे गये	३१,००० मन
बीज बाँटे गये	५१,६०० मन
फलो के पेड़ लगाये गये . . .	३२० एकड़
सब्जियाँ बोयी गई	१,६०० एकड़
भूमि का पुनरुद्धार	५,४०० एकड़
सिंचित भूमि	१४,००० एकड़

पशुपालन के अन्तर्गत ११,७०० बैलों को बधिया किया गया; २,७३,४०० पशुओं को टीके लगाये गये और ३०,१०० पशुओं की चिकित्सा की गई। लगभग ४,८०० फिंगरलिंग मछलियाँ भी बाँटी गई।

कच्ची सड़कों का निर्माण . . .	७६६ मील
पक्की सड़कों का निर्माण . . .	१९ मील

इस अवधि में सरकारी खर्च कुल ३९.५६ लाख रुपया आया जो औसतन ७४,६०० रुपये प्रति खण्ड है। जनता का अंशदान १९.५५ लाख रु० का रहा।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा

२ अक्तूबर १९५३ को, अर्थात् महात्मा गान्धी के चौरासीवे जन्म दिन पर, भारत में मुख्यतः ग्रामों की उन्नति के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना प्रारम्भ की गयी। पचवर्षीय योजना के कार्यकाल मे, आशा है कि भारत की एक चौथाई ग्रामीण जनसंख्या इस योजना के अन्तर्गत आ जायेगी तथा १० वर्षों में कुल भारत भर के गाँवों मे इस योजना के अनुसार कार्य होने लगेगा। सामूहिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओ का मूल उद्देश्य एक ही है, इसलिए अब केन्द्र तथा राज्यो में इनमे परस्पर मे समन्वय कर दिया गया है। इन विस्तार सेवाओ का उद्देश्य यह है कि गाँवो के किसान वर्तमान वैज्ञानिक ढग से खेती करने लगे तथा जीवन के सब क्षेत्रो में उनका दृष्टिकोण व्यापक बन जाये।

विस्तार कार्यक्रम तथा सामूहिक विकास कार्यक्रम अब एक साथ चलाये जा रहे है। अन्तर केवल इतना है कि सामूहिक विकास कार्यक्रमों का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होगा तथा उन पर अधिक रुपये व्यय किये जायेगे। वर्तमान योजना के अन्त तक देश के ८४,७०० गाँवो और ५ करोड़ ६० लाख की जनसंख्या मे से सामूहिक विकास कार्यों के अन्तर्गत ३५,५०० गाँव और २ करोड़ ३० लाख की जनसंख्या आ जायगी और शेष राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत। दोनो सेवाओ द्वारा प्रत्येक ५ मे से १ गाँव को लाभ मिल रहा है।

राष्ट्रीय विस्तार सेवाओ के लिये क्षेत्रो का चुनाव इस बात पर निर्भर रहेगा कि किस स्थान पर कितने आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत उपलब्ध हो सकते है तथा वहाँ के लोगो में योजना के लिये कितना उत्साह है। प्रशासन सम्बन्धी कार्य के लिये प्रत्येक खण्ड में एक उपक्षेत्रीय अधिकारी या उपजिलाधीश रखा जायेगा। सामूहिक विकास प्रशासन की केन्द्रीय समिति ने यह निश्चय किया है कि १९६१ तक विस्तार सेवा के अन्तर्गत सारा देश आ जाये।

कार्यकर्ताओं का शिक्षण

विस्तार के कार्यक्रम की सफलता काफी अंशो तक योजना के कार्यकर्ताओ की योग्यता पर निर्भर करती है। इस कारण ग्रामसेवको को शिक्षण देने के लिये देश के विभिन्न भागों में ५० शिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। इनके अन्तर्गत वे विशेष केन्द्र भी है जहाँ खण्ड विकास अधिकारियों को और समाज शिक्षा संगठनकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये अधिकारी १०० गाँवों के एक एकक की देखरेख करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व सफाई आदि की भी शिक्षा मिलती है। राज्यों की सरकारों द्वारा चुने हुए व्यक्ति इन शिक्षण केन्द्रों मे प्रशिक्षण के लिये भेजे जाते हैं। शिक्षण की समाप्ति के बाद ये कार्यकर्ता अपने राज्यों में कार्य करते हैं। केन्द्रीय सरकार का शिक्षा मन्त्रालय भी इस सम्बन्ध में कार्यकर्ताओं को शिक्षण देने का यथासम्भव प्रबन्ध करता रहता है।

सगठन

इन विकास कार्यक्रमों के संचालन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्यों की सरकारों पर है। प्रायः प्रत्येक राज्य में इन कार्यों के लिये एक प्रमुख प्राधिकारी संस्था नियुक्त की गई है। इस संस्था को राज्य विकास समिति कहते हैं। इसमें राज्य के मुख्य मन्त्री, विकास मन्त्री तथा कुछ गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। यह समिति नीति सम्बन्धी बातों का निर्णय करती है। राज्य

का विकास आयुक्त इस समिति का मंत्री होता है। वही राज्य के विकास विभाग तथा इस योजना के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। यह कार्य इतना महत्त्वपूर्ण है कि विकास आयुक्त को राज्य के सचिव का पद दिया गया है तथा उसे यथेष्ट अधिकार प्राप्त हैं।

जिले की विकास समिति का अध्यक्ष जिलाधीश होता है, और जिला विकास अधिकारी इस समिति का मन्त्री होता है। जिले में विकास सम्बन्धी कार्य करने वाले सभी विभागों के मुखिया और जिला बोर्ड का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इस समिति के सदस्य होते हैं।

उपक्षेत्र में यह कार्य करने के लिये एक विस्तार अधिकारी नियुक्त किया गया है। आवश्यकतानुसार इस ढाँचे में यथेष्ट परिवर्तन करने का अधिकार भी राज्य के अधिकारियों को प्राप्त है।

ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये भारत सेवक समाज एक गैर-राजनीतिक स्वयंसेवक संगठन महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की प्रगति

मार्च १९५८ तक के ६ महीने में २१२ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की प्रगति इस प्रकार रही —

उर्वरकों का वितरण	१,४२,४०० मन
बीजों का वितरण	३९,७०० मन
फलों का लगाया जाना	२,४०० एकड़
सब्जियों का लगाया जाना	१३,८०० एकड़
भूमि का पुनरुद्धार	१९,२०० एकड़
सिंचाई	७८,१०० एकड़
पशुओं की चिकित्सा	२,१७,८००
फिंगरलिंग मछलियों का वितरण	५६,४००
कच्ची सड़कों का निर्माण	१,७३९ मील
पक्की „ „ „	७१ „

सरकार द्वारा इन कामों पर ४४.१४ लाख रुपया खर्च किया गया। ऐच्छिक अंशदान इससे २ लाख रुपये अधिक था।

तालिका ५९

एक विकास-खंड पर अनुमानित व्यय

(मूल सामूहिक योजनाकार्य)

(लाख रुपयों में)

	कुल व्यय	रुपये	डालर	आवर्तक	अनावर्तक	कर्ज	कर्ज के अतिरिक्त अन्य
१. विकास योजना मुख्यालय: (क) कर्मचारी, (ख) परिवहन (ग) कार्यालय का साजसामान	२.२३	२.०८	०.१५	२.०५	०.१८	—	२.२३

तालिका ५१ (क्रमश)

	कुल व्यय	रुपये	डालर	आवर्त्तक	अनावर्त्तक	कर्ज़	कर्ज़ के अतिरिक्त अन्य
२. कृषि विस्तार :							
(क) ट्रैक्टर	०.२४	—	०.२४	—	०.२४	०.२४	—
(ख) प्रदर्शन सामग्री	०.१०	०.१०	—	—	०.१०	—	०.१०
(ग) विस्तार उप-मुख्यालय	०.०९	०.०९	—	०.०७	०.०२	—	०.०९
(घ) मरम्मत के केन्द्र	०.०५	०.०५	—	—	०.०५	०.०५	—
(ङ) बिक्री केन्द्र	०.१०	०.१०	—	—	०.१०	०.१०	—
(च) केन्द्र ग्राम योजना	०.२९	०.२६	०.०३	०.२१	०.०८	—	०.२९
३ सिंचाई	५.००	४.३०	०.७०	—	५.००	५.००	—
४ भूमि पुनरुद्धार	०.२५	०.२५	—	—	०.२५	०.२५	—
५. स्वास्थ्य और देहातों की सफाई							
(१) (क) अस्पताल (–) आवर्त्तक व्यय	०.१०	०.१०	—	०.१०	—	—	०.१०
(ख) दवाखाना	०.१०	०.१०	—	—	०.१०	—	०.१०
(ग) दवाखाना माज-मज्जा	०.१०	०.०७	०.०३	—	०.१०	—	०.१०
(२) पीने का पानी	०.५०	०.५०	—	—	०.५०	—	०.५०
(३) नालियाँ और सफाई	०.२५	०.२५	—	—	०.२५	—	०.२५
६. शिक्षा	१.५०	१.५०	—	१.००	०.५०	—	१.५०
७ सामाजिक शिक्षा (दृश्य-श्रव्य उपकरणों सहित)	०.५०	०.३५	०.१५	०.३०	०.२०	—	०.५०
८. संचार	१.२५	१.१५	०.१०	—	१.२५	—	१.२५
९. ग्राम कला-कौशल	१.२५	१.२५	—	०.५०	०.७५	०.७५	०.५०
१०. योजना कर्मचारियों के लिये मकान (देहाती मकान)	१.१०	१.१०	—	—	१.१०	१.१०	—
कुल जोड	१५.००	१३.६०	१.४०	४.२३	१०.७७	७.४९	७.५१

एक विकास खण्ड का खर्च . . . . १५ लाख रुपये

केन्द्र का भाग (अनावर्त्तक खर्च का ७५ प्रतिशत, आवर्त्तक खर्च का ५० प्रतिशत और कर्ज़) . . १२.०७ लाख रुपये

राज्य सरकार का भाग . . . . २.९३ लाख रुपये

तालिका ६०

राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास खण्ड (१०० गाँवों की इकाई) का अनुमानित खर्च

(यह बजट केवल मार्ग-प्रदर्शन के लिये है और स्थानीय स्थिति के अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है)

(हज़ार रुपयों में वार्षिक खर्च)

(१) कर्मचारी	
एम० डी० ओ० की सहायतार्थ १ खण्ड विकास अधिकारी (२५०–४००) ३५० रुपये प्रति माह पर . .	४.२
३ विस्तार अधिकारी (कृषि, पशुपालन, सहकारिता और पचायतों के लिये) .	६
२ सामाज शिक्षा सगठनकर्त्ता (एक पुरुष और एक स्त्री)—१२५ रु० प्रतिमाह पर	३
१ ओवरसियर जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य का ज्ञान हो—२५० रु० प्रतिमाह पर .	३
१० ग्राम सेवक—१०० रु० प्रतिमाह पर	१२
१ एकाउन्टेन्ट-स्टोर कीपर, १ टाइपिस्ट-क्लर्क और ३ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी .	६
जीप का खर्च ड्राइवर सहित	३.५
विविध आकस्मिक व्यय	३ ३
एक वर्ष का जोड	६४.०

यह मान लिया गया है कि आवश्यक कर्मचारियों का चौथाई भाग मौजूद है। अत. शेष

कर्मचारियों पर वार्षिक खर्च . . .	४४–११ = ३३
तीन साल के लिये कर्मचारियो का खर्च . .	६६ या लगभग १००
(२) परिवहन (ट्रेलर सहित एक जीप) कार्यालय का सामान, साइकिलें, फर्नीचर, बीज, कृषि-यन्त्र, स्टोर	५०
(३) स्थानीय निर्माण-कार्य (सडक, पुलियाँ तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व सफाई, नाली आदि से सम्बन्धित अन्य कार्य)	१५०
(४) समाज शिक्षा (किसानो को विविध योजनाओ के लिये इनाम आदि सहित)	२५
(५) स्कूलो, अस्पतालों तथा अन्य स्थानिक सस्थाओ को आवर्त्तक सहायता अनुदान.	२५
(६) छोटे सिंचाई कार्यों के लिये कर्ज	१००
(७) अल्पकालीन कर्जों की सुविधाएं देने के लिये ऋण . .	३००
कुल जोड़	७५०

तालिका ६१

(लाख रुपयों में)

व्यय का विश्लेषण :—

तीन साल के लिये कुल खर्च	७.५
आवर्तक खर्च	१.५
अनावर्तक खर्च	२.०
कर्ज	४.०
केन्द्रीय सरकार का भाग (आवर्तक व्यय का ५० प्रतिशत, अनावर्तक का ७५ प्रतिशत और अल्पकालीन कर्जों के अतिरिक्त अन्य कर्ज, अर्थात् २.२५ + १ लाख रुपये)	३.२५
रिजर्व बैंक, सहकारी समितियों और राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन ऋण	३.००

सहायक ग्रन्थ सूची

१ प्लानिंग कमीशन : 'प्रोग्रैस रिपोर्ट १९५३-५४ : फाइव ईयर प्लान'
२. पब्लिकेशन्स डिवीजन : 'कुरुक्षेत्र . एनिवर्सरी नम्बर'
३. पब्लिकेशन्स डिवीजन : 'रोड टू वैलफेयर स्टेट'

सोलहवाँ अध्याय

सहकारी आन्दोलन

अन्य देशों की तरह भारतवर्ष में भी सहकारी आन्दोलन इस सिद्धान्त पर आधारित है कि एक साधनरहित व्यक्ति भी अन्य लोगो का सहयोग पाकर बहुत कुछ कर सकता है। जो आर्थिक सुविधाएं किसी धनी-मानी व्यक्ति को प्राप्त हैं वे एक हद तक किसी भी साधारण व्यक्ति को परस्पर सहयोग से प्राप्त हो सकती हैं और इस प्रकार वह अपनी छिपी हुई योग्यता का सहज ही पूर्ण विकास कर सकता है। इस आन्दोलन का आधार है स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करना। इसलिए इससे आत्मा व बुद्धि दोनो को बल मिलता है।

मद्रास के एक नागरिक श्री फ्रेडरिक निकलसन ने एक रिपोर्ट पेश की थी। उसके परिणाम-स्वरूप गाँव वालो को कर्ज लेने की मुसीबतो से छुटकारा दिलाने और आसानी से ऋण दिलवाने के लिये १९०४ में सहकारी ऋण समिति कानून पास किया गया। यही से सहकारी आन्दोलन का आरम्भ होता है। इस कानून का उद्देश्य केवल ऋण समितियो का निर्माण करना था। इसलिए १९१२ में एक दूसरा कानून पास किया गया, ताकि ऐसी सहकारी समितियाँ भी बनाई जा सकें जिनका काम कर्ज देना तो न हो परन्तु वे गाँव के उत्पादन, क्रय-विक्रय, बीमा, मकान आदि की सार सम्भाल कर सकें। इसी कानून के अनुसार प्राथमिक समितियो को अपना सघ बनाने की सुविधा भी मिल गई जिससे वे आपसी नियत्रण और हिसाब किताब की जाँच पडताल कर सके। इस कानून मे यह भी व्यवस्था थी कि केन्द्र और राज्यो के बैक से इन समितियो को आर्थिक मदद मिलती रहे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त मैकलेगन कमेटी ने इस विषय मे जो विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी उसने इस आन्दोलन मे गैर-सरकारी सहयोग पर बहुत जोर दिया। १९१९ के भारत सरकार कानून के अनुसार सहकारी आन्दोलन राज्य के अन्तर्गत आ गया और उस पर नियत्रण रखने की जिम्मेदारी, निर्वाचित मत्री पर आ गई। तो भी भारत सरकार आन्दोलन के स्वस्थ विकास मे बराबर दिलचस्पी लेती रही और उसने १९३५ मे रिजर्व बैक के अन्तर्गत कृषि-ऋण विभाग की स्थापना की। १९४६ मे सरकार ने जो ग्रामीण-बैक-जाँच पडताल-कमेटी नियुक्त की थी, उसने यह सिफारिश की है कि इन प्राथमिक समितियो को बहूद्देशीय समितियो मे बदल दिया जाये और इस बात की चेष्टा की जाये कि दस साल के अन्दर ५० प्रति-शत गाँव और ३० प्रतिशत ग्रामीण जनता इन नई बहूद्देशीय समितियो के सम्पर्क मे आ जायें। साथ ही उन्होने यह भी कहा कि रिजर्व बैक इन समितियो को और अधिक सहयोग दे। १९५१ मे रिजर्व बैक की निर्देश देने वाली समिति ने गाँवो के आर्थिक ढाँचे की बारीकी से जाँच पडताल की थी और इसकी रिपोर्ट १९५४ में प्रकाशित हुई।

भारत की सहकारी समितियों को दो हिस्सो में बाँटा जा सकता है। पहले (१) प्राथमिक समितियाँ, (२) केन्द्रीय समितियाँ। जबकि प्राथमिक समितियों का सीधा सम्बन्ध अपने सदस्यों से है, केन्द्रीय समितियों का जिनमें यूनियन, सेन्ट्रल बैंक, तथा प्रान्तीय बैंक भी

शामिल है, काम प्राथमिक समितियों को सहयोग देना है। प्राथमिक संस्थाओं को फिर दो भागों में बाँट दिया गया है। एक तो वे जो कर्ज़ देती हैं दूसरी वे जो कर्ज़ नहीं देतीं पर केवल क्रय-विक्रय आदि पर नियंत्रण रखती है। इन दोनों श्रेणियों मे कृषि और गैर-कृषि समितियाँ शामिल हैं। जो कर्ज़ नही देती ऐसी कृषि समितियो के जिम्मे कृषि सम्बन्धी ऐसे कामों की देखभाल है यथा अच्छे बीज, खेती सम्बन्धओजार, मशीन तथा खाद आदि खरीदना, पशुधन की वृद्धि, सिंचाई, चकबन्दी, सहकारी रूप से क्रय-विक्रय की व्यवस्था, बीमा आदि का प्रबन्ध करना आदि। कर्ज़ न देने वाली गैर-कृषि समितियों के जिम्मे ग्राहकों का सहयोग प्राप्त करना, इमारतों का निर्माण, शहर में कारीगरों को कच्चामाल पहुँचाना तथा मजदूरों का ठेका लेने का काम है।

१९५१–५२ के अन्त में सब तरह की सहकारी समितियों की संख्या १,८५,६५० थी और इसके सदस्यों की संख्या १ करोड ३७ लाख ९० हज़ार थी जबकि १९५०-५१ के अन्त मे उनकी सदस्य संख्या कुल १,८१,१८९ थी। यदि मोटे तौर पर मान लिया जाये कि एक भारतीय परिवार मे औसत रूप में ५ व्यक्ति होते है तो कहा जा सकता है कि १९५१–५२ में लगभग ६ करोड ८९ लाख अर्थात् आबादी के १८ ८ प्रतिशत लोग इसका फायदा उठा रहे थे। इस सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक सहकारी समिति का सदस्य नहीं हो सकता।

सब तरह की सहकारी समितियो की कुल पूजी १९५१–५२ के अन्त मे ३ अरब ६ करोड ३४ लाख रुपये थी। जून १९५१ मे यह रकम २ अरब ७५ करोड ८५ लाख रुपये थी। अतएव इसमे ११.१ प्रतिशत बढ़ती हुई। १९५०–५१ मे ४०.८ प्रतिशत जमा रकमें थी जब कि उसके मुकाबले मे अब ३८.३ प्रतिशत है। मिलिकयत कोप चालू पूजी का ३०.२ प्रतिशत और कुल जमा धन का ७९.१९ प्रतिशत है।

केन्द्रीय बैंक और बैंकिंग यूनियन

केन्द्रीय बैंक तथा बैंकिंग यूनियनों का मुख्य कार्य है प्राथमिक समितियो को कर्ज़ देना। इस प्रकार के बैंकिंग यूनियन १९५०–५१ मे ५०५ थे जब कि १९५१–५२ मे बढ कर ५०९ हो गये। इसी अर्से मे उनकी सदस्य सख्या २,०७,०७४ से बढ कर २,३१,३१८ हो गई और शेयर पूजी तथा रिजर्व क्रमश ४ करोड ६२ लाख तथा ५ करोड १९ लाख रुपये हो गया जबकि उससे पहले साल ४ करोड ४ लाख और ४ करोड ७९ लाख रुपये था।

केन्द्रीय बैंको की चालू पूजी (६० करोड ११ लाख रु०) का अधिक भाग राज्यीय बैंक तथा अन्य संस्थाओ से कर्ज लिये हुए कोप से बना है जैसा कि नीचे के आँकडो से स्पष्ट है—

तालिका ६२

केन्द्रीय बैंकों की चालू पूंजी का ढाँचा

	चालू पजी का प्रतिशत	
	१९५०-५१	१९५१-५२
मिल्कियत कोष . .	१५.७	१६.३
जमा किया गया धन . . .	६७ ०	६३ ६
अन्य उधार	१७.३	२०.१

केन्द्रीय बैंकों ने १९५१–५२ मे बैंकों तथा समितियों को १ अरब ५ करोड़ ६४ लाख रुपये दिये जब कि १९५०–५१ में कुल ८२ करोड ८४ लाख रुपये दिये गये थे ।

सरकारी सिक्योरिटियों तथा अन्य रूप में केन्द्रीय बैंकों की जो पूजी लगी हुई थी (यह कर्ज का जिक्र नही है) वह १६ करोड़ ७६ लाख रुपये है ।

राज्य बैंक

सौराष्ट्र में राज्य बैंक की स्थापना के साथ-साथ कुल राज्य बैंकों की संख्या १९५१–५२ में १६ हो गई । उस साल उनके सदस्यो में ९,१७२ व्यक्ति तथा १४,१०० समितियाँ हो गईं । १९५१–५२ के अंत में शेयर पूजी और रिज़र्व क्रमशः १ करोड़ ९० लाख रुपये तथा २ करोड़ ३६ लाख रुपये हो गये । राज्य बैंकों ने सहकारी बैंकों तथा समितियों को जो पूजी पेशगी दी थी उसका परिमाण ४८ करोड़ ४२ लाख रुपये था । जब कि १९५०–५१ में वह ३४ करोड ३० लाख रुपये था ।

कृषि समितियाँ

कर्ज समितियां—

कृषि समितियाँ जो कि ऋण देती थी वास्तव में सहकारी आन्दोलन के आर्थिक ढाँचे की आधारशिला थी । देश मे इनकी सख्या १,०४,९९८ से बढ कर १,०७,९२५ हो गई और इनकी सदस्य सख्या ४७,७६,८१९ तथा चालू पूजी ४५ करोड २२ लाख रुपये हो गई ।

१९५१–५२ मे समितियो ने अपने सदस्यो को नये कर्ज के रूप में २४ करोड २१ लाख रुपये दिये जब कि १९५०–५१ मे कुल २२ करोड ४० लाख रुपये दिये गये थे । इसी प्रकार १९५१–५२ के अन्त मे भुगतान लायक पुराने कर्जे की रकम ३३ करोड़ ६६ लाख रु० तक पहुँच गई, जब कि इसके मुकाबले मे पिछले साल कुल २९ करोड़ १२ लाख रुपये थी । वीतकाल कर्जे की रकम ८ करोड़ ५२ लाख रुपये थी । यह सारे ऋण की २५ ३ प्रतिशत थी जब कि १९५०–५१ मे यह २२ प्रतिशत थी ।

कर्ज समितियाँ अपनी चालू पूजी के लिये मुख्यतः केन्द्रीय वित्तीय अभिकरणों पर निर्भर रहती है । इस प्रकार १९५१–५२ मे स्थिति यह थी कि उनकी चालू पूजी का ५१.२ प्रतिशत कर्ज मे प्राप्त था। मिल्कियत कोष (owned fund) १७ करोड ७० लाख रुपये का था अर्थात् चालू पूजी का ३९ १ प्रतिशत, जब कि कुल जमा रकम ४ करोड़ ४० लाख रु० थी । युद्ध के बाद के समय में चालू पूजी और जमा का अनुपात बराबर गिरता गया। उदाहरण-स्वरूप १९४६–४७ मे जो अनुपात १४.४ प्रतिशत था, वह १९५१–५२ मे घटकर ९.७ प्रतिशत रह गया । इससे यह ज्ञात होता है कि जब कि अल्पकालीन ऋण का ढाँचा कृषि-ऋण की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भाग लेता रहा, वह जमा रकमों के लिये अनुपात में अधिक राशि आकर्षित न कर सका । सहकारी आन्दोलन को आत्मनिर्भर बनाने के लिये यह जरूरी है कि बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने तथा जमा करने के लिये धन को आकर्षित करने के अधिकाधिक प्रयत्न किये जायें ।

तालिका ६३

सहकारी समितियां, सदस्य और चालू पूंजी

राज्यवार (१९५१–५२)

राज्य	जनसख्या (क) (लाखों मे)	समितियो की कुल सख्या	प्रति लाख व्यक्ति पर समितियो की संख्या	प्राथमिक समितियों के सदस्यो की सख्या	प्रति १००० व्यक्ति पर प्राथमिक समितियों के सदस्यो की संख्या	चालू पूंजी	
						कुल (रुपयों में)	प्रति व्यक्ति पीछे आनों की संख्या
भाग 'क' के राज्य							
मद्रास .	५८० ५	२५,२४१	४३.५	३६,४८,१५३	६२.८	९४,५३,१७,०९०	२६०.५
बम्बई	३६९.६	१६,८९२	४५.७	२४,२१,८५५	६५.५	९३,४१,१२,६३६	४०४.४
पश्चिम बंगाल .	२५२.३	१५,६८८	६२.१	९,८४,२१८	३९.०	१९,०७,५५,०३८	१२०.९
उत्तर प्रदेश .	६४१.६	३६,५२२	५६ ९	१५,२५,२५१	२३.८	२६,४७,४७,५९०	६६.०
मध्य प्रदेश .	२१४.७	१०,३८६	४८.४	४,५७,६०१	२१.३	९,८८,८९,०७५	७३.७
पंजाब .	१२६ ७	१४,८७२	११७ ४	७,८९,८७३	६२.३	१२,९०,१२,५६९	१६२.९
बिहार . .	४०७ ४	१५,९९६	३९ ३	६,९०,७४५	१७.०	५,८५,३३,२१६	२३.०
उड़ीसा . .	१४७.६	५,५५३	३७.९	३,०१,६६५	२०.४	४,६५,९९,७२८	५०.५
आसाम . .	९२ ६	२,९१०	३१ ४	२,६३,१६४	२०.४	२,१२,६४,६४,९६२	३६.७
योग .	२,८३३ ०	१,४४,०४०	५०.८	१,१०,८२,५२५	३९.१	२,६८,९२,३१,९०४	१५१.९

भाग 'ख', 'ग', 'घ' के राज्य(ख)							
मैसूर . .	९३.३	५,१७०	५५.४	५,४२,०७४	५८.१	६,९४,५६,९५४	११९.१
हैदराबाद .	१८९.९	१३,८५१	७२.९	१०,७०,७०६	५६.४	११,४१,३०,७६८	९६.२
मध्य भारत .	८०.६	६,७८७	८४.२	१,८२,०६९	२२.६	४,५८,२२,८९८	९०.९
राजस्थान .	१५५.७	३,४३१	२२ ०	१,५३,७४६	९८.७	२,१०,७८,५२७	२१.७
तिरुवांकुर-कोचीन .	९५.४	२,६९९	२८.३	३,७२,८५७	३९.१	२,८०,४९,०२७	४७.०
पेप्सू . .	३५.०	१,५५२	४४.३	४५,३६८	१३.०	२,२०,३४,९९१	१००.७
जम्मू तथा कश्मीर .	४४.४	२,८२९	६३.७	८८,१६९	१९.९	१,३२,६३,७०५	४७.८
सौराष्ट्र . .	४२.३	८७७	२०.८	३७,४३६	८.९	२,०४,१७,९७६	७७.२
अजमेर . .	७.१	९७८	१३७.७	३४,४२२	४८.५	८०,९७,६५८	१८२.५
भोपाल . .	८.५	२५३	२९.८	७,८८३	९.२	११,९८,२८२	२२.६
दिल्ली . .	१८.९	१,०११	५३.४	६३,५६९	३३.६	१,८९,१८,००८	१६१.१
कुर्ग . .	२.४	३७५	१५६.३	५०,१८७	२०९.१	६१,९८,००६	४१३.३
हिमाचल प्रदेश .	९.९	९६७	९७ ७	२९,५४०	२९.८	३४,७५,६६१	५६.२
विन्ध्य प्रदेश .	३६.०	४९१	१३.६	१०,९३६	३०.४	४,९९,६२३	२.२
मणिपुर .	५.९	३२२	५४.६	१८,८७१	३२.०	८,६३,८७५	२३.४
त्रिपुरा . .	६.६	१०	१.५	८०५	१.२	४,४०,६७७	१०.७
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह .	०.३	—	—	५७४	१९.१	१,९८,७०१	१०६.०
योग . .	८३२.२	४१,६१०	५०.०	२७,०९,१६२	३२.६	३७,४१,४५,३३७	७१.९
कुल जोड़ .	३,६६५.२	१,८५,६५०	५०.६	१,३७,९१,६८७	३७.६	३,०६,३३,७७,२४१	१३३.०

(क) जन-संख्या के आँकड़े भारत सरकार के गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल से लिये गये हैं।

(ख) बिलासपुर तथा कच्छ में कोई भी सहकारी समिति नहीं है।

गैर-कर्ज-समितियां

१९५१–५२ मे राज्यीय गैर-कर्ज-संस्थानो की सख्या ३५ थी। इन संस्थानो की चालू पूजी १९५०–५१ में ८ करोड ७४ लाख रुपये थी जो १९५१–५२ मे घट कर केवल ७ करोड १९ लाख रुपये रह गई। १९५१-५२ में इन समितियों ने मालिक व एजेन्टों के रूप मे क्रमश: २६ करोड ४४ लाख तथा १ करोड ४० लाख रुपये की बिक्री की, जबकि १९५०-५१ मे यह बिक्री क्रमश. २० करोड़ ९० लाख और ४२ लाख रुपये की थी।

गैर-कर्ज संस्थानों मे इसके बाद ही केन्द्रीय गैर कर्ज समितियों का नम्बर आता है जिनकी संख्या २,३२१ है। १५,६७,४२२ व्यक्ति तथा ५१,१९७ समितियां इसकी सदस्य थी। उनकी चालू पूजी ३० जून १९५२ को १५ करोड ९९ लाख रुपये थी और उन्होंने ८९ करोड़ ५९ लाख रुपये का माल बेचा जब कि १९५०–५१ मे उन्होंने ८६ करोड ७ लाख रुपये का ही माल बेचा था।

१९५१–५२ के अन्त मे प्राथमिक गैर-कर्ज समितियों की संख्या ३५,२९० थी। उसी साल सदस्य संख्या २८,०४,००१ थी। १९५०–५१ की चालू पूजी १६ करोड ५४ लाख से बढ़ कर ३० जून १९५२ तक १८ करोड ५५ लाख रुपये हो गई थी। इनका लाभ ६५ करोड २५ लाख रुपये मे घट कर ३९ करोड ५४ लाख रह गया। इसका कारण यह था कि मद्रास, बबई और हैदराबाद की कुछ समितियो को घाटा उठाना पडा था।

भूमि बन्धक बैंक

१९५१–५२ के अन्त मे केवल ६ राज्यो मे केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक तथा दस राज्यो में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक थे। कुल मिला कर २८९ प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको मे से १३० मद्रास मे थे।

केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक अपने लिये ऋणपत्र जारी करके अधिकाश रुपया इकट्ठा करता है। इन ऋणपत्रों के मूलधन और ब्याज के लिये राज्य पूरी तौर पर जिम्मेदार होता है। १९५१-५२ मे ७ करोड ८३ लाख रुपयो के ऋणपत्र चालू किये गये जब कि १९५०–५१ में ६ करोड ७५ लाख रुपये के ऋणपत्र चालू किये गये थे। इन ऋणपत्रों की अधिकाश रकम के लिये (५ करोड ५९ लाख रुपये) मद्रास केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक जिम्मेदार है।

जून १९५२ में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की संख्या २८९ थी जब कि १९५१ की समाप्ति पर यह संख्या २८६ ही थी। १९५१–५२ में १ करोड २० लाख रुपया ऋण दिया गया जब कि १९५०–५१ मे १ करोड २९ लाख। भिन्न-भिन्न राज्यों में ऋण पर ३½ प्रतिशत और ९½ प्रतिशत ब्याज की दर रही।

गैर-कृषि समितियाँ

कर्ज समितियां

१९५१–५२ के अन्त मे भारत में प्राथमिक गैर-कृषि कर्ज समितियों की संख्या ७,९६२ थी जब कि इससे पहले साल में कुल संख्या ७,८१० ही थी। इनकी सदस्य संख्या में ७.३ प्रतिशत बढ़ती हुई अर्थात् मदस्य २१,७७,५५१ मे बढ कर २३,३६,३४८ हो गये। इनकी चालू पूंजी भी ५६ करोड़ ७८ लाख रु० से बढ कर ६० करोड २५ लाख हो गई। इनको जमा की राशि एकत्रित करने में अत्यधिक सफलता मिली। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि इन्होंने ३३७ करोड़ ८ लाख रु० इकट्ठे किये जो चालू पूजी का ६१.५ प्रतिशत था। इस क्षेत्र मे बम्बई की समितियों को सबसे अधिक सफलता मिली। उनकी जमा की राशि १७ करोड़ ५१ लाख रुपये थी

इन समितियों ने लगभग ९७ करोड़ ५१ लाख रुपये कर्ज़ दिये। इसमें बम्बई की समितियों ने २६ करोड ५९ लाख तथा मद्रास की समितियो ने १० करोड ५१ लाख रुपया दिया। वीतकाल रकम अप्राप्त रकम की ९.४ प्रतिशत थी।

कुछ समितियो ने गैर-कर्ज़ कारोबार भी किया। ८ करोड़ ४८ लाख रुपये की सामग्री बेची गई जब कि ८ करोड २७ लाख रुपये की सामग्री खरीदी गई।

गर-कर्ज समितियाँ

१९५१–५२ में २१,६४९ समितियाँ थी जिसके ३०,१३,२०३ सदस्य थे और इन की चालू पूजी ४२ करोड़ ९४ लाख रुपये थी जब कि इसकी तुलना में १९५०–५१ में क्रमश २०,५१८ समितियाँ २८,०३,२५६ सदस्य और ३५ करोड़ २२ लाख रुपये चालू पूंजी थी।

बहूद्देशीय सहकारी समितियाँ

अनेक राज्यों में प्राथमिक कर्ज समितियों का क्षेत्र व्यापक बनाने की कोशिश की गई ताकि किसानों के जीवन की अधिक समस्याओ को सुलझाने मे वे योग दे सकें। बाद को महसूस किया गया कि भारत मे सहकारी आदोलन का कार्य इतना धीमा और अप्रभावशाली इसलिए रहा कि उसका कार्य क्षेत्र ज्यादातर कर्ज देने तक ही सीमित रहा। इस कमी को दूर करने के लिये यह सुझाव दिया गया कि ऐसी बहूद्देशीय समितियाँ बनाई जाये जो विभन्न कार्यक्षेत्रो मे काम करे यथा कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय का प्रबन्ध, किसानो की घरेलू तथा कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना तथा कर्ज जुटाना आदि। इस प्रकार की समितियाँ सफलतापूर्वक चलाने मे उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक सफलता मिली है। १९४९–५० मे सारे देश में ऐसी २९,५२५ समितियाँ थी जिसमें से २२,७८६ केवल उत्तर प्रदेश मे ही थी। इसी अवधि में इन समितियों की सदस्य संख्या १ करोड ५० लाख थी।

भारत के सहकारी आन्दोलन का विवेचन

ऊपर दिये हुए आँकड़ों से यह पता चलता है कि सहकारी आन्दोलन सारे देश मे सब जगह एक जैसी प्रगति नहीं कर रहा है। न ही यह सब जगह एक जैसा प्रभावशाली ही है। जब कि इस आन्दोलन ने 'क' भाग के कुछ राज्यों में काफी प्रगति की है, कुछ भागों मे यह काफी प्रगति नही कर सका। विशेष कर 'ख' और 'ग' भाग के छ राज्यों में यह लगभग कुछ भी जोर नही पकड़ सका।

भारत में इस समय १,०७,९२५ प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ है। इनमें से केवल बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश ही में ५३,८८८ समितियाँ है जो कुल की लगभग ५० प्रतिशत है।

ज़मीदारी के उन्मूलन तथा किसानों के लिये ऋण प्राप्त करने का और कोई साधन न रहने से, सहकारी आन्दोलन की जिम्मेदारी और भी बढ़ रही है। पंचवर्षीय योजना में किसानों को ऋण देने के लिये प्रतिवर्ष १ अरब रुपया अल्पकालीन ऋण के लिये, २५ करोड़ रुपया

मध्यम-कालीन ऋण के लिये तथा ५ करोड़ रुपया दीर्घकालीन ऋण के लिये तय किया गया है परन्तु अभी इन लक्ष्यों के पूरे होने में देर है ।

अखिल भारतीय ग्रामीण कर्ज सर्वेक्षण

जैसा कि आगे बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने १९५१ के आरम्भ में भारत कि गाँवों के आर्थिक ढाँचों की तथा राज्यों में सहकारी आन्दोलन की काफी जाँच पड़ताल की । यह जाँच पड़ताल व्यापक रूप से ७५ जिलों के ६०० गाँवों में की गई । एक कमेटी नियुक्त की गई थी जिसके अध्यक्ष श्री ए० डी० गोरवाला थे । इस कमेटी के सरकारी और गैर सरकारी अनुभवी कर्मचारियो की राय भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट का समर्थन करती है । कमेटी की यह रिपोर्ट २० दिसम्बर १९५४ को प्रकाशित हुई थी ।

कमेटी ने यह पता लगाया कि किसानों को ऋण देने में सरकार और सहकारी समितियों का हिस्सा क्रमशः ३.३ प्रतिशत और ३.१ प्रतिशत है। इसकी ७० प्रतिशत रकम अब भी महाजनो तथा गाँव के व्यापारियों द्वारा ही पूरी की जाती है। सहकारी समितियों को केन्द्रीय तथा राज्यीय बकों से जो मदद मिलती है वह अपर्याप्त है ।

कमेटी ने सिफारिश की कि गाँव में कृषि ऋण को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिये सहकारी संस्था जैसी कोई वैकल्पिक संस्था नहीं है; इसलिए गाँवों में ऋण की व्यवस्था के हेतु एक सम्बद्ध योजना बनायी जाये। कमेटी की सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की जाये जिसकी शाखा प्रत्येक जिले के मुख्य केन्द्रों में हो । इस सिफारिश के अनुसार इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान रूप में समाप्त कर दिया गया है । अब इसे स्टेट बैंक के रूप में चलाया जायेगा और यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी संस्थाओं को अधिक मात्रा में ऋण की सुविधाएं प्रदान करेगा ।

तालिका ६४

आँकड़े : एक दृष्टि में

	१९५०–५१	१९५१–५२
समितियों की कुल संख्या . .	१,८१,१८९	१,८५,६५०
प्राथमिक समितियों की सदस्य संख्या .	१,३७,१५,०२०	१,३७,९१,६८७
सब प्रकार की समितियों की चालू पूंजी	२,७५,८५,२३,९५६	३,०६,३३,७७,२४१
प्राथमिक समितियों द्वारा दिया गया ऋण	८६,५६,५८,४७५	९७,९४,७२,३७८
सब प्रकार की समितियो द्वारा अर्जित लाभ	६,९७,२९,६५०	५,२९,६९,८११

तालिका ६४ (क्रमशः)

	१९५०–५१	१९५१–५२
या	१५	६१
यों की संख्या . . .	२०,९३२	२३,२७२
ा गया ऋण . . .	४२,१३,३०,५६१	५५,२७,४०,७२८
ू पूजी . . .	३४,४२,०७,१९८	३६,७१,७०,१७४
केन्द्रीय बैंक तथा बैंकिंग यूनियन		
ा	५००	५०९
य संख्या . . .	२,०७,०७४	२,३१,३१८
ा गया ऋण . . .	८२,८४,०४,०५२	१,०५,६३,५४,५१२
पूजी . . .	५६,३६,७६,७६६	६०,११,३९,९०४
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ		
. . . .	१,१५,४६२	१,०७.९२५
संख्या . . .	५१,५३,९०७	४७,७६,८१९
गया ऋण . . .	२२,८९,७१,८१०	२४,२०,९३,७७१
पूजी . . .	४०,९५,७७,३९५	४५,२२,१२,३७१
प्राथमिक गैर-कृषि समितियाँ		
. . . .	७,८१०	७,९६२
य संख्या . . .	२१,७७,५५१	२३,३६,३४८
गया ऋण . . .	४७,२९,०२,६०८	५०,९७,१५,००१
पूजी . . .	५६,७८,०२,०५५	६०,२४,७२,७९३
राज्यीय गैर-ऋण समितियाँ		
. . . .	३५	३५
य संख्या . . .	२०,०६८	२३,७२५
माल का मूल्य . .	२१,२९,१०,०८३	२६,३२,२१,४६९
य किये गये माल का मूल्य . .	२१,३२,०५,३३०	२७,८३.८७,४०३
ी . . .	८,७४,६३,८६५	७,१८,७३,५४१
केन्द्रीय गर-ऋण समितियाँ		

तालिका ६४ (क्रमशः)

	१९५०-५१	१९५१-५२
सदस्य सख्या . . .	१४,५३,१३५	१६,१८,६१९
प्राप्त माल का मूल्य . .	८४,२९,५५,१६९	९३,२०,२१,३०७
विक्रय किये गये माल का मूल्य .	८६,०७,०१,२५३	८९,५८,९९,४२३
चालू पूजी . . .	१२,४४,६७,०४२	१५,९९,२३,३१९
प्राथमिक कृषि गैर-ऋण समितियां		
संख्या	३३,८१५	३५,२९०
सदस्य संख्या . . .	३३,६५,२४३	२८,०४,००१
प्राप्त माल का मूल्य . .	५२,१२,४८,६९६	५५,३०,६१,००६
चालू पूजी . . .	१६,५३,८२,०४६	१८,५५,०१,०४५
प्राथमिक गैर कृषि गर-ऋण समितियां		
संख्या	२०,५१८	२१,६४९
सदस्य संख्या . . .	२८,०३,२५६	३०,१३,२०३
प्राप्त माल का मूल्य . .	९३,४३,८२,३५६	१,०३,३५,३७,२५१
विक्रय किये गये माल का मूल्य .	१,००,८१,५०,७७६	१,०८,९०,४२,६१३
चालू पूजी . . .	३५,२१,६८,३९९	४२,९४,४३,२१६
केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक		
संख्या . . .		
सदस्य सख्या . .	५	
दिया गया ऋण . .	९,८४८	३४,५७९
चालू पूजी . .	१,३२,९२,९४३	२,५०,६४,७९६
	७,७२,०६,२८४	१०,१६,५८,२६०
प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक		
संख्या . . .	२८६	२८९
सदस्य संख्या . . .	२,१५,०६३	२,१३,८१४
दिया गया ऋण . . .	१,२९,०१,९५०	१,२९,५९,४८९
चालू पूंजी . .	६,६५,७२,९०६	७,५९,४९,९०२

सहायक ग्रन्थ सूची

१. ई० एम० हफ० : 'दि कोआपरेटिव मूवमेंट इन इण्डिया' [आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस]

२. वी० एल० मेहता : 'ओरिजिन एण्ड ग्रोथ ऑफ कोआपरेशन इन इण्डिया'

३. वी० एल० मेहता । 'कोआपरेटिव फिनान्स'

४. रैना : 'दि कोआपरेटिव मूवमेंट इन इण्डिया'

५. चन्द्रशेखर अय्यर : 'कोआपरेटिव ऐज ए कन्स्ट्रकटिव आर्गेनाइजेशन'

६. अनवर इक्बाल कुरैशी : "दि फ्यूचर ऑफ दि कोआपरेटिव मूवमेन्ट" [आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस]

७. भारत सरकार : 'रिपोर्ट ऑफ दि कोआपरेटिव प्लानिंग कमेटी'

८. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (१९५३) : रिव्यू ऑफ दि कोआपरेटिव मूवमेंट इन इण्डिया (१९४८–५०)

९. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (१९५४) : 'स्टेटिस्टीकल स्टेटमेन्ट्स रिलेटिंग टू दि कोआपरेटिव मूवमेंट इन इण्डिया (१९५१–५२)

१०. ,, : 'रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट'

११. जी० बी० जथार और एस० जी० बेरी : 'इन्डियन एकोनॉमिक्स,' वाल्यूम १ और २ [आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस]

१२. एच० डब्ल्यु० वुल्फ : 'कोआपरेशन इन इण्डिया'

सत्रहवाँ अध्याय

बिजली और सिंचाई

बिजली

भारत में जल-विद्युत् का पहला कारखाना १८९७–९८ में दार्जिलिंग में खोला गया था। इसके बाद ही, १८८९ में, कलकत्ता में १,००० किलोवाट का भाप से चलने वाला पहला विद्युत् उत्पादन यंत्र लगाया गया। फिर १९०३ में कावेरी पर शिवसमुद्रम् मे एक जल-विद्युत् केन्द्र की स्थापना हुई। १९२५ तक जल-विद्युत् का उत्पादन कुल मिलाकर १,६२,३४१ किलोवाट था। १० वर्षों के बाद अर्थात् १९३५ तक प्रस्थापित क्षमता पाँच गुनी बढ़ कर ९,००,४०२ किलोवाट हो गई। १९४७ और १९५३ में जल-विद्युत् के उत्पादन में जो विकास हुआ, वह निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है। इस तालिका में १९३९ को आधार वर्ष माना गया है।

तालिका ६५

बिजली की प्रगति के सूचक अंक

मद	१९३९	१९४७	१९५३
संस्थापित विद्युत् उत्पादन क्षमता			
स्टीम प्लान्ट (भाप का कारखाना)	१००	१४२.१	२५७.७
आयल प्लांट (तेल का कारखाना)	१००	११२.५	२०७.७
हाइड्रो प्लान्ट (जल-विद्युत् कारखाना)	१००	१११.३	१६५.४
औसत	१००	१२७.०	२१५.५
विद्युत् उत्पादन			
स्टीम प्लान्ट	१००	१६७.०	३४४.३
आयल प्लान्ट	१००	१४९.०	२१७.०
हाइड्रो प्लान्ट	१००	१६७.८	२२२.८
औसत	१००	१६६.८	२७४.२
कोयले की खपत	१००	१७२.९	३२४.०
ईंधन के काम में आने क तेल की खपत	१००	१४५.८	१९२.७
कुल अधिक से अधिक मांग	१००	१५३.३	२४५.८
जिन कार्यों को बिजली बेची गई			
घरेलू अथवा निवास सम्बन्धी	१००	२०६.५	४२१.६
व्यापारिक और छोटे इंजिन	१००	२३८.२	४५४.६
औद्योगिक	१००	१६२.४	२६६.५
ट्रैक्शन	१००	१२८.९	१६६.८
सिंचाई	१००	१९४.७	३३२.७
सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानो की रोशनी	१००	१०७.०	१७४.८
जल–कल	१००	१६४.२	२३४.२
औसत	१००	१६५.०	२७५.१

राज्यों के हिसाब से विभाजन

प्रारम्भ में बिजली का प्रयोग केवल भारतीय नगरों को प्रकाश देने के कार्य में किया जाता था। तब उद्योग और कृषि में बिजली का प्रयोग नहीं किया गया था। धीरे-धीरे उद्योग में बिजली का प्रयोग प्रारम्भ हुआ और क्रमशः स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि देश में कुल उत्पादित बिजली का ६४·६ प्रतिशत भाग उद्योग व्यय होने लगा। इस सम्बन्ध में बहुत बड़ा भेद पाया जाता है। राज्यों के हिसाब से प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा बिजली का व्यय दिल्ली में होता है। इसके बाद मैसूर और तदनन्तर बम्बई तथा पश्चिम बंगाल में। भारत में १९५३ में बिजली का औसतन प्रति व्यक्ति व्यय १५·४७ किलोवाट घंटे था, जब कि १९४० में यह औसत ७.१ किलोवाट घंटे था।

१९२५ तक बिजली कम्पनियाँ प्रायः व्यक्तिगत संगठनों के हाथ में थीं। इन कम्पनियों को बिजली का लाइसेंस दिया जाता था। उसके बाद कुछ राज्यों ने बिजली का विकास सम्बन्धी कार्य अपने हाथों में ले लिया। १९५३ तक व्यक्तिगत कम्पनियाँ ५२ प्रतिशत बिजली उत्पन्न कर रही थी। विस्तृत संख्याएँ निम्नलिखित तालिका में देखिए :

तालिका ६६

स्वामित्व	विद्युत् उत्पादन केन्द्रों की संख्या	संस्थापित विद्युत् क्षमता (किलोवाट)
सरकारी . . .	१९३	९,२८,९१८
नगरपालिकाएं . . .	१५	२५,८५६
राज्य निगम . . .	१	१,५४,०००
निजी कम्पनियाँ . . .	२१८	११,९६,४१६
योग . .	४२७	२३,०५,१९०

खपत

बिजली की खपत विभिन्न श्रेणियों में किस तरह होती है, उसके लिये निम्नलिखित तालिका देखिये :

तालिका ६७

उपयोग के प्रकार	उपभोक्ताओं की संख्या		सम्बन्धित भार		बिजली की बिक्री	
	कुल	कुल का प्रतिशत	कुल	कुल का प्रतिशत	लाख किलो वाट घंटे	कुल का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७
१. घरेलू: निवासस्थानों की रोशनी और छोटी मशीन	१५,५९,९०६	७८	१०,०३,७०७	२८	६,९०५·१६	१२·३
२. व्यापारिक: हलकी और छोटी हलकी	३,२२,४२१	१६	३,३८,८५९	९	३,९९१.०७	७·१

तालिका ६७ (क्रमशः)

१	२	३	४	५	६	७
३. औद्योगिक बिजली (बिजली, ट्राम व ट्रेन तथा जल-कल सहित) .	७८,५०५	४	२०,७८,८८२	५७	४२,११८.७७	७५.३
४. सार्वजनिक स्थानों का प्रकाश	२,८२३	—	२६,५१०	१	८१४.४५	१.५
५. सिंचाई .	३१,८८८	२	१,७३,२३७	५	२,१४१.३८	३.८
योग	१९,९५,५४३	१००	३६,२१,१९५	१००	५५,९७०.८३	१००.०

गाँवों का विद्युतीकरण

बिजली अब तक मुख्यतः नगरों को ही प्राप्त है। कुछ कारखाने गाँवो की आवश्यकताओं के लिये भी बिजली देते है। मद्रास, मैसूर, तिरुवाकर-कोचीन, उत्तर प्रदेश और पजाब के गाँवों मे बिजली की मांग कुछ बढ़ी है। इस सम्बन्ध में १९५२ की गणनाएँ इस प्रकार है।

तालिका ६८

जनसख्या	इस वर्ग के कस्बों और गाँवो की संख्या	कस्बे और गाँव जहाँ बिजली पहुचती है	कुल गाँव और नगरों का प्रतिशत
१,००,००० से अधिक .	७३	७३	१००.००
५०,००० से १,००,००० .	१११	१०९	९८.२०
२०,००० से ५०,०००	४०१	३१३	७८.०५
१०,००० से २०,००० .	८५६	—	—
५,००० से १०,००० .	३,१०१	८,२१३	०.७५
५,००० से कम .	५,५६,५६५	—	—
योग . .	५,६१,१०७	४,७०८	०.८४

इन संख्याओं से स्पष्ट है कि अधिकाश बिजली शहरों के उपयोग मे ही आती है। भारत में कुल मिला कर संस्थापित क्षमता का ३६ प्रतिशत और उत्पादित बिजली का ४१ प्रतिशत भाग केवल बम्बई और कलकत्ता में ही खप जाता है। संस्थापित क्षमता का १२.५ प्रतिशत और उत्पादित बिजली का १४ प्रतिशत भाग अहमदाबाद, कानपुर, मद्रास और दिल्ली में खप जाता है। इस प्रकार भारत के इन ६ नगरों में ही सार्वजनिक उपयोग के लिये बनाये गये कारखानों में संस्थापित क्षमता के ४९ प्रतिशत तथा उत्पादित बिजली के ५६ प्रतिशत की खपत होती है।

बिजली पैदा करने में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से संसद् ने भी १९४८ में विद्युत् (पूर्ति) कानून पास किया था। इसके अनुसार सम्पूर्ण देश के लिये राष्ट्रीय बिजली बोर्ड नाम की एक केन्द्रीय बिजली संस्था की स्थापना १९५० में की गई। इसका एक अध्यक्ष और ४ सदस्य हैं। मध्यप्रदेश और दिल्ली में भी राज्य बिजली बोर्डों की स्थापना हो चुकी है।

केन्द्रीय बिजली संस्था के कार्य ये हैं :—

१. भारत के लिये एक समान राष्ट्रीय बिजली नीति बनाना और इस सम्बन्ध में योजना सम्बन्धी जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके कार्यों में सहयोग और समन्वय उत्पन्न करना,

२. यदि कभी राज्यों की सरकारों या राज्यों के बिजली बोर्डों में अथवा लाइसेंसदारों में कोई झगड़ा हो जाये, तो उनमें मध्यस्थता करना,

३. बिजली की उत्पत्ति, विभाजन तथा खपत और शक्ति के विकास के लिये सब तरह की जानकारी एकत्र करना और आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित करना;

४. जनता को इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएँ देते रहना।

राज्यों के बिजली बोर्डों के कार्य ये हैं :—

१. अपने क्षेत्र में बिजली के उत्पादन तथा वितरण के कार्य सुचारू रूप से चलाना और बिजली के कारखानों को सब तरह की आवश्यक सहायता देना।

२. जहाँ आवश्यक हो वहाँ वर्तमान लाइसेंसप्राप्त संस्थाओं को बिजली देना।

३. जहाँ आवश्यक हो वहाँ वर्तमान बिजली उत्पादक कारखानों को नियंत्रित कारखाने घोषित करना, और

४. लाइसेंसप्राप्त संस्थाओं को कम से कम व्यय पर अधिकाधिक बिजली उत्पन्न करने के कार्य में निर्देश देना।

१९४८ के इस कानून द्वारा पुरानी लाइसेंसप्राप्त संस्थाओं के कार्य में विशेष परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं किया जायेगा। यह प्रयत्न किया जायेगा कि राज्यों के बिजली बोर्डों को उन संस्थाओं की सेवाएं अधिकतम रूप में प्राप्त हो सकें। राज्यों के यह बोर्ड गाँवों में बिजली पहुँचाने की ओर विशेष ध्यान देंगे।

स्रोत तथा सीमाएं

भारत के विस्तृत क्षेत्रफल और घनी जनसंख्या की दृष्टि से इस देश में बिजली बहुत कम पैदा की जा रही है।

तालिका

बिजली की प्रगति

वर्ष	बिजली के यन्त्रों की संस्थापित विद्युत् क्षमता			
	स्टीम	डीज़ेल	हाइड्रो	योग
१	२	३	४	५
	किलोवाट	किलोवाट	किलोवाट	किलोवाट
१९३९	५,४०,७६०	८६,७९०	४,४२,१६९	१०,६९,७१९
१९४०	५,७१,२५०	८९,६९१	४,५९,३६९	११,२०,३१०
१९४१	५,९७,९००	९०,८४५	४,५९,३६९	११,४८,११४
१९४२	५,८२,०२८	८९,५४२	४,५९,३६९	११,३०,९३९
१९४३	६,३४,५८०	८९,३३७	४,५८,१२९	११,८२,०४६
१९४४	६,५१,२३५	९०,१७१	४,६९,४१९	१२,१०,८२५
१९४५	६,८२,२२०	९२,८१५	४,७४,४१९	१२,४९,४५४
१९४६	७,२५,१८५	९१,९२०	४,८४,४१९	१३,०१,५२४
१९४७	७,५७,४५७	९७,६७९	५,०८,१२९	१३,६३,२६५
१९४८	७,८८,३९३	१,०७,०१९	५,१५,५४४	१४,१०,९६६
१९४९	८,५२,६३९	१,२५,४६८	५,५९,०७९	१५,३७,१८६
१९५०	१०,०४,४३४	१,४८,७९६	५,५९,२८५	१७,१२,५१५
१९५१	१०,९७,५६७	१,६२,६८०	५,७५,१७९	१८,३५,४२६
१९५२	११,७६,३१७	१,७०,२५९	७,१५,१७९	२०,६१,७५५
१९५३	१३,९३,७१७	१,८०,२९४	७,३१,१७९	२३,०५,१९०

६९

१९३९—५३

वर्ष भर की कुल मांग की औसत	उत्पादित बिजली (किलोवाट घंटे)	उत्पादित बिजली—औसत क्षमता का प्रति किलो-वाट	बेची गई बिजली (किलोवाट घंटे)	खाने ६ और ७ के आधार पर औसत भार	खाने ५ और ६ के आधार पर औसत मांग
६	७	८	९	१०	११
किलोवाट	लाख	किलोवाट	लाख	प्रतिशत	प्रतिशत
५,७५,८१०	२४,४२४.१५	२,२८३	२०,३४६.३६	४८.४२	५३.८
६,२८,६३०	२७,०२०.५६	२,४१२	२२,४९९.७१	४९.०७	५६.१
६,६४,२७०	३१,२०८.१७	२,७१८	२६,६३४.१५	५३.६३	५७.८
६,९५,८०२	३१,६०१.८७	२,७९४	२६,६२६ २८	५१.८५	६१.५
७,१२,५२५	३४,४५१.९५	२,९३३	२८,९९७.१६	५५.६६	६०.३
७,८७,८४८	३७,१९८.४१	३,०७२	३१,३१४.१५	५३.९०	६५.१
८,४१,६८२	३९,९२८.४३	३,१९६	३३,४४८.०३	५४.१५	६७.४
८,१९,१८२	३८,९२२.७६	२,९९१	३२,५७९.०२	५२.२४	६२.९
८,८२,८५३	४०,७३३.१८	२,९८८	३३,५६७.९४	५२.६७	६४.८
९,६५,७८०	४५,७५४.६६	३,२४३	३७,२१४.६४	५१.०८	६४.४
१०,०८,०००	४९,०९२.८९	३,१९४	४०,०४७.१६	५५.६०	६६.६
१०,९८,०१४	५१,०६७.००	२,९८१	४१,५६६.६६	५३.०८	६४.१
१२,०५,१९४	५८,५८४.०३	३,१९२	४७,९३३.४४	५५.४९	६५.७
१३,१०,६५१	६१,२०३.४७	२,९६९	५०,०५६.८२	५३.३१	६३.६
१४,१६,३५०	६६,९७१.८७	२,९०५	५५,९७०.८३	५३.९८	६१.०

तालिका ७०

बिजली का विकास (१–१–१९५४ तक)

राज्य	संस्थापित विद्युत् क्षमता (किलोवाट)			उत्पादित बिजली (किलोवाट घंटे)			
	कुल	प्रति १,००० की जनसंख्या के पीछे	प्रति वर्ग मील	कुल (लाख)	प्रति १,००० की जनसंख्या के पीछे	प्रति वर्गमील	प्रति व्यक्ति के पीछे बिजली की वार्षिक खपत (किलो-वाट घंटे)
आसाम	३,५८६	०.३७३	०.०४२	७६ ४१	८२७	९३	०.७०
पश्चिम बंगाल . . .	५,४७,४६८	२२.०२२	१७.७८७	१३,५६१.३१	५४,५५१	४४,०६०	४९ २९
बिहार	२,०४,१२२	५.०७४	२ ६०२	२,२४०.००	५,५६६	३,१८५	४.०७
बम्बई	५,११,६०६	१४ २२६	४ ५६१	२१,१३०.४७	५८,७६८	१८,६६१	५० ७०
केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र							
(क) दिल्ली . . .	६२.६१३	३५.६०२	१०८.३२७	१,७९७.६४	१,०३,०४७	३,११,०१०	७७.६१
(ख) अन्य . . .	१२,३५०	१ ४७१	० १५३	२०५.७७	२,४५१	२५५	१.८५
हैदराबाद . . .	२६,८१२	११.४३७	०.३२६	५६६.१७	३,२१२	७२६	२.७७

जम्मू और कश्मीर	६,४७६	१.४६६	०.०७०	२५३.४३	५,७४७	२७३	३.७५
मध्य भारत	१८,१५४	२.२८२	०.३६१	३४१ ६०	४,२६८	७३६	३ ५१
मध्य प्रदेश	७३,४३३	३ ४५६	०.५६४	१,४५२.३२	६,८३५	१,११५	५.३०
मद्रास	२,१६,६३८	५.६३४	३.३६५	६,८६४.१४	१८,८०२	१०,६६३	१५.२३
मैसूर	१,७६,२६६	१६.७५४	६ ०७६	६,३३३.८३	६६,७६४	२१,४७९	५५.६५
उड़ीसा	१०,३०४	० ६८६	०.१७१	६० ४१	६०५	१५०	०.४८
पेप्सू	६,७६६	१ ६३६	० ६७१	७० ७५	२,०२५	७०२	४.४८
पंजाब	७३,१८७	५ ७६०	१.६५८	१,६४५.४७	१५,३६०	५,२०५	६.६६
राजस्थान	३६,४७८	२ ३८६	०.२८०	६७०.३२	४,३८४	५१५	३.२४
सौराष्ट्र	२६,६७०	६.४४७	१ २४३	५०१.८२	१२,१३०	२,३३६	१०.१३
तिरुवांकुर-कोचीन	४२,१८६	४.५४६	४.६१४	१,६१० ७१	२०,५६०	२०,८६६	१६.४०
उत्तर-प्रदेश	२,११,८६८	३ ३५२	१.८६८	६,०७६.२४	६,६१२	५,३५८	७.७३
औसत	२३,०५,१६०	६.३७१	१.८१६	६६,६७१.८७	१८,५०८	५,२७५	१५.४७

तालिका ७१

विभिन्न देशों में बिजली का प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा जनसंख्या की सघनता (१९५३)

देश	क्षेत्र (हज़ार वर्ग मील में)	जन संख्या (लाख)	बिजली का उत्पादन (लाख किलोवाट घंटे)	प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन (किलोवाट घंटे)	जन-संख्या (प्रति वर्ग मील)
नार्वे	१२४	३३·५९	१,९१,४००	५,६९८	२७
कनाडा	३,७००	१४७·८१	६,५४,९१०	४,४३१	४
स्वीडन	१७३	७१·७१	२,२३,६३०	३,११९	४१
अमेरिका	३,७३८	१,५९६·२९	४४,२२,८४०	२,७७१	४३
स्विट्ज़रलैंड	१६	४८·७७	१,११,२७०	२,२८२	३०५
न्यूज़ीलैंड	१०३	२०·४७	३४,२७०	१,६७४	२०
आस्ट्रेलिया	२,९७५	८८·२९	१,२९,५२०	१,४६७	३
ब्रिटेन	९४	५०८·५७	६,५५,१२०क	१,२८८	५३५
फिनलैंड	११८	४१·४४	५२,५००	१,२६७	३५
बेलजियम	११	८७·७८	९८,०६०	१,११७	७४५
दक्षिणीअफ्रीका संघ	७९०	१३१·५३	१,३३,४५०	१,०१५	१७
आस्ट्रिया	३२	६९·५५ख	६८,२४०	९८१	२१५
फ्रांस	२१२	४२८·००	३,८९,२४०	९०९	२०१
इटली	११३	४७०·१५	३,१९,०८०	६७९	४१५
नीदरलैंड्स	१२	१०४·८८	७१,२००	६७९	८१४
जापान	१४७	८६७·००	५,५६,६८०	६४२	५८७
डेनमार्क	१६	४३·७२	२३,३८०	५३७	२६४
आयर्लैंड	२७	२९·४२	१२,४६०	४२४	१०९
स्पेन	१९६	२८५·२८	१,०१,१६०	३५५	१४५
चिली	२८५	६०·७२	१९,९२०	३२८	२१
अर्जेनटाइना	१,११३	१८३·७९	४९,२७०	२६८	१७
मैक्सिको	७६८	२८०·५३	५७,१८०	२०४	३६
ब्राज़ील	३,२७५	५५७·७२	३०,७९०	५५	१७
टर्की	२९४	२२४·६१ग	१०,९१०	४९	७६
भारत	१,२६९	३,६१८·४९	६६,९७०	१९	२८५

भारत में मुख्यतः खनिज तेल, कोयला और पानी से बिजली प्राप्त की जाती है। इनमें से खनिज तेल भारत में अपनी आवश्यकता का केवल ६ प्रतिशत पैदा होता है, इसलिए बिजली उत्पन्न करने के कार्य में उसका उपयोग अनुपयुक्त है। व्यवहार में बिजली के केवल उन्हीं छोटे कारखानों में खनिज तेलों का उपयोग किया जायेगा, जहाँ बिजली पैदा करने का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है।

क—उत्तरी आयर्लैण्ड को छोड़कर
ख—१९५२ के ही आँकड़े दुहराये गये हैं
ग—अक्तूबर तक के अनुमानित आँकड़े

भारत में कोयला काफी मात्रा में उपलब्ध होना है। उदाहरणार्थ धातुकर्म में प्रयुक्त होने वाले कोयले की मात्रा केवल २ अरब टन ही आँकी जाती है, इसलिए भारतीय कोयला क्षेत्र समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि ऊँचे दर्जे के कोकिंग कोयले का कम प्रयोग किया जाये। किंतु औद्योगिक दृष्टि से ससार के अन्य उन्नत देशों की तुलना में यह मात्रा अधिक नही है। इसी कारण बिजली के कारखानों तथा रेलवे इंजिन आदि चलाने के लिये घटिया दर्जे का कोयला बरता जाना चाहिए जिसकी मात्रा भारत की खानों में ४० अरब टन है। साथ ही कोयला कुछ ही राज्यों (बिहार, पश्चिम बंगाल, उडीसा, मध्य प्रदेश, हैदराबाद) में ही प्राप्त होता है। इसलिए स्वभावतः कोयले आदि के द्वारा बिजली पैदा करने वाले कारखानों का क्षेत्र इन्हीं राज्यों तक सीमित रह जाता है। उसे पंजाब या दक्षिणी भारत में ले जाने में काफी व्यय आता है, इसलिए वहाँ कोयले से बिजली पैदा करना बहुत महंगा पडेगा।

केन्द्रीय जल और बिजली आयोग ने हाल ही में भारत में प्राप्त होने वाली जल-विद्युत शक्ति के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ढंग से जाँच पडताल की है। अनुमान है कि यह आजकल ३ करोड किलोवाट है।

योजना के अन्तर्गत बिजली कार्यों का विकास

कुछ राज्यों के पहल करने का फल यह हुआ है कि देश में बिजली का विकास जोरशोर से हो रहा है। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से इसमें और भी उन्नति हुई है। पुरानी निजी कम्पनियो से पहले की अपेक्षा अधिक बिजली पैदा की जा रही है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्यों की सरकारें स्वयं बिजली उत्पन्न करने लगी हैं।

इस समय भारत के २४ राज्यो में ११५ विद्युत् विकास योजनाओं का कार्य जारी है या जारी किये जाने वाले है। उनमें से कुछ बहुमुखी नदी योजनाओं से सम्बद्ध हैं, जिनका जिक्र आगे चलकर किया गया है। तालिका ७२ में राज्यो के विद्युत कारखानों की वर्तमान क्षमता और उनके विकास का परिचय दिया गया है और तालिका ७३ में बताया गया है कि १९५६ तक इस सम्बन्ध में क्या स्थिति हो जायेगी।

तालिका ७२

संस्थापित क्षमता की अपेक्षित वृद्धि

(योजना काल में)

क्रम संख्या	राज्य	अप्रैल १९५१ में कुल संस्थापित विद्युत् क्षमता (लाख वाट)	मार्च १९५६ तक कुल अपेक्षित क्षमता (लाख वाट)
१	आन्ध्र	(मद्रास के अंतर्गत है)	८६२.०
२	आसाम	३३.६	३६.०
३	पश्चिम बंगाल	५,२२२ ९	५,५२६.०
४	बिहार	४४९ ८	२,०६५.०
५	बम्बई	४,१६१ ९	६,२३३.०

तालिका ७२ (क्रमशः)

६	केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र		
	(क) दिल्ली	३७५ ४	५२७ ०
	(ख) अन्य	६८.८	१६१.२
७	हैदराबाद	२१० ७	७९४.०
८	जम्मू और कश्मीर	६३ ०	९३ ०
९	मध्य भारत	१३६ ९	२८२.०
१०	मध्य प्रदेश	२७८.४	१,०२०.०
११	मद्रास	१,६८० ३	२,५८९.०
१२	मैसूर	१,०७२.०	१,७९२.०
१३	पेप्सू	६७ ४	नंगल से बिजली प्राप्त होने पर इन कारखानों के बंद किये जाने की आशा है
१४	उडीसा	४६ १	१०३ ०
१५	पंजाब	६१३ ८	१,६९३ ०
१६	राजस्थान	२४१ २	३६६ ०
१७	सौराष्ट्र	२१८ ९	३२९ ०
१८	तिरुवाकुर-कोचीन	३४५ ९	१,१४२.०
१९	उत्तर प्रदेश	१,८३८ ४	३,२३२ ०
	योग	१७,१२५ ४	२८,८४१ २

तालिका ७३

	१९५६ तक क्षमता (करोड वाट)	१९५९ तक योजनाओं के पूरा होने पर क्षमता (करोड वाट)
हाइड्रो	१०.५२	१८.४०
थरमल	१८.३३	२१.०९
योग	२८·८५	३९.४९

सिचाई

सिचाई का विकास

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, सिचाई के साधनों का क्या महत्त्व है तथा उनका कितना विकास हुआ है, इस सम्बन्ध में कृषि के अध्याय मे प्रकाश डाला जा चुका है। जब से

भारत का इतिहास आरम्भ होता है, तब से इस देश में सिंचाई के साधनो की विद्यमानता सिद्ध होती है। दक्षिण मे बड़े-बड़े तालाबो मे वर्षा का पानी एकत्र कर लिया जाता था और उत्तर में कुँओं तथा नदियो द्वारा खेती-बाड़ी को पानी दिया जाता था। भारत में नहरो का निर्माण बहुत प्राचीन काल ही में प्रारम्भ हो गया था। अंग्रेजी शासन काल में नहरो के विकास पर विशेष बल दिया गया। यद्यपि भारत मे सींची जाने वाली भूमि ससार के किसी भी अन्य देश से अधिक है, तथापि वह भारत की कुल कृषियोग्य भूमि का केवल पाँचवाँ भाग ही है।

भारत की नदियो मे प्रतिवर्ष लगभग १,३५,६०,००,००० घनफुट पानी बहता है जिसका लगभग ४९ प्रतिशत वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। इसमे से केवल ७,६०,००,००० घनफुट (अर्थात् कुल जल का ५.६ प्रतिशत) ही सिंचाई अथवा बिजली पैदा करने के काम मे प्रयुक्त होता है और शेष ९४.४ प्रतिशत पानी व्यर्थ बह जाता है, बल्कि इस पानी से बाढ आदि के रूप में कभी-कभी बहुत हानि भी पहुँचती है। वर्तमान बडे कार्यो की पूर्ति हो जाने पर भारत अपने कुल पानी का १३.६ प्रतिशत प्रयोग में लाने लगेगा।

भारतीय नदियो से सिंचाई के कार्य के लिये जितनी नहरें निकाली जा सकती थीं, वे लगभग पूरी मात्रा मे निकाल ली गई है। इस कारण अब यही सम्भव था कि वर्षा के दिनों का पानी बाँध बना कर वर्ष के बाकी दिनो के लिये एकत्र कर लिया जाये। इस उद्देश्य से आजकल उचित स्थानों पर बाँध बनाये जा रहे हैं। कुछ स्थानो पर सिंचाई के लिये पानी को वैज्ञानिक साधनो से ऊपर उठाना पड़ता है। यह तरीक़ा महगा तो अवश्य सिद्ध होता है, परन्तु वहाँ सिंचाई के लिये यही अकेला सम्भव साधन है। इसलिए ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। कुछ प्रदेशो में सिंचाई का काम नलकूप द्वारा ही किया जा रहा है। इस विशाल देश मे सिंचाई के छोटे साधनों यथा कुँओ, तालाबो आदि का भी बहुत अधिक महत्त्व है और सिंचाई के लिये जो योजनाएँ बनाई गई है, उनमे उन्हे यथेष्ट स्थान दिया गया है।

प्रशासन

१९०२ से पहले सिंचाई का काम, विशेष रूप से उसका आर्थिक पहलू एक केन्द्रीय विषय था। यद्यपि उसकी व्यवस्था प्रान्तीय सरकारो के सुपुर्द थी, तथापि सिंचाई के साधन बनाने पर व्यय भारत सरकार ही करती थी। मौण्टेग्यू-चम्सफोर्ड सुधारो के अनुसार सिंचाई एक प्रांतीय विषय बन गया। परन्तु तो भी सिंचाई के कार्य के लिये भारत सरकार राज्यो को काफी रुपया उधार देती रही और १९२६ मे इस कार्य के लिये एक केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड बनाया गया, जिसने भारत में जल विद्युत् की सम्भावनाओ के बारे में अपनी रिपोर्ट उपस्थित की। सिंचाई तथा बाढ़ आदि के नियन्त्रण के सम्बन्ध मे यह बोर्ड प्रान्तीय सरकारो को सलाह दिया करता था और सब तरह के अनुसन्धान तथा तालमेल आदि के कार्य भी इसी बोर्ड के सुपुर्द थे। अप्रैल १९३७ में भारत में प्रान्तीय स्वाधीनता की स्थापना के बाद सिंचाई पूर्ण रूप से एक प्रान्तीय विषय बन गया।

१९४५ में एक केन्द्रीय जलमार्ग, सिंचाई और जहाज़रानी आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुख्यतः उक्त बातो के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एकत्र करना था। इन विषयो के संगठन तथा निर्माण के कार्य भी इसी आयोग के सुपुर्द थे। हाल ही में यह आयोग केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में मिला दिया गया है।

पूना का केन्द्रीय जल शक्ति, सिचाई तथा जहाज़रानी अनुसन्धान केन्द्र भारत की सब से पुरानी सिचाई अनसन्धान सस्था है। इसकी स्थापना १९१६ मे की गई थी। १९२० मे पूना के निकट वहाँ हाइड्रो-डाइनमिक अनुसन्धान केन्द्र भी खोला गया। १९३४ मे यह सस्था खडक-वासला पहुँच गई। १९३७ मे यह केन्द्र भारत सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया। आजकल यह केन्द्र ८ भागों मे विभक्त है: (१) नहर हाईड्रोलिक्स, (२) जहाज़रानी, (३) नहर बनाने का सामान, सीमेन्ट, ककरीट आदि, (४) भूमि तथा भूमि की रचना, (५) एतद्विषयक गणित, (६) एतद्विषयक आँकडे, (७) एतद्विषयक भौतिक विज्ञान तथा (८) हाइड्रोलिक यंत्र।

कुछ राज्यो की अपनी अनुसन्धानशालाएं भी है। उदाहरण के लिय बम्बई, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मैसूर और हैदराबाद आदि। सिचाई का केन्द्रीय बोर्ड इन सब केन्द्रों के अनुसन्धान कार्य मे तालमेल और सहयोग उत्पन्न करता है।

नदी घाटी योजना-कार्य

भारत का आर्थिक विकास तथा खाद्य की कमी की समस्या का हल मुख्यत इस बात में है कि उसके बहुमुखी नदी घाटी योजना-कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। इन योजना-कार्यो को बहुमुखी इसलिए कहा जाता है कि इनमे एक साथ बहुत से लाभ होगे। इनके द्वारा सिचाई होगी, इससे कृषि की उपज तो बढ़ेगी ही, साथ ही इनके द्वारा बाढो पर नियत्रण भी किया जा सकेगा तथा बडे परिमाण मे जल-विद्युत् पैदा की जा सकेगी। इसके साथ ही बडी नहरो मे आन्तरिक यातायात का काम भी हो सकेगा। इन मुख्य लाभो के अतिरिक्त इन योजनाओ की पूर्ति मे जगल उत्पादन का कार्य, मछली उत्पादन कार्य, पीने के जल की प्राप्ति तथा जनता के मनोरजन के साधनो का भी विकास किया जा सकेगा। इन महान कार्यो की इसी महत्ता के कारण पचवर्षीय योजना के कार्यक्रम मे उन्हे सब से ऊंची प्राथमिकता दी गई है। इन कार्यो पर योजना के कुल बजट का एक तिहाई भाग खर्च किया जा रहा है। इनमे से कुछ कार्य इतने बडे होगे कि उनकी गणना ससार के सबसे बडी नदी-घाटी कार्यो मे की जायेगी।

भारत के जलमार्ग लगभग सम्पूर्ण देश मे एक समान बँटे हुये है। यह पता लगाया गया है कि १५ से २० वर्षो के बीच मे देश की सिचाई वाले क्षेत्र दुगुने किये जा सकते है। इससे न केवल अन्न की वर्तमान कमी दूर हो जायेगी, बल्कि देश की जनसख्या बढ जाने पर भी अन्न की कमी नही होगी। इन योजनाओ द्वारा भारत को सैकड़ो मील के जलमार्ग प्राप्त हो जायेगे तथा ३ करोड से ४ करोड किलोवाट बिजली मिलने लगेगी।

इस समय देश के विभिन्न भागो मे १५३ कार्यो का निर्माण जारी है। इनमे से केवल ६ ही बहुमुखी है। १०४ सिचाई के उद्देश्य से बनाये जा रहे है और ४३ जल विद्युत् प्राप्त करने के उद्देश्य से। इनमे से १२ को बडे कार्य कहा जा सकता है। इन १२ में से ६ बहुमखी है, ३ जल विद्युत् सम्बन्धी है और ३ सिचाई सम्बन्धी। इन १२ बडे कार्यों पर ४,३९,००,००,००० रुपये और शेष १४१ कार्यो पर १,५१,००,००,००० रुपये व्यय होगे। कुल मिला कर इन सब कार्यों पर ६,८०,००,००,००० रुपये व्यय होगे।

इनके अतिरिक्त १२२ अन्य कार्यों के सम्बन्ध मे प्रारम्भिक जाँच पड़ताल की जा चुकी है या की जा रही है। परन्तु धन की कमी के कारण उनका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इन १२२ कार्यों पर १३,१०,००,००,००० रुपये के व्यय का अनुमान है।

पंचवर्षीय योजना के अनुसार सिंचाई के १७३ कार्य किये जा रहे हैं, जिनसे ८५,३०,००० एकड नई भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और १० लाख किलोवाट नई जल विद्युत् प्राप्त होगी। क्रमशः इन कार्यों से १,६९,४०,००० एकड़ नई भूमि की सिंचाई होने लगेगी और १५ लाख किलोवाट नई जल विद्युत् मिलेगी। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तालिका ७४ देखिए—

तालिका ७४

पंचवर्षीय योजना में विद्युत् एवं सिंचाई कार्य

(व्यय और लाभ)

कार्य	१९५१–५६ में कुल व्यय (लाख रुपये)	सिंचाई से लाभ (हज़ार एकड) १९५५-५६ तक	सिंचाई से लाभ (हज़ार एकड) पूरा होने पर	विद्युत् से लाभ (हज़ार किलोवाट) १९५५–५६ तक	विद्युत् से लाभ (हज़ार किलोवाट) पूरा होने पर
बहूद्देशीय कार्य—					
भाखड़ा-नंगल	७,७५०	१,३६१	३,६०४	९६	१४४(क)
हारीके	१,०६२	—	—	—	—
दामोदर घाटी योजना	४,१७०	५९५	१,१४१	१९४	२७४
हीराकुड	४,४००	२६१	१,७८५	४८	१२३
उपरोक्त कार्यों के लिये अतिरिक्त निधियाँ	५,०००	—	—	—	—
नई योजनाएं (ख)	३,०००	—	—	—	—
योग	२५,३८२	२,२१७	६,५३०	३३८	५४१
भाग 'क' राज्य—					
आसाम	२८३	२१८	२१८	५	७
बिहार	१,६८२	६७५	७७७	११	११
बम्बई	३,२१२	४७४	८९३	८३	३२४
मध्य प्रदेश	९०८	११४	१८४	७३	७३
मद्रास	८,४३२	४३५	६०८	१९६	३८२
उड़ीसा	६९१	४८०	४८०	८	८
पंजाब	३६४	६६६	७७४	—	—
उत्तर प्रदेश	३,३२१	१,३६१	३,१८१	१०९	३६४
पश्चिम बंगाल	१,६१३	९१७	९१७	४	४
योग	२०,६०७	५,३४०	८,०३२	४८९	१,१७३

(क) केवल नंगल

(ख) नई योजनाओं में कोसी (खड १) कोयना (खंड १) कृष्णा, चंबल खंड १ और रिहद शामिल हैं।

तालिका ७४ (क्रमशः)

कार्य	१९५१–५६ में कुल व्यय	सिचाई मे लाभ (हज़ार एकड)		विद्युत् में लाभ (हज़ार किलोवाट)	
	(लाख रुपये)	१९५५–५६ तक	पूरा होने पर	१९५५–५६ तक	पूरा होने पर
भाग 'ख' राज्य					
हैदराबाद	२,८००	३०६	७३१	५३	५३
जम्मू और कश्मीर	३६०	७६	१६९	७	७
मध्य भारत	५५६	८३	१५२	१५	८८
मैसूर	१,९८४	३०	२५०	७२	१२०
पेप्सू	६५	—	१२९	—	—
राजस्थान	५४५	२४३	५२३	११	३२
सौराष्ट्र	६८८	१०८	१२०	१२	१२
तिरुवांकुर कोचीन	१,५१३	१७	१६८	८१	१३४
योग	८,५११	८६३	२,२४२	२५१	४४६
भाग 'ग' राज्य					
अजमेर	११	—	—	—	—
भोपाल	२८	—	—	५	५
कुर्ग	२५	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	९३	७५	१००	१	१
कच्छ	११४	३८	३८	—	६
त्रिपुरा	७	—	—	—	—
मणिपुर	१२	—	—	—	—
विन्ध्य प्रदेश	५१	—	—	३	३
योग	३४१	११३	१३८	९	१५
कुल योग	५५,८४१	८,५३३	१६,९४२	१,०८७	२,१७५

कुछ बड़े योजना कार्य

भाखड़ा-नंगल कार्य

यह भारत का एक सबसे बड़ा विविध उद्देश्ययुक्त कार्य है । इसका निर्माण १९४६ में आरम्भ हुआ था । इसके निम्नलिखित भाग हैं: (१) पजाब के अम्बाला जिले में रोपड़ से ५० मील ऊपर सतलुज के आर पार भाखड़ा बाँध; (२) नंगल बाँध, (३) नंगल नहर, (४) गगूवाल और कोटला मे दो नगल बिजलीघर, और (५) भाखडा नहर पूरी होने पर इस कार्य द्वारा ३६ लाख एकड़ भूमि की सिचाई पजाब, पेप्सू और राजस्थान में होगी और १,४४,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी जो उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त दिल्ली को भी दी जायेगी ।

पंजाब मे नगल बाँध, नहर-नियामक, नगल हाइडेल चैनेल और भाखडा नहरो की खुदाई पूरी हो चुकी है । नहरो का उद्घाटन प्रधान मत्री द्वारा ८ जुलाई १९५४ को हुआ । राजस्थान और पेप्सू मे नहरो की खुदाई जारी है । भाखडा बाँध पर दाई और बाँई ओर पानी के बहाव को घुमाने वाले रास्तों पर काम हो चुका है । बाँध की नीव की एक तिहाई खुदाई हो चुकी है । गगूवाल बिजलीघर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा २ जनवरी, १९५५ को हो चुका है और आशा की जाती है कि १९५५ के अन्त तक कोटला बिजलीघर चालू हो जायेगा ।

हीराकुड बाँध कार्य

इस कार्य द्वारा महानदी को बाँधा जायेगा और इससे १८ लाख एकड जमीन की सिचाई हो सकेगी । बाँध पर बनाये गये बिजली घर की संस्थापित आरम्भिक क्षमता १,२३,००० किलोवाट होगी । यह बाँध (१५ हजार फुट लम्बा) दुनिया का सबसे लम्बा बाँध होगा और ६७.५ लाख घनफुट पानी को इकट्ठा करेगा । एकत्रित जल से २५० वर्ग मील की झील बन जायेगी । सशोधित अनुमानो के अनुसार इस पर ९२ करोड रुपय खर्च आयेगा । काम काफी आगे बढ चुका है । १९५३–५४ मे बाये बाँध के लिये ११५ लाख घनफुट और दाये बाँध के लिये ७२ लाख घनफुट ककरीट और दीवाले आदि खडी कर दी गई है । ६५ प्रतिशत काम बाँये बाँध पर और ३५ प्रतिशत दाये पर पूरा हो चुका है । मिट्टी के बाँध पर कुल ४३.२४ करोड़ घन फुट मिट्टी मे से २२ करोड़ घन फुट मिट्टी भरी जा चुकी है । बाँये व दायें डाइको पर क्रमश ७१ प्रतिशत और ५४ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है । १९५७–५८ तक बिजलीघर बन जायेगा ।

दामोदर घाटी कार्य

इस बहुद्देशीय कार्य का लक्ष्य भयकर दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियो को वश मे करना है जो हर साल अपने किनारे तोड देती है और बिहार और बंगाल के बडे हिस्से मे तबाही फैलाती है । कार्य के पूरे होने मे कई साल लग जायेंगे, और उसके अन्तर्गत ८ जलाशय होंगे जिनसे बिजलीघर सम्बद्ध होंगे, २,००,००० किलोवाट का एक विशाल थर्मल शक्ति केन्द्र होगा, एक व्यापक शक्ति संचार ग्रिड होगा, और एक सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया बाँध होगा जिससे नहरे व शाखाएं निकाली जायेंगी । पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत पहाडी मे चार बाँध बनाये जाये जिनसे सम्बद्ध १,०४,००० किलोवाट संस्थापित क्षमता का बिजली घर हो, दुर्गापुर मे एक बाँध हो जिससे सिचाई और नौकानयन के लिये नहरे निकाली जाये, और २,००,००० किलोवाट संस्थापित क्षमता का एक थर्मल शक्ति केन्द्र बोकारो मे स्थापित हो ।

ककरीट का बना हुआ तिलैया बाँध ११२ फुट ऊँचा और १,१४७ फुट लम्बा है जो बराकर नदी के आरपार बनाया गया है । यह निश्चित समय मे, १९५२ के मानसून के अन्त तक तैयार हो गया था । २१ फरवरी, १९५३ को प्रधान मंत्री ने इसका विधिवत् उद्घाटन किया । २६ वर्गमील के इसके जलाशय द्वारा २४,००० एकड़ खरीफ की और ७५,००० एकड रबी की फसल की सिचाई होगी । बोकारो थर्मल शक्ति केन्द्र उसी दिन खोला गया जिस दिन तिलैया बाँध । उसकी संस्थापित क्षमता ५०,००० किलोवाट है—जो अन्तत. बढ कर २,००,००० किलोवाट हो जायेगी । तिलैया जल-विद्युत केन्द्र का व्यावसायिक उपयोग फरवरी १९५३ से होने लगा था जब कि २,००० किलोवाट के दो सेटों को चालू किया गया था । इससे कोडरमा और हजारीबाग की अभ्रक की खानों और गया को बिजली की आवश्यकता पूरी होगी ।

कोनार बाँध में नदी के आर पार ककरीट मे बना एक हिस्सा है जिसके दोनो ओर मिट्टी के बाँध है। यह मई, १९५४ में पूरा हो गया था। बोकारो थर्मल प्लान्ट को ठंडा करने के लिय यहाँ मे पानी मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से १,०४,००० एकड भूमि की सिचाई भी होगी। अन्ततः यहाँ ४०,००० किलोवाट संस्थापित क्षमता का एक भूगर्भस्थित बिजलीघर बाँध के ठीक नीचे बनाया जायेगा।

बराकर नदी पर मैथन बाँध उन दो प्रमुख बाँधो मे से एक है जिन्हें दामोदर घाटी के निचले भाग मे बाढो के नियत्रण व सिचाई के लिये बनाया जाना था। इससे ११ लाख घन फुट पानी एकत्र किया जायेगा और बाँध के निकट भूगर्भस्थित बिजलीघर की संस्थापित क्षमता ६०,००० किलोवाट होगी। मिट्टी के बाँध का दो तिहाई हिस्सा बनकर तैयार हो गया है।

पंचेत पहाडी पर चार बाँधो मे से सबसे बडे बाँध पर काम हो रहा है। मुख्यतः इसे बाढ़-नियंत्रणों के लिये तैयार करने की बात सोची गई थी। यह १२ लाख घन फुट पानी भी एकत्र करेगा। बाँध के निकट ४०,००० किलोवाट क्षमता का एक जल विद्युत् केन्द्र भी बनेगा।

पश्चिम बगाल मे दुर्गापुर नामक स्थान पर एक २,२७१ फुट लम्बा और ८८ फुट ऊँचा बाँध बन रहा है। नहरों व सहायक नहरो द्वारा इससे १० लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिचाई होगी। १,५५२ मील में से लगभग ८५ मील लम्बी नहरें नौका-नयन के योग्य होंगी और कलकत्ता तथा कोयला खानो के बीच परिवहन का एक अन्य साधन बनेगी।

तुंगभद्रा कार्य

यह बहूद्देश्यीय कार्य हैदराबाद, आन्ध्र और मैसूर राज्यो द्वारा सम्मिलित रूप से पूरा किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ७,९४२ फुट लम्बा और १६० फुट ऊँचा एक बाँध है, नहरें हैं और बाँध के दोनो ओर बिजली घर है।

१ जुलाई, १९५३ को बाँध का उद्घाटन हुआ। जलाशय मे जो १३३ वर्गमील मे फैला है, अन्ततः ३० लाख घनफुट पानी जमा होगा। दोनो ओर की दो नहरो से आन्ध्र और मैसूर राज्यो मे २,५०,००० एकड भूमि की सिचाई होगी और हैदराबाद मे ४,५०,००० एकड़ भूमि की। आन्ध्र-मैसूर की ओर दो बिजलीघर होगे —एक बाँध के नीचे की ओर और दूसरा २१५ मील लम्बी नहर के अन्त मे, भूखामागरम् पर। आरम्भ मे दोनों ही बिजलीघरो मे ९,००० किलोवाट क्षमता के उत्पादक यन्त्र होगे। हैदराबाद की ओर बाँध के नीचे एक जल-विद्युत केन्द्र बनाया जायेगा, जहाँ पहले-पहल ७,५०० किलोवाट क्षमता के तीन उत्पादक यत्र लगाये जायेगे।

ककरापारा कार्य

बम्बई सरकार द्वारा निर्मित इस कार्य को ताप्ती घाटी के विकास का प्रथम चरण समझना चाहिए। सूरत से ५० मील ऊपर ककरापारा के निकट चट्टानी नदी तल पर २,१७५ फुट लम्बा और ८५१ फुट ऊँचा बाँध २९ जून, १९५३ को बनकर पूरा हो चुका था। इससे सूरत जिले के ६,५२,००० एकड की सिचाई हो सकेगी।

मचकण्ड कार्य

इस जल-विद्युत् कार्य का उद्देश्य मचकुण्ड नदी के जल को उपयोग मे लाना है। यह उडीसा और आन्ध्र के बीच सीमा की नदी है। जलालपुर में मचकुण्ड पर एक १३४ फट ऊँचा और १,३०० फुट लम्बा बाँध बनाया गया है जिससे ५,८८,००० घनफट पानी

जमा होगा। तीन बिजली उत्पादक यन्त्र लगाये जायेंगे जिनमें से प्रत्येक १७,२५० किलोवाट क्षमता का होगा। बाद को कुल १,०२,००० किलोवाट क्षमता के तीन और उत्पादक यंत्र लगाये जायेंगे। इस कार्य पर ८.१४ करोड़ रुपया खर्च होगा और कई चरणों में यह पूरा होगा। मचकुण्ड की बिजली के वितरण के लिये दुदुमा ट्रान्समिशन स्कीम प्रगति कर रही है।

मयूराक्षी कार्य

यह महत्त्वपूर्ण कार्य पश्चिम बंगाल द्वारा उठाया गया है। यह मुख्यतः सिंचाई कार्य है। यद्यपि इसमें ६,००० किलोवाट का एक बिजली उत्पादक यंत्र भी लगेगा। बिजली बंगाल में वीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों को और बिहार में संथाल परगना को दी जायेगी। १९५१ में इस कार्य का प्रथम चरण पूरा हो गया। उस वर्ष पश्चिम बंगाल में सूरी के निकट तिरपाला में एक प्रवाह मोड़ने वाला बाँध बनाया गया। दोनों ओर की दो नहरों से ६,००,००० एकड़ की सिंचाई होगी। मयूराक्षी पर एक जलाशय बाँध बनेगा जिसमें ५,००,००० घन फुट पानी जमा होगा और रबी की फसल के लगभग एक लाख एकड़ की सिंचाई होगी।

सिंचाई और बिजली कार्यों की प्रगति

मोटे तौर पर पंचवर्षीय योजना में वे कार्य भी शामिल हैं जिन पर योजना काल से पहले काफी खर्च हो चुका था। योजना काल में कुल खर्च ५५८ करोड़ रुपये होगा जिसमें ४३० करोड़ रु० बड़े और बहूद्देश्यीय कार्यों पर और १२८ करोड़ रु० बिजली उत्पादन कार्यों पर खर्च होगा। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुछ नये कार्य भी शामिल हैं जिन पर योजना-काल में ६५ करोड़ रुपया खर्च होगा। इनमें से ४० करोड़ रुपया उन सिंचाई-कार्यों पर खर्च होगा जो अभावग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की स्थायी व्यवस्था के लिये बनाये जायेंगे।

योजना में सिंचाई और बिजली कार्यों का दीर्घकालीन उद्देश्य है सिंचाई के क्षेत्र को १५ से २० साल तक दूना कर देना। बिजली का उत्पादन प्रायः ७० लाख किलोवाट हो जायेगा। तात्कालिक कार्यक्रम द्वारा ८५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी और ११ लाख किलोवाट अधिक बिजली तैयार होगी। मार्च, १९५४ तक योजना के अन्तर्गत बड़ी सिंचाई योजनाओं की पूर्ति हो चुकी है। २८ लाख एकड़ से अधिक सिंचाई का क्षेत्र बढ़ चुका है, और लगभग ४,५०,००० किलोवाट बिजली।

सहायक ग्रन्थ सूची

१. केन्द्रीय जल और बिजली आयोग (बिजली शाखा)
सिंचाई और बिजली मन्त्रालय.
   (१) भारत में बिजली शक्ति विकास की योजना—सूचना पुस्तिका
   (२) सार्वजनिक बिजली उपलब्धि—अखिल भारतीय आँकड़े, १९५३

२. योजना आयोग, भारत सरकार:
   (१) प्रथम पंचवर्षीय योजना
   (२) पंचवर्षीय योजना : प्रगति की रिपोर्ट . १९५३--५४

३. पब्लिकेशन्स डिवीजन, सूचना और प्रसार मन्त्रालय:
   (१) बिजली और सिंचाई के लिये आयोजन

४. सिंचाई और बिजली मन्त्रालय : रिपोर्ट, १९५३-५४

अठारहवाँ अध्याय

उद्योग और वाणिज्य

उद्योग

१९५३ के औद्योगिक उत्पादन के आँकड़ों के अनुसार, १९५३ मे उत्पादन १३५.२ था जो महायुद्ध के बाद के वर्षो मे अधिकतम था जैसा कि नीचे दिये आँकडो मे स्पष्ट होता है।

तालिका ७५

(आधार : १९४६ = १००)

वर्ष	औद्योगिक उत्पादन का वार्षिक देशनाक	औद्योगिक उत्पादन का त्रैमासिक देशनाक		
		तिमाही	१९५२–५३	१९५३–५४
१९४७ .	९७.२	१	१२६ ७	१३५.५
१९४८ .	१०८ ४	२	१२८ २	१३४.९
१९४९ . .	१०५.७	३	१३३.६	१३७.५
१९५० .	१०५ ०	४	१३२.८	१३७.३
१९५१ . .	११७ २	—	—	—
१९५२ . .	१२८ ९	—	—	—
१९५३ . .	१३५.२	—	—	—

१९५० से औद्योगिक उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि होती रही है। दिसम्बर, १९५३ में औद्योगिक उत्पादन के देशनाङ्क की संख्या १४४.७ तक पहुँच गई थी जो दिसम्बर, १९५२ के मुकाबले ८.४ प्रतिशत अधिक थी। कपडे और नमक उत्पादन में नया रिकार्ड स्थापित हुआ और इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ। अन्य वस्तुओ के उत्पादन के साथ-साथ इंजीनियरिंग तथा रासायनिक उद्योगों के क्षेत्र में भी सन्तोषजनक प्रगति हुई। चीनी, पटसन की बनी वस्तुएँ, कोयला और इस्पात जैसे उद्योगो में उत्पादन मे कमी हुई किन्तु मशीन के औज़ारो, कागज और कागज़ से बने बोर्डो का उत्पादन १९५२ के उत्पादन के लगभग बराबर ही रहा। कई अन्य उद्योगों में अभी भी विकास और उत्पादन में वृद्धि की गुंजाइश है।

सीमेण्ट के उत्पादन के आँकडे १९५३ में ३.८ लाख टन तक पहुँच गये थे जबकि १९५२ में वे केवल ३.५ लाख टन थे। तैयार इस्पात के उत्पादन मे कमी हुई: १९५२ में जहाँ उत्पादन ११ लाख टन था वहाँ १९५३ में इसका उत्पादन १० लाख टन हुआ। यह कमी मुख्यतः बर्नपुर स्थित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में 'धीरे काम करो' हड़ताल के कारण हुई जिसके फलस्वरूप बाद मे कारखाने मे तालाबन्दी हो गयी थी। कोयले का उत्पादन ३ करोड़ ६२ लाख टन की अपेक्षा ३ करोड़ ५८ लाख टन हो गया। इसका मुख्य कारण विदेशों मे कोयले के माग की

कमी थी। ऐसा होने का एक कारण दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और चीन के साथ तीव्र प्रतियोगिता का होना था।

इंजीनियरिंग उद्योगो मे कई नयी वस्तुओं, जैसे साइकिलो के मिलिण्डर लाइनर (ड्राई), फ्री व्हील और चेन, मिट्टी के तेल मे चालित रेफ्रिजरेटर आदि का उत्पादन आरम्भ हुआ। जहाँ बिजली के मोटर और पावर ट्रान्सफार्मरो के उत्पादन मे वृद्धि हुई वहाँ मशीनी औजारों और डीजल इंजिनो के उत्पादन मे कमी हुई। गंधक की कमी दूर हो जाने के कारण रासायनिक पदार्थों और इससे सम्बन्धित अन्य उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि हुई जिसमे अमोनियम सल्फेट सोडा ऐश, द्रव क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, रंगसाजी के सामान और शीशे की चादरे मुख्य है।

१९५३ मे कपडे और धागे का उत्पादन क्रमश ६८,९१० लाख गज और १५,०५० लाख पौण्ड हुआ जहाँ १९५२ मे इसका उत्पादन क्रमशः ६५,९८० लाख गज और १४,५०० लाख पौण्ड था। इसके फलस्वरूप १० जुलाई, १९५३ मे सूती कपडो पर लगे नियत्रण पूर्णरूप से हटा लिये गये। कपडे का उत्पादन न केवल ४७,००० लाख गज के निर्धारित लक्ष्य को पार कर गया बल्कि १९४४ के ६८,५२० लाख गज के अधिकतम उत्पादन मे भी बढ गया। सूती कपडा मिलो के भडार मे अधिक कपडा एकत्रित होने के कारण १९५३ के शेष काल में सुपर फाइन कपडे पर से ३ आने ३ पाई के कर को घटा कर २ आने प्रति गज कर दिया गया और निर्यात होने वाले मीडियम श्रेणी के कपडे पर मूल्यत लगने वाले १० प्रतिशत निर्यात कर को उठा लिया गया। कपडा निर्यात करने के लिये विदेशो मे मगाई गयी रूई पर लगे आयात कर मे रियायत दी गयी। १९५२ की अपेक्षा १९५३ मे पटसन की बनी वस्तुओ के उत्पादन मे ८.७ प्रतिशत की कमी मुख्यत. विदेशी बाजारो मे इन वस्तुओं की माग कम हो जाने के कारण थी। फरवरी, १९५३ मे बोरो पर से निर्यात कर १७५ रुपया प्रति टन से घटा कर ८० रुपया प्रति टन कर दिया गया और पटसन के विशेष उत्पादनो पर लगे निर्यात कर को १६ जुलाई, १९५३ मे हटा लिया गया। सितम्बर, १९५३ मे पटसन से बने टाटो पर से निर्यात कर २७५ रुपये प्रति टन से घटा कर १२० रुपये प्रति टन कर दिया गया। पटसन जाँच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो मई, १९५४ मे संसद् मे पेश की गई थी यह सुझाव दिया गया है कि पटसन उद्योग मे बचत की क्षमता होने के कारण वैज्ञानिकन की गुजाइश है।

उपभोक्ता सामान के उद्योग मे नमक, ऊनी सामान, हरिकेन लालटेन, बिजली के पंखे, सिलाई की मशीन और साइकिल के उद्योग मे वृद्धि हुई है। नमक का उत्पादन १९५२ में ७६९ लाख मन था जो १९५३ मे बढ कर ८६३ लाख मन हो गया। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्य से २६ लाख मन अधिक था। साइकिलो का उत्पादन १९५२ में १,९६,९५६ था जो १९५३ मे बढ़ कर २,६४,१६८ हो गया।

१९४८ मे भारत में साल भर चलने वाले १३,१२० और केवल विशेष मौसम मे चलने वाले २,७८६ कारखाने थे। इन दोनो के द्वारा प्राप्त आय की रक़म सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का ६.६ प्रतिशत थी। उत्पादन के आँकडो के अनुसार २९ उद्योग समूहो में उत्पादन के लिये लगी हुई कुल पूजी ४८३ करोड़ रुपये थी जिसमें से १९६ करोड़ रुपया नियत पूजी तथा २८७ करोड़ रुपये चालू पूजी थी। उपरोक्त आँकड़ो में जिनकी गणना नही की गई है ऐसे उद्योगों के लिये गुंजाइश छोड़ कर कुल मिलाकर भारतीय उद्योगों मे उत्पादन के लिये लगी हुई पूंजी

६५० करोड़ रुपये थी। कुल मिलाकर कारखानों में लगभग २५ लाख श्रमिक काम करते थे। औद्योगिक दृष्टि से विश्व के सबसे अधिक उन्नत राष्ट्रों में भारत ने इसी वर्ष आठवाँ स्थान पाया।

रूई और पटसन उद्योग

सूती कपडा और पटसन, यह दोनो उद्योग देश के प्राचीन और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उद्योग हैं। यद्यपि भारत मे सूती कपडे का पहला कारखाना कलकत्ते मे १८१८ मे स्थापित किया गया था तथापि बम्बई में १८५४ मे इस उद्योग का वास्तविक प्रारम्भ हुआ जिसमें पूंजी और उद्यम अधिकतर भारतीय था। १८३५ मे विदेशी पूजी और उद्यम द्वारा कलकत्ता में पटसन का कारखाना स्थापित किया गया। पचास वर्षों में इन उद्योगों ने जो प्रगति की, उसका ब्योरा नीचे दियेगये आँकडों से मिलता है :

तालिका ७६

सूती वस्त्र उद्योग का विकास

वर्ष	मिलों की संख्या	तकुओं की संख्या (हजारों मे)	करघों की संख्या (हजारों मे)	उत्पादन (लाख पौंड मे)	
				सूत	पीस गुड्स
१९०१ .	१७८	४,८४१	४० ५	५,७३०	१,२००
१९११	२३३	६,०९५	८५.८	६,२५०	२,६७०
१९२१ .	२४९	७,२७८	१३३.५	६,९४०	८,०३०
१९३१ .	३१४	९,,०७८	१७५ २	९,६६०	६,७२०
१९४१ .	३९६	१०,०२६	२००.२	१५,७७०	१०,९३०
१९५१ .	४८५	११,२४१	२०१.५	१३,०४०	४०,७६० (लाख गज)

तालिका ७७

पटसन उद्योग का विकास

वर्ष	मिलो की संख्या	अधिकृत पूजी (करोड रुपयो मे)	करघों की सख्या (हजारों मे)	तकुओ की संख्या (हजारों मे)
१८७९-८०से १८८३-८४ तक (औसत)	२१	२.७१	५.५	८८
१८९९-१९०० से १९०३-४तक	३६	६.८०	१६.२	३३५
१९०९-१० मे १९१३-१४ तक (औसत)	६०	१२.०९	३३.५	६९२
१९२५-२६ . .	९०	२१ ३५	५०.५	१,०६४
१९३०-३१ . .	१००	२३ ६१	६१.८	१,२२५
१९३७-३८ . .	१०५	२४.८९	५२.४	१,१०८
१९५१ . .	१०६	—	—	—

सूती कपडा और पटसन यही दो प्रधान उद्योग थे जो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व वास्तव में अधिक उन्नत थे। विश्व-युद्ध से औद्योगिक विकास को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला। १९२२ मे भारतीय राजकोषीय आयोग के सुझावो के आधार पर सरक्षण देने की नीति अपनाई गई। इससे भारतीय उद्योग धधो के विकास मे बडी सहायता मिली। १९२२ से १९३९ तक के समय मे सूती पोपलगुड्स का उत्पादन दुगुने से अधिक हो गया था। इस्पात के इग्गट का उत्पादन आठ गुना अधिक हुआ और कागज का उत्पादन ढाई गुना बढा। सरक्षण मिलने के कारण १९३२ से ३६ तक के काल मे चीनी का उत्पादन इतना बढ गया कि देश चीनी के मामले मे आत्मनिर्भर हो गया। लगभग इसी समय सीमेण्ट उद्योग भी उन्नति करने लगा और १९३५–३६ तक यह उद्योग देश की सीमेण्ट सम्बन्धी ९५ प्रतिशत आवश्यकताओ की पूर्ति करने के योग्य हो गया। इसी प्रकार से दियासलाई, शीशा, वनस्पति, साबुन, तथा कई इजीनियरिंग उद्योगो मे अभिवृद्धि हुई। बिजली के सामान का भी एक उद्योग आरम्भ किया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा ऐसी उपयुक्त स्थिति पैदा हो गयी जिससे भारतीय उद्योगो की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना सम्भव हो गया। इस काल मे अनेक नये उद्योगो का जन्म हुआ। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त इसमे लोहे मे मिले द्रव्य, डीजल इजिन, पम्प, साइकिल, सिलाई की मशीने, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और सुपर फॉस्फट का उत्पादन हुआ। मशीनो के पुर्जे, साधारण मशीनरी, कटलरी ओर औषधि बनाने के यंत्रो का भी उत्पादन आरम्भ हुआ। विश्व युद्ध के कुछ ही समय बाद कुछ नये उद्योग बढे। इनका सम्बन्ध बॉल और रोलर बियरिंग, कार्डिंग इंजिन, रिंग फ्रेम, और रेल के इजिनो से था। खाद, सीमेण्ट, शीशे की चादरे, कास्टिक सोडा और गधक के तेजाब के उद्योगो को विकसित किया गया।

कुछ समय पहले तक भारत मे औद्योगिक विकास मे उपभोक्ता सामग्री पैदा करने वाले उद्योगों को अधिक महत्त्व दिया जाता था जिसके फलस्वरूप मूलभूत पूजीगत माल को पैदा करने वाले उद्योगो मे अधिक वृद्धि नही हुई। उपभोक्ता माल का उत्पादन—जैसे सूती कपडे, चीनी, साबुन, दियासलाई और नमक देश की वर्तमान घरेलू आवश्यकताओ को पूरा करने के लिये पर्याप्त है। पूजीगत माल को पैदा करने वाले उद्योगो और ऐसे उद्योगो की—जो मध्यवर्ती माल तैयार करते है—प्राप्य क्षमता देश की वर्तमान आवश्यकताओ के लिये भी बिल्कुल अपर्याप्त है। लोहा और इस्पात का उत्पादन देश की वर्तमान आवश्यकता का ५० प्रतिशत है। अल्युमिनियम, फेरो एलॉय, कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश, रासायनिक खाद और पैट्रोलियम की पूर्ति हमारी आवश्यकता से बहुत कम है। बडे-बड़े यन्त्र और मशीन (जिनमे सूती कपडा, मिल की मशीनें भी है) सिन्थेटिक ड्रग्स, एन्टी बॉयोटिक्स, रंगसाजी के सामान और रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में अब तक बहुत थोड़े परिमाण मे ही कार्य प्रारम्भ हो सका है। तालिका ७८ में १९४७ के बाद से भारत के कुछ मुख्य उद्योगों के उत्पादन के आँकड़े दिये गये है।

तालिका

कुछ चुने हुए उद्योगों

(आधार:

उद्योग	आँकड़े		
	१९४७	१९४८	१९४९
१ सूती कपडा	९६ २	११० ५	९९ ९
२ सूत	९४ ८	१०५.९	९९ ४
३ पटसन का सामन बनाने वाले (अ)	९६.६	१००.२	८४.८
४ ऊन का सामान बनाने वाले	८८.९	७४.१	८७.८
५ कोयला	१०३ ९	१०३ २	१०८ ९
६ फौलाद (आ)	९७ १	९७.१	१०४ ६
७ सीमेण्ट	९३ ९	१००.७	१३६ ३
८ चीनी(इ)	९७ ६	११६ ५	१०८ ५
९ लोह रहित धातुएं (ई)	९६ ७	९५ ५	१०३ ४
१० ट्राई मैल	९९ ९	१४० ८	१७३ ०
११ मशीन टूल	५० ३	६० ०	५१ ८
१२ बिजली के मोटर	८२.८	१३० ७	१४८ ४
१३ रिफ्रेक्टरीज	११२ ०	१२० ८	१३३ १
१४ बिजली के पखे	१४४ ९	१६३ ०	१६२ १
१५ लालटेनें	१९३.६	२०८ ३	३६७ ७
१६ स्टोरेज बैटरी	२५८ ३	४०५ ९	३९५.२
१७ पावर ट्रामफार्मर	८२ १	२१० ३	२७९ ०
१८ डीजेल इजिन	१४४ ८	२१६ ७	४३८ ९
१९ गन्धकाम्ल	१०० ०	१३३ ३	१६५.८
२० अमोनियम सल्फेट	९४ ७	१५६ ८	२०४.५
२१ सोडा एश	११३ ५	२८२ ९	१४९.३
२२ कागज और गत्ता	८७ ८	९२.४	९७ ४
२३ दियासलाई	११३.०	१२९ ४	१२७ ८
२४ पेण्ट्स और वार्निश	१०० ५	९३ ०	८०.५
२५ प्लाईवुड	५८ ३	९१ ४	८१.०

(अ) जनवरी, १९४९ के बाद के आँकडे उन मिलों के उत्पादन के लिये है जो इण्डियन

(आ) इन्गाट्स और कास्टिंग ।

(इ) ६०-६० सलाई वाले ५० ग्रुस बक्से ।

७८
के उत्पादन आंकड़े
१९४६–१००)

(महीनों का औसत)				१९५३ में असली उत्पादन	
१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	इकाई	
९३ ८	१०४.३	११७.७	१२४ ९	लाख गज	४८,९१०
८५.९	९५.४	१०६.०	११० १	लाख पौण्ड	१५,०५०
७६ ८	८० ४	८७.४	७९ ८	हजार टन	८६९
६६ ९	६५ ५	६१.४	७१ ३	लाख पौण्ड	१९२.५
११० ८	११८ ८	१२५.४	१२४ १	हजार टन	३५,८६४
१११ २	११६ ०	१२२ ०	११६ ५	लाख टन	१५
१६९ ५	२०७ २	२२९.३	२४५ १	हजार टन	३,७८०
१०५.८	१२० ८	१६१ ९	१३९ ९	हजार टन	१,२९१
१०६ ९	११४.४	१०० ९	९० ५	टन	८ ६७८
१५७.१	१६२.६	१४८ ०	१६८ ७	लाख	१,४८४
२९.२	५१ ८	४८ ६	४८ ३	हजार रुपयों मे मूल्य	४,४०८
१७८ २	३११.१	३४३.४	३५४.२	हजार हॉर्स पावर	१६३ २
१५०.७	१५१.७	१५५.६	१४५ ६	हजार टन	२२८
१७५ ४	१९२.५	१७७ १	१८७ ६	हजार	२०८
५९७.२	८४६.१	७४९ ६	०१७ ५	हजार	४,३१३
६९० ४	७८४.५	५८४ १	६४९ ४	हजार	१७६
४४० ८	५०० ३	५५० ८	७९० ५	हजार के० वी० ए०	३०८
९७१.७	१,५३१ ९	८९७ ९	७८५ ६	सख्या	३,७२०
१७० ८	१७८ २	१६०.१	१८१.८	हजार टन	१०९ १
२१०.६	२३४.७	९८० ९	१,४२३.१	हजार टन	३२०
३६४.९	३९६ १	३६९ ४	४७३ ९	हजार टन	५७
१०२.७	१२४.४	१२९ ७	१३० ६	हजार टन	१३८.४
१२७ ०	१४० २	१४७ ६	१४३ ३	हजार बक्से (उ)	५९०
७२.८	८७ २	८३ ८	८३ ५	हजार टन	३२
८५.४	१२०.५	१५४ ०	१०४.१	हजार वर्ग फुट	६१,२००

जूट मिल्स एसोसियेशन की सदस्य हैं और एक ऐसी मिल के लिये भी है जो सदस्य नही है।

(इ) आंकडे नवम्बर मे अक्तूबर तक के फसल-वर्ष के लिये है और केवल गन्ने की चीनी के लिये हैं।

(ई) अल्युमिनियम और तांबा (शुद्ध धातुएं)।

बागान उद्योग

चाय, कहवा, रबड के पेडो के बागान मुख्य रूप मे भारत के उत्तर-पूर्व मे और दक्षिण-पश्चिमी घाटों पर है और देश के कुल उपजाऊ भूमि के ०·४ प्रतिशत मे भी कम भाग पर है। इनके उत्पादन से १० लाख परिवारो को रोजी मिलती है और भारत का इनके निर्यात मे लगभग ८० करोड रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आय है जिसमे केवल चाय से ही ७८ करोड रुपये की आय है। कहवा और रबड की जिनको किसी समय मे मुख्य रूप से विदेशों मे भेजा जाता था अब अधिकतर खपत देश मे ही हो जाती है। वास्तव मे १२० लाख पौड रबड़१९५०–५१ में विदेशों से मंगाया गया। रबड के बागानो के विकास से सम्बन्धित समिति ने इस उद्योग को अधिक स्थिर करने और इसके पुनर्संस्थापना और विकास के लिये एक १५ साला योजना बनायी है। विगत वर्षो मे इन तीनो बागान उद्योगो के उत्पादन और इनके उपजाऊ क्षेत्र का विवरण निम्नलिखित तालिका मे दिया गया है.—

तालिका ७९

फसल	जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार एकडो मे)	उत्पादन
चाय . . .	—	६,०८० लाख पौण्ड
कहवा .	२३५	२३.५ हजार टन
रबड . .	१७३	२१.० हजार टन

१९५२ के भीषण सकट के बाद चाय उद्योग मे सतोषजनक प्रगति हुई जिसका मूल कारण संसार के बाजारो मे वृद्धि, चाय के निर्यात मात्रा मे कुछ कमी और स्वयं उद्योग द्वारा चाय की किस्म मे सुधार का किया जाना था। अक्तूबर, १९५२ मे भारत इन्टरनेशनल टी मार्केट एक्स्पैन्शन बोर्ड से अलग हो गया। इसके उपरान्त मार्च, १९५२ मे चाय पैदा करने वाले देशो और अमेरिका तथा चाय के व्यापारियो के सहयोग से ज्वाइन्ट टी प्रमोशन कौसिल की स्थापना हुई। इस संस्था के कार्यकाल की थोडी सी अवधि मे ही अमेरिका को किये जाने वाले चाय के निर्यात की मात्रा १९५२ के ९४६ लाख पौड से बढ कर १९५३ में १,०४९ लाख टन हो गयी। कनाडा, जर्मनी, आइसलैंड और नीदरलैंड्स मे भी एसी सस्थाओं की स्थापना के लिये बातचीत चल रही है।

औद्योगिक नीति

७ अप्रैल, १९४८ को संसद् द्वारा स्वीकृत उद्योग नीति सम्बन्धी प्रस्ताव मे इस बात की व्यवस्था की गई है कि (१) कुछ उद्योग जैसे अस्त्र-शस्त्र का निर्माण, अणु शक्ति का उत्पादन और नियंत्रण तथा रेलो का राष्ट्रीयकरण तथा उनकी व्यवस्था करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार के अधीन होगे (२) दूसरे कुछ उद्योगो में—जैसे कायला, लोहा और इस्पात के उत्पादन, हवाई जहाज और जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ और बेतार के तार के उत्पादन, खनिज तेल के

उत्पादन आदि में अतिरिक्त उन्नति करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होगी; और (३) औद्योगिक क्षेत्र का शेष भाग निजी उद्यम के लिये—वैयक्तिक या सहकारी रूप में—छोड़ दिया गया। इनमें भी केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण कुछ निर्दिष्ट उद्योगों के विषय में जो विनियोग तथा प्रौद्योगिक ज्ञान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, रहेगा। योजना आयोग की अन्तिम रिपोर्ट में इस नीति का समर्थन किया गया है। योजना आयोग ने मिलीजुली आर्थिक व्यवस्था को देश की औद्योगिक उन्नति के लिये उपयुक्त आधार माना है। निजी उद्योग क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण योजनानुसार विकास के दृष्टिकोण से आवश्यक समझा गया।

राज्य द्वारा नियंत्रण रखने की व्यवस्था से सम्बद्ध कानून १९५१ का उद्योग विकास एवं नियमन कानून है जो ८ मई, १९५२ से लागू हुआ। इस कानून में उद्योग से सम्बन्धित एक उद्योग सलाहकार परिषद् की स्थापना, औद्योगिक संस्थाओं के नाम दर्ज करने और नई इकाइयों के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने की व्यवस्था है। इसमें केन्द्रीय सरकार को विशेष परिस्थिति में औद्योगिक संस्था के कार्य व्यवस्था की जाँच करने तथा उसमें पाये गये अभावों को दूर करने के लिये आवश्यक निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। जहाँ कहीं सरकार के निर्देशों की अवहेलना की जायेगी तो सरकार को यह अधिकार है कि वह उद्योग का कार्य संचालन अपने हाथ में ले ले। प्रारम्भ में इस कानून का उद्देश्य ३७ उद्योगों अथवा उन उद्योग समूहों को, जिनको इस कानून की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया है नियमानुसार चलाना और उनकी व्यवस्था करना था। साथ ही रेशम और कृत्रिम रेशम, रंगसाजी के सामान, साबुन, प्लाईवुड, और फेरो-मैंगनीज जैसे कुछ अन्य उद्योगों को भी इस अनुसूची में शामिल कर लेने की व्यवस्था थी।

इस कानून का क्षेत्र १ लाख रुपये से कम लागत वाले उद्योगों तक भी बढ़ा दिया गया है, जिन्हें पहले इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इस संशोधन से सरकार को प्रबन्ध और नियन्त्रण के बड़े अधिकार मिल गये हैं। इसमें नियन्त्रण की अवधि को संसद् की स्वीकृति से पाँच वर्ष से भी आगे बढ़ाने की व्यवस्था है।

केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् में—जिसकी स्थापना मई १९५२ में इस कानून के अन्तर्गत हुई—उद्योग, श्रमिक, उपभोक्ता और प्राथमिक उत्पादकों के २७ सदस्य हैं। १९५३ के अन्त तक इस कानून के अन्तर्गत दर्ज की जाने वाली औद्योगिक संस्थाओं की संख्या २,४०९ थी।

इस कानून के अधीन लाइसेन्स प्रदान करने वाली एक समिति की स्थापना की गई है जिसमें वाणिज्य और उद्योग, वित्त, रेलवे और उत्पादन मन्त्रालयों तथा योजना आयोग के सदस्य हैं। यह औद्योगिक विकास को समुचित दिशा में मोड़ने के लिये एक उपयुक्त यंत्र था। १९५३ में इस समिति ने नये उद्योगों की स्थापना और पहले से स्थित उद्योगों के बड़े परिमाण में विस्तार के लिये २५१ आवेदन पत्रों की जाँच की। १८२ प्रार्थियों को लाइसेन्स दिये गये; ८ प्रार्थियों से और अधिक स्पष्टीकरण मांगा गया; २८ प्रार्थियों के प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। इसका कारण यह था कि (१) वह उद्योग जिस के लिये आवेदन पत्र दिया गया था देश की आवश्यकताओं से कहीं अधिक पहले से ही उन्नत था (२) परिवहन के साधन का अभाव था और (३) उस उद्योग के लिये विदेशी पूंजी से मिलने वाली सहायता की शर्तें आदि अनुपयुक्त थीं। केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की एक उपसमिति ने, जो लाइसेन्स प्रदान करने वाली

समिति द्वारा दिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार करती है, केवल एक बार लाइसेन्स प्रदान करने के विषय में समिति के सुझावों के आधार पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया। इस कानून की पन्द्रहवीं धारा के अनुसार उस वर्ष ६ चीनी की मिलों और ४ कपड़ा मिलों के मामले में जाँच की आज्ञा दी गई। ४ चीनी मिलों में अधिकृत नियन्त्रकों की नियुक्ति आवश्यक समझी गई।

१९५३ में उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् ने उद्योगों के पुनःसंस्थापन के लिये आर्थिक सहायता की समस्या, व्यापारी संस्थाओं में शिल्प-कला की शिक्षा और विदेशी पूंजी जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर सरकार को राय दी। इस कानून के अन्तर्गत तीन परिषदों की स्थापना हुई है जिनका सम्बन्ध (१) इंटर्नल कम्बश्चन इंजिन और विद्युत् चालित पम्प, (२) भारी रासायनिक (तेज़ाब और खाद) और (३) साइकिल से है।

अनुविहित तटकर आयोग, जिसकी स्थापना जनवरी १९५२ मे अनुविहित तटकर बोर्ड के स्थान पर की गई थी, समय-समय पर संरक्षण प्राप्त उद्योगों की उन्नति और उनके संरक्षण के लिये योजनाओं की जाँच करता है। १९५२-५३ में सरकार से पहली बार सहायता प्राप्त उद्योगो मे हाइड्रो कुनैन, लोहा और इस्पात, मशीनों के पेच, विद्युत् ब्रोसलैम्प होल्डर, जिप फॉस्नर और बाल-बियरिंग उद्योग शामिल हैं। १९५३ में इस आयोग ने मोटर उद्योग को सरकारी सहायता या संरक्षण देने के प्रश्न पर विचार किया। अप्रैल १९५३ में सरकार ने आयोग की मुख्य सिफ़ारिशों को मान लिया। पटसन से बनने वाली वस्तुओं के उद्योग तथा टिटानियम डाइआक्साइड के उद्योगों को फिर नये सिरे से सरकारी संरक्षण दिया गया और ड्राई बैट्रीज़, पेन्सिल, फाउन्टेन पेन की स्याही, फेरो सिलिकोन और डम्नट, सीप या धातुओं से बने बटन उद्योगों पर से आयोग के सुझावों के आधार पर तटकर संरक्षण उठा लिया गया। इसी वर्ष टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड द्वारा इस्पात उप्पादिन के उचित मूल्य को स्थिर रखने पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की।

विनियोग और वित

जुलाई १९४८ मे औद्योगिक संस्थाओं को मध्य और दीर्घकालीन ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देने के लिये एक औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। १९५३-५४ के अन्त तक इस निगम द्वारा अग्रिम और कर्ज के रूप मे दी गई राशि ११ करोड़ २० लाख रुपये थी जब कि १९५२-५३ के अन्त में यह राशि ८ करोड़ ६२ लाख रुपये ही थी। २ करोड़ रुपये के मूल्य के बौंड की बिक्री द्वारा और रिज़र्व बैंक से ३० लाख रुपये के अस्थायी कर्ज़ लेने से इस निगम के वित्तीय साधनों में वृद्धि हुई। उधार ली गई निधि पर बढ़ते हुए खर्च के कारण ऋण और पेशगियों पर लिया जाने वाला सूद इस वर्ष ६ प्रतिशत से बढ़ा कर ६$^{1}/_{2}$ प्रतिशत कर दिया गया परन्तु निर्धारित तिथियों पर ब्याज और मूल की किश्त देने के लिये जो $^{1}/_{2}$ प्रतिशत रियायतें मिलती थीं वे पूर्ववत् जारी रहीं। इस निगम के कार्यसंचालन की आलोचना होने के कारण सरकार ने दिसम्बर १९५२ में इसकी जाँच पड़ताल के लिये एक समिति नियुक्त की। ७ मई १९५३ को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी जिसमें प्रशासनात्मक संगठन, कार्यविधि व नीति सम्बन्धी अनेक सुझाव भी दिये। इन सुझावों में से कुछ तो सरकार के विचाराधीन हैं और जिन पर विचार हो चुका है उनको लागू किया जा रहा है। राज्यीय वित्तीय निगम

१९५१ के अधीन उन मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों को जो अखिल भारतीय औद्यो-
नियम के अन्तर्गत नहीं आते सहायता देने के लिये व्यवस्था की गई है। पंजाब वित्तीय
की स्थापना १९५३ में हुई। और १९५३-५४ में सौराष्ट्र, तिरुवांकुर-कोचीन, बम्बई,
ाद तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में पाँच और राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना की गई।
ाज्यों में इस प्रकार के निगम स्थापित करने की योजना विचाराधीन है।

देश के शीघ्र औद्योगिक विकास के लिये देश में विद्यमान पूंजी के स्रोतों के पूरक के रूप
शी पूंजी के खुले आगमन को जरूरी समझा गया विशेषतया इसलिए कि इसके साथ-साथ
त माल और औद्योगिक ज्ञान भी आयेगा। इस मामले पर सरकार की नीति स्पष्ट करने
ये अप्रैल १९४८ में औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में विदेशी पूंजी के बारे में सरकार
ति स्पष्ट कर दी गई। फिर १९४९ में प्रधान मंत्री ने भारत की संविधान सभा में एक
व दिया जिसमें इसका स्पष्टीकरण किया गया। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति
कार है —

(१) विदेशी पूंजी और उद्यम को राष्ट्रीय पूंजी के हित में नियमित करना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, जहाँ तक हो सके तथा स्वामित्व और नियन्त्रण—अपवाद रूप कुछ मामले छोड़ कर—हमेशा भारतीयों के हाथ में ही हो। साथ ही साथ इस बात का आग्रह रहेगा कि भारतीयों को इस उद्देश्य से उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाये कि अन्ततोगत्वा वे विदेशी विशेषज्ञों का स्थान ले सकें।

(२) सामान्य औद्योगिक नीति के बरतने में विदेशी तथा भारतीय कम्पनी में भेद-युक्त व्यवहार नहीं किया जायेगा।

(३) देश की वैदेशिक विनिमय सम्बन्धी परिस्थिति से तालमेल रख कर मुनाफा बाहर भेजने तथा पूंजी जहाँ से आई है वहाँ भेजने के लिये उचित सुविधाएं दी जायेंगी।

(४) राष्ट्रीयकरण होने पर उचित और न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र

ंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास औद्योगिक कार्य के लिये ९४
रुपये की रकम निर्धारित की गई है, इसके अतिरिक्त दूसरे आधारभूत उद्योगों के लिये
परिवहन सम्बन्धी सहायक सुविधाएं आ जाती हैं, ५० करोड़ रुपये लगाने की व्यवस्था
ह तो सार्वजनिक उद्योगों की बात हुई, निजी धन्धों के क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार के लिये
ुमान किया जाता है कि २३३ करोड़ रुपये लगाये जायेंगे। इसमें पुराने यन्त्रों आदि को
और आधुनिकीकरण में जो १५० करोड़ रुपये खर्च होंगे उसे नहीं दिखाया गया है।

ोजना में ८० करोड़ रु० की लागत से लोहा और इस्पात के उत्पादन के लिये एक बहुत
ौद्योगिक कारखाना खोलने की व्यवस्था है। इस रकम में से १९५५-५६ तक केवल ३०
रुपये व्यय होंगे। इसके लिये सरकार केवल १५ करोड़ रु० देगी तथा शेष रकम देशी तथा
ा स्रोतों से प्राप्त की जायेगी। आशा की जाती है कि कारखाने की उत्पादन क्षमता ८ लाख
ोहा और कम से कम ३½ लाख टन इस्पात की होगी। इस कारखाने की स्थापना के लिये हाल
भारत सरकार ने जर्मनी की दो प्रसिद्ध फर्मों—क्रुप्स-डेमाग—के साथ समझौता किया है जिसके

अनुसार कम्पनी औद्योगिक सहायता देने के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देगी। रूस सरकार के साथ एक ऐसे ही समझौते के अन्तर्गत १० लाख टन इस्पात उत्पन्न करने का एक कारखाना खोलने की व्यवस्था है।

निजी क्षेत्र की अधिकांश योजनाओं का सम्बन्ध उपभोक्ता माल के उत्पादन तथा आर्थिक विकास की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मध्यवर्ती उत्पादनों से है। पिछले वर्षों की तुलना में चालू अवस्था में विद्यमान निजी क्षेत्र की बड़ी औद्योगिक इकाइयों में से अधिकांश में १९५३-५४ में उत्पादन का स्तर बहुत ऊँचा रहा है जैसा कि अगली तालिका में दिखाया गया है।

निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र में विनियोग का ८० प्रतिशत पूंजीगत माल और प्रोड्यूसर गुड्स उद्योग के विषय में मुख्यतः लोहा और इस्पात (४३ करोड़ रुपया), पेट्रोल शोधन (६४ करोड़ रुपया) सीमेन्ट (१३ करोड़ रुपया), अल्युमिनियम (९ करोड़ रुपया), रासायनिक खाद, भारी रासायनिक पदार्थ और पावर अलकोहल के उत्पादन से होगा। उपभोक्ता द्रव्यों के क्षेत्र में इस बात को अधिक महत्त्व दिया जाता है कि वे अपनी सामर्थ्य का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। कुछ नये क्षेत्रों में, जैसे रेयन कागज, दवा और फार्मेसी में बनने वाले द्रव्यों के उद्योग में पर्याप्त पूंजी के लगाये जाने की आशा है। सूती और ऊनी सूत के उद्योगों में भी उचित विस्तार करने के प्रस्ताव रखे गये हैं।

योजना आयोग ने उद्योगों के प्रतिनिधियों से विचार विनिमय करके ४२ संगठित उद्योगों के सम्बन्ध में ब्योरेवार कार्यक्रम बनाया है।

कुल मिला कर निजी तथा सार्वजनिक उद्योगों के विकास के लिये ७०७ करोड़ रुपये की व्यवस्था होगी। इसमें चालू पूंजी और मूल्यह्रास भी आ जाता है।

औद्योगिक प्रगति

सार्वजनिक उद्योगों के क्षेत्र में चित्तरंजन इंजिन कारखाने में १९५१-५४ तक ११४ इंजिन तैयार किये गये जहाँ पाँच वर्षों की अवधि में २६८ इंजिनों के उत्पादन का लक्ष्य है। इस कारखाने में सौवाँ इंजिन ६ जनवरी १९५४ को तैयार हुआ जिसके शत प्रतिशत कलपुर्जे देश में बनाये गये थे और इस अवसर पर उचित समारोह किया गया। मद्रास स्थित पेराम्बूर नामक स्थान के डिब्बे बनाने वाले कारखाने का निर्माणकार्य फरवरी १९५२ में प्रारम्भ हुआ था। इस कारखाने में शिक्षार्थियों को शिक्षा देने के लिये एक विद्यालय खोला गया जिसका उद्देश्य ६०० टेक्निशियनों को शिक्षा देने का है और यह कार्य प्रारम्भिक चार वर्षों तक चलाया जायेगा। इस कारखाने पर ७.५ करोड़ रुपयों के व्यय होने का अनुमान है। योजना काल में ३,१५,००० टन अमोनियम सलफेट के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य में से सिन्द्री के रासायनिक खाद के कारखाने में १९५३-५४ में २,४९,००० टन अमोनियम सल्फेट तैयार किया गया। मैसूर आयरन

तालिका ८०
सार्वजनिक क्षेत्र में उन्नति

कारखाना	निर्मित वस्तुएँ	असली उत्पादन			
		१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५५–५६ के लिये लक्ष्य
१. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ .	(१) टेलीफोन (संख्या) .	२१,६२८	२७,०००	४०,०००	२५,०००
	(२) एक्सचेंज लाइन्स (संख्या)	२१,०००	११,०००	१५,०००	२०,०००
	(३) सिंगल चैनल कैरियर्स (संख्या)	—	—	३०	—
२. सिन्द्री फर्टिलाइज़र कारखाना	अमोनियम सल्फेट (टन) .	३४,८००	२,३०,०००	२,४९,०००	३,१५,०००
३. चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना	लोकोमोटिव इंजिन (संख्या) .	१७	३३	६४	१००
४. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	जलपोत (जी० आर० टी०) .	१०,२०८	१५,३३६	१०,२६०	१५,८१८
५. रेलगाड़ी के डिब्बे	डब्बे (संख्या) .	५४२	६२२	६०४	४,३८०(क)
६. मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स	१. कच्चा लोहा (हज़ार टन)	२३.०	३६.४	५२.६	१००.०(ख)
	२. तैयार इस्पात (हज़ार टन)	३०.५	२९.६	३२.०	९०.००(ख)
	३. सीमेंट (हज़ार टन) .	५७.०	७८.०	६८.०	९०.००(ख)
७. गवर्नमैण्ट इलैक्ट्रिक कारखाना, बंगलौर	ट्रांसफार्मर्स (के० वी० ए०) .	३६,५३४	२४,७५९	३४,९९३	८०,०००(ख)
८. यू० पी० गवर्नमैंट सूक्ष्म यन्त्र कारखाना	१. पानी के मीटर (संख्या)	—	२,१००	७,००० आनुमानिक	१२,०००
	२. माइक्रोस्कोप (संख्या) .	—	—	२८ छात्रों के उपयोगी और ५८ अनुसन्धान कार्य के उपयोगी (ग)	५००

(क) योजनाकाल का उत्पादन जिसमें निजी क्षेत्र का उत्पादन भी सम्मिलित है।
(ख) क्षमता के लक्ष्य को प्रकट करता है।
(ग) १९५२-५४ तक के लिये उत्पादन।

एण्ड स्टील वर्क्स में बिजली से लोहा पिघलाने के दूसरे यन्त्र की स्थापना से १९५१-५२ में कच्चे लोहे के उत्पादन में ३० हज़ार टन की वृद्धि होने की आशा है। १९५३-५४ में जहाज़ निर्माण का निर्धारित लक्ष्य ७० प्रतिशत पूरा होने की आशा है। भारतीय टेलीफोन उद्योग के २५,००० टेलीफोन और २०,००० एक्सचेंज लाइन के प्रतिवर्ष उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति पहले हो चुकी है और अब ६०,००० टेलीफोनों और ४०,००० एक्सचेंज लाइन के प्रतिवर्ष उत्पादन का नया लक्ष्य रखा गया है। हिन्दुस्तान केबल्स फैक्टरी लगभग तैयार हो गई है तथा कुछ विभागों में उत्पादन का कार्य भी शुरू हो गया है। जलहल्ली मे मशीनी औजार बनाने के लिये स्थापित की जाने वाली फैक्टरी के निर्माण का कार्य कुछ पिछड़ गया। १९५४ तक कुछ लेथ मशीनों (खराद) के तैयार होने का अनुमान था।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र मे निम्नलिखित योजनाएँ विचाराधीन हैं :—

(१) बिजली की बड़ी मशीनों के उत्पादन के लिये एक कारखाने की स्थापना। इस कारखाने पर २ करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है।

(२) बैंक नोट के कागज का उत्पादन।

(३) बंगलोर में बनाये जाने वाले मैसूर सरकार के हाई टैन्शन इन्सुलेटर बनाने के कारखाने पर ६३ लाख रुपये की लागत आयेगी।

(४) तिरुवाकुर-कोचीन में अलवाए स्थित कारखाने में बचने वाली दुष्प्राप्य मिट्टियों से यूरेनियम ऑक्साइड और थोरियम नाइट्रेट निकालने के लिये ट्राम्बे में एक कारखाना खोलने का विचार है। इस पर ४५ लाख रुपये व्यय होंगे।

(५) बंगलोर के निकट एक विदेशी कम्पनी की सहायता से बेतार के तार और विद्युत् यन्त्रों के बनाने का कारखाना। इस पर संभवतः ६ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

तालिका ८३ में उन ४१ उद्योगों के निर्धारित उत्पादन का लक्ष्य तथा उनकी उत्पादन प्रगति का ब्योरा दिया गया है जिनके विकास कार्यक्रमों को योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया था। इनमें मुख्यतः वे उद्योग हैं जो निजी उद्योग के अन्तर्गत आ जाते हैं परन्तु लोहा और इस्पात, रासायनिक खाद, रेल के इंजिन, सवारी के डिब्बे, माल ढोने के डिब्बे, सीमेन्ट और ट्रान्सफार्मर के उत्पादन सम्बन्धी कुछ ऐसे उद्योग हैं जो अंशतः सरकारी उद्योगों के अन्तर्गत आ जाते।

१९५३-५४ के अन्त तक औद्योगिक (विकास और नियमन) कानून १९५१ के अनुसार १९५१ से १९५६ तक के औद्योगिक विकास के प्रोग्राम की सभी नई बड़ी इकाइयों और बड़े परिमाण में किये जाने वाले विस्तार के लिये प्रार्थना-पत्र मंगवाये गये और लाइसेन्स दिये गये। इसमें मुख्य अपवाद फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स (तिरुवांकुर) लिमिटेड के उत्पादन को दुगना

करने की योजना तथा अल्युमिनियम कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के उत्पादन को २,००० टन से ५,००० टन इन्गाट तक बढ़ाने की योजना है । पहले कारखाने का वर्तमान वार्षिक उत्पादन ४६,००० टन अमोनियम सल्फेट है ।

औद्योगिक क्षेत्र में अब तक की गई प्रगति और इसके सम्बन्ध में प्रदान किये गये लाइसेन्सों से यह संभव प्रतीत होता है कि योजना काल में औद्योगिक उत्पादन के लिये जो अतिरिक्त क्षमता निर्धारित की गई है वह १९५५-५६ तक कुछ प्राप्त कर ली जायेगी तथा अन्य उद्योगों में बहुत अधिक बढ़ जायेगी । उदाहरणार्थ सीमेन्ट उद्योग में योजना काल के २० लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले में ३३ लाख टन की अतिरिक्त क्षमता योजना की समाप्ति तक प्राप्त हो जायेगी । कपड़ा उद्योग में कम से कम १०,५०,०००, करघे लग जायेंगे जहाँ ८,५०,००० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । रेयन फिलामेन्ट के उत्पादन में १ करोड ८० लाख पौड के निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर २ करोड़ १६ लाख पौंड उत्पादन होगा । कागज और गत्ते का उत्पादन १,४५,००० टन होने की आशा है जहाँ लक्ष्य ७४,००० टन के उत्पादन का था । इसी प्रकार गन्धक के तेजाब, कास्टिक सोडा, चीनी, पेनिसिलीन, बेन्जीन हेक्सोक्लोराइड, सल्फा ड्रग्स के उत्पादन और ऊन के उद्योगों में तकुवों की संख्या में वृद्धि करने का जो लक्ष्य योजना में निर्धारित किया गया था उससे अधिक के उत्पादन की आशा है ।

उपर्युक्त उद्योगों के उत्पादन मे जहाँ वृद्धि होने की आशा है, वहाँ कई उद्योगों के उत्पादन में कमी भी हुई है । इस प्रकार १९५१-५२ से चीनी, मोटरगाड़ी, रेडियो सैट-रिसीवरों के उत्पादन में कमी हुई है । पटसन के बने सामान और टी-चैस्ट प्लाईवुड उद्योगो में योजना काल के प्रथम दो वर्षो मे जो प्रगति के चिन्ह दिखाई दे रहे थे उनमें १९५३-५४ में गिरावट आ गई है ।

१९५३-५४ में देश में पहली बार उत्पादित नई वस्तुओं मे स्टेपलफाइबर, सीमेंट ग्राइडिग मीडिया, स्टील वूल, तहवाली बैट्रियाँ, साइकिलो के फ्री व्हीलों तथा चेन, रबर कन्वेयर बेल्टिग, बुनने की सलाइयों, ३१½ × ९½ की मिलिंग मशीन (प्लेन और यूनिवर्सल दोनों), मल्टी-स्पिण्डल ड्रिलिग मशीन, आइसोनि कोटिनाइल हाइड्रॉजाइड, औरियोमाईसिन, सिंथेटिक एसीट्रिक एसिड तथा एसीटोन मुख्य हैं ।

कुछ नये औद्योगिक एकक जो १९५३-५४ में उत्पादन करने लगे उनका ब्योरा नीचे दिया जाता है ।

तालिका ८१

नई इकाइयाँ

नाम	वार्षिक क्षमता
वल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रॉबोर्ड मिल्स . . .	८,००० टन
जयपुर उद्योग लिमिटेड (सीमेण्ट कारखाना) . .	१,६५,००० टन
ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिग (वीविंग) कं० लिमिटेड (स्टेपल फाइबर)	२८,००० गाँठे
मोदपुर ग्लास वर्क्स, भुरकण्डा (शीट ग्लास फैक्टरी)	२१,६०० टन
टैक्सटाइल मिल्स (६) . . .	३२,६०८ तकुए और ३५० करघे ।

तालिका ८१ (क्रमशः)

नाम	वार्षिक क्षमता
अतिरिक्त वार्षिक क्षमता	
विस्तार योजनाएँ:—	
श्री दिग्विजय सीमेण्ट कम्पनी का विस्तार . .	१,००,००० टन
स्टील कारपोरेशन ऑफ़ बंगाल के विस्तार का पहला चरण	७५,००० टन (तैयार इस्पात)
टी० आई० साइकल्स ऑफ़ इण्डिया (फैक्टरी बी) .	पुर्जों का उत्पादन
एल्कली एण्ड कैमिकल कार्पोरेशन . . .	२,५०० टन(कास्टिकसोडा)
टैक्सटाइल मिल्स (२८ इकाइयाँ) . . .	६६,१०० तकुए (१९५३)
सिरपुर पेपर मिल्स	१०,००० टन कागज़
रोहतास इण्डस्ट्रीज़	७,००० टन कागज़ और गत्ता ।

शोध और प्रमापीकरण

देश में उद्योगों की प्रौद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिये वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद् के अन्तर्गत बहुत सी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ खोली गई हैं ।

भारतीय प्रमापीकरण संस्था जिसकी स्थापना १९४४ में हुई थी और जो एक अर्ध-सरकारी संस्था है, का काम यह है कि औद्योगिक तथा व्यापारिक उत्पादनों का प्रमापीकरण करे । १९५३ के अन्त तक इस संस्था द्वारा जारी किये गये प्रमापों की संख्या ४२८ थी जिन में ३०० से अधिक प्रमाप विभिन्न सरकारी विभागों ने अपना लिये । १९५२ में इस संस्था के ७७७ ग्राहक तथा ३,६०२ सदस्य थे ।

पेटेण्ट्स सलाहकार समिति, केन्द्रीय सरकार की विभिन्न शोध तथा औद्योगिक संस्थाओं में किये गये आविष्कारों के लिये पेटेण्ट प्रदान करती है । १९५१ में १८ और १९५२ में २४ पेटेण्टों के जारी किये जाने के लिये आवेदनपत्र दिये गये ।

डायरेक्टरेट ऑफ़ इण्डस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स द्वारा एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित होता है जिसमें १९ भागों में विभक्त ९२ चुने उद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन के आँकड़े दिये जाते हैं । इस डायरेक्टरेट के शोध सम्बन्धी विभाग में औद्योगिक आँकड़ों का अध्ययन किया जाता है ।

कुटीर उद्योग

इसमें सन्देह नही कि हमारे देश में बड़े परिमाण वाले उद्योगों की बहुत उन्नति हुई है, फिर भी हमारे देश में उत्पादन मुख्यतः छोटे पैमाने पर ही होता है। छोटे पैमाने पर किये जाने वाले उद्योगों और कुटीर शिल्प में ही किसान बेकारी के दिनों में रोजगार पाते हैं। यह अनुमान है कि भारत में कुटीर शिल्प में २ करोड़ लगे हुए है। ऐसा भी अनुमान है कि हाथ करघा उद्योग में ही ५० लाख व्यक्ति काम करते है जितने कि सारे संगठित उद्योगों में—जिनमें खानों तथा बागानों के उद्योग भी सम्मिलित हैं —काम करने वालों की संख्या है।

कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये तथा उनकी अधिक से अधिक उन्नति करने के उद्देश्य से नवम्बर १९५२ तथा फरवरी १९५३ में क्रमशः अखिल भारतीय हाथ करघा बोर्ड और अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना अपने-अपने क्षेत्रों में उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिये हुई। हाथ करघा और खादी उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से निर्यात किये जाने वाले कपड़ों को छोड़ कर मिलों द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के कपडों पर ३ पाई प्रति गज कर लगा दिया गया। हाथ करघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कपड़ा मिलों में धोती के उत्पादन पर कुछ नियंत्रण लगा दिया गया है। विदेशी बाजारों में नारियल की जटाओं से बने सामान की मांग में कमी हो जाने के कारण और उसके फलस्वरूप इस उद्योग में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों और बेकारी की समस्या पर विचार करने के लिये एक स्टेट्यूटरी बोर्ड की स्थापना का विचार किया जा रहा है। यह बोर्ड इस देश में नारियल की जटा से बने सामान की मांग को पूरा करेगा और विदेशों में भी इस उद्योग को लोकप्रिय बनाने के लिये आवश्यक कार्य करेगा। साथ ही साथ यह उद्योग को अधिक विकसित शिल्प प्रणाली और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करेगा और मार्केटिंग रिसर्च का काम तथा प्रचार भी करेगा।

राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर की संभावना पर विचार कर रही हैं। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और रामगढ़ में सहकारी आधार पर फलों को सुरक्षित रखने के लिये फैक्टरी खोलने के लिये कदम उठा रही है। हाथ करघा उद्योग को सहकारिता के आधार पर पुनःसंस्थापित करने के लिये कई दीर्घकालीन योजनाएं बनाई गई हैं। गार्बो और टोकूबो प्रकार के छोटे पैमाने की कताई एककों और श्री काले द्वारा ईजाद की गई छोटे पैमाने की कताई एककों को बम्बई और सौराष्ट्र की सरकारों ने उन क्षेत्रों में स्थापित किया है जहाँ कपास की अधिकतम उपज होती है। कुटीर उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कुटीर उद्योग सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं जैसे लकड़ी को तैयार करने का यन्त्र खरीदने के लिये, ऊन को धुन कर तैयार करने वाले केन्द्र की स्थापना के लिये तथा साइकिलो के कल-पुर्जों की मजबूती की जाँच करने का केन्द्र खोलने के लिये अनुदान दिये हैं। केन्द्रीय सरकार मशीन खरीदने के लिये गैर-सरकारी संस्थाओं को राज्य सरकारों द्वारा या स्वयं आर्थिक सहायता देती है। अखिल भारतीय चर्खा संघ को १९५१-५३ में ११ लाख रुपये का अनुदान मिला। ग्रामोद्योगों के विकास के लिये पंच वर्षीय योजना में विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई बेरोजगारी को दूर करना

है। इस योजना में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कुल मिला कर २७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। तालिका ८४ में कार्यक्रम का सार दिया गया है।

वाणिज्य

१९५२-५३ में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति नीचे की तालिका में स्पष्ट की गई है :—

तालिका ८२

भारत का विदेशी व्यापार

(करोड़ रुपयों में)

	१९५२	१९५३
आयात	७४२.६	५६६.४
निर्यात	६४९.१	५३२.९
व्यापार का संतुलन . . .	—९३.५	—३३.५
भारत के विदेशी व्यापार के आँकड़े (१९४८-४९=१००)		
मात्रा सम्बन्धी आँकड़े — आयात . .	८८	६४
मात्रा सम्बन्धी आँकड़े — निर्यात . .	९२	९४
मूल्य सम्बन्धी आँकड़े — आयात . .	१३६	११८
मूल्य सम्बन्धी आँकड़े — निर्यात . .	१२८	१०७
व्यापार के शुद्ध निबन्धन . . .	९४	९१

तालिका ८५ और ८६ में भारत ने जितनी रकम का माल विदेशों को भेजा और वहाँ से मंगवाया उसका ब्यौरा दिया गया है। तालिका ८७ में १९४९-५५ में वस्तु समूहों की दृष्टि से भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा और उनके मूल्यों के आँकड़ो का विवरण दिया गया है। तालिका ८८ में १९५२-५३ में जो मुख्य जिन्सें आयात अथवा निर्यात की गईं उनके आँकड़े दिये गये हैं।

१९५३ के व्यापार के स्तर में गिरावट का कारण आयात और निर्यात दोनों की कमी थी। ऐसी परिस्थिति का मुख्य कारण देश में खाद्यान्नों के आयात में कमी का किया

जाना था। निजी व्यापार की बचत जो १९५२ में १३४ करोड़ रुपये थी घट कर १०२ करोड़ रुपये रह गई जबकि सरकार द्वारा किये गये सौदागरी के सौदों के सम्बन्ध में घाटा—जो १९५२ में २८८ करोड़ था—बढ़ कर १३५ करोड़ रुपये हो गया। अप्रत्यक्ष सौदों के रूप में होने वाली प्राप्तियाँ—जिन में सरकार के हिस्से का रुपया भी सम्मिलित है—लगभग स्थिर रही। निजी अप्रत्यक्ष प्राप्तियों में होने वाले घाटे की पूर्ति अधिकांश में सरकारी केन्द्रों से सम्बन्धित अप्रत्यक्ष प्राप्तियों में बढ़ती के फलस्वरूप हुई।

आयात

१९५२ की अपेक्षा १९५३ में आयात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य १७६ करोड़ रुपये कम रहा जिसमें केवल सरकारी आयात ही ९६ करोड़ रुपये का था। औद्योगिक उत्पादन में आने वाली स्थिरता के साथ कच्चे माल की बढ़ती हुई माँग को अधिकतर देश-सुलभ साधनों से पूरा किया गया। सूती कपड़ा उद्योग में भारतीय कपास की खपत में स्पष्ट परिवर्तन पाया गया। कपड़ा उद्योग में देश में उत्पादित रूई की अधिक खपत होने के कारण १९५२-५३ में पिछले वर्षों की अपेक्षा विदेशी रूई का आयात कम हुआ। देश में कच्चे पटसन के उत्पादन में कमी के बावजूद पाकिस्तान से कच्चे पटसन की खरीद में भी कमी हुई। एक सीमा तक इसका कारण देश में बनने वाले सामान के उत्पादन में कमी थी। निजी क्षेत्रों द्वारा किये जाने वाले आयात में आधे से अधिक कमी कच्चे कपास के आयात में कमी के कारण हुई और शेष कमी विभिन्न जिन्सों जैसे रासायनिक पदार्थ, मशीन और गाड़ियों जैसी वस्तुओं के कारण हुई।

यह महत्त्व की बात है कि सरकार की आयात सम्बन्धी नीति के उदार होने पर भी आयात में कमी हुई। १९५२ में ट्विस्ट ड्रिल्स, रीमर्स, विद्युत् चालित पम्प, गैरेज सम्बन्धी औजार तथा मशीनों और उनके पुर्जों के कोटे में की गई कटौती को १९५३ की पहली छमाही में दूर कर दिया गया। १९५३ की दूसरी छमाही में भी वैसी नीति बरती गई। इस नीति की मुख्य बात यह थी कि मशीनों, औद्योगिक कच्चे माल, ८० अंक से अधिक के कृत्रिम रेशम के धागे और कपास के धागे, तथा उपभोक्ताओं के माल जैसे मसाले, फल आदि के आयात में उदारता की नीति बरती गई और लाइसेन्स प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिक सहज बनाया गया। इस क्षेत्र में सितम्बर १९५३ में सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय किया जिसके द्वारा गैरसरकारी व्यापार में भी सुलभ मुद्रा वाले देशों से चावल तथा आटा, जौ और मक्के की सब स्थानों से आयात करने की छूट दे दी गई। निजी व्यापारियों को सरकारी गोदामों से आटा प्राप्त कर उसे निर्यात करने की आज्ञा मिल गई जिसकी पूर्ति उन्हीं के द्वारा आयात किये गये गेहूं से की जानी थी। सरकार द्वारा नीति में दिखाई गई उदारता के अन्य उदाहरण सुलभ मुद्रा वाले देशों से $1\frac{1}{16}$" या इससे अधिक लम्बे कपास के रेशे के आयात के लिये बिना शुल्क लिये लाइसेन्स प्रदान करने का काम शुरू करना, जिसे फरवरी, १९५४ से डालर क्षेत्र के लिये भी विस्तृत कर दिया गया है, और अमेरिकन कपास के लिये दिये गये लाइसेन्सों की अवधि को ३१ दिसम्बर १९५३ तक बढ़ा देना है। १९५४ की पहली छमाही के लिये सरकार की जो नीति १९५३ के अन्त में प्रकाशित की गई वह पहले ही जैसी थी। केवल इतना ही परिवर्तन किया गया कि देश—सुलभ वस्तुओं के जो देश में ही बेकार पड़ी औद्योगिक इंजीनियरिंग क्षमताओं को काम में लाने से मिल सकती थीं, आयात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये।

सरकारी क्षेत्रों में आयात में जो कमी हुई उसका मुख्य कारण देश की खाद्य स्थिति सुधरने के कारण विदेशों से अन्न की खरीद को कम कर देना था। तथापि देश में चीनी के मूल्य को नीचे लाने के लिये सरकार को चीनी का आयात करना पड़ा।

१९५२ की अपेक्षा १९५३ में आयात में जो कमी हुई उससे ज्ञात होगा कि किसी भी अर्थ में १९५२ देश के लिये साधारण वर्ष नहीं था क्योंकि इस वर्ष देश में भारी मात्रा में खाद्यान्न और कच्ची रूई आयात की गई। दूसरी बात यह है कि आयात किये गये माल के भुगतान में कमी, मात्रा में कमी हो जाने (जो २७ प्रतिशत से भी अधिक थी) के कारण थी; मूल्य में १३ प्रतिशत गिरावट इसका कारण नही था।

निर्यात

निर्यात में १ अरब १६ करोड़ रुपये की जो कमी हुई वह आयात से कम थी जिसका मूल कारण मालों के निर्यात-भाव का कम होना था। वस्तुतः १९५३ की मात्रा सूची में २ अंक की वृद्धि हुई। निर्यात द्वारा होने वाली आय में कमी अस्थायी थी। १९५२ की पिछली छमाही से दृष्टिगोचर होने वाली निर्यात में कमी १९५३ की पहली छमाही में तो जारी रही किन्तु उसके बाद इसकी दिशा में दूसरी ओर परिवर्तन हुआ। १९५३ की दूसरी छमाही में निर्यात मूल्य में २९ करोड़ रुपये की एकाएक वृद्धि हुई जो साधारणतया विशेष मौसम में व्यापार से होने वाली वृद्धि से भी कही अधिक थी। अंशतः इस वृद्धि का कारण यह था कि १९५२ से सरकार ने निर्यात की स्थिति सुधारने के लिये कोटा देने पर या तो पूर्णरूप से या अंशतः नियंत्रण हटा लिया और लाइसेन्स प्रदान करने में उदार नीति बरती।

पटसन के कपड़े (हेसियन) पर से निर्यात-कर को ७५० रुपया प्रति टन से घटा कर २७५ रुपया प्रति टन कर दिया गया जो १५ सितम्बर १९५२ से और घटाया जा कर १२० रुपये प्रति टन कर दिया गया। इससे पूर्व फरवरी १९५२ में बोरों पर से निर्यात-कर १७५ रुपया प्रति टन से और घटा कर ८० रुपये प्रति टन कर दिया गया। इसी वर्ष १६ जुलाई से पटसन से बनने वाली वस्तुओं पर ८० रुपये प्रति टन के हिसाब से लगने वाले निर्यात-कर को बोरों आदि सामान को छोड़ कर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। बाद में २५ अक्तूबर से साधारण किस्म के कपड़े पर से उनके मूल्यानुसार निर्यात-कर को १० प्रतिशत कम कर दिया गया।

तेल तथा तिलहन में अलसी के तेल और अलसी पर से निर्यात-कर को १२ मई १९५३ से २०० रु० और १०० रु० प्रति टन से घटा कर क्रमशः ५० रु० और २५ रु० प्रति टन कर दिया गया। ८ जुलाई से तम्बाकू के बीजों के तेल पर लगने वाले ३०० रु० प्रति टन के निर्यात-कर को समाप्त कर दिया गया। कच्ची रूई, सूती कपड़े और अलसी आदि के लिये लाइसेन्स की अवधि बढ़ा दी गई। निर्यात के नये साधन निकालने के लिये नवम्बर १९५३ में सी कस्टम्स एक्ट में संशोधन किया गया जिससे उस कच्चे माल आदि के आयात पर आयात-कर में कमी हो सके जिनका प्रयोग उन वस्तुओं के उत्पादन में होता है जो तैयार होने पर फिर विदेशों में भेज दी जाती है। हाल ही में निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक संस्था स्थापित की गई है।

निर्यात में वस्तुवार कमी होने के कारणों का अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ कि निर्यात से होने वाली आय में कमी का मुख्य कारण पटसन की बनी वस्तुएं थीं; जो ७० करोड़ रु० कम

कर केवल १०८ करोड़ रु० रह गयी । यद्यपि सूती कपड़े के निर्यात में भी ऐसी ही प्रवृत्ति दृष्टि-गोचर रही फिर भी उसमें इसकी अपेक्षा बहुत थोड़ी कमी रही जो ७ करोड़ घट कर ७६ करोड़ रह गयी । दूसरी ओर चाय के निर्यात में भारी वृद्धि हुई । १९५२ की अपेक्षा इसका निर्यात १६ करोड़ रु० से बढ़ कर ९७ करोड का हो गया । १९५२ के बाद निर्यात में निरन्तर और स्वाभाविक वृद्धि हुई लेकिन इसका एक और कारण ब्रिटेन की आयात माल के मांग की स्थिरता है जोकि उस देश में चीनी पर से राशनिंग हट जाने के कारण और भी स्पष्ट हो गयी ; यथा अन्य पेयों के स्थान पर चाय और विशेष कर कहवा पीने की प्रथा और देश के उत्पादन-साधनों पर ऐच्छिक नियन्त्रण ।

१९५३ में कुल अप्रत्यक्ष आय जिसमें सरकारी हिस्सा भी सम्मिलित है ९३ करोड़ रुपये के मूल्य का था जहाँ उससे पिछले वर्ष यह ९५ करोड़ रुपये का था । सरकारी हिस्सा जिसमें (१) कोलम्बो योजना के अधीन आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा से मिलने वाली (२) भारत-अमेरिका प्रौद्योगिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत और (३) फोर्ड-प्रतिष्ठान से मिलने वाली रकम भी शामिल हैं, ६ करोड़ रु० से बढ़ कर १८ करोड़ रु० हो गया ।

विभिन्न भारतीय माल के प्रमुख ग्राहक ब्रिटेन और अमेरिका हैं और इन्ही देशों से भारत ने मुख्य रूप से आयात किया । १९५३ में हमारे आयात में विभिन्न देशों का हिस्सा इस प्रकार था : ब्रिटेन २०.८ प्रतिशत . (जो १९५२ में १८.६ प्रतिशत था) ; अमेरिका १६ ३ प्रतिशत (जो १९५२ में ३४ प्रतिशत था) ;कनाडा ३.८ प्रतिशत (जो १९५२ में ३.७ था) और बाकी देशों से ५९.१ प्रतिशत आयात हुआ (जो १९५२ में ४३.६ प्रतिशत था) । ब्रिटेन, अमेरिका, पाकिस्तान और जापान को इस देश से क्रमशः १८.९, २०.५, ७.५ और ४.१ प्रतिशत माल भेजा गया जहाँ १९५३ में क्रमशः १८.७, २६.८, १.४ और ५.२ प्रतिशत माल भेजा गया था । पाकिस्तान द्वारा भारतीय माल के आयात में सबसे महत्त्वपूर्ण कमी की गई क्योंकि १९५२ की अपेक्षा १९५३ में उसने १२½ प्रतिशत भारतीय माल कम लिया ।

१९५३-५४ में नार्वे, पश्चिम जर्मनी और आस्ट्रिया के साथ जिन व्यापार सन्धियों की अवधि समाप्त हो चुकी या समाप्त होने वाली थी उन्हें और बढ़ाया गया ।

इराक, पोलैण्ड, टर्की, बल्गारिया, स्वीडन, मिस्र, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, रूस और रूमानिया से नये व्यापार-समझौते हुए । इनमें से रूस, मिस्र और श्रीलंका से हुए समझौते विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें रूस के साथ किये गये समझौते में यह व्यवस्था है कि भारत और रूस के बीच व्यापार सम्बन्धी भुगतान रुपयों में होगा । मिस्र के साथ किये गये समझौते में यह निर्णय हुआ कि व्यापार का ४० प्रतिशत भुगतान रुपये में किया जाये । भारत-श्रीलंका व्यापार समझौते के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि तिरुवांकुर-कोचीन के बन्दरगाहों पर जफना नामक खाने की तम्बाकू के आयात की आज्ञा हो किन्तु उस पर विशेष दर से आयात-कर लगेगा । इसकी एवज में श्रीलंका सरकार ने अधिक मात्रा में भारतीय तम्बाकू का लंका में आयात करने और आयात किये जाने वाले हाथ के बने तौलियों और तौलियों के कपड़े पर कम से कम आयात-कर लगाने का निर्णय किया है जो देश की मिलों में बने तौलियों और तौलियों के कपड़े पर लागू है ।

तालिका

१९५१-५२ से १९५३-५४ तक के समय में उत्पादन के लक्ष्य

क्रम संख्या	उद्योग	इकाई	वार्षिक आनुमानिक क्षमता		
			योजना काल का प्रारम्भ १९५०-५१	१९५३-५४	१९५५-५६ (लक्ष्य)
	धातु शोधन सम्बन्धी				
१	लोहा और इस्पात :				
	(१) कच्चा लोहा (केवल प्रमुख उत्पादक)	हज़ार टन	१,८७८	—	२,८३५
	(२) तैयार इस्पात (केवल प्रमुख उत्पादक)	"	१,०१५	—	१,६५०
२	अल्युमिनियम . .	टन .	४,०००	४,०००	२०,०००
	यान्त्रिक इंजीनियरिंग				
३	कृषि सम्बन्धी औज़ार और मशीनें :				
	(१) विद्युत्चालित सेंट्री-फ्यूगल पम्प।	हजार	३३	६०	६९
	(२) डीज़ल इंजिन .	संख्या .	६,३२०	१८,१६५	३९,७२५
४	मोटर गाड़ियाँ (केवल तैयार करना)	संख्या .	३०,०००	४०,०५०	३०,०००
५	रेलवे रोलिंग स्टॉक :				
	(१) रेल इंजिन .	संख्या	अप्राप्य	अप्राप्य	४३८
	(२) माल के डिब्बे .	संख्या	६,०००	अप्राप्य	३०,०००
	(३) सवारी के डिब्बे .	संख्या	८५०	अप्राप्य	४,३८०
६	मशीनी औज़ार (ग्रेडेड) .	संख्या	३,०००	३,०००	४,६००
७	सूती कपड़ा मिल की मशीनें :				
	(१) धुनाई करने वाले इंजिन।	संख्या	६००	६००	६००
	(२) कताई करने वाले यन्त्र।	संख्या	३९६	३९६	८००
	(३) करघे . .	संख्या	३,६००	४,३२०	८,०००

८३
की और की गई उन्नति का विवरण

योजना काल का प्रारम्भ १९५०-५१	असली उत्पादन १९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५५-५६ लक्ष्य	विशेष विवरण
१,५७२	१,७४०	१,६९२	१,६५१	२ ८३५	विस्तार योजनाओं के पूरा होने पर क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य पर पहुँचा जा सकेगा ।
९७६	१,०८३*	१,०८६*	१,०८१	१,६५०	*सहायक उत्पादकों के उत्पादन सहित ।
३,६७७	३,९०५	३,४२०	३,८४६	१२,०००	
३४	४६	२५	२८	८० से ८५	
५,५४०	७,२६३	२,९०९	५,२४४	५०,०००	
१६,५१९	२३,५७६	१३,२९४	१२,६२९	३०,०००	तटकर आयोग की रपोर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम में संशोधन किया गया है । उत्पादन के आँकड़ों में पुर्जे जोड़ने वालों के उत्पादन के आँकड़े भी सम्मिलित हैं ।
अप्राप्त	२७	६३	८६	४३८	क्षमता और उत्पादन १९५१--५६ के वर्ष यानी योजना काल के लिये ही हैं ।
१,०९५	३,७०७	६,४६३	६,८९२	३०,०००	
४७९	६७३	७९१	७८६	४,३८०	
३१.८	४५.२	४३.५	४४.९	४,६००	
लाख रु०	लाख रु०	लाख रु०	लाख रु०		
—	१५८	५७	२७२	६००	
६०	२९१	२५५	१९७	७००	
१,८९४	२,१६६	१,५२७	१,३४०	६,०००	

तालिका

क्रम संख्या	उद्योग	इकाई	वार्षिक आनुमानिक क्षमता		
			योजना काल का प्रारम्भ १९५०-५१	१९५३-५४	१९५५-५६ (लक्ष्य)
८	बाल बेयरिंग . .	संख्या	६००	६००	१,२००
९	साइकिल . .	हज़ार	१२०	४३८	५३०
१०	सिलाई की मशीनें .	हज़ार	३७.५	४१.५	९२
११	हरिकेन लालटेन .	हजार	४,२६०	४,५८३	४,५००
१२	चक्की . .	टन .	३६०	५३५	८४०
	विद्युत् इंजीनियरिंग				
१३	सूखी बैट्रियाँ* . .	लाख	२,८५०	२,२२०	३,१००
१४	स्टोरेज बैट्रियाँ . .	हज़ार	४४६	३५०	५३८
१५	केबल और बिजली के तार ए० सी० एस० आर० कंडक्टर	टन .	२,५००	६,६२०	५,०००
१६	बिजली के पंखे .	हज़ार	२८८	३०३	३६०
१७	बिजली के लैम्प .	हज़ार	२३,०००	२९,०००	३२,५००
१८	बिजली के मोटर .	हज़ार एच. पी.	१४९	२००	३००
१९	बिजली के ट्रांसफार्मर .	हज़ार के. वी. ए.	३७०	३२८	४८५
२०	रेडियो सेट (सुसंगठित क्षेत्र)	हज़ार	७७	१५३	२८०
	रासायनिक और उनसे सम्बद्ध उद्योग .				
२१	उर्वरक :				
	(१) अमोनियम सल्फेट .	हज़ार टन	७९	४२७	४८१
	(२) सुपर फास्फेट .	,,	१२३	२११	२०९

३ (क्रमश:)

			असली उत्पादन		विशेष विवरण
ना काल प्रारम्भ ५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५५-५६ लक्ष्य	
८७	२५०	४९६	६९१	१,२००	
१०१	१२०	२१०	२८९	५३०	
३३	४८	५२	६८	९२	
,२४४	३,९६८	३,५३१	४,५४७	६,०००	
२३१	३५२	३९०	३९५	७५० से ८००	
३७०	१,४६०	१,२५०	१,५३०	३,२००	*१९५३-५४ में विकास विभाग द्वारा आनमानिक क्षमता का पुन. तखमीना लगाया गया है ।
२००	२१२	१३६	१७९	४००	
४२०	१,७२०	२,३८१	३,२८०	५,०००	ये आँकडे वर्ष १९५०, १९५१, १९५२, और १९५३ से सम्बद्ध हैं ।
१९४	२१५	१८९	२०६	३२० से ३५०	
,०००	१७,३००	२०,७४०	१९,८००	३०,०००	
९९	१५४	१६०	१६१	३२०	
१७	२०२	२३१	३२७	४५०	विकास विभाग द्वारा १९५३-५४ में इस क्षमता का पुन: अनुमान लगाया गया है।
४	८८	६९	५८	३५०	
४६	९५	२५२	३०७	४५०	
५५	५७	५०	६६	१८०	

तालिका

क्रम संख्या	उद्योग	इकाई	वार्षिक आनुमानिक क्षमता		
			योजना काल का प्रारम्भ १९५०-५१	१९५३-५४	१९५५-५६ (लक्ष्य)
२२	भारी रासायनिक :				
	(१) गन्धकाम्ल	हजार टन	१५०	१९७	२२१
	(२) सोडा ऐश .	,,	५४	६१	८६
	(३) कास्टिक सोडा .	,,	१९	३८	३७
२३	औषध व फार्मेसी संबंधी द्रव्य				
	(१) बेंजीन हेक्साक्लोराइड	टन .	—	५००	५००
	(२) सल्फा ड्रग्स	हजार पौंड	—	७४०	४००
	(३) कैल्सियम लैक्टेट .	,,	—	२३७	११२
२४	पेण्ट और वार्निश . .				
	(१) तैयार-मिश्रित पेण्ट, वार्निश आदि	हजार टन	५६	६५	७०
	(२) पिगमेंट (टिटेनियम डाइ-आक्साइड)	टन .	—	१,८००	१,८००
	(३) नाइट्रो सेल्यूलोज प्रलाक्ष	हजार गैलन	—	४००	३८०
	(४) अल्युमिनियम पेस्ट व चूरा	टन	—	५००	७५०
२५	साबुन	हजार टन	२६५	२८२	२८०
२६	कमाया हुआ चमडा और जूते	हजार जोडे	—	—	—
२७	कागज और गत्ता .	हजार टन	१३७	१७४	२११
२८	सीमेंट . .	,,	३,२८०	४,२४३	५,३०६
२९	शीशा और शीशे का बना सामान :				
	(१) शीशे की चादर .	,,	११,७००	४१,७६०	५२,२००
	(२) फुलाया और दबाया शीशा।	,,	२०२	२०४	२३८
	तरल इंधन				
३०	पेट्रोलियम से बनने वाले पदार्थ:				
	(१) तरल पेट्रोलियम से बनने वाले पदार्थ (क्रूड पेट्रोलियम से बनने वाले)	लाख टन	२.५	२.५	२०

८३ (क्रमशः)

असली उत्पादन					विशेष विवरण
योजना काल का प्रारम्भ १९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५५-५६ लक्ष्य	
९९	१२९	९६	१२०	२००	
४५	४७	४७	५६	७८	
११	१५	१७	२५	३३	
—	—	६६	१३०	५००	उत्पादन के आँकडे जन्त्री के वर्ष से सम्बद्ध है ।
—	—	७०	७७	४००	
—	९०	५९	७०	११२	
२९	३३	३२	३३	६०	
—	१५२	२३४	—	१,८००	क्षमता सम्बन्धी आँकडे १९५३ वर्ष के लिये है और उत्पादन संबधी आँकड़े जन्त्री-वर्ष १९५१, १९५२ और १९५३ के लिये हैं ।
—	९२	१४५	२००	३००	
—	१३	२९६	५६	७५०	
१०६	८६*	८५*	७६*	२००	*ये आँकड़े केवल संगठित फैक्ट्रियों के ही है ।
५,१९५	५,७११	५,०८३	५,६७३	—	
११८	१३५	१३७	१३७	२००	
२,६९२	३,२८१	३,५१०	४,०२८	४,८००	
५,८५०	५,४००	६,१००	११,२५०	२६,०००	
८६	९४	८०	७८	१३८ से १४३ तक	
—	—	—	—	४,०३०*	*लाख गैलनों में

तालिका

क्रम संख्या	उद्योग	इकाई	वार्षिक आनुमानिक क्षमता		
			योजना काल का प्रारम्भ १९५०-५१	१९५३-५४	१९५५-५६ (लक्ष्य)
	(२) बिटुमन*	हजार टन	—	—	अप्राप्य
३१	पावर अलकोहल	लाख गैलन	१३०	१५०	२१०
	सूती वस्त्र				
३२	कपास :				
	(१) सूत	लाख पौंड	१६,६९०	१७,७५०*	१७,२२०
	(२) मिल का बना कपडा	लाख गज	४७,४४०	४९,२२०*	४७,७९०
	(३) हाथ करघे का बना कपडा	"	—	—	—
३३	पटसन	हजार टन	१,२००	१,२००	१,२००
३४	रेयन :				
	(१) रेयन का फिलामैण्ट	लाख पौंड	४०	११२	२२०
	(२) स्टेपल फाइबर	हजार गाँठ	—	२८ ०	२८ ०
३५	ऊनी माल	हजार पौंड	२०,१५०	२०,१५०	२०,१५०
	इमारती लकडी				
३६	माचिस	हजार ग्रुस बक्से	३५,३००	३५,३००	३८३००
३७	प्लाइवुड की चाय की पेटियाँ	लाख वर्गफुट	१,३९०	१,४४०	१,८०० से १,९००
	खाद्य				
३८	नमक	हजार टन	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
३९	चीनी	"	१,५४०	१,६३०	१,५५०
४०	वनस्पति तेल	"	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य
४१	वनस्पति	"	३३३	३४७	३८९

८ ३ (क्रमश)

योजना काल का प्रारम्भ १९५०-५१	असली उत्पादन १९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५५-५६ लक्ष्य	विशेष विवरण
—	—	—	—	३७ ५	*दोनो तेल शोधक कारखानो के अपने पूरे परिमाणमे उत्पादन करने पर द्रव पेट्रोलियम मे बनने वाले पदार्थो का ७३.४० करोड़ गैलन और बिटुमन का १.५० लाख टन वार्षिक उत्पादन होगा।
५०	६५	८०	९०	१८०	
११,७९०	१३,३४०	१४,७६०	१५,२००	१६,४००	*जैसा १ जनवरी १९५४ को था।
३७,१८०	४१,३४०	४७,७००	४९,०६०	४७,०००	
७,४२०	९,०००	१०,०००	१२,०००	१७,०००	*उत्पादन के आँकड़े अनुमानित है।
८९२	९३१	९१०	८६४	१,२००	
७ ५	६६	८७	१०२	२२०	
—	—	—	७.८	२८.०	
१२,०००	१६,९००	१६,२६०	१९,६००	२५,०००	
२९,१००	२९,३००	३२,०००	२९,३००*	३५,३००	*अनुमानित
४५०	६५०	७१०	५००	१,०००	
२,६४७	२,७२०	२,८०२	२,९७३	३,०७६	
११२०	१,४९४	१,२९१	१,००१*	१,५००	*उत्पादन के आँकड़े फसली वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर) के है।
१,१९५	१,१९८	११५४	१,३९८*	१,३००	*अस्थायी अनुमान।
१५३	१८०	१९९	१९९	३००	

तालिका ८४

चुनी हुई ग्रामोद्योग योजनाओं के उत्पादन व्यय और नियोजन का संक्षिप्त विवरण

उद्योग	कुल उत्पादन	अतिरिक्त उत्पादन	व्यय (लाख रुपयों में)	मोटे तौर से अनुमानित नियोजन
ग्रामीण तेल उद्योग	—	३.१६ लाख टन तेल (५ टन प्रति सुधरी घानी के हिसाब से २.६ लाख टन और ०.८५ टन प्रति घानी के हिसाब से ०.५६ लाख टन)	२३३.१	१,००,००० संगठनकर्त्ता, मिस्त्री, तेल पेरन वाले।
नीम के तेल से साबुन बनाना	३,४४८ टन साबुन	३,४४८ टन साबुन	१८.१	३००, व्यक्ति और इसके अतिरिक्त बीज जमा करने में अन्य लोगो को अंशकालीन धंधा।
धान साफ करना	२ लाख टन	—	१.०	४०,००० धान कूटने वाले।
ताड़-गुड़	२,५३,२५२ टन ताड़ गुड़	८१,८५२ टन ताड़ गुड़ (४ साल के बाद आवर्तक अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन ४०,९४३ टन हो जायेगा)।	१००.०	६०,००० कृषक, रस जमा करने वाले आदि।
गुड़ और खांडसारी	(क) ४५० लाख मन अच्छी किस्म का साधारण गुड़ (ख) ५.१ लाख मन शुद्ध साफ गुड़ (ग) १ लाख मन मलाई के रंग का सीरा	शुद्ध लाभ (रुपयो में) (१) बढ़िया ढंग से रस निकालने द्वारा ४ करोड़ (२) अच्छा माल तैयार करने से २.६० करोड़ (३) विक्रय के सुधरे ढंग द्वारा १.६० करोड़। योग ८.२० करोड़	१००.४	१,२०० पूर्णकालीन मजदूर, ३,८०० अंशकालीन मजदूर, ४,६०० स्थानीय अवैतनिक मजदूर, ६,००,००० गन्ना उत्पादक, जो ३०,००० गाँवों में हैं और जिन्हे वर्ष के कुछ भाग

तालिका ८४ (क्रमश.)

उद्योग	कुल उत्पादन	अतिरिक्त उत्पादन	व्यय (लाख रुपयों में)	मोटे तौर से अनुमानित नियोजन
	(घ) १३.६ लाख मन खांडसारी			मे धंधा मिलता है ।
चमड़ा उद्योग	खालें, हड्डियाँ चर्बी, तथा देशी जूते ।	मृत पशुओं से अधिक माल प्राप्त करने के कारण खाल, हड्डी व चर्बी का उत्पादन बढ़ा । अच्छी किस्म के जूते बनाये गये ।	१६०.४	१,२०० व्यक्ति जिनमे लगभग ६०० खाल उधेडने वाले आदि भी है, इसके अतिरिक्त लगभग ८ लाख चमार जो ७२,००० गाँवों मे फैले है ।
ऊन उद्योग	१० लाख कम्बल	१० लाख कम्बल	४७.५	२०० व्यक्ति, ४,००० कातन वालेर २००, बुनक ।
हाथ कागज उद्योग	१,४०० टन बढ़िया किस्म का हाथ-कागज जिस का मूल्य ५४ लाख रुपया कूता गया है ।	१,४०० टन बढ़िया किस्म का हाथ-कागज ।	१८.६	१,००० व्यक्ति कागजबनाने वाले
मधु मक्खी पालन	—	—	१६.३	१५० व्यक्ति बड़े पैमाने पर मधु मक्खी पालने वाले; मधु मक्खी पालकों न सहकारी संस्थाए बनायी है ।
दियासलाई बनाने का कुटीर उद्योग	—	१८ लाख ग्रुस	२०.६	३,००० छात्र-कार्यकर्त्ता, ६,००० मजदूर ।
		योग	७२५.३	

तालिका ८५

स्थल, जल व वायु मार्ग द्वारा मुख्य-मुख्य देशों को किया जाने वाला निर्यात
(१९५२ और १९५३)

(लाख रुपयों में)

देश	१९५२	१९५३
ब्रिटेन . .	१२,५७६	१४,८१४
पाकिस्तान	४,७३५	७८६
कनाडा . . .	१,२७४	१,३९२
आस्ट्रेलिया . . .	२,३४५	१,५९७
इटली . . .	१,०४२	५३७
जर्मनी (पश्चिमी) . . .	१,२४३	१,०३७
मिस्र	६५५	४७२
बर्मा	२,३४९	२,०४५
जापान . . .	२,५२०	२,५८८
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका . .	११,६४९	९,५०३
केनिया उपनिवेश . . .	७०५	५६१
बहरीन द्वीप समूह . . .	१४२	२१५
सिंगापुर .	१,५०८	८२६
सउदी अरब . – .	२९०	३२४
नीदरलैंड्स . . .	१,०३०	६४२
फ्रांस .	५९६	५३४
अन्य देश . .	१६,६७८	१४,४१४
योग .	६१,३२७	५२,२८७
पुनः निर्यात . .	५६८	५७६
सर्व योग	६१,९०५	५२,८६३

तालिका ८६

स्थल, जल व वायु मार्ग द्वारा मुख्य-मुख्य देशों से किया जाने वाला आयात
(१९५२–१९५३)

(लाख रुपयों में)

देश	१९५२	१९५३
ब्रिटेन	१४,८९७	१४,०४३
पाकिस्तान	२,९१४	१,९४३
कनाडा	२,९९६	१,८९२
आस्ट्रेलिया	१,५१०	२,६५६
इटली . .	१,१४६	२,०९०
जर्मनी (पश्चिमी)	२,४१९	२,८७९
मिस्र .	२,०११	२,१७४
बर्मा .	३,१०८	१,८२४
जापान .	१,९४१	१,२४६
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका .	२७,२९६	८,९५२
केनिया उपनिवेश . . .	१,९६७	१,६००
बहरीन द्वीप समूह .	१,७२६	१,७६३
सिंगापुर . .	१,३७७	१,४५६
सउदी अरब . . .	१,५७३	१,३३८
नीदरलैंड्स .	१,२३६	१,१२८
फ्रांस . .	१,३०३	१,०५४
अन्य देश . .	१०,७९६	८,५७९
योग .	८०,१५६	५६,६१७
संक्रमित व्यापार को घटाकर	३२	१५
सर्व योग	८०,१२४	५६,६०२

तालिका ८७

आयात—निर्यात के देशनांक

(आधार : १९४८–४९-१००)

अवधि	निर्यात				आयात				व्यापार के शुद्ध निबन्धन (क)
	खाद्य पेय तथा तम्बाकू	कच्चा माल	तैयार माल	सामान्य	खाद्य पेय तथा तम्बाकू	कच्चा माल	तैयार माल	सामान्य	
	मात्रा सम्बन्धी देशनाक								
१९४९–५०	१०८	९१	१०९	१०५	८६	८१	१०८	९०	
१९५०-५१	१११	८०	१२२	११०	६२	१०१	८३	८३	
१९५१-५२	११५	६३	८९	८९	१४१	१०७	८९	१०८	
१९५२-५३	१०७	८३	९३	९४	७९	७९	६७	७४	
१९५३-५४	१११	४७	१०५	९४	४६	७९	६३	६४	
	मूल्य सम्बन्धी देशनाक (ख)								
१९४९-५०	११३	१०६	१००	१०५	९६	१०३	९५	९८	१०७
१९५०-५१	१३०	१४३	१२२	१२९	९७	१०६	११३	१०६	१२२
१९५१-५२	१५१	१९१	१८५	१७८	११८	१७३	१४५	१४७	१२१
१९५२-५३	१३४	१२०	१०८	११६	१३२	११६	१३७	१२८	९१
१९५३-५४	१३९	१२४	८९	१०७	१२६	१०३	१२६	११८	९१

(क) निर्यात मूल्य देशनाक का आयात मूल्य देशनाक के साथ अनुपात

(ख) चुंगी सहित निर्यात मूल्य के देशनाक

तालिका ८८

जल, स्थल व वायु मार्ग द्वारा आयात की जाने वाली मुख्य जिन्सें

(मूल्य लाख रुपयों में)

वस्तुएं	इकाई	१९५२		१९५३	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
खाद्य तथा पेय					
(१) गेहूं .	मूल्य	—	१२,६३७	—	५,२८२
(२) छिलके रहित चावल .	,,	—	४,८७५	—	१,४७४
(३) ज्वार और बाजरा .	,,	—	२,७५६	—	४७१
योग .			२०,२६८		७,२२७
(४) अण्डे .	हजार	३३,९३३	३४	४८,०८५	७७
(५) फल तथा सब्जी	मूल्य	—	१,३५६	—	१,४७१
(६) घनीकृत दूध . (सुरक्षित रखा गया)	हजार हण्डरवेट	३१२	३५०	४२०	३८५
(७) खाद्य सामग्री और तेली का सामान (घनीकृत तथा सुरक्षित रखे गये दूध के अतिरिक्त)	मूल्य	—	४१९	—	४६०
(८) मसाले .	हजार हण्डरवेट	९०६	५०८	७६९	५३७
(९) अन्य .	मूल्य	—	८९१	—	१,२९९
योग . .			२३,८२५		११,४५६
कपास कच्ची .	हजार टन	२०५	११,५४४	१०८	४,९८६
पटसन (कच्चा) .	,,	२६४	२,३५०	२३४	१,४४०
मशीनें .	मूल्य	—	९,१९५	—	८,५१०
औजार और उपकरण	,,	—	२,१७५	—	२,२८७
मिट्टी का तेल .	हजार गेलन	२,७०,१२६	२,१५३	२,५६,६७३	२,३५५
मिट्टी के तेल के अतिरिक्त अन्य खनिज तेल . .	,,	६,७३,२८०	५,६६४	६,४५,७३३	५,५६१
धातुएं (कच्ची धातों को छोड़कर) .	हजार टन	२६७	४,४९६	२७९	३,८८२
रासायनिक द्रव्य (उवरक और औषधियों के अतिरिक्त) .	मूल्य	—	१,६५४	—	१,१०१
औषधियां . .	,,	—	१,२९५	—	१,१९९
कार तथा बसें .	संख्या	१०,६४५	६९१	९,४४५	५५९
नकली रेशम का सूत .	हजार पौण्ड	१९,१३०	७०७	३४,८९३	१,१३९

तालिका ८८ (क्रमश)

वस्तुएं	इकाई	१९५२		१९५३	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ऊन (कच्चा) और टॉप्स	हजार पौण्ड	१०,०५१	४८६	१४,५८४	७६२
अखबारी कागज	हजार हण्डरवेट	६१६	४६५	१,३६५	५०६
कागज (अखबारी कागज के अतिरिक्त)	,,	८२०	६१६	१,२१६	६०६
सादे रंग, चमडे आदि की रंगाई के काम मे आने वाले रंग	मूल्य	—	१,०७७	—	४३०
हार्डवयर (कटलरी और बिजली की कलई किए हुए सामान के अतिरिक्त	,,	—	४७८	—	४१२
बीज	हजार टन	३०	२८४	३८	३७१
लकडी और इमारती लकडी	मूल्य	—	३१४	—	२२५
सूत	हजार पौण्ड	२१,२३५	४५२	१७,५२८	२५२
साइकिले और उनके पुर्जे	मूल्य	—	३८७	—	१६०
तैयार सूती माल (जिस मे बटा हुआ सूत भी है)	,,	—	५३८	—	३३२
स्वाद	हजार टन	८४	२८८	१३०	३७१
वानस्पतिक तेल	हजार हण्डरवेट	७,८६५	४४२	१०,७११	५८६
ऊन और तैयार ऊनी माल (कच्चा ऊन और टॉप्स को छोड कर)	मूल्य	—	२६२	—	२६१
अन्य (क)	,,	—	८,३१५	—	५,७०५
योग		—	८०,१५६	—	५६,६१७
सक्रमिन व्यापार को घटा कर	,,	—	३२	—	१५
जल, स्थल व वायु मार्ग द्वारा किया गया शुद्ध आयात			८०,१२४		५६,६०२

(क) इसमें धातुओं की कच्ची धातें, पेण्ट, पेण्टरों का सामान, कटलरी, वायुयान तथा अन्य सवारी गाड़ियों के पुर्जे (मोटर और बसों के पुर्जे को छोड़ कर) तम्बाकू, डाक तार का सामान तथा अन्य विविध सामान सम्मिलित है ।

तालिका ८९

जल, स्थल व वायुमार्ग द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य-मुख्य जिन्सें (१९५२–५३)

(मूल्य लाख रुपयों में)

वस्तुएँ	इकाई	१९५२		१९५३	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
खाद्य पेय और तम्बाकू					
–चाय	लाख पौंड	४,१३०	८०,८००	५,०२०	१,०२,१२०
काजू की गिरी	हजार टन	२६	१,२१२	२८	१,१८८
अन्य फल और सब्जियाँ	मूल्य	—	७०३	—	२९४
काली मिर्च	हजार हण्डरवेट	२९४	१,८००	२२९	१,३१८
अन्य मसाले	मूल्य	—	९५०	—	३८५
तम्बाकू .	लाख पौंड	९९०	१८,३१०	७३०	१२,३००
कच्चा माल					
कपास (कच्ची)	हजार टन	४६	१,५१२	४५	१,१००
लाख .	हजार हण्डरवेट	६५८	८३९	५८६	६८२
अभ्रक	"	३०७	९५९	२३३	८४८
अलसी .	हजार टन	३	२४	—	—
अरण्डी का तेल	"	५	४४	—	—
मूंगफली का बीज .	"	१७	२०१	१०	११४
कोयला . .	"	३,०६३	१,०९२	२,०९८	७६४
मैंगनीज की धातु .	"	१,४१२	२,१६३	१,६५८	२,५७०
चमड़े और खाल(बिना कमाई हुई) .	"	१५	५८५	१३	५८८
रुई का कचरा .	हजार हण्डरवेट	१,१७२	९४३	१,१८५	९०१

तालिका ८९ (क्रमशः)

वस्तुएं	इकाई	१९५२		१९५३	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ऊन (कच्चा) .	लाख पौंड	३९०	८,६२०	२४०	६,५३०
उत्पादित वस्तुएं					
मूंगफली का तेल .	हजार हण्डरवेट	१,२३१	९७५	३२२	२४७
अलसी का तेल .	,,	६७३	६१५	१५१	१०९
चमड़ा और खाल (तैयार)	हजार टन	२१	१,७६९	२८	२,६४६
अरण्डी का तेल	हजार हण्डरवेट	६४५	७०९	५४९	४९३
तैयार माल					
सूती पीस गुड्स	लाख गज	५,९८०	६८,३१०	६,५८०	५६ ३९०
अन्य सूती माल	मूल्य	—	९२१	—	७४२
पटसन का तैयार माल	हजार टन	७३७	१६,२८५	७४८	११,०६३
ऊनी गलीचे और नमदे	लाख पौंड	७०	२,७१०	९०	३,६५०
नारियल की जटा और उससे बना सामान	हजार हण्डरवेट	१,२२०	७३६	१,४७६	७८९
दूसरी वस्तुएं	मूल्य	—	९,१२५	—	७,२७७
योग . .			६१,३३७		५२,२८७

सहायक ग्रन्थ सूची

१. वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय . रिपोर्ट, १९५३–५४
२. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया . . रिपोर्ट ऑन करेन्सी एण्ड फिनान्स, १९५३-५४
३. योजना आयोग . प्रथम पंचवर्षीय योजना
४ योजना आयोग . . पंचवर्षीय योजना : प्रगति रिपोर्ट १९५३–५४
५. मैन्ट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन केबिनेट सैक्रेटेरियट . . स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट, इण्डिया १९५१–५२
६ जथार, जी० बी० और बेरी, एस० जो० . इण्डियन इकनॉमिक्स, भाग २ (८ वां संस्करण, १९४९)

उन्नीसवाँ अध्याय

वैज्ञानिक शोध

भारत में वैज्ञानिक शोध का कार्य बहुत समय तक विश्वविद्यालयों तथा दूसरी गैर-सरकारी शोध संस्थाओं तक सीमित रहा । इन संस्थाओं ने अनेक विद्वानों द्वारा विज्ञान की उन्नति में महत्त्वपूर्ण योग दिया जिनमे प्रमुख व्यक्तियों के नाम ये है : श्रीनिवास रामानुजम्, जे० सी० बोस, पी० सी० राय, बीरबल साहनी, सी० वी० रमन्, मेघनाद साहा, एच० जे० भाभा, एस० एस० भटनागर, के० एस० कृष्णन्, चन्द्रशेखरन्, टी० एस० वेंकटरमन् और एस० कोठारी ।

वैज्ञानिक शोध को सरकारी सहायता देने का कार्य हाल में ही प्रारम्भ हुआ है । इस दिशा में पहला कदम १९३५ मे उठाया गया, जब सरकार ने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक शोध सस्थान बनाने के उद्देश्य से इण्डस्ट्रियल रिसर्च एण्ड इंटैलिजैन्स ब्युरो की स्थापना की । एक इण्डस्ट्रियल रिसर्च कौंसिल को भी स्थापना की गई जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के प्रतिनिधि थे । इस संस्था का उद्देश्य यह था कि औद्योगिक शोध में सामञ्जस्य और प्रगति करने के विषय मे यह सरकार को सलाह दे । इस संस्था के लिए केवल दो लाख रुपये वार्षिक नियत किये गये थे जिससे इसके कार्य संचालन तथा विस्तार में बहुत बाधा पहुँची ।

दूसरे महायुद्ध का समय बहुत महत्त्वपूर्ण था क्योकि उस समय भारत मे उपलब्ध साधनो का अधिकतम वैज्ञानिक उपयोग करने की आवश्यकता थी । युद्ध की आवश्यकताओं और देश में शोध के लिए बढ़ती हुई जागृति को ध्यान मे रखते हुए १९४० मे सरकार ने बोर्ड ऑफ साइण्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की । १९४१ में कौंसिल ऑफ साइण्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की गई ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध का कार्य करने वाली प्रयोगशालाओं की स्थापना, उनकी देख भाल और उनका प्रबन्ध करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद् की स्थापना एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में की गई । यह कौंसिल छात्रों को शोधकार्यों के लिये वृत्तियाँ तथा फेलोशिप देती है, तथा औद्योगिक विकास के लिय शोध-कार्य का उपयोग करती है ।

इसके अतिरिक्त यह संस्था शोध सम्बन्धी विषयों पर पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करती है इसका उद्देश्य विज्ञान तथा औद्योगिक विषयो मे सम्बन्धित सूचनाओं का प्रचार करना है ।

वित्त की व्यवस्था

इस कौसिल को मुख्यत: केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है। १९४२ मे आवर्तक व्यय के निमित्त ११,००,००० रुपयों की व्यवस्था की गई थी। १९५३–५४ मे यह रकम बढा कर १,७४,००,००० रुपये कर दी गई। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध केन्द्रो की स्थापना के लिये राज्य सरकारो द्वारा इस कौसिल को विशाल भवन और भूमि के रूप मे महत्त्वपूर्ण सहायता मिली। इस परिषद् के प्रकाशनो की बिक्री तथा उसके पेटेन्ट तथा सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशनो से मिलने वाली रायल्टी से भी अच्छी आय हो जाती है। १९५३–५४ मे इस सस्था पर अनुमानित व्यय की रकम २,०२,००,००० रुपये थी।

प्रशासन

यह परिषद् एक शासन सस्था (गवर्निंग बॉडी) द्वारा शासित होती है जिसके सभापति प्रधान मत्री और उप-सभापति प्राकृतिक साधनो और वैज्ञानिक शोध के मत्री ह। वैज्ञानिक, वाणिज्य तथा औद्योगिक क्षेत्रो के गैर-सरकारी सदस्य तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उस शासन संस्था मे सम्मिलित किये गये है। प्रौद्योगिक मामलों मे इस शासन संस्था को बोर्ड ऑफ साइण्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च सलाह देता है। इस बोर्ड के १९ सदस्य है, जिनमे से ९ सदस्य प्रमुख वैज्ञानिक है, जो गैर-सरकारी है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक शोध मे अभिरुचि रखने वाले सरकारी विभाग के सदस्य भी इसमे सम्मिलित होते है। यह बोर्ड निम्नलिखित विषयो पर शासन सस्था को सलाह देता है. (१) निर्दिष्ट समस्याओ के सम्बन्ध मे शोध कार्य प्रारम्भ करने के प्रस्तावों के विषय मे (२) वैज्ञानिक संस्थाओ द्वारा जिनमे विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है किसी विशेष विज्ञान तथा उद्योग मे सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन करने के प्रस्तावो के विषय मे (३) देश मे उपलब्ध साधनो के अध्ययन और सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्तावो के विषय मे जो कि व्यवस्थित जाँच के लिए प्राथमिक आवश्यकता वाले है।

इस बोर्ड की सहायता के लिये २५ शोध सलाहकार समितियाँ है।

सरकारी और गैर-सरकारी सस्थाओ द्वारा किये जाने वाले शोध सम्बन्धी कार्यो मे सामञ्जस्य और निगरानी रखने के उद्देश्य से जून १९४८ में भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक शोध-विभाग की स्थापना की गई थी। यह विभाग आगे चल कर प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक शोध मन्त्रालय में मिला दिया गया जिसकी स्थापना फरवरी १९५४ में हुई थी।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ

स्वतंत्रता के बाद देशभर में अनेको राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। ये संस्थाएँ मौलिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार के शोध कार्य करती है। प्रस्तुत तालिका में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ का विस्तृत विवरण दिया गया है।

तालिका ९०

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम	स्थिति	उद्घाटन तिथि	निर्देशक
१	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला	पूना	३ जनवरी १९५०	जी० आई० फिच
२	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग-शाला	नई दिल्ली	२१ जनवरी १९५०	के० एस० कृष्णन्
३	केन्द्रीय ईंधन शोध संस्था	जीलगोरा	२२ अप्रैल १९५०	ए० लाहिडी
४	केन्द्रीय शीशा और सिरामिक शोध संस्था	जादवपुर	२५ अगस्त १९५०	आत्माराम
५	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्था	मैसूर	२१ अक्तूबर १९५०	बी० ब्रह्मण्यम्
६	राष्ट्रीय धातुशोध प्रयोग-शाला	जमशेदपुर	२६ नवम्बर १९५०	ई० एच० बुकनाल
७	केन्द्रीय औषध शोध संस्था	लखनऊ	१७ फरवरी १९५१	बी० मुखर्जी
८	केन्द्रीय सडक शोध संस्था	नई दिल्ली	१९ जुलाई १९५२	ई० जिप्केस
९	केन्द्रीय विद्युत्-रासायनिक शोध संस्था	कराइकुडी	१५ जनवरी १९५३	बी० बी० दे
१०	केन्द्रीय चर्म शोध संस्था	मद्रास	१९ जनवरी १९५३	बी० एस० दास
११	केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्था	पिलानी	२१ सितम्बर १९५३ को आधारशिला रखी गई	
१२	राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान	लखनऊ	अप्रैल १९५३	के० एन० कौल
१३	केन्द्रीय भवन निर्माण शोध संस्था	रुडकी	१३ अप्रैल १९५३	के० बिल्लिंग
१४	केन्द्रीय लवण शोध संस्था	भावनगर	१० अप्रैल १९५४	माता प्रसाद

परिषद् ने लखनऊ के सिकन्दर उद्यान को राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान बनाने के उद्देश्य से अपने अधिकार में ले लिया है। प्रथम पंच वर्षीय योजना में एक यांत्रिक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई है। इन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निर्माण और उनके लिये यंत्रों की व्यवस्था करने के लिये अक्तूबर १९५३ तक ४,२९,००,००० रुपये व्यय हुए।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का उद्देश्य देश की अन्य शोध संस्थाओं के कार्यों को किसी प्रकार दबाना या उनके मार्ग में रोड़े अटकाना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बनाने में सरकार का उद्देश्य यह है कि ये उन संस्थाओं की सहायक के रूप में कार्य करें। देश में ऊपर बताई गई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य शोध संस्थाएँ भी हैं जो भौतिक प्रौद्योगिक विज्ञानों से सम्बन्ध रखती हैं। ये संस्थाएँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और उनके कार्यों में

सरकार अथवा उद्योगों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता । ये संस्थाएं शुद्ध शोध कार्य करती हैं। ये संस्थाएँ निम्नलिखित हैं :

(१) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, ५३ यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।

(२) बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ९३, अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता ।

(३) इण्डियन एसोसियेशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइन्सेज, बहु बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता ।

(४) इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ साइन्सेज, बंगलोर ।

(५) लेबोरेट्रीज ऑफ दी इण्डियन एकेडमी ऑफ साइन्स (रमन इन्स्टीट्यट) मल्लेश्वरम, बंगलोर ।

(६) टाटा इन्स्टीट्यट ऑफ फन्डामेन्टल रिसर्च, बम्बई ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध सम्बन्धी केन्द्रीय प्रयोगशाला की नई इमारत का उद्घाटन २ जनवरी १९५४ को हैदराबाद के निकट उप्पल में प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने किया । यह संस्था विकास सम्बन्धी और प्रारम्भिक उद्योग सम्बन्धी शोध को अधिक महत्त्व देती है । यह दक्षिण भारत की एक प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला है, जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ निकटतम सम्पर्क में कार्य करती है । सुसंगठित वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध द्वारा हैदराबाद राज्य के विकास मे सहायता करना ही इसका मुख्य कार्य है ।

ब्रिटेन की प्रचलित परिपाटी के अनुसार ही कौंसिल ऑफ साइन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च औद्योगिक शोध संस्थानो के संगठन मे सहायता करती है । इस प्रकार के संगठन अहमदाबाद सूती कपडा उद्योग, बम्बई की असली और नकली रेशम की मिलो, कलकत्ते की पटसन मिलो, तथा श्रीराम औद्योगिक शोध संस्थान दिल्ली द्वारा पहले ही बनाये जा चुके हैं । इनमें होने वाले शोध कार्य के लिये सरकार थोडी सी सहायता देती है परन्तु जिन उद्योगो मे इन संगठनों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है वे ही इसका अधिकतम खर्च उठाते हैं । परिषद् इस प्रकार की शोध संस्थाओं को स्वीकृति देती है ।

नोबल पुरस्कार विजेता प्रो० ए० एच० कौम्पटन ने ५ अप्रैल, १९५४ को कश्मीर राज्य के गुलमर्ग नामक स्थान मे अधिक ऊँचाई पर ब्रह्माण्ड किरणो के सम्बन्ध मे अनुसन्धान कार्य के लिये एक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया । यह प्रयोगशाला ९ हजार फुट की ऊँचाई पर स्थित है तथा कश्मीर और अलीगढ विश्वविद्यालयों के तत्त्वावधान मे काम करती है । अलीगढ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिल इसके संचालक हैं ।

सहायताप्राप्त अनुसन्धान कार्य

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद् विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को सहायता के लिए अनुदान देकर मौलिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के शोध कार्य को बढावा देती है । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद् की शोध समिति द्वारा १९५३–५४ के लिये दिये गये सुझावों के अनुसार आरम्भ की गई शोध योजनाओं की संख्या १२० से अधिक थी । १९५४–५५ में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिये १९ नई परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई ।

जो शोध योजनाएँ देश के विभिन्न केन्द्रों में पहले से ही चल रही थीं उनकी अवधि बढ़ा दी गई ।

जंत्री शोध

आजकल देश में ३० प्रकार की जंत्रियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं । ये जंत्रियाँ भारत के राजनीतिक तथा सास्कृतिक इतिहास का परिणाम हैं । यह तथ्य अब सर्वमान्य है कि सभी कार्यों को चलाने के लिये एक ही जंत्री का होना आवश्यक है । अतः १९५३ के आरम्भ में भारत सरकार ने एक जत्री सुधार समिति वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद् के अन्तर्गत बनाई जिसके प्रधान डा० मेघनाद साहा थे । यह प्रयास किया जा रहा है कि वैज्ञानिक आधार पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सौर जत्री बनाई जाये जिसके साथ चान्द्र-जंत्री, जो कि धार्मिक कृत्यों के लिये आवश्यक है, समानुकूलता के साथ सम्बद्ध रहेगी । इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय किया जा चुका है कि ग्रीनविच से ८२ ½ अंश पूर्व में एक स्थान चुना जाये जो भारत का केन्द्रीय स्थान हो । यह स्थान उज्जैन के अक्षाश पर स्थित होगा । यहाँ से सारे देश की सब प्रकार की गणनाएँ की जा सकेंगी । समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि खगोल सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यों के लिये एक केन्द्रीय वेधशाला बनायी जाये जिसमें आधुनिक यंत्र लगे हों । अगले पाँच वर्षों के लिये एक परीक्षणात्मक चान्द्र–सौर जंत्री बनाने के लिये सिद्धान्त और नियम निर्धारित किये जा चुके हैं । परिषद् की जत्री सुधार समिति ने एक भारतीय ज्योतिष सम्बन्धी तथा जहाजियों के प्रयोग में आ सकने वाली जंत्री बनाने की सिफारिश की है जिसमें सब ग्रहों तथा आकाशीय पिण्डों की अग्रिम स्थिति दिखायी गई हो ।

रेडियो अनुसन्धान

एक रेडियो अनुसन्धान समिति स्थापित की गई है जो रेडियो के बल्बों, रेडियो तरंगों के प्रविक्षेपण तथा अभिस्पदन और सूक्ष्म-तरंगों के सविलयन के सम्बन्ध में आधारभूत और व्यावहारिक अनुसन्धान करती है । इसके अतिरिक्त यह समिति वायुमण्डलीय तथा अयनमण्डल के सम्बन्ध में भी खोज कर रही है । अनुसन्धान के परिणामों को बुलेटिन के रूप में प्रकाशित किया जाता है जिनका ऐसे ही कार्य में लगे हुए विदेशी संगठनों के प्रकाशनों के साथ विनिमय किया जाता है ।

भारत में रेडियो अनुसन्धान का आयोजित कार्यक्रम निर्धारित करने के लिये एक उपसमिति बनायी गई थी । इसका उद्देश्य था उद्योग के लिये कच्चे माल का सर्वेक्षण करना । इस समिति ने अन्य सुझावों के साथ लगभग १ दर्जन प्राकृतिक रूप में उपलब्ध पदार्थों की एक सूची तैयार की है जो विकास के लिये उपयोगी पाये गये हैं । इसने विकास का कार्य करने के लिये इकाइयों (यूनिटों) की स्थापना की भी सिफारिश की है । अलग–अलग वस्तुओं के उत्पादन के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम भी बनाया गया है । रक्षा मंत्रालय ने असैनिक वैज्ञानिकों के लिये एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कोर्स आरम्भ किया है जिसमें राडार और माइक्रोवेव विज्ञान की शिक्षा दी जायेगी ।

समुद्रविज्ञान सम्बन्धी शोध

१९५३ में भारत के पूर्वी तट पर आध्र विश्वविद्यालय द्वारा कुछ समुद्र में मिलने वाले पदार्थों की प्रारम्भिक जाँच पड़ताल की गई थी । यह जाँच पडताल का कार्य परिषद् द्वारा

स्वीकृत एक कार्यक्रम के अन्तर्गत इसी विश्वविद्यालय के प्रो० सी० महादेवन् की देख रेख में १९५४ में भी जारी रक्खा गया। उन्होंने आई० एन० एस० रुहेलखंड नामक जहाज द्वारा बंगाल की खाड़ी का पाँच बार चक्कर लगाया और तट से विभिन्न दूरी पर समुद्र की सतह पर जमी हुई काइयों (सेडिमेंट) के कई नमूने निकाले। इनमें जो पदार्थ मिलते हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

बायोकेमिकल जाँच (शोध)

बायोकेमिकल शोध समिति द्वारा की जाने वाली जाँच पड़ताल चल रही है। जिन विषयों पर जाँच की जा रही है उनमें माइक्रोब द्वारा उत्पन्न होने वाले विटामिन और चिकनाई वाले पदार्थ, भारतीय खाद्यान्नों में होने वाला ट्रिपसिन, ताड़गुड़ और डिब्बों में सुरक्षित रक्खे जाने वाले पदार्थों की पोषक शक्ति आदि है।

फार्मेसी में उत्पादित द्रव्य तथा दवाएँ

वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद की फार्मेसियों में उत्पादित दवाओं की शोध सम्बन्धी संस्था और वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की फार्मेस्युटिकल जाँच समिति ने आधारभूत रासायनिक पदार्थों और दवाओं के विकास, वानस्पतिक औषधियों के सर्वेक्षण, संग्रह और स्तरीयकरण और इस देश में उपलब्ध वृक्षों से तैयार औषधियों के निर्माण के विषय में अपनी सिफारिशें तय्यार की हैं। दवाइयों और फार्माकॉलोजी में मूलभूत शोध के लिये तथा नकली दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कठोर नियम बनाने की भी उन्होंने सिफारिश की है। मलेरिया निवारक औषधियों के उत्पादन के लिये एक प्रारम्भिक कारखाना खोलने का भी सुझाव दिया है। दिल्ली की डी० डी० टी० फैक्टरी में तथा डी० सी० आर० लखनऊ में परीक्षणात्मक रूप में प्रारम्भिक यंत्रों की सुविधा की व्यवस्था के लिये भी प्रस्ताव किया है।

बाजारों में मिलने वाली देशी दवाओं की जाँच की जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि उनका ठीक-ठीक मूल्याकन किया जा सके। आयात की कई औषधि बनाने वाली मशीनों की भी जाँच पड़ताल इस उद्देश्य से की जा रही है कि वे भारत की परिस्थितियों के कहाँ तक अनुकूल हैं, इसका पता लग सके।

चश्में का शीशा

देश में चश्मों के शीशे के उत्पादन के लिये एक कारखाना स्थापित करने के सुझाव को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है। चश्मे के शीशों को अत्यन्त आधुनिक ढंग से बनाने की विधि की अमेरिका के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैन्डर्डस् में कलकत्ता स्थित सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ अधिकारियों ने शिक्षा प्राप्त कर ली है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद् की ग्लास एण्ड फैक्टरीज रिसर्च कमेटी ने सुझाव दिया है कि देश में चश्मे का शीशा बनाने का एक कारखाना खोला जाये जिसमें पाँच टन शीशा तैयार हो सके। प्रारम्भ में इस योजना पर ५ लाख रु० व्यय होने का अनुमान है और बाद में २ लाख रुपये और व्यय होने की आशा है।

चमड़ा सम्बन्धी शोध

केन्द्रीय चमड़ा शोध संस्था मद्रास में किये गये शोध कार्यों के परिणामस्वरूप बकरे के चमड़े से बॉक्स-हाइड लैदर और ग्लेज्ड किड लेदर बनाने की जर्मन और अमेरिकन प्रणालियों को

भारतीय वातावरण के अनुकूल बनाने में सफलता मिली है। कारखाना खोलने के लिये किये गय प्रारम्भिक परीक्षण से यह सिद्ध हुआ है कि इन दोनों विधियों को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है और अब उनका व्यापारिक परीक्षण किया जा रहा है।

कच्चे कोयले की सहायता से लोहे का उत्पादन

परिषद् ने एक शोध योजना की स्वीकृति दी है जिसके अन्तर्गत कच्चा कोयला प्रयुक्त की जाने वाली छोटी भट्ठियों में लोहे के उत्पादन के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल की जा सके। देश में पक्के कोयलों की उपलब्धि के साधन सीमित होने के कारण लोहा पिघलाने के उद्योगों में पक्के कोयले के स्थान पर कच्चे कोयले का प्रयोग किया जाये यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

सांख्यिकीय गुण नियंत्रण

अभी कुछ समय से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद् बम्बई के इण्डियन स्टेटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट में मुख्यागत गुण-नियन्त्रण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने की एक योजना को वित्तीय सहायता दे रही है। कलकत्ते की इण्डियन स्टेटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट में एक पूरे समय तक कार्य करने वाली स्टेटिस्टिकल यूनिट की स्थापना की गई है। यह संस्था वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद् और इण्डियन स्टेन्डर्ड इन्स्टीट्यूट की मुख्या गत गुण-नियन्त्रण समिति के साथ मिल कर कार्य करेगी। सरकारी काम करने के साथ-साथ यह यूनिट उद्योग के निजी क्षेत्र को भी सहायता देगी, ऐसी आशा है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद् ने इस यूनिट को २० हजार रुपये का अनुदान दिया है।

विज्ञान मन्दिर

गाँवों की कृषि और स्वास्थ्य सम्बन्धी दैनिक समस्याओं पर गाँव वालों को सलाह देने के लिये विज्ञान मन्दिर नामक संस्था बनाई गई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद् के तत्त्वावधान में देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के अनेकों केन्द्र खोलने का विचार है। ये केन्द्र (क) भूमि और जल विश्लेषण (ख) पादप व्याधि-विद्या पर (ग) शारीरिक विकार सम्बन्धी रोग विज्ञान के परीक्षणों पर (घ) पौधों में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के विषय में सरल विज्ञान साहित्य प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। परीक्षण के उद्देश्य से अगस्त १९५३ में दिल्ली के निकट एक गाँव में विज्ञान मंदिर की स्थापना की गई। इस केन्द्र का कार्य बहुत सन्तोषजनक रहा अतः इस प्रकार के केन्द्रों की दूसरे राज्यों में भी स्थापित करने की योजना है।

इंजीनियरिंग शोध

इंजीनियरिंग सम्बन्धी शोध को प्रोत्साहन देने और पारस्परिक सामञ्जस्य बढ़ाने के उद्देश्य से १९५० में बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च की स्थापना हुई। इसकी सहायक समितियों के रूप में निम्नलिखित ५ विशेषज्ञ समितियाँ काम करती हैं—(१) सिविल इंजीनियरिंग कमेटी (२) मेकेनिकल इंजीनियरिंग कमेटी (३) इलैक्ट्रिकल एण्ड रेडियो इंजीनियरिंग कमेटी (४) हाइड्रॉलिक कमेटी और (५) एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कमेटी।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के एप्लाइड मैकेनिक्स एण्ड मेटेरियल्स विभाग के प्रधान श्री वी० काडाम्बे ने इंजीनियरिंग की विविध शाखाओं के क्षेत्र में की गई शोध की प्रगति का मूल्यांकन किया है। इस जाँच से ज्ञात हुआ कि सिविल इंजीनियरिंग, हाईड्रॉलिक तथा सिंचाई के क्षेत्रों

में काफी प्रगति हुई है किन्तु मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अनुसन्धान और विकास में प्रगति नगण्य रही है। शोध का उचित उपयोग न होने से इस पिछड़ेपन के कारणो की जाँच विस्तारपूर्वक की गई है और इसमे सुधार के लिए उचित सुझाव दिये गये है।

वैज्ञानिक सम्पर्क

केन्द्रीय सरकार की ओर से एक वैज्ञानिक सम्पर्क कर्मचारी इंगलैण्ड मे नियुक्त है। यह कमचारी सरकार को इंगलैण्ड मे होने वाली विज्ञान सम्बन्धी प्रगति की सूचना देता रहता है और यूरोप की शोध संस्थाओ मे भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करता है।

राष्ट्रीय शोध विकास निगम

भारत के राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं मे तथा अन्य शोध सस्थानो में निरन्तर नई-नई प्रक्रियाओं तथा पद्धतियो का आविष्कार होता है। इन आविष्कारो का कार्यरूप मे उपयोग करने के लिये उद्यमी उद्योगपतियो की आवश्यकता होती है। निजी उद्योग प्रायः ऐसे कार्यो मे हाथ डाल कर खतरा उठाने को तैयार नही होते। नये आविष्कारो और प्रक्रियाओ की व्यापारिक उपयोगिता की जाँच करने के लिये भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोध विकास निगम नामक एक संस्था की स्थापना की है। यह सस्था आविष्कृत विधियो और आविष्कारो का परीक्षण करने के लिये नये यन्त्र लगायेगी।

यह निगम भारतीय कम्पनी कानून के अन्तर्गत सरकार द्वारा चालित कम्पनी के रूप मे स्थापित हुआ है। इसकी स्थापना के प्रारम्भिक कार्यों की देखभाल करने के लिये एक समिति बनाई गई है। इस निगम के लिए अर्थ की व्यवस्था सरकार करती है। यह आर्थिक व्यवस्था ब्याज मुक्त दीर्घ कालीन कर्ज के रूप मे या बहुत कम ब्याज की दर वाले कर्ज के रूप मे की जाती है।

अणु शक्ति आयोग

अगस्त १९४८ मे अणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई। यह आयोग अणु शक्ति के विकास और उसके उपयोग सम्बन्धी सभी विषयो पर कार्य करता है।

अणु शक्ति अनसन्धान बोर्ड और ब्रह्माण्ड रश्मि समिति शिक्षा और शोध सम्बन्धी कार्यक्रम को पूरा करने मे आयोग की सहायता करती है। देश की वैज्ञानिक संस्थाओ मे गणित, रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान मे अध्यापन के मानदड को ऊँचा उठाने के लिये सरकार पर्याप्त मात्रा मे उन्हे अनुदान देती है। आयोग का अनुसन्धान कार्य विश्व-विद्यालयो, टाटा संस्थान तथा अन्य सस्थानो मे पूरा किया जाता है। आयोग ब्रह्माण्ड रश्मि शोध कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रति वर्ष लाखो रुपये व्यय करता है। इस कार्य के लिये जिन सस्थाओं को सरकार से अनुदान मिलता है, उनमे कलकत्ता के इस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स और बोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, तथा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद है।

आयोग ने तिरुवांकुर-कोचीन के अल्वाए नामक स्थान में इण्डियन रेअर अर्थ लिमिटेड की स्थापना की है। अप्रैल १९५२ में यह कारखाना स्थापित हुआ और इसमें मोनॉजाइट पर शोध कार्य होता है। यह कारखाना लागत मल्य पर पर्याप्त लाभ पैदा करेगा और साथ ही देश को युद्ध की दृष्टि से उपयोगी पदार्थ प्रदान करेगा।

यह आयोग एक दूसरा कारखाना खोल रहा है जो अलवाए के कारखाने मे निकले हुए व्यर्थ पदार्थों से यूरेनियम नामक द्रव्य निकालेगा।

१९५४ में भारत सरकार ने अणु शक्ति विभाग की स्थापना की जो प्रधान मंत्री के अधीन है। अणु शक्ति आयोग के प्रधान डा० एच० जे० भाभा इसके सचिव है। यह विभाग बम्बई में स्थित है और यह अणु शोध सम्बन्धी सभी विषय प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक शोध मन्त्रालय से लेगा।

न्यूक्लियर शोध

न्यूक्लियर शोध का कार्य भारत में हाल ही मे आरम्भ हुआ है। १९४५ में स्थापित टाटा इस्टीट्यूट ऑफ़ फडामेंटल रिसर्च द्वारा किया गया शोध कार्य इस दिशा में अग्रगामी रहा है। यह सस्था छात्रों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त न्यूक्लियर भौतिक विज्ञान मे शोध कार्य भी करती है। बगलोर की इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ साइन्स की भाँति यह सस्था भी अधिकाश में भारत सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर आश्रित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेन्टल रिसर्च की नई इमारत का शिलान्यास प्रधान मंत्री ने जनवरी १९५४ में किया। इस सस्था के (न्यूक्लियर इमल्शन ग्रुप) विभाग ने नये और अधिक उन्नत साधनों के विकास में बड़ा योग दिया है। इस संस्था का गणित विद्यालय भारत में अपने प्रकार का सबसे बडा है। कलकत्ता के न्यूक्लियर फिजिक्स, इंस्टीट्यूट का उद्घाटन १९५० मे मदाम जूलियो क्यूरी ने किया।

भारत का वैज्ञानिक प्रलेखीकरण केन्द्र

१९५२ मे भारत सरकार और सयुक्त राष्ट्र सघ के आर्थिक शिक्षा, सामाजिक और सास्कृतिक सगठन मे एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत राष्ट्र सघ के आर्थिक, शिक्षा, सामाजिक तथा सास्कृतिक सगठन ने इस केन्द्र के निर्माण के लिये तीन वर्ष तक औद्योगिक सहायता देना स्वीकार किया।

भारत का वज्ञानिक प्रलेखीकरण केन्द्र देश मे किये गये वैज्ञानिक कार्यो की रिपोर्ट का—चाहे वह प्रकाशित या अप्रकाशित हो—राष्ट्रीय भण्डार है। यह राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में स्थित है और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली के निर्देशक के प्रशासनिक अधिकार मे है। बज्ञानिक और औद्योगिक शोध के निर्देशक के सभापतित्व में एक सलाहकार समिति बनी है। भारत के वज्ञानिक प्रलेखीकरण केन्द्र के तीन मुख्य भाग है, जिनका मुख्य सम्बन्ध सक्षिप्त करने और प्रलेख तैयार करने, अनुवाद करने तथा फोटोग्राफ़ी से है। केन्द्र ने प्राप्य पत्रों और शोध सस्थानो के नामो का एक कैटलॉग संग्रहीत किया है। इस कार्य में केन्द्र को भारतीय पुस्तकालय सस्था द्वारा सहायता मिली है।

देश के सभी वैज्ञानिक सस्थाओं के पुस्तकालयों ने इस सस्था को पुस्तकें देने की सुविधाएं प्रदान की हैं।

प्रकाशन

परिषद् का प्रकाशन विभाग निम्नलिखित प्रकाशन निकालता है :

(१) वैल्थ ऑफ़ इण्डिया

इस परिषद् के प्रमुख प्रकाशनो में डिक्शनरी ऑफ़ इण्डियन रॉ मेटीरियल्स एण्ड इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है जो वैल्थ ऑफ़ इण्डिया के नाम से विख्यात है। इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य भारत की वर्तमान विस्तृत सम्पत्ति और उसके आँकड़ों की सूचना उपस्थित करना है। इस पुस्तक के दस

भाग हैं। प्रत्येक भाग दो भागो मे विभक्त है, जिसमे से एक का सम्बन्ध वनस्पति-सामग्री से और दूसरे का पशु और खनिज साधनो से है। अब तक के प्रकाशनों में ६ भाग तो ऐसे है जिनमें कच्चे माल का विवरण है और अन्य तीन भागों मे औद्योगिक उत्पादन का। सातवाँ भाग जिसमें कच्चे माल का वर्णन है और 'एफ' 'जी' तक के अक्षरो वाले नाम है, प्रकाशित होने जा रहा है।

प्रकाशित पत्र

इस परिषद् द्वारा प्रकाशित दो त्रैमासिक पत्रिकाए, जिनमे एक जर्नल ऑफ साइण्टिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च है जो अंग्रेजी मे प्रकाशित होती है और दूसरा विज्ञान प्रगति है जिसका प्रकाशन हिन्दी मे होता है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध पत्रिका का प्रकाशन १९४२ मे प्रारम्भ हुआ। इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य था कि परिषद् की अपनी प्रयोगशालाओं मे किये जाने वाले शोध कार्यो के परिणाम और विश्वविद्यालयो तथा सहायक अनुदान के अन्तर्गत शोध कार्य करने वाली संस्थाओं के शोध कार्यो का प्रकाशन किया जाये। इसके अतिरिक्त इस पत्र मे अन्य स्थानो पर किये जाने वाले शोध कार्यो का भी प्रकाशन होता है तथा यह एक महत्त्वपूर्ण सदर्भ पत्र होने का प्रयोजन भी सिद्ध करता है।

विज्ञान प्रगति की स्थापना १९५२ मे हुई। इसका उद्देश्य शोध सम्बन्धी सूचना का प्रचार करके और छोटे तथा घरेलू उद्योग धधो को लाभ पहुँचाना था।

बुलेटिन्स एण्ड मोनोग्राफ्स

ये प्रकाशन जिनका सम्बन्ध परिषद् के अधीन २३ शोध समितियों के कार्यविधियो से है, समय-समय पर सरकारी विवरण और वृतात के रूप मे प्रकाशित किये जाते है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ मे पूरी की जाने वाली शोध योजनाओ के सम्बन्ध मे विवरण भी प्रकाशित किये जाते हैं।

नेशनल रजिस्टर ऑफ साइण्टिफिक एण्ड टेक्निकल पर्सनल

परिषद् द्वारा प्रकाशित दूसरा प्रमुख प्रकाशन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक कमचारियो की बही है। भारत सरकार ने एक जनशक्ति समिति बनाई है जिसने कुछ सुझाव दिये है। निम्नलिखित भाग प्रकाशित किये जा चुके है :

प्रथम भाग	इजीनियर्स	३ खण्ड (११,९१६ प्रविष्टियाँ)
दूसरा भाग	डाक्टर	२ खण्ड (८,८०० प्रविष्टियाँ)
तीसरा भाग	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक कर्मचारी	२ खण्ड (९२९ प्रविष्टियाँ)

सहायक ग्रन्थ सूची

१. कौसिल ऑफ साइण्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च: ए रिव्यू, १९५४
२. " " समाचार
३. दि इण्डियन नेशनल साइण्टिफिक डॉक्युमेण्टेशन सेण्टर, १९५३–५४

बीसवाँ अध्याय

परिवहन

रेल मार्ग

भारत में रेल मार्ग ही परिवहन का मुख्य साधन है। माल का ८० प्रतिशत तथा सवारियों का ७० प्रतिशत रेल पर ही आता जाता है। हमारे यहाँ रेल पद्धति का प्रारम्भ १८५३ में हुआ था और अभी हाल ही में रेलों की शताब्दी जयन्ती मनाई गई। रेल मार्ग की हमारे यहाँ किस प्रकार उन्नति हुई यह नीचे दिया जा रहा है·

तालिका ९१

रेलवे की प्रगति

(लाख रुपयो मे)

वर्ष	पटरियो की कुल लम्बाई (मीलो मे)	लगी हुई पूजी	कुल आय	कार्यसंचालन व्यय	विशुद्ध आय
१८५३ .	२०	३८	० ९०	० ४१	०.४९
१८६३ . .	२,५०७	५,३००	२२०	१३३	८७
१८७३ .	५,६९७	९,१७३	७२३	३७८	३४५
१८८३ .	१०,४४७	१६,८३१	१.६३९	७९७	८४२
१८९३ . .	१८,८५९	२३,३१८	२,४०८	१.१३५	१,२७३
१९०३ .	२६.०५६	३४,१११	३,६०१	१,७११	१,८९०
१९१३–१४	३४,६५६	४९,५०९	६,३५९	३.२९३	३,०६६
१९२३–२४	३८,०३९	७१,७९३	१०,७८०	६.८४५	३,९३५
१९३३–३४	४२ ९५३	८८,४४१	९.९५८	६,९५४	३,००४
१९४३–४४ (क) .	४०,५१२	८५,८५४	१९.९३२	११,४११	८,५२१
१९४७–४८ (ख)	३३,०८५	७४,२२०	१८,३६९	१६,३९४	१,९७५
१९४८–४९ .	३३.८६१	७७,५८८	२३,४१२	१८,४०६	५,००६
१९४९–५० .	३४,००२	८१,३०७	२५,८३२	२०,७२३	५,१०९
१९५०–५१	३४,०७९	८३,८१८	२६.४६२	२१,४३९	५,०२३
१९५१–५२	३४,११९	८६,१५५	२९,४१४	२२,७५९	६,६५५
१९५२–५३ .	३४,२७५	८६,८५२	२७.२३१*	२१.९९३*	५,२३८ *

(क) १९३७ में बर्मा रेल अलग हो गयी।

(ख) १५ अगस्त १९४७ विभाजन के बाद।

*इसमें रेलवे गोदाम, ईंधन आदि का किराया भी शामिल है।

विभाजन के अवसर पर अविभक्त भारत मे ४०,५२४ मील रेल थी, जिसमें से ६,९५८ मील पाकिस्तान में चली गई, और भारत के लिये ३३,५६६ मील रेल बच रही। इस प्रकार जो कमी हुई सो तो हुई, सबसे बड़ी हानि यह हुई कि आसाम की रेल भारत की रेल से अलग हो गई। इसलिए सबसे पहले यह प्रश्न सामने आया कि किस प्रकार इस कठिनाई को हल किया जाये। तदनुसार भारत और आसाम को जोड़ता हुआ जो पतला सा भूभाग था उसमें १४२ मील लम्बी मीटरगेज लाईन बनाई गई। इस लाइन का उद्घाटन १९४९ के दिसम्बर में हुआ। इस प्रकार आसाम फिर एक बार भारत से रेल मार्ग द्वारा जुड़ गया। १७० मील लम्बे कण्डला (गान्धी धाम) दीसा रेल मार्ग का उद्घाटन दो अक्तूबर १९५२ को हुआ। यह बता दिया जाये कि इस लाइन को इतना महत्त्व क्यों दिया गया। कराची के पृथक् हो जाने से हमारे उस इलाके के लिये एक बन्दरगाह की आवश्यकता थी। कण्डला इसी के लिये विकसित किया गया, पर इसे रेल मार्ग से देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ना था। इसलिए यह रेल मार्ग बना। एक नवम्बर १९४९ से अप्रैल १९५२ के बीच ३ ७७ करोड़ रु० की लागत पर सत्ताईस मील लम्बी मुकेरियाँ–पठानकोट रेल लाइन बनी। पहले पठानको को घूम कर जाना पड़ता था, अब इस ल के बनने से दिल्ली से पठानकोट की दूरी ४४ मील कम हो गई।

१९४४ से पूर्व रेल की मिल्कियत और नियंत्रण की पद्धति बड़ी जटिल थी। कई तरह की पद्धतियाँ एक साथ चालू थी। कुछ रेलवे लाइनो की मालिक भी सरकार थी और सरकार ही व्यवस्थापक भी थी। कुछ रेलवे लाइनो की मालिक सरकार थी पर उनकी व्यवस्था कम्पनियों के हाथ मे थी। ऐसी कई रेल लाइने थी जो कम्पनियो की थी और कम्पनियाँ ही उनकी व्यवस्था करती थी। इसके अतिरिक्त रजवाड़ो की अपनी लाइने थी। कहना न होगा कि इस प्रकार की बातो से न तो कार्यकुशलता बढ़ती थी और न काम ढग से हो पाता था। खर्च भी अधिक होता था। १९४८ मे भारत मे ४२ प्रकार की रेले थी। इनमे १३ अव्वल दर्जे की रेले थी जिनमे से प्रत्येक की सालाना आमदनी ५० लाख रुपये या उससे अधिक थी। दूसरे दर्जे की १० रेले थी, जिनमें से प्रत्येक की सालाना आमदनी १० से ५० लाख रु० थी। तीसरे दर्जे की १९ रेलें थी जिनमे से प्रत्येक की सालाना आमदनी १० लाख रुपया या उससे कम थी। ४२ रेलो में से ३२ (इसमे सागली राज्य की पाँच मील लम्बी रेल भी थी, ये लाइने कुल मिला कर ७,५५९ मील लम्बी थी) १९५० की पहली अप्रैल से रजवाड़ो की निजी रेले भारत सरकार की मिल्कियत और नियत्रण मे आ गयी।

बात यह है कि इस बीच मे रजवाड़े भारत मे विलीन हो चुके थे। यह समझा गया कि खर्च घटाने तथा प्रशासन मे कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिये, रेलो के नये वर्गीकरण की जरूरत है। तदनुसार रेल बोर्ड ने १९५० मे एक योजना बनाई और १९५१–५२ मे इसे लागू कर दिया गया। कुछ निजी लाइट रेले इस कार्यक्रम मे बची रही। नये वर्गीकरण के पहले भारत मे ३५ प्रकार की रेले थी। इनमे २२ पर सरकारी मिल्कियत थी। सरकारी रेलो के नाम ये थे : आसाम, बंगाल—नागपुर, बम्बई—बड़ौदा और सेन्ट्रल इण्डिया (बी० बी० एण्ड सी० आई०) बेजवाड़ा, धौनकुरनूल, दार्जिलिंग हिमालयन, ईस्ट इण्डियन, ईस्टर्न पजाब, ग्रेट इंडियन, पेनिन-सुलर (जी० आई० पी०), मद्रास और दक्षिणी मरहठा, अवध और तिरहुत, साऊथ इंडियन, बीकानेर राज्य, कच्छ राज्य, धौलपुर राज्य, जयपुर राज्य, जोधपुर राज्य, मैसूर राज्य, निजाम शाही, राजस्थान, सौराष्ट और सिंधिया राज्य रेल

नये वर्गीकरण के फलस्वरूप निम्नलिखित क्षेत्रीय विभाग हुए :

तालिका ९२

क्षेत्र	जो रेल इस तारीख को बनायी गयी	जिसके अन्तर्गत हैं	मुख्यालय	पटरियो की कुल लम्बाई (मीलों में)
दक्षिण	१४ अप्रैल १९५१	मद्रास एवं दक्षिण-मरहठा, दक्षिण भारत और मैसूर रेल . . .	मद्रास	६,०१६.९७ बी० जी० १,७५४.०५ एम० जी० ४,१६०.१२ एन० जी० ७०२.२०
मध्य	५ नवम्बर १९५१	ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, निजाम स्टेट, सिंधिया और धौलपुर रेल .	बम्बई	५,४२७.७० बी० जी० ४,०९१.२३ एम० जी० ७७२.४९ एन० जी० ५६३.९८
पश्चिम	५ नवम्बर १९५१	बम्बई, बडौदा एवं सेन्ट्रल-इण्डिया, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान और जयपुर रेल . .	बम्बई	५,४६१.०३३ बी० जी० १,२६६.३४ एम० जी० ३,४०२.१८ एन० जी० ७९२.५१
उत्तर	१४ अप्रैल, १९५२	पूर्वी पजाब, जोधपुर और बीकानेर रेल और ईस्ट इंडियन रेल के तीन अपर डिवीजन .	दिल्ली	६,००७.३३ बी० जी० ३,८८१.६८ एम० जी० १,९९७.६८ एन० जी० १२७.९७
उत्तर-पूर्व	१४ अप्रैल १९५२	अवध एव तिरहुत और आसाम रेल .	गोरखपुर	४,७६६.८७ बी० जी० २.१५ एम० जी० ४,७१२.७५ एन० जी० ५१.९७
पूर्वी	१४ अप्रैल, १९५२	ईस्ट इडियन रेल (तीन अपर डिवीज़नों को छोड़कर) और बगाल-नागपुर रेल . .	कलकत्ता	५,६६७.२४ बी० जी० ४,७२५.२७ एम० जी० .— एन० जी० ९४१.९७

बी० जी० —ब्रौड गेज एम० जी० —मीटर गेज एन० जी०—नैरो गेज

१९५२–५३ के रेल मार्ग के सम्बन्ध मे कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य ये है :—

कुल मार्ग की लम्बाई (मीलो मे)		३४,२७५
ब्रौडगेज (साढ़े ५ फुट)	१५,७५५	
मीटरगेज (३ फुट ३ इच)	१५,१८२	
नैरो गेज (२ फुट ६ इच और २ फुट)	३,३३७	
पूजी (करोड़ रु० मे)		८६८.५२
कुल आमदनी (करोड़ रु० मे)		२७२.३१*
चालू खर्च (करोड़ रु० मे)		२१९.९३
शुद्ध आमदनी (करोड़ रु० मे)		५२.३८
यात्रा कितनी मील की गई (करोड़ो मे)		१९.५
ले जाई गई सवारियो की सख्या (करोड़ो मे)		११८.४४
एयर कडीशड दर्जा (करोड़ो मे)	.००२६	
पहला और दूसरा दर्जा (करोड़ो मे)	१.८२	
ड्योढ़ा दर्जा (करोड़ो मे)	१.८४	
तीसरा दर्जा (करोडो मे)	११४.७८	
सवारियो से आमदनी (करोड़ रु० मे)		१०१.८७
ले जाया गया माल (लाख टन)		९८३.६
माल से आमदनी (करोड़ रु० मे)		१४३.८०*

१९५२–५३ मे रेल विभाग ने एक करोड़ आठ लाख टन कोयला इस्तेमाल किया, जिसका मूल्य ३४ करोड ४० लाख रुपये है। बात यह है कि अभी हमारे देश मे बिजली-चालित रेल बम्बई तथा मद्रास के पास की कुछ लाइनो तक ही सीमित है। बिजली की रेल पहले-पहल १९२५ मे शुरू की गयी थी, पर इस सम्बन्ध मे अधिक प्रगति नही हुई है। जिस प्रकार से बम्बई और मद्रास के आस पास की कुछ लाइनो मे बिजली वाली रेले चालू है, उसी प्रकार कलकत्ते के इर्द-गिर्द की कुछ लाइनों मे बिजली इस्तेमाल करने की योजना विचाराधीन है।

१९२५ मे रेल विभाग का वित्त सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया। उस समय यह निश्चय किया गया कि रेल विभाग-सामान्य राजस्व विभाग में एक निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार राजस्व दिया करे। १९४९ के दिसम्बर मे यह तय हुआ कि १९५०–५१ से जिस पचवर्ष का प्रारम्भ हुआ है, उससे रेल विभाग प्रत्येक चतुर्थ वर्ष के अन्त मे चार प्रतिशत का प्रत्याभावित लाभाश दे। रेल विभाग के गत छः वर्षों के वित्त का लेखा अगली तालिका मे प्रस्तुत किया जाता है :

*इस रेलवे -स्टोर-तथा ईंधन आदि का किराया शामिल नही है।

तालिका ९३

(करोड रुपयो में)

	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५ (संशोधित)	१९५५–५६ (बजट)
भाड मे कुल आय	२३६.३५	२६३.०१	२९०.८२	२७०.५६	२७४.२९	२८२.८०	२९२.५०
साधारण कार्य व्यय	१८१.५३	१८०.२३	१९४.०४	१८७.९६	२०१.४७	२०२.७६	२०६.५९
मूल्यह्रास सचित निधि के लिये विनियोग	११ ५८	३० ००	३० ००	३०.००	३० ००	३० ००	३५.०
जिन लाइनो पर कार्य हो रहा है उनके लिये भुगतान	१.८०	० २५	०.३१	०.२१	०.२८	०.१९	०.२१
कुल कार्य व्यय	१९४.९१	२१० ४८	२२४.३५	२१८.१७	२३१ ७५	२३०.९५	२४१.८०
भाडे मे विशुद्ध आय	४१.४४	५२.५३	६६.४७	५२ ३९	४२.५४	४९ ८५	५०.७०
विशुद्ध फुटकर व्यय	३.६७	४ ९७	४ ७२	५.२१	५ ६२	८ ३२	७.४९
रेल द्वारा विशुद्ध आय	३७ ७७	४७ ५६	६१ ७५	४७ १८	३६ ९२	४१ ५३	४३.२१
साधारण आय का लाभाग	२३ १८	३२.५१	३३.४१	३३.९९	३४ ३६	३४ ९६	३६.०७
विशुद्ध लाभ और बचत	१४ ५९	१५.०५	२८ ३४	१३.१९	२ ५६	६.५७	७.१४

बहुत दिनो से हमारे रेल विभाग के सामने यह प्रश्न रहा है कि किस प्रकार मे पुराने इंजिनों, पटरियो आदि को बदल कर पहले वाली समृद्धावस्था मे पहुँचाया जाये। रेल विभाग पर पहली चोट तो १९३०–३९ की आर्थिक मन्दी मे पडी। यह मन्दी बहुत दिनों तक कायम रही, और उसी सिलसिले मे द्वितीय महायुद्ध छिडा जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध सामग्री इधर से उधर भेजी गई। साथ ही पटरियों, इंजिन और डिब्बो को बदलने की ओर ध्यान नही दिया जा सका। युद्ध की समाप्ति के बाद अभी परिस्थिति संभल नही पाई थी कि देश का विभाजन हुआ, जिससे फिर एक बार रेल विभाग पर आपत्ति आयी। फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण जिस प्रकार से देश की समस्याओ पर ध्यान दिया गया उससे १९४८ मे यह परिस्थिति हो गयी कि रेल विभाग के बुरे दिन समाप्त हो गये, और तब से हमारी रेलें बराबर उन्नति कर रही है, १९४९–५० के बजट में पूजीगत खर्च के लिये जहाँ ६४ करोड रुपये की व्यवस्था थी, वहाँ १९५२–५३ मे इस रकम को बढा कर ८० करोड रुपये कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना मे स्वाभाविक रूप से रेलों पर और भी अधिक ध्यान दिया गया क्योकि रेलो की उन्नति के बिना उत्पादन मे वृद्धि एक तो सम्भव न थी और जितनी सम्भव थी उससे कोई फायदा नहो था। इसलिए रेलो के पुनरुद्धार और विस्तार के लिये पंचवर्षीय योजना में ४०० करोड रुपये की व्यवस्था है। रेल में रिजर्व फंड की परिस्थिति भी काफी संतोषजनक रही। १९५२–५३ के अन्त मे रिजर्व १६४ करोड़ रुपये का था।

रेल विभाग के व्यय का लेखा, भिन्न-भिन्न मदों पर १९५१ से १९५४ तक किस प्रकार रहा यह अगली तालिका में देखिए।

तालिका ९४

(करोड़ रुपयों में)

खर्च के मद	पंचवर्षीय योजना के लिये निश्चित रकम	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४ अन्तिम अनुमान	(१९५१–५४) कुल व्यय	प्रतिशत
रेल के डिब्बे और मशीन	२०७.९६	३४ ३६	३३ २३	४२.१९	१०९.७८	(५२.८)
रेल मार्ग	६४.८७	९ ७२	१३ ४६	९.५६	३२.७४	(५०.६)
पुल	५.६०	१.००	० ५०	०.४५	१.९५	(३४.८)
अन्य निर्माण कार्य	४३.४१	६ ६८	७ २४	९.२५	२३.१७	(५३.४)
कोयले की खानें और बन्दरगाह	२.४९	०.१६	० १०	० १६	०.४२	(१६.९)
मजदूरो के लिये कल्याणकार्य, कर्मचारियो के लिये घर तथा उनकी भलाई के लिये अन्य कार्य	२४.०९	३.७४	३ १४	४ ६१	११ ४९	(४७.७)
टूटी फूटी रेल पटरियो का पुनर्निर्माण	५६.६	०.५०	३ ७१	४ १८	८ ३९	(६४.३)
नई लाइने जिसमे मार्ग मे बिजली की बत्तियाँ लगानी, पुल बनाना भी शामिल है	२८ ५२	६.७६	—	—	६ ७६	
मुसाफिरो के लिये सुविधाएं	१५.००	२.४५	२ ३४	२ ५९	७ ३८	(४९ २)
फुटकर कार्यो पर खर्च	२.४०	५ ४९	–३.५४	–३ ७३	–१ ७८	—
कुल जोड	४०० ००	७०.८६	६० १८	६९ २६	२००.३०	(५०.१)

१९३० से लेकर रेल विभाग पर जिस तरह की आपत्तियाँ आती गई थी, उससे कितनी हानि हुई इसका अन्दाज़ा इस बात से लग सकता है कि ३१ मार्च १९४९ को यह परिस्थिति हो गई कि सरकारी रेलों के ३० प्रतिशत इंजिन अपनी निर्धारित उम्र पार कर चुके थे। इसके कई नतीजे दिखाई पड़ते थे, एक तो यह कि मरम्मत और कायम रखने का खर्च बहुत अधिक था। ३१ मार्च १९५१ को परिस्थिति इतनी खराब थी कि १,०५० रेल इंजिन, ५,५१४ सवारी के डिब्बे तथा २१,४१८ माल के डिब्बे ऐसे हो गये थे जिन्हे फौरन बदलना जरूरी था। प्रति वर्ष १९० रेल इंजिन, ६५० सवारी वाले डिब्बे और ५,००० माल के डिब्बे बदले जाने चाहिएं। इस समस्या को फौरन हल करना आवश्यक था। इसलिए एक तो देश में जो कुछ भी उत्पन्न हो सकता था उसे अधिक से अधिक कर दिया गया और रोलिंग स्टाक के लिये देश के बाहर आर्डर भेजे गये।

पहले यह तय हुआ था कि योजनाकाल में कुल मिलाकर १,०३८ इंजिन मंगा लिये जायेंगे। इनमे से ६०० इंजिन तो विदेश से, ४३८ टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड तथा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से मंगवाना तय हुआ। इस कार्यक्रम को और बढा दिया गया तथा योजनाकाल के लिये २,०६२ इंजिन (७१७ भारत के बने हुए तथा १,३४५ विदेश से) मंगाने तय हुए। १९५१–५४ में ५१० इंजिन प्राप्त हुए। इनमे से

३३४ तो विदेश से और १७६ भारत में ही खरीदें गये। इसमें से ६२ तो टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कम्पनी (टेलको) के बने थे और ११४ चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाने के थे १९५३–५४ मे चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाने मे ६४ इंजिन बनाये गये और ऐसी आशा की जाती है कि योजना के अन्तिम साल में यह संख्या बढ़ कर ९२ हो जायेगी। टेलको ने १९५३–५४ मे २२ इंजिन बनाये और ऐसी आशा की जाती है कि शेष दो वर्षों में वह ५० इंजिन प्रतिवर्ष के हिसाब से बनायेगा।

पहले योजना काल में ५,६७४ सवारी के डिब्बे खरीदना तय हुआ था पर अब यह संख्या बढ़ा कर ५,७८६ कर दी गई है। इसमें ४,९९७ सवारी के डिब्बे भारत मे और ७८९ बाहर से खरीदे जायेंगे। प्रथम तीन वर्षों में २,७३४ सवारी के डिब्बे (२,२७० भारत में तथा ४६४ बाहर मे) खरीदे गये। १९५३–५४ मे ९८० सवारी के डिब्बे (८०६ भारत में और १७४ बाहर से) खरीदे गये।

योजना के अनुसार ४९,१४३ माल के डिब्बे (३०,००० भारत में तथा १९,१४३ बाहर से) खरीदने थे। योजना काल के लिये ६०,४२८ माल के डिब्बो के आर्डर दे भी दिये गये थे। इसमे से ४१,९०३ भारत में तथा १८,५२५ बाहर से खरीदे गये थे। इतने नये डिब्बे प्राप्त करने पर भी, योजना के आरम्भ मे माल के जितने पुराने डिब्बे रखने पड़े उतने ही करीबन अब भी रखने पडेगे। १९५१–५४ मे २६,२७० माल के डिब्बे प्राप्त हुए। इसमे से १७,०६२ भारत मे तथा ९,२०८ विदेश मे खरीदे गये। अकेले १९५३–५४ मे ही माल के १०,६११ डिब्बों के लिये आर्डर दिया गया। भारत में प्रतिवर्ष तैयार होने वाले माल के डिब्बों की सख्या ६,००० से बढकर १०,००० हो गई है और बहुत जल्दी यह संख्या १२,००० तक पहुँच जायेगी।

पुराने रेल मार्गो के नवनिर्माण का आधे मे अधिक काम प्रथम तीन वर्षो मे खतम कर दिया गया, यानी १,८६८ मील रेल मार्ग सुधार दिया गया। इसके अतिरिक्त ४४१ मील रेल की पटरी की मरम्मत तथा ९१६ मील तक पुराने स्लीपर बदल दिये गये। पुरानी रेलवे लाइन की मरम्मत का काम तेजी के साथ इस कारण से भी नही हो सका कि लोहे की पटरियाँ, लकडी के स्लीपर आदि काफी तादाद मे नही मिल सके। योजना के आरम्भ में ३,००० मील रेलवे पटरी की मरम्मत कर दी गई थी जब कि अब कुल २,००० मील रेल पटरियों की ही मरम्मत हो पाई है।

योजना के प्रथम तीन वर्षो मे निम्नलिखित सात नई लाइने खोली गई (१) अरनटगी–कराइकुडी, (२) मुकरियाँ–पठानकोट, (३) गान्धीधाम–दीसा, (४) कस्टा ग्राम–परिहारपुर, (५) पिहिज–नदियाड, (६) रेल की शाखा चडीगढ तक तथा (७) दिग्गी–टोडा रायसिग तक जो कि सागानेर टाउन देवली का विस्तार है।

निम्नलिखित रेलवे लाइनें जो हटा दी गई थीं फिर से चालू की गई : (१) तिन पहार–राजमहल, (२) बिजनौर–चाँदपुर स्याऊ, (३) कम्बे बन्दर (४) वासद–कथना, (५) बालामऊ–माधोगंज जो उन्नाव–माधोगंज–बालामऊ का एक भाग है। (६) मदुरइ–वोदिना–थकनूर और (७) बौबिली–सालूर। उसके बाद दो नई लाइनें खोली गई :(१) चुनार–रौबर्ट्सगंज–चुर्क और (२) मधेपुरा–मुरलीगंज। इसके अलावा चार बन्द लाइनें फिर से

चालू की गई : (१) नगरौटा–जोगेन्द्रनगर (२) भागलपुर–मन्दरपहाडी (३) शोरानूर–निलाम्बूर (४) मदुरइ वोदिनायकनूर। जिन लाइनों पर काम चालू है उनमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं: (१) चम्पा–कोरवा कोयले की खाने (२) क्वीलोन–एरणाकुलम (३) खंडवा–हिंगोली (४) गोप-कटकोला।

इन निर्माण कार्यो को प्राथमिकता दी गई है जिनको पूरा करने से, यात्रा में समय की बचत होगी। ऐसे कामो में क्रासिंग स्टेशन, कुछ अतिरिक्त लाइने डालना या कुछ दूर तक दोहरी लाइने डालना तथा रेलवे यार्ड का पुनर्निर्माण शामिल है। १९५१-५४ मे इस ४३.४१ करोड रुपये की स्वीकृत रकम में से आधे से अधिक खर्च किया गया। जो काम पूरे हो गये है या लगभग पूरे होने वाले है उनका उल्लेख आगे किया जाता है। (१) बुधनि–बारखेडा डाउन लाइन का निर्माण (२) खडगपुर मे नये यार्ड तथा उत्तर-दक्षिणी लाइनो को बचाती हुई लाइनो का निर्माण, (३) मकरीगली-मनिहारी घाट पर बी० जी० तथा एम० जी० से माल आगे ले जाने की सुविधाओ का विकास, (४) कानपुर और एकदिल स्टेशन तक दोहरी लाइने डालना (५) मलीहाबाद और बरेली तक का सेक्शन दोहरा करना (६) हरदोई और कबरोलिया तक दोहरी लाइने डालना।

मुकामेहघाट के पास गगा नदी पर एक पुल बनाना बहुत जरूरी था। यह काम आरम्भ हो चुका है। यह पुल उत्तरी और दक्षिणी बिहार को मिलायेगा तथा उनमे आवागमन आसान कर देगा। इसमे १३ करोड रुपये खर्च होगे। उनमें से दो लाइने चालू करदी गई, और नौ लाइनो का काम पूरा होने को है। यह तय हुआ है कि देश की सर्वांगीण प्रगति के लिये प्रतिवर्ष कम से कम २०० मील लम्बी लाइन बढाई जाये।

यह बडे सौभाग्य की बात है कि अब हमारे देश मे रेल सामग्री का उत्पादन इतना आगे बढ़ गया है कि प्रतिवर्ष साधारण रूप से जितनी पटरियाँ, माल के डिब्बो तथा सवारी वाले डिब्बों की आवश्यकता पड़ती है, उतने का उत्पादन देश मे ही हो रहा है। इस बात को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि इन चीजो का बाहर से मंगाना रोक दिया जाये। हाँ, जिन चीजो के आर्डर दिये जा चुके है, वे तो आने ही रहेंगे। चित्तरंजन रेल इजिन कारखाना, टाटा रेल इंजिन तथा इंजीनियरिंग कम्पनी लि० रेल-सामग्री के उत्पादन में लगी हुई है। जिस समय ये कारखाने अपने पूरे जोर पर होंगे, उस समय यह आशा की जाती है कि भारत रेल-सामग्री के मामले मे विशेषकर रेल इजिन के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा। यह स्मरण रहे कि चित्तरंजन रेल इजिन कारखाने ने अभी-अभी १९५० मे उत्पादन आरम्भ किया है। इसमें अब तक ११५ रेल इजिन बने है। साथ ही देश मे ७० प्रतिशत पुर्जे भी बन रहे है। ऐसा अनुमान था कि १९५४ तक कुछ विशेष पुर्जो के अतिरिक्त देश मे सारी रेल-सामग्री का उत्पादन होने लगेगा। चित्तरंजन कारखाना प्रतिवर्ष १२० रेल-इजिन और ५० अतिरिक्त बायलर उत्पन्न करने लगेगा। टाटा रेल इंजिन कम्पनी मीटरगेज के रेल इंजिन उत्पन्न करती है, और १९५४ की मार्च तक ७२ रेल इजिन उत्पन्न कर चुकी थी। ऐसी आशा की जाती है कि १९५१–५६ के बीच यह कम्पनी २०० रेल-इजिन दे सकेगी।

यह तो रेल-इंजिनों की बात हुई, अब रेल के डिब्बों के उत्पादन की बात लीजिये। जनवरी १९५२ में मद्रास के पेराम्बूर नामक स्थान में सवारी वाले डिब्बों के बनाने का एक कारखाना खोला गया। यह आशा की जाती है कि यह कारखाना दिन में केवल एक शिफ्ट काम करे, तो भी ३०० हल्के अवयवगत किस्म के सर्व इस्पात-डिब्बे सालाना बनने लगेंगे। बंगलौर की सरकारी हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० कम्पनी १९५०-५१ में ६३ सर्व इस्पात तीसरे दर्जे के सवारी के डिब्बे और फिर १९५१-५२ में १०० और तैयार कर चुकी है। १९५३-५४ के बजट में देश में ७,००० माल के डिब्बे बनाने की तथा बाहर से ४,००० माल के डिब्बे मंगाने की व्यवस्था है।

रेल के किराये और भाड़े

१९४८ में रेल के किराये और भाड़ों की दरें ठीक की गई थीं। वे क्रमशः ४६ और ७३ प्रतिशत बढ़ गईं। यह देखा गया कि एक तो चीजों का मूल्य सामान्यतः बहुत बढ़ चुका था दूसरे रेल का विशेषकर मरम्मत सम्बन्धी खर्च बहुत अधिक था, इसलिए १९५१ की पहली अप्रैल को किराया बढ़ा दिया गया। सवारियों के किराये का ब्यौरा इस प्रकार है :

तालिका ९५

किराये की दरें

दर्जा	अप्रैल १९५५ से पूर्व (प्रति मील एकसार दर)	अप्रैल १९५५ के पश्चात् (दूरी के हिसाब से क्रमिक दर)	
		मीलों में दूरी	दर प्रति मील
एयर कण्डीशण्ड	३० पाई	१—३००	३४ पाई
		३०१ और अधिक	३२ पाई
द्वितीय (क)	१६ पाई	१—१५०	१८ पाई
		१५१—३००	१६ पाई
		३०१ और अधिक	१५ पाई
ड्योढ़ा (ख) डाक / एक्सप्रेस	१०½ पाई	१—१५० डाक/ एक्सप्रेस	११ पाई
साधारण	९ पाई	साधारण	९½ पाई
		१५१—३००	
		डाक / एक्सप्रेस	१०½ पाई
		साधारण	९ पाई
		३०१ और अधिक	
		डाक / एक्सप्रेस	९½ पाई
		साधारण	८½ पाई
तृतीय डाक / एक्सप्रेस	६ पाई	१—१५०	
		डाक/ एक्सप्रेस	६¼ पाई
		साधारण	५¼ पाई
साधारण	५ पाई	१५०—३००	
		डाक/ एक्सप्रेस	६ पाई
		साधारण	५ पाई
		३०१ और अधिक	
		डाक/ एक्सप्रेस	५ पाई
		साधारण	४½ पाई

(क) अप्रैल १९५५ से इस दर्जे का नाम पहला दर्जा कर दिया गया है।
(ख) अप्रैल १९५५ से इस दर्जे का नाम दूसरा दर्जा कर दिया गया है।

भाड़े की सुधारी गयी प्रणाली में १५ दरें है। इसी प्रकार माल गाड़ियों के द्वारा माल ले जाने में भी इतनी ही दरें है। दूरी बढ़ने के साथ-साथ भाड़ा घट जाता है। छोटे से छोटे रास्ते पर सस्ती से सस्ती दर पर अब माल ले जाया जाता है। निर्यात और आयात के माल भी देशीय माल के साथ एक श्रेणी में गिने जाते है। पहले यह नियम था कि आयात वाले माल को कुछ प्रधानता दी जाती थी। वह अब समाप्त कर दी गई है।

स्वराज्य के पहले आम जनता की सुविधाओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, पर हमारे लोक कल्याणकारी राष्ट्र मे जनता के प्रति अब यह उदासीनता सम्भव नही है। इस कारण रेल विभाग में तीसरे दर्जे के यात्रियो की सुविधा की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। १९४९ में इस उद्देश्य से जो वित्तीय सम्मेलन बुलाया गया था, उसमे आगामी पाँच वर्षो के लिये प्रति वर्ष तीन करोड़ रुपये के हिसाब से खर्च करना निश्चित हुआ। जिन सुविधाओ के सम्बन्ध में ध्यान दिया गया उनमे से कुछ ये ह :—नई माडल गाडियाँ या आदर्श गाड़ियाँ जारी की गई, डिब्बो में रोशनी की व्यवस्था पहले से अच्छी की गई, नये स्टेशन खोले गये, प्रतीक्षालय तथा हालो की व्यवस्था की गई, टिकट बाँटने के नये दफ्तर और आऊट एजेन्सियाँ खोली गई स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था की गई, प्लेटफार्मो की व्यवस्था की गई, खाना-पीना पहुँचाने की उन्नत व वस्था की गई, स्टेशनो तथा डिब्बों मे और अधिक सफाई की व्यवस्था की गई।

रेलो के सम्बन्ध मे एक शिकायत यह भी थी कि भीड बहुत होती है। तदनुसार १९५२ की पहली अप्रैल से १९५३ की पहली जुलाई के बीच १९० नई गाड़ियाँ जारी की गइ और १२६ गाडियो के मार्ग का विस्तार किया गया। जनता एक्सप्रेसो का जारी करना एक बहुत बडा काम रहा, क्योकि इन गाडियो मे केवल तीसरे दर्जे के डिब्बे होते है। दिल्ली और पठानकोट, दिल्ली और हावडा, लखनऊ और कटिहार, मद्रास (सेंट्रल) और मगलोर, मद्रास (एग्मोर) और तिरुच्चिरापल्लि, बम्बई और पूना तथा बम्बई और मद्रास के बीच जनता एक्सप्रेस गाडियाँ जारी की गईं।

यह अनुभव किया गया कि हमारी रेले उतनी कार्यकुशल नही है, जितनी होनी चहिएँ। इसलिए कार्यकुशलता अधिक कायम रखने के लिये यह प्रस्ताव किया गया कि केन्द्र मे एक छोटा सा कार्यकुशलता ब्यूरो या दफ्तर हो। १९५२ की जनवरी मे बडौदा मे रेल के अफसरो के लिये एक प्रशिक्षण कालेज खोला गया। इसके अलावा १९५२–५३ म लखनऊ मे प्रधान दफ्तर नाकर एक रेल-शोध और परीक्षण केन्द्र तथा चित्तरंजन तथा लोनावाला मे उपकेन्द्र खोले गये।

१९०५ में रेल बोर्ड नाम से एक संस्था तैयार हुई थी, जिस पर यह जिम्मेदारी डाली गई थी कि वह रेलो का नियंत्रण तथा प्रशासन करे। इस बोर्ड को १९५१ के अप्रैल मे पुनर्संगठित किया गया। बोर्ड में वित्तीय आयुक्त और तीन सदस्य है। इन तीन सदस्यो में से एक व्यक्ति बोर्ड का सभापति होता है, और वह केन्द्रीय-रेल-मन्त्रालय का पदेन सचिव होता है। जनता और रेल प्रशासन के बीच घनिष्ट सम्बन्ध बनाये रखने के लिये अभी हाल ही में निम्नलिखित समितियाँ बनाई गई : (१) रेल उपयोग करने वालों की क्षेत्रीय परामर्श-दात्री समिति, (२) रेल उपयोग करने वालों की उपक्षेत्रीय परामर्श-दात्री समिति, जो रेल के प्रत्येक उपक्षेत्र में प्रधान स्थान पर होती है, (३) रेल उपयोग करने वालो की राष्ट्रीय परामर्श-दात्री परिषद् जो केन्द्र में होती है।

परिवहन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड

१९४७ के नवम्बर में परिवहन का केन्द्रीय बोर्ड स्थापित हुआ। इसका काम यह था कि यह परिवहन सम्बन्धी मुख्य समस्याओं तथा नई नीतियों पर विचार करे। इसका काम यह भी है कि परिवहन के सभी साधनो में अधिकाधिक समन्वय स्थापित करे जिससे खेती तथा उद्योग धंधों की योजनाओं के अनुसार परिवहन के साधनों का विकास हो। उक्त बोर्ड का सभापति परिवहन मन्त्री होता है। संचार-मन्त्री तथा व्यापार और उद्योग मन्त्री इसके उपसभापति होते हैं और वित्त, प्रतिरक्षा, व्यापार, उद्योगधंधे, राज्य, रेल तथा परिवहन विभाग के उच्च कर्मचारी इसके सदस्य होते हैं।

सड़कें

१९१९ के शासन सुधार के अनुसार सड़के प्रान्तीय विषय के अन्तर्गत मानी गईं। बाद को चलकर १९२९ मे पैट्रोल टैक्स की आय मे एक केन्द्रीय सडक कोष स्थापित किया गया। इस कोष से प्रान्तों को सडक निर्माण के लिए एकमुश्त अनुदान दिया गया। १९४७ में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सडको के निर्माण और कायम रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बात यह है कि इस बीच मे हमारा जो संविधान बना, उसके अनुसार राष्ट्रीय सडकें केन्द्रीय सरकार का विषय हो गई। बाकी सडकें यानी जिलो की सडकें तथा गाँव की सडकें राज्य सरकारों की जिम्मेदारी पर डाल दी गई।

१९४८ की ३१ मार्च को परिस्थिति यह थी कि देश की नगरपालिकाओं के बाहर २,४८,९१४ मील सडकें थी, जिनमे से लगभग ९०,००० मील सडकें पक्की थी। इसमें भी १३,४०० मील सडकें राजपथ के रूप मे थी।

तालिका ९६

३१ मार्च, १९४८ को नगरपालिकाओं के अधिकार के बाहर की सड़कें

(मीलो मे)

क्षेत्र	पक्की सडकें				कच्ची (जो तैयार नही है) सडकें	कुल योग
	बिटुमिनस	ककरीट	वाटर बाउड मैकेडम	कुल सपाट सडकें		
भूतपूर्व देशी रियासतो के अतिरिक्त भारत . .	९,०३६	६५२	५४,४३६	६४,१२४	१,१४,६५९	१,७८,७८३
भूतपूर्व देशी रियासतें (३१ मार्च १९४४ को जो स्थिति थी) (क)	१,६७५	१११	२४,१९८	२५,९८४	४४,१४७	७०,१३१
योग . .	१०,७११	७६३	७८,६३४	९०,१०८	१,५८,८०६	२,४८,९१४

(क) जैसा ३१ मार्च १९५४ तक था।

शहरों में जो सड़कें है, वे तो हैं ही, उनके अलावा देश भर में १,१८,००० मील ऐसी सड़कें थी जो सभी मौसमों में जारी रहती हैं। भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए इतनी सड़कें काफी नहीं है। प्रति सौ वर्ग मील में केवल ९.७ मील सर्वऋतु सड़कें भारत में हैं। यह तो स्पष्ट है कि इतनी कम सड़कों से हमारी उन्नति नहीं हो सकती, इसलिए यह उचित है कि पंचवर्षीय योजना में इस के लिये सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इस रकम में से सत्ताइस करोड रुपये राष्ट्रीय सड़कों पर तथा बाकी राज्य की सड़कों पर खर्च किय जायेंगे। पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में जो लक्ष्य रक्खा गया है, उसके अनुसार ३,००० मील नई सड़कें बनेंगी और सामूहिक प्रयासों से १६,००० से लेकर १७,००० मील सड़कें बनेंगी। गाँव वालों को सड़क निर्माण कार्य में उत्साह दिलाने के लिये यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें सडक बनने के खर्च का दो तिहाई उठाये और एक तिहाई गाँव वाले। १९५१–५४ मे केन्द्रीय सरकार ने राजपथों के विकास पर ११.७३ करोड़ रुपये व्यय किये। ३०० मील नई सड़के और २० बड़े पुल बनाये जा चुके है। पहले से मौजूद २,१०० मील सड़क उन्नत की गई और ५३ बडे पुलों और १,४२५ मील मौजूदा सड़कों पर काम चल रहा है। केन्द्रीय सरकार ने राजपथ के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सड़कों के विकास के लिये ४.२४ करोड़ रुपया मंजूर किया था। इस रकम मे से १९५३–५४ के अत में १·९२ करोड़ रुपया खर्चा गया जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा और आसाम को जोडने के लिये सीमावर्ती सड़क, पठानकोट-जम्मू सडक, सिक्किम की कुछ सड़के, तथा मद्रास और बम्बई राज्यों की पश्चिमी समुद्रतट की सड़को का विकास किया गया। १४७ मील नई सडके तथा एक पुल बनाया गया तथा ७८१ मील सडकों और ८ पुलो के निर्माण का कार्य प्रगति पर था।

इसी अर्से मे राज्य के राजपथ, जिले की सडके, गाँवों की सडके आदि ये सब मिलाकर सड़क निर्माण का नया सुधार का काम ७,२०० मील तक पूरा हुआ (इसमें वह सब काम भी शामिल हैं जो योजना काल से पहले प्रगति पर थे तथा वे काम जो खतम नही हुए थे, किन्तु इतनी प्रगति पर थे कि सड़के आने जाने के लिये खोल दी गई थी)। १९५१–५४ मे लगभग ४७ करोड़ रुपया राज्य की सडको के निर्माण में खर्चा गया। पंचवर्षीय योजना मे अतिरिक्त खर्च के मद १८० करोड़ रुपये में से १० करोड़ रुपया अन्तर्राज्यीय सडकों तथा कुछ अन्य प्रकार की खास सड़कों पर खर्चने के लिये मंजूर किया गया।

सड़क परिवहन

भारत के गाँवों को मिलाने के लिये अब भी बैलगाड़ियाँ कितनी महत्त्वपूर्ण हैं, यह इस बात से जाना जा सकता है कि महायुद्ध के पहले ८७ लाख बैलगाडियाँ थी और इनमे २६१ करोड़ रुपये लगे हुए थे। लगभग एक करोड़ व्यक्ति और दो करोड़ जानवर बैलगाड़ी के धन्धे में लगे हुए थे।

भारत में १९५०–५१ की अन्तिम तिमाही में जिन मोटर गाडियों से टैक्स लिया गया, उनकी संख्या ३,१०,१४५ थी। उनमें से २,९०६ डीज़ल इंजिन से चलाई जाती थीं।

मोटर साइकिल	२७,१०५
निजी मोटरगाड़ियाँ	१,४७,९५३
सार्वजनिक सेवा की गाड़ियाँ	४५,७५३
माल ढोने वाली मोटर गाड़ियाँ	८५,५०९
विविध	३,८२५
जोड़	३,१०,१४५

हमारे सविधान मे मोटर गाड़ियो के टैक्स के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार को टैक्सों के सिद्धान्तो पर कानून बनाने का अधिकार है, जब कि टैक्स वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार में ही निहित है। १९५०–५१ मे मोटर गाड़ियो पर टैक्स के रूप में ७·७७ करोड़ रुपये तथा मोटर गाड़ियों की लाइसेन्स फीस के रूप में ८४ लाख ९० हजार रुपये प्राप्त किये गये।

भारत मे कुल १,५९,००० मोटर कारें और टैक्सियाँ तथा १,२३,००० ट्रक और परिवहन की दूसरी मोटर गाड़ियाँ है। घिसाई पिटाई को देखते हुए मोटर गाड़ियो की वर्तमान संख्या कायम रखने तथा आर्थिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी प्रति वर्ष लगभग २० हजार मोटर कारे और ३२ हजार परिवहन की दूसरी गाड़ियाँ चाहिएँ।

ऐसा अनुमान किया जाता है कि मोटर यातायात संचालन करने वालों की संख्या ४७,५७४ है जिनमे ४६,००० छोटे संचालक है और उनमें से प्रत्येक के पास पाँच या उससे कम गाड़ियाँ हैं। कार्यकुशलता बढ़ाने तथा खर्च घटाने के लिये इन संचालकों को जहाँ भी सम्भव हो बड़ी कम्पनियाँ बनाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। १९५० की सड़क परिवहन - निगम विधि के अनुसार अनुविहित परिवहन निगम, त्रिदलीय आधार पर यानी राज्य सरकार, रेल विभाग और निजी आपरेटरों को लेकर बनाया जा रहा है। भारत के २८ राज्यों में से २१ मे राज्य सरकारों की परिवहन सेवाएँ चल रही है। सरकार और निजी कम्पनियों ने सड़क परिवहन सेवाओं में कुल १९ करोड़ ८५ लाख रुपये की रकम लगा रक्खी है। पंचवर्षीय योजना के अनुसार राज्य सरकारें और भी ८·९७ करोड़ रुपये लगायेंगी, ऐसी आशा है। परिवहन सम्बन्धी २,००० गाड़ियों की खरीद के लिये यह रकम खर्च की जायेगी। इसके अलावा इसमें से राज्य सरकार की मोटर गाड़ियों को कायम रखने, उनकी मरम्मत तथा नवकरण के लिये खर्च होगा। मोटर चलाने वालों के प्रशिक्षण के लिये भी सुविधाएँ दी जायेंगी। १९५१–५४ में कुल मिलाकर राज्य सरकारें सड़क परिवहन योजना पर ४·४२ करोड़ रुपया लगायेंगी।

पंचवर्षीय योजना के परिणामस्वरूप यातायात की सुविधाओं को बढ़ाना तथा सड़क पर अधिक बसें और अन्य सवारियों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके दो उद्देश्य

हैं : एक तो रेलगाडियों पर बोझ कम करना, दूसरा लोगो को अधिक रोजगार दिलवाना। उपरोक्त बातो को मद्देनजर रख कर यातायात की स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी जिसमें परिवहन मन्त्रालय, योजना आयोग, रेलवे मन्त्रालय, व्यापार और उद्योग, खाद्य और कृषि, उत्पादन और श्रम आदि इन सभी मन्त्रालयो के प्रतिनिधि है। कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, कानपुर और दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले नगरो मे ५० मील के निर्धारित क्षेत्र मे विशेष प्रकार का माल रेल द्वारा न पहुँचाया जा कर सडक से मोटर या ट्रक द्वारा पहुँचाया जा सके, इस सम्भावना पर भी यह समिति विचार करेगी।

आभ्यन्तरिक जलमार्ग

नया सविधान लागू होने के पहले आभ्यन्तरिक जलमार्ग राज्यो की जिम्मेदारी समझी जाती थी, पर हमारे सविधान मे आभ्यन्तरिक जलमार्ग जहाँ तक यन्त्र चालित यानो का सम्बन्ध है, समाधिकार सूची मे रख दिये गये है। १९४७ मे आभ्यन्तरिक वाष्प जलयान विधि मे कुछ त्रुटियाँ थी, इसलिए १९५१ मे उसमे इस प्रकार से सुधार किया गया जिसमे आभ्यन्तरिक वाष्पजलयानो को अनिवार्य रूप से पजीकरण कराना पडा।

ऐसा समझा जाता है कि भारत मे जलमार्ग के लिये बहुत बडी गुजाइश है। इस समय कुल नाव्य जलमार्ग ५,५०० मील है। देश के विभाजन के परिणामस्वरूप उत्तर-पूर्व की नदियाँ भारत और पाकिस्तान के विभक्त नियत्रण मे आ गई है फिर भी उत्तर मे गगा और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियाँ जलमार्ग के रूप मे बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसलिए १९५२ मे गगा और ब्रह्मपुत्र जल-यातायात बोर्ड के नाम से एक सस्था की स्थापना की गई।

बहुमुखी नदी घाटी योजना मे नदी द्वारा व्यापार करने के लिये नाव्य नहरो का निर्माण कार्य भी शामिल है। उदाहरणार्थ दामोदर घाटी योजना के अन्तर्गत एक नहर कलकत्ते से रानीगज कोयला क्षेत्रो तक बनाई जा रही है। बम्बई मे ककरापारा योजना के अन्तर्गत समुद्र से ककरापारा बाँध तथा अन्दर ५० मील तक नाव्य नहर बनाई जायेगी और हीराकुड योजना के अन्तर्गत महानदी से ३०० मील समुद्र तक एक नहर जहाजो के आने जाने के लिए बनाई जायेगी। इसके अतिरिक्त अनेक बडी और छोटी देसी नावे, स्टीमर और मोटरबोट, गगा, ब्रह्मपुत्र तथा तिरुवांकुर-कोचीन की नहरो मे आती जाती रहती है। नहरो द्वारा आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नहरो मे एक निश्चित गहराई तक पानी और नावो के आने-जाने की सहूलियत होना जरूरी है।

गगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियो मे जल यातायात विकास मे सदृश्यता लाने के लिए १९५२ मे अनुविहित गगा-ब्रह्मपुत्र जल यातायात बोर्ड बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ के अनुरोध पर एक प्रारम्भिक योजना बनाई गई है ताकि ऊपरी गंगा के छिछली धाराओ मे नौका के बजरे चलाये जा सके।

जहाजरानी

१९५२ के अन्त मे हमारी जहाजरानी सम्बन्धी परिस्थिति यह थी कि १५० जी० आर० टी० से अधिक के भारतीय जहाजों का कुल टनेज ४,३५,३०० जी० आर० टी० था, पर इतना टनेज बहुत कम था और हमारे व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप के जहाजों के सहारे चलता था। इसलिए १९४७ की जहाजरानी नीति समिति ने बीस लाख टन का लक्ष्य रखा

जिससे कि एक तो तमाम भारत के तट का सारा व्यापार अपने जहाज़ों के द्वारा हो, दूसरे बर्मा, लंका और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ भारत के व्यापार का ७५ प्रतिशत भारत के हाथ में आये ; तीसरे समुद्रपार भारत के वाणिज्य का ५० प्रतिशत हमारे जहाजों के जरिए हो तथा चौथे पूर्वी देशों में होने वाला व्यापार जो पहले जापानी, जर्मन और इटालियन जहाजों के द्वारा हुआ करता था उसका ३० प्रतिशत हमारे जहाज़ों के द्वारा हो। १९५३ के अन्त तक यह परिस्थिति थी कि भारत के तटीय जहाज़रानी का आँकड़ा २,५९,००० टन तक पहुँच गया था और तट के व्यापार का लगभग १०० प्रतिशत भारतीय जहाज़ों के द्वारा होता था। सच तो यह है कि अब सारा का सारा तटीय व्यापार भारतीय जहाजों के द्वारा होता है। १९५१–५२ में भारतीय कम्पनियों को तटवर्ती व्यापार से कुल मिला कर भाड़े में दस करोड़ रुपया मिला। १९५३ में कुल मिला कर २५ लाख टन माल जहाज द्वारा भारतीय तट पर आया। इस में से १२ लाख कोयला और ३ लाख टन नमक और शेष अन्य माल था।

यह बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जहाज़रानी कम्पनियों के माल वाले जहाज़ नियमित रूप से इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलिया जाते हैं। इस मद में भारतीय जहाजों को १९५२–५३ में कुल नौ करोड़ रुपये मिले। १९५३ के अन्त तक समुद्रपार वाणिज्य में लगे हुये भारतीय जहाज़ों का कुल टनेज १,७६,३०० जी० आर० टी० था। १९५२–५३ में समुद्र वाणिज्य में लगी हुई भारतीय कम्पनियों को किराये से ८·२५ करोड़ रुपये प्राप्त हुए और १९५३-५४ में कुल ७·९२ करोड रुपये।

१९४७ की जहाज़रानी नियंत्रण विधि के अनुसार तटीय व्यापार में नियुक्त सब जहाज़ो को लाइसेन्स प्राप्त करना पड़ता है। उस कानून की अवधि मार्च १९५४ को समाप्त हो रही थी पर अब आगे दो साल के लिये और बढ़ा दी गई है। सरकार ने १९५० में ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड नाम से एक कम्पनी का सूत्रपात किया। यह कम्पनी आस्ट्रेलिया, सुदूर पूर्व तथा निकट पूर्व के साथ भारत के व्यापार में लगी हुई है। इस कम्पनी की अधिकृत पूंजी दस करोड़ रुपये है। अब कारपोरेशन भारत-आस्ट्रेलिया, मद्रास-मलाया के मार्गों के यातायात को चलाता है।

जहाज़रानी के क्षेत्र में हमारा देश पिछड़ा हुआ था, इस बात को देख कर पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई है कि १४ करोड ९४ लाख रुपया जहाज़रानी कम्पनियों को रियायती सूद पर दिया जाये जिससे कि वह अतिरिक्त टनेज प्राप्त करें। इस ऋण का ब्योरा नीचे की तालिका में दिया जा रहा है :

तालिका ९७

जहाज़रानी का क्षेत्र	ऋण दिया गया धन (करोड़ रुपयों में)	टन-सामर्थ्य जिस का अर्जन करना होगा (जी०आर०टी०)
तटीय व्यापार . . .	४·०	६५,०००
समुद्रपार का व्यापार . .	·६·५	७०,०००
ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन .	४·४४(क)	४०,०००

(क) कारपोरेशन को आवश्यक टन-सामर्थ्य अर्जन करने योग्य बनाने के लिये यह धन सरकार द्वारा लगाया जायेगा।

इन बातों को देखते हुए यह ज़रूरी था कि हमारे देश में जहाज़ भी बनें। इसी के अनुसार पंचवर्षीय योजना में विशाखापटनम के जहाज़ वाले कारखाने को लेने तथा उसके विकास के लिये बारह करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। ये कारखाने सिन्धिया कम्पनी से खरीद कर हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को सौंप दिये गये है. पर नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में रखा है। १९५१–५३ में १,०७,००० कुल टनेज के ३१ जहाज़ भारतीय जहाज़ कम्पनियों को प्राप्त हुए थे, इनमें से छः विशाखापटनम के जहाज़ वाले कारखाने में बने थे।

बन्दरगाह

भारत की तट रेखा ३,५०० मील लम्बी है। इसमें पाँच मुख्य बन्दरगाह है यानी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन और विशाखापटनम। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास का प्रशासन परिवहन मन्त्रालय के द्वारा होता है। यह प्रशासन १९०८ की भारतीय बन्दरगाह विधि के अनुसार पोर्ट ट्रस्टों के द्वारा किया जाता है। विशाखापटनम पर रेल बोर्ड का प्रशासन है और कोचीन पर परिवहन मन्त्रालय द्वारा नियुक्त एक अधिकारी प्रशासन करता है। मुख्य बन्दरगाहों के सम्बन्ध में लेखा इस प्रकार है :

तालिका ९८

बन्दरगाह	उन जहाज़ों की संख्या जिन्होंने प्रवेश किया	आयात (लाख टनों में)	निर्यात (लाख टनों में)	आय में बचत (लाख रु० में)
कलकत्ता .	१,५०३	३३·१९	६३·५४	३६·९०
बम्बई . .	२,८१९	४६·७५	१९·४३	७२·२८
मद्रास . .	१,०९७	१८·०७	३·१५	६३·००
कोचीन . .	—	१२·२५	३·२६	५·०५

पाकिस्तान के बनने से हमारा एक मुख्य बन्दरगाह कराची भारत से निकल गया। इसलिए भारत सरकार ने १२ करोड़ ९५ लाख रुपये की लागत पर कच्छ में कण्डला नामक स्थान को एक मुख्य बन्दरगाह के रूप में विकसित करने का निर्णय किया। १९५६ के प्रारम्भ तक इस बन्दरगाह का निर्माण पूरा हो जायेगा। कच्छ में पाँच छोटे बन्दरगाहों के विकास के सम्बन्ध में भी काम जारी है। हमारे यहाँ जो मुख्य बन्दरगाह हैं, उनमें भी कई त्रुटियाँ हैं। इसलिए योजना काल में उनके आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये २९ करोड़ २७ लाख रुपये के खर्च की व्यवस्था रखी गई है। इस सिलसिले में ३·९२ करोड़ रुपये का काम पूरा भी हो गया।

बम्बई में न्यूमैरीन आयल टरमिनल का काम प्रगति पर है। इस पर लगभग ६ करोड़ रु० खर्चा आयेगा।

बन्दरगाहों के सम्बन्ध में हमारी एक समस्या यह भी रही ह कि किसी बन्दरगाह में कुछ नियम हैं तो किसी में कुछ। इसलिए प्रशासन में एकरूपता कायम करने के लिये और अधिकतर केन्द्रीय नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिये तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के मुख्य बन्दरगाहों के अधिकारों को विकेन्द्रित करने के लिये १९५१ में पोर्ट ट्रस्ट्स एण्ड पोर्ट्स संशोधन विधि पारित की गई। १९५० में एक राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड बनाया गया, जो भारत सरकार के सामुद्रिक राज्यों तथा मुख्य बन्दरगाह अधिकारियों के प्रतिनिधियों को लेकर संगठित किया गया। यह बोर्ड बन्दरगाहों के विकास विशेषकर छोटे बन्दरगाहों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देता रहता है।

पर्यटन उद्योग

यूरोप में तथा अन्य महादेशों में पर्यटन उद्योग पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। अब तक इस पर सरकार का ध्यान नही था पर स्वतंत्र भारत इस ओर से विमुख नहीं रह सकता था। इसलिए १९४८ से सरकार देश में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है। बात यह है कि एक तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ती है, और दूसरे यह विदेशी विनिमय-उपार्जन का एक अच्छा साधन है। १९४९ में परिवहन मन्त्रालय के अधीन एक पर्यटन विभाग खोला गया और तबसे महत्त्वपूर्ण नगरों में जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय खोले गये है। कुछ और स्थानों में ये दफ्तर छोटे रूप में मौजूद है। यह दफ्तर राज्य सरकारों के यात्रा एजेन्टों तथा होटल के प्रशासन के साथ घनिष्ट सहयोग में काम करता है। न्यूयार्क में भी एक पर्यटन कार्यालय खोला गया है। इन कार्यालयों का काम यह है कि वे विदेशी यात्रियों के लिये युक्तिसंगत सुविधाओं की व्यवस्था करें और यात्रियों को आकृष्ट करने के लिये विदेशों में प्रचार कार्य करे। १९५२ के प्रथम १० महीनों में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय ने कुल मिला कर ७,३२८ पूछताछ का उत्तर दिया। इस दृष्टि से गाइड पुस्तक, पुस्तिकाएँ, पोस्टर तथा फोल्डर निकाले जाते हैं। विदेशों में वितरण तथा प्रदर्शन के लिये पर्यटन सम्बन्धी फिल्में भी बनाई जा रही है। कहना न होगा कि इन कार्यों का परिणाम अच्छा हुआ है। १९५१ में लगभग २०,०००, १९५२ में २५,४४८ और १९५३ में २८,०६० यात्री भारत आये। इसमें लगभग एक चौथाई संख्या तो अमेरिकन यात्रियों की थी। पर्यटन उद्योग से १९५२ में २.५० करोड़ रुपये की आमदनी हुई जब कि १९५३ में इससे २० प्रतिशत और अधिक की आशा थी।

भारत सरकारी यात्रा संगठनों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ का सदस्य हो गया है। इस संगठन की ओर से एशिया और दूर पूर्व के लिये भी क्षेत्रीय यात्रा आयोग की स्थापना हुई है, और ऐसा करने से यूरोप और अफ्रीका में चालू प्रकार के आयोगों का अनुकरण किया गया है।

नागरिक उड्डयन

अगली तालिका में हवाई यातायात की अनुसूचित उड़ानों में कितना माल तथा कितनें यात्री ले जाये गये तथा यात्राओं की दूरी और समय आदि के आँकड़े दिये गये हैं।

तालिका ९९

वर्ष	उडान के घंटे (हजारो मे)	कितने मील उड़ान की गई (हजार मीलो में)	यात्रियों की संख्या (हजारो में)	ढोया हुआ माल (हजार पौडों मे)	ढोयी गई डाक (हजार पौंडों में)	टन-मील क्षमता (लाख में)	प्रति टन भार आय (लाख में)
१९४७ .	५९	९,३६२	२५५	५,६४८	१,४०५	१८६.०	१४३.६
१९४८ .	७९	१२,६४९	३४१	११,९७५	१,५८३	२६३.२	१९३.०
१९४९ .	९४	१५,०९८	३५७	२२,५००	५,०३२	३६५.४	२३२.५
१९५० .	११७	१८,८९६	४५३	८०,००७	८,३५६	५२२.५	३४४.१
१९५१	११९	१९,४९८	४४९	८७,६६५	७,१८२	५७४ ०	३९०.२
१९५२	११९	१९,५४२	४३४	८६,०३८	८,२७७	५६७ ३	३७४ ६
१९५३ .	११३	१९,०४७	३९६	८३,६७९	८,७६३	५५८.२	३६४.४

१९५३ में अनुसूचित ढंग से हवाई लाइन चलाने वाली कम्पनियों के अतिरिक्त पाँच अन्य कम्पनियाँ अननुसूचित हवाई लाइन चलाती थी। एयर इंडिया इंटरनेशनल ने भी अफगानिस्तान और जेद्दा के बीच तथा मध्य पूर्व मे भिन्न-भिन्न स्थानों तक हज यात्रियो को ले जाने के लिये अननुसूचित हवाई लाइनें चलाई। इस साल अननुसूचित हवाई सर्विसो के उडान के घटों, बोझा ले जाने के वजन तथा यात्रियो की सख्या में काफी कमी हुई। १९५३ में अननुसूचित हवाई लाइनो ने लगभग २६,४५७ घंटे और ४२.५ लाख मील उडान की, जब कि १९५२ मे ३६,३६९ घंटे और ५८.४ लाख मील उडान की थी। इसी तरह यात्रियो की संख्या ९२,२४५ रही और ६२१.५ लाख पौंड माल ले जाया गया। जब कि पिछले साल ८८,८८७ सवारियाँ, और १,२५८.३ लाख पौड माल ले जाया गया। अन्तर्राष्ट्रीय वायुयान परिवहन की सेवाएं इंग्लैड, पूर्वी अफ्रीका, सिंगापुर तथा अफगानिस्तान तक चालू की गई। भारत के मुख्य शहरों के बीच जो रात्रि एयर मेल सेवाए जारी थी, उनके द्वारा २४,४९० सवारियाँ (लगभग प्रति दिन औसतन ६६ सवारियाँ) ३१.८ लाख पौड डाक, १०.१ लाखपौंड माल ले जाया जाता रहा।

जून १९५१ के अन्त में भारत में ७३.८ पंजीकृत हवाई जहाज थे और २०० हवाई जहाजों को उडने की योग्यता के प्रमाणपत्र प्राप्त थे। १५ जनवरी १९५४ में हमारे यहाँ का नागरिक उड्डयन विभाग ७८ हवाई अड्डों को कायम रखता तथा चलाता रहा। इसमें तीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे—सन्ताक्रुज (बम्बई) डमडम (कलकत्ता) तथा पालम (दिल्ली) तथा इसके अतिरिक्त आठ मुख्य हवाई अड्डे जो कि अगरतल्ला, अहमदाबाद, बेगमपेट, बंबई (जूहू), दिल्ली (सफदरजंग) गौहाटी, मद्रास और नागपुर शामिल है। इसी साल कूचबिहार और बेलूर-घाटके हवाई अड्डों का नियंत्रण पश्चिम बंगाल सरकार से केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया ताकि इन अड्डों पर हवाई यातायात पर काफी नियंत्रण रखा जा सके और बेतार के तार द्वारा संदेश भेजने आदि की सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें। भारतीय वायुयान कम्पनियों ने नियमित रूप से देश के

बाहर काहिरा, रोम, पेरिस, जेनेवा, लन्दन, अदन, नैरोबी, बैंकोक, सिंगापुर, लंका, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हवाई लाइनें चालू की ।

वायु परिवहन उद्योग को स्थायी और आर्थिक रूप से दृढ बनाने के लिये १५ जून १९५३ को भारत में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया गया । उस दिन भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो गया और देश के भीतर की तथा बाहर की वायु परिवहन सेवाओ को चलाने के लिये दो निगमों यानी इण्डियन एयर लाइन कारपोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना हुई। पड़ौसी देशों यथा बर्मा, लंका और पाकिस्तान तथा अन्य दूर देशों तक अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन सेवाएं चालू की गई । इन निगमो ने वायु परिवहन कम्पनियों को १ अगस्त १९५३ को अपने अधिकार में लिया ।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का सदस्य है। वायु मार्ग परिवहन में इस देश मे लोगो को जो सुविधाए दी जा रही है वे अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड के अनुसार है। १९५३–५४ के अन्त मे नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा परिचालित वैमानिक संचार केन्द्रों की कुल संख्या ६८ थी ।

१९४८ मे इलाहाबाद में एक नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया । इसमे वायुयान चालकों, इंजीनियरिंग, हवाई अड्डे के नियंत्रक कर्मचारियो, रेडियो ऑपरेटरो तथा टेक्निशियनों को प्रशिक्षित किया जाता है। भारत मे १९५३–५४ मे ११ सहायताप्राप्त उड्डयन क्लब तथा दो ग्लाइडिंग क्लब ऐसे थे जहाँ विभिन्न प्रकार के लाइसेन्स तथा प्रमाणपत्र के लिये २३७ पायलट शिक्षण प्राप्त कर चुके है । जयपुर मे जो एक नया उड्डयन क्लब खुला है उसे इसी वर्ष सहायता दी गई है । यह तय किया गया कि पूना की भारतीय ग्लाइडिंग संस्था को सरकार अपने हाथ में लेकर उसे विभागीय ग्लाइडिंग केन्द्र के रूप मे चलाये । नागरिक उड्डयन विभाग की अनुसंधान और विकास शाखा हवाई जाहजों के डिजाइन तथा निर्माण, ग्लाइडरों के निर्माण में एक निश्चित स्तर बनाये रखने, सामग्री तथा साज-सज्जा, उड्डयन के लिये सहायता का विकास, हवाई यातायात की टेक्निकल समस्याओं की तथा उड्डयन सम्बन्धी दूसरी टेक्निकल बातों की छानबीन करती है । । विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो अवसर मिले उनसे पूरा लाभ उठाया गया, और विदेशों में प्रशिक्षण क लिये यहाँ से नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी भेजे गये। १९५३ मे इलाहाबाद के नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र में नेवीगेटर की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये नया अनुक्रम (कोर्स) चालू किया गया ।

पंचवर्षीय योजना मे नागरिक उड्डयन के विकास के लिये २२.८ करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है। इसमें से १०.०७ करोड़ रुपया नये हवाई अड्डों के निर्माण पर और वर्तमान हवाई अड्डों को सुधारने पर खर्चा जायेगा । ९.५ करोड़ रुपया नये एयर कारपोरेशनों के निर्माण, मौजूदा एयर कम्पनियों को मुआवजा देने तथा नये हवाई जहाजों के खरीदने में खर्चा जायेगा। १९५१–५४ मे नये हवाई अड्डों को बनाने तथा पुरानों को सुधारने पर ३.८४ करोड़ रुपया खर्च आया । इसी अर्से में एयर कारपोरेशनों के बनाने तथा नये हवाई जहाज खरीदने पर ३.०५ करोड़ रुपया खर्चा किया गया ।

सहायक ग्रन्थ सूची

१. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ : 'इंडियन रेलवेज़—वन हंड्रेड ईयर्स, १८५३–१९५३'

२. ,, : 'रेलवे बजट पेपर्स, १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६'

३. ,, : 'मन्थली रेलवे स्टेटिस्टिक्स', मार्च १९५४

४. ,, : 'इण्डियन रेलवेज़', १९५१–५२ और १९५२–५३

५. प्लानिंग कमीशन : 'फाइव ईयर प्लान प्रोग्रेस रिपोर्ट', १९५१–५२, १९५२–५३ और १९५३–५४

६. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांस्पोर्ट : 'रिपोर्टस्', १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५

७. मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनीकेशनस : 'रिपोर्टस्', १९५३–५४ और १९५४–५५

८. सेंट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गेनाईज़ेशन, कैबिनेट सेक्रेटेरियट : 'स्टेटिस्टिकल एबस्ट्रेक्ट, इण्डिया, १९५० और १९५१–५२'

इक्कीसवाँ अध्याय

डाक और तार

रेल विभाग के बाद भारत सरकार के कार्यों में डाक और तार विभाग सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह विभाग संचार मंत्रालय के अधीन है और इस पर एक डायरेक्टर जनरल का नियंत्रण होता है। डायरेक्टर जनरल की सहायता के लिये एक डाक और तार बोर्ड है, जिसके वे सभापति होते हैं।

इस विभाग का महत्त्व इसी से समझा जा सकता है कि यही विभाग डाक-तार, टेलीफोन और बेतार के लिये जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त डाकखानों के बचत बैंक, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, डाक विभागीय जीवन बीमा और रेडियो सैटों के लिये लाइसेंस की फीस के संग्रह का काम भी यही विभाग करता है।

प्रशासन की दृष्टि से सारे देश को तेरह भागों में बाँटा गया है जिनमें से ग्यारह डाक-तार की इकाइयाँ हैं, तथा एक डाक वाला वृत्त है जो दिल्ली में स्थित है। तेरहवीं इकाई हैदराबाद का डाक-उपवृत्त है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली में चार टेलीफोन के जिले कायम किये गये हैं।

तालिका १००

प्रदेशीय इकाइयाँ

जिला अथवा वृत्त अधिकारी का पद-नाम	अधिकारक्षेत्र
१. पोस्ट-मास्टर-जनरल, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह, सिक्किम, और मध्य तिब्बत स्थित तीन डाकखाने
२. पोस्टमास्टर-जनरल, बिहार .	बिहार
३. पोस्टमास्टर-जनरल, उत्तर प्रदेश .	उत्तर प्रदेश
४. पोस्टमास्टर-जनरल, पंजाब .	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पेप्सू, बिलासपुर, जम्मू और काश्मीर, दिल्ली (केवल तार-विभाग)
५. पोस्टमास्टर-जनरल, बम्बई .	बम्बई, सौराष्ट्र और कच्छ
६ पोस्टमास्टर जनरल, मद्रास .	मद्रास, मैसूर, तिरुवांकुर-कोचीन, कुर्ग, हैदराबाद (यह एक डायरेक्टर के अधीन उप-वृत्त है)
७. पोस्ट मास्टर जनरल, मध्यवृत्त .	मध्य प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश
८. डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, राजस्थान . . .	राजस्थान, मध्य भारत, भोपाल और अजमेर

तालिका १०० (क्रमश:)

जिला अथवा वृत्त अधिकारी का पद-नाम	अधिकारक्षेत्र
९. डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, आन्ध्र	आंध्र
१०. डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, उडीसा	उडीसा
११. डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, आसाम	आसाम, मणिपुर, और त्रिपुरा
१२. डायरेक्टर आफ पोस्टल सर्विसेज, दिल्ली	दिल्ली (केवल डाक)
१३. डायरेक्टर आफ पोस्टल सर्विसेज, हैदराबाद	हैदराबाद राज्य (उप-वृत्त)
१४ जनरल मैनेजर, कलकत्ता टेलीफोन जिला	कलकत्ता नगर
१५ जनरल मैनेजर, बम्बई टेलीफोन जिला	बम्बई नगर
१६ जिला मैनेजर, दिल्ली टेलीफोन जिला	दिल्ली व नई दिल्ली के क्षेत्र
१७. जिला मैनेजर, मद्रास टेलीफोन जिला	मद्रास नगर
कार्यकारी इकाइयाँ	
एडीशनल चीफ इंजीनियर पोस्ट एवं टेलिग्राफ, जबलपुर	टेली-कम्युनिकेशन्स (डिज़ाइन और अनुसन्धान) विकास कार्य के अधिष्ठाता
जनरल मैनेजर, वर्कशाप	जबलपुर और बम्बई स्थित पोस्ट एवं टेलीग्राफ वर्कशाप्स के अधिष्ठाता
चीफ कंट्रोलर ऑफ टेलीग्राफ स्टोर्स	टेलीग्राफ व टेलीफोन स्टोर्स के अधिष्ठाता

इस विभाग में ३१ मार्च १९५४ तक कुल मिला कर २,४२,९१५ व्यक्ति काम कर रहे थे, जब कि इसमे पिछले साल २,३४,०६९ व्यक्ति काम करते थे। इनमे से १,८०,८९९ स्थायी थे और ६२,२१६ व्यक्ति अस्थायी थे। इनमे १,४४५ गजेटेड अफसर थे और ५२,८९६ व्यक्ति विभाग के अतिरिक्त एजेंट थे। १९५४ मे १,४४६ स्थायी तथा ३,१८७ अस्थायी महिला कर्मचारी थी। जबकि १९५३ मे इसकी तुलना में क्रमश. १,३४४ तथा ३,१३३ महिला कर्मचारी थी। इस प्रकार कुल मिला कर १५६ अर्थात् ३५ प्रतिशत महिला कर्मचारियो की सख्या बढी।

डाक और तार विभाग व्यवसायी ढग पर काम करता है। पर रेल विभाग का वित्त जिस प्रकार सामान्य राजस्व से अलग है, इसका वित्त उस प्रकार अलग नही रखा गया है। चालू खर्च और लगाई हुई पूजी पर सूद स्थूल आमदनी मे घटा दिया जाता है और जो रकम बचती है, वह सामान्य विभाग में दी जानी है। इस प्रकार बचत वाली राशि मे से एक राशि सीधी राजस्व विभाग में दे दी जाती है और बाकी विभाग के नाम पर रोकड के रूप में दिखलायी जाती है। इस प्रकार जो बचत वाली धन राशि जमा होती है, उस पर विभाग को कुछ छूट मिलती है।

१९५३-५४ के बजट सम्बन्धी अनुमानों में इस विभाग की स्थूल आमदनी ८८ करोड १५ लाख रुपये और चालू खर्च ८१ करोड़ ६० लाख रुपये कूता गया था। इस प्रकार

२ करोड़ ५५ लाख रुपये की बचत थी। १ अप्रैल १९५३को जो एकत्रित बचत वाली रकम सामान्य राजस्व में मिला दी गई, वह १,४९४ लाख रुपये थी। २५५ लाख रु० की कुल अतिरिक्त बचत वाली राशि में से १२७ लाख रुपये जो कि सामान्य राजस्व मे जाने वाली कुल रकम का ५०· प्रतिशत थे और शेष बची हुई १२८ लाख रु० की रकम जो कि विभागीय बचत में जोडी जायेगी, इस प्रकार कुल मिला कर ३१ मार्च १९५४ को एकत्रित बचत वाली रकम १,६२२ लाख रुपये हो जायेगी। डाक-विभाग को इस बचत के ब्याज पर आगामी वर्ष में छूट मिलेगी। छूट की यह दर उसी हिसाब से होगी जो कि यह सामान्य राजस्व को अपने मूलधन पर देता है। हिसाब से यह पता चलता है कि १९५३–५४ मे यह एकत्रित बचत १६.२१ करोड रुपये है जब कि इसकी तुलना मे १९४७–४८ मे यह रकम कुल ७ ५० करोड रुपये की थी।

भारतीय डाक पद्धति १,६०,००० मील तक फैली हुई है। इसमें से यह २४ प्रतिशत डाक रेल द्वारा, १७ प्रतिशत मोटर गाड़ियों के द्वारा और ५ प्रतिशत परिवहन के दूसरे साधनों द्वारा जैसे स्टीमरो, डाक ले जाने वाली बैलगाडियो, घोड़ो, खच्चरो और ऊँटो के द्वारा ले जायी जाती है। बाकी यानी कुल का ५४ प्रतिशत हरकारो तथा छोटी नावों के द्वारा ले जायी जाती है।

देश के अन्दर टेली कम्युनिकेशन को एक करने की प्रक्रिया काफी तेजी के साथ प्रगति कर रही है। जम्मू और कश्मीर के नवीन अधिकृत भागों में से श्रीनगर मे एक तैरता हुआ डाकखाना खोला गया। डाक विभाग के इतिहास मे यह एक अद्वितीय कदम उठाया गया है। जिन लोगों को यह सुविधा मिली है उन्होंने और साथ ही विदेशो के डाक विभागो ने भी इसकी भूरि-भूरि प्रशसा की है।

डाक टिकट शताब्दी

भारतीय डाक टिकट शताब्दी समारोह १९५४ मे १ मे १५ अक्तूबर तक बडी धमधाम के साथ सारे देश मे मनाया गया। १ अक्तूबर को प्रधान मत्री जवाहरलाल नेहरू ने टिकट शताब्दी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमे ७५ देशो ने भाग लिया।

रात के चलते-फिरते डाक घर

रात के चलते-फिरते डाकघरो का कार्यक्रम प्रयोगात्मक ढग से पहले-पहल नागपुर में चालू किया गया। बाद को यह योजना मद्रास, दिल्ली और कानपुर म लागू कर दी गई। शहर के डाकघरो के बन्द हो जाने के बाद ये चलते-फिरते डाकघर शहर के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में निर्दिष्ट समय पर पहुँचते है। यह डाकघर सभी दिनो यानी रविवारों तथा डाकघरों की अन्य छुट्टी के दिन भी चालू रहते है। चलते फिरते डाकघरो मे मनीआर्डर नही लिये जाते और न सेविंग बैंक का ही काम किया जाता है।

हवाई डाक और सर्व-हवाई डाक की योजनाएं

१९४८ मे भारत के मुख्य नगरों यानी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और नागपुर को जोड़ती हुई एक आभ्यन्तरिक रात्रि हवाई डाक सेवा का प्रवर्तन किया गया। १९४९ से हवाई डाक योजना के अनुसार सारे पत्र, पोस्टकार्ड इत्यादि मामूली तौर पर हवाई डाक से भेजे जाते हैं और इसके लिये कोई अतिरिक्त शुल्क नही देना पडता। १९५१ की पहली मई से यह योजना आभ्यन्तरिक मनीआर्डर पर भी चालू कर दी गई है। इसके अलावा सारी आभ्यन्तरिक बीमा

शुदा डाक भी जहाँ तक सम्भव और सुविधाजनक है हवाई जहाज से भेजी जाती है। १९५१-१९५२ तक यह परिस्थिति पहुँच गई थी कि ५५ लाख पौंड डाक यानी सारी डाक का २७ प्रतिशत आभ्यन्तरिक हवाई डाक के मार्ग से ले जाया गया। त्रिपुरा राज्य में अगरतल्ला को जाने या वहाँ से आने वाली सब तरह की डाक जिसमें पैकेट और पार्सल भी हैं, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई मार्ग से ले जायी जाती है। १९५१ में यह पद्धति जारी की गई थी कि जम्मू और कश्मीर तथा भारत के बीच में जो पार्सल और पंजीकृत समाचारपत्र रियायती हवाई शुल्क पर हवाई डाक से भेजे जाते थे उनका भेजा जाना अब भी जारी रक्खा जाये। भारत से आस्ट्रेलिया, मिस्र, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के लिये एक हवाई पार्सल सेवा १९५३ की २ जनवरी को जारी की गई। उसी तारीख से लंका के लिये हवाई डाक के पत्र सामान्य पंजीकरण फीस देने पर पंजीकृत कराये जा सकते हैं।

नीचे की तालिका में डाक तार विभाग द्वारा किये हुए काम का लेखा प्रस्तुत किया जाता है :

तालिका १०१

	१९५३–५४	१९५२–५३
१. डाक जो ले जाई तथा लाई गई	२६७.२ करोड़	२५५.३ करोड़
२. पंजीकृत सामान जो ले जाया गया	८ ६० करोड़	८.६८ करोड़
३. बीमाशुदा सामान जो ले जाया गया	४१ लाख	४५ लाख
४. बीमा कराये गये सामान की कीमत	१४६.५ करोड रुपये	१७४ करोड़ रुपये
५. पहुँचाये गये मनीआर्डर	५.८० करोड	५.६३ करोड
६. पहुँचाये गये मनीआर्डर का मूल्य	२०३ करोड रुपये	१९८ करोड रुपये
७. [illegible] जो वी. पी. द्वारा इकट्ठी की गई	३२ करोड़ रुपये	३५ करोड़ रुपये
८. साल के अन्त में सेविंग बैंक का लेन-देन	५१ लाख	४८ लाख रुपये
९. साल के अन्त मे सेविंग बैंक एकाउन्ट की बचत राशि	२३२ करोड़ रुपय	२१७.७ करोड रुपये
१०. डिफेन्स सेविंग बैंक का हिसाब साल के अन्त में	१५ लाख रुपये	१५ लाख रुपये
११. डफेस सेविंग बैंक के हिसाब मे बचत की रकम	१.२ करोड़ रुपये	१.२ करोड़ रुपये
१२. राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट मे जो रकम लगाई गई :		
५ साल	३७ लाख रुपये	१.६ करोड़ रुपये
७ साल	१.५ करोड़ रुपये	६५ लाख रुपये
१२ साल	२६.५ करोड़ रुपये	२३.७ करोड़ रुपये
१३. कैश सर्टिफिकेट में रकम लगाने वालों को साल के अन्त में जो रकम दी गई	३.३ करोड़ रुपये	३.८ करोड़ रुपये
१४. साल के अन्त में डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के मियाद पूरी होने पर जमा करने वालों को जो रकम चुकाई गई	७५.९ लाख रुपये	७४ लाख रुपये

तालिका १०१ (क्रमशः)

१	२	३
१५. जमा कराने वालों को राष्ट्रीय सेविंग सर्टिफिकेट तुड़ाते समय रकम दी गई . . .		
५ साल	१.३ करोड़ रुपये	८८ लाख रुपये
७ साल	५० लाख रुपये	२९ लाख रुपये
१२ साल	६.३ करोड रुपये	७.१ करोड़ रुपये
१६. पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की संख्या	१,१७,६८५	१,०८,३५८
बीमा करायी गयी रकम .	२७.० करोड़ रुपये	२४.६ करोड़ रुपये
१७. मिलट्री पेंशन की रकम जो कि पोस्ट आफिस के जरिए चुकाई गई .	२.२ करोड़ रुपये	२.४ करोड़
१८. दिये गये तारों की संख्या .	२.९३ करोड़	२.९ करोड़
१९. मिगनलिग द्वारा भेजे गये संदेश .	१३.८ करोड़	१३ ४ करोड़
२०. टेलीफोन एक्सचेंज (पी० बी० एक्स० और कम्पनी प्रणाली शामिल है) .	४,६०४	४,४५३
२१. साल के अन्त में टेलीफोन संख्या .	२,२०,०००	१,९६,०००
२२. ट्रक काल (इसमें सर्विस काल शामिल नही है) . .	१.५१ करोड	१.०८ करोड़

नये डाकखाने खोलने के अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हर एक जिले में पोस्टल डिवीजन बनाने का भी कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त परीक्षण के तौर पर ३,२२३ डाकखाने खोले गये। इनमें से २,८३५ डाकखाने गाँवों में खोले गये थे। १५,०१५ अस्थायी डाकखानों मे से ४५४ डाकखाने जिनमे से ५२ शहर मे थे या तो बन्द कर दिये गये या स्थानान्तरित कर दिये गये। २,६०८ डाकखाने (१३४ शहरी और २,४७४ गाँव के) स्थायी बना दिये गये और ११,९५३ (८७६ शहर के तथा ११,०७७ गाँव के) परीक्षण के लिये कायम रहने दिये गये।

पिछले ३० सालों में जनसंख्या के अनुपात से ही डाकखानों की संख्या में भी बढती हुई है। नीचे की तालिका से १९२१ से १९५४ तक जनसंख्या, राजस्व, कितनी डाक लाई तथा ले जाई गई और आमदनी आदि का पता चलता है।

तालिका १०२

(हजारों में)

साल	जनसंख्या	राजस्व (रु०)	लाई तथा ले जाई गई डाक की संख्या	प्रति व्यक्ति पीछे	
				राजस्व	डाक
१९२१ .	३,१०,४०२	५८,२७५	१४,१०,४२९	०.१९	४.५४
१९३१ .	३,३६,७०२	७३,६८४	११,७५,२९९	०.२२	३.४९
१९४१ .	३,८२,१९१	९८,५२५	१२,७१,९२४	०.२६	३.३३
१९५१ .	३,५६,८२९	२,१०,३५३	२२,७०,०६८	०.५९	६.३७
१९५३-५४ .	३,५६,८२९*	२,६५,४००	२६,७२,१६८	०.७४	७.५

*१९५१ की जनगणना

टेली-कम्युनिकेशन

टेलीफोन

३१ मार्च, १९५४ में देश म ५८५ विभागीय टेलीफोन एक्सचेंज थे जिनमें १,३८,८२७ सीधी लाइनें तथा २४,६३४ उनकी शाखा लाइनें थी। इसके अतिरिक्त ३,८३५ प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज से सम्बद्ध ४३,२३१ कनेक्शन थे जो विभागीय एक्सचेंज से जंक्शन लाइनों से जुड़े हुए थे। १७२ प्राइवेट एक्सचेंज थे जिनसे ३,६२२ टेलीफोन काम करते थे, जबकि ३,५७१ नान-एक्सचेज-सिस्टम वाले ४,१०७ टेलीफोन थे। बिहार में एक कम्पनी १२ एक्सचेंज और २,१०० टेलीफोन चलाती है। इस के अतिरिक्त १९९ छोटे लाइमेंस सिस्टम पर ३,२६५ टेलीफोन है। टेलीफोन प्रणाली से जो राजस्व प्राप्त होता है वह नीचे दिखाया गया है —

तालिका १०३

	१९५२–५३ रुपये	१९५३–५४ रुपये
टेलीफोन के किराये और स्थानीय 'कालो' से प्राप्त फीस .	६,०३,०१,०००	६,४४,४८,०००
टेलीफोनों के मालिक बनो योजना के अन्तर्गत प्राप्त पेशगी रकम .	४१,१७,०००	७५,९२,०००
ट्रंक काल की फीस . . .	३,८८,०७,०००	४,११,१८,०००
जिन्होने गारंटी दी उनसे प्राप्त रकम .	—	४३,०००
कम्पनियों से प्राप्त रायल्टी . .	८४,०००	९९,०००
फीस तथा अन्य प्राप्त रकम . .	१९,९७,०००	१७,५४,०००
टेलीफोन डिवीडेंड फंड पर प्राप्त ब्याज .	४,८४,०००	५,७०,०००
विभिन्न मदों से जो धन निकाला गया (–)	(–) १३,२९,०००	(–) १३,३९,०००
कुल . . .	१०,४४,६१,०००	११,४३,२५,०००

'टेलीफोन के मालिक बनो' कार्यक्रम

यह योजना दिसम्बर १९४९ में अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलोर, भटिण्डा, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, धुबरी, ईरोड, गुंटूर, हैदराबाद, इन्दौर, कानपुर, मद्रास, मेरठ, नागपुर, राजकोट और सूरत में चालू की गई। बाद में बरनाला, धुरी, कोटकपूरा और बेरावल में भी यह योजना चालू की गई। इस प्रकार 'टेलीफोन' के मालिक बनो' के सिलसिले में एक्सचेंज की संख्या २२ तक पहुँच गई। धीरे-धीरे-ज्यों-ज्यों टेलीफोन की स्थिति सुधरती गई भटिंडा, धुरी, गुटूर, इन्दौर, कोटकपूरा, मेरठ, राजकोट और सूरत में यह योजना बन्द हो गई। इस प्रकार ३१ मार्च, १९५४ में यह योजना कुल १२ शहरों में चालू थी। जब से 'टेलीफोन के मालिक बनो' कार्यक्रम चालू किया गया है, इस सिलसिले में कुल मिला कर १७,५५५ आवेदनपत्र आये। इससे विभाग को ४,०५,४८,५०० रुपये जमा रकम (डिपाजिट) के रूप में प्राप्त हुए। जनवरी १९५५ के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १७,८६० टेलीफोन कनेक्शन दिये गये।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिये बम्बई और कलकत्ते में २,५०० रुपये तथा अन्य जगह २,००० रुपये २० वर्ष के लिये देने पडते हैं। इसके बाद देख भाल के लिये २ रु० प्रति मास जमा करना पड़ता है। १९५२ के अन्त तक लगभग १३,१०९ व्यक्तियों को इस सिलसले में टेलीफोन कनेक्शन दिया गया और उनसे ३,१९,८७,५०० रु० प्राप्त हुए।

अपने एक्सचेंज के मालिक बनो

यह योजना १९५० मे चालू की गई। इस योजना के अनुसार डाक-तार विभाग ५० लाइनों वाला एक एक्सचेंज खोल सकता है, वशर्ते कि संस्थाएं, कोठियाँ तथा व्यक्ति २½ प्रतिशत सूद पर पचास हजार रुपये का ऋण देने के लिये तैयार हो। वह ऋण चुकाये जाने की अवधि बीस वर्ष है। इस योजना के अन्तर्गत ३१ मार्च १९५३ से पहले ६ एक्सचेंज बदाऊं (उत्तरप्रदेश), देवनगर (मैसूर), मालेगाँव, कपाडवंज और बलसाड़ (बम्बई) तिरुपति (मद्रास) में खोले गये हैं। बम्बई राज्य में आनन्द और इच्छल करंजी मे दो एक्सचेंज और खोले गये। इस प्रकार 'एक्सचेंज के मालिक बनो' कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च १९५४ तक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या ८ तक पहुँच गई।

प्रति संदेश पद्धति

इस पद्धति का प्रवर्तन १९४७ के अप्रैल मे हुआ। इस पद्धति के अनुसार ग्राहको को प्रति बार टेलीफोन करने के लिये शुल्क देना पडता है, और साथ ही एक निर्दिष्ट मासिक किराया देना पडता है। यह पद्धति १६ स्थानों पर यानी अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, इन्दौर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, पूना, शिमला, त्रिवेन्द्रम, एल्लेपी, कोट्टयम, तथा क्वीलोन में चालू है।

ट्रंक काल

१९५२-५३ में १ करोड़ १० लाख ट्रंक काल हुई। इस ओर कितनी प्रगति हुई यह इससे जाना जा सकता है कि १९४८-४९ मे ४४ लाख ट्रंक काल हुई थी। यह बढ़ती शायद इस कारण हुई कि १९५१ के १ सितम्बर से ३६२.५ मील से अधिक दूर की ट्रंक कालें रियायती दर पर करने दी जाने लगी। अन्य दरें इस प्रकार हैं :

(१) पहले जहाँ प्रति १२.५ मील पर ३.२ आने लिये जाते थे, अब उसकी जगह पर प्रति २५ मील पर ४ आने लिये जाते हैं।

(२) पहले ५०० मील से अधिक दूर पर प्रति १२.५ मील पर ३.२ आने लिये जाते थे, अब उसकी जगह प्रति ५० मील या उसके अंश के लिये ६ आने लिये जाते है।

रेडियो टेलीफोन सेवा

भारत से बर्मा, मिस्र, इंडोनीशिया, ईरान, जापान, नैरोबी, और इंगलैंड का प्रत्यक्ष टेलीफोन सम्बन्ध है। लन्दन के जरिये भारत और निम्नलिखित देशों बीच क रेडियो टेलीफोन सेवा जारी है—आस्ट्रेलिया, बारबडोस, बेल्जियम, बरमूदा, कनाडा, क्यूबा, चैकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जिब्राल्टर, हंगरी, आइसलैंड, इटली, केनिया, लक्जमबर्ग, मैक्सिको, हालैंड, उत्तरी रोडेशिया, नार्वे, सार, स्पेन, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी आयर्लैंड, दक्षिणी रोडेशिया,

दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टांगानिका, उगान्डा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वेटिकन शहर तथा पश्चिमी जर्मनी। कुछ जहाज ऐसे हैं जो समुद्रमें चलते रहने पर भी टेलीफोन द्वारा हमसे सम्बद्ध रहते हैं, उनके नाम ये हैं—क्वीन मेरी, क्वीन एलिजाबेथ, एक्वी-टेनिया, ओसलोफोर्ड, न्यूर, कारोनिया, मौरे टेनिया और अमेरिका।

टेलीफोन सम्बन्धी प्रशिक्षण पाने के लिये सात प्रशिक्षण केन्द्र हैं—सहारनपुर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली, नागपुर और अम्बाला। इनमें प्रतिवर्ष ८०० टेलीफोन कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

तार

इस देश में ८,२१३ तार के दफ्तर थे। इसमें से ९७ तार के दफ्तर विभागीय थे, ३,९६७ डाक-तार दफ्तर थे और ४,१४९ रेलवे तथा नहर के लाइमेस प्राप्त तार दफ्तर थे। हमारे सामने लक्ष्य यह है कि ५,००० से अधिक की जनसंख्या वाले हरेक कस्बे में तार–दफ्तर की सुविधा हो। यह कार्य अच्छी तरह चल रहा है।

तार सम्बन्धी अन्य सुविधाएं

१९५३ की १ जनवरी से तार विभाग ने एक नई सुविधा प्रदान की पहले जहाँ केवल एक साल या ६ महीने के लिये ही तार के संक्षिप्त पते स्वीकृत और पंजीकृत होते थे, अब तीन माह, छः माह, नौ माह तथा एक साल के लिये भी तार के संक्षिप्त पते पंजीकृत हो सकते हैं। बम्बई और लन्दन के बीच तथा लन्दन के जरिये से न्यूयार्क और यूरोप के साथ फोटो टेलीग्राम सेवा जारी है। अब बेल्जियम, फिनलैंड, नार्वे तथा स्वीडन के साथ भी यह सम्बन्ध जारी कर दिया गया है।

द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने के बाद विदेशों के लिये डीलक्स टेलीग्राम सेवा बन्द कर दी गई थी; पर अब फिर से यह जारी हुई है। अदन, ऐशेन्शन, बरमूदा, साइप्रस, फिजी (केवल सूवा), गाम्बिया, जिब्राल्टर, गोल्डकोस्ट (केवल अकरा), हाँगकाँग, मलय (केवल सिंगापुर और पेनांग), माल्टा, मारीशश, नाइजीरिया (केवल लागोस), उत्तरी बोर्नियो, न्यासालैंड, रोडेशिया, सैंट हेलिना, शिशेलिस, सियर्रा लियोन (केवल फ्री टाऊन), इंग्लैंड, और जंजीबार के लिये यह सेवा फिर से प्राप्त है। पाकिस्तान के लिये भी यह पद्धति चालू है बशर्ते कि आन्तरिक दर के अतिरिक्त प्रति तार पर चार आने और दिये जायें।

हेतार के तार

एक तरफ बम्बई और दूसरी तरफ लन्दन, मेलबोर्न, शंघाई, न्यूयार्क, टोकियो, काबुल और जकार्ता तथा नई दिल्ली और लन्दन और नई दिल्ली तथा मास्को के बीच सीधे सर्किट मौजद हैं।

जलवर्ती केबल तार सेवा

इस उपाय द्वारा लन्दन से बजरिये अदन, पोर्ट सूडान, सिकन्दरिया इत्यादि बम्बई संयुक्त है। इस प्रकार सारे यूरोप से सम्बन्ध मौजूद है। मद्रास से पेनांग, सिंगापुर, हाँगकाँग इत्यादि का इस प्रकार दूरपूर्व का सम्बन्ध है। बम्बई का जंजीबार और अदन का और इस प्रकार पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका से सम्बन्ध है।

आभ्यन्तरिक बेतार

कलकत्ता और अगरतल्ला के बीच एक रेडियो टेलीफोन सेवा है। मद्रास और रंगून के बीच अत्यन्त द्रुत बेतार सेवा कायम की गई है।

बेतार मानिटरिंग

बंगलोर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और जबलपुर में पाँच मानिटरिंग स्टेशन इस समय चालू है।

भारतीय भाषाओं में तार

१९४९ की १ जनवरी को देवनागरी लिपि में तार सम्बन्धी सेवा आरम्भ की गयी। फोनोकोम पद्धति के चालू हो जाने के कारण अब देवनागरी लिपि में भारतीय भाषाओं के तारों को ४५५ दफ्तरों मे लिया और दिया जा सकता है। इस सुविधा को बढ़ाने के लिये आगरा, कलकत्ता, जबलपुर, पटना और पूना में पाँच हिन्दी तार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। हैदराबाद और सिकन्दराबाद मे हिन्दी मोर्स पद्धति चालू की गई है। यह अंग्रेजी की मोर्स कोड पर आधारित है। उदाहरणस्वरूप अंग्रेजी अक्षर "के" के लिये जो सिगनल है, उसको हिन्दी अक्षर "क" के लिये प्रस्तुत किया गया है, इत्यादि। अंकों के लिये अंग्रेजी सिगनल ही रक्खे गये है। १९५० की जुलाई से अभिनन्दन सम्बन्धी तार हिन्दी में लिये जाते है। जिन स्थानों पर हिन्दी की तार सेवा मौजद है, उन स्थानों में देवनागरी लिपि के लिखे हुए अन्य भारतीय भाषाओं के भी तार लिये जाते है। हिन्दी में तार और मनी-आर्डर भेजने तथा नागरी लिपि में तार के पतों का भी पंजीकरण स्वीकृत कर लिया गया है।

हिन्दी टेलीप्रिन्टर

जबलपुर के प्रशिक्षण केन्द्र में अंग्रेजी टेलीप्रिन्टर को हिन्दी की आवश्यकताओं के अनुसार बदल दिया गया है। १९५३ की जनवरी में हैदराबाद में नानलनगर नामक स्थान में काँग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें इन बदले हुए टेलीप्रिन्टरों के जरिए लगभग ४०० सन्देश नई दिल्ली भेजे गये।

पंचवर्षीय योजना

पंचवर्षीय योजना में डाक तार और टेलीफोन के विकास के लिये ५० करोड़ रुपये आवंटित हैं जिसमे से अब तक १८ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इस विकास योजना में विशेष रूप से देहाती इलाकों की सुविधा तथा बड़े शहरों में टेलीफोन की सुविधा पर जोर दिया गया है। वह दिन दूर नहीं है, जब डाक की सेवा यंत्रीकृत हो जायेगी, और पोस्टकार्ड तथा लिफाफे बेचने के लिये स्टाल मशीनें काम करेंगी। तार संचार विभाग ने बड़े शहरों में टेलीफोन एक्सचेंजों को बढ़ाने, ट्रंक–टेलीफोन के आधुनिकीकरण तथा विस्तार तथा अतिरिक्त तार–सर्किट की स्थापना के लिये योजनाएँ बनाई हैं।

बाईसवाँ अध्याय

शिक्षा

१९२१ से शिक्षा मुख्यतः राज्य-सरकारों का विषय रहा है। केन्द्र में १९४५ तक यह स्वास्थ्य और कृषि के साथ जुड़ा हुआ था, किन्तु उसके बाद इस मंत्रालय के तीन विभाग कर दिये गये और इस प्रकार शिक्षा विभाग अपने आपमें एक पृथक् विभाग बन गया। १९४७ में केन्द्रीय मंत्री के अधीन इसे एक मंत्रालय का रूप दे दिया गया। भारतीय संविधान में शिक्षा-व्यवस्था के आधारभूतस्वरूप में पूर्ण परिवर्तन करने का यद्यपि कोई उल्लेख नहीं है ; किन्तु फिर भी विश्वविद्यालयिक और शैल्पिक (टेक्निकल) शिक्षा के स्तरों को स्थिर रखने तथा सुविधाओं को शृंखलाबद्ध करने का विशेष उत्तरदायित्व केन्द्र पर डाल दिया गया है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा-विशेषज्ञ और शिक्षा-व्यवस्थापक के कार्य पृथक्-पृथक् नहीं रखे गये हैं। इस मंत्रालय में एक शैक्षिक परामर्शदाता एवं सचिव, एक अतिरिक्त सचिव, एक संयुक्त शैक्षिक परामर्शदाता एवं संयुक्त सचिव, दो उप-सचिव और चार सहायक-शैक्षिक परामर्शदाता हैं। ये सब शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं। वाशिंगटन, लन्दन, बोन और नैरोबी में इस मंत्रालय के कार्यालय भी हैं।

पिछले कई वर्षों से मंत्रालय के काम का बहुत विस्तार हुआ है और इसे छः विभागों में बाँट दिया गया है :—

(१) प्रशासन और विश्वविद्यालयिक शिक्षा,
(२) हिन्दी और सांस्कृतिक सम्बन्ध,
(३) शैल्पिक (टेक्निकल) और वैज्ञानिक शिक्षा,
(४) छात्रवृत्तियाँ और सूचना,
(५) बुनियादी (बेसिक) और समाज-शिक्षा और
(६) माध्यमिक शिक्षा

चार विश्वविद्यालय—अलीगढ़, बनारस, दिल्ली और विश्वभारती तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी कुछ अन्य संस्थाएँ भी इसके अधीन हैं। और जहाँ तक व्यवस्था का सम्बन्ध है, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय नृवंश विभाग, राष्ट्रीय आलेख विभाग और कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी भी इसी के मातहत हैं। अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को उन्नत करने की नीति के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों और पुरस्कारों की व्यवस्था तथा यूनेस्को (शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन) जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग आदि कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य भी यही मंत्रालय करता है।

पंचवर्षीय योजना

राज्यों तथा केन्द्र में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के लिये पंचवर्षीय योजना में १६१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इस योजना में कहा गया है कि शल्पिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उत्तरदायित्वों को निबाहने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार प्रारम्भिक, माध्यमिक और समाज शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कुछ चुने हुए विशिष्ट कार्यक्रमों में ही सहायता देगी। इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि इस कार्य को स्थानीय अधिकारी और स्वतंत्र संस्थाएँ करें। इसका उद्देश्य सरकारी साधन-सामग्री को बढ़ाना मात्र न होकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में एच्छिक सहयोग की प्राप्ति भी है।

जहाँ तक प्रारम्भिक शिक्षा का प्रश्न है, चुने हुए क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिक योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा प्राइमरी स्कूलों को बुनियादी स्कूलों के रूप में परिवर्तित करने की दृष्टि से उन्नत करने के कार्य में राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है। बुनियादी शिक्षा को उन्नत तथा व्यापक बनाने के लिये जो कार्यक्रम निर्धारित किये गये है उनमे 'क' और 'ख' भाग के राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों तथा 'ग' भाग के राज्यों में से दिल्ली में आदर्श बुनियादी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की भी एक योजना है। इनमें पूर्वबुनियादी शिक्षा देने वाला स्कूल, और बुनियादी स्कूल, एक उत्तरबुनियादी शिक्षा का स्कूल, बुनियादी शिक्षा के अध्यापकों के लिये एक प्रशिक्षण स्कूल और स्नातकोत्तर अध्यापकों के लिये एक प्रशिक्षण कालेज होगा। चूँकि बुनियादी शिक्षा सारे देश में अविलम्ब आरम्भ नही की जा सकती इसलिए इस दिशा में प्रथम चरण के रूप में वर्तमान प्रारम्भिक स्कलों में हाथ का काम शुरू करने मे राज्यों को सहायता दी जायेगी। माध्यमिक शिक्षा-आयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए पंचवर्षीय योजना में बहुउद्देश्यीय माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की बात कही गई है। इन में कृषि, दस्तकारी आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायेगा।

उक्त योजना में विश्वविद्यालयों में संख्याधिक्य की समस्या पर भी विचार किया गया है और इसके निवारण के लिये दो उपाय सुझाये गये है। एक ओर तो यह सिफारिश की गई है कि इस प्रकार की परीक्षाओं की व्यवस्था हो जिनके द्वारा वे ही विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिये चुने जायें जिनमें उसके लिये योग्यता हो और दूसरी ओर विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिये प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के द्वारा जो भर्ती होती है उसे केवल उपाधिधारियों के लिये ही सीमित न किया जाये। देश के पुनर्निर्माण में समाज शिक्षा के महत्त्व पर भी योजना में बल दिया गया है और यह सुझाया गया है कि समाज शिक्षा के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के कार्य में ग्राम पंचायतों, सहकारी संस्थाओं अथवा ट्रेडयूनियनों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार व्यवसाय सम्बन्धी (प्रोफेशनल) शिक्षा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर पठन और अनुसन्धान के लिये सुविधाओं की उन्नति, व्यावसायिक प्रबन्ध और औद्योगिक सम्बन्धों तथा विभिन्न उपयोगी धन्धों विषयक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, प्रौद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् के नेशनल सर्टिफिकेट कोर्सों के लिये छात्रों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्तमान संस्थाओं का पुनर्नवीकरण, कारीगर तथा दस्तकार तक के लिये प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार तथा काम सीखने विषयक एक योजना की व्यवस्था, रिफ्रेशर कोर्सों के निर्माण और गाँव के कारीगरों के स्तर को उन्नत करने के लिये ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना आदि के विषय में उक्त योजना में विशिष्ट सिफारिशें की गई हैं।

इसीलिए योजना में प्रस्तावित कुल व्यय में से ७ प्रतिशत शिक्षा सम्बन्धी विस्तार के लिये अलग कर दिया गया है। इस राशि में से ४१.५ करोड़ रुपये केन्द्र तथा ११९.५ करोड़ रुपये

राज्य व्यय करेंगे। इस व्यय में वह राशि सम्मिलित नहीं है जो कृषि, औषधि, उद्योग, श्रम आदि मदों के अन्तर्गत प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अनुसन्धान पर व्यय होगी। योजना की अवधि में शिक्षा पर जो प्रत्यक्ष कुल व्यय किया गया है वह १९५०-५१ में हुए व्यय से ६० प्रतिशत अधिक है। व्यय का हिसाब इस प्रकार है :—

तालिका १०४

१९५१-५६ में शिक्षा पर व्यय

(करोड़ रुपयों में)

	मूल	संशोधित
केन्द्र—		
(१) प्राग्विश्वविद्यालयिक शिक्षा . .	२०.००	१९.४६
(२) विश्वविद्यालयिक शिक्षा . . .	१.२०	३.४३
(३) शैल्पिक तथा धन्धों सम्बन्धी शिक्षा . .	१२.८२	१६.९४
(४) छात्रों द्वारा श्रम तथा समाज सेवा . .	१.००	१.००
(५) अन्य योजनाएं	—	०.६८
कुल	३५.०२	४१.५१
राज्य—		
(१) प्रशासन	१.०	१.०
(२) प्राथमिक शिक्षा	७२.४	७३.०
(३) बुनियादी शिक्षा . . .	१.३	१.९
(४) माध्यमिक शिक्षा	८.३	८.७
(५) विश्वविद्यालयिक शिक्षा . . .	१०.२	१०.६
(६) शैल्पिक तथा धन्धों सम्बन्धी शिक्षा . .	१०.२	१०.९
(७) समाज शिक्षा	६.१	६.४
(८) अन्य योजनाएं	६.८	७.०
कुल	११६.३	११९.५

योजना की अवधि के प्रथम तीन वर्षों में केन्द्र तथा राज्यों में शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के कार्यों में लगभग ६८.३ करोड़ रुपया व्यय किया गया। यह राशि नियत मूलराशि का ४५ प्रतिशत तथा संशोधित राशि का ४३ प्रतिशत है।

प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा

१९४७ से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि जहां १९४८ की ३१ मार्च को भारत के प्रमुख राज्यों में प्राथमिक स्कूलों और उस में पढ़ने वालों की संख्या क्रमशः १,४०,१२१ तथा १,१०,००,९६४ थी वहां १९५३ की उसी तारीख में वह क्रमशः १,७७,२८५ तथा १,५६,६५,०५६ थी। जहां तक सारे देश का प्रश्न है,

१९५३ के अन्त में प्राथमिक स्कलों की कुल संख्या २,२१,०८२ और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या १,९२,९६,८४० थी ।

प्राथमिक शिक्षा को अच्छी और उपयोगी बनाने के लिये बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया गया है। इनमें कृषि, बुनाई, कताई, फल-संरक्षण, सब्जियों की बागबानी, बढ़ईगीरी, चमड़े का काम, जिल्दसाजी जैसे हाथ के कामों तथा खाना बनाना, कपड़े सीना और घर की व्यवस्था सम्बन्धी घरेलू कामों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। मान्यता यह है कि बागबानी, कृषि की ओर; कताई, बुनाई की ओर; और मिट्टी की मूरतें बनाना कुम्हार-गीरी और लकड़ी के काम की ओर प्रेरित करेगी। बुनियादी स्कूल में बागबानी के लिये कम से कम दो एकड़ ज़मीन तथा सिंचाई के लिये आवश्यक सुविधाएं अपेक्षित है। आशा की जाती है कि कुछ ही वर्षों में सब प्राथमिक स्कूलों का स्थान बुनियादी स्कूल ले लेंगे। इस रूप-परिवर्तन के लिये केन्द्र राज्यों की आर्थिक सहायता कर रहा है और इस दिशा में पर्याप्त उन्नति की गई है

१९४८ में 'क' और 'ख' भाग के राज्यों ने प्राथमिक शिक्षा पर १८·७ करोड़ रुपया व्यय किया। १९५३ में यह व्यय ३४.९ करोड़ तक जा पहुँचा। १९५३ की ३१ मार्च तक समस्त भारत में प्राथमिक शिक्षा पर कुल वार्षिक व्यय ४३·७ करोड़ रुपया हुआ था।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

अध्यापक जनतन्त्री शिक्षा-पद्धति का मूलाधार है। सार्वत्रिक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य स्वीकार किये जाने के साथ पर्याप्त संख्या में योग्य अध्यापकों की प्राप्ति का काम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गया है। अनुमान लगाया गया है कि सब स्थानों पर अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये २८ लाख अध्यापकों की आवश्यकता होगी। इस समय केवल ५,६१,००० अध्यापक उपलब्ध हैं। उनमें से केवल ५८·२ प्रतिशत प्रशिक्षित हैं। इस दुरवस्था को सुधारने के लिये १९४७ से प्रयत्न किये जा रहे हैं। १९४८ में प्रशिक्षण स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वालों की संख्या ४२,१५७ थी। १९५३ में यह ७८,५०८ तक जा पहुँची। उसी काल में शिक्षा पर व्यय १.१६ करोड़ से बढ़ कर २·०९ करोड़ रुपये तक पहुँच गया।

नये स्कूलों के लिये पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों की प्राप्ति के लिये १९४७ में विभिन्न राज्यों में एक अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। बहुत सी ऐसी निजी संस्थाएं भी हैं जो स्कूल के अध्यापकों को विशिष्ट प्रशिक्षण देती हैं। उदाहरण के लिये सर्वोदय महाविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध सोशल एजुकेशन वर्कर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यट के ग्रामीण विश्व-विद्यालयों के केन्द्रस्थल बनने की पूरी आशा है। इस विश्वविद्यालय में ग्रामीण अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। बिक्रम में जो प्रशिक्षण स्कूल है उसमें एक पूर्वबुनियादी शिक्षा देने वाला स्कूल तथा शिशु अध्ययन के लिये एक प्रयोगशाला भी है। प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्रों में विजय-भवन, शान्तिनिकेतन, श्री मौनी विद्यापीठ बम्बई, विद्याभवन टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, उदयपुर, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवाग्राम, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयमुत्तूर और नई दिल्ली के जामिया मिलिया के टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट उल्लेखनीय हैं।

इस प्रसंग में दिल्ली के सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है। यह संस्था स्नातक-अध्यापकों को प्रशिक्षित करती है और एम० एड० तथा पी-एच० डी० की उपधियाँ देती है। इसमें एक अनुसन्धान विभाग है जिसमें बहुत से विद्वान शिक्षक कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त दृश्य शिक्षा सम्बन्धी और स्कूल इक्विपमैण्ट यूनिट, एक परीक्षणात्मक शिशु पालन गृह और उससे सम्बद्ध एक बुनियादी स्कूल भी है। १९५२ से इस संस्था में एक शिशु मार्गदर्शन केन्द्र भी कार्य कर रहा है।

माध्यमिक शिक्षा

१९४८ में देश के बड़े राज्यों में माध्यमिक स्कूलो की कुल संख्या १२,६९३ थी। १९५३ में यह १८,४९७ तक पहुँच गई थी। हाई स्कूलों मे यह प्रगति विशेष रूप से दृष्टिगोचर हुई—उनकी सख्या ३,९९५ से ७,०६२ तक जा पहुँची, अर्थात् मूल से ७७ प्रतिशत अधिक। उक्त वर्षों मे मिडिल स्कूलो की संख्या क्रमशः ८,६९८ तथा ११,४३५ थी। १९५३ में मिडिल और हाई स्कूलों मे पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या ५९,०६,६६६ थी और इन पर कुल व्यय ३६·८ करोड़ रुपये किया गया।

माध्यमिक शिक्षा आयोग

भारत की शैक्षिक व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा की योजना का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। एक ओर तो माध्यमिक स्कूल प्राथमिक शिक्षा के लिये अध्यापक प्रदान करते हैं और दूसरी ओर उसके छात्र कालेजों और विश्वविद्यालयों मे जाते हैं जहाँ देश के भावी नेता तयार किये जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा के इस महत्त्व को दृष्टि मे रख कर ही शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने १९५२ के सितम्बर मास मे डा० ए० एल० मुदलियार की अध्यक्षता मे एक माध्यमिक शिक्षा-आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। इस आयोग को निम्न काम सौपे गये—(क) देश की वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के सब पहलुओं की जाँच तथा उन पर रिपोर्ट और (ख) इसके पुनर्गठन और सुधार के लिये उपायो का निम्न विशिष्ट उल्लेखो के साथ सुझाव (१) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, सगठन और विषय (२) प्राथमिक, बुनियादी और उच्च शिक्षा के साथ इसका सम्बन्ध (३) विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलो के आन्तरिक सम्बन्ध और (४) अन्य सम्बद्ध समस्याएं। इसका उद्देश्य हमारी आवश्यकताओ और साधनो के अनुकल समस्त देश के लिये एक ही प्रकार की उचित एवं ठोस माध्यमिक शिक्षा-पद्धति प्रदान करना था।

उक्त आयोग ने १९५३ के अगस्त मास मे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की, वे संक्षेप मे इस प्रकार है—

(१) उच्च माध्यमिक स्कूलों के स्तर की शिक्षा का आरम्भ चार या पाँच वर्ष तक प्राथमिक अथवा जूनियर बेसिक शिक्षा के बाद किया जाना चाहिए और उसमें इस प्रकार के विभिन्न विषय होने चाहिएँ जसे—भाषाएं, सामाजिक शिक्षा, साधारण विज्ञान और दस्तकारी। इन की पाठ्य पुस्तकें एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा चुनी जानी चाहिएँ। विषयों को चुनने में परामर्श और पथ-प्रदर्शन का लाभ छात्रों को मिलना चाहिए।

(२) जहाँ माध्यमिक स्कूलों में राष्ट्रीय भाषा और एक विदेशी भाषा भी पढ़ाई जानी चाहिए वहाँ शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा ही होना चाहिए।

(३) वर्ष भर में पढ़ाई के दिन २०० से कम नहीं होने चाहिएँ। प्रत्येक सप्ताह में ५ अन्तर (पीरियड) और प्रत्येक अन्तर ४५ मिनट का होना चाहिए।

(४) सरकारी परीक्षा और तरक्की का जहाँ प्रश्न हो वहाँ स्कूल रिकार्ड पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(५) प्रारम्भ में ही शैल्पिक (टेक्निकल) शिक्षा को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से बहु-उद्देश्यीय स्कूल प्रारम्भ किये जाने चाहिएँ ।

माध्यमिक शिक्षा-आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार ने निम्न योजना तैयार की है :—

(१) ५०० बहु-उद्देश्यीय स्कूलों की स्थापना ; जिनमे विभिन्न पाठ्य विषयों जैसे विज्ञान, शैल्पिक विषय, कृषि, व्यापार, ललित कला और गृह विज्ञान आदि के लिये लगभग १००० नई इकाइयाँ हों ।

(२) विज्ञान के अध्यापन सम्बन्धी सुविधाओं की वृद्धि के लिये ३०० अतिरिक्त स्कूलों की सहायता ।

(३) २,००० स्कूल पुस्तकालयो (५०० बहुउद्देश्यीय स्कूल और १,५०० साधारण हाई स्कूल) का सुधार ।

(४) २,००० मिडिल स्कूलों में दस्तकारी का आरम्भ ।

(५) अध्यापकों का प्रशिक्षण, और

(६) शिक्षा गोष्ठियों का संगठन और प्रशिक्षण ।

इन योजनाओं के लिये केन्द्र की ओर से स्वीकृत अनावर्तक धन राशि मे से ६६ प्रतिशत तथा आवर्तक धन राशि में से २५ प्रतिशत की सहायता प्राप्त होगी ।

अभी हाल में यह निश्चय किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा आत्म-भरित और अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए । १७ वर्ष की आयु तक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके बाद तीन वर्ष का एक एकीकृत पाठ्यक्रम हो, जिससे बी० ए० की उपाधि प्राप्त की जा सके । माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी बड़ी समस्याओं को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से हल करने के लिये एक अखिल भारतीय परिषद् की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है ।

उच्च शिक्षा

देश में माध्यमिक स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या में मांग होने के कारण स्वभावत: विश्वविद्यालयों पर बोझ बढ़ गया है । देश के विभाजन के बाद विश्वविद्यालयों और कालेजों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, उससे यह बात साफ झलकती है । १९४८ में भारत में २१ विश्वविद्यालय और ४१४ कालेज थे । १९५३ में यही संख्याएँ क्रमश: ३० और ६७९ तक पहुँच गई । इसी अवधि में छात्रों की संख्या १,७९,१७३ से २,६९,९१८ हो गई । १९४८ में शैल्पिक तथा पेशे सम्बन्धी शिक्षा देने वाली संस्थाओं में छात्रों की संख्या जहाँ ४४,६०४ थी, १९५३ में वही ९८,५६७ तक पहुच गई ।

भारत के विश्वविद्यालयों की एक सूची नीचे दी जा रही है :—

विश्वविद्यालय

नाम	उपकुलपति	स्वरूप
१. आगरा (१९२७) .	श्री सी० महाजन . .	स०
२. अलीगढ़ (१९२१) .	डा० जाकिर हुसैन . .	अ० और नि०
३. इलाहाबाद (१८८७)	श्री बी० एन० झा . .	अ० और नि०
४. आन्ध्र (१९२६) .	प्रो० वी० एस० कृष्ण .	,, स०
५. अन्नमलई (१९२९) .	डा० सी० पी० रामास्वामी अय्यर	,, ,,
६. बनारस (१९१६) .	,,	,, ,,
७. बड़ौदा (१९४९) .	श्रीमती हंसा मेहता . .	,, नि०
८. बिहार (१९५२) .	श्री श्यामनन्दन सहाय .	,, स०
९. बम्बई (१८५७) .	डा० जॉन मथाई . .	,, संघरूप
१०. कलकत्ता (१८५७) .	डा० जे० सी० घोष .	,, स०
११. दिल्ली (१९२२) .	डा० जी० एस० महाजनी .	,, ,,
१२. गोहाटी (१९४८) .	श्री के० के० हाण्डीकी .	,, ,,
१३. गुजरात (१९५०) .	श्री हरसिद्ध भाई दिवेटिया .	स०
१४. जम्मू और कश्मीर (१९४८)	श्री जानकी नाथ वज़ीर .	,,
१५. कर्नाटक (१९५०) .	श्री डी० सी० पावटे . .	अ० और स०
१६. लखनऊ (१९२१) .	डा० राधाकमल मुकर्जी .	,, नि० और एक
१७. मद्रास (१८५७) .	श्री ए० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार	,, और स०
१८. मैसूर (१९१६) .	श्री वी० एल० डि'सूजा .	,, ,,
१९. नागपुर (१९२३) .	पण्डित के० एल० दुबे .	,, ,,
२० उस्मानिया (१९१८) .	डा० एस० भगवन्तम् .	अ० और नि०
२१. पटन (१९१७) .	डा० बी० नारायण . .	,, स०
२२. पूना (१९४८) .	डा० एम० आर० जयकर .	,, ,,
२३. पंजाब (१९४७) .	दीवान आनन्द कुमार .	,, ,,
२४. राजपूताना (१९४७) .	श्री जी० सी० चटर्जी .	,, ,,
२५. रुड़की (१९४८) .	श्री ए० एन० खोसला .	,, नि०
२६. सागर (१९४६) .	डा० आर० पी० त्रिपाठी .	,, स०
२७. एस० एन० डी० टी० महिला विश्व विद्यालय (१९५१)	श्री के० एम० झवेरी .	स०
२८. तिरुवांकुर (१९३७) .	श्री ए० रामास्वामी मुदलियार .	अ० और स०
२९. उत्कल (१९४३) .	डा० परशुराम मिश्र .	स०
३०. श्री वेंकटेश्वर विश्व-विद्यालय (१९५४)	डा० गोविन्दराजुलु नायडू .	अ० और स०
३१. विश्वभारती (१९५१)	डा० प्रबोध चन्द्र बागची .	अ० और नि०

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड एक परामर्शदातृ परिषद् के रूप में कार्य करता है और इसमें विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार होता है। यह भारतीय विश्वविद्यालयों की उपाधियों और डिप्लोमा को विदेशों से मान्यता प्रदान कराने में सहायता करता है।

अ०=अध्यापन; नि०=निर्वाचन, स०=सम्बद्ध करने वाला

विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग

देश में विश्वविद्यालयिक शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र के निरीक्षण और उसमें सुधार सम्बन्धी सुझाव देने के लिये १९४८ के नवम्बर मास में भारत सरकार ने डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने १९४९ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को साधारणतः स्वीकार कर लिया और इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी। आयोग का यह कथन था कि न केवल प्रशासन और राजनीति अपितु विभिन्न पेशों, उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की—साहित्यिक और वैज्ञानिक, टेक्निकल (शैल्पिक) और पेशे सम्बन्धी—उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई माग को उन्हें पूरा करना चाहिए। आयोग ने कृषि-सम्बन्धी शिक्षा पर विशेष बल दिया और यह सुझाव दिया कि छात्रों को ग्रामीण जीवन मे प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने योग्य बनाने और उन्हे ग्रामीण परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव कराने की दृष्टि से जहाँ तक सम्भव हो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-कालेज खोले जायें। विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर के गिरने का एक कारण जहाँ उसने अंशतः माध्यमिक स्कूलों में दोषपूर्ण अध्यापन बताया वहाँ अन्य कारणों के विषय मे यह कहा कि विश्वविद्यालयो में परीक्षाओं पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा मे समन्वय स्थापित करने के लिये उसने विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग की स्थापना का सुझाव रखा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उक्त सुझाव के अनुसार सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग की स्थापना २८ दिसम्बर १९५३ को की। स्व० शांतिस्वरूप भटनागर इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। १९५४–५५ के वर्ष मे आयोग के अधिकारियों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों की समस्याओं और आवश्यकताओं को जानने और अनुदान का समुचित उपयोग करने सम्बन्धी सुझाव देने के लिये विश्वविद्यालयों के दौरे किये।

प्रौद्योगिक और पेशे सम्बन्धी शिक्षा

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रोद्यौगिक शिक्षा और प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं बहुत बढ़ गयी हैं। १९४७ में प्रौद्योगिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं में केवल ६,६०० विद्यार्थी पढ़ते थे। १९५३ में यही संख्या १२,७०० तक पहुँच गयी। इसी अवधि में उपाधि और डिप्लोमा लेने वाले छात्रों की संख्या भी २,७०० से बढ़ कर ६,००० हो गयी। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के दो अन्य रूप भी सामने आये। प्रथम तो यह कि बड़ी संख्या में प्रौद्योगिक शिक्षा के अभिलाषी छात्रों के प्रशिक्षण के लिये कर्मचारी, साधन और स्थान में वृद्धि के द्वारा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं बहुत बढ़ाई गयी और दूसरे इंजीनियरिंग और टेक्नॉलोजी (शिल्प विज्ञान) की महत्त्वपूर्ण और विशेषज्ञता सम्बन्धी शाखाओं के लिये पाठ्यक्रम बना दिये गये।

प्रौद्योगिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने १.६२ करोड़ रुपये के अनावर्तक तथा २५.५ लाख रुपये के आवर्तक व्यय पर कुछ चुनी हुई संस्थाओं को उन्नत करने के लिये एक योजना बनायी। बाद में यह योजना प्रौद्योगिक शिक्षा की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दी गयी। चार प्रादेशिक समितियाँ—उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी—स्थापित कर दी गयी। देश में प्रौद्योगिक शिक्षा की उन्नति को शृंखलाबद्ध करने, विभिन्न

प्रकार की प्रद्योगिक सफलताओं को एक सूत्र में बाँधने तथा आगे होने वाले विकसित क्षेत्र एवं स्वरूप को दिखाने के लिये प्रौद्योगिक जनशक्ति समिति, वैज्ञानिक जन शक्ति समिति और वैदेशिक छात्रवृत्ति समिति नियुक्त की गयी ।

वैदेशिक छात्रवृत्ति समिति की सिफारिशों के अनुसार तीन योजनाएं—क्रियात्मक प्रशिक्षण-वृत्ति, अनुसन्धान प्रशिक्षण-छात्रवृत्तियाँ और उच्च वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसन्धान के लिये विश्वविद्यालयों को अनुदान सम्बन्धी—क्रियान्वित की गयी । १९५४ तक स्वीकृत सस्थाओं में क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिये टेक्नोलॉजी और इजीनियरिंग के डिप्लोमाधारियों और स्नातकों को ९२५ बड़ी (सीनियर) तथा ४४५ छोटी (जूनियर) वृत्तियाँ दी गयी । विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा-केन्द्रो मे अनुसन्धान-कार्य को उन्नत करने के लिये १९५३–५४ तक ४६५ बड़ी तथा ४३३ छोटी छात्रवृत्तियाँ स्वीकार की गयी । साधन तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की वृद्धि के लिये सरकार ने विभिन्न सस्थाओ को लगभग २.५ करोड़ रुपये के अनुदान तथा ऋण भी दिये ।

विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसन्धान को उन्नत बनाने के लिये पंचवर्षीय योजना मे ४.६२ करोड रुपये की व्यवस्था की गई । मार्च, १९५४ तक विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय–भिन्न संस्थाओ को कुल १.२ करोड रुपये का अनुदान दिया गया और १९५४–५५ के बजट अनुमानो मे केवल विश्वविद्यालय–भिन्न संस्थाओ को देने के लिये २ करोड रुपये की व्यवस्था की जा रही है ।

पाठ्यक्रम मे अतिरिक्त गतिविधियाँ

विभिन्न प्रकार की सामाजिक सास्कृतिक और शारीरिक उन्नति सम्बन्धी गतिविधियों के शिक्षण से अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र है, जिनमें अखिल भारतीय शिक्षण संस्थाओं के दोनो प्रकार के छात्र-छात्राओ की दिलचस्पी है । इसके अतिरिक्त वाद-विवाद, भाषण और घर में खेले जा सकने वाले तथा बाहरी खेलों की जहाँ अनेक प्रवृत्तियाँ है वहाँ यूनिवर्सिटी केडेट-कोर ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियो के लिये एक अलग महत्त्वपूर्ण क्षेत्र खोल रखा है ।

खेल-कूद

अन्तर्विश्वविद्यालयिक सान्मुख्य और खेल प्रतिवर्ष होते हैं । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद समारोहो में विश्वविद्यालय के कुछ छात्र और खिलाड़ी भारत की ओर से भाग लेते हैं । विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि खिलाड़ियो की एक टीम भारत में आने वाली सब क्रिकेट टीमों के साथ एक त्रिदिवसीय सान्मख्य करती है । १९५४ के अक्तूबर मास में नई दिल्ली में युवक समारोह हुआ जिसमें २६ विश्वविद्यालयो के छात्रों ने भाग लिया ।

भाषण और वाद-विवाद

सब विश्वविद्यालयों और उनके कालेजों मे अपने-अपने छात्र संघ है । ये संघ वादविवादों आदि की व्यवस्था करते हैं । इसके अतिरिक्त वैभागिक सभा-समितियाँ भी हैं । इनके तत्त्वावधान में समय-समय पर प्रमुख व्यक्तियों के भाषण होते रहते है ।

सूचना विभाग

अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्र-सूचना विभाग भी हैं। ये विभाग विदेशी तथा भारतीय विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा-संस्थाओं के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्र करके देते हैं और उन विषयों में छात्रों को परामर्श प्रदान करते हैं।

सैनिक शिक्षा

अनेक विश्वविद्यालयों ने नेशनल कैडेट कोर (राष्ट्रीय सैनिक दल) का संगठन किया है। इनमें छात्रों में से चुने हुए सैनिकों और अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। पूर्ण सैनिक शिक्षा-प्राप्ति के लिये प्रतिवर्ष एन० सी० सी० की टुकड़ियों को कुछ सेना-संघों के साथ रक्खा जाता है।

यूनेस्को क्लब

'यूनेस्को क्लब' यूनेस्को के प्रमुख उद्देश्यों को प्रचारित कर यूनेस्को से सम्बद्ध भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सहायता करता है। इन क्लबों को अपने वाचनालयों के लिये यूनेस्को सम्बन्धी प्रमुख साहित्य प्राप्त होता रहता है।

नृत्य, नाटक और संगीत

नाटक मण्डलियों के प्रति छात्रों में अत्यन्त उत्साह है। विश्वभारती में नाटक, नृत्य और संगीत पाठ्यातिरिक्त गतिविधियों का महत्त्वपूर्ण अंग है। मुशायरों और कवि सम्मेलन भी आयोजित किये जाते हैं। स्वतन्त्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस जैसे अवसरों पर छात्रगण भारत के सांस्कृतिक इतिहास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और शानदार सफलताओं के आधार पर निर्मित नाना प्रकार की झाँकियाँ तैयार करते हैं।

छात्रों द्वारा समाज सेवा

बाढ़, दुर्भिक्ष और अन्य राष्ट्रीय संकट के समय छात्र सहायता-शिविरों में स्वयंसेवकों के रुप मे कार्य करते हैं। विभाजन के बाद शरणार्थी सहायता-शिविरों में उन्होंने मूल्यवान सेवा प्रदान की। इस कार्य के लिये पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय ने उन्हें समाज-सेवा की उपाधियाँ प्रदान की। देश के अनेक भागों में छात्र-परिषद्, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों—विशेषकर रात्रि-स्कूलों का संचालन करती हैं। विभिन्न राज्यों के लगभग १२६ विश्वविद्यालयी छात्रों ने खदराला से आगे भारत-तिब्बत मार्ग के उत्तरी भाग के एक हिस्से का निर्माण किया।

ओलम्पिक संघ, बालचर और सम्बद्ध संस्थाएं

हिन्दुस्तान स्काउट एसोसिएशन और बॉय स्काउट एसोसिएशन को गर्ल गाइड एसोसिएशन के साथ भारत स्काउट और गाइड्स के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। भारतीय ओलम्पिक संघ एक क्रियाशील संस्था है और उसने उल्लेखनीय प्रगति की है।

समाज शिक्षा

समाज-शिक्षा-सम्बन्धी धारणा में एक पंचसूत्री कार्य-क्रम निहित है जिसका सम्बन्ध निम्न बातों की व्यवस्था से है—(१) साक्षरता, (२) स्वास्थ्य और सफाई के नियमों का

ज्ञान, (३) प्रौढ़ों की आर्थिक स्थिति की उन्नति के लिये प्रशिक्षण, (४) अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति उचित सजगता के साथ नागरिकता की भावना और (५) व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल स्वास्थ्यप्रद मनोरंजन।

इन सब विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने की वास्तविक जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर है। केन्द्र तो केवल पथ-प्रदर्शन, आर्थिक सहायता और समन्वय-स्थापन का कार्य करता है।

समाज सेवा का काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और उनमें समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड की स्थापना की गयी है। यह योग्य संस्थाओं को अनुदान देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी समाज हितकारी कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

केन्द्र ने दिल्ली में एक जनता कालेज की स्थापना की है और दिल्ली राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के कार्य को भी आगे बढ़ाया है। अभी गत कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में जो एक मनोरंजक उन्नति हुई है, वह है—शिक्षा कारवाँओ का विकास। इन कारवाँओं मे तीन या चार जीपें होती है जिनमें कई ठेले जुड़े होते हैं। इनमें से एक चलते-फिरते रंगमंच, दूसरी छोटे मोटे चलते-फिरते पुस्तकालय और तीसरी प्रदर्शिनी-गाड़ी के रूप में काम करती है और चौथी पर फिल्म दिखाने की मशीन लगी रहती है। ये कारवाँ किसी ऐसे गाँव में डेरा लगाते है जो आसपास के कई गाँवों के केन्द्र में पड़ता हो और स्वास्थ्य तथा सफाई के साथ कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी वस्तुओ की एक संयुक्त प्रदर्शिनी करते है। इनमें स्थानीय जनता की दिलचस्पी पैदा करने के उद्देश्य से शारीरिक-करतबो, मल्ल-युद्धों और नाटको का आयोजन किया जाता है। उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में समाज शिक्षा सम्बन्धी वर्ग लगाये जाते है। उसका उद्देश्य १९५६ तक ४० वर्ष अथवा उससे कम आयु वाले ५० प्रतिशत प्रौढ़ो को साक्षर बनाना है। समाज शिक्षा सम्बन्धी साहित्य को तैयार करने का भार नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया के प्रौढ़-शिक्षा विभाग ने अपने ऊपर ले लिया है। १९५२–५३ में दिल्ली और मैसूर में यूनेस्को-विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के अन्तर्गत श्रव्य-दृश्य शिक्षा का एक प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया गया। शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय संस्था ने एक आधुनिक एवं सस्ता फिल्म प्रदर्शक यन्त्र तैयार किया है। यह गाँवों मे श्रव्य-दृश्य शिक्षा के प्रसार में सहायक होगा। श्रम मंत्रालय, स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना भी इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है।

हिन्दी की उन्नति

भारतीय संविधान में यह लिखा है कि पन्द्रह वर्ष के भीतर हिन्दी को राजभाषा का स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शिक्षा विभाग ने एक पन्द्रह वर्षीय कार्यक्रम स्वीकार किया है। यह कार्यक्रम भी पाँच-पाँच वर्षों के तीन चरणों में बँटा हुआ है। प्रथम चरण में हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का अधिकांश कार्य पूरा हो चुकेगा। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाने का प्रयत्न भी किया जायेगा। अगले पाँच वर्ष में यह आशा की जाती है कि हिन्दी पारिभाषिक शब्दों के संग्रह का काम पूरा हो चुकेगा और अहिंदी क्षेत्रों की जनता को हिन्दी से परिचित कराने के लिये उद्योग किये जायेंगे। तीसरे चरण में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी को केन्द्रीय सरकार की राजभाषा तथा केन्द्र और राज्यों के बीच व्यवहार का माध्यम बना दिया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा स्तर तक के लिये गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान और समाज विज्ञान सम्बन्धी पारिभाषिक और वैज्ञानिक हिन्दी शब्द तैयार कर लिये गये हैं। यातायात, सुरक्षा, डाक तथा तार, रेलवे, पशु-पक्षी विज्ञान, औषधि और कृषि सम्बन्धी हिन्दी पारिभाषिक शब्दों की अस्थायी सूचियाँ भी छपकर तैयार हो गयी हैं। हिन्दी का एक संक्षिप्त शब्द सागर, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों का एक विशाल शब्द कोश और प्रामाणिक हिन्दी का एक संशोधित शब्द कोष तैयार किये जा रहे हैं। हिन्दी में एक जन-ज्ञान कोष भी तैयार किया जा रहा है। हिन्दी साहित्य के सस्ते संस्करण निकालने के लिये काशी नागरी प्रचारिणी सभा को २५ हजार रुपये प्रदान किये गये हैं।

पंचवर्षीय योजना में हिन्दी के प्रचार के लिये ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। भारत के पूर्वी राज्यों—आसाम, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में हिन्दी के प्रचार के लिये भारत सरकार ने एक योजना स्वीकार की है। सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने वर्ग लगाने शुरू किये हैं। अ० भा० हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली; साहित्यकार संसद्, प्रयाग; संसदीय हिन्दी परिषद् तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा जैसी संस्थाओं को विशेष अनुदान दिये जा रहे हैं। धीमे-धीमे हिन्दी पुस्तकों का एक पुस्तकालय तैयार किया जा रहा है। १९५४ के वर्ष में ३१ हजार रुपये के हिन्दी भाषा सम्बन्धी पुरस्कारों की घोषणा की गयी। विभिन्न राज्य सरकारों को हिन्दी की उन्नति सम्बन्धी योजनाओं के लिये २,७५,४६० रुपये की राशि अनुदान के रूप में देने के लिये स्वीकार की गयी है।

भारत के स्वतंत्रता-आन्दोलन का इतिहास

शिक्षा मंत्रालय ने निश्चय किया है कि भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास फिर नये सिरे से लिखवाया जाये। इस कार्य के लिये जो सम्पादक मण्डल बनाया गया है वह उससे सम्बन्धित आवश्यक सामग्री एकत्र कर रहा है। उन्होंने इस इतिहास के प्रथम चरण (१८८४ तक) की घटनाओं की एक रूपरेखा तैयार कर ली है। आशा की जाती है कि उसका १८५७ का स्वतन्त्रता-संग्राम सम्बन्धी भाग १९५७ तक प्रकाशित हो जायेगा।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी योजनाएं

संशोधित वैदेशिक छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का लाभ केवल विश्वविद्यालयों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के अध्यापकों को मिल सकता है और इसका उद्देश्य देश में शिक्षा और अनुसन्धान के स्तर को उन्नत करना है। १९५४–५५ में २५ व्यक्तियों का एक दल इन छात्रवत्तियों के लिये चुना गया था।

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ केवल केन्द्र द्वारा सीधे रूप में शासित राज्यों के छात्र ही उठा सकते हैं। काफी समय से इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों की संख्या एक से पाँच कर दी गयी है। १९५४ में तीन छात्र-वृत्तियाँ प्रदान की गयी थीं।

साधारण सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने की नीति के अनुसार भारत सरकार ने एक योजना तैयार की है। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष ७० छात्र वृत्तियाँ उन छात्रों को प्रदान की जाया करेंगी जो मूलतः किन्हीं अफ्रीकी अथवा राष्ट्रमण्डलीय देशों के छात्र है अथवा जो भारतीय मूल के तो है पर विदेशों में बसे हुये है। १९५२–५३ से वार्षिक पुरस्कारों की संख्या ७० से १०० तक पहुँच गयी है।

मैट्रिक के बाद की परीक्षाओं के लिये अनूसूचित और पिछड़ी हुई जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की छात्रवृत्तियाँ

१९५४–५५ के वर्ष में भारत सरकार ने २१,०७५ छात्रों के लिये १०७ लाख रुपये की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर तीनों श्रेणियों (अनसूचित और अन्य पिछड़ी जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों) के ६ विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गयी। प्रतिवर्ष १२ छात्रवृत्तियाँ देने के निर्णय के साथ वैदेशिक छात्रवृत्ति के कार्यक्रम को पाँच वर्ष तक और जारी रखने का निश्चय किया गया है। यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि१९५५–५६ में भारत में अध्ययन करने वालों के लिये २५,००० छात्रवृत्तियाँ की व्यवस्था की जाये।

अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ

१९५३ के वर्ष में अनुसन्धान-छात्रवृत्तियाँ देने के लिये जो ३१ विद्यार्थी चुने गये थे उनमें से केवल २७ ने उनका लाभ उठाया। १९५४–५५ के पढ़ाई के वर्ष के लिये समिति ने ५१ उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। उनमें से३७ ने अनुसन्धान कार्य आरम्भ कर दिया है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को पब्लिक स्कूलों में ऐसी छात्रवृत्तियाँ भी शुरू करनी चाहिए जो योग्यता के आधार पर दी जायें।

भारत-जर्मन औद्योगिक सहयोग योजना

इस योजना के अन्तर्गत १९५४–५५ के वर्ष में पश्चिमी जर्मनी के विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये १५ विद्यार्थी चुने गये थे। जर्मन उद्योगों में क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गयी और उनके लिये ५३ छात्र पहले ही चुने जा चुके है। अन्योन्य व्यवस्था के रूप में भारत-सरकार ने जर्मन छात्रों को भारत में अध्ययन के लिये १० छात्रवृत्तियाँ पेश की हैं।

भारत में धन्धों सम्बन्धी शिक्षा के लिये विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तिगाँ

चूँकि १९५४–५५ के वर्ष में सब छात्रों के लिये व्यवस्था सम्भव नहीं थी इसलिए १९५५-५६ के वर्ष में अस्थायी रूप से १५ छात्रों को चुन लिया गया है। १९५५–५६ के बजट अनुमानों में इस मद के लिये २८ हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है।

यूनेस्को की फैलोशिप और छात्रवृत्तियाँ

१९५४ में यूनेस्को ने खड़गपुर की इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा नामांकित व्यक्तियों को तीन छात्रवृत्तियाँ दी थीं। इसी वर्ष उसने एक लेखक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष के लिये एक-एक फैलोशिप प्रदान की है।

तालिका १०५

शिक्षा के लिये बजट अनुमान (राजस्व खाता) (क)

राज्य	१९५३–५४		१९५४–५५	
	शिक्षा बजट (लाख रुपयों में)	कुल राज्य बजट का प्रतिशत	शिक्षा बजट (लाख रुपयों में)	कुल राज्य बजट का प्रतिशत
आन्ध्र	—	मद्रास में सम्मिलित	४,८८	१९.०
आसाम	२,२८	१५.२	३,१४	१८.८
बिहार	५,४३	१६.३	७,१३	१७.९
बम्बई	१३,३०	१९.६	१५,३२	२१.२
मध्य प्रदेश	४,७७	१९.४	५,११	१६.६
मद्रास	१२,५८	१५.५	९,७०	१९.४
उड़ीसा	१,९३	१३.४	१,९९	१३.४
पंजाब	२,८१	१४.०	३,४२	१४.८
उत्तर प्रदेश	८,९७	११.४	१०,३९	१२.८
पश्चिम बंगाल	५,१९	१२.०	७,१२	१३.४
हैदराबाद	४,८४	१७.१	५,२३	१८.०
जम्मू और कश्मीर	५६	१२.०	५८	११.६
मध्य भारत	१,८९	१३.१	२,४५	१६.४
मैसूर	३,८१	१७.२	३,८८	१६.०
पेप्सू	१,१३	१६.०	१,३३	१६.४
राजस्थान	३,०६	१५.७	३,४७	१६.१
सौराष्ट्र	१,५५	१५.६	१,७४	१४.७
तिरुवांकुर-कोचीन	३,९८	१८.५	३,९२	१६.८
अजमेर	६१	३१.४	७९	३४.३
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	३	१.७	३	१.३
भोपाल	३५	१३.७	५५	१६.३
बिलासपुर	४	१६.२	५	१३.८
कुर्ग	२७	१९.०	२५	१७.४
दिल्ली	१,४३	३३.४	१,६४	३१.७
हिमाचल प्रदेश	४०	१३.९	४६	१४.७
कच्छ	१२	११.०	१३	११.१
मणिपुर	१२	१८.४	१५	१७.६
त्रिपुरा	२०	१६.३	२४	१८.२
विन्ध्य प्रदेश	८४	१८.८	८७	१८.०
कुल	८२,४९	१५.६	९५,९६	१६.८

(क) अन्य विभाग भी सम्मिलित हैं (चिकित्सा, कृषि आदि)

तालिका १०६

भारत में स्वीकृत शिक्षा-संस्थाओं के आंकड़े

	शिक्षा संस्थाओं की संख्या		छात्रों की संख्या (हजारों में)		प्रत्यक्ष व्यय (लाख रु० में)	
	१९५१–५२ (क)	१९५२–५३	१९५१–५२ (क)	१९५२–५३	१९५१–५२ (क)	१९५२–५३
विश्वविद्यालय	२९ (घ)	३०	३४	३८	४९८	५९९
बोर्ड	९	९	—	—	७८	९४
आर्ट और साइंस कालेज	५७२	६१०	३४९	३८६	८७६	९५५
व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा देने वाले कालेज	२१४	२३३	६१	५५	५२२	५६०
विशेष शिक्षा के कालेज	६८	७७	७	२०		
माध्यमिक स्कूल	२२,६४७	२४,१६३	५,६८०	५,९६४	३,४८६	३,८१०
प्राथमिक स्कूल	२,१५,०३६	२,२१,५१४	१९,०००	१९,३४६	४,०४०	४,३५६
पूर्वप्राथमिक स्कूल	३३०	३७८	२३	२९	१५	१५
दस्तकारी की शिक्षा वाले स्कूल	२,४६३	२,५६२	१८६	१८७	६५२	६५१
विशेष शिक्षा स्कूल	४७,९९४	५२,६६१	१,२३७	१,३६६		
कुल	२,८९,३५४	३,०२,२३७	२६,५७७	२७,३८९	१०,१६७ (ख)	११,०४० (ग)

(क) इस वर्ष के आँकड़ों मे जम्मू और कश्मीर के आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण सम्मिलित नही है। (ख) इसके अलावा इस वर्ष २,२८९ लाख रुपये का अप्रत्यक्ष व्यय हुआ। (ग) इसके अलावा इस वर्ष २,५९६ लाख रुपये का अप्रत्यक्ष व्यय हुआ। (घ) १९५४ में विश्वविद्यालयों की संख्या ३१ तक पहुँच गई है।

तालिका १०७

भारत में स्वीकृत शिक्षा-संस्थाओं में छात्रों की संख्या

स्तर	१९५१–५२ (क)			१९५२–५३		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
कालेज की शिक्षा						
इन्टरमीजियेट .	२,२३,०००	२९,०००	२,५२,०००	२,४६,०००	३३,०००	२,७९,०००
बी.ए., बी. एस सी.	८६,०००	१४,०००	१,००,०००	९४,०००	१५,०००	१,०९,०००
एम. ए., एम. एस सी.	१४,०००	२,०००	१६,०००	१७,०००	३,०००	२०,०००
शोध . .	१,०००	—	१,०००	२,०००	—	२,०००
व्यावसायिक और विशेष शिक्षा .	९९,०००	७,०००	१,०६,०००	१,०९,०००	८,०००	१,१७,०००
कुल . .	४,२३,०००	५२,०००	४,७५,०००	४,६८,०००	५९,०००	५,२७,०००
स्कूल की शिक्षा .						
पूर्व प्राथमिक .	१५,०००	१३,०००	२८,०००	२१,०००	१५,०००	३६,०००
प्राथमिक . .	१,३७,९२,०००	५५,०७,०००	१,९२,९९,०००	१,३९,९३,०००	५६,८७,०००	१,९६,८०,०००
माध्यमिक .	४४,३९,०००	९,०५,०००	५३,४४,०००	४६,२१,०००	९,६२,०००	५५,८३,०००
व्यावसायिक और विशेष शिक्षा	१२,०२,०००	२,२९,०००	१४,३१,०००	१३,२२,०००	२,४१,०००	१५,६३,०००
योग . .	१,९४,४८,०००	६६,५४,०००	२,६१,०२,०००	१,९९,५७,०००	६९,०५,०००	२,६८,६२,०००
सर्व योग .	१,९८,७१,०००	६७,०६,०००	२,६५,७७,०००	२,०४,२५,०००	६९,६४,०००	२,७३,८९,०००

(क) जम्मू और कश्मीर के छात्रों की संख्या उपलब्ध न होने के कारण छात्र संख्या में सम्मिलित नहीं है।

तेईसवाँ अध्याय

प्रेस और फिल्में

प्रेस

यह प्रथम ही अवसर है कि प्रेस-आयोग द्वारा प्रेस सम्बन्धी कार्य के प्रत्येक स्वरूप की अविकल जाँच की गयी है। भारत सरकार ने यह आयोग १९५२ में नियुक्त किया था।

दैनिक समाचार पत्र

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में ३३० दैनिक पत्र निकलते हैं और इन सब का परिचलन २५ लाख से ऊपर है। नीचे एक तालिका दी जा रही है, जिसमें भारत की प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों की संख्या और उनके परिचलन का उल्लेख है :—

तालिका १०८

दैनिक समाचार पत्रों की संख्या और उनका परिचलन

भाषा	पत्रों की संख्या	परिचलन (लाखों में)
अंग्रेजी	४१	६.९७
हिन्दी	७६	३.७९
असमिया	१	०.०३
बंगला	७	२.४०
गुजराती	२३	१.८७
कन्नड़	२५	०.७२
मलयालम	२१	१.९६
मराठी	२६	१.९१
उड़िया	३	०.४३
पंजाबी	९	० २३
तमिल	१२	१.६८
तेलगू	६	०.९८
उर्दू	७०	२.१३
अंग्रेजी और प्रमुख भारतीय भाषाएं	३२०	२५.१०
गौण भारतीय भाषाएं	९	०.१५
चीनी	१	०.००५
कुल	३३०	२५.२५५

राज्यों के आधार पर दैनिक पत्रों के विभाजन तथा उनके साथ प्रत्येक राज्य की जनसंख्या सम्बन्धी एक विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :—

तालिका १०९

राज्य का नाम	जनसंख्या (लाखों में)	दैनिक पत्रों की कुल संख्या	अंग्रेजी पत्र	भारतीय भाषाओं के पत्र (क)
आसाम . . .	९०	२	१	१
बिहार . . .	४०२	९	२	७
बम्बई . . .	३६०	६९	८	६१
मध्य प्रदेश . .	२१२	११	२	९
मद्रास . . .	५७०	२५	४	२१
उड़ीसा . .	१४६	४	१	३
पंजाब . . .	१२६	२१	१	२०
उत्तर प्रदेश . .	६३२	४९	६	४३
प० बंगाल . .	२४८	२६	४	२२(ख)
हैदराबाद . .	१८७	१७	४	१३
मध्य भारत . .	८०	९	०	९
मैसूर . . .	९१	२५	२	२३
पेप्सू . .	३५	२	०	२
राजस्थान . .	१५३	६	०	६
सौराष्ट्र . . .	४१	३	०	३
तिरुवाकुर-कोचीन . .	९३	१९	०	१९
अजमेर . .	७	६	०	६
भोपाल . . .	८	३	०	३
दिल्ली . . .	१७	१९	६	१३
कच्छ . . .	६	३	०	३
मणिपुर . . .	६	२	०	२
कुल .		३३०	४१	२८९(ख)

अधिकांश दैनिक पत्र बड़े-बड़े शहरों और राजधानियों से प्रकाशित होते हैं। कुल मे से ९० समाचार पत्र ४ शहरों—दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता से प्रकाशित होते है। अन्य ८० समाचार पत्र 'क', 'ख' और 'ग' भाग के राज्यों की राजधानियों से निकलते है । ११० मे अधिक पत्र १ लाख से अधिक आबादी वाले तथा ५० से कम पत्र छोटे शहरों मे प्रकाशित होते है। इन पत्रों का परिचलन बड़े शहरों में केन्द्रित है और छोटे-बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में इनका परिचलन अभी उन्नत किया जाना है ।

(क) गौण भारतीय भाषाएं—सिंधी, मणिपुरी आदि भी शामिल हैं।

(ख) एक चीनी पत्र भी शामिल है।

अनुमान लगाया गया है कि समाचारपत्र उद्योग में लगभग ७ करोड़ रुपये की मालिकाना पूंजी तथा ५ करोड़ रुपये की उधार पूंजी लगी हुई है। उद्योग की वार्षिक आय लगभग ११ करोड़ रुपये है; जिसमें से लगभग ५ करोड़ विज्ञापनों द्वारा प्राप्त होती है। वेतन और मजदूरी के रूप में ४ करोड़ रुपया दिया जाता है। इसमें से ८५ लाख रुपया वेतन पत्रकारों को मिलता है।

साप्ताहिक, मासिक तथा अन्य पत्र

प्रेस आयोग ने भारत में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिकों, मासिकों तथा अन्य पत्रों की संख्या की भी जाँच की। राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में आयोग को निम्न आँकड़े प्रस्तुत किये :

तालिका ११०

जनवरी १९५४ को प्रकाशित होने वाले पत्र

भाषा	अर्ध साप्ता-हिक और सप्ताह में तीन बार प्रकाशित होने वाले पत्र	साप्ता-हिक	पाक्षिक	मासिक	त्रैमासिक	अन्य पत्र
असमिया	—	१२	—	५	८	२०
बंगला	५	११	३३	१४२	१४	९६
अंग्रेजी	१०	१३८	८४	३८	१७२	३०४
गुजराती	१	८०	३९	१६७	७	३४
हिन्दी	७	२७३	७४	२९९	४०	७९
कन्नड़	३	६३	४	६२	५	७
मलयालम	—	३४	५	४७	१	१९
मराठी	१३	९५	२७	१२७	११	३३
उड़िया	—	१६	८	२७	७	३३
पंजाबी	२	२५	१	३७	२	३
तमिल	२	७९	४२	१४८	७	१८
तेलगू	३	७२	२५	८२	४	१८
उर्दू	५	१६४	३२	१२५	५	१९
अन्य गौण भारतीय भाषाएं	—	२७	५	३०	—	१०५
कुल	५१	१,१८९	३७९	१,६८५	२८३	७८८

संवाद-समितियाँ

सम्वाद समितियाँ दैनिक घटनाओं के सम्बन्ध में पत्रों तथा अन्य सदस्य-शुल्क-दाताओं को समाचार देती हैं। भारत में छः विश्व सम्वाद-समितियाँ हैं। इनके नाम हैं:—(१) रायटर ऑफ

यूनाइटेड किंगडम, (२) एजेंसे फ्रांस प्रेस ऑफ फ्रांस, (३) एसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, (४) यूनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, (५) अमेरिका की इण्टर-नेशनल न्यूज सर्विस और (६) सोवियत यूनियन की 'तास'। अन्य छोटी-मोटी अन्तर्राष्ट्रीय सम्वाद समितियाँ भी है, जैसे चीन की सेण्ट्रल न्यूज एजेंसी, ग्लोब (पूर्वी तथा पश्चिमी एशियाई सम्वाद समिति) और अरब न्यूज एजेंसी। इस समय बड़ी भारतीय संवाद-समितियाँ केवल दो है :—प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया और यूनाइटेड प्रेस ऑफ इण्डिया। 'हिन्दुस्तान समाचार' नामक सम्वाद समिति बहुत छोटे पैमाने पर सम्वाद देने का काम करती है।

प्रेस आयोग की रिपोर्ट

प्रेस-आयोग की मुख्य सिफारिश एक संक्षिप्त प्रारम्भिक रिपोर्ट के रूप में भारत-सरकार ने २६ जुलाई १९५४ को प्रकाशित की थी। विस्तृत रिपोर्ट बाद में प्रकाशित की गई। २२ दिसम्बर १९५४ को सूचना तथा प्रसार मंत्री ने संसद् के दोनों भवनों के सम्मुख एक वक्तव्य दिया जिसमें प्रेस आयोग की कुछ सिफारिशों पर विचार के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति बतायी। प्रेस आयोग ने जो मुख्य सिफारिश की हैं और उनके सम्बन्ध में भारत-सरकार ने जो परीक्षणात्मक निर्णय किये है वे अत्यन्त संक्षिप्त रूप में नीचे दिये जा रहे हैं।

प्रेस रजिस्ट्रार

प्रेस-आयोग ने एक प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति की सिफारिश की है। उसका कार्य समाचार पत्र-उद्योग सम्बन्धी तथ्यों तथा आँकड़ों का संकलन करना होगा। प्रत्येक समाचार पत्र और पत्रिका के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि वह रजिस्ट्रार को कुछ सूचनाएं दे। इन सूचनाओं में पत्र की पूजी विषयक विस्तृत रिपोर्ट तथा कर्मचारी-मण्डल के जिम्मेदार सदस्यों का नामोल्लेख होना चाहिए। कर्मचारी वर्ग, सामग्री की खपत, स्वामित्व, प्रबन्ध तथा परिचलन (सर्कुलेशन) सम्बन्धी परिवर्तन के विषय में पत्रों को समय-समय पर सूचनाएं भेजनी चाहिए। रजिस्ट्रार को प्रेस के कार्य के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करनी चाहिए।

सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और वह प्रेस तथा पुस्तकों के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कानून में संशोधन तथा पत्रों के रजिस्ट्रेशन के लिये उचित व्यवस्था के निर्माण के प्रश्न पर विचार कर रही है।

प्रेस-परिषद्

पत्रकारिता के स्तर को अत्यन्त उन्नत रखने, और पत्रकारिता-सम्बन्धी आचार की अवहेलना के दोषी व्यक्तियों की निन्दा के लिये एक प्रेस परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए। इस परिषद् में मुख्यतः उद्योग से सम्बन्धित व्यक्ति ही होने चाहिए। पत्रों में स्वस्थ परम्पराएं पल्लवित करने के अतिरिक्त यह उनकी बाह्य दबावों से भी रक्षा करेगी।

प्रेस परिषद् में अध्यक्ष के अतिरिक्त २५ सदस्य और होने चाहिए। अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश होना चाहिए। परिषद् के कम से कम १३ सदस्य श्रमिक पत्रकार होने चाहिए। उनमें वे सम्पादक भी होने चाहिए जो पत्रों में कार्य कर रहे हों। शेष सदस्यों की पूर्ति समाचार पत्रों के स्वामियों, विश्वविद्यालयों, साहित्यिक संस्थाओं आदि में से की जानी चाहिए। पत्रकारिता के पेशे के जो सदस्य परिषद् में हों उनको अपने पेशे का कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

सरकार ने इस आधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि इस परिषद् में उद्योग के मुख्यतः वे ही प्रतिनिधि होंगे जो उसके स्वयं संचालन के जिम्मेदार हैं।

श्रमिक पत्रकार

'औद्योगिक विवाद कानून' में उल्लिखित 'मजदूर' शब्द की व्याख्या को इतना विस्तृत कर दिया जाना चाहिए कि उसमें श्रमिक पत्रकार तथा प्रबन्ध विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित किये जा सकें। वैकल्पिक रूप से प्रस्तावित 'समाचार पत्र और पत्रिका कानून' में ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है कि औद्योगिक सम्बन्ध विषयक नये कानून को समाचार पत्रों के कर्मचारियों पर भी लागू किया जा सके। इससे पत्रकार अपने अधिकारों की अधिक अच्छे रूप में रक्षा कर सकेंगे।

नोटिस-काल, बोनस, न्यूनतम वेतन, अवकाश, प्रॉविडेण्ट फण्ड और ग्रेचुइटी सम्बन्धी व्यवस्थाएं भी इसी कानून के अन्दर सम्मिलित होनी चाहिएं।

पत्रकारों को १२५ रुपये मासिक न्यूनतम आधारभूत वेतन तथा महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। प्रॉविडेण्ट फण्ड, विभिन्न प्रकार के अवकाश तथा सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये १५ दिन के वेतन के आधार पर आर्थिक सहायता प्राप्ति का अधिकार भी उन्हें होना चाहिए।

सरकार ने वर्तमान औद्योगिक विवाद कानून की व्यवस्थाओं से मिलने वाला लाभ श्रमिक पत्रकारों को भी मिले—इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और ससद् के सम्मुख एतत् सम्बन्धी एक विधेयक बहुत शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाने वाला है।

अन्य सिफारिशें

प्रेस आयोग ने जो अन्य सिफारिशें की हैं उनमे निम्न उल्लेखनीय हैं:—

(क) समाचार पत्रों और पत्रिकाओ का प्रकाशन केन्द्र की जिम्मेवारी समझी जानी चाहिए।

(ख) नये प्रेस एक्ट में एक ऐसी धारा होनी चाहिए, जिसके अनुसार जालसाज़ी सम्बन्धी विज्ञापनो का प्रकाशन दण्ड्य अपराध समझा जाये।

(ग) सब अखबारी कागज का आयात करने वाला एक राज्य व्यापार निगम (स्टेट ट्रेड कारपोरेशन) होना चाहिए। वह भारतीय मिलों मे बना सारा कागज खरीद कर उसे विदेश से मंगवाये गये अखबारी कागज के साथ औसत मूल्य पर बेचे।

(घ) समाचार पत्रों के लिये 'मूल्य के आधार पर पृष्ठ सख्या' सम्बन्धी एक योजना जारी की जानी चाहिए और किसी समाचार पत्र में विज्ञापन का स्थान ४० प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए। उत्पादन के वर्तमान व्यय के आधार पर अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के पत्रों के लिये स्टैंडर्ड साइज़ के प्रति पृष्ठ का मूल्य ३ पैसा रखने का सुझाव दिया गया है।

(ङ) पी० टी० आई० और यू० पी० आई० सम्वाद समितियों का प्रबन्ध ट्रस्टियों के एक बोर्ड के मातहत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पी० टी० आई० का प्रबन्ध एक सार्वजनिक निगम के रूप में किया जाना चाहिए और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। दोनों ही सम्वाद समितियों के ट्रस्टी-बोर्डों में कर्मचरियों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए।

(च) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पत्र-प्रतिनिधित्व निर्णायक समितियों (एक्रेडिटेशन कमेटी) की स्थापना समाचार पत्रों से सम्बद्ध व्यक्तियों की विभिन्न संस्थाओं से परामर्श लेने के बाद की जानी चाहिए। राज्य स्थित वर्तमान प्रेस सलाहकार समितियाँ तथा परामर्शदात्री समितियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिएं।

(छ) पत्रों के एक स्वामित्व वाली प्रवृत्ति अस्वास्थ्यकर है और इसे अनुत्साहित किया जाना चाहिए। प्रस्तावित रजिस्ट्रार को इस पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए और जहाँ कहीं वह बढ़ती हुई दीखे उस ओर प्रेस परिषद् का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।

(ज) जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक पत्र की एक पृथक् इकाई के रूप में व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उसके लाभ और हानियों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से पता लगाया जा सके। एक ही पत्र के अनेक संस्करणों के मामले में प्रत्येक संस्करण के व्यय का हिसाब-किताब अलग-अलग रखा जाना चाहिए।

भारत सरकार ने इन सिफारिशों में से अधिकांश के प्रति अपनी सहमति प्रकट की है और सम्बद्ध संस्थाओं का ध्यान इनकी ओर खीचा है। केन्द्रीय सरकार इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये बड़ी तत्परता से विचार कर रही है।

प्रेस की स्वतंत्रता

संविधान के अनुच्छेद १९(१) में सब नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति के स्वातन्त्र्य के अधिकार की गारण्टी दी गयी है। १९५१ के संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत संसद् को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य की सुरक्षा, विदेशो से मैत्री सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था, भद्रता और नैतिकता के हित में अथवा अदालत की मान-हानि, निन्दा और अपराधों के उत्तेजन को रोकने के लिये इस अधिकार को उचित रूप से सीमित करने सम्बन्धी कानून बना सके। 'उचित रूप से सीमित' शब्द इस कानून के औचित्य को सिद्ध करते है।

१९५१ का प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) अधिनियम प्रारम्भ में १ फरवरी १९५२ को दो वर्ष के लिये जारी किया गया था और उक्त अवधि समाप्त होने पर वह दो वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया था। इससे राज्यीय अथवा राज्य कानूनों की वे व्यवस्थाएं समाप्त हो गयी थी जिनके अन्तर्गत किसी चीज के प्रकाशित करने से पूर्व उसे सेंसर करवाना आवश्यक था अथवा जिनके द्वारा किसी समाचार पत्र, समाचार पृष्ठ, पुस्तक तथा अन्य आलेखो के मुद्रण, प्रकाशन और वितरण पर प्रतिबन्ध जारी किया जा सकता था। इस कानून के अनुसार समाचार पत्रों के प्रकाशन से पूर्व उनका सेंसर किया जाना भी समाप्त हो गया और यह नियम कर दिया गया कि किसी समाचार पत्र से उसका प्रकाशन शुरू होने से पूर्व कोई जमानत न मागी जाये। इसमें विरोधी कार्यवाही किये जाने से पूर्व अदालती जाँच की व्यवस्था भी की गयी है। प्रतिवादी को एक ऐसे जूरी द्वारा मामले की जाँच का अधिकार दिया गया जिसके सदस्यों को या तो पत्रकारिता सम्बन्धी अनुभव हो अथवा जो मुद्रणालयों से सम्बन्धित हों।

फिल्में

लगभग १९३० तक भारतीय फिल्म उद्योग ने कोई विशेष उन्नति नही की थी। उस समय भारत में जो विदेशी फिल्में दिखाई जाती थीं उनकी लम्बाई भारतीय फिल्मों से लगभग सात गुना अधिक होती थी और उनमें भी अमेरिका से आयी फिल्मों का भाग ८० प्रतिशत होता था। सवाक्

चित्रों के आगमन ने भारतीय फिल्म उद्योग को एक नया अवसर प्रदान किया। भाषा के स्वाभाविक लाभ के बल पर भारतीय फिल्म उद्योग शीघ्रता से पनपने लगा। १९३१ में भारत में लगभग २८ फीचर फिल्में तैयार की गयीं। १९३२ में इनकी संख्या ८३, १९३३ में १०३, १९३४ में १६४, और १९३५ में २३३ तक जा पहुँची। इसके बाद प्रतिवर्ष लगभग १७० फिल्में तैयार किये जाने का क्रम चलता रहा। १९४५ में कच्ची फिल्मों के आयात पर प्रतिवन्ध बढ़ जाने के कारण यह संख्या ९९ रह गयी। युद्ध के अन्तकाल में फिल्मों के उत्पादन में अकस्मात् ही फिर वृद्धि हुई और गत कुछ वर्षों से प्रतिवर्ष २४० नयी फिल्में तैयार की जा रही हैं।

नीचे जो तालिका दी जा रही है उसमें विस्तृत रूप से यह बताया गया है कि १९३१ से १९५४ तक विभिन्न भाषाओं में कितनी फिल्में तैयार की गयीं :—

तालिका १११

भारतीय भाषाओं में तैयार किये गये फीचर फिल्में (१९३१—५४)

वर्ष	हिन्दी	गुजराती	मराठी	बंगला	तमिल	तेलुगु	कन्नड़	पंजाबी	मलयालम	अन्य	कुल
१९३१	२३	—	—	३	१	१	—	—	—	—	२८
१९३२	६१	२	८	५	४	२	—	—	—	१	८३
१९३३	७५	—	६	९	७	५	—	—	—	१	१०३
१९३४	१२१	१	११	१०	१४	३	२	—	—	२	१६४
१९३५	१५४	१	९	१९	३८	७	१	१	—	३	२३३
१९३६	१३५	३	६	१९	३८	१२	१	१	—	२	२१७
१९३७	१०२	—	११	१६	३७	१०	३	—	—	—	१७९
१९३८	८८	—	१४	१९	३९	१०	—	१	१	—	१७२
१९३९	८२	१	१२	१५	३५	१२	—	७	—	१	१६५
१९४०	८६	१	१०	१६	३६	१४	—	७	१	—	१७१
१९४१	७९	१	१४	१८	३४	१६	२	२	१	३	१७०
१९४२	९७	—	१३	१८	१९	८	२	५	—	१	१६३
१९४३	१०८	—	५	२१	१३	६	४	—	—	२	१५९
१९४४	८६	—	४	१४	१३	६	—	२	—	१	१२६
१९४५	७३	—	—	९	११	५	१	—	—	—	९९
१९४६	१५५	१	२	१५	१६	१०	—	१	—	—	२००
१९४७	१८६	११	६	३८	२९	६	५	—	—	७	२८८
१९४८	१४८	२८	७	३७	३२	७	२	१	१	२	२६५
१९४९	१५७	१७	१५	६२	२१	७	६	१	१	२	२८९
१९५०	११५	१३	१९	४२	१९	१८	१	४	६	४	२४१
१९५१	१००	६	१६	३८	२६	२०	२	४	७	२	२२१
१९५२	१०२	२	१७	४३	३२	२५	१	—	११	—	२३३
१९५३	९७	—	२१	५०	४२	२९	७	३	७	४	२६०
१९५४	११८	—	१८	४८	३७	२७	१०	३	८	५	२७४

वर्तमान स्थिति

संसार के फिल्म-उत्पादक देशों में भारत का इस समय दूसरा स्थान है। १९५४ में यहाँ २७४ फिल्में तैयार की गयी। अमेरिका प्रतिवर्ष औसतन ४५०, जापान १५०, इटली १२०, फ्रांस ११०, जर्मनी और ब्रिटेन में से प्रत्येक ८५, चीन २६ और रूस १५ फीचर फिल्में तैयार करता है। भारत में विदेशी फिल्मों का आयात अब घट रहा है। १९३७ और ४० के बीच भारत ने प्रतिवर्ष २½ करोड़ फुट तैयार फिल्म का आयात किया।

भारतीय फिल्म उद्योग

भारत के फिल्म उद्योग में लगभग ६०० निर्माता, ६० स्टूडियो, ४० प्रयोगशालाएं तथा लगभग ६०० वितरक-संस्थाएं हैं। इस उद्योग में लगे हुए कुल व्यक्तियों की संख्या लगभग १ लाख है। फिल्म निर्माण के मुख्य केन्द्र बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हैं। अनुमानतः इस उद्योग में ४२ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और उसे प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपये की मोटी आय होती है। भारतीय फिल्में लगभग ३,५०० सिनेमाघरों में दिखायी जाती हैं और उनमें २० लाख दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। इनमें से ८५० चलते-फिरते सिनेमा घर हैं। ५ में से प्रति एक सिनेमाघर एक लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में और शेष छोटे शहरों में है। प्रतिवर्ष लगभग ६० करोड़ व्यक्ति इन सिनेमाघरों का लाभ उठाते हैं।

कुछ भारतीय फिल्में अन्य देशों को भी भेजी जाती हैं जो इस उद्योग को होने वाली आय का प्रमुख स्रोत हैं और उनके द्वारा अधिक मात्रा में वैदेशिक मुद्रा की प्राप्ति होती है। भारतीय फिल्मों का मुख्य बाजार पाकिस्तान है। अन्य प्रमुख बाजार मलय, हिन्दचीन, स्याम, बर्मा, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका आदि हैं। उन सब स्थानों पर भारतीय मूल के हजारों व्यक्ति रहते हैं। कुछ भारतीय फिल्में मध्य-पूर्व के देशों को भी भेजी जाती हैं।

फिल्म-पुरस्कार

सौन्दर्य और टेक्नीक की दृष्टि से उन्नत तथा शैक्षिक और सांस्कृतिक महत्त्व की फिल्मों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने निम्न वार्षिक पुरस्कार जारी किये हैं :

(क) विभिन्न भाषा क्षेत्रों में सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिये प्रादेशिक पुरस्कार;

(ख) सर्वोत्तम वृत्त चित्र के लिये एक अखिल भारतीय पुरस्कार;

(ग) सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिये एक अखिल भारतीय पुरस्कार और

(घ) सर्वोत्तम बालचित्र के लिये एक अखिल भारतीय पुरस्कार।

भारत सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि वह इन पुरस्कारों के अतिरिक्त दो फीचर फिल्मों, वृत्त-चित्रों और बाल चित्रों को प्रमाण-पत्र भी देगी। किसी फिल्म पर एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जायेगा।

१९५४ में पुरस्कार

१० अक्तूबर १९५४ को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के भवन में हुए एक विशेष समारोह में उन सर्वोत्तम फिल्मों को पुरस्कार दिया गया जो १९५३ में देश में तैयार की गयी थीं।

सर्वोत्तम फीचर फिल्म पर राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक आत्रे पिक्चर्स द्वारा निर्मित मराठी फीचर फिल्म 'श्यामची आई' को मिला। विमल राय प्रोडक्शन्स के हिन्दी चित्र "दो बीघा ज़मीन" तथा देवकी बोस प्रोडक्शन्स के बंगला चित्र 'भगवान् श्रीकृष्ण चैतन्य' को प्रमाणपत्र दिये गये। वृत्त-चित्रों में महाबलीपुरम् को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक और "ट्री ऑफ वेल्थ" और "होली हिमालयाज" को प्रमाणपत्र मिले। ये सब चित्र भारत सरकार के फिल्म डिवीज़न द्वारा तैयार किये गये थे। अरोरा फिल्म्स के बंगला बालचित्र 'जेलघर' को प्रमाणपत्र दिया गया। पुरस्कार के लिये भेजे गये बालचित्रों में कोई भी चित्र इतने उच्च स्तर का नहीं निकला जिस पर प्रधान मंत्री का 'स्वर्ण पदक' प्रदान किया जा सकता।

कच्ची फिल्म का निर्माण

कच्ची फिल्मों के निर्माण के लिये एक फर्म ने एक विदेशी कम्पनी के सहयोग से मैसूर में एक कारखाना खोलने का प्रस्ताव रखा है। यदि वर्तमान पंचवर्षीय योजना में उक्त फर्म द्वारा यह कार्य शुरू नही किया गया तो सरकार कच्ची फिल्मों के निर्माण के प्रश्न पर पुनः विचार करेगी।

वृत्त-चित्र और संवाद-चित्र

वृत्त और संवाद चित्रों का निर्माण मुख्यतः भारत सरकार के सूचना तथा प्रसार मंत्रालय का फिल्म्स डिवीजन करता है। यह डिवीजन फरवरी १९४३ में युद्ध सम्बन्धी प्रचार के लिये फिल्में तैयार करने के लिये स्थापित किया गया था। अप्रैल १९४६ में युद्ध समाप्ति के शीघ्र बाद यह तोड़ दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही १९४८ में डिवीज़न को पुनरुज्जीवित किया गया।

वृत्त-चित्र भारत के जीवन-वृत्तों, संस्कृति, कला, उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, वर्तमान आर्थिक और सामाजिक समस्याओं आदि के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर तैयार किये जाते है। यद्यपि अधिकाश वृत्त-चित्र फिल्म्स डिवीज़न तैयार करता है, तथापि कुछ चुने हुए विषयों पर चित्र तैयार करने का काम प्राइवेट कम्पनियों को भी सौंपा गया है। १९५२–५४ के बीच मे प्राइवेट कम्पनियों ने उस प्रकार के ६ चित्र तैयार किये। इसके अतिरिक्त १९५०-५४ के बीच में १५ तैयार चित्र भी उनसे खरीदे गये। अधिकांश चित्र सादे ही तैयार कराये जाते हैं, परन्तु कभी-कभी रंगीन चित्र भी तैयार कराये जाते है।

सिनेमाओं को फिल्मों का वितरण

भारत के सिनेमाघरों को दिये गये लाइसेंस में उल्लिखित एक शर्त के अनुसार उन्हें केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत फिल्मों का न्यूनतम भाग तो प्रदर्शित करना ही होता है। देश के प्रायः सब सिनेमाघरों के साथ ऐसे ठेके है जिनके अन्तर्गत ५) से १५०) प्रति सप्ताह तक किराया देने पर वे फिल्म्स डिवीज़न द्वारा तैयार की गयी फिल्में दिखाते हैं। इससे प्राप्त होने वाली राशि सिनेमाओं की समस्त आय का एक से दो प्रतिशत तक होती है।

विदेशों में प्रचार

कुछ चुने हुए वृत्त-चित्र तथा मासिक संवाद-चित्र विदेश स्थित भारतीय मिशनों को अव्यापारिक प्रदर्शनों के लिये भेजे जाते है।

डिवीज़न जो फिल्में तैयार करती है वे नियमित रूप से प्रदर्शन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भेजी जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, मेलों तथा प्रदर्शिनियों में भी वे दिखायी

जाती है। कुछ फिल्मों को तो अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गयी है। १९४९ में चेकोस्लोवाकिया में हुए फिल्म-समारोह में वृत्त चित्र 'ट्री ऑफ वैल्थ' पुरस्कृत हुआ था। बाद में १९५३ में कृषि सम्बन्धी फिल्मों की जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनी रोम में हुई उसमें उक्त चित्र को एक 'रजत चिन्ह' प्रदान किया गया था। १९५० में हुए कनाडियन अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म-समारोह में तीन वृत्त-चित्रों—'प्राइवेट लाइफ ऑफ दी सिल्क वर्म' 'जयपुर' और 'इंडियन मिनरल्स' को पुरस्कार प्राप्त हुए। १९५१ में वेनिस में हुए वृत्त-चित्र समारोह के लोकगीत और प्राकृतिक दृश्य विभाग के फिल्मों में जयपुर सम्बन्धी वृत्त-चित्र को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

पंचवर्षीय योजना का प्रचार

पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में फिल्म्स डिवीजन में अभी हाल में अतिरिक्त एकक खोले गये हैं। ये एकक योजना-आयोग, सामूहिक योजना संगठन, और भारत सरकार की बुनियादी और सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रतिवर्ष ३२ फिल्में तैयार करेंगे। ये फिल्में १२ प्रादेशिक भाषाओं में तैयार की जायेंगी और चलती-फिरती सिनेमा गाड़ियों द्वारा प्रदर्शन के लिये राज्य सरकारों को दी जायेंगी। वे सिनेमाघरों तथा सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के पंचवर्षीय योजना प्रचार विभाग के क्षेत्रीय प्रचार संगठन द्वारा भी प्रदर्शित की जायेगी।

फिल्मों पर सेंसर

समस्त भारत में दिखाई जा सकने योग्य फिल्मों को प्रमाणित करने के लिये एकमात्र सेंसर-अधिकारी संस्था के रूप में सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर की स्थापना १५ जनवरी १९५१ को की गई। उस समय एतत्सम्बन्धी जो विभिन्न राज्य-बोर्ड थे उनका स्थान उसने ग्रहण कर लिया। सेंसर सम्बन्धी एक ही अधिकारी-संस्था की स्थापना का उद्देश्य सेंसर के काम में समरूपता स्थापित करना था।

उक्त केन्द्रीय बोर्ड में अध्यक्ष सहित सात सदस्य हैं। बोर्ड का प्रधान कार्यालय बम्बई में है और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इसके प्रादेशिक कार्यालय हैं। गैर-सरकारी व्यक्तियों के परामर्शदात्री मण्डल उन प्रादेशिक कार्यालयों की सहायता करते हैं। जितनी भी फीचर-फिल्में होती हैं, उनकी प्रथम परीक्षा इन प्रादेशिक बोर्डों की परीक्षा समितियाँ करती हैं। उन समितियों में परामर्शदात्री मण्डल के चार सदस्य तथा बोर्डों के प्रादेशिक अधिकारी अथवा सहायक प्रादेशिक अधिकारी होते हैं। बाद में फिल्मों को 'यूनिवर्सल सर्टिफिकेट और एडल्ट सर्टिफिकेट' दिये जाते हैं जो क्रमशः 'यू' और 'ए' कहलाते हैं। काँट-छाँट के बाद फिल्में प्रदर्शन के लिये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत घोषित की जा सकती हैं। यदि कोई निर्माता बोर्ड के निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो वह पुनर्विचार समिति द्वारा उसकी फिल्म पर विचार किये जाने के लिये प्रार्थनापत्र दे सकता है। इसमें परीक्षा समितियों में लिये गये सदस्यों को छोड़कर परामर्शदात्री मण्डल के सब सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। यदि प्रार्थी को बोर्ड अथवा पुनर्विचार समिति के निर्णयों से भी संतोष न हो तो उससे भारत-सरकार से अपील करने का अधिकार प्राप्त है।

कोई फिल्म जनता को दिखाने योग्य है अथवा नहीं किंवा वह सबको दिखाने योग्य है अथवा वयस्कों को, इसका निर्णय बोर्ड भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विस्तृत आदेशों के आधार पर

करता है। इस आदेश में बोर्ड को कहा गया है कि वह अपराध, पाप, अनैतिकता, अभद्रता, अव्यवस्था के लिये उत्तेजन, हिंसा, कानून का भंग अथवा किसी विदेश या वहाँ की जनता के प्रति असम्मान-प्रदर्शन की प्रवृत्ति को अनुत्साहित करे।

१९५१–५४ के बीच की अवधि में बोर्ड ने जिन भारतीय और विदेशी फिल्मों को प्रदर्शन योग्य ठहराया, उनकी तालिका नीचे दी जा रही है :—

तालिका ११२

बोर्ड द्वारा स्वीकृत फिल्में

वर्ष	भारतीय फिल्में		विदेशी फिल्में	
	'यू'	'ए'	'यू'	'ए'
१९५१ . . .	१,०५९	८	२,९१७	४१
१९५२ . . .	६३८	६	२,४२१	२६
१९५३ . . .	६७८	२	१,६७८	२५
१९५४ . . .	६७३	८	१,६८८	२६

सहायक ग्रन्थ सूची

बार्न्स, मार्गरिटा . . इण्डियन प्रेस, जॉर्ज एलन एण्ड अनविल (लंदन १९४०)

बूकर, एच० . . फ्रीडम ऑफ इनफॉर्मेशन, मैकमिलन (न्यूयार्क १९४९)

राय, निखिल रंजन . . फ्रीडम ऑफ दी प्रेस इन इण्डिया (कलकत्ता १९५०)

नरसिंहन, बी० के० . . इण्डियन प्रेस इयर बुक १९५४ (मद्रास १९५४)

भारत सरकार . . रिपोर्ट ऑफ दी प्रेस ला इन्क्वायरी कमेटी, (नई दिल्ली १९४८)

भारत सरकार . . रिपोर्ट ऑफ दी प्रेस कमीशन, भाग १, २, ३

हिज मैजिस्टीज़ स्टेशनरी ऑफिस, लन्दन . . रिपोर्ट ऑफ़ दी रायल कमीशन ऑन प्रेस १९४९

भारत सरकार . . रंगाचारी रिपोर्ट ऑन फिल्म्स (१९२८)

भारत सरकार . . फिल्म इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट (१९५१)

यूनेस्को . . प्रेस, फिल्म, रेडियो १९४७–४८, १९४९, १९५०, १९५१

रोथ्स, पाल . . डौक्यूमेंटरी फिल्म्स (फेबर एण्ड फेबर लिमि०) लन्दन १९५१

स्पाश्निसवुड, रेमण्ड . . फिल्म्स एण्ड इट्स टेक्नीक

मानवेल, रोजर . . दि फिल्म्स

पुडोवकिन . . फिल्म टेक्नीक एण्ड फिल्म एक्टिंग (विज़न लन्दन)

थोराई स्वामी . . एशियन फिल्म डायरेक्ट्री (बम्बई, १९५२)

चौबीसवाँ अध्याय

प्रसारण

भारत में प्रसारण का कार्य १९२६ में उस समय से प्रारम्भ हुआ, जब भारत सरकार ने इण्डियन ब्रॉडकास्टिंग कम्पनी को बम्बई और कलकत्ता में रेडियो स्टेशन चलाने का लाइसेन्स दिया। बम्बई का रेडियो स्टेशन २३ जुलाई १९२७ को और कलकत्ता का स्टेशन उसी वर्ष २६ अगस्त को चालू हो गया। परन्तु शीघ्र ही कम्पनी के समक्ष आर्थिक कठिनाइयाँ उपस्थित हो गईं और १९३० में कम्पनी समाप्त हो गई। इसके बाद भारत सरकार ने प्रसारण व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और तभी से देश में प्रसारण कार्य सरकारी नियन्त्रण में चलाया जा रहा है।

प्रशासनिक व्यवस्था

भारत में प्रसारण केन्द्रों का एक जाल है और यह ऑल इण्डिया रेडियो (आकाश वाणी) के नाम से विख्यात है। यह विभाग सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के अधीन है और इसका उच्चतम अधिकारी डायरेक्टर-जनरल कहलाता है। इसके अधीन प्रसारण कार्य के लिये तथा संगीत, भाषण, आदि विशेष कार्यक्रमों को चलाने के लिये डिप्टी डायरेक्टर-जनरल, प्रोग्राम डायरेक्टर तथा एक चीफ इंजीनियर आदि अधिकारी हैं। प्रबन्ध एवं प्रसारण व्यवस्था की दृष्टि से यह विभाग २२ प्रादेशिक केन्द्रों में विभक्त है। इनके अतिरिक्त कई एक और उपविभाग तथा कार्यालय हैं जैसे रिसर्च इंजीनियर, मेन्टेनेन्स इंजीनियर और इन्स्टॉलेशन इंजीनियर के कार्यालय तथा इण्डियन लिसनर, समाचार सेवा शाखा, कार्यक्रम प्रशिक्षण विद्यालय आदि।

आकाशवाणी केन्द्र

इस समय भारत में ३२ प्रसारण केन्द्र हैं और ये देश के सभी प्रमुख भाषा-क्षेत्रों में स्थापित हैं। शॉर्टवेव तथा मीडियम वेव (ट्रांसमीटरों) की संख्या क्रम से १७ और २७ है, और कुछेक केन्द्रों में एक से अधिक ट्रांसमीटर लगे हुए हैं। प्रसारणों की संख्या की दृष्टि से भारत संसार में तीसरे नम्बर पर है। इन केन्द्रों को चार प्रदेशों में विभक्त किया गया है—अर्थात् उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी। प्रत्येक प्रदेश में कौन-कौन से रेडियो केन्द्र हैं यह नीचे दिया जा रहा है :

उत्तरी :—दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना और जालन्धर।

पश्चिमी :—बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, धारवाड, हैदराबाद और पूना।

दक्षिणी :—मद्रास तिरुचि, विजयवाड़ा, त्रिवेन्द्रम, कोजीकोड और मैसूर।

पूर्वी :—कलकता, कटक और गोहाटी।

इनके अतिरिक्त कश्मीर राज्य में श्रीनगर और जम्मू मे एक-एक रेडियो केन्द्र और हैं। ये दोनों भी आकाशवाणी की ही शृंखला मे है।

कार्यक्रम सम्बन्धी नीति

आकाशवाणी के प्रसारणों मे शिक्षाप्रद, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रमों को प्रधानता दी जाती है। जनता का प्रतिनिधित्व करने के नाते इसके कार्यक्रमों मे महत्त्व-पूर्ण विचारधाराओं और घटनाओं का समावेश रहता है। परन्तु विवादास्पद राजनीतिक विषयों, निर्वाचनों अथवा राजनीतिक दलो के दलगत प्रचार सम्बन्धी भाषणों से यह दूर रहता है। व्यापारिक फर्मों के अथवा अन्य किसी प्रकार के व्यापारिक विज्ञापन अथवा चन्दे की या किसी निधि की अपील के लिये इसके कार्यक्रम मे स्थान नही है। इसका सदा प्रयत्न रहता है कि इसके कार्यक्रम बराबर सुरुचि उत्पन्न करने वाले हो, अश्लील न हों।

ऊपरनिर्दिष्ट नीति के अनुसार आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रो से ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किये जाते है जो शिक्षाप्रद हों और श्रोताओं का मनोरजन कर सके। कुछ ऐसे कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय महत्त्व के कारण दिल्ली केन्द्र से प्रसारित किये जाते है और भारत के सभी केन्द्र उन्हें उसी प्रसारण-शृंखला द्वारा अपने श्रोताओं को सुनाते है। इनमे राष्ट्रीय सगीत, भाषण, समाचार तथा अन्य राष्ट्रीय महत्त्व के विषय शामिल हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी कार्यक्रमों मे भिन्न-भिन्न केन्द्र अपने-अपने क्षेत्रो की सांस्कृतिक बातों को अधिक स्थान देने का प्रयत्न करते है। यही कारण है कि ये केन्द्र अपने अधिकाश कार्यक्रम प्रादेशिक भाषाओं मे प्रसारित करते है। प्रसारण मे अंग्रेजी और भारत की १५ भाषाओं का व्यवहार किया जाता है।

कार्यक्रमों की रचना

संसार के सभी प्रसारण संघटनो की तरह ही भारत मे भी आकाशवाणी के कार्यक्रमों मे सगीत का सर्वाधिक भाग रहता है। आकाशवाणी के २२ केन्द्रो से प्रतिदिन औसतन ७५ घंटे भारतीय संगीत का प्रसारण किया जाता है। प्रत्येक केन्द्र मे सर्वसाधारण की रुचि का ध्यान रखते हुए भिन्न-भिन्न विषयो पर प्रसारित किये जाने वाले भाषणों और चर्चाओं को भी काफी स्थान दिया जाता है। इनके अतिरिक्त समय-समय पर सामयिक कार्यों और घटनाओं की समीक्षा, पुस्तक-समीक्षा तथा सामाजिक, बौद्धिक तथा खेल सम्बन्धी वार्ताएं एवं चर्चाएं भी प्रसारित की जाती है। साथ ही बच्चों और महिलाओं के लिये सप्ताह में औसतन तीन कार्यक्रम भारतीय भाषाओं में ही प्रसारित किये जाते है। नीचे लिखे आँकड़ों मे यह पता चलता है कि १९५३ में

कार्यक्रमों की रचना किस प्रकार की थी और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिये कितना समय निधारित था :—

तालिका ११३

कार्यक्रम की रचना

(आन्तरिक)

कार्यक्रम का प्रकार	कुल अवधि घटों में	लगभग प्रतिशत
१. भारतीय संगीत		
(क) शास्त्रीय और लघु शास्त्रीय संगीत (मौखिक)	१३,४००	
(ख) शास्त्रीय और लघु शास्त्रीय संगीत (वाद्य तथा आर्केस्ट्रा द्वारा)	७,९६४	
(ग) हलका-फुलका संगीत जिसमें लोक संगीत भी शामिल है	११,८४१	५२
(घ) हलका-फुलका संगीत (वाद्य और आर्केस्ट्रा द्वारा)	५२८	
२ पश्चिमी संगीत	२,३१२	
३. वार्ताएं, वाद-विवाद और इण्टरव्यू	३,३१४	५
४. समाचार बुलेटिन	१२,१८३	
५ रेडियो रिपोर्ट	१,३१६	२२
६. स्थानीय सूचनाएं जिनमें व्यापारिक सूचनाएं भी शामिल हैं	१,७४२	३
७ नाटक और फीचर	१,८५८	३
८. स्कूलों, देहाती क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों विश्वविद्यालयों और सेनाओं आदि के लिये सामूहिक रूप में सुने जाने वाले प्रसारण	७,३८६	११
९. विविध, जैसे संगीत शिक्षा, भाषा शिक्षा, स्त्रियों और बच्चों का प्रोग्राम	४,४८९	७
कुल	६८,३२९	१००

श्रोताओं में वृद्धि

भारत में रेडियो सेट रखने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। १९२७ में ३,५९४ व्यक्तियों के पास अपने सेट थे, किन्तु १९५४ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़कर ८,३५,२४६ हो गई।

इस समय ११,००० रेडियो लाइसेन्स प्रतिमास दिये जा रहे हैं जिनसे इस वृद्धि की ओर स्पष्ट संकेत मिलता है।

लोगों में रेडियो कार्यक्रम की ओर रुचि बढ़ाने के लिये आकाशवाणी ने रेडियो व्यापारियों के सहयोग से अक्तूबर १९५४ में एक रेडियो-मास का आयोजन किया था। इस महीने में आकाशवाणी

के समस्त केन्द्रों से सर्वोत्तम कार्यक्रम प्रसारित किये गये। दिल्ली केन्द्र से उत्तर भारतीय संगीत सम्मेलन तथा मद्रास केन्द्र से कर्नाटक संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया।

रेडियो लाइसेंसों के प्रकार

यद्यपि जनसाधारण को अपने निवास स्थानों में रेडियो सेट का प्रयोग करने के लिये व्यक्तिगत लाइसेन्स दिये जाते हैं किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी लाइसेन्स हैं। रेडियो लाइसेन्स देने का काम आकाशवाणी की ओर से डाक और तार विभाग करता है। इन लाइसेन्सों में कुछ विशेष प्रकार के लाइसेन्स नीचे दिये जा रहे हैं :—

(१) 'अधिकार में रखने' और 'प्रदर्शन के लिये' लाइसेन्स : रेडियो व्यापारी अपनी दुकान में रेडियो सेट रखने और बाहर प्रदर्शन के लिये लेते हैं।

(२) 'व्यापारिक रेडियो लाइसेन्स' व्यापारी लेते हैं जो रेडियो कार्यक्रमों को रेडियो सेट द्वारा सुनाकर जनता को अपनी दूकान की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

(३) 'पंचायती रेडियो लाइसेन्स' गाँवों में सार्वजनिक स्थानों पर रेडियो सेट लगाकर गाँव की जनता को रेडियो कार्यक्रम सुनाने के लिये दिये जाते हैं।

डाक-तार विभाग ने १९५४ में ८,३५,२४६ व्यक्तिगत रेडियो लाइसेन्स दिये थे। इनके अतिरिक्त उस वर्ष अन्य प्रकार के लाइसेन्सों की संख्या ७१,९४८ थी। इस प्रकार सारे भारत में ९,०७,१९४ रेडियो सेट व्यवहार में आ रहे थे। ये लाइसेन्स प्रत्येक जिले के हेड पोस्ट ऑफिस और सब-पोस्ट ऑफिस से एक वर्ष की अवधि के लिये दिये जाते हैं। प्रत्येक आगामी वर्ष की १४ जनवरी तक इन लाइसेन्सों को बदलवाकर नये लाइसेन्स ले लेने चाहिएँ। निर्धारित समय के भीतर लाइसेन्स न बदलवाने पर उत्तरोत्तर अधिक जुर्माना देना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के लाइसेन्सों के लिये निम्नलिखित शुल्क देना पड़ता है :—

तालिका ११४

लाइसेन्स का प्रकार	प्राप्ति स्थान	शुल्क रुपये
१. व्यापारिक रेडियो सेट लाइसेन्स	उस क्षेत्र का पी० एम० जी०	५०
२. अधिकार में रखने का लाइसेन्स व्यापारी अथवा व्यापारीतर व्यक्ति	,,	१५
३. प्रदर्शनार्थ लाइसेन्स	,,	१५
४. पंचायती रेडियो लाइसेन्स	,,	१०
५. व्यक्तिगत रेडियो लाइसेन्स	पोस्ट आफिस	१५
६. स्कूलों के लिये रेडियो सेट लाइसेन्स	,,	३
७. अंधसंस्थाओं के लिये रेडियो सेट लाइसेन्स	,,	३
८. क्रिस्टल सेट लाइसेन्स	,,	३

भारत में रेडियो सेटों का निर्माण और आयात

अब तक भारत रेडियो सेट सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं को रेडियो सेटो का आयात करके पूरा करता था। अभी हाल ही के वर्षो मे रेडियो सेटो के निर्माण के लिये कुछ आधुनिक फैक्टरियो की स्थापना की गई है। इनके अतिरिक्त कुटीर उद्योग के स्तर पर पुर्जों को जोड़ कर भी बहुत से सेट तैयार किये जाते है। निम्नलिखित तालिकाओ में इस विषयक स्थिति स्पष्ट की गई है।

तालिका ११५

रेडियो सेटों का आयात

वर्ष	संख्या	मूल्य	चुगी मे होने वाली आय
१९३९–४०	४३,६८४	६१.२८	२१ १९
१९४०–४१	३८,८५५	३५.३२	१८.४७
१९४१–४२	५२,४१६	४१ ७३	२२ १८
१९४२–४३	१८,९३९	३२ १०	३२ २३
१९४३–४४	५,३८४	६ ५३	११ ७८
१९४४–४५	८९५	१ ५१	३.४७
१९४५–४६	५,९८२	७ ०४	१०.५६
१९४६–४७	१,०७,११४	१६९.५३	९३ ६६
१९४७–४८	१,९२,१७२	२८८ ४०	१८१.१८
१९४८–४९	४२,२०२	७६ ५९	५२ ३९
१९४९–५०	४३,३५५	७१ ६६	६३ ०९
१९५०–५१	१६,०१२	२५ ४४	५०.५६
१९५१–५२	२९,१२१	५२ ६४	९२.९०
१९५२–५३	१९,२८६	३६ ०९	६८.८५
१९५३–५४	१३,०४२	२३ ४५	४५ ४२

तालिका ११६

भारत में निर्मित रेडियो सेट

वर्ष	निर्मित किये गये रेडियो सेटों की संख्या
१९४७	३,०३६
१९४८	२४,९९६
१९४९	१६,८३६
१९५०	४४,३४०
१९५१	५१ ८००
१९५२	७१,८००
१९५३	५६,३००
१९५४ (जुलाई तक)	३६,५००

सामूहिक प्रसारण

ग्रामीण क्षेत्रों मे बिजली न होने के कारण रेडियो कार्यक्रमों को सुनने की सुविधाएँ बहुत कम है, इसलिए आकाशवाणी की ओर से सामूहिक प्रसारण योजना चालू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्यीय सरकारें अथवा स्थानीय शासन इकाइयाँ, गाँवो और कस्बो मे जनता के उपयोग के लिये पंचायती रेडियो सेट रखवा देती हैं। ग्रामीण श्रोताओं, उद्योगो में काम करने-वाले मजदूरों और विद्यार्थियों के लिये आकाशवाणी द्वारा विशेष कार्यक्रम तैयार किये जाते है और उन्हे प्रसारित किया जाता है। इन कार्यक्रमों को तैयार करने में सलाहकार समितियो से परामर्श लिया जाता है। इस समय आकाशवाणी के लगभग सभी केन्द्रो का ग्रामीण क्षेत्रो के लिये कार्यक्रम को प्रसारित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रोताओं को ग्रामीण जीवन से सम्बन्ध रखने वाली सभी बातों की जानकारी करायी जाये, जिससे कि वे उन्हे अपने व्यवहार मे ला सकें और इस प्रकार उनका दृष्टिकोण व्यापक हो तथा साथ ही उनका सुरुचिपूर्ण मनोरंजन भी हो सके। इन कार्यक्रमों में अधिकाशतः लोक-सगीत, नाटक, वार्ताएँ, समाचार, मौसम की खबरे, कृषि की उन्नत विधियो के विषय मे जानकारी आदि रहती है। इसमें एक नया कार्यक्रम और जोड दिया गया है और वह है कृषक सभाओ का आयोजन। इन सभाओ मे वे श्रोता शामिल होते है जो इन रेडियो कार्यक्रमो को नियमित रूप से सुनते है और इसके बाद की जाने वाली चर्चाओ मे प्रसारणो द्वारा प्रस्तावित बातों को क्रियात्मक रूप देने के सम्बन्ध मे विचार करते है। मार्च १९५४ के अन्त तक ५,९२५ गाँवो में पंचायती रेडियो सेट थे।

सामूहिक प्रसारण विद्यार्थियो के लिये भी किये जाते है। इनका प्रयोजन कक्षाओं मे दी जाने वाली नियमित शिक्षा के पूरक रूप मे अतिरिक्त जानकारी कराना है। आजकल आकाशवाणी के १२ केन्द्रो—दिल्ली, मद्रास, बम्बई, विजयवाडा, तिरुच्चिरापल्लि, त्रिवेन्द्रम, लखनऊ, इलाहाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटना और नागपुर से स्कूलो के लिये कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे है। दिल्ली और मद्रास जैसे राज्यो मे इस प्रकार के कार्यक्रमो का सुनना पाठ्यक्रम मे शामिल कर दिया गया है। मार्च १९५४ तक ८,९०० प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलो मे इन कार्यक्रमो को नियमित रूप से सुने जाने की व्यवस्था थी।

मद्रास, बम्बई, अहमदाबाद और लखनऊ केन्द्रो से फैक्टरियो मे काम करने वाले मजदूरो के लिये उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते है। ये कार्यक्रम उन्हें जानकारी देने और उनका मनोरंजन करने की दृष्टि से बनाये गये होते है। मार्च १९५४ मे औद्योगिक क्षेत्रो मे लगे हुए रेडियो सेटो की सख्या १८८ थी।

प्रसारण को उन्नत करने की पंचवर्षीय योजना

आकाशवाणी ने प्रसारण को उन्नत करने के लिये १९५२ के प्रारम्भ मे एक पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। इस योजना का उद्देश्य वर्तमान रेडियो केन्द्रो को अधिक शक्तिशाली बनाना और साथ ही केन्द्रों की स्थिति का वैज्ञानिकन करना भी है। योजना आयोग द्वारा जून १९५२ मे यह स्वीकृत हो गई थी। उसके बाद उसमें कुछ छोटा-मोटा परिवर्तन हुआ है, जिससे कि किन्ही आवश्यक विषयों पर जोर दिया जा सके अथवा किन्ही अन्यों को प्राथमिकता दी जा सके किन्तु इससे योजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ हो ऐसा नहीं समझना चाहिए।

योजना को क्रियान्वित करना

विकास योजना पर कुल खर्च के लिये ४.०२ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। यद्यपि अभी योजना का कुछ भाग क्रियान्वित होना शेष है फिर भी बहुत से योजना-कार्य पूरे हो चुके है और उनका काम चालू हो गया है। इनमे से कुछ उल्लेखनीय योजना-कार्य नीचे दिये जा रहे है :—

१. कलकत्ता मे ५० किलोवाट मीडियम वेव प्रसारक यन्त्र ८ जनवरी १९५१ से चालू हो गया; यह उन छः शक्तिशाली प्रसारक यन्त्रों मे पहला है, जिनके लिये योजना मे व्यवस्था की गई है।

२. नागपुर और गोहाटी मे क्रम से १२ मार्च और २० मई १९५३ से १० किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाकर चालू किये गये।

३. पूना में २ अक्तूबर १९५३ को १ किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया गया और स्टूडियो बनकर काम चालू हो गया। इस यन्त्र के स्थान पर शीघ्र ही ५ किलोवाट शक्ति वाले यन्त्र लगाने की योजना है।

४. बम्बई मे ५० किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर २० मार्च १९५४ को चालू हो गया है। इस यन्त्र से लगभग ३०,००० वर्ग मील क्षेत्र मे प्रसारण किया जा सकता है।

५. अहमदाबाद मे ५० किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर ६ जून १९५४ से चालू हो गया है।

६. जालन्धर मे ५० किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर यन्त्र ने २९ अगस्त १९५४ से प्रसारण कार्य प्रारम्भ कर दिया। यह यन्त्र जालन्धर और लुधियाना के बीच मे स्थित है।

७. मद्रास मे नये स्टूडियो मार्च १९५४ में बनकर तैयार हो गये और नई दिल्ली के स्टूडियो का विस्तृत करने का कार्य जुलाई १९५४ तक पूरा हो गया।

योजना के अन्तर्गत जितना विकास कार्य होना है वह सब मार्च १९५६ तक पूरा हो जायेगा। इस अवधि के बाद आकाशवाणी के २१ केन्द्र होंगे और उनमे ५५ ट्रांसमीटर काम कर रहे होंगे, जिनकी प्रसारण शक्ति कुल मिला कर १,१६० किलोवाट होगी। आकाशवाणी के वर्तमान प्रसारण जाल में राजकोट, बगलौर, इन्दौर, जयपुर और शिमला के केन्द्र और शामिल हो जायेंगे।

नये और पुराने सभी केन्द्र मिला कर मीडियम वेव द्वारा १८.५ करोड जनसंख्या वाले ५,४२,००० वर्गमील क्षेत्र की संतोषजनक सेवा करने मे समर्थ होंगे। यह क्षेत्रफल समस्त देश का लगभग एक तिहाई भाग होगा।

कार्यक्रम मे सुधार

कार्यक्रमो के मापदड को उन्नत करने के लिये आकाशवाणीव द्वारा सब सम्भव प्रयत्न किये जा रहे है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कुछ कदम तो उठाये जा चुके है। आकाशवाणी की संगीत नीति पर सरकार को सलाह देने के लिये अप्रैल, १९५३ मे संगीत के लिये एक सलाहकार परिषद् का संगठन किया गया जिसमे सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ और संगीत प्रेमी व्यक्ति है। १९५३ के प्रारम्भ मे दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और विजयवाड़ा में लघु संगीत (लाइट म्युज़िक) के एकक स्थापित किये गये। देश में प्रसारित किये जाने वाले आन्तरिक कार्यक्रमों की सामान्य रचना और प्रकार

तथा आकाशवाणी के हिन्दी कार्यक्रमो के सम्बन्ध मे सलाह देने के लिये क्रमशः एक केन्द्रीय सलाहकार समिति और केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति बनायी गई ।

कार्यक्रम-पत्रिकाएँ

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रो के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम निम्नलिखित कार्यक्रम-पत्रिकाओ मे अग्रिम रूप मे प्रकाशित किये जाते है .—

पत्रिका का नाम	स्थान जहाँ मे प्रकाशित होता है	भाषा	प्रकाशन अवधि
इडियन लिसनर	दिल्ली	अंग्रेजी	साप्ताहिक
आवाज . .	,,	उर्दू	पाक्षिक
मारग .	,,	हिन्दी	,,
बेतार जगत . .	कलकत्ता	बगला	,,
बनोली .	मद्रास	तमिल	,,
वाणी . .	,,	तेलुगू	,,
नभोवाणी . .	अहमदाबाद	गुजराती	,,

विदेशों के लिये प्रसारण

विदेशी सेवा शाखा (एक्स्टर्नल सर्विसेज डिवीजन) की स्थापना १९३९ मे हुई थी और इस डिवीज़न मे सबसे पहला प्रसारण अफगानिस्तान निवासियो के लिये किया गया था । इस समय यह शाखा अपने ६ शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर यंत्रो से १४ भाषाओ मे कार्यक्रम प्रसारित करती है । इन भाषाओ मे भारतीय भाषाओ और अंग्रेजी के अलावा अफगानी, बर्मी, क्युओयू-कैन्टनी, इंडोनीशियाई, पश्तो, फारसी, अरबी, स्वाहिली और फ्रेंच भाषाओ मे कार्यक्रम प्रसारित होते है । यह शाखा २४ घटे चालू रहती है और पूर्व मे चीन से ले कर पश्चिमी गोलार्ध के वेस्ट इंडीज तक ससार के सभी मुख्य देशो को कार्यक्रम प्रसारित करती है । जो भारतीय विदेशो में बसे हुए है उनके लिये, अंग्रेजी, हिन्दी, तामिल और गुजराती मे विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जाते है । विदेशों के नागरिकों के लिये उन्हीं की भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये आंचलिक सेवा शाखा है । इस कार्य के लिये इस शाखा मे ऐसे विदेशी नागरिक भी नियुक्त है जो अपने-अपने देशवासियो को उन्ही की भाषा मे कार्यक्रम प्रसारित कर सके ।

इससे प्रतिदिन लगभग २३ घंटे प्रसारण होता है। इसमें हिन्दी कार्यक्रमों को ४½ घंटे, तमिल को १½ घंटे, गुजराती को १ घंटा, चीनी को १½ घंटा, इंडोनीशियाई को ½ घटा, फारसी को १ घंटा, अरबी को २ घटा, अफगानी को २ घंटा १० मिनट, पश्तो को १ घंटा, स्वहिली को ½ घंटा, फ्रेंच को ½ घंटा और अंग्रेजी को २ घंटे मिलते है । विदेशी सेवा शाखा मे १६ भाषाओं में २६ समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं ।

विदेशी सेवा शाखा के कार्यक्रमों का व्यापक विज्ञापन करने के लिये पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती है । पत्रिकाएँ मासिक है और अंग्रेजी, अरबी, फारसी, अफगानी-फारसी, चीनी,

और बर्मी भाषाओं में निकलती है और उन-उन भाषा-क्षेत्रों में श्रोताओं को बिना मूल्य भेजी जाती है। "इण्डिया कॉलिंग" नामक अंग्रेजी पत्रिका के दो संस्करण प्रकाशित होते हैं—एक ईस्टर्न (पूर्वी) और दूसरा वेस्टर्न (पश्चिमी)। पूर्वी संस्करण पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों, तथा चीनी, इंडोनीशियाई और बर्मी भाषा बोलने वालों के लिये निकलता है। पश्चिमी संस्करण में वे कार्यक्रम प्रकाशित होते हैं जो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका तथा मारिशस में रहने वाले भारतीयों तथा पश्चिमी एशियाई लोगों के लिये और यूरोप में अंग्रेजी और फ्रेंच जानने वालों के लिये प्रसारित किये जाते हैं।

समाचार सेवा शाखा

आकाशवाणी की समाचार प्रसारण शाखा का मुख्य कार्य भारत में तथा विदेशों में घटित घटनाओं के सच्चे समाचार अपने देश के श्रोताओं और विदेशों में बसे भारतीयों तथा पड़ौसी देशों के निवासियों के लिए प्रसारित करना है। इस शाखा को १९३७ में संघटित किया गया था। इसको केन्द्रीय रूप देने का निश्चय इसलिए किया गया कि सम्बन्धित विषयों के विशेषज्ञ कई केन्द्रों पर अलग-अलग न रखने पड़ें और साथ ही उपरि-व्यय में बचत की जा सके। युद्धकाल में इस शाखा की उन्नति तीव्र गति से हुई। यह प्रसारण के लिये अंग्रेजी में ही समाचार बुलेटिन तैयार नहीं करती बल्कि भारतीय भाषाओं में भी जितने समाचार बुलेटिन निकलते हैं उन सब के लिये भी यही उत्तरदायी है। भारतीय भाषाओं के समाचार बुलेटिन सम्पादकों द्वारा लिपिबद्ध समाचारों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके प्रसारित किये जाते हैं। अनुवाद करने के लिये शाखा में विशेष व्यक्ति रखे हुए हैं।

भारतीय आकाशवाणी की समाचार सेवा शाखा संसार के इस प्रकार के सबसे बड़े संगठनों में एक है। इस शाखा से ३१ भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में ७३ समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं। राज्यीय समाचारों को अधिक स्थान देने के लिये आंचलिक समाचार बुलेटिन चालू किये गये हैं। लखनऊ केन्द्र हिन्दी में, नागपुर केन्द्र हिन्दी और मराठी में, बम्बई मराठी और गुजराती में, मद्रास तमिल और तेलुगु में और कलकत्ता बंगला में समाचार बुलेटिन प्रसारित करते हैं।

तालिका ११७

भारत में आकाशवाणी केन्द्र

(९ मई, १९५५ की स्थिति)

संख्या	केन्द्र	उद्घाटन तिथि	शक्ति	मीडियम वेव लेंथ (मध्यम तरंग)
१	२	३	४	५
१	अहमदाबाद .	६-६-१९५४	५०.० कि० वा० मी० वे० (१६-४-४९ को १ कि० वा० वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर लगाया गया)	३५२.९ मी०
२	इलाहाबाद .	१-२-१९४९	१.० कि० वा० मी० वे०	३९४.७ मी०

तालिका ११७ (क्रमश)

१	२	३	४	५
३	बडौदा (अब अहमदाबाद के साथ मिला दिया गया है)	१६-१२-१९४८	८५.० कि० वा० मी० वे०	——
४	बम्बई—१ .	२०-३-१९५४	५० ० ,, ,, (१ ५ कि० वा० मी० वे० वाले ट्राममीटर की जगह, जो २३-७-१९२७ को स्थापित किया था, लगाया गया)	५४५ ५ मी०
	बम्बई—२	४-७-१९३८	१० ० कि० वा० शा० वे०	समय के अनुसार
	बम्बई—३	३०-१२-१९४८	० २ ,, ,,	,,
	बम्बई—४	१६-२-१९४९	१० ० कि० वा० मी० वे०	२४३.०९ मी०
५	कलकत्ता—१	२६-८-१९२७	१ ५ . ,, . .	३७० ४ मीटर
	कलकत्ता—२	१६-८-१९३८	१० ० ,, ,, शा० वे	समय के अनसार
	कलकत्ता—३	३-१-१९४९	० २५ ,, ,, ,, ,,	,,
	कलकत्ता—४	८-१-१९५१	५० ० ,, ,, मी० वे०	४४७.८ मी०
	कलकत्ता—५	३-१-१९५४	० २ ,, ,, . .	३०० मी०
६	कटक	२८-१-१९४८	१ ० . ,, ,, ,,	२२२ २ मी०
७	दिल्ली—१ .	१-१-१९३९	१० ० ,, ,, ,, ,,	३३७ १ मी०
	दिल्ली—२ .	१६-१२-१९३७	१० ० ,, शा० वे०	समय के अनुसार
	दिल्ली—३	१-३-१९३८	५.० , .	,,
	दिल्ली—४ .	१९-२-१९४०	१० ० ,, ,,	,,
	दिल्ली—५ .	१-५-१९४१	० ० ,, ,,	,,
	दिल्ली—६	१-३-१९४९	१ ० , मी० वे०	२८०.४ मी०
	दिल्ली ७	१६-१९४९	१०० ० , शा० वे०	समय के अनसार
	दिल्ली—८	१६-२-१९४९	७.५ , ,,	,,
	दिल्ली—९ .	१६-३-१९४९	७ ५ ,, ,,	,,
	दिल्ली—१०	१-५-१९४५	२० ० ,, ,	,
	दिल्ली—११	१-११-१९४५	२० ० . ,,	,,
८	धारवाड	८-१-१९५०	१ ० कि० वा० मी० वे०	४०५.४ मी०
९	गौहाटी	१०-५-१९५३	१० ० कि० वा० मी० वे० (११-७-१९४८ को स्थापित १ ० कि० वा० मी० वे० वाले ट्राममीटर के स्थान पर लगाया गया)	२८४.६ मी०
१०	हैदराबाद	१-८-१९५०	५ ० कि० वा० मी० वे०	४११.० मी०
११	जालधर .	२९-८-१९५४	५० ० , ,, ,, ,, (१६-४-१९४९ को स्थापित १ ० कि० वा० वाले ट्राममीटर के स्थान पर लगाया गया)	४२२.५ मी०

तालिका ११७ (क्रमश)

१	२	३	४	५
१२	कोजीकोड .	१४-५-१९५०	१ ० कि० वा० मी० वे०	५१७.२ मी०
१३	लखनऊ	१३-४-१९५५	५ ० कि० वा० मी० वे० (२-४-१९३२ को स्थापित किये गये ५ ० कि० वा० वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर लगाया गया)	२९४.१ मी०
१४	मद्रास—१ .	४-१-१९४९	१.० कि० वा० मी० वे० (१६-६-१९३२ को स्थापित किये गये ०.२५ कि० वा० मी० वे० वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर लगाया गया)	२७०.३ मी०
	मद्रास—२ .	१६-६-१९३८	१०.० कि० वा० शा० वे०	समय के अनुसार
	मद्रास—३ .	४-१-१९४९	०.५ ,, ,, ,, ,,	,,
	मद्रास—४ .	९-६-१९५०	१ ० ,, ,, मी० वे०	२११ ३ मी०
१५	मैसूर .	१-४-१९५० (क)	० २५ कि० वा० मी० वे०	३०९.३ मी०
		१-४-१९५० (क)	० ३५ ,, ,, शा० वे०	समय के अनुसार
१६	नागपुर .	१२-३-१९५३	१० ० कि० वा० मी० वे० (१९-७-१९४८ को स्थापित किये गये १ ० कि० वा० मी० वे० वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर लगाया गया)	५०८.५ मी०
१७	पटना	२६-१-१९४८	५ ० कि० वा० मी० वे०	२९५ ५ मी०
१८	पूना	७-१०-१९५३	१ ० ,, ,, ,, ,,	३७५ ० मी०
१९	तिरुच्चिरापल्लि	१९-५-१९३९	५ ० ,, ,, ,, ,,	३८९ ९ मी०
२०	त्रिवेन्द्रम	१-४-१९५०	५ ० ,, ,, ,, ,,	४५४.५ मी०
२१	विजयवाडा	(ग)	१ ० ,, ,, ,, ,,	३५७ १ मी०
२२	रेडियो कश्मीर (ख)	१-१२-१९४८		
	जम्मू	१-१२-१९४७	१ ० कि० वा० मी० वे०	३०३.० मी०
	श्रीनगर	१-७-१९४८	१ ० ,, ,, ,, ,,	७०१ ३५ मी०
			१ ० ,, ,, शा० वे०	समय के अनुसार
२३	राजकोट	४-१-१९५५	१ ० ,, ,, मी० वे०	३२९.७ मी०
२४	जयपुर .	९-५-१९५५	१ ० ,, ,, ,, ,,	२९७ ९ मी०

(क) अखिल भारतीय आकाशवाणी द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने की तिथि
(ख) जुलाई, १९५४ में रेडियो कश्मीर को अखिल भारतीय आकाशवाणी के साथ मिला दिया गया।

फ्रीक्वेन्सी (चक्र संख्या) को वेव लैन्थ (तरंग आयाम) मे बदलना

प्रत्येक रेडियो स्टेशन की एक निर्दिष्ट चक्र सख्या या तरग आयाम होती है। चक्र सख्या को तरग आयाम मे या इसमे विपरीत रूप मे परिवर्तित करना निम्नलिखित सूत्र के प्रयोग द्वारा बहुत सुगम है।

चक्र सख्या (प्रति सैकण्ड) = प्रति सैकण्ड रेडियो तरगो की मीटर मे गति या ३०,००,००,००० मीटरो मे तरग आयाम।

इस प्रकार यदि हम दिल्ली केन्द्र की जो ३३७.१ मीटर पर कार्य करता है, चक्र सख्या ज्ञात करना चाहे तो हमे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होगा।

$$= \frac{३०,००,००,०००}{३३७.१} \text{ या } ८,९०,००० \text{ चक्र या } ८९० \text{ किलोसाइकल}$$

तालिका ११८

विभिन्न राज्यो मे स्कूल और पचायतो के लिये लगाये गये रेडियो सेटो की सख्या

(३१ मार्च, १९५४ तक)

राज्य	पंचायती रेडियो सेट					स्कूलो के लिये लगाये गये रेडियो सेट	कुल योग
	देहाती	शहरी	औद्योगिक	अन्य	योग		
१. आध्र .	१,०४५	१०६	—	१२	१,१६३	३६४	१,५२७
२. आसाम .	८५	८	—	—	९३	१४	१०७
३. बिहार .	३२२	—	—	—	३२२	२७५	५९७
४. बम्बई .	६३४	१४८	६४	—	८४६	३५०	१,१९६
५. दिल्ली .	१५५	—	—	—	१५५	३०	१८५
६. हैदराबाद .	१४०	४०	३	—	१८३	५०	२३३
७. जम्मू और कश्मीर	२६३	१०३	५	१०	३८१	३	३८४
८. मद्रास .	१,२९९	१६७	—	६७	१,५३३	७६३	२,२९६
९. मैसूर क	३८२	४१	२१	८	४५२	—	४५२ख
१०. मध्य प्रदेश	५८१	२६	—	—	६०७	५	६१२
११. उड़ीसा .	२१४	६३	१७	—	२९४	८८	३८२
१२. पंजाब .	२८३	४२	—	—	३२५	१९३	५१८
१३. उत्तर प्रदेश	१८८	५९	३२	—	२७९	३२१	६००
१४. पश्चिम बंगाल .	२४४	२१५	२१	—	४८०	१७५	६५५
१५. तिरुवांकुर-कोचीन	९०	—	२५	—	११५	८५	२००
	५,९२५	१,०१८	१८८	९७	७,२२८	२,७१६	९,९९४

क ३१ दिसम्बर, १९५३ तक।

ख स्कूलों में लगाये गये रेडियो सेटों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

पच्चीसवाँ अध्याय

सांस्कृतिक गतिविधियाँ

भारत की संस्कृति जितनी समृद्धिशाली है उतनी ही प्राचीन भी। इसने अपनी एकरूपता और अखण्डता को खोये बिना परिवर्तन के बहुत से दौर देखे हैं। जो कलाकार कभी दिल्ली के शाही दरबार की शोभा बढाया करते थे, मुगल शासन के पतन के समय उन्हें स्थानीय शासकों और शाहजादों का सरक्षण ढूढना पडा। विदेशी शासन के प्रतिकूल वातावरण में देश की सास्कृतिक परम्परा का प्रवाह देशी रियासतों में वहाँ के शासकों के तत्त्वावधान में कायम रक्खा गया। अब चूंकि राजा-महाराजा और भूतपूर्व जागीरदार अपने को ही कायम रखने में समर्थ नहीं रहे हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने कला और संस्कृति का सरक्षण सीधा अपने हाथ में ले लिया है। जहाँ यह कलाकारों और पण्डितों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रही है वहाँ जनता में कलात्मक चैतन्य को भी पल्लवित कर रही है। भारतीय चित्रकार, मूर्तिकार और संगीतज्ञ अपने आपको अधिकाधिक जनता के सम्मुख ला रहे हैं।

बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सुझाव पर भारत सरकार ने तीन राष्ट्रीय अकादमियों—भारतीय भाषाओं, साहित्य, दर्शन और इतिहास सम्बन्धी साहित्य अकादमी, कला (चित्र कला मूर्ति कला और उपयोगी कलाओं सहित) और स्थापत्य सम्बन्धी अकादमी—और नृत्य, नाटक संगीत सम्बन्धी अकादमी—के द्वारा कला और संस्कृति की उन्नति के लिये एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रस्ट की स्थापना का निश्चय किया है।

उक्त निर्णय के अनुसार दृश्य कला के प्रतिनिधि, साहित्य महारथी तथा नृत्य, नाटक, और संगीत के प्रतिनिधि भारत सरकार के प्रतिनिधियों से विचार विनिमय करने के लिए पृथक् पृथक् सम्मेलनों में आमन्त्रित किये गये। इन सम्मेलनों ने प्रस्तावों के रूप में कुछ ठोस सिफारिशें की और उसके परिणामस्वरूप सरकार ने १९५३–५४ के वर्ष में तीन अकादमियों की स्थापना की।

संगीत नाटक अकादमी

संगीत नाटक अकादमी (नृत्य, नाटक और संगीत की परिषद्) का निर्माण और उद्घाटन शिक्षा मन्त्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा जनवरी १९५३ में हुआ। अकादमी का मुख्य उद्देश्य भारतीय नृत्य, नाटक (चलचित्र सहित) और संगीत को उन्नत और पल्लवित करना तथा उनके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को आगे बढाना है। इसके साथ ही अकादमी नृत्य नाटक और संगीत के क्षेत्र में प्रादेशिक संस्थाओं की गतिविधियों को एक सूत्र में बाँधेगी, अनुसन्धान के कार्य को बढ़ायेगी, प्रशिक्षण-संस्थाओं की स्थापना करेगी और सांस्कृतिक समारोहों तथा आदान-प्रदान का आयोजन करेगी। अकादमी एक जनरल कौंसिल, कार्यकारी मण्डल, वित्त समिति तथा अन्य स्थायी अथवा तदर्थ समितियों के द्वारा कार्य करती है।

जनरल कौमिल अथवा कार्यकारी मण्डल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इन समितियो की नियुक्ति करले । जनरल कौसिल मे एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के पाँच प्रतिनिधि, नृत्य, नाटक, और सगीत मे सम्बद्ध सस्थाओ के १६ प्रतिनिधि, साहित्य और ललित कला अकादमियो मे से प्रत्येक के दो-दो प्रतिनिधि, हिन्दुस्तानी और कर्नाटक सगीत अकादमियो मे से प्रत्येक के दो-दो प्रतिनिधि तथा नृत्य नाटक सगीत के क्षेत्र मे जनरल कौसिल द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचित आठ प्रमुख कलाकार होते है । अकादमी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमश: मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री पी० बी० राजमन्नार और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय है ।

वर्तमान कार्यक्रम

इस समय सगीत-नाटक-अकादमी का मुख्य कार्य राज्यो मे प्रादेशिक अकादमियो की स्थापना करना है । आसाम, भोपाल, बिहार, हैदराबाद, मध्यभारत, मद्रास, उडीसा, सौराष्ट्र और राजस्थान मे ये पहले ही बनायी गयी हैं और बडी तत्परता से कार्य कर रही है । अकादमी ने एक पुस्तकालय तथा ध्वनि और वाद्य सगीत के दुर्लभ रिकार्डो, वाद्यो और समाचार चित्रो का एक शानदार भडार बना लिया है । इसने लगभग ६५ सस्थाओ को स्वीकृति प्रदान की है और अनेक सस्थाओ की उदार रूप से सहायता की है ।

अकादमी के कार्यक्रम मे नृत्य, नाटक और लोक नृत्य सम्बन्धी पुरस्कारो की व्यवस्था सगीत सम्बन्धी राष्ट्रपति के पुरस्कारो का प्रबन्ध, वर्ष भर मे एक बार राष्ट्रीय नाटक-समारोह का आयोजन, फिल्म-गोष्ठियो का आयोजन, प्रमुख सगीतज्ञो का छायाचित्रण और ध्वन्यालेखन तथा राग और ताल के चित्रो का सग्रह सम्मिलित है ।

राष्ट्रीय नाटक समारोह

राष्ट्रीय नाटक समारोह एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसे अकादमी ने आरम्भ किया और जो दिल्ली नाट्य सघ के तत्त्वावधान मे सगठित किया गया । यह भारत मे अभी हाल मे हुई अपने ढग की पहली चीज थी । २२ नवम्बर १९५४ को नई दिल्ली मे राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया । एक मास से अधिक देर तक चलने वाले इस नाटक समारोह मे २१ नाटक खेले गये, जिनमे सस्कृतसहित १४ भारतीय भाषाओं के नाटक थे और एक ग्रीक नाटक था जो अग्रेजी मे प्रदर्शित किया गया था । यह उन १०२ नाटको मे से चुने गये थे जो १८ विभिन्न स्थानो पर प्रादेशिक नाटक-समारोहो के अवसर पर प्रदर्शित किये जा चुके थे । थियेटर सेन्टर (भारत) ने एक गोष्ठी का आयोजन करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया । प्रसिद्ध कलाकारों और आलोचकों ने इस गोष्ठी मे "नाटक में संगीत और नृत्य का स्थान" और "पद्य नाटक की समस्या" जैसे विषयो पर विचार-विनिमय किया ।

नाटकों को तीन श्रेणियों मे विभक्त किया गया—परम्परागत, लोक-नाटक और आधुनिक । प्रथम श्रेणी में बम्बई मराठी साहित्य संघ द्वारा निर्मित मराठी नाटक "भाउ बन्दकी" प्रथम स्थान पर रखा गया । लोक-नाटकों में शिलाग की आसाम संगीत नाटक अकादमी द्वारा निर्मित आसामी नाटक "शोणित कुमारी" तथा इम्फाल के मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन द्वारा तैयार किया गया मणिपुरी नाटक "यूरांग लेमांग मेफाबाई" सर्वोत्तम पाये

गये । कलकत्ता के "बहुरूपी" द्वारा अभिनीत श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर का "रक्त करबी" आधुनिक नाटको मे प्रथम गिना गया ।

राष्ट्रीय संगीत समारोह

संगीत नाटक अकादमी ने राष्ट्रीय संगीत समारोह का भी आरम्भ किया । डाक्टर बी० वी० केसकर ने इसका उद्घाटन २६ मार्च १९५४ को दिल्ली स्थित लाल किले के दीवाने आम मे किया । इस समारोह का आयोजन एक गैर-सरकारी सस्था भारतीय कला केन्द्र ने किया था । इस समारोह मे ६० प्रमुख कलाकारो के ४३ कार्यक्रम हुए । राज्यो के कुछ सगीतज्ञो द्वारा इसमे लोग-सगीत भी प्रस्तुत किया गया था ।

साहित्य अकादमी

साहित्य अकादमी (नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स) का उद्घाटन १२ मार्च १९५८ को हुआ था । भारतीय साहित्य की उन्नति, साहित्य के उच्च स्तरो की स्थापना, सब भारतीय भाषाओ की साहित्यिक गतिविधियो के पोषण तथा एकसूत्रीकरण द्वारा भारत की सांस्कृतिक एकता को आगे बढाने के लिये यह एक राष्ट्रीय सस्था है ।

संगठन

अकादमी सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार जनरल कौसिल को है । इस कौसिल मे ७२ सदस्य है, जिनमे एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, भारत-सरकार के ५ व्यक्ति, 'क', 'ख' और 'ग' भाग के राज्यो के एक-एक प्रतिनिधि, विधान मे उल्लिखित १४ भाषाओ के प्रतिनिधि, भारत के विश्व-विद्यालयो के १४ प्रतिनिधि, भारत-सरकार द्वारा साहित्यिक क्षेत्र मे से चुने हुए ८ प्रमुख व्यक्ति और सगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी के दो-दो प्रतिनिधि है । जनरल कौसिल के नीति सम्बन्धी निर्देश के अनुसार अकादमी का कार्य और प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार १४ सदस्यो के एक कार्यकारी मण्डल को प्राप्त है । इसके अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् है । प्रारम्भिक सामग्री को सग्रह करने के उद्देश्य से अकादमी ने राज्यो से यह प्रार्थना की थी कि वे अपने-अपने क्षेत्रो से प्रामाणिक साहित्यिक सस्थाओ तथा प्रमुख साहित्यिक जनो और पण्डितो के नाम उसे भेजे ।

वर्तमान कार्यक्रम

अकादमी के वर्तमान कार्यक्रम के पीछे मुख्य विचार यह है कि जनता को क्रमश: इस बात के लिये सचेत किया जाये कि यद्यपि भारतीय साहित्य अनेक भाषाओ मे लिखा गया है, फिर भी उसमे एकता दृष्टिगोचर होती है; इसलिए अकादमी ने सबसे पहले जो काम अपने ऊपर लिये है उनमे से भारतीय साहित्य की एक राष्ट्रीय विवरणिका का प्रकाशन भी है । इस प्रस्तावित विवरणिका मे प्रमुख और साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उन सब पुस्तको की सूची तो होगी ही जो संविधान मे उल्लिखित १४ प्रमुख भारतीय भाषाओ मे २० वी सदी मे प्रकाशित होगी, साथ ही अग्रेजी की पुस्तको की सूची भी होगी जो भारत मे प्रकाशित अथवा भारतीय लेखकों द्वारा प्रणीत होगी । इस विवरणिका में सम्मिलित किये जाने वाले 'साहित्य' की व्याख्या बड़ी उदारतापूर्वक की गयी है, जिसमे सब प्रमुख पुस्तकें उसमे सम्मिलित की जा सकें ।

अकादमी जो अन्य कार्य कर रही है, उनमे जनवरी १९५४ से भारत में प्रकाशित पुस्तकों की विवरणिका, भारतीय साहित्य के प्रणेताओं के संक्षिप्त परिचय, कालिदास के सब ग्रन्थो के सम्पादित संस्करण तथा छोटी कहानियाँ, नाटक तथा कविता सहित सब भारतीय भाषाओ मे लिखे गये श्रेष्ठ साहित्यिक सन्दर्भो के संग्रह का प्रकाशन और आधुनिक-भारतीय साहित्य की उन्नति और इतिहास के सम्बन्ध मे अंग्रेजी और हिन्दी मे मान्यता प्राप्त पुस्तके तैयार कराना भी है ।

प्रत्येक भाषा के लेखको और विद्वानो से यह कहा गया है कि वे अपनी-अपनी भाषा के, प्राचीन अथवा नवीन उन सब सर्वोत्तम ग्रन्थों के नाम लिखकर भेजे, जिन्हे वे अन्य भारतीय भाषाओ मे अनूदित किये जाने के योग्य समझते हो । अकादमी ऐसे द्वैभाषिक लेखको का भी पता लगा रही है जो एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा मे सीधा अनुवाद कर सकते है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद १८ भारतीय भाषाओ मे जो सबसे अधिक सुन्दर पुस्तकें* प्रकाशित हुई है, उनके लिए भारत-सरकार ने ५-५ हजार रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है । इन पुरस्कारो के लिये पुस्तकें चुनने का कार्य साहित्य अकादमी उचित परामर्श दाता-मण्डलो से परामर्श करने के बाद ही करती है ।

ललित कला अकादमी

ललित कला अकादमी (नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट) की स्थापना शिक्षा मन्त्रालय के एक प्रस्ताव पर अक्तूबर १९५३ में की गयी थी और उसका उद्घाटन अगस्त १९५४ में हुआ । इसका प्रमुख कार्य चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य तथा अन्य सम्बद्ध कलाओ के क्षेत्र मे अध्ययन तथा अनुसधान को प्रोत्साहित तथा उन्नत करना है । इसके अतिरिक्त यह प्रादेशिक अथवा राज्य-अकादमियो की गतिविधियो मे एकसूत्रता स्थापित करेगी, कला-संगमों के मध्य सहयोग को बढायेगी, कला के विभिन्न स्कूलों के मध्य विचारो के विनिमय को प्रोत्साहित करेगी, कला के सम्बन्ध मे साहित्य प्रकाशित करेगी तथा कलाकारो और कला वस्तुओ के आदान-प्रदान और प्रदर्शनियो द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्को को पल्लवित करेगी ।

संगठन

अन्य अकादमियो की तरह ललित कला अकादमी भी एक जनरल कौंसिल, कार्यकारी मण्डल, वित्त-समिति तथा अन्य स्थायी समितियो अथवा उन समितियों द्वारा कार्य करती है जिनकी नियुक्ति अकादमी का कार्य सचालन करने के लिये आवश्यक समझी जाती है । जनरल कौंसिल मे निम्न व्यक्ति है—अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, भारत के नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के क्यूरेटर, भारत सरकार के पाँच प्रतिनिधि, 'क', 'ख' और 'ग' भाग के राज्यों के एक-एक प्रतिनिधि, अकादमी द्वारा स्वीकृत कला-संगमों के पन्द्रह प्रतिनिधि तथा जनरल कौंसिल द्वारा भारत के विभिन्न प्रदेशों से व्यक्तिगत रूप में चुने गये नौ प्रमुख कलाकार । कार्यकारी-मंडल में अध्यक्ष, जनरल-कौंसिल के

*पुरस्कार के लिये स्वीकृत पुस्तकों की सूची परिशिष्ट में दी जा रही है ।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जनरल कौंसिल में से लिये गये भारत-सरकार के तीन प्रतिनिधि तथा जनरल कौंसिल द्वारा चुने गये नौ सदस्य होते है। इसके अध्यक्ष मद्रास के गवर्नमेण्ट स्कूल ऑफ़ आर्ट के प्रिंसिपल श्री डी० पी० रायचौधरी है।

प्रकाशन

श्री अवनीन्द्र नाथ ठाकुर, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री नन्द लाल बोस, श्री शारदा उकील श्री जैमिनी राय और अमृता शेरगिल की कलाकृतियों सहित समकालीन चित्रो का एक संग्रह निकाल कर अकादमी ने अपना प्रकाशन कार्य प्रारम्भ कर दिया है। पोस्टकार्ड साइज के १२ रंगीन चित्रों का, जिनमे अधिकाश राजस्थानी पेंटिग है, एक सेट तथा मुगल जमाने के लघु-चित्र भी उसने प्रकाशित किये है।

भविष्य मे जो प्रकाशन यह करने वाली है उनमें कृष्ण-गाथा के आधार पर निर्मित पहाड़ी चित्रों का एक संग्रह, उदयपुर के चित्रों का एक संग्रह और गुजराती चित्रो की एक पुस्तिका होगी। अकादमी की अधिकृत पत्रिका "ललित कला" का प्रथम संस्करण सम्भवतः जुलाई १९५५ तक प्रकाशित हो जायेगा।

एक विशेषज्ञ की देखरेख में बीजापुर जिले के बादामी स्थान पर निर्मित भित्तिचित्रों (फ्रेस्कोज) के अनुलेखन का काम जारी है। अनुलेखन में चित्रो का माप वही रखा गया है जो मूलचित्रों मे है।

लोक-कला और शिल्प निरीक्षण

अकादमी का एक महत्त्वपूर्ण काम अभी तक जीवित लोक-कलाओं और शिल्पो की तथा उनके कलाकारों की कार्य सम्बन्धी परिस्थितियों की एक विस्तृत एवं देशव्यापी जाँच करना है। पश्चिम बगाल मे एतत्सम्बन्धी सर्वेक्षण द्वारा इस कार्य का श्रीगणेश कर दिया गया है। अगला सर्वेक्षण पंजाब में होगा।

स्वीकृति प्रदान

कला के क्षेत्र में जो प्रमुख सभा-संगम बहुमूल्य कार्य कर रहे है उन्हे स्वीकृत करने तथा उनसे सम्बन्ध-स्थापन का विचार भी अकादमी कर रही है। वह राज्यो मे प्रादेशिक अकादमियो की स्थापना का भी प्रयत्न कर रही है।

युवक कलाकारों को सांस्कृतिक छात्रवृत्तियाँ

१९५३ मे भारत-सरकार ने २५० रु० प्रतिमास प्रति छात्रवृत्ति के हिसाब से कुछ छात्रवृत्तियाँ उन युवक कलाकारो के लिये जारी की जिन्होने पहले से ही बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर रखी है और ललितकलाओं—संगीत, नृत्य नाटक और चलचित्र जैसी सास्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष प्रतिभा प्रदर्शित की है। ये छात्रवृत्तियाँ १८ से ३५ वर्ष तक की आयु वाले भारतीय नागरिकों को मिल सकेंगी जिन्होंने पर्याप्त रूप से इन कलाओं में विस्तृत जानकारी प्राप्त की हो और कला के अपने चुने हुए क्षेत्रों में वे विषेश प्रतिभावान् हों। छात्रवृत्ति के योग्य व्यक्तियों के चुनाव का कार्य शिक्षा मंत्रालय एक चुनाव समिति द्वारा करता है। चुने हुए व्यक्ति या तो किसी शिक्षित संस्था में अथवा किसी विशेषज्ञ की देखरेख में कार्य करते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत जारी की गयी छात्रवृत्तियों के लिए २,००० प्रार्थनापत्र आये थे और उनमे से चुने गये ४९ छात्रों ने १९५५ के आरम्भ मे अपना अध्ययन आरम्भ कर दिया।

ज़रूरतमन्द लेखकों को सहायता

विषम आर्थिक परिस्थितियों के शिकार प्रसिद्ध विद्वानों और साहित्यिकों की सहायता के लिये भारत-सरकार ने १९५४-५५ के वर्ष में १$^{1}/_{2}$ लाख रुपये की धनराशि पृथक् नियत कर दी थी। अब तक ५० रु० से २५० रु० मासिक तक की सहायता तथा २५० रु० से १,००० रु० तक की एक मुश्त रकम ८० व्यक्तियो को दी जा चुकी है। १९५५–५६ के वर्ष के लिय उक्त मद मे यह धनराशि २ लाख कर दी गयी है।

अन्य सास्कृतिक गतिविधियाँ

इस वर्ष जो अन्य सास्कृतिक गतिविधियाँ हुई उनमे नेशनल गैलरी ऑफ मौडर्न आर्ट का उद्घाटन, प्रथम पर्वतारोही-सस्था की स्थापना, युवक समारोह का सगठन, गणतन्त्र दिवस पर सास्कृतिक झाँकियो और लोक-नृत्यो का आयोजन, बाल चलचित्र समारोह तथा बच्चों के लिये कुछ अन्य समारोह भी थे।

नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट

२९ मार्च १९५४ को नई दिल्ली स्थित जयपुर हाउस मे डा० राधाकृष्णन् ने जिस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का उद्घाटन किया उसने एक चिर अनुभूत आवश्यकता की पूर्ति कर दी। गैलरी के लिये आधुनिक चित्रो के संग्रह का कार्य पहले-पहल तब आरम्भ हुआ जब १९४८–४९ मे भारत सरकार ने ५० हज़ार रु० मूल्य देकर अमृता शेरगिल के ३० चित्र खरीद लिये। बाद मे अन्य भारतीय कलाकारो के चित्र भी प्राप्त किये गये और इस समय गैलरी मे सर्व श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर, ए० आर० चुगताई और नन्दलाल बसु सहित ३० कलाकारों के चित्र है।

पर्वतारोही संस्था

भारत की प्रथम पर्वतारोही सस्था की आधारशिला ४ नवम्बर १९५४ को श्री जवाहर लाल नेहरू ने दार्जिलिंग-स्थित बर्चहिल पर रखी। यह इस बात का सूचक है कि हिमालय के प्रति जनता की दिलचस्पी बढ रही है जो भारत की उत्तरी सीमा पर १,५०० मील तक फैला हुआ है और भारत की आर्थिक समृद्धि में जिसने बहुत महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है। उक्त पर्वतारोही सस्था की स्थापना तेनसिंह के नगर में करने के निर्णय की घोषणा लगभग एक वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डा० बी० सी० राय ने की थी। यह संस्था २९ मई १९५३ को माउण्ट एवरेस्ट पर की गई विजय का स्मारक है और महान् भारतीय पर्वतारोही श्री तेनसिंह नोरके के चिरपोषित स्वप्न की पूर्ति का परिचायक है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य युवक भारतीय पर्वतारोहियों मे अनुशासन, साथीपन तथा नेतृत्व की भावना को बढ़ाना है।

युवक समारोह

युवक-कल्याण के सम्बन्ध में हुई संयुक्त राष्ट्रीय गोष्ठी की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारत में अपने ढंग के प्रथम अन्तर्विश्व-

विद्यालय युवक समारोह का उद्घाटन नई दिल्ली में १ नवम्बर १९५४ को किया। इस समारोह में २६ विश्वविद्यालयों के ७०० से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य छात्रवर्ग में अनुशासन, एकता और जीवन के प्रति रुचि पैदा करना था।

यह समारोह लगभग एक सप्ताह तक चला। देश के विभिन्न भागों से आये हुए छात्रों को इससे एक दूसरे से मिलने और भारत के विभिन्न भागों की संस्कृति से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। नाटक, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वक्तृत्व कला और खेलों सम्बन्धी प्रतियोगितात्मक प्रदर्शन के जो विभिन्न आयोजन हुए उनके द्वारा यह कार्य हुआ। समारोह में भाग लेने वाले छात्रों ने नई दिल्ली-स्थित ऑल इण्डिया फाइन आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स सोसाइटी के भवन में कला और शिल्प की एक प्रदर्शनी भी की। इसमें चित्रों के अतिरिक्त मिट्टी के चित्राकित बर्तन, कढाई, चमडे का काम और मूर्तिकला के नमूने भी प्रदर्शित किये गये।

गणतन्त्र दिवस समारोह

२६ जनवरी १९५५ को दिल्ली में जो गणतन्त्र दिवस समारोह हुआ, उसमें अनेक सांस्कृतिक आयोजन हुए। सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न टुकडियों द्वारा दी गई सलामी के बाद सांस्कृतिक झाँकियाँ गुजरी। यद्यपि इस जीवन-पूर्ण सांस्कृतिक प्रदर्शन के मुख्य भाग विभिन्न गृह उद्योग थे, किन्तु उसके बाद लोक-नृत्यों की जो झाँकियाँ निकली उनकी मुख्य ध्वनि विभिन्नता में एकता का प्रदर्शन कर रही थी। इस प्रदर्शन में लगभग प्रत्येक राज्य ने भाग लिया था।

२७ जनवरी को २० हजार दर्शकों ने नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में इस वर्ष के लोक-नृत्य समारोह के प्रथम प्रदर्शन को देखा। प्रथम दिन के इस प्रदर्शन में जो मुख्य नृत्य हुए उनमें कश्मीर का "रुफ", आसाम का "नट पूजा", बम्बई का "सिंह-नृत्य", मध्य भारत का "बजारा-नृत्य", उडीसा का "फादुर", मणिपुर का "थाबाल चोंगबा", सौराष्ट्र का "आथागा नृत्य", सिक्किम का "शाम दोह" और "चबरग", तिरुवाकुर कोचीन का "तिरुवथिर कली", बुन्देलखण्ड का "अहीर नृत्य" और हैदराबाद के अफ्रीकी अंगरक्षकों का "सिद्दि नृत्य" थे।

आगामी दिन के प्रदर्शन में ६ नये नृत्य हुए। आसामी नर्तकदल ने बोरो जाति के एक नृत्य का प्रदर्शन किया और विन्ध्य प्रदेश के आदिवासियों ने जंगल के विचित्र जीवन सम्बन्धी एक नृत्य को दिखाया। बिहार के नर्तकदल ने "लुगरी" और "बरेला" नृत्य प्रदर्शित किये।

मध्य प्रदेश को ट्राफी

गणतंत्र दिवस पर होने वाले लोक-नृत्यों में सर्वोत्तम नृत्य प्रदर्शन के लिये संगीत नाटक अकादमी का चल विजयोपहार उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् ने २ फरवरी १९५५ को मध्य प्रदेश के नर्तक दल को दिया। दल के ३४ नर्तकों में से प्रत्येक को एक-एक रजत पदक भी प्रदान किया गया। सौराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बिहार के लोक-नर्तकों को भी कप प्रदान किये गये।

शिशु कल्याण विषयक गतिविधियाँ

बाल चलचित्र समारोह

बच्चो की सास्कृतिक आवश्यकताओ की ओर अब अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली को "कल्चरल फिल्म सोसाइटी" द्वारा आयोजित तृतीय बाल-चलचित्र समारोह का उद्घाटन २९ दिसम्बर १९५४ को नई दिल्ली मे हुआ। इस समारोह मे ६ अन्य देशों के ३१ चलचित्र प्रदर्शित किये गये। भारत के अतिरिक्त जिन देशो ने इसमे भाग लिया उनके नाम है —चैकोस्लोवाकिया, हगरी, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका।

विशुद्ध रूप से बच्चो के लिये चलचित्र तैयार करने मे व्यापारिक उत्तरदायित्वों सम्बन्धी कठिनाइयों को देखते हुए भारत सरकार ने इस कार्य मे लगी हुई कम्पनियो को निम्न सात अनुदान देने की घोषणा की :—

(१) प्रथम वृत्त-चित्र का समस्त व्यय (२) द्वितीय वृत्त-चित्र और दो लघु चित्रो का ७५ प्रतिशत व्यय और (३) तृतीय वृत्त-चित्र और दो अन्य लघु चित्रो का ५० प्रतिशत व्यय।

फिल्म सोसाइटी

सरकार ने बच्चो के लिये चलचित्रो के निर्माण और वितरण की जो योजना बनाई है उसमे जनता, निर्माताओ, शिक्षा-शास्त्रियो और शिशु कल्याण कार्यो मे लगी सभाओ को पूर्ण योग देने और भाग लेने की व्यवस्था का उल्लेख है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने एक रजिस्टर्ड फिल्म सोसाइटी बनाने का निश्चय किया है। अपने लिये वित्त की व्यवस्था यह सरकारी अनुदानो और सदस्यो द्वारा मिलने वाले दान और चन्दे से करेगी। यह सोसाइटी चलचित्रो के निर्माण का कार्य प्राइवेट कम्पनियो को सौपेगी, भारतीय बच्चो के लिए स्वीकार किये जाने योग्य अनुकूल विदेशी चलचित्रो को चुनेगी और उनके वितरण तथा प्रदर्शन की व्यवस्था करेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय शिशुकला प्रदर्शनी

"शंकर्स वीकली" ने नई दिल्ली मे जिस अन्तर्राष्ट्रीय शिशकला प्रदर्शनी का आयोजन किया और २७ नवम्बर १९५४ को डा० राजेन्द्र प्रसाद ने जिसका उद्घाटन किया, उससे बहुत से देशो के बच्चो को अपनी कला-कृतियाँ प्रदर्शित करने का अवसर मिला। ५६ देशों के बच्चो ने लगभग २४ हजार कला-कृतियाँ भेजी। गत वर्ष की अपेक्षा इस प्रदर्शनी मे १३ देशो ने और भाग लिया और ५ हजार अधिक चित्र प्राप्त हुए। प्रदर्शन के लिये २५ सौ चित्र चुने गये थे और उनमे से २०० को पुरस्कार दिया गया।

शिशु डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता

अक्तूबर १९५४ में डाक टिकट शताब्दी समारोह के अवसर पर नई दिल्ली मे जो अन्तर्राष्ट्रीय शिशु डाक टिकिट डिजाइन प्रतियोगिता हुई, उसमे ४२ देशो के बच्चो ने भाग लिया। लगभग ४ हजार नमूने भेजे गये थे और इनमे से ३५ पर पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार मे एक सुवर्ण-पदक और एक सोने का घडियाल भी था जो स्विस डाक और तार विभाग के डायरेक्टर जनरल द्वारा भेंट किया गया था। इनमें सर्वोत्तम डाक टिकट दिल्ली के देवेश्वर दयाल का था जिसकी आयु १० से १३ वर्ष के बीच की थी।

बाल दिवस

प्रधान मन्त्री श्री नेहरू का जन्म दिन १४ नवम्बर समस्त भारत मे "बाल दिवस" के रूप में मनाया गया। उस दिन नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम मे ५० हजार से अधिक छात्र-छात्राए एकत्र हो गई और उनमे से भी लगभग ६ हजार ने उस झाँकी मे भाग लिया जो कि दिल्ली राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई थी। इसके साथ ही इण्डिया-गेट के पास ही "चिल्ड्रन्स पार्क" मे नई दिल्ली म्युनिसिपेलिटी ने बच्चो का एक समारोह आयोजित किया। पार्क मे स्थापित भूमण्डल के एक लघु प्रतिरूप के चारो ओर अनेक दूतावासों के बच्चो ने मिलकर नाच किया। इनमे पाकिस्तान हाई कमीशन के भी २० बच्चे थे। सारे भारत मे इसी प्रकार के समारोह हुए।

भारत और यूनेस्को

बुनियादी और प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र मे शैक्षिक और सास्कृतिक परीक्षणों के कार्यक्रम को और सयुक्त राष्ट्र और उसकी विशिष्ट एजेसियो के लक्ष्यो और कार्यो को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा यूनेस्को "गिफ्ट कूपन" योजना मे, भारत के शिक्षा मत्रालय और यूनेस्को सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को के साथ सहयोग किया। "गिफ्ट कूपन" योजना के अन्तर्गत पुस्तको के लिए २,२८,०१३ तथा वैज्ञानिक सामग्री के लिए २७,९९९ डालर के मूल्य के कूपन देश की शैक्षिक और वैज्ञानिक सस्थाओ को वितरित किये जा चुके है। इस योजना का यह परिणाम हुआ है कि कूपन प्राप्त करने वाली संस्थाएं डालर व्यय किये बिना ही दुर्लभ-मुद्रा क्षेत्रो से वैज्ञानिक और टैक्निकल विषयो सम्बन्धी पुस्तकें, सामान तथा फिल्में प्राप्त कर सकेगी।

यूनेस्को फैलोशिप

यूनेस्को फैलोशिप योजनाओ के अन्तर्गत मिस्र, इन्डोनीशिया, ईराक, पेरू और सोवियत रूस से आने वाले छात्रो के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों और अन्य विद्वत्-संस्थानो में अध्ययन और अनुसधान के लिये आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गयी है। यूनेस्को के व्यक्तियों के आदान-प्रदान विषयक कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीयो को भी फैलोशिप मिली है।

अनुवाद और कला माला

यूरोप की भाषाओं में भारतीय साहित्य का अनुवाद एक महत्त्वपूर्ण कार्य था। इसे भारत सरकार और यूनेस्को ने १९५३ में अपने ऊपर लिया। सरकार ने इसके लिये आवश्यक धन-राशि की भी व्यवस्था कर दी है और इस दिशा में प्रारम्भिक कार्य पूरे किये जा चुके हैं। यूनेस्को सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में अनुवाद के लिये भारतीय साहित्य-ग्रन्थों की एक सूची पहले ही दे दी है। दो साहित्यिक ग्रन्थों के अनुवाद का कार्य पहले से ही हो रहा है।

विश्व कला माला के प्रथम पुष्प के रूप में अजन्ता-चित्रो का एक संग्रह प्रकाशित करने के कार्य में भी भारत सरकार ने यूनेस्को को सहायता प्रदान की है।

सांस्कृतिक आदान प्रदान

सास्कृतिक आदान-प्रदानो के अधिकाश कार्यक्रमो का सूत्रारम्भ सास्कृतिक सम्बन्धो विषयक भारतीय कौसिल (इण्डियन कौसिल ऑफ कल्चरल रिलेशस) ने किया है। १९५० मे उसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य भारत और अन्य देशो के बीच सास्कृतिक सम्बन्धों को पुनरुज्जीवित और दृढ करना है।

१९५४–५५ मे भारतीय कलाकारो, विश्वविद्यालय के छात्रो और अध्यापको के शिष्ट-मण्डलों ने रूस की यात्रा की। एक अन्य शिष्ट मण्डल ने बौद्ध धर्मावलम्बियो की विश्व परिषद् (वर्ल्ड फैलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट) मे भाग लिया। कौसिल ने विदेशी छात्रो के लिये कोडइकनाल मे शिक्षा और मनोरजनविषयक एक ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में १६ अन्य देशो के उन छात्रो ने भाग लिया जो इस समय भारत मे अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय पत्रकारिता के अध्ययन के लिये कौसिल ने केन्द्रीय अफ्रीका के एक प्रसिद्ध पत्रकार श्री ई० एम० म्टेपुका को आमन्त्रित किया। पश्चिम बगाल की विधान परिषद् के सभापति डा० सुनीति कुमार चटर्जी को पश्चिमी अफ्रीका की सास्कृतिक यात्रा पर भेजा गया तथा दो अन्य शिक्षको को स्थानीय भारतीय जनता को हिन्दी सिखाने के लिए ट्रिनीडाड और ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज भेजा गया।

विदेशों से शिष्ट मण्डल

१९५४–५५ मे जो विदेशी शिष्ट मण्डल भारत आये, उनमे से अफगानिस्तान, सोवियत रूस और जनतत्री चीन के शिष्ट मण्डलो ने देश का व्यापक दौरा किया और भारत तथा अपने-अपने देशों के बीच सास्कृतिक सम्बन्धो को दृढ किया।

विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां

पड़ौसी देशो मे जो छात्र भारत आते हैं, उन्हे भारत सरकार शिक्षा सम्बन्धी सुविधाए देती है। १९४९–५० मे भारतीय मूल के प्रवासी छात्रों तथा एशियाई, अफ्रीकी तथा अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशो के छात्रो को प्रति वर्ष ७० छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना शुरू की गयी थी। इस योजना का लाभ उठाने वाले देशो की सख्या जहाँ अगस्त १९५४ मे ३४ तक पहुँच गयी वहाँ छात्रवृत्तियो की सख्या १०० हो गयी। प्रत्येक छात्रवृत्ति का काल पाठ्यक्रम के समय पर आश्रित है।

विदेशी भाषाओं मे विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति

भारत तथा अन्य देशो के बीच सास्कृतिक सम्बन्धो को उन्नत करने के उद्देश्य से सरकार ने अभी हाल में एक योजना जारी की है। इसके अन्तर्गत एशिया और यूरोप की कुछ प्रमुख भाषाओं में विशेषता प्राप्त करने के लिये भारतीयो को प्रतिवर्ष ३० छात्रवृत्तियाँ दी जायेंगी। उन विश्वविद्यालयों और अन्य सस्थाओं के भारतीय अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा जहाँ विदेशी भाषाएं पढाई जाती है। जिन भाषाओं के लिये छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायेंगी वे ये हैं :–अरबी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानी, इरानी, रूमी, स्पेनिश और तुर्की।

राज्यों में सांस्कृतिक गतिविधियाँ

उपरिलिखित सन्दर्भों में हमने उन सास्कृतिक गतिविधियो का वर्णन किया है जिनका सूत्रारम्भ केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी

जो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गयी है। यह मंत्रालय चलचित्रों और प्रसारण द्वारा संस्कृति का प्रसार करता है। देश में ऐसी बहुत सी सांस्कृतिक और शिक्षण संस्थाएं तथा राज्यों में शिक्षा तथा समाज कल्याण के ऐसे विभाग भी हैं जो सांस्कृतिक विकास के कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।

सहायक ग्रन्थ सूची

भारतीय संस्कृति और सभ्यता

(१) गैरेट, जी० टी० तथा अन्य . दी लीगेसी आफ इण्डिया, आक्सफोर्ड १९३७
(२) कबीर, हुमायूँ . . "ओवर हैरीटेज" बम्बई १९४६
(३) मजुमदार, आर० सी० तथा अन्य . हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ दी इण्डियन पीपल, ३ जिल्द, बम्बई (७ जिल्दें और प्रकाशित होगी)
(४) मार्शल, जे० तथा अन्य . मोहेंजोदड़ो एण्ड दी इन्डस सिविलिजेशन, ३ जिल्द लंदन, १९३७
(५) मुकर्जी, राधाकुमुद . . हिन्दू सिविलिजेशन, बम्बई १९५०
(६) मुकर्जी, डी० पी० . . मॉडर्न इण्डियन कल्चर, बम्बई १९४७
(७) रामकृष्ण मिशन . . दी कल्चरल हैरीटेज आफ इण्डिया, (३ जिल्द) कलकत्ता
(८) रॉलिन्सन, एच० जी० . इण्डिया : ए शार्ट कल्चरल हिस्ट्री, लन्दन, १९३७
(९) रेनो, लुई . . . दी सिविलिजेशन आफ एन्शेंट इण्डिया, कलकत्ता, १९५४
(१०) सरकार, जे० एन० . . इण्डिया थ्रू दी एजेज, कलकत्ता, १९५१
(११) सेन, गर्ट्रयुड इमर्सन . . कल्चरल यूनिटी आफ इण्डिया, दिल्ली १९५४
(१२) तारा चंद, . . . इन्फल्युएन्स आफ इस्लाम आन इण्डियन कल्चर
(१३) व्हीलर, आर० ई० एम० . दी इन्डस सिविलिजेशन, केम्ब्रिज १९५०

कला और स्थापत्य

(१) बाशम, ए० एल० . . दी वण्डर देट वाज इण्डिया, लन्दन, १९५४
(२) जमीला, बृजभूषण . . इण्डियन ज्वेलरी, आर्नमैण्ट्स एण्ड डेकोरेटिव् डिजाइन्स
(३) ब्राउन, पर्सी . . . इण्डियन आर्कीटेक्चर, बुद्धिस्ट एण्ड हिन्दू (२ जिल्द), बम्बई १९४९
(४) कुमारस्वामी, ए० . . हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनीशियन आर्ट, लन्दन, १९२६
(५) फर्गुसन, जे० . . . हिस्ट्री आफ़ इण्डियन एण्ड ईस्टर्न आर्कीटेक्चर, लन्दन, १९१०
(६) हॉवैल, ई० बी० . . इण्डियन पेंटिंग एण्ड स्कल्पचर
(७) कार, सी० . . . क्लासिकल इण्डियन स्कल्पचर, लन्दन १९५०

(८) मेहता, एन० सी० . . स्टडीज इन इण्डियन पेंटिंग्स, बम्बई, १९२६
(९) रॉलैंड, बी० . . दी आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर ऑफ इण्डिया, लन्दन, १९५३

साहित्य

(१) चन्द्रशेखरन्, , के० एण्ड सुब्रह्मण्य, वी० एच० . . . संस्कृत लिटरेचर, बम्बई, १९५
(२) केई, एफ० ई० . . हिन्दी लिटरेचर
(३) कीथ, ए० बी० . . ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ऑक्सफोर्ड, १९४८
(४) कुमारप्पा, भारतन् . . दी इण्डियन लिटरेचर्स ऑफ टु डे, बम्बई, १९४७
(५) थामस, पी . . . एपिक्स, मिथ्स एण्ड लीजेण्ड्स ऑफ इण्डिया

नृत्य, नाटक और संगीत

(१) वॉवर्स, फोबियन . . दी डांस इन इण्डिया
(२) कुमारस्वामी, ए . . दी डांस ऑफ शिव, बम्बई, १९५१
(३) एम्ब्रोसे, के . . क्लासिकल डांसेज़ एण्ड कास्ट्यूम्स ऑफ़ इण्डिया
(४) बनर्जी, प्रजेश . . दी फौक डांस ऑफ इण्डिया
(५) आनन्द, मुल्कराज . दी इण्डियन थियेटर
(६) महादेवस्वामी, एम० सी० . दी ड्रामेटिक स्टेज
(७) बनर्जी, बी० एन० . . बंगाली स्टेज
(८) डेनिएलू, एलन . . नार्दर्न इण्डियन म्यूज़िक
(९) रंग चौधरी, बी० के० . हिन्दुस्तानी म्यूजिक
(१०) गांगुली, ओ० सी० . . रागाज एण्ड रागिनीज
(११) साम्बमूर्ति, पी० . . साउथ इण्डियन म्यूजिक (३ जिल्द)
(१२) पोप्ले . . . टी म्यूजिक ऑफ इण्डिया
(१३) रतनजंकर, एस० एन० . फौक सौंग्स एण्ड म्यूजिक
(१४) गोपाल, राम एण्ड छनजी, दादा . इण्डियन डांसिंग, बम्बई, १९५१

छब्बीसवाँ अध्याय

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों का सम्बन्ध मुख्यतः राज्य सरकारों से है। फिर भी स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत सी बातों में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सामञ्जस्य स्थापित करने का अधिकार है। संघ सूची में परिगणित विषय तथा समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से सम्बद्ध अधिकारों की प्रशासनिक शक्ति केवल मात्र केन्द्रीय सरकार के पास है। केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर महत्त्वपूर्ण सूचनाएं राज्य सरकारों को भेजता रहता है। और इसी प्रयोजन से यह मंत्रालय विदेशों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, राकफेलर फाउन्डेशन और रैड क्रास जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से निकट सम्पर्क रखता है। साथ ही बन्दरगाहों में क्वारेन्टीन का प्रशासनिक नियंत्रण करता है, आयात की गई औषधियों का मानदण्ड निश्चित करता है, स्वास्थ्य संस्थाओं की देख रेख और नियंत्रण करता और इण्डियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसी संस्थाओं द्वारा शोध कार्यों को प्रोत्साहन देता है। केन्द्रीय सरकार चिकित्सा शास्त्र, औषध-निर्माण दंतचिकित्सा तथा परिचर्या कार्य की उन्नति तथा विकास के लिये राज्य सरकारों को सहायता देती है। यह मंत्रालय राज्य सरकारों को आँकड़ों सम्बन्धी सूचनाएं भी देता रहता है। इन कार्यों के अतिरिक्त इसे निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का संचालन करना पड़ता है जिससे (क) केन्द्रीय प्रशासन का स्तर ऊँचा रहे, (ख) राज्य सरकारों के साथ सहयोग स्थापित कर के उनके प्रशासनिक स्तर को एक समान स्तर पर लाया जा सके और (ग) केन्द्र तथा राज्यों को शिक्षा, शोध तथा चिकित्सा संस्थाओं के लिये उच्च शिक्षित कर्मचारी वर्ग की सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में मुख्य मंत्रालय और डायरेक्टर जनरल ऑफ हैल्थ सर्विसेज का कार्यालय सम्मिलित है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हैल्थ सर्विसेज का कार्यालय उक्त मंत्रालय के अधीन एक संलग्न (अटैच्ड) कार्यालय है जो स्वास्थ्य योजनाओं तथा अन्य ऐसी योजनाओं को अपने अधीन विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्य रूप में परिणत करता है।

अनेक स्वास्थ्य संस्थाएं देश के महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहों तथा हवाई अड्डों पर काम कर रही हैं। इनका मुख्य कार्य सांसर्गिक रोगों की रोक थाम करना है। बाहर से आने वाली औषधियों की जाँच के लिये एक औषधि-नियंत्रक (ड्रग कन्ट्रोलर) तथा चार औषधि उपनियंत्रक नियुक्त किये गये हैं जो यह देखते हैं कि आयात की गई औषधियाँ नियत मानदण्ड के अनुसार हैं या नहीं। इण्डियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाओं पर शोध कार्य के लिये या तो स्वयं अथवा अन्य गवेषणा संस्थाओं के द्वारा योजनाएं बनाती हैं और उन्हें कार्यरूप में परिणत करती है। देश में मलेरिया के रोकथाम और ऐसे ही अन्य कार्यों को मलेरिया इंस्टीच्यूट ऑफ इण्डिया करती है। कुछ अन्य संस्थाएं सेरा और वैक्सीन बनाने में संलग्न हैं। डायरेक्टर ऑफ हैल्थ सर्विसेज के अधीन दो सलाहकार भी कार्य कर रहे हैं जो क्रमशः क्षय रोग तथा प्रसव और शिशु कल्याण के विषयों पर सरकार को सलाह देते हैं।

पंचवर्षीय योजना

पचवर्षीय योजना मे चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओ के विकास के लिये ९९ करोड ५५ लाख रुपये रखे गये है। इस रकम मे से १७ करोड ८७ लाख रुपये केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय चिकित्सा सस्था तथा राष्ट्रीय मलेरिया नियत्रण कार्य-कर्मो पर खर्च करना चाहती है। ऊपर बतायी गई राशि को इस योजना-काल मे किस प्रकार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा खर्च किया जायेगा इसका विवरण इस प्रकार है

तालिका ११९

(करोड रुपयो मे)

	चिकित्सा	सार्वजनिक स्वास्थ्य	योग
केन्द्रीय सरकार . .	५ ६५	१२ २२	१७.८७
'क' भाग के राज्य . .	३३ ९४	२९ ५६	६३ ५०
'ख' भाग के राज्य . .	५.८०	६ ५७	१२.३८
जम्मू और कश्मीर .	० ४६	० ८२	१.२८
'ग' भाग के राज्य . .	२.२२	२ २८	४ ५०

चिकित्सा

जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे मिल कर पचवर्षीय योजना काल मे चिकित्सा के लिये ८७ करोड ६२ लाख रुपया खर्च करेगी। इस योजना मे चिकित्सा पर खर्च करने के लिये जो रकम रखी गई है, उसका ५० प्रतिशत भाग अस्पतालो तथा दवाखानो पर व्यय किया जायेगा। उक्त व्यय मे अस्पतालों तथा दवाखानो और रोगीशय्याओ की सख्या मे जिस वृद्धि का अनुमान किया गया है, उसका ब्यौरा नीचे की तालिका मे दिया गया है :

तालिका १२०

	१९५०–५१	१९५१–५२ (सम्पन्न)	१९५२–५३ (सम्पन्न)	१९५३–५४ (अनुमानित)	१९५१–५६
अस्पताल .	१,९१५	१५८	१५५	१६५	२५८
रोगीशय्या .	१,१६,७३१	७,३४३	६,६०९	४,६८४	१६,३२४
औषधालय .	६,५८९	२३१	३९५	२०२	१,५७४
रोगीशय्या .	७,०७२	१,५८७	२.८९९	३९३	९.६२०
स्वास्थ्य एकक	४३३	१०१	५५	५०	३१४

देशी चिकित्सा पद्धतियां

भारत मे देशी चिकित्सा पद्धतियो (आयुर्वेदिक तथा यूनानी) और होमियोपैथी के प्रश्न को लकर कुछ समय तक सार्वजनिक रूप मे पर्याप्त वाद-विवाद होता रहा है। विभिन्न रोगो मे इन चिकित्सा पद्धतियो की दवाओ की सफलता और देश के आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होमियोपैथी के हजारो डाक्टरों की सेवाएं प्राप्त करना भी सरकार के लिये काफी जाँच पडताल का विषय बना रहा। अनेक सस्थाओ ने भी इस पर तथा ऐसी ही अन्य सम्बद्ध समस्याओ पर विचार किया है।

भारत सरकार ने केवल आधुनिक चिकित्सा पद्धति को ही मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया है क्योंकि वह चिकित्सा पद्धति विश्व-व्यापी है और वैज्ञानिक विकास के दृष्टिकोण से यह चिकित्सा पद्धति सब से अधिक विकसित है। यह निर्णय इसलिए किया गया है जिस से एक साथ अनेक चिकित्सा पद्धतियो को स्वीकृति प्रदान करने से किसी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न होने पाये। फिर भी, यह सरकार की स्पष्ट नीति है कि चिकित्सा की देशी पद्धतियो तथा होमियोपैथी को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जाये और इन पद्धतियो के अनुमोदित योग को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली मे सम्मिलित कर लिया जाये।

देश भर में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियो की शिक्षा प्रदान करने के लिये ४०* से अधिक स्कूल तथा कालेज है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने फरवरी १९५४ मे एक ५ साल का डिग्री कोर्स आरम्भ करने की तथा इस डिग्री कोर्स में उन विद्यार्थियों को प्रविष्ट करने की सिफारिश की जिन्होने विज्ञान मे इण्टरमिडियेट पास कर लिया हो तथा जिन्हे पाठ्यक्रम के लिये सस्कृत का और यूनानी चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिये फारसी या अरबी का व्यावहारिक ज्ञान हो। परिषद् ने यह भी सुझाव दिया कि इस पाठ्यक्रम में शारीर, (एनाटमी), पोषकी (फिजीआलौजी) तथा शल्यचिकित्सा को भी सम्मिलित कर लिया जाये। जामनगर मे आयुर्वेद के उच्च शिक्षण के लिये शीघ्र ही एक केन्द्र खोला जायेगा। यह संस्था केन्द्रीय सरकार के तत्त्वाधान मे चलाई जायेगी और इसके संचालन में सौराष्ट्र सरकार और गुलाब कुँवरबा आयुर्वेदिक सस्था भी सहयोग देंगी।

इस बात से सभी परिचित है कि जब इन चिकित्सा पद्धतियो का पतन हो रहा था तब अनेक त्रुटिपूर्ण एवं संदिग्ध वस्तुएं इन मे प्रवेश पा गई। इन्हे पहले जैसा जीवनप्रदायी था तथा प्रभावोत्पादक बनाने के लिये अनेक सुधारों की आवश्यकता है। स्वभावतः इस प्रयोजन से सावधानी से बनाई गई शोध-योजनाए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। कुछ समय पहल केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्रालय ने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया था कि इन चिकित्सा पद्धतियों मे शोध कार्य को प्रगति देने के लिए वे अपनी योजनाए केन्द्रीय सरकार के पास भेजे। कई ऐसी योजनाएं केन्द्रीय सरकार को प्राप्त भी हो गई है। यह विचार किया गया है कि एक समिति की स्थापना की जाय जो इन योजनाओं का अध्ययन करे तथा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये।

देशी पद्धतियों के सबध में नीचे दी गई संस्थाओं में शोध कार्य किया जाता है—स्कूल ऑफ ट्रौपिकल मेडिसन कलकत्ता, केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टिट्यूट लखनऊ और ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू (कश्मीर)। ठाकुर दत्त शर्मा धर्मार्थ ट्रस्ट की देख रेख में ३१, जुलाई १९५३ से देहरादून मे

*इण्डियन मेडिकल डायरेक्टरी एण्ड हूज हू (१९५ संस्करण)

एक आयुर्वेदिक शोध सस्था भी कार्य कर रही है। बम्बई मे वैज्ञानिक पद्धति से आयुर्वेदिक औषधि-प्रणाली मे शोध करने के लिये एक मण्डल बनाया गया है। झाँसी आयुर्वेदिक कालेज, झाँसी के तत्त्वाधान मे एक और शोध सस्था खोलने की योजना विचाराधीन है।

पडित समिति के सुझावो के आधार पर एक 'सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन दि इनडीजीनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसन्स' की स्थापना की गई थी। यह सस्था २८ अगस्त १९५३ से जामनगर में गुलाब-कुँवरबा आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट के साथ मिल कर काम कर रही है। अपंजीकृत (अनरजिस्टर्ड) डाक्टरो को इन चिकित्सा पद्धतियो को व्यवहार मे लाने से रोकने के लिये भारत सरकार ने एक विधान का प्रारूप तैयार किया है। इस विधान मे पंजीकृत होने वाले वैद्यों और हकीमों की निबद्ध करने की शैक्षणिक योजना का उल्लेख कर दिया गया है। फिर भी, पुराने, सिद्धहस्त एवं अनुभवी लोगो को उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न होने पर भी इस विधान के अनुसार पजीकृत कर लिया जायेगा। अगस्त १९५४ मे इस प्रस्तावित विधान पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने विचार किया और इसमें कुछ सशोधन करने के बाद राज्य सरकारों की सम्मति जानने के लिये उनको भेजने का निर्णय किया है।

होमियोपैथी

होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति के सस्ते और विषरहित होने के कारण इस देश मे बहुत से लोग इसके समर्थक है। १९४८ मे सरकार ने एक होमियोपैथी जाँच समिति बिठाई थी। १९५० मे होने वाले स्वास्थ्य मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया। योजना आयोग ने भी इस विषय पर विचार किया और इस सम्बन्ध में कुछ अपने सुझाव भी प्रस्तुत किये। १९५२ मे योजना आयोग के सुझावों को क्रियात्मक रूप देने की सम्भावनाओ पर विचार करने के लिये एक तदर्थ समिति बनाई गई। इस समिति ने यह परामर्श दिया कि होमियोपैथी मे प्रशिक्षण और शोध कार्य को व्यवस्थित किया जाये, औषधियो के निर्माण में स्तर निर्धारण किया जाये और होमियोपैथी व्यवसाय को अधिक व्यवस्थित बनाया जाये। इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि होमियोपैथिक डाक्टरों को राज्य चिकित्सा सेवाओं में नियुक्त किया जाये और एक केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद् स्थापित की जाये।

केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने सुझाव दिया है कि एक ४½ वर्ष का डिग्री कोर्स प्रारम्भ किया जाये जिस म कोर्स की समाप्ति के बाद ६ माम के व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हो। इस परिषद् ने यह भी सुझाव दिया है कि होमियोपैथी की वर्तमान शिक्षण संस्थाओं के स्तर को और ऊँचा उठाया जाये और जहाँ आवश्यक समझा जाये वहाँ नई सस्थाएं भी खोली जायें।

इस देश में होमियोपैथी के ८ कालेज* थे। अब होमियोपैथी में शोध-कार्य के विकास के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा

जुलाई १९५४ से अंशदायी स्वास्थ्य सेवा (कन्ट्रीब्यूटरी हैल्थ सर्विस) नामक एक योजना आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार वालों को सरकारी औषधालयों मे, सरकारी अस्पतालों में तथा उनके घरों पर निशुल्क जाँच और चिकित्सा की व्यवस्

*होमियोपैथी जाँच समिति की रिपोर्ट, १९४९ (पृष्ठ ३०–३२)

की गई है। सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के अनुसार ८ आने से लेकर १२ रुपये तक मासिक चन्दा एक केन्द्रीय कोष में देना पड़ता है। इस समय यह योजना केवल दिल्ली मे परीक्षण के रूप में चलाई गई है क्योंकि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो की संख्या सबसे अधिक है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इस योजना को अन्य स्थानों में भी लागू किया जायेगा।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के मंत्री, उपमंत्री और अन्य असैनिक कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के कर्मचारी जिनमें चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, एक ही प्रकार की चिकित्सा पाते हैं।

जिन डाक्टरों को इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है वे स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा नही कर सकते। और उन्हे ऐसा न करने के लिये सरकारी भत्ता दिया जाता है। ऐसी आशा की जाती है कि वे डाक्टर सर्वसामान्य की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओ से परिचित रहने के लिये अवकाश काल मे अपने इलाको का भ्रमण करेगे।

पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये स्वास्थ्य योजनाएँ

भारत की लगभग ८३ प्रतिशत जनता गाँवो मे रहती है जहाँ स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था बहुत ही अपर्याप्त और असन्तोषजनक है। स्वतन्त्रता के बाद इस प्रकार की समस्याओ पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामूहिक विकास योजनाएँ जिन पर पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत काम हो रहा है, इस दिशा मे महत्त्वपूर्ण कदम है। फिर भी इस समस्या की गरिमा को ध्यान मे रखते हुए गाँवो में स्वास्थ्य योजनाओ पर किये जाने वाले खर्च की रकम बहुत अपर्याप्त है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ चुने हुए राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डो मे ५० लाख रुपये की लागत पर ८५ ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की एक योजना बनाई है। उक्त कार्य के लिये १९५३–५४ के आर्थिक वर्ष के बजट में ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बाकी ४५ लाख रुपया १९५५-५६ मे इस कार्य पर खर्च किया जायेगा। एक अन्य योजना के अनुसार 'ख' और 'ग' भाग वाले राज्यो के ग्रामीण भागो में विशेषरूप से प्रसव और शिशु स्वास्थ्य संस्थाएँ चलाई जायेगी। इस योजना पर उपर्युक्त रकम के अलावा ५० लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। १९५४–५५ के आर्थिक वर्ष के बजट मे इस कार्य के लिये ७ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा नामक 'ग' भाग के राज्यो मे चलते-फिरते स्वास्थ्य एकक बनाने की योजना तैयार की गई है। इस काम के लिये १९५४–५५ के बजट मे ५ लाख रुपये की व्यवस्था है। नेफा (Nefa), कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि जैसी सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओ द्वारा अनेको चलते-फिरते एकक चलाये जा रहे हैं।

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा

१९५१ की जनगणना मे चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं मे काम करने वाले लोगों की संख्या जानने के लिये विशेष गणना की गई थी। इस सर्वेक्षण का परिणाम अगली तालिका मे देखा जा सकता है।

तालिका १२१

वर्ग	संख्या
पंजीकृत चिकित्साजीवी	९१,९३०
वैद्य हकीम और अन्य व्यक्ति जो चिकित्साजीवी है परन्तु पंजीकृत नही है	९६,१४७
कंपाउन्डर	३८,४०७
धात्रियाँ (नर्से)	३१,५१७
दाइयाँ	२३,९३८
टीका लगाने वाले	५,९२८
दत चिकित्सक	३,२८३
अन्य सभी व्यक्ति जो अस्पतालो मे या ऐसी सस्थाओ मे कार्य करते है जो चिकित्सा या अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है (मेहतरो तथा अन्य सफाई कर्मचारियो सहित)	७२,९७०
योग	३,६४,१२०

हमारे यहाँ डाक्टरो तथा चिकित्सा कार्यो मे लगे हुए अन्य लोगो की सख्या इतनी कम है कि हमारे देश की साधारण आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो सकती। १९४३–४४ मे डाक्टरो की सख्या ४७,५०० बताई गई थी। इस सख्या को ध्यान मे रखते हुए स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्वेक्षण तथा विकास समिति का यह विचार था कि भारत को १९७१ तक १,८५,००० डाक्टरो की आवश्यकता होगी। भारत सरकार ने वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओ का विस्तार करने मे कोई बात उठा नही रखी है।

इस समय देश मे ३३ चिकित्सा कालेज तथा २ चिकित्सा स्कूल, ६ दत चिकित्सा कालेज और ५ अन्य सस्थाएँ है जो ऐलोपैथी मे शिक्षा देती है। योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ऐसी परिस्थिति हो जाये कि देश के चिकित्सा कालेजो में ४,००० शिक्षार्थियो को भरती करने की व्यवस्था की जा सके।

प्रस्तुत तालिका मे १९५१ मे विभिन्न मेडिकल सस्थाओ मे विद्यार्थियो की भरती के आँकडे दिये गये है ·

तालिका १२२

सस्थाएँ	विद्यार्थियों की संख्या		
	पुरुष	स्त्री	योग
चिकित्सा कालेज (३०)	२,०५६	५१४(क)	२,५७०(क)
चिकित्सा विद्यालय (२)	१३७	२४	१६१
दंत कालेज (४)	७७	८	८५

(क) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में प्रवेश पाने वाली छात्राओं की सख्या १९५० में ४० थी।

११ मेडिकल स्कूलों को उन्नत करके कालेज बना दिया गया है और निम्नलिखित चिकित्सा विभागों के स्तर को ऊँचा कर दिया गया है (१) मेडिकल कालेज, पटना का पोषिकी विभाग (२) टाटा स्मारक अस्पताल, बम्बई का नासूर शोध केन्द्र (३) अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान-एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था कलकत्ता का औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान विभाग (४) गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, मद्रास का यौन रोग विभाग (५) मेडिकल कालेज, मद्रास का शारीर विभाग (६) मद्रास के गवर्नमेंट अस्पताल और विमेन ऐंड चिल्ड्रेन का धात्री और स्त्री-रोग विभाग (७) दिल्ली विश्वविद्यालय का क्षय रोग विभाग।

१९५३–५४ में वैल्लोर के क्रिस्चियन मेडिकल कालेज के ओरस (थोरासिक) शल्य विभाग; के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई; मानसिक अस्पताल, बगलोर तथा महिलाओं के क्रेस्चियन कालेज, लुधियाना के न्यूरोसर्जरी यूनिटों को भी ऐसे अनुदान मिले। इस मद के लिये १९५४–५५ के बजट में ६,६०,००० रुपये की व्यवस्था की गई।

अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था

अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था खोलने के लिये सभी प्रारम्भिक कार्यवाइयाँ पूरी की जा चुकी हैं। इस उद्देश्य से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल को मार्च १९५४ में केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इस काम के लिये भूमि के सुधार तथा कर्मचारियों के रहने के लिये मकानों के निर्माण का काम चल रहा है। इस संस्था के अन्तर्गत एक मेडिकल कालेज, एक दंत कालेज, एक नर्सिंग कालेज, एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र तथा एक ६५० रोगीशय्याओं का अस्पताल होगा। इस संस्था में शहर और गाँव की अन्य संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जायेगा जो व्यावहारिक कार्य के लिये केन्द्रों का काम करेंगे। इस संस्था पर ४,०१,५३,००० रु० खर्च होने का अनुमान है। इस रकम में से १ करोड़ ६४ लाख २५ हजार रुपया योजना कालेज में खर्च करने का विचार है। इस योजना के लिये १९५३–५४ के बजट में ३५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। १९५४–५५ के बजट में भी ८८ लाख ६७ हजार रुपयों की व्यवस्था की गई है।

विशेष प्रशिक्षण

भारत के प्राय सभी अस्पतालों में परिचर्या विज्ञान की शिक्षा देने की व्यवस्था है। नर्सिंग कालेज दिल्ली तथा वेल्लोर में ऐसे कोर्सों की व्यवस्था है जिनका स्तर बी० एस-सी० शिक्षा के स्तर के बराबर है। भारतीय परिचर्या परिषद् ने सहायक परिचारिकाओं के लिये सरल और संक्षिप्त पाठ्यक्रम स्वीकृत किया है। नई दिल्ली के नर्सिंग कालेज में सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास, पूना, बम्बई, नागपुर तथा हैदराबाद आदि स्थानों में भी स्वास्थ्य निरीक्षकों (हैल्थ विजीटर) के लिये प्रशिक्षण केन्द्र हैं। योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि धात्री-प्रशिक्षण की सुलभ सुविधाओं में विस्तार किया जाये। कुछ राज्यों में देसी दाइयों को भी प्रशिक्षित किया गया है। अखिल भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता के मातृ कल्याण तथा शिशु-स्वास्थ्य विभाग की मातृकल्याण तथा शिशु कल्याण शाखा को एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही इस पर कुछ अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी हैं। इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया में चिकित्सा अधिकारियों को मलेरिया के सम्बन्ध में जो ६ सप्ताह की शिक्षा दी जाती थी, उसे बढ़ा कर १२ सप्ताह कर दिया गया है। भारत ने पोषण-विज्ञान में एक संक्षिप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय

किया है । इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, डेरीफार्म, पशु-पालन, मत्स्य-पालन आदि के वे पक्ष भी आ जायेंगे जिन का सम्बन्ध पोषण विज्ञान से है । देश में कुछ ऐसी सस्थाएँ हैं जिनमें क्षय रोग के शिक्षार्थियो को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

भारत सरकार ने छात्रो को विदेशो में जाकर प्रशिक्षण पाने के लिये छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की हैं । कोलंबो योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिक सहायता कार्यक्रम के अनुसार आस्ट्रेलिया और कनाडा ने क्रमशः १० छात्रवृत्तियाँ भारतीय छात्रों को उन देशो की चिकित्सा सस्थाओं मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये दी हैं । विश्व स्वास्थ्य सगठन तथा यूनिसेफ की ओर से विदेशों मे उच्च चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये छात्रो को फेलोशिप दिये जाते है ।

पोषण सम्बन्धी शोध

कुनूर की पोषण शोध प्रयोगशाला मे पोषण सम्बन्धी समस्याओं पर शोध कार्य होता है । कलकत्ता, बम्बई और बगलोर की शोध संस्थाओ तथा देश की अन्य शोध संस्थाओं में भी पोषण विज्ञान के सम्बन्ध मे शोध कार्य होता रहता है । इनमे से कुनूर स्थित प्रयोगशाला का क्षेत्र अधिक विस्तृत और व्यापक है । इसमे सबसे पहले बेरी-बेरी और गण्डमाला जैसी बीमारियो का जो शरीर में पोषण के अभाव के कारण पैदा होती हैं, शोध कार्य प्रारम्भ किया गया । अब इस शोध संस्था ने शोध कार्य का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया है और पोषण के कृषि सम्बन्धी पहलू, देश मे साधारणतः प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न खाद्यान्नो के पौष्टिक मूल्यो का निर्णय आहार सबधी सर्वेक्षण तथा शरीर पर कुछ खाद्य द्रव्यो के कुपरिणामों के अध्ययन आदि पर भी शोध आरम्भ की गई है। ३१ मार्च, १९५३ को हैदराबाद के पोषण शोध प्रयोगशाला की स्थायी इमारत का शिलान्यास किया गया । शोणित विज्ञान सम्बन्धी शोध कार्य भारत मे १९३० से १९३९ तक के प्रारम्भिक वर्षो मे आरम्भ हुआ । तब से भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने शोणित विज्ञान के शोध की बहुत सी योजनाए बनाई है और हाल ही मे शोणित विज्ञान पर शोध के लिये एक विशेष विभाग खोला है ।

विषाणु शोध केन्द्र

पूना मे ८ फरवरी १९५३ को विषाणु शोध केन्द्र का विधिवत् उद्घाटन हुआ । यहाँ भारत मे विशेष रूप से होने वाली विषाणु रोगो पर शोध कार्य किया जायेगा और साथ ही यहाँ विषाणु शोध क्षेत्र के कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षित भी किया जायेगा । यह उपक्रम इण्डियन कौसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा राकफैलर इस्टिट्यूट के सयुक्त प्रयत्नो से किया गया है । इण्डियन कौसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने विषाणु शोध मे विशेष अभिरुचि दिखाई है । इसके अतिरिक्त कसौली मे भी कुछ समय से रैबीज शोध केन्द्र काम कर रहा है ।

इन्फ्ल्युएंजा केन्द्र

इन्फ्ल्युएंजा के विभिन्न पहलुओ पर कुनूर की पास्चर संस्था के इन्फ्ल्युएंजा केन्द्र ने १९५० में शोध कार्य आरम्भ किया । इस केन्द्र मे अब तक इन्फ्ल्युएंजा के ११ प्रकार के विषाणु अलग किये गये है और इसके अतिरिक्त मद्रास, कुनूर, उदकमण्डलम्, बम्बई आदि स्थानो में इस रोग का जो प्रकोप हुआ था उस पर भी शोध कार्य किया गया । इस संस्था मे रैबीज, हैजा तथा सर्प-विष विरोधी औषधियों पर भी शोध हो रही है । इन्फ्ल्युएंजा निवारक टीकों के लिये एक प्रारम्भिक कारखाना खोलने का विचार है ।

क्षय रोग शोध योजनाएं

बी० सी० जी० को विशेष ध्यान में रखते हुए एक क्षय रोग शोध योजना कार्य विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से बनाया गया है। मदनपल्लि (मद्रास) में यूनियन मिशन टी० बी० सेनिटोरियम में क्षय रोग सम्बन्धी जाँच पड़ताल की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारतीय तथा चिकित्सा शोध परिषद् की सहायता से क्षय रोग के संक्रामक तत्वों पर शोध करने की एक योजना को स्वीकृति मिल गई है।

कुष्ठ रोग

स्वास्थ्य सर्वेक्षण एंव विकास समिति के सुझाव पर पंचवर्षीय योजना में चिंगलपट, मद्रास में केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और शोध संस्था की स्थापना की व्यवस्था की गई है। लेडी विलिंगडन कुष्ठ रोग सेनिटोरियम और सिलवर जुबली चिल्ड्रेंस क्लीनिक, सैदापेट को इस संस्था में मिला देने का विचार है।

नासूर (कैंसर)

नासूर रोग पर शोध कार्य टाटा स्मारक अस्पताल बम्बई में १९४६ में आरम्भ हुआ था। भारत सरकार ने अनावर्तक तथा आवर्तक अनुदानों के रूप में इस केन्द्र को बड़ी रकमें दी है।

प्रयोगशालाएं

मद्रास के गिण्डी नामक स्थान के के० ई० एम० अस्पताल की बी० सी० जी० टीका की प्रयोगशाला (स्थापित १९४८), कलकत्ता की केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला (स्थापित १९४७) कलकत्ता की सेरोलौजिकल प्रयोगशाला (स्थापित १९१४) और कसौली की केन्द्रीय शोध संस्था (स्थापित १९०६) ने अपने-अपने चिकित्सा क्षेत्रों में शोध कार्य को करने की व्यवस्था की है। बी० सी० जी० टीका प्रयोगशाला देश की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में टीके बना रही है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष (यूनिसेफ) ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों की बी० सी० जी० के टीकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये इस प्रयोगशाला को टीका तैयार करने का काम दिया है। केन्द्रीय शोध संस्था, कसौली देश की टी० ए० बी०, हैजा, कुत्ते के काटने और विषविरोधी आषधियों और टीके की संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

९ अगस्त १९५२ को संविधान के २६३ वें अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति की आज्ञानुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों में ठोस कदम उठाये जाये तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों को इस कार्य में परस्पर सहयोग बढ़ाया जाये। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणी इस परिषद् की प्रधान और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्री उप-प्रधान हैं।

औषधि नियंत्रण

सभी 'क' भाग के राज्यों और 'ग' भाग के अजमेर, कुर्ग और दिल्ली राज्यों में १ अप्रैल १९४७ को १९४० का औषधि कानून और १९४५ का औषधि नियम लागू किये गये। ये कानून और नियम 'ख' भाग वाले राज्यों में भी लागू कर दिये गये हैं। इस के अन्तर्गत

केन्द्रीय सरकार को यह देखने का अधिकार है कि आयात की जाने वाली औषधियाँ आवश्यक स्तर की है या नही, इसकी जाँच करे। राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य में तैयार की जाने वाली औषधियों के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर नियंत्रण रक्खे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस कानून के नियमों को अधिक कठोर बनाने जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल के अधीन एक नियंत्रक तथा ४ सहायक नियंत्रक औषधि कानून में वर्णित कार्यों को करने के लिये नियुक्त हुए हैं।

भेषजीय जाँच समिति

भारत सरकार ने भेषजीय उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने तथा ऐसी बातों पर सलाह लने जिससे यह व्यवसाय अधिक उन्नत हो सके, एक समिति नियुक्त की है। समिति ने जून १९५४ में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में यह सुझाव किया गया कि भेषजीय उद्योग के क्षेत्र में और विस्तार किया जाये जिससे इस उद्योग में आधारभूत रासायनिक पदार्थों के उत्पादन दवा बनाने के लिये कच्चे माल के वितरण में उन्नति तथा आयात की गई या देश में बनाई गई नकली और घटिया प्रकार की औषधियों पर नियंत्रण रखने और भेषजीय उद्योग और व्यवसाय को व्यवस्थित और नैतिक मार्ग पर लाने में सहायता मिल सके।

औषधि और जादू द्वारा उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) कानून १९५४

१ मई १९५४ को इस कानून को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। इसके अनुसार उन सभी प्रकार के आपत्तिजनक विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिनमे गुप्त रोगों, वासनाउत्तेजक औषधियों तथा नारी रोगों तथा उनकी विशिष्ट स्थिति से सम्बन्धित रोगों के अद्भुत उपचार का प्रचार किया जाता है। इस मामले में न्यायालयों के अधिकारक्षेत्र और कार्य विधि को भी बतलाया गया है। इस कानून में यह व्यवस्था की गई है कि इसके उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना करने के अतिरिक्त पहली बार ६ महीने तक की कैद की सजा और दूसरी बार उल्लंघन करने पर एक साल तक की सजा दी जा सकती है।

रोगों की रोकथाम और नियंत्रण

रोगों से बचाव और उन पर नियंत्रण कुछ शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ कर 'क' और 'ख' भाग वाले सभी राज्यों में १९४७ में वैक्सीनेशन एक्ट लागू कर दिया गया। 'क' भाग के सभी राज्यों और 'ग' भाग के अजमेर, कुर्ग और दिल्ली राज्यों में केवल ८२ कस्बों, २०४ ग्रामीण क्षेत्रों और ६२१ गाँवों में प्रारम्भिक वैक्सीनेशन अनिवार्य नही था और ५८९ नगरों, ९१५ ग्रामीण क्षेत्रों और ६२१ गाँवों में दुबारा टीका लगवाना अनिवार्य नही था। 'क' भाग वाले राज्यों और अजमेर, कुर्ग और दिल्ली में २,१२,४९,०२० लोगों को, १९४७ में टीका लगाया गया। हैजा और प्लेग निरोधक टीके लगाये जाने वाले लोगों की संख्या क्रमशः २,१८,५८,०९४ और ६२,९५,१५७ थी।

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

१९३०–३९ से मलेरिया निरोधक कार्यवाइयाँ इस देश में चल रही है परन्तु उन के कार्यक्रम के अन्तर्गत जहाँ २० करोड़ लोग मलेरिया से आतंकित रहते थे वहाँ केवल कुछ ही लोगों को इन योजनाओं से लाभ पहुँचता था। इस बीमारी से भारी संख्या में लोग मरते थे जिस से देश के कृषि उत्पादन पर इसका कुप्रभाव पड़ता था। इस रोग पर काबू पाने के लिये एक विस्तृत और ठोस कदम उठाया जाना नितात आवश्यक था। अतः केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस काम के लिये एक योजना बनाई। पंचवर्षीय योजना म

योजना आयोग ने इसे अन्य योजनाओं से अधिक महत्त्व दिया । १९५३ में यह योजना कार्यरूप में परिणत हुई । मार्च १९५४ के अन्त तक ६ करोड़ ३० लाख लोगों को मलेरिया से बचाया गया और १० लाख ६३ हज़ार रोगग्रस्त व्यक्तियों को मलेरिया निरोधक औषधियाँ दी गई। १९५४–५५ से २८ राज्यों में १२५ दस्ते काम कर रहे हैं। इस योजना पर १५ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय सरकार १० करोड रुपये खर्च करेगी और शेष राज्य सरकारें।

राकफेलर फाउन्डेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रौद्योगिक सहयोग प्रशासन मलेरिया निवारण कार्य मे महत्त्वपूर्ण योग दे रहे हैं। हिमालय की तराई तथा मैसूर के मालानाद प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी मलेरिया की रोकथाम के लिये कार्यवाही कर रहे है। मलेरिया रोग के संक्रामक भाव पर विधिवत् शोध कार्य दिल्ली स्थित मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में होता है । यह संस्था मलेरिया निरोधक कार्यवाइयाँ करती और कर्मचारियों को मलेरिया निवारण कार्यों में व्यावहारिक शिक्षा देती है ।

फिलारियासिस

फिलारियासिस के लिये उन सभी तेरह राज्यों में जाँच पड़ताल की जा रही है जहाँ यह रोग एक समस्या बन गया है । प्रोद्योगिक सहयोग प्रशासन तथा भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १ करोड़ ९ लाख ८७ हजार रुपये खर्च करने की व्यवस्था की है । इस योजना काल में फिलारियासिस के प्रकोप से प्रभावित सभी १३ राज्यों में रोकथाम करने के १३ दस्तों और सर्वेक्षण करने के निमित्त २७ दस्तों की स्थापना की जायेगी । यद्यपि इन दस्तों ने अब तक काम आरम्भ नहीं किया है फिर भी निकट भविष्य में इन्हें राज्य सरकारों को सौंप दिये जाने की आशा है ।

क्षय रोग

अनुमान है कि देश के लगभग २५ लाख लोग क्षय रोग से पीड़ित हैं और लगभग ५ लाख लोगों की मृत्यु इस देश में इस रोग से प्रति वर्ष हो जाती है । १९४७ में ३,७१,०४५ व्यक्ति श्वास रोगों तथा ४७,६३९ लोग क्षय रोग से 'क' भाग वाले राज्यों तथा 'ग' भाग वाले अजमेर, कुर्ग और दिल्ली राज्यों में मरे । यह अनुमान लगाया गया है कि इन रोगों के कारण ९० करोड़ से ले कर एक अरब तक मनुष्य -दिनों (man days) की हानि होती है । अतः इस रोग से होने वाली आर्थिक हानि इतनी बड़ी है कि उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता । क्षय रोग की रोक थाम और उस से बचने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं ।

बी० सी० जी०

२० साल के अनुभवों से यह सिद्ध हुआ है कि बी० सी० जी० के टीके लगाने से क्षय रोग की रोकथाम में बड़ी सहायता मिलती है । संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भारत सरकार ने बी० सी० जी० के टीके लगाने का देशव्यापी कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये समझौता किया है । यह कार्यक्रम १९४८ में प्रारम्भ किया गया था और अब इसे बड़े पैमाने पर अप्रैल १९५१ से चालू किया गया है ।

इस देश में १ करोड़ ७० लाख ऐसे लोग है जिन पर इस रोग का शीघ्र प्रभाव हो सकता है। पाँच साल के भीतर इन सब लोगों को इस रोग से बचाने का लक्ष्य है। प्रत्येक माह लगभग ३ लाख लोगों की जाँच की जा रही है और इनमें से लगभग एक तिहाई लोगों को टीके लगाये जा रहे हैं। इस काम पर १५० डाक्टरों की देखरेख में ७०० टैक्निशियन काम कर रहे है। सितम्बर १९५४ तक लगभग ४ करोड़ लोगों की जाँच की गई और एक करोड़ तीसलाख अधिक लोगों को टीके लगाये गये ।

अधिवास सम्बंधी सेवाएं

४१ क्षय रोग संस्थाओं में डाक्टरों तथा दाइयों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । भारत में क्षय रोग संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष कुछ लोगों को स्वास्थ्य निरीक्षकों के कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली मे कार्डियोरेसपिरेटरी, फिज़ियो पैथोलोजी और वक्षस्थल के रोगों से सम्बन्धित मौलिक समस्याओं पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और शोधकार्य होता है।

देश में आरोग्य-गृह, अस्पताल और चिकित्सालय पर्याप्त संख्या में खोलने की बड़ी आवश्यकता है। योजना आयोग ने ऐसी संस्थाओं और इनमें रोगीशय्याओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस सम्बन्ध में क्या प्रगति अभीष्ट ह, यह निम्नलिखत तालिका में देखा जा सकता है ।

तालिका १२३

	१९५०–५१		१९५५–५६	
	संस्थाओं की संख्या	रोगीशय्याओं की संख्या	संस्थाओं की संख्या	रोगीशय्याओं की संख्या
आरोग्य गृह .	३७	४,१६१	४६	५,६५६
अस्पताल .	४८	३,०७७	५०	४,८१४
चिकित्सालय .	१२७	२,३२३	१८०	२,५६२

जून १९५४ तक १६ आरोग्य गृह, २५ अस्पताल, ५४ चिकित्सालय तथा २४ वार्ड खुले जिनमें ४८४० रोगीशय्याएं हैं। विभिन्न संस्थाओं में सुलभ रोगीशय्याओं की संख्या १५,२११ है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न क्षय रोग संस्थाओं में ८७३ डाक्टर, ७४१ नर्सें, ९३ स्वास्थ्य निरीक्षक, ४ सामाजिक कार्यकर्ता, ५२ एक्सरे टेक्निशियन और ६८ लेबोरेटरी टेक्निशियन काम कर रहे हैं ।

रोगोत्तर सेवा उपनिवेश

तपेदिक रोग से मुक्त लोगों के लिये रोगोत्तर सेवा बस्तियों तथा गरीब रोगियों की सहायता के लिये एक कोष का होना अत्यन्त आवश्यक है। क्षय के रोगी अच्छे होजाने पर भी

अपने काम पर लौट नहीं पाते क्योंकि लोग उनसे बचना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी भी संभावना होती है कि यदि वे कठिन परिश्रम करें तो फिर बीमार हो जायें। भारत में क्षय रोग से पीड़ित लोगों के स्वस्थ हो जाने के बाद उन्हें फिर से बसाने के लिये १५ बस्तियां है। यह प्रस्ताव है कि पश्चिम बंगाल में एक रोगोत्तर सेवा बस्ती स्थापित की जाये और उसके लिये १० लाख रुपये का एक कोष एकत्र किया जा रहा है। केन्द्र में भी गरीब रोगियों की सहायता के लिये एक कोष खोला जा चुका है। कोष के प्रबन्ध का भार केन्द्रीय तपेदिक संघ को दिया गया है।

टी० बी० सील बिक्री योजना

इस कार्यक्रम से धन एकत्र करने का तथा जनता में वैयक्तिक उत्साह पैदा करने का अच्छा अवसर मिला है। इससे एकत्रित धन को राज्य सरकारों में बाँट दिया जाता है जिससे तपेदिक की बढ़ी हुई अवस्था के लिये अलग बोर्ड स्थापित करने, फिर से बसाने के केन्द्र और रोगोत्तर सेवा बस्तियों की व्यवस्था करने के लिये समितियों की स्थापना करने, नये चिकित्सालय खोलने, विशेष कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य निरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिये आर्थिक सहायता देने, चिकित्सालयों तथा अस्पतालों में आवश्यक यंत्रों की व्यवस्था करने और बालकों में होने वाले क्षय रोग सम्बन्धी अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था हो सके।

केन्द्रीय सरकार ने एक तपेदिक परामर्श-दाता की नियुक्ति की है। सम्भव है कि शीघ्र ही सभी मुख्य राज्यों में इस प्रकार के परामर्शदाता नियुक्त किये जायें। केन्द्रीय तथा राज्य में होने वाले क्षय सरकारें तपेदिक सेवा में लगे हुए विभिन्न संगठनों को अनुदान देती हैं।

यौन रोग

प्राप्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास राज्यों में यौन रोग का अनुपात अधिक है। इन राज्यों में ५ से ७ प्रतिशत व्यक्ति उपदंश से पीड़ित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इस रोग सम्बन्धी परिस्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं, परन्तु कश्मीर से लेकर आसाम तक के पहाड़ी इलाकों विशेषकर कश्मीर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश और आसाम में यह रोग अधिक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टरेट के कर्मचारी वर्ग में ऐसे भी अधिकारी है जो इसी रोग के निवारण का काम करते हैं। मद्रास के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन से एक मेडिकल सलाहकार की सेवाएँ प्राप्त की गई हैं। भारत सरकार के सामने एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार मद्रास और बम्बई के मेडिकल कालेजों के अन्तर्गत यौन विभाग को अधिक महत्त्व दिया जायेगा। पश्चिम बंगाल में यौन रोग नियंत्रण की एक बहुत व्यापक योजना चालू की गई है जिसमें ८४ लाख ३० हजार रुपये खर्च होंगे। केन्द्रीय सरकार योजना काल में इस मद पर १ करोड़ ३ लाख रुपये देगी और राज्य सरकारें ५ लाख ७९ हजार रु० व्यय करेंगी।

कुष्ठ रोग

भारत में लगभग १० लाख व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित रहते हैं। कुछ इलाकों में कुष्ठ रोग का सबसे अधिक प्रभाव है जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, मद्रास, उड़ीसा और तिरुवांकुर-कोचीन।

इस समय कुष्ठ निवारण का अधिकतर कार्य स्वयंसेवक ढंग के संगठनों द्वारा किया जाता है। इस कार्य में 'मिशन टू लेपर्स' नामक संस्था सबसे आगे है। १८७५ में पंजाब के चम्बा नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। अब इस संस्था के साथ ९५ दूसरी संस्थाएँ भी मिल कर काम कर रही है। हाल ही में राज्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों ने कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल में रख कर दवा करने की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है। इस काम के लिये देश में अभी तक लगभग केवल १८,००० रोगीशय्याओं की व्यवस्था है। १९२५ में स्थापित हिन्द कुष्ठ निवारण संघ ने जो ब्रिटिश साम्राज्य कुष्ठ निवारण संगठन की भारतीय शाखा है, इस रोग के निवारण कार्य में भारी योग दिया है। गान्धी स्मारक निधि के अन्तर्गत एक कुष्ठ निवारण संस्था बनाई गई है जिसके लिये ९० लाख रुपया अनुदान दिया गया है। कुष्ठ रोग से बचने के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक योजना बनी है। इस योजना के अधीन जिसको अभी हाल ही में संशोधित किया गया है, दो प्रकार के २५ केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई है। पहला 'अध्ययन सम्बन्धी' और "चिकित्सा सम्बन्धी केन्द्र" होगा और दूसरा "सहायक केन्द्र"। यह केन्द्र उन राज्यों में खोले जायेंगे जहाँ यह रोग एक जन-स्वास्थ्य समस्या है।' चिकित्सा' और अध्ययन केन्द्रों में चिकित्सा करने के अतिरिक्त उन क्षेत्रों में कुष्ठ रोग किस प्रकार का है और उसकी तीव्रता की जानकारी प्राप्त की जायेगी और उनसे प्राप्त परिणामों का मूल्याकन किया जायेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीकों के कुष्ठ निरोधक प्रभावों के परीक्षण का विचार है।

नासूर (कैंसर)

देश में साल भर में लगभग २ लाख व्यक्ति नासूर रोग से मरते है। बम्बई का टाटा स्मारक अस्पताल तथा कलकत्ते का चित्तरंजन अस्पताल, यही दो ऐसे अस्पताल है जहाँ नासूर की चिकित्सा होती है। मद्रास में इस प्रकार का एक अस्पताल खोलने का विचार है। टाटा स्मारक अस्पताल में नासूर रोग विषयक शोध कार्य हो रहे है।

२ मई १९५१ को भारतीय नासूर सोसाइटी की स्थापना हुई। इस संस्था के दो प्रधान कार्यालय कलकत्ता और दिल्ली मे है। दिल्ली का कार्यालय अप्रैल १९५३ में खोला गया था।

जल पूर्ति और सफाई

भारत में केवल ६ प्रतिशत नगरों में ही शुद्ध जल-पूर्ति की व्यवस्था है। इस प्रकार भारत में कुल जनसंख्या का ६.१५ प्रतिशत और शहरी जनसंख्या के ४८.५ प्रतिशत लोगों को शुद्ध जल मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे नगरों में शुद्ध जल नहीं मिलता और न सफाई की ही अच्छी व्यवस्था है। ऐसे ४८ नगरों में से जिनकी आबादी १ लाख से ज्यादा है केवल २३ नगरों में ही मल-प्लावन की व्यवस्था है। १२ शहरों में आंशिक रूप से मल-प्लावन प्रणालियाँ हैं। इस प्रकार केवल ३ प्रतिशत लोगों को इस प्रणाली से लाभ होता है। पर्यावरण स्वास्थ्यकी समिति ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करने के बाद इस सम्बन्ध में एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है। इस योजना में जल वितरण योजना पर १६ करोड़ ७७ लाख रु० प्रति वर्ष

और सफाई पर १५ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। योजना आयोग ने जलपूर्ति और स्वच्छता को, जो स्वस्थ जीवन की मूल आवश्यकताएँ हैं, सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बतलाया है। राज्यों की जलपूर्ति और मल-प्लावन सम्बन्धी पंच वर्षीय कार्यक्रम में २३ करोड़ ४९ लाख रुपये खर्च होंगे। अब तक प्राप्त आँकड़ों के अनुसार इस मद पर १० करोड़ ८३ लाख रुपये खर्च किये गये हैं जिसमें ५ करोड़ ३१ लाख रु० ग्रामीण क्षेत्रों और ५ करोड़ ५२ लाख रुपये नगरों पर खर्च किये गये हैं। इस कम खर्च का कारण यह है कि जन-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सेवाओं को संगठित करने में असुविधा और आवश्यक यंत्रों का अभाव है।

केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में १२ करोड़ रुपये की अलग व्यवस्था की है जिससे स्थानीय संस्थाओं को नगरों की जलपूर्ति और मल-प्लावन व्यवस्था करने के लिये कर्ज़ दिया जायेगा। इससे इस क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। यह कर्ज़ केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा देगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से नगरों की जलपूर्ति के सम्बन्ध में उनकी योजनाएँ मांगी हैं।

गाँवों की जलपूर्ति की समस्या पर भी विचार किया जा रहा है। सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास सेवाओं में इस काम के लिये केन्द्रीय सरकार ने ८ करोड़ ७९ लाख रुपयों की व्यवस्था की। स्थानीय विकास कार्यों के निमित्त सरकार ने जो अनुदान देने का लक्ष्य बनाया है उसमें से राज्य सरकारों को उनकी नगर जलपूर्ति योजनाओं के लिये भी केन्द्रीय सरकार कर्ज़ देगी। इसके अतिरिक्त हाल में ही केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के लिये ६ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। यह रकम उन योजनाओं पर ही खर्च की जायेगी जो अन्य योजनाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत और खर्चीली हैं जैसे गाँवों के समूह को किसी एक ही जरिये से नल का पानी पहुँचाना।

एक आदर्श और व्यापक जन-स्वास्थ्य विधेयक बनाने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है। इसके अन्तर्गत परिस्थितिगत सफाई के सारे पहलू आ जायेंगे जैसे मकानों के निर्माण, जलपूर्ति, सामान्य सफाई, विविध व्यवसायों के संचालन की व्यवस्था आदि।

पोषण

१९३५ और १९४८ के बीच भारत में खाद्यों का जो सर्वेक्षण किया गया था उससे यह ज्ञात हुआ है कि एक औसत भारतीय के भोजन में अनाज की मात्रा अधिक रहती है। परन्तु उसमें प्रोटीन, खनिज पदार्थ तथा विटामिन जैसे संरक्षक खाद्यों का अभाव रहता है। इस प्रकार का भोजन असंतुलित होता है और इसमें शरीर के लिये आवश्यक पुष्टि का अभाव रह जाता है। इसके कारण बच्चों, माताओं और साधारण लोगों में मृत्यु की संख्या बहुत बढ़ जाती है।

इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की एक संयुक्त समिति ने खेती की उपज को ध्यान में रख कर मनुष्यों तथा पशुओं की पुष्टि के सम्बन्ध में एक संतुलित योजना बनाई है। आगे दी गई तालिका से प्रत्येक वयस्क को कितना भोजन मिलता है और १९५६ तक अनुमानित आवश्यकताओं का क्या लक्ष्य होगा, यह दिखाया गया है।

तालिका १२४

३० करोड़ वयस्क इकाइयों की आवश्यकता पूर्ति का लक्ष्य

	१९५० में प्रति वयस्क व्यक्ति के लिये उपलब्ध मात्रा (औंसों में)	दैनिक आवश्यकताएँ (औंसों में)	वार्षिक आवश्यकताएँ (लाख टनों में)
अनाज . . .	१३.७१	१४	४३०
दाल . . .	२.१	३	९०
दूध . . .	५.५	१०	३१०
फल . . .	१.५	३	९०
तरकारियाँ . .	१.३	१०	२९०
चीनी . . .	१.६	२	६०
मछली और गोश्त .	०.३	३	९०
अंडे . . .	—	१ (संख्या)	१०,९५,००० लाख अंडे
वनस्पति तेल और घी .	१	२	६०

इण्डियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के अधीन एक पोषण परामर्श समिति है। यह संस्था अनेक पोषण शोध प्रयोगशालाएँ भी चलाती है। केन्द्र में एक अन्तर्विभागीय समिति भी है। पश्चिम बंगाल, बम्बई और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी ऐसी समितियाँ बना ली हैं। मद्रास, बिहार तथा पंजाब की सरकारें भी ऐसी समितियाँ खोलने का विचार कर रही हैं।

खाद्य में मिलावट का निवारण कानून, १९५४

३० सितम्बर १९५४ को इस कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस कानून द्वारा मिलावट वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आयात और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस कानून के अन्तर्गत एक खाद्य प्रमापीकरण सम्बन्धी केन्द्रीय समिति और एक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। कानून में अपराधियों को दंड देने की भी व्यवस्था है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा

सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देना केन्द्रीय सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व है। जनता में स्वास्थ्य सम्बन्धी विचारों के प्रसार के लिये फिल्मों, पोस्टरों, पुस्तिकाओं, माडेलों और चित्रों आदि का प्रयोग होता है। इस कार्य के लिये अब समाचार पत्रों तथा रेडियो का भी प्रयोग होने लगा है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि १९५२-५३ सेवाओं के डायरेक्टरेट जनरल के स्वास्थ्य-शिक्षा विभाग को बढ़ा कर केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय बनाया जाये। इस योजना पर १२ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है जिसको

योजना आयोग की स्वीकृति मिल गई है। इस कार्यालय को प्रशासन प्रशिक्षण केन्द्र बनाने का विचार है जहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी शिक्षा देने और सस्ते प्रकाशन तैयार करने का काम होगा। राज्य सरकारों के स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा कार्यक्रम में पारस्परिक सामञ्जस्य लाने की दृष्टि से यह आवश्यक साधन भी ढूंढ़ेगा। इस कार्यालय में एक स्वास्थ्य सम्बन्धी अजायबघर, एक फिल्म-उत्पादक एकक और एक फिल्म वितरण सम्बन्धी लाइब्रेरी भी होगी।

जनसंख्या पर नियन्त्रण

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके सीमित साधनों के बीच संतुलन कायम रखने के महत्त्व को समझा गया है। परिवार-नियोजन तथा जन संख्या–नियन्त्रण के विषयों पर भी योजना आयोग ने विचार किया और यह सुझाव दिया है कि इस विषय से सम्बन्धित एक व्यापक योजना तैयार की जाये। इस योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन के महत्त्व की शिक्षा और समुचित संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये सस्ते, विश्वासी और अहानिकारक साधनों को ढूंढ़ निकालना सम्मिलित है। इस कार्य के लिये पंच वर्षीय योजना में ६५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

इस सम्बन्ध में तीन प्रारम्भिक प्रयोग किये जा रहे हैं जिनमें से दो दिल्ली में तथा एक सूरत में किया जा रहा है। इनका उद्देश्य यह है कि इसके अन्तर्गत "सुरक्षित काल" साधन कहाँ तक विश्वसनीय और प्रचलित है इसका अनुमान लगाना। भारतीय नासूर शोध केन्द्र, बम्बई की प्रयोगशालाओं में गर्भ निरोधक साधनों की जाँच और उनके महत्त्व को जानने के लिये एक शाखा खोली गई है।

इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने के लिये बम्बई में एक मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त 'परिवार नियोजन और अनुसंधान समिति' ने यह सुझाव दिया है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं में इस दिशा में सुधार करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के हेतु १९५४–५५ और १९५५–५६ के वर्षों में राज्य सरकारों तथा स्वतन्त्र संगठनों को ३० लाख रुपये देने की व्यवस्था की जाये। इस सम्बन्ध में अनुदान के लिये भेजे गये प्रार्थनापत्रों की जाँच पड़ताल के लिये एक परिवार नियोजन अनुदान समिति स्थापित की गई है।

परिवार नियोजन सम्बन्धी उपरोक्त समिति के सुझावों के आधार पर बनाई गई एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है। उक्त समिति की सिफारिशों पर आधारित परिवार नियोजन की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस योजना के अनुसार ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों में परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। यह भी सिफारिश की गई है कि परिवार नियोजन का कार्य मातृत्व तथा शिशु कल्याण कार्य के साथ संलग्न होना चाहिए। इन केन्द्रों के संचालन के लिये न्यूनतम स्तर निर्धारित कर दिये गये हैं। प्रत्येक केन्द्र एक स्वास्थ्य अधिकारी के नियंत्रण में होगा जिसे एक शिक्षित महिला स्वास्थ्य निरीक्षक तथा एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता सहायता देंगे। यदि परिवार नियोजन के कार्य को व्यापक रूप दिया जाये तो

केन्द्र के कार्यक्रमों के अन्तर्गत यौन विज्ञान की शिक्षा, वैवाहिक परामर्श, वैवाहिक स्वास्थ्य, शिशु जन्मों में अन्तर तथा पारिवारिक व्यय आदि के सम्बन्ध में मंत्रणा भी आ जायेंगे।

सहायक ग्रन्थ सूची

(१) पंचवर्षीय योजना

(२) १९५३–५४ की पंचवर्षीय योजना की प्रगति रिपोर्ट

(३) स्वास्थ्य जाँच तथा विकास समिति की रिपोर्ट भाग १–३ (१९४६)

(४) देशी चिकित्सा पद्धति विचार समिति की रिपोर्ट (भाग १–२) (१९४८)

(५) होमियोपैथी जाँच समिति की रिपोर्ट (१९४९)

(६) राष्ट्रीय स्वास्थ्य (राष्ट्रीय योजना समिति)

(७) पर्यावरण स्वास्थिकी समिति की रिपोर्ट (१९४९)

(८) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की १९५३–५४ की वार्षिक रिपोर्ट

(९) १९५४ का खाद्य में मिलावट का निवारण सम्बन्धी कानून

(१०) औषधि तथा जादू द्वारा उपचार (विज्ञापन) कानून १९५४

(११) भारतीय भेषजीय नामावली तथा हूज़ हू (१९५५ संस्करण)

सत्ताइसवाँ अध्याय

श्रम

नौकरियाँ

उद्योगों के विभिन्न खंडों में काम कर रहे श्रमिकों के आँकड़े क्रमबद्धता से एकत्र किये गये हैं। साधारण तौर पर कुछ उद्योगों मे औसतन प्रतिदिन काम पर लगे हुए श्रमिकों की संख्या निम्न प्रकार है :

तालिका १२५

उद्योग	वर्ष	काम में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या प्रति दिन
'क' भाग के राज्यो और कुछ 'ग' भाग के राज्यो की फैक्टरियाँ	१९५३ का पूर्वार्द्ध	२५,०८,३२१
'ख' भाग के राज्यों की और कुछ 'ग' भाग के राज्यों की फैक्टरियाँ	१९५०	४,५४,५६१
खानें	१९५१	५,४९,०४८
बागान	१९५०	१२,५२,४०६
रेलवे	मार्च १९५२	९,४५,३१९
डाक तथा तार	मार्च १९५२	२,१२,३८०
ट्रामवे	जनवरी १९५२	१,७०,८५५
बडे बन्दरगाह	सितम्बर १९५२	५,७०,४१५
सी० पी० डब्ल्यु० डी०	१९५१–५२	३,४९,०००
पाँच नदी घाटी योजनाएँ	१९५१	५,१८,८४६

देश में आर्थिक व्यवस्था का सबसे अधिक संगठित खण्ड कारखाने (फैक्टरियाँ) है, और कृषि को छोड़ कर, इसी मे सबसे अधिक श्रमिकों को काम मिलता है। १९५१, १९५२ और १९५३ में कुछ राज्यों में कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों की संख्या तालिका संख्या १२७ मे दी गई है।

बेकारी

बेकारी के सही आँकड़ों का अभी तक निश्चय नही किया जा सका है। परन्तु एक अनुमान के आधार पर यह संख्या शहरी क्षेत्रों में लगभग १ करोड़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या और भी अधिक है। इस संख्या का निश्चय करने के लिये योजना आयोग ने जाँच पड़ताल करानी शुरू कर दी है।

एक समान आधार पर बेकारी और अधूरे रूप में नौकरी में लगे व्यक्तियों की जाँच-पड़ताल समय-समय पर की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइज़ेशन और इण्डियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

सहायता देने के उपाय

नौकरी के अवसरों का विस्तार करने के लिये योजना में लगभग २१६ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। १९५३ में एक ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था जिससे इस सम्बन्ध

में देश में किये जा रहे सभी प्रयत्नों का मार्ग दर्शन किया जा सके। केन्द्रीय और राज्यीय सरकारें अपने लक्ष्यो की पूर्ति के लिये अधिकतम कार्य कर रही है। वैयक्तिक उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वे अपना उत्पादन बढ़ायें। १९५३–५५ के काल में ८०,००० व्यक्तियों को काम पर लगाने के लिये एक अध्यापक वाले ग्रामीण स्कूल खोलने का कार्यक्रम स्वीकृत हो चुका है। ३१ मार्च, १९५४ तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत २८,८८० व्यक्ति काम पर लगाये जा चुके थे।

शहरी क्षेत्रों में भी बेकारी कम करने के लिये एक योजना है। इसके अन्तर्गत १९५३–५५ में ८,००० व्यक्ति समाज शिक्षा केन्द्रों मे वृत्ति पा जायेंगे। मार्च, १९५४ के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत १,८०८ व्यक्ति काम पर लगा दिये गये थे। २० दिसम्बर को एक महत्त्वपूर्ण भाषण देते हुए भारत सरकार के वित्त मन्त्री ने कहा था कि सरकार की पूर्ण सेवा नियुक्ति की नीति को कार्यान्वित करने के लिये द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत लगभग २४० लाख नौकरियों की व्यवस्था की जायेगी।

अनुपस्थिति

देश के उत्पादक साधनों के लिये अनुपस्थिति बहुत हानिकारक है। कुछ वस्तु निर्माण उद्योगों में किस प्रकार अनुपस्थिति रही है इस के आँकड़े उपलब्ध है। इनमें कोयले की खानों, आसाम के चाय बागान और मैसूर के कुछ उद्योगों के आँकड़े शामिल है। कुछ आँकड़े देशव्यापी आधार पर एकत्र किये गये हैं और कुछ स्थानीय आधार पर।

कोयला खान बोनस योजना और कोयला खान प्रॉविडेन्ट फन्ड योजना तथा उपस्थिति बोनस योजना इसीलिए चालू की गई थीं जिससे कि खान में काम करने वाले मज़दूर अनुपस्थित न रहें। इनके फलस्वरूप कोयले की खानों मे अनुपस्थिति की दर में कमी हुई है।

उत्पादन क्षमता

श्रमिकों की उत्पादन क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन हाल में ही प्रारम्भ हुआ है।

राष्ट्रीय नौकरी दिलाने वाला विभाग

नौकरी दिलाने वाले केन्द्र १९४५ में इस विचार से खोले गये थे कि वे विघटित सैनिकों को फिर से काम पर लगायें।१९४७ में विस्थापित व्यक्तियों को काम दिलाने का कार्य भी इन केन्द्रों के सुपुर्द कर दिया गया। बाद में इनका कार्यक्षेत्र और भी बढ़ा दिया गया। १९५१ से नौकरी दिलाने वाले केन्द्रों ने क्या कुछ किया है, यह तालिका १२८ में दिखाया गया है।

नौकरी दिलाने वाले केन्द्र, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अपवृत्त (कमी में आये हुए) सरकारी कर्मचारियों और रजिस्टर्ड विस्थापितों को वृत्ति (नौकरी या काम) दिलाने के काम को प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार ८,१०० अपवृत सरकारी कर्मचारियों, ११,२१८ विस्थापित व्यक्तियों, २८,०४० अनुसूचित जातियों के लोगों और ३,२०३ अनुसूचित जन जातियों के लोगों को नौकरी दिलाने वाले केन्द्रों द्वारा १९५३ में काम दिलाया गया। १९५४ में इन केन्द्रों ने अपवृत्त प्रथम और द्वितीय श्रेणी के गज़ेटेड और कमीशन्ड अफसरों को काम दिलाने के लिये भी एक उपविभाग खोल दिया।

केन्द्रों से दूर ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्रों में बसे लोगों को भी वृत्ति दिलाने में सहायता करने के लिये ३० नौकरी दिलाने वाले केन्द्रों ने चलते-फिरते उपविभाग चालू किये हुए हैं। इन चलते-फिरते केन्द्रों द्वारा १९५३ में १,९५९ व्यक्ति प्रतिमास की औसत से काम पर लगाये गये।

शिवराव समिति

नवम्बर १९५२ में संसद् सदस्य श्री बी० शिवराव की अध्यक्षता में 'प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन संगठन समिति' (ट्रेनिंग एंड एम्प्लायमेंट सर्विसेज़ आर्गनाइजेशन कमेटी) स्थापित की गई। इसका कार्य था कि वह इस सेवा नियोजन संगठन और इसके प्रशिक्षण विभाग की भावी रूपरेखा क्या हो, इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें करें। अप्रैल १९५४ में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी। समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि राज्यीय सरकारों के सहयोग से सेवा नियोजन विभाग राष्ट्रीय स्तर पर कायम रखा जाये और इसे स्थायी रूप दिया जाये।

औद्योगिक सम्बन्ध

श्रम संगठन

१९२६ के ट्रेड यूनियन एक्ट से रजिस्ट्रड श्रम संगठनों को एक वैध एवं संगठित समाज का स्तर मिल गया और इसके कारण औद्योगिक विवादों के कुछ मामलों में उन्हे छूट (विमुक्ति) मिल गई। इसने श्रम संगठनों के कोष पर नियंत्रण लगा दिया जिससे कि अविचारशील लोग उस का दुरुपयोग न कर पायें। १९४७ का संशोधन (एमेन्डिंग एक्ट), जिसमे अनिवार्य मान्यता तथा अनुचित कार्यो के विरुद्ध उपायों का विधान था कुछ मामलों मे सरकारी नीति को अन्तिम रूप न मिलने के कारण क्रियान्वित नही किया जा सका है। सरकार जो अपनी नई नीति बना रही है, उसका उद्देश्य है कि श्रम संगठन अधिकतर अपनी गठित शक्ति और सामूहिक समझौतों की शक्ति पर निर्भर करें और समझौतों और निर्णयों को क्रियान्वित करने मे वे कठोर उपाय काम मे लाना शुरू करे, सहायता के लिये सरकार की ओर न ताके।

१९५०–५३ के बीच रजिस्टर्ड श्रम संगठनों की सदस्य संख्या तथा १९५०–५१ में उनके पास कितनी धन राशि थी, यह तालिका १३१ में दिखाया गया है।

इस समय श्रम संगठन चार राष्ट्रीय संघटनों में विभाजित है। इस प्रकार यह हो सकता है कि एक ही उद्योग में अथवा एक उद्योग की एक शाखा में ही एक से अधिक ऐसे श्रम संगठन हों जो भिन्न आदर्शों को अथवा परस्पर विरोधी आदर्शो को मानने वाले हों। ऐसी दशा में श्रम संगठनों की वास्तविक भावना में वृद्धि नही होती बल्कि उसमे बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए, यह मानते हुए भी कि यह श्रमिकों का आन्तरिक मामला है, सरकार ने जोरदार शब्दों में अपना मत प्रकट किया है कि एक उद्योग में सिद्धान्ततः एक ही श्रम संगठन रहे। श्रम संगठनों के नेता अब अधिकाधिक इस विचार को अपनाते जा रहे है। १९५०–५२ में चारों राष्ट्रीय संघटनों से सम्बद्ध श्रम संघटनों की तथा उनके सदस्यों की संख्या तालिका १३० में दी गई है।

केन्द्रीय श्रम संस्था

केन्द्रीय श्रम संस्था (सेन्ट्रल लेबर इंस्टीट्यूट) की आधारशिला बम्बई में ७ अक्तूबर १९५४ को भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने रखी थी। इस संस्था का मुख्य काम होगा औद्योगिक विकास के विभिन्न पहलुओं का मानव के साथ क्या सम्बन्ध है, इस विषय पर वैज्ञानिक अध्ययन की सुविधाएँ प्रदान करना। यह एक ऐसी योजना है जिसमें अनेक बातों का समावेश है। इसके अन्तर्गत औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सम्बन्धी विषयों का एक संग्रहालय, एक शारीरिक-स्वच्छता संबंधी प्रयोगशाला, एक प्रशिक्षण केन्द्र तथा एक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र होंगे। यह भी विचार है कि इस संस्था के साथ ही उत्पादिता-केन्द्र और उद्योग

अन्तर्वर्ती प्रशिक्षण केन्द्र को भी संबद्ध कर दिया जाये। ये दोनों केन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं।

औद्योगिक विवाद

काम बन्द हो जाने के कारण श्रमिकों द्वारा जितने कार्य करने की घंटों की हानि हुई है, उसको दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि वर्ष में श्रमिक और प्रबन्धकों के आपसी सम्बन्धों में थोड़ी सी गड़बड़ रही।

न्यायधिकरण (ट्रिब्युनल)

ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (बैंक डिस्प्यूट्स) अवार्ड, जो शास्त्री अवार्ड के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, २० अप्रैल १९५५ को प्रकाशित हुआ। इससे न तो बैंक ही सन्तुष्ट हुए और न बैंक के कर्मचारी ही। इसकी कुछ सिफारिशों से सरकार भी असहमत रही। बैंकों और बैंक कर्मचारियों की ओर से लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर दी गई।

भारत सरकार ने २४ अगस्त, १९५४ को एक आदेश निकाल कर अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णयों में, जो निम्नलिखित बातों से सम्बन्ध रखते थे, कुछ परिवर्तन कर दिये जैसे मंहगाई का भत्ता और नई वेतन दरों को क्रियान्वित करने का ढंग, चतुर्थ श्रेणी के नये क्षेत्र का प्रारम्भ, 'ख' भाग के राज्यों तथा कुछेक 'ग' भाग के ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों का बहिष्कार, तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को उक्त निर्णय के क्षेत्र से अलग रखना आदि। परिणामस्वरूप एक जाँच-अदालत इस प्रश्न के हर पहलू की जाँच करने के लिये बनाई गई। इस अदालत में केवल एक ही निर्णायक थे और वह थे बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वर्गीय श्री राजध्यक्ष। जब तक जाँच समाप्त न हो जाये, तब तक के लिये निर्णय (अवार्ड को) क्रियान्वित करना स्थगित कर दिया गया है।

त्रिदलीय तन्त्र

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रचना के अनुरूप देश में ऐसे संगठन हैं, जिनमें सरकार, मालिक और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व है। यह संगठन पिछले कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं। ये देश की औद्योगिक नीति के अभिन्न अंग बन गये हैं।

त्रिदलीय तन्त्र पद्धति पर बने संगठनों में मुख्य संगठन ये हैं : भारतीय श्रमिक समाज (इण्डियन लेबर कान्फरेन्स), स्थायी श्रम समिति (स्टैंडिंग लेबर कमिटी), तथा अन्य कई औद्योगिक एवं सलाहकार समितियाँ।

संयुक्त समितियाँ

ऐसी कार्य समितियाँ (वर्क्स कमिटी) जिनमें मालिक और श्रमिक दोनों का प्रतिनिधित्व हो, विवाद की प्रारम्भिक अवस्थाओं में स्वतन्त्र और स्पष्ट चर्चाओं द्वारा मतभेदों को दूर करने में अत्यन्त प्रभावशाली कार्य कर सकती है। केन्द्रीय तथा राज्यीय दोनों सरकारों ने, जिन्हें १९४७ के औद्योगिक विवाद कानून (इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट) तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत ऐसा करने का अधिकार है, १०० या मौ से अधिक कर्मचारी रखने वाले सभी उद्योगों के प्रबन्धकों को आदेश दिया है कि वे अपने यहाँ कार्य समितियों का निर्माण कर लें।

केन्द्राधीन उद्योगों में १९५०–५१ में ३२३ कार्य समितियाँ थी। विभिन्न राज्यो में स्थित वैयक्तिक उद्योगों में ऐसी कार्य समितियों तथा उत्पादन समितियों की संख्या ३० सितम्बर १९५१ को १,५७० थी।

उद्योग और श्रमिकों के संयुक्त सलाहार बोर्ड की पाँचवीं बैठक नई दिल्ली म फरवरी १९५४ में हुई थी। बोर्ड ने निश्चय किया कि उसे एक विशुद्ध द्विदलीय संस्था के रूप में अपना पुनस्संगठन करना चाहिए और इसका अपना एक अलग सचिवालय होना चाहिए।

औद्योगिक सेवा नियुक्ति सम्बन्धी स्थायी आदेश

नियुक्ति से पूर्व स्थायी आदेशों द्वारा सेवा वृत्ति का प्रकार, काम के घंटे, छुट्टी, मज़दूरी की अदायगी, कमी के नियम और अनुशासन की कार्यवाही करने की विधि आदि दशाओं के सम्बन्ध में पूरी व्याख्या कर देने से संघर्ष और तनाव के कारण दूर करने में काफी सहायता मिलती है। केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों ने, जिन्हें इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) एक्ट, १९४६ के अधीन ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, आदर्श नियम बना दिये हैं और १०० या इससे अधिक कर्मचारियों को सेवा में रखने वाले उद्योगों से कहा गया है कि वे उन नियमों को स्वीकार कर लें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, नवम्बर १९५० में निकाली एक विज्ञप्ति द्वारा निर्देशन किया था कि उत्तर प्रदेश के ऐसे उद्योगों में भी, जिनमें १०० से कम कर्मचारी काम करते हों, यह एक्ट लागू होगा, बशर्ते कि उद्योगों के मालिक स्वेच्छया इन स्थायी आदेशों का प्रमाणपत्र लेने की प्रार्थना करें। मई, १९४९ में आसाम सरकार ने यह एक्ट उन सभी उद्योगों पर (खानों, पत्थर की खानों, तेल क्षेत्रों और रेलवे को छोड़ कर) लागू कर दिया, जिनमें १० या इस से अधिक कर्मचारी नियुक्त थे। जनवरी १९५२ मे एक विज्ञप्ति द्वारा पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस एक्ट को ५० या इससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी उद्योगों पर लागू कर दिया। स्थायी आदेशों के प्रमाणपत्र मिलने में होने वाले विलम्ब के कारण उत्पन्न असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से सौराष्ट्र सरकार ने मार्च १९५३ में एक संशोधन कानून रूप में स्वीकृत किया, जिसमें यह विधान किया गया है कि वे सभी उद्योग जिनके स्थायी आदेशों के प्रमाणपत्र तैयार हो रहे हैं, सरकार द्वारा स्वीकृत आदर्श स्थायी आदेशों से काम चला सकते हैं।

वृत्ति अदायगी कानून, १९३६

प्रति मास २०० रु० या इससे कम पाने वाले कर्मचारियों को नियमित वेतन अथवा मज़दूरी दिलाने की व्यवस्था इस एक्ट द्वारा की गई है। सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वह इस एक्ट को चाहे किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू कर दे और निरीक्षण के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति कर दे। इस एक्ट को रेलवे, खानों, कारखानों, खेतियों, कुछ राज्यों में परिवहन सेवा की कुछ श्रेणियों, और कुछ अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू कर दिया गया है।

न्यूनतम मज़दूरी कानून, १९४८

केन्द्रीय वेतन आयोग तथा अनेक जाँच समितियों की सिफारिशों, पारस्परिक समझौतों तथा निर्णयों (अवार्ड) द्वारा श्रमिकों के अनेक वर्गों के लिये न्यूनतम मज़दूरी निश्चित कर दी गई है। किन्तु न्यूनतम मज़दूरी कानून (मिनिमम वेजेज ऐक्ट) का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि यह सरकारों को यह अधिकार देता है कि वे उन वर्गों के श्रमिकों के लिये जिन्हें बहुत कम मज़दूरी मिलती है, और जो संगठित शक्ति के अभाव में अपनी मांगें पूरी नहीं करा पाते, कानूनी न्यूनतम मज़दूरी निश्चित कर दें। अनुसूची के भाग १ में सम्मिलित श्रमिकों के कुछ वर्गों के लिये कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा जून १९५४ में स्वीकृत न्यूनतम मज़दूरी (संशोधन)

अधिनियम के अनुसार सभी राज्यों के लिये यह आवश्यक है कि वे दिसम्बर १९५४ तक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दें। अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार कुछ राज्यों ने इस कानून को कुछ ऐसे उद्योगों में भी लागू कर दिया है, जो अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम १९४६ के अधीन बम्बई में मजदूरी बोर्डों की स्थापना हो चुकी है। ये बोर्ड सूती और रेशम के कारखानों में मजदूरी का मापदंड निश्चित करेंगे। फैक्टरी कानून, १९४८ तथा खान कानून १९५२ के अधीन यह विधान कर दिया गया है कि समयोत्तर काम करने पर मजदूरी साधारण दर की दूनी दर पर देनी होगी।

कोयला-खान बोनस योजना

सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया गया है कि मजदूरों को बोनस मिलना चाहिए किन्तु इसकी राशि क्या हो, इसका निर्णय औद्योगिक न्यायालय और समझौता बोर्ड करेंगे। कोयला खान मजदूरों को बोनस पाने का हक है इसकी कोयला खान बोनस योजना द्वारा गारंटी कर दी गई है, और बोनस की रकम बोनस के हकदारों को आधारभूत आमदनी पर निर्भर रहेगी।

जीवनयापन व्यय और स्तर

बढ़े हुए निर्वाह व्यय का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अनुमान करने वाले आँकड़े अब विभिन्न ऐजेन्सियों द्वारा संकलित किये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार अपने श्रम विभाग द्वारा निर्वाह व्यय की १९ देशनांक (इन्डैक्स नम्बर) माला तैयार करा रही है। इन देशनांकों के निर्धारणों में १९४४ वर्ष को आधार माना गया है। कुछ राज्यीय सरकारें भी १९४४ अथवा १९३९ को आधार वर्ष मान कर श्रमिकों की कुछ श्रेणियों के निर्वाह व्यय सम्बन्धी देशनांक तैयार करा रही है। ये देशनांक सरकारी गजट में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में मजदूरों के परिवारों के आय-व्यय लेखा के सम्बन्ध में जाँच की जा रही हैं। तालिका १३२ और १३३ में भारत तथा अन्य देशों और १९ चुने हुए स्थानों के १९५० से औसत निर्वाह व्यय के देशनांक दिये गये हैं।

कृषि श्रमिकों की जाँच

कृषि श्रमिकों की जाँच का, जिसम सामायन्तः गाँवों की जाँच पड़ताल की गई है, पहला दौर समाप्त हो गया है। उसके परिणाम ऐग्रीकल्चरल वेजेज इन इण्डिया' (जिल्द १ व २) नामक पुस्तक में प्रकाशित कर दिये गये हैं। जाँच के दूसरे दौर की रिपोर्ट अर्थात् सामान्यतः परिवारों की जाँच पड़ताल प्रकाशित की जा रही है। जाँच के तीसरे और अन्तिम दौर की रिपोर्ट जिसमें परिवारों के सम्बन्ध में गहन जाँच पड़ताल होगी, तीन अलग भागों में तैयार होगी। वे भाग ये होंगे : (१) उन राज्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट जिनमें जाँच की गई है, (२) अखिल भारतीय रिपोर्ट; (३) कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण आँकड़ों का लेखा राज्य सम्बन्धी रिपोर्ट और महत्त्वपूर्ण आँकड़ों का लेखा मुद्रित हो रहे हैं।

सामाजिक सुरक्षा

देश में औद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाने के लिये ये साधन हैं : कर्मचारी राज्य बीमा कानून, १९४८; निर्वाह निधि कानून १९५२; कोयला खानें निर्वाह निधि और बोनस योजना कानून, १९४८; कर्मचारियों के लिये क्षतिपूर्ति कानून, १९२३ तथा प्रसूति सुविधा कानून। उक्त एक्टों द्वारा श्रमिकों को किस प्रकार का और कितना लाभ पहुँचता है, इसका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा कानून

यह एक्ट समस्त दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने किस्म का पहला कानून है। सभी ऐसी फैक्टरियों पर, जो बारह महीने चालू रहती है और जो बिजली आदि शक्ति से चलाई जाती हैं और जिनमें २० या उससे अधिक लोग काम करते हैं, यह एक्ट लागू है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त सभी श्रमिक तथा क्लर्क आदि इसके अधीन लाभ उठा सकते हैं। इसके अधीन वे लोग नहीं आते जिनका कुल मासिक वेतन आदि ४०० रुपये से अधिक होता है।

प्रशासन

समस्त योजना के प्रशासन के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम है। इसमें ३८ सदस्य हैं, जो सेवा-नियोजको (मालिको), श्रमिकों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, समद् तथा चिकित्सा व्यवसाय से लिये गये हैं। इनमें से १३ सदस्यों की एक स्थायी समिति है जो सामान्य प्रशासन की उत्तरदायी है। एक २८ सदस्यों वाली मेडिकल बेनिफिट कौन्सिल है, जो निगम को चिकित्सा सम्बन्धी लाभों के बारे में सलाह देती है। इस निगम का सर्वोच्च प्रशासन अधिकारी डायरेक्टर जनरल कहलाता है। इसके अधीन चार मुख्य अधिकारी रहते हैं। डायरेक्टर जनरल का काम चलाने के लिये प्रादेशिक तथा स्थानीय अधिकारियों का एक जाल बिछा हुआ है। प्रादेशिक सलाहकार बोर्डों में सेवा नियोजकों, श्रमिकों और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व रहता है।

अंशदान

अंशदान के उद्देश्य से इस एक्ट से प्रभावित लोगों को आठ श्रेणियों में बाँट दिया गया है और एक अनुसूची में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उनका अंशदान कितना होगा और सेवा नियोजक कितना अंशदान करेंगे। जिन श्रमिको की औसत दैनिक आय १ रु० से कम है उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ता किन्तु सेवा नियोजकों को इसके कारण छूट नहीं मिलती। अंशदान की ये दरें अस्थायी रूप से वे ही चालू कर दी गई हैं जो कि संशोधन किये जा रहे एक्ट में निहित हैं। यह एक्ट तब तक व्यवहार में रहेगा जब तक कि समस्त देश इस योजना के अन्तर्गत न आ जाये। संशोधित कानून के अनुसार देश भर के सभी सेवा नियोजकों को अपने कुल मजदूरी बिलों का ०·७५ प्रतिशत विशेष अंशदान के रूप में देना होगा। किन्तु उन क्षेत्रों में जहाँ लाभ कर विधान अमल में आ रहे हैं, सेवा नियोजकों को अपने कुल मजदूरी बिलों पर १·२५ प्रतिशत के हिसाब से देना होगा। यह अधिक दर इसलिए है क्योंकि इन लोगों को अब कर्मचारियों के लिये क्षतिपूर्ति कानून और प्रसूति सुविधा कानून के अधीन क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी। जिन क्षेत्रों में योजना चालू नहीं है वहाँ के श्रमिकों को कुछ भी नहीं देना होगा। उपलब्ध नवीनतम आँकड़ों से पता चलता है कि अंशदान के रूप में २ करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुआ है; १७४ लाख रुपये सेवा-नियोजकों से और ३९ लाख रुपये कर्मचारियों से।

योजना की प्रगति

लाभकर विधायक परिच्छेदों को छोड़ कर, शेष सम्पूर्ण एक्ट सर्वप्रथम कानपुर क्षेत्र और दिल्ली राज्य में २४ फरवरी, १९५३ को लागू किया गया और इसका प्रभाव १,२०,००० श्रमिकों पर पड़ा। १७ मई, १९५३ को यह पंजाब के सात औद्योगिक नगरों में भी व्यवहार में आने लगा। ये नगर हैं: अमृतसर (छहर्ता के नोटिफाइड एरिया को शामिल करके), अम्बाला, जालन्धर, लुधियाना, अब्दुल्लापुर-जगाधरी, बटाला और भिवानी। इन नगरों में काम पर लगे

३०,००० श्रमिकों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ११ जुलाई, १९५४ को यह नागपुर में और २ अक्तूबर, १९५४ को वृहत्तर बम्बई में भी लागू कर दिया गया। इस प्रकार इस योजना से अब तक प्रभावित होने वाले श्रमिकों की संख्या लगभग ६ लाख है।

कर्मचारी निर्वाह निधि कानून

कर्मचारी निर्वाह निधि कानून १९५२ में पास हुआ था और १९५३ दिसम्बर में उसमें संशोधन किया गया। संशोधित एक्ट में उद्योगों को अधिक उदारतापूर्वक छूट दी गई है और निर्वाह निधि के निरीक्षण की भी व्यवस्था रखी गई है। यह एक्ट छः मुख्य उद्योगों पर लागू होता है—सीमेन्ट, सिगरेट, बिजली, यान्त्रिक तथा सामान्य इंजीनियरिंग उत्पादन, लोहा और इस्पात, कागज और सूती वस्त्र—जिनमें ५० या इससे अधिक कर्मचारी होने चाहिएँ। जो उद्योग सरकार और स्थानीय प्राधिकारियो के प्राधिकार के अधीन चलाये जा रहे हों, अथवा जिनको अस्तित्व में आये तीन वर्ष से कम समय हुआ हो, इस एक्ट के सीमा क्षेत्र से बाहर रहेंगे। कर्मचारी निर्वाह निधि योजना से १,९०० कारखानों में काम कर रहे १५·४७ लाख कर्मचारियों को लाभ मिला है। कारखानों से निर्वाह निधि के अंशदान के रूप में जो धन एकत्र करके सरकारी सिक्योरिटियों में नवम्बर १९५४ तक लगाया जा चुका था वह कुल ३२ करोड रु० है।

अंशदान

सेवा-नियोजक को कर्मचारी की मजदूरी और मंहगाई का भत्ता मिला कर जो राशि देनी पडती है उसका ६¼ प्रतिशत निर्वाह निधि मे अंशदान देना पडता है। कर्मचारी को भी इस निधि में उतना ही अंशदान देना पडता है जितना कि सेवा नियोजक देता है। परन्तु यदि वह चाहे और ऐसा करना योजना के अनुकूल हो तो वह अपने समस्त वेतन और मंहगाई के भत्ते की रकम का अधिक से अधिक ८¼ प्रतिशत तक अंशदान के रूप में दे सकता है।

कोयला-खान निर्वाह निधि और बोनस योजनाएँ

कोयला खान निर्वाह निधि योजना दिसम्बर १९४८ में बनाई गई थी और पश्चिम बंगाल, बिहार, उडीसा और मध्य प्रदेश की कोयला खानो में इस प्रकार लागू की गई कि उसका प्रभाव इसके बनने के पूर्व काल पर भी पडे। थोडे से परिवर्तन के बाद इसे कुछ समय के अनन्तर आसाम, रीवा, तालचर, कोरिया और मध्य प्रदेश के अंशतः बहिष्कृत क्षेत्र पर भी लागू कर दिया गया। बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अंशतः बहिष्कृत क्षेत्रों पर भी यह योजना लागू कर दी गई। हैदराबाद, सौराष्ट्र और राजस्थान की खानों पर इसको लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

कर्मचारियों के लिये क्षतिपूर्ति कानून

काम करते हुए चोट आ जाने, विशिष्ट व्यवसाय के कारण उत्पन्न व्याधियों और इन दोनों के कारण मृत्यु हो जाने की अवस्थाओं में क्षतिपूर्ति दिये जाने का विधान इस एक्ट में किया गया है। परन्तु यदि उक्त अवस्थाएँ शराब के नशे में होने के कारण अथवा सुरक्षा की हिदायतों की अथवा उपायों की जान बझकर उपेक्षा करने के कारण उत्पन्न हों, तो सेवा-नियोजक क्षति पूर्ति देने के लिये बाध्य नहीं है। यदि चोट का असर सात दिन या इससे कम रहे तो भी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। १९५४ के वर्ष के अन्त तक श्रमिकों की २७ श्रेणियाँ इस एक्ट के सीमा-क्षेत्र के अन्तर्गत आ गई थीं। व्यावसायिक रोगों का उल्लेख एक सूची में किया गया है।

वयस्क श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर अथवा संपूर्ण या आंशिक विकलांगता की अवस्था में क्षतिपूर्ति एक निश्चित दर के हिसाब से दी जायेगी, और यह दर उसकी मासिक भृति के अनुपात के आधार पर होगी। अस्थायी विकलांगता की अवस्था में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि वयस्क और अवयस्क श्रमिकों के लिये एक समान है। मृत्यु हो जाने और पूर्णतया विकलांग हो जाने की अवस्था में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि वयस्क के लिये २,००० रु० और अवयस्क के लिये १,२०० रु० है।

मातृ कल्याण का लाभ

प्रसूति दशा के लाभ का कानून संघ के लगभग सभी राज्यों मे व्यवहार मे आ रहा है। १४ राज्यों ने मातृ कल्याण कानून अपनी-अपनी विधान सभाओं द्वारा पास किये हैं। शेष राज्यों ने अन्य राज्यो के कानून को ही अपने-अपने क्षेत्रो में लागू कर दिया है। इस सम्बन्ध में केवल एक ही केन्द्रीय कानून है जो खानो पर लागू होता है। कुछ राज्यीय कानून उनके अधिकार-क्षेत्र मे स्थित सभी नियमित कारखानो पर लागू होते है, परन्तु कुछ कानून ऐसे है जो केवल उन कारखानो पर लागू होते है जो सिर्फ किसी एक मौसम में ही चालू रहने वाले नही है। पश्चिम बंगाल मे एक अलग कानून खेती में काम करने वाली महिला-श्रमिकों के लिये ही है।

श्रम कल्याण

फैक्टरी कानून १९४८, खान कानून १९५२ और बागान श्रमिक कानून १९५१ की प्रासंगिक धाराओं मे यह व्यवस्था है कि इनके कार्य क्षेत्र में आन वाले उद्योग जिनमें न्यूनतम निर्धारित संख्या में कर्मचारी काम करते हो, भोजनालय, शिशुपालन-गृह, विश्राम स्थलो, नहाने धोने की सुविधाओं, चिकित्सा सहायता और श्रम अधिकारियो (लेबर आफिसरो) की नियुक्ति का प्रबन्ध करें।

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि कानून, १९४७, अभ्रक खान कल्याण निधि कानून, १९४६, यू० पी० चीनी और शराब उद्योग श्रमिक कल्याण तथा विकास निधि कानून, १९५१ और बम्बई श्रमिक कल्याण निधि कानून, १९५३ के अन्तर्गत जिन श्रम-कल्याण कार्यों की कल्पना की गई है उनका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इन कानूनों के अधीन श्रम-कल्याण योजनाओं को बनाते समय श्रमिकों के जीवन का एक संकलित रूप सामने रखा जाता है जिसमें कि श्रमिक और उसका परिवार अपने अवकाश के समय का उत्तम उपयोग कर सके।

कोयला खान श्रमिक कल्याण के १९५२–५३ और १९५३–५४ के बजट में 'सामान्य कल्याण खाते' में क्रमशः, ७०,१८,३०० रुपये और ७८,००,००० रु० रखे गये थे।

अभ्रक खान कल्याण निधि के वार्षिक बजट में १९५३–५४ में बिहार, आन्ध्र, राजस्थान और अजमेर की अभ्रक खानों में कल्याण कार्यों पर व्यय करने के लिये क्रमशः १३,९०,००० रु० ४,३३,००० रु०, १,२६,००० रु० और ४४,००० रु० निर्धारित किये गये थे। बम्बई, मैसूर, तिरुवांकुर-कोचीन, मध्य भारत और मध्य प्रदेश की खानों में भी कल्याण-कार्य प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों की भी उपेक्षा नहीं की गई है । चाय बागान के श्रमिकों के लिये चिकित्सा सहायता का मानदंड सुझाने के लिये एक समिति बनाई गई थी और इसकी सिफारिशें पूर्णतया स्वीकार करली गई हैं । कुछ सेवा-नियोजकों ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित करना भी शुरु कर दिया है। १९५१–५२ में केन्द्रीय चाय बोर्ड से चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिये ४ लाख रुपया प्राप्त किया गया था । यह राशि राज्य सरकारों में बाँट दी गई और इससे जो कल्याण-कार्य किये गये वे श्रमिकों के मनोरंजन से सम्बन्ध रखते थे । साथ ही उन्हें सिलाई, कढाई, बुनाई, टोकरी बनाना आदि शिल्प भी इसी धन से सिखाये गये । चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये कुछ प्रदर्शन-केन्द्र संगठित करने को एक जापानी विशेषज्ञ भारत आया हुआ है ।

ऐच्छिक कार्य

श्रमिकों के लाभ के लिये कल्याण कार्यों का आर्थिक प्रबन्ध करने की दृष्टि से द्वितीय विश्व युद्ध के काल में श्रम कल्याण कोषों की स्थापना की गई। १९४७–४८ में केन्द्र द्वारा सचालित सभी उपक्रमों (उद्योगों) को कहा गया कि वे इस प्रकार के कोष स्थापित करे। १९५०–५१ में २२१ केन्द्रीय उपक्रमों में इस प्रकार के कल्याण-कोष स्थापित हो गये थे । विभिन्न मन्त्रालयों के अन्तर्गत उपक्रमों में स्थापित कल्याण-कोषों की संख्या नीचे दी जा रही है :—

तालिक १२६

मन्त्रालय	ऐसे उपक्रमों की संख्या, जिनमें कल्याण कोष स्थापित हैं
प्रतिरक्षा . . .	१९३
वित्त	४
कार्य, गृह निर्माण एवं संभरण . . .	६
संचार	८
स्वास्थ्य	४
खाद्य एवं कृषि	६
कुल योग . . .	२२१

इन कोषों में लगभग ७ लाख रुपया एकत्र हो गया है और इनसे लगभग १,२०,००० श्रमिकों को लाभ पहुँच रहा है । नियमित रूप से जिन लोकप्रिय कार्यों के लिये अर्थ का प्रबन्ध किया जाता है वे ये हैं : घर के अन्दर तथा बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल, वाचनालय, पुस्तकालय, रेडियो, शिक्षा और मनोविनोद । विभिन्न संस्थाओं अथवा श्रमिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे प्रसूति-केन्द्रों, क्लबों, स्कूलों और समाज सेवा केन्द्रों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है ।

राज्य सरकारें भी अनेक कल्याण केन्द्र चलाती हैं। कल्याण कार्यों के प्रकार और व्यापकता के हिसाब से इनके ए० बी० सी० और डी० वर्ग कर दिये गये हैं। ऐसे केन्द्रों की नवीनतम संख्या निम्न प्रकार है : बम्बई–५४, उत्तर प्रदेश–३६, पश्चिम बंगाल–१६, सौराष्ट्र–१७, बिहार, हैदराबाद और तिरुवांकुर-कोचीन—प्रत्येक मे ३ और मैसूर–२।

कल्याण न्यास निधि (वैलफेयर ट्रस्ट फण्ड)

निजी उद्योगों के सेवा-नियोजको को समझा बुझा कर प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपने श्रमिको के लाभ के लिये कल्याण-कोषों को चालू करें। यह कहा गया कि प्रारम्भ में ऐसे कोष ऐच्छिक आधार पर स्थापित करने चाहिएँ। किन्तु असफलता होने पर कोष की स्थापना के लिये कानून बनाये जायेंगे। नवम्बर १६५२ में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा कि वे अपने क्षेत्र के उद्योगपतियों को ऐसे कोष स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करें। स्थायी श्रम समिति के १४वें अधिवेशन मे यह निश्चय किया गया कि इस उद्देश्य के लिये केन्द्र द्वारा एक कानून बनाया जाये। कल्याण कोषों के निर्माण और उन के उपयोग के लिये अखिल भारतीय आधार पर क्या उपाय किया जाये, यह बात विचाराधीन है।

वैयक्तिक सेवा नियोजक जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, सेवा नियोजक समाज जैसे इन्डिया जूट मिल्स एसोसिएशन और इण्डियन टी एसोसिएशन और श्रमिक समाज जैसे कपड़ा मजदूर संघ, अहमदाबाद की अपनी निजी श्रम कल्याण योजनाएँ हैं।

औद्योगिक आवास

अप्रैल १६४८ में केन्द्रीय सरकार ने श्रमिकों के लिये दस वर्ष के भीतर १० लाख घर बनाने का निश्चय किया था। धन की कमी होने के कारण अप्रैल १६४६ मे कुछ परिवर्तन के साथ एक नई योजना की घोषणा की गई। इस योजना के अन्तर्गत १६५०–५१ और १६५१–५२ मे राज्य सरकारो को ऋण रूप मे सहायता प्रदान की गई।

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास

भारत सरकार ने राज्य सरकारो तथा उद्योगपतियो और श्रमिकों के प्रतिनिधियो से परामर्श करके सितम्बर १६५२ में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास बनाने की योजना तैयार की। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार प्रारम्भ का समस्त व्यय देती है। इसमे ५० प्रतिशत राशि तो राज्य सरकारो को आर्थिक सहायता के रूप में मिल जाती है और शेष ५० प्रतिशत ऋण के रूप मे दी जाती है जो २५ वर्ष मे चुकानी होती है। अपने श्रमिकों के लिये आवास बनाने की योजना यदि स्वीकृत हो गई तो सेवा-नियोजकों को समस्त व्यय का २५ प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप मे और ३७½ प्रतिशत ऋण के रूप में मिल सकता है। रजिस्टर्ड श्रमिक-सहकारी समितियों को ऋण देने मे और अधिक उदारता बरती जाती है, उन्हें समस्त व्यय का ५० प्रतिशत ऋण के रूप में मिल सकता है। उनको मिलने वाली आर्थिक सहायता का प्रतिशत वही है जो सेवा नियोजकों को प्राप्त हो सकता है।

भारत सरकार ने निश्चय किया है कि सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना का कार्य-क्षेत्र बढ़ाया जाये और उसमें खान श्रमिकों को भी, जिन्हें आवास के लिये सरकारी सहायता नहीं मिलती, शामिल कर लिया जाये। इस निर्णय से १,५०,००० श्रमिकों को, जो लोह, मैंगनीज,

सोना तथा अन्य खानों में काम कर रहे है, लाभ पहुँचेगा और उन श्रमिकों की कुल संख्या, जिन्हें आवास योजना के अन्तर्गत लाभ पहुँचेगा, बढ़ कर ३० लाख हो जायेगी। इसके अतिरिक्त, श्रम मन्त्रालय द्वारा चालित सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत, कोयला और अभ्रक की खानों में काम करने वाले श्रमिक, विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त करने के हकदार है।

गत वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखते हुए योजना पर पुनर्विचार किया गया है, और श्रमिकों की सहकारी समितियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये उसमे संशोधन किये गये है। इस में जो विशेष बात है वह यह निर्णय है कि १५० रु० या इससे अधिक मासिक आय वाले श्रमिकों के लिये दो कमरे वाले किराये के घर बनाये जायें और इनकी संख्या स्वीकृत कुल सख्या का १० प्रतिशत तक हो। किराये की दर का मापदंड भी निर्धारित कर दिया गया है।

पंचवर्षीय योजना

आवास निर्माण के लिये पंचवर्षीय योजना में ४८.६९ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इसमें से केन्द्रीय सरकार ३८.५ करोड रुपया और राज्यीय सरकारे १०.१९ करोड़ रुपया खर्च करेंगी। १९५३–५४ और १९५४–५५ के लिये जो राशियाँ निर्धारित हुई है वे ३८.५ करोड़ रुपये की राशि के भीतर ही है।

केन्द्रीय सरकार के उदाहरण पर लगभग सभी राज्यीय सरकारें अपने-अपने औद्योगिक आवास कार्यक्रम चला रही है। बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मैसूर ने ऐसे कानून पास कर दिये हैं जिनके अधीन ऐसी निधियो की स्थापना की गई है जिनसे उनके आवास कार्यक्रमो की आर्थिक व्यवस्था हो जाये। इन कानूनों का विवरण निम्न प्रकार है: बम्बई गृह निर्माण कानून १९४८, मैसूर श्रमिक गृह निर्माण कानून १९४९, मध्य प्रदेश गृह निर्माण बोर्ड कानून १९५० और यू० पी० चीनी और शराब श्रमिक कल्याण और विकास कानून १९५१। इन निधियो का निर्माण केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों की आर्थिक सहायता से सेवा-नियोजको के अंशदान और श्रमिको के किराये की राशियो से किया गया है। इन निधियो को अधिकार दिया गया है कि सम्बन्धित सरकारो की पूर्व स्वीकृति के बाद ये जनता से ऋण ले सकती हैं। सम्बन्धित अधिनियमो मे जैसा विहित है उस के अनुसार बम्बई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अनुविहित गृह-निर्माण बोर्डों की स्थापना की जा चकी है। जब तक श्रमिक गृह निर्माण निगम न बने तब तक के लिये मैसूर सरकार ने एक कानून द्वारा उसे दिये जाने वाले सब अधिकार और उत्तरदायित्व बंगलौर सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दे दिये है। बिहार सरकार ने मई १९५१ में एक अस्थायी औद्योगिक गृह निर्माण बोर्ड की स्थापना की। इन गृह निर्माण बोर्डों को कानूनी अधिकार है कि वे भूमिखण्डों को अवाप्त कर लें और उन्हे उन्नत करें और औद्योगिक श्रमिकों के लिये घर बनायें और उन घरों को ठीक हालत में बनाये रखने का प्रबन्ध करें।

श्रम कानूनों का पालन कराना

श्रम कानूनों को पालन कराने की जिम्मेदारी विभक्त है। वे श्रम कानून जिनका सम्बन्ध खानों, रेलवे, तथा अन्य केन्द्रीय उपक्रमों से है केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा पालन कराये जाते हैं। शेष श्रम कानून राज्य सरकारें अपने विभिन्न विभाग द्वारा पालन कराती हैं।

औद्योगिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सभी राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्रों में चालू विभिन्न श्रम कानूनों का पालन कराने और उन्हें लागू करने के लिये संघटनों की स्थापना की हुई है। जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर शेष सभी 'क' भाग और 'ख' भाग के राज्यों में इस कार्य के लिये श्रम आयुक्त नियुक्त कर दिये गये हैं।

तालिका १२७

फैक्टरियों में काम करने वाले कारीगरों की स्थिति

(यह केवल उन्ही फैक्टरियो के लिये है जो फैक्टरियाँ कानून के अन्तर्गत है)

राज्य	कारीगरों की प्रति दिन की औसत संख्या			
	१९५१	१९५२	१९५३	
			पूर्वार्ध	उत्तरार्ध
१. आन्ध्र	(क)	(क)	(क)	७७,९९५
२. आसाम	६५,१३६	६६,६२०	५१,८६८(ख)	६६,५८०
३. बिहार	१,९१,७२४	१,७२,४९६	१,६३,३३५(ख)	१,६७,८५८
४. बम्बई	७,६७,७०४	७,४४,५०९	७,६८,९०१(ख)	६,९७,७८३
५. मध्य प्रदेश	१,१०,९९४	१,१०,८४२	१,१४,४६४(ख)	१,०१,४८३
६. मद्रास	४,१७,५४५	४,००,३७९	४,२५,९२३(ख)	२,९८,०२०
७. उड़ीसा	१७,१८६	१८,०८८	१९,१०६	१७,५२७
८. पंजाब	४८,१७५	५२,८२२	४९,२३४(ख)	(क)
९. उत्तर प्रदेश	२,०२,५१४	२,०६,८३२	२,३६,२३३(ख)	(क)
१०. पश्चिम बंगाल	६,५४,९०१	६,२६,६३१	६,२०,०८२(ख)	(क)
११. अजमेर	१६,०२७	१५,६०३	१५,४५३	१३,८८२
१२. कुर्ग	३६६	३८०	४९६	४१०
१३. दिल्ली	४२,६३५	३६,९९३	४१,८६०(ख)	३५,४५६
१४. अण्डमान और निकोबार द्वीप	१,६३७	१,२६४	१,३६६	१,६०३
	२५,३६,५४४	२४,४३,४४९	२५,०८,३२१	–

(क) अप्राप्य (ख) संशोधित

तालिका १२८

राष्ट्रीय रोजगार सेवा के आँकड़े

अवधि	अवधि की समाप्ति पर केन्द्रों की संख्या	अवधि में पंजीकृत हुए व्यक्तियों की संख्या	उन प्रार्थियो की संख्या जिन्हे इस अवधि मे रोजगार दिलवाया गया	उन प्रार्थियों की संख्या जिनके नाम पंजिका मे दर्ज थे	उन नियोजकों की संख्या जो केंद्रों से लाभ उठा रहे थे	अवधि में प्रकाशित रिक्त स्थानों की संख्या	अवधि की समाप्ति पर ऐसे रिक्त स्थान जिन्हें भरना शेष था
१९५१ .	१२६	१३,७५,३५१	४,१६,८५८	३,२८,७१९	६,३६४	४,८६,५३४	२१,७७६
१९५२ .	१३१	१४,७६,६९९	३,५७,८२८	४,३७,५७१	६,०२३	४,२९,५५१	२२,८७३
१९५३ .	१२६	१४,०८,८००	१,८५,४४३	५,२२,३६०	४,३२०	२,५६,७०२	२०,९१४
जनवरी १९५४	१२७	१,१६,२६९	१३,६०६	५,३४,३१७	३,७५२	१९,५२४	२१,३८४
फरवरी ,,	१२७	१,०५,२२९	१२,६९५	५,३९,२७८	५,८८६	१८,५५२	२१,९१७
मार्च ,,	१२७	१,०६,५७३	१३,८०२	५,२५,७६१	४,००९	१८,९७९	२१,९४७
अप्रैल ,,	१२७	१,११,३११	१२,९६५	५,२६,२९०	४,५९६	१८,७०६	२१,९१५
मई ,,	१२७	१,१२,११३	१४,३८४	५,३२,९२५	४,८५१	२२,६३३	२४,४६६
जून ,,	१२७	१,४३,३८४	१४,६८७	५,४८,३९४	४,६८१	२०,३९६	२५,५२१

तालिका १२९

प्रशिक्षण के आँकड़े

(इसके अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम मंत्रालयें की योजनायें आती हैं)

महीने	अवधि की समाप्ति पर केन्द्रों की संख्या	अवधि की समाप्ति पर उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है				योग
		पुरुष		स्त्री		
		औद्योगिक	व्यावसायिक	शिक्षार्थी	व्यावसायिक	
अगस्त १९५१ .	२०३	७,५०४	१,७८६	८३३	३७४	१०,४९७
अगस्त १९५२ .	११९	९,०९७	१,८९६	२४३	४३२	११,७६८
अगस्त १९५३ .	२७०	७,६६१	१,६३३	६२६	४६५	१०,३८५
अगस्त १९५४ .	३१२	५,९५४	१,५००	७८५	५९७	८,८३६

तालिका १३०

अखिल भारतीय यूनियनों की सदस्य संख्या

	सम्बद्ध यूनियनो की सख्या			उनकी सदस्य संख्या		
	१९५०	१९५१	१९५२	१९५०	१९५१	१९५२
(१) इडियन नेशनल ट्रेडयूनियन कांग्रेस	१,०४३	१,२३२	९१३	१४,३१,८७८	१५,४८,५६८	१२,६८,६०६
(२) आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस	७२२	७३६	७३६	७,३०,६३६	७,५८,३१४	७,५८,३१४
(३) हिन्द मजदूर सभा	४६०	५१७	५७४	६,९८,७२०	८,०४,३३७	८,०४,४९४
(४) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस	३०६	३३२	२०१	३,६६,४०१	३,८४,९६२	२,२३,२९२
योग	२,५३१	२,८१७	२,४२४	३२,२७,६३५	३४,९६,१८१	३०,५४,७०६

तालिका १३१

पंजीकृत ट्रेड यूनियन और उनकी सदस्य संख्या

	१९५०–५१			१९५१–५२			१९५२–५३		
	पंजिका में दर्ज यूनियनों की संख्या	आय विवरण देने वाले यूनियनों की संख्या	आय विवरण देने वाले यूनियनों की सदस्य संख्या	पंजिका मे दर्ज यूनियनो की सख्या	आय विवरण देने वाले यूनियनो की सख्या	आय विवरण देने वाले यूनियनों की सदस्य सख्या	पजिका में दर्ज यूनियनों की संख्या	आय विवरण देने वाले यूनियनों की संख्या	आय विवरण देने वाले यूनियनों की सदस्य संख्या
केन्द्र के यूनियन	११५	७८	३,४५,३७६	१३३	९१	४,५०,५६२	५३	४०	३,०१,७३५
राज्यों के यूनियन									
'क' भाग के राज्य	३,५४०	१,८४४	१३,४३,२५६	३,४७०	२,०९२	१३,८१,८२१	—	—	—
'ख' भाग के राज्य	२१८	२११	१,०६,६११	८७६	२६२	१,२५,१४७	—	—	—
'ग' भाग के राज्य	११४	९४	८८,६१७	१४४	१११	३८,७८१	१४८	१२३	५३,१६९
योग	३,९८७	२,२२७	१८,८३,८६०	४,६२३	२,५५६	१९,९६,३११	—	—	—

तालिका १३२

कुछ देशों के जीवन निर्वाह सम्बन्धी देशनांक

(आधार—१९४९=१००)

	इंग्लैंड	अमेरिका	कनाडा	आस्ट्रेलिया	टर्की (इस्तम्बूल)	श्रीलंका (कोलम्बो) (क)	जापान	पाकिस्तान (कराची) (ख)	पाकिस्तान (नारायणगंज) (ख)	बर्मा (रंगून)	भारत
१९५० . .	१०३	१०१	१०३	११०	९५	—	९३	९५	९८	८४	१०१
१९५१ . .	११३	१०९	११३	१३४	९४	—	१०८	९९	१०२	८३	१०५
१९५२ . .	१२२	१११	११६	१५६	९९	—	११४	१०१	११०	७९	१०३
१९५३ . .	१२६	११२	११५	१६३	१०३	१०२	१२८	११२	१०९	७७	१०६
जनवरी १९५४ . .	१२६	११३	११५	—	१०९	१०१	१२३	१११	९२	७३	१०४
फरवरी १९५४ . .	१२६	११३	११५	१६५	१११	१०१	१२९	११२	९२	७१	१०२
मार्च १९५४ . .	१२७	११३	११५	—	१०९	१००	१२९	११२	९२	७०	१०१
अप्रैल १९५४ . .	१२८	११३	११५	(ग)	११४	१००	१३०	१११	९१	७३	१०२
मई १९५४ . .	१२७	११३	११५	१६४	११५	१०२	१२९	१०९	८८	७९	१०२
जून १९५४ . .	१२८	११३	११६	—	११६	१०२	१३०	१०७	९१	७३	१०१

(क) आधार : १९५२=१००

(ख) आधार : अप्रैल १९४८ से मार्च १९४८ तक = १००

(ग) नया क्रम जिसमें प्रारम्भिक आधार जुलाई १९५२ से जून १९५३ तक को पुराने क्रम के साथ परिवर्तित आधार १९४९=१०० जोड़ दिया गया है।

तालिका १३३

लेबर ब्यूरो मज़दूर वर्ग के जीवन निर्वाह का देशनांक

(आधार : १९४४=१००)

	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४					
				जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
दिल्ली .	१४२	१४३	१४०	१३९	१३९	१३८	१४१	१४२	१३५
अजमेर .	१७८	१७४	१६८	१५५	१५१	१४६	१४८	१४९	१४६
जमशेदपुर .	१६०	१५५	१५४	१४२	१४१	१३६	१३८	१४२	१४३
झरिया . .	१८४	१७५	१६६	१४३	१४३	१४१	१३४	१३२	१२९
देहरी-ऑन-सोन .	१९७	१८८	१७३	१५१	१४८	१४२	१४८	१४९	१४२
मुंगेर .	१८८	१७२	१५५	१४१	१३८	१३३	१४०	१४१	१३७
कटक .	१८१	१६०	१५७	१४९	१४७	१४६	१४६	१४६	१४९
बरहामपुर	१९०	१५६	१५६	१५८	१५२	१४६	१४८	१५३	१५१
गोहाटी .	१४१	१४२	१३०	१२७	१२६	१२३	१२५	१२२	१२१

सिलचर .	१५६	१४१	१३१	१२३	१२५	१२५	१३२	१३६	१४०
तिनसुखिया	१२४	१२८	११६	११४	११५	११५	११६	११७	११२
लुधियाना .	१६७	१५१	१४७	१५१	१५१	१५०	१५१	१५०	१४६
अकोला .	१६५	१५६	१६१	१६०	१५८	१५५	१५६	१५५	१५१
जबलपुर .	१६८	१५०	१५१	१४४	१४४	१४३	१४४	१४२	१४१
खड़गपुर .	१३६	१३३	१३९	१२५	१२५	१२६	१२६	१३३	१२७
मरकारा (ङ)	११८	११०	११६	११८	११८	११७	११८	११८	११७
मद्रास बागान केन्द्र (ग) .	१२०	११०	१२०	११३	१०६	१०७	१०६	१०६	१०५
भोपाल (घ)	—	१०१	६७	६३	६३	६२	६२	६१	६०
ब्यावर (क)	—	६६ (ख)	६०	८६	८५	८२	८४	८३	८१

(क) आधार : अगस्त १९५१ से जुलाई १९५२=१००

(ख) अगस्त से दिसम्बर १९५२ तक की औसत

(ग) बागान में काम करने वालों के लिये जनवरी से जून १९४९ तक के आधार पर औसत क्रम=१००

(घ) आधार : जनवरी से दिसम्बर १९५१=१००

(ङ) बागान में काम करने वालों के लिये जुलाई से दिसम्बर १९४८ के आधार पर औसत क्रम=१००

अट्ठाइसवाँ अध्याय

अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियाँ और पिछड़े वर्ग

भारत के पिछड़े लोगों को तीन मुख्य वर्गों में रखा गया है : (१) अनुसूचित जातियाँ, (२) अनुसूचित जनजातियाँ, और (३) पिछड़े वर्ग । १९५१ की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियो के लोगों की संख्या ५१७ लाख है । ये जातियाँ अनेक वर्गों और उपजातियों में बँटी हुई है और कोई किसी राज्य में तो कोई किसी राज्य में बसी हुई है । अनुसूचित जनजातियों के सदस्यो की संख्या १९१ लाख है । पिछड़े वर्ग में कौन-कौन शामिल होना चाहिए इसकी स्पष्ट परिभाषा अब तक नही हो पाई है । किन्तु भूतपूर्व अपराधी जातियो को शामिल करके इस वर्ग के लोगों की संख्या ५० लाख से ऊपर है । इन जातियो के अधिकारों की रक्षा के लिये और उन के साथ किसी भी प्रकार का भेद भाव न होने देने के लिये संविधान में पूरी व्यवस्था की गई है । ये संविधानिक अभिरक्षण तीन बड़े भागों में बाँटे जा सकते है : सामान्य, वैधानिक, और प्रशासनिक ।

सामान्य अभिरक्षण

इस शीर्षक के अन्तर्गत वे सांविधानिक अभिरक्षण आते है जो नागरिकों की सभी जातियों को पूर्ण सामाजिक समता का आश्वासन देते है । उदाहरणार्थ, संविधान का अनुच्छद १५ किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, वंश, जाति , वर्ग अथवा जन्मस्थान के अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर भेद भाव करना निषिद्ध ठहराता है। संविधान के १६वें अनुच्छेद में आगे लिखा है : राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिको के लिये अवसर की समता होगी । किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषयों में न अपात्रता होगी और न भेद किया जायेगा । अनुच्छेद १९ (६) और १९ (२) मे आगे कहा गया है कि "सब नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार होगा," और "राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्यनिधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित न रखा जायेगा ।"

उपर्युक्त उद्धरणों से यह पता चलेगा कि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के पूर्ण सामाजिक समता के सहज अधिकार को नये संविधान में स्वीकृत किया गया है । अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध मे स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिये संविधान के अनुच्छेद १७ में लिखा है "अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किस भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है । अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।"

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

संसद् में १५ मार्च १९५४ को एक अस्पृश्यता निवारक विधेयक प्रस्तुत किया गया था । इसके अन्तर्गत अस्पृश्यता का व्यवहार दण्डनीय अपराध ठहराया गया है । नवम्बर १९५४ में

यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, किन्तु अभी अन्तिम रूप से इसे संसद् की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है। इस विधेयक में अस्पृश्यता की कोई परिभाषा नही की गई है, अपितु भारत में अस्पृश्यता का व्यवहार जिन-जिन रूपों मे होता है उनके सम्बन्ध में विधान किया गया है। यह विधेयक केवल हिन्दुओं पर ही नहीं, बल्कि सभी जाति और धर्म के लोगों पर लागू होगा ।

अनुसूचित जाति आयुक्त

संविधान के अनुच्छेद ३३८ द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे, जो संविधान मे उक्त जातियो के लिये विहित अभिरक्षणों से संबंधित सब मामलो मे जाँच पड़ताल करता रहे और राष्ट्रपति को निश्चित अन्तराल के बाद यह रिपोर्ट देता रहे कि उक्त अभिरक्षण किस प्रकार क्रियान्वित हो रहे हैं। उक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति पदों मे पिछड़े वर्ग और आंग्ल-भारतीय (ऐग्लो इंडियन) जाति भी शामिल है ।

इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने १८ नवम्बर १९५० को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियो के लिये एक आयुक्त की नियुक्ति कर दी। यह आयुक्त अभी तक राष्ट्रपति को चार रिपोर्ट दे चुका है। सब से हाल की रिपोर्ट आजकल संसद् के सामने प्रस्तुत है ।

वैधानिक अभिरक्षण

संविधान के अनुच्छेद ३३४ मे विधान है कि संविधान के प्रारम्भ होने से १० वष तक लोक सभा में और राज्यो की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रहेगे। अनुच्छेद ३३० और ३३२ मे विधान है कि ये स्थान जहाँ तक संभव हो राज्यों मे इन जातियों की संख्या के अनुपात मे सुरक्षित किये जायेंगे। लोक सभा के ५०० स्थानों में से ७० स्थान अनुसूचित जातियो के लिये तथा २७ स्थान अनुसूचित जन जातियों के लिये सुरक्षित रक्खे गये है। इसी प्रकार राज्यों के विधान मण्डलों के ३,३५६ स्थानों में ४८३ स्थान अनुसूचित जातियों तथा १९० अनुसूचित जन जातियों के लिये सुरक्षित है ।

प्रशासनिक अभिरक्षण

इस शीर्षक के अन्तर्गत संविधान के वे विधान आते हैं जिनमे केन्द्र तथा राज्य सरकारों की नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखने की और उनके शैक्षणिक एवं सामाजिक अभ्युत्थान की व्यवस्था है ।

नौकरियों में स्थानों का सुरक्षित रखना

संविधान के अनुच्छेद ३३५ में दिया गया है कि "संघ या राज्यों के कार्यो से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियाँ करने मे प्रशासन-कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियो के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।" इसके साथ ही अनुच्छेद १६(४) को, जिसमें लिखा है : इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं मे पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में बाधा न होगी, पढने से यह

स्पष्ट हो जाता है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनसूचित जन जातियों के लिये नियुक्तियों का रक्षण कर सकते है और ऐसी सुविधाएं जिन्हें उनके लिये आवश्यक समझा जाये उन्हें प्रदान कर सकते है ।

सरकार ने १७ सितम्बर १९५० को एक निर्णय प्रकाशित किया जिसमें यह नीति घोषित की गई थी कि खुली प्रतियोगिता के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं में होने वाली भर्ती में अनुसूचित जातियों का भाग १२$^{१}/_{२}$ प्रतिशत रहेगा लेकिन सीधी भर्ती में उनका भाग बढ़ा कर १६$^{२}/_{३}$ प्रतिशत कर दिया जायेगा । इस निर्णय में यह भी विहित था कि किसी नौकरी या पद के लिये निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये ३ वर्ष अधिक कर दी जायेगी । १९५२ मे इस नियम को और शिथिल कर दिया गया और अब जो अधिकतम आयु सीमा अन्यों के लिये निर्धारित थी उसे अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये पाँच वर्ष अधिक कर दिया गया । अनुसूचित जन जातियों को भी इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई ।

मंत्रियों की नियुक्ति

संविधान के अनुच्छेद १६४(१) तथा अनुच्छेद २३८ के खण्ड ६ के अन्तर्गत विहित है कि मध्य भारत, मध्य प्रदेश, बिहार और उडीसा में जनजातियों के कल्याण के लिये एक मन्त्री रहेगा जो इसके साथ-साथ अनुसूचित जातियों और पिछडे वर्ग के कल्याण सम्बन्धी कार्य तथा अन्य कार्य भी करेगा । इस समय लगभग सभी 'क', 'ख' और 'ग' भाग के राज्यो में अनुसूचित जातियों और पिछडे वर्ग आदि के कल्याण के लिये एक अलग विभाग अथवा मंत्रालय विद्यमान है ।

१९५३ की समाप्ति के समय राज्यीय सरकारों में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के ३० मन्त्री, सहायक मंत्री अथवा संसदीय सचिव कार्य कर रहे थे ।

शैक्षणिक तथा अन्य कल्याण योजनाएं

संविधान में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों में यह विहित है कि राज्य न केवल अनुसूचित जातियों की अनर्हताओं को ही दूर करेगा बल्कि वह उनके कल्याण के लिये निश्चित कदम उठायेगा । उदाहरणार्थ अनुच्छेद ३८ एवं ४६ में विधान है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हों स्थापित करने और उसे सुरक्षित रखने के द्वारा जन-कल्याण की अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा और राज्य जनता के दुर्बल अंगों विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की अधिक चिन्ता रखते हुए उन्हे आगे बढ़ायेगा और सामाजिक अन्याय तथा प्रत्येक प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा । इन विधानो के अनसार अनुसूचित जातियो और अनुचित जन जातियो की दशा को उन्नत करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारों ने अनेक कदम उठाये हैं ।

शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान करने पर सबसे अधिक जोर दिया गया है । उदाहरणार्थ पिछड़ी जातियों को नि:शुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, मुफ्त किताबें, लेखन सामग्री तथा अन्य सामान के रूप में विशेष रियायतें दी जा रही हैं । १९५३–५४ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जन जातियों के स्कूली छात्रों को जो सुविधाएं प्राप्त थीं वे १३ राज्यों* से मिली सूचना के आधार पर नीचे दी जा रही हैं :—

तालिका १३४

	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जन जातियाँ
बुनियादी स्कूल खोले गये . . .	२४६	३४
प्राथमिक स्कूल खोले गये . . .	१६८	१८०
छात्रावास वाले स्कूल . . .	१०१	—
प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये . . .	१८४	८३
विविध छात्रवृत्तियाँ दी गई . . .	२,१४,२५०	६,२४४
पुस्तकों आदि के लिये सहायता .	१३,८६१	३,८००

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग के मैट्रिक पास छात्रों को आगे पढ़ने के लिये ११,७४५ छात्रवृत्तियाँ दीं। पिछले वर्ष की अपेक्षा यह संख्या बहुत अधिक है क्योंकि तब केवल ५,८६३ छात्रवृत्तियाँ ही दी गईं।

अनुसचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग के बहुसंख्यक छात्रों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि आदि के लिये।

१९५१-५२, १९५२-५३, और १९५३-५४ के वर्ष में पिछड़ी जातियों की शैक्षणिक सुविधा पर जो व्यय किया गया वह नीचे की तालिका में दिखाया गया है :

तालिका १३५ (रुपयों में)

	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४ (अनुमानित)
अनुसूचित जातियाँ .	८,१७,६७६	१४,००,६५०	२८,६०,०००
अनुसूचित जन जातियाँ .	२,८१,७८०	५,२३,२६२	६,००,०००
पिछड़ी जातियाँ .	४,४१,१८६	१०,७६,०५८	२४,४०,०००
योग . .	१५,४०,६४२	३०,००,०००	६२,००,०००

* जिन तेरह राज्यों से आँकड़े मिले हैं उनके नाम ये हैं : आसाम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्यभारत, राजस्थान, तिरुवांकुर-कोचीन, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, कच्छ, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश (१९५३-५४ की पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट)।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के लिये कल्याण योजनाओं में भिन्न-भिन्न राज्यों ने जो व्यय किया है उन के आँकड़ों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

तालिका १३६

(रुपयों में)

	किया गया व्यय		
	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४
'क' भाग के राज्य			
आसाम	६,११,५००	६,११,५००	६,११,५००
बिहार	१६,५३,८१२	१४,३५,४६०	१७,२८,५३२
बम्बई	२२,६६,८२६	२४,७१,०८८	अप्राप्य
मध्य प्रदेश	१,०६,७१६	१,२४,६६५	,,
मद्रास	१,००,८६,२८६	१,२६,१८,५६८	,,
पंजाब	७,६८,३००	५,५२,७००	,,
उत्तर प्रदेश	३६,२०,०००	४६,६२,०००	,,
पश्चिम बंगाल	७,५१,५०८	८,२४,८६७	७,२४,०००
'ख' भाग के राज्य			
हैदराबाद	३६,५४७	५,२३,५७२	८,६३,६६७
मध्य भारत	२,१२,३७१	५,४७,२४६	६,७२,१५०
मैसूर	१८,१४,६०७	६,६४,५५२	१२,३२,६८६
पेप्सू	४,८६,७०४	७,६३,४६८	६,५२,१६१
राजस्थान	—	१,१६,०२७	५,३८,८५२
सौराष्ट्र	८०,०००	३,६२,०००	अप्राप्य
तिरुवांकुर-कोचीन	६,३५,०००	६,५२,०००	१३,७४,०००
'ग' भाग के राज्य			
अजमेर	२५,०८०	२५,०८०	अप्राप्य
कुर्ग	५०,०००	५०,०००	,,
भोपाल	—	१८,५१८	३,६८८
बिलासपुर	६००	८१६	१,२४०
हिमाचल प्रदेश	—	२,४५,८४०	अप्राप्य
दिल्ली	६०,६४४	१,२०,५८३	७७,२३०
कच्छ	२७,८७५	४४,५०४	७३,७००
विन्ध्य प्रदेश	—	८२,५८७	१,२३,२५०

राज्यीय विधान सभाओं ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये जो विभिन्न कानून बनाये हैं उनका विवरण इस अध्याय के अन्त में दिया गया है ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लाभ

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की दशा सुधारने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ४१ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इस राशि में से २९ करोड़ रुपया पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये, ३ करोड़ रुपया पूर्वोत्तर सीमान्त प्रदेश की जन जातियों के लिये जिनकी जनसंख्या लगभग ८,००,००० है और ९ करोड़ रुपये संविधान के अनुच्छेद २७५ (१) के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्यों को अनुदानों के रूप में देने के लिये निर्धारित किये गये हैं ।

पिछडे वर्ग को दी जाने वाली २९ करोड़ रुपये की राशि को केन्द्र द्वारा ७ करोड़ रुपये, 'क' भाग के राज्यों द्वारा १८.५ करोड़ रुपये, 'ख' भाग के राज्यों द्वारा ३.२ करोड़ रुपये और 'ग' भाग के राज्यों द्वारा २२.५ लाख रुपये देकर पूरा किया जायेगा ।

कुछ दशाओं में योजना में निर्धारित राशि बढ़ा दी गई है । उदाहरणार्थ पूर्वोत्तर सीमान्त प्रदेश के लिये निर्धारित ३ करोड़ रुपये की राशि बढ़ा कर अब ४.२१ करोड़ रुपये कर दी गई है ।

अनुसूचित और जन जाति क्षेत्रों के लिये विशेष व्यवस्था

संविधान में उन क्षेत्रों के जिन्हें 'अनुसूचित' अथवा 'जन जातीय' शब्दों से व्यक्त किया गया है. प्रशासन के लिये विशेष व्यवस्था रखी गई है । संविधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र वह है जिसे राष्ट्रपति वैसा घोषित करें । 'क' और 'ख' भाग के राज्यों में ऐसे अनेक क्षेत्र है । जन जातीय क्षेत्र केवल आसाम में ही है और उसका शासन संविधान की छटवीं अनुसूची में उल्लिखित व्यवस्थाओं द्वारा किया जाता है ।

अनुसूचित जन जातियों की समस्याएं अनुसूचित जातियों की समस्याओं से भिन्न हैं और वैसी जटिल नहीं है क्योंकि उन के विरुद्ध समाज में गहरी विरोधी भावना नहीं है । शताब्दियों से जन-जातियाँ सुदूर बनों में और पर्वतीय प्रदेशों में रहती चली आ रही हैं। इसलिए वे समाज से दूर हैं और उन तक पहुँच आसान नहीं है। अब उनकी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । संविधान के अनुच्छेद २७५ के अनुसार केंद्रीय सरकार इस कार्य के लिए ठोस आर्थिक सहायता दे रही है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय समेकित निधि से राज्य के राजस्व के लिये ऐसी पूंजी तथा आवर्तक राशि अनुदान रूप में दी जायेगी जिससे उस राज्य की अनुसूचित जन जातियों का कल्याण हो और जन जातीय प्रदेशों के प्रशासन को राज्य के अन्य भागों के प्रशासन स्तर पर लाया जा सके ।

अगली तालिका से यह पता चलता है कि १९५१–५२, १९५२–५३ और १९५३–५४ में 'क' और 'ख' भाग के राज्यों ने अनुसूचित जन जातियों और जन जातीय क्षेत्रों की कल्याण योजनाओं पर कितना व्यय किया है :—

तालिका १३७

अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण के कार्यों पर किया गया व्यय

(रुपयों में)

राज्य	१९५१–५२			१९५२–५३			१९५३–५४ (प्रस्तावित)		
	राज्य की निधि में से	केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायतार्थ स्वीकृत अनुदान में से	कुल	राज्य की निधि में से	केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायतार्थ स्वीकृत अनुदान में से	कुल	राज्य की निधि में से	केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायतार्थ स्वीकृत अनुदान में से	कुल
'क' भाग के राज्य									
आसाम									
१. मैदानी जिले	२५,०७,९५४	—	२५,०७,९५४	३१,००,८८६	९,१३,३४१	४०,१४,२२७	—	१५,००,०००	१५,००,०००
२. स्वायत्त जिले	१३,५५,३६४	१८,०६,७२८	३१,६२,०९२	१८,००,११०	३२,२०,६५५	५०,२०,७६५	१८,८५,२४८	५७,९९,९५०	७६,८५,१९८
	३८,६३,३१८	१८,०६,७२८	५६,७०,०४६	४९,००,९९६	४१,३३,९९६	९०,३४,९९२	१८,८५,२४८	७२,९९,९५०	९१,८५,१९८

बिहार	३७,१४,०८०	१५,००,०००	५२,१४,०८०	२६,६६,८१२	१८,००,०००	४४,९६,८१२	५४,१३,०२७	२१,९८,०००	७६,११,०२७
बम्बई	१३,७४,०००	१,००,०००	१४,७४,०००	४४,८७,६५८	८,५०,०००	५३,३७,६५८	७४,८५,७६७	१२,००,०००	८६,८५,७६७
मद्रास	७,०६,०७३	४,००,०००	११,०६,०७३	१६,८५,६३५	८,५०,८७५	२५,३६,५१०	—	६,५०,०००	६,५०,०००
मध्य प्रदेश	२४,८६,७४५	१०,७५,०००	३५,६१,७४५	२४,५३,६५६	१२,५१,६७०	३७,०५,६२६	—	२०,००,०००	२०,००,०००
उड़ीसा	११,६६,११६	३०,००,०००	४१,६६,११६	१२,५२,७३४	१७,००,०००	२६,५२,७३४	२०,६२,२०७	१६,७५,१५०	३७,६७,३५०
पंजाब	—	७५,०००	७५,०००	—	१,२०,६६०	१,२०,६६०	—	६,००,०००	६,००,०००
पश्चिम-बंगाल	२,२३,७६६	२,००,०००	४,२३,७६६	६,४२,४५६	५,७६,४६०	१२,१८,६४६	१५,३८,२००	१०,००,०००	२५,३८,२००
'ख' भाग के राज्य									
हैदराबाद	२,२५,१६५	१,७६,३१४	४,०४,४७६	२,२५,६६७	५७,४०२	२,८३,३६६	२,५५,५१६	४,६८,६८५	७,२४,५००
मध्य भारत	३,६५,०३२	४,००,०००	७,६५,०३२	१७,५४,८४०	७,८६,०००	२५,४०,८४०	१२,६३,६०८	७,००,०००	१९,६३,९०८
—	—	—	—	—	१५,०००	१५,०००	१,००,०००	१,००,०००	२,००,०००
मैसूर	१५,०६,७७१	३,५०,४५६	१७,६०,२३०	३०,४६,८८६	६,७०,०००	३७,१६,३८६	३८,३६,६०६	८,००,०००	४६,३६,६०९
राजस्थान	—	—	—	१,००,०००	४३,१००	१,४३,१००	३३,०००	१,००,०००	१,३३,०००
सौराष्ट्र-तिरुवांकुर-कोचीन	६,२००	—	६,२००	३४,१५०	६,२५०	४०,४००	५०,०००	५०,०००	१,००,०००
योग	१,५५,७०,२६६	६०,८६,५०१	२,१६,५६,७६७	२,३२,८१,३२०	१,२८,६१,७४३	६१,४३,०६३	२६,५६,५१५	१,६१,४२,०८५	४,३०,६८,६००

पिछड़ी जातियाँ

यद्यपि 'पिछड़े' वर्ग अथवा 'पिछड़ी जातियों' पद का प्रयोग संविधान में अनेक स्थलों पर हुआ है किन्तु इनकी स्पष्ट व्याख्या कहीं नही की गई है। सामान्यतः इन शब्दों से तात्पर्य उन वर्गों से है जो शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। पिछड़े वर्ग की स्पष्ट व्याख्या करने के लिये सरकार ने १९५२ में एक आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया था। इस आयोग का उद्घाटन औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा १८ मार्च १९५३ को किया गया। इस आयोग से सर्वप्रथम यह अपेक्षा की गई कि यह ऐसी कसौटी निर्धारित करे जिसके आधार पर किसी जाति या वर्ग को पिछड़ा हुआ कहा जा सके। दूसरी बात जो इससे चाही गई वह यह थी कि यह समस्त भारत की ऐसी पिछड़ी जातियों की एक सूची तैयार करे; और अन्तिम बात यह कि यह पिछड़ी जातियों की कठिनाइयों की जाँच करे और उनको दूर करने के लिये किये जाने वाले उपायों की सिफारिश करे।

इस आयोग को यह अधिकार दिया गया कि यह आयोग जिस राज्य मे साक्षियाँ लेना प्रारम्भ करे, उस राज्य से कम से कम दो सदस्य जिनमें एक महिला हो और चुन ले। इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार के समक्ष आने वाली है।

उन्तीसवाँ अध्याय

पुनर्वास

१९४७ में भारत के विभाजन के साथ ही एक सामूहिक प्रव्रजन की शृंखला बँध गई। इस समय तक लगभग ८० लाख व्यक्ति पाकिस्तान में अपना घर बार छोड़ कर भारत आ चुके हैं। इस प्रकार जिन व्यक्तियों को अपने नये घर खोजने के लिये विवश होना पड़ा, उनकी संख्या कनाडा की समस्त जनसंख्या की लगभग आधी के बराबर है। इन विस्थापित व्यक्तियों के कारण जितनी विशाल एवं जटिल समस्या उत्पन्न हो गई उसका उदाहरण मानवता के इतिहास में नही मिलेगा। १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत में विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या ७२ लाख ९५ हज़ार थी, जिनमें लगभग ४६ लाख ९९ हज़ार पश्चिमी पाकिस्तान से और २५ लाख ४९ हज़ार पूर्वी पाकिस्तान से आये थे। इनके अतिरिक्त ४७ हज़ार व्यक्ति ऐसे भी थे जिनके पूर्व स्थान का पता नही था। जनगणना के बाद के काल में पश्चिमी पाकिस्तान से आने वालों की संख्या नही के बराबर रही, किन्तु पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन अब भी जारी है। नवम्बर १९५४ के अन्त तक लगभग ३३ लाख व्यक्ति पाकिस्तान के इस दूरस्थ पूर्वी भाग से आ चुके थे।

इस विस्थापित मानव समूह को अपना जीवन पुनः नये प्रकार से प्रारम्भ करने में सहायता देने के लिये सरकार द्वारा बड़े परिमाण में सहायता दी गई है। इस कार्य में बहुत बड़ी धन राशि, भौतिक एवं शारीरिक साधनों, संघठन तथा प्रशासनिक अनुभव का उपयोग करना पड़ा है।

सहायता-दान

भारत में आने पर तत्काल ही विस्थापित व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा-सहायता की आवश्यकता थी। इनके रहने के लिये शिविर खोले गये, और इनको शिविरों के अन्दर तथा शिविरों के बाहर अधिकतम शीघ्रता से ये सहायताएँ प्रदान की गईं। यह अनुमान है कि १९४७ के नवम्बर के समाप्त होते-होते इन शिविरों की संख्या लगभग २०० हो गई थी और इनमें रहने वाले विस्थापितों की संख्या लगभग १२ लाख ५० हज़ार तक पहुँच गई थी। सबसे बड़ा शिविर कुरुक्षेत्र में था जहाँ कि अधिकतम संख्या ३ लाख तक पहुँच गई थी। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में ज्यों-ज्यों प्रगति होती गई त्यों-त्यों सहायता शिविर बन्द होते गये। इस समय पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के लिये कोई भी सहायता शिविर नहीं है। परन्तु, लगभग ३१,००० व्यक्ति—स्त्रियाँ, बूढ़े और बच्चे—ऐसे हैं जिनके कोई सम्बन्धी नहीं हैं, और जिनके भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ले रखी है।

निर्वाह-भत्ता

पुनर्वास मन्त्रालय ऐसे व्यक्तियों को अस्थायी सहायता के रूप में, निर्वाह भत्ता दे रहा है, जो वृद्धावस्था, अशक्यता, रोग अथवा किसी अन्य कारण से अपनी जीविका-उपार्जन करने में असमर्थ हैं और जो पाकिस्तान में अपनी शहरी जायदाद की आय से अपनी जीविका चलाते

थे। यह भत्ता एक निर्धारित श्रेणी के अनुसार दिया जाता है और इसकी अधिकतम राशि १०० रु० मासिक है। इस प्रकार दिसम्बर १९५४ के अन्त तक १४,००० व्यक्तियों को लगभग १ करोड़ ३५ लाख रुपया भत्ते के रूप में दिया जा चुका है।

देहाती क्षेत्रों में पुनर्वास

विस्थापित व्यक्तियों की गाँवों में पुनर्वास व्यवस्था के लिये पुनर्वास मन्त्रालय ने निम्नलिखित कार्य पद्धति अपनाई है :—

(१) पंजाब और पेप्सू में विवासित व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि स्थायीतुल्य रूप में प्रदान करना ;

(२) भारत के अन्य भागों में, विशेषत: दिल्ली और राजस्थान राज्यों में, विवासित व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि अस्थायी रूप से प्रदान करना ; और

(३) विभिन्न राज्यों द्वारा तथा केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा सुधारी गई कृषि योग्य बंजर भूमि पर स्थायी रूप से बसाना।

पश्चिमी पंजाब से आये हुए अथवा सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, बलूचिस्तान और बहावलपुर से आये हुए पंजाबी भू-स्वामी विस्थापितों को पंजाब और पेप्सू में विवासित व्यक्तियों की कृषि योग्य भूमि स्थायी-तुल्य रूप में प्रदान की गई है। इन दोनों राज्यों में अब तक कुल मिलाकर ४ लाख ७५ हज़ार व्यक्तियों ने इस प्रकार दी हुई लगभग २३ लाख ८० हज़ार एकड़ भमि पर अधिकार कर लिया है। साथ ही विस्थापित किसानों के ३३,००० परिवार पंजाब और पेप्सू में भूमिधरों के यथच्छ-भाटकी-कृषक (टेनेन्ट-ऐट-विल) के रूप में बसा दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए लगभग ५६,००० विस्थापित कृषक परिवारों को जो अधिकांशत: गैर-पंजाबी थे, अजमेर, भोपाल, बम्बई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश में बसा दिया गया है और उन्हें लगभग ७ लाख ६६ हज़ार एकड़ भूमि प्रदान कर दी गई है।

सामान्यत: भूमि के साथ-साथ नकदी अथवा सामग्री के रूप में, अथवा दोनों प्रकार की, आर्थिक सहायता दी गई है। यह सहायता इसलिए दी गई है कि जिससे वे अपनी पहली फसल मिलने तक अपना जीवन-निर्वाह कर सकें और जिससे उन्हें बीज, बैल, तथा कृषि उपकरणों के खरीदने में मदद मिल सके। मार्च १९५४ के अन्त तक इन कृषकों को ९ करोड़ १० लाख रुपये की राशि उक्त कार्यों के लिये दी जा चुकी थी। साथ ही मार्च १९५५ में समाप्त होने वाले वर्ष के लिये २० लाख रुपये और स्वीकृत किये गये हैं। प्रत्येक परिवार को औसतन १,१५० रु० ऋण स्वरूप दिया गया है।

शहरों में पुनर्वास

शहरी क्षेत्रों में विस्थापितों की मुख्य आवश्यकताएँ थीं आवास और लाभकारी वृत्ति।

आवास

विस्थापित व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या को विवासित व्यक्तियों के मकानों में रहने का स्थान दे दिया गया है। शेष व्यक्तियों के आवास के लिये सरकार ने विशाल परिमाण में निर्माण

कार्यक्रम चालू किया हुआ है। सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों तथा उनकी सहकारी समितियों को मकान बनाने के लिये भूमि खंड दिये हैं और आर्थिक सहायता भी दी है। इस प्रकार लगभग २ लाख नये मकान या किराये के छोटे मकान बन चुके है अथवा बन रहे हैं । यह अनुमान है कि इन मकानों से लगभग १० लाख व्यक्तियों की आवास-व्यवस्था हो जायेगी। अब तक जितना भी निर्माण-कार्यक्रम चलाया गया है वह मुख्यतः उन्ही विस्थापितों के लिये है जो उचित आश्रय के अभाव में सड़क के किनारे, शिविरों में, अस्थायी बैरकों में, अथवा किन्ही सार्वजनिक स्थानों में रह रहे है। इन लोगों की आवास-समस्या बहुत बड़ी सीमा तक सुलझ गयी है और अब उन व्यक्तियों के आवास पर ध्यान दिया जा रहा है जो छोटे घरों में आवश्यकता से अधिक संख्या में रह रहे है और पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी हुई अचल सम्पत्ति के बारे मे जिनके दावे प्रमाणित हो चुके है।

मार्च १९५४ के अन्त तक आवास-निर्माण योजनाओं पर लगभग ५० करोड़ रुपया खर्च हो चका है। मार्च १९५५ में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिये उक्त कार्यों पर खर्च करने के लिये ६ करोड़ ६० लाख रुपया निर्धारित किया गया है।

वृत्ति

विस्थापित व्यक्तियों को वृत्ति प्रदान करने के लिये निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की गई है :—

छोटे-छोटे ऋण

पुनर्वास मन्त्रालय की छोटे-छोटे ऋण देने की योजना के अन्तर्गत मार्च १९५४ के अन्त तक ११ करोड़ ८४ लाख रुपया विभिन्न राज्यों को दिया गया है। यह राशि इसलिए दी गई थी कि इसमे से ५,००० रु० तक के ऋण छोटे धंधे शुरू करने के लिये दिये जायें । १९५४–५५ के लिये भी इस कार्य पर खर्च करने के लिये ४० लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

अस्थायी क्षतिपूर्ति योजना को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की शहरी लघु-ऋण योजना को संशोधित रूप दिया गया है। इस कार्य के लिये निर्धारित ४० लाख रुपयों में से ३० लाख रुपये तक की राशि के ऋण राज्य सरकारों की सिफारिशों पर रीजनल सैटिलमेन्ट कमिश्नरों द्वारा क्षतिपूर्ति के दावेदारों को उनकी क्षतिपूर्ति की अग्रिम राशि के रूप में प्रदान किये जायेंगे। १० लाख रुपये तक की राशि राज्य सरकारों द्वारा गैर-दावेदारों को ऋण के रूप में दी जायेंगी। ये ऋण उन लोगों को नहीं दिये जायेंगे, जो अस्थायी क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति पाने के दावेदारों की मौजूदा श्रेणी में या प्रस्तावित श्रेणी में आते है, अथवा ऐसे विस्थापित हैं, जो पहले कोई और ऋण ले चुके हैं, अथवा जिन्हें सरकारी या विवासित सम्पत्ति प्रदान की जा चुकी है। उन व्यक्तियों को ऋण देने में पूर्वाधिकार मिलेगा, जिन्होंने व्यवसायों अथवा शिल्प में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जो छोटे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं।

पुनर्वास वित्त-प्रशासन

पुनर्वास-वित्त प्रशासन (रिहबिलिटेशन फाइनेन्स एडमिनिस्ट्रेशन) ने जिसकी स्थापना वित्त मन्त्रालय के अधीन व्यापार एवं उद्योग के लिये ५,००० रु० से अधिक के ऋण देने के लिये की गई थी, १६,६३२ पक्षों (पार्टियों) को १२ करोड़ ८४ लाख रुपये की राशि के ऋण देने स्वीकृत

किये हैं। इस धन में से ९ करोड़ १६ लाख रुपये नवम्बर १९५४ तक लोगों के हाथों में पहुँच चुके हैं।

व्यापार तथा उद्योग को सहायता

सितम्बर १९५४ के अन्त तक विस्थापितों के लिये लगभग ६३,००० स्थान गृह आदि का, जिनमें व्यापार तथा उद्योग चालू किये जा सके, प्रबन्ध किया गया।

दिल्ली में और उसके आस-पास, बसे हुए उपनगरों के अतिरिक्त १३० उपनगर और नये कस्बे अब तक बसाये जा चुके हैं। इनमें अधिक उल्लेखनीय हैं: फरीदाबाद, गान्धी धाम, राजपुरा, नीलोखेड़ी, त्रिपुरी, सरदारनगर, उल्लासनगर, गोविन्दपुरी, हस्तिनापुर, और चंडीगढ़। उपनगर मौजूदा कस्बों के पास ही बनाये गये हैं, किन्तु उनके अपने स्कूल, अस्पताल, और खेल के मैदान हैं। नये कस्बे एक प्रकार से आत्म-निर्भर आर्थिक इकाइयाँ हैं।

औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण

पश्चिमी पाकिस्तान के शहरी क्षेत्रों से आये हुए अधिकांश विस्थापितों का मुख्य व्यवसाय दूकानदारी था किन्तु इस व्यवसाय का क्षेत्र सीमित होने के कारण यह निश्चय किया गया कि विस्थापितों की अधिक संख्या को उत्पादक व्यवसायों में लगाया जाये। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये १०० लाभदायक व्यवसायों और शिल्पों के आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। शिक्षार्थियों को प्रति शिक्षार्थी ३० रु० मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उन्हें अपना स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने में अथवा उचित नियुक्ति दिलाने में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। नवम्बर १९५४ के अन्त तक लगभग ६९,००० शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका था और ९,००० प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे

सेवाएँ

गृह मंत्रालय के ट्रान्सफर ब्युरो तथा श्रम मंत्रालय के नौकरी दिलाने वाले कार्यालयों द्वारा सेवा नियुक्ति की सुविधाएँ प्रदान की गई है। सेवाओं में भर्ती के लिये निर्धारित आयु सीमा के नियम को विस्थापित व्यक्तियों के लिये शिथिल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं और प्रवरणों (सेलैक्शनों) के शुल्क में भी रियायतें की गई है। दिसम्बर १९५४ के अन्त तक १ लाख ८२ हज़ार विस्थापितों को सेवा नियोजन कार्यालयों द्वारा वृत्ति उपलब्ध कराई जा चुकी थी।

नये कस्बों में वृत्ति

पुनर्वास मंत्रालय ने विस्थापितों के लिये देश के विभिन्न भागों में कई एक नये कस्बे स्थापित किये हैं। इन कस्बों में आवास के लिये स्थान तथा आवश्यक नागरिक सेवाओं की व्यवस्था करने में सहायता मिली है। परन्तु इनमें अभी तक लाभदायक वृत्तियों के लिये पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया गया है। जिसके कारण इन कस्बों के रहने वाले अनेक लोग वृत्तिहीन रहते हैं अथवा उन्हें अपूर्ण वृत्ति प्राप्त होती है।

शिक्षण

१९५४–५५ में कुल ७५ लाख रुपया (१) विस्थापित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने, (२) इमारत और साज-सामग्री के रूप में स्कूलों पर पूंजी-व्यय करने, (३) तितर-बितर हुए स्कूलों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने, और (४) विशेषत. विस्थापित विद्यार्थियों के लिये फरीदाबाद और राजपुरा कस्बों में शुरू की गई शैक्षणिक संस्थाओं तथा देशबन्धु कालेज, दिल्ली को चलाने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को दे दिया गया है।

क्षतिपूर्ति

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति अपने पीछे काफी बड़ी अचल सम्पत्ति छोड़ आये थे। पाकिस्तान सरकार के साथ हुई समझौता चर्चाओं में भारत सरकार की ओर से यह दृढ़ मत व्यक्त किया गया कि भारत और पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों की अचल सम्पत्ति और कृषि योग्य भूमि का सरकारी स्तर पर पारस्परिक विनिमय कर लिया जाये और इस प्रकार की सम्पत्तियों के मूल्य में जो अन्तर हो वह उत्तमर्ण देश अत्तमर्ण देश को चुका दे। परन्तु पाकिस्तान सरकार ने यह स्वीकार नही किया, क्योकि वह इस बात के पक्ष में थी कि इन सम्पत्तियों की बिक्री अथवा अदला-बदली व्यक्तिगत रूप से हो।

जनवरी १९४९ के कराची समझौते में विस्थापितों की शहरी अचल सम्पत्ति को वैयक्तिक रूप मे बेचने अथवा उसकी अदला-बदली करने की व्यवस्था स्वीकृत कर ली गई। परन्तु यह परीक्षण सफल नही हुआ।

अस्थायी क्षतिपूर्ति योजना

पाकिस्तान से इस सम्बन्ध में की गई समझौता चर्चाएँ असफल रही, इसलिए भारत सरकार ने नवम्बर १९५३ में 'अस्थायी क्षतिपूर्ति योजना' स्वीकार कर ली। परन्तु, क्योंकि क्षतिपूर्ति करने के लिये उपलब्ध धनराशि सब दावों की कुल राशि से बहुत कम थी इसलिए क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिये एक क्रमिक कटौती की गई जिसके अनुसार उन विस्थापितों को, जो छोटी सम्पत्तियाँ छोड़ आये थे, उन लोगों की अपेक्षा जो बड़ी सम्पत्तियाँ छोड़ आये थे, अनुपाततः अधिक राशि मिली। किसी एक दावेदार को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि ८,००० रु० निर्धारित की गई। प्रत्येक दशा में क्षतिपूर्ति प्रमाणित दावे की कुल राशि की १६ से २० प्रतिशत तक दी गई और शेष धन दावेदार की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए पुनर्वास अनुदान के रूप में दिया जायेगा। उन दावेदारों के लिये, जो सहायता-गृहों में रह रहे है अधिक उदार श्रेणी के अनुदानों की व्यवस्था की गई है।

क्षतिपूर्ति की अदायगी दिल्ली में २८ नवम्बर १९५३ को प्रारम्भ हुई। इसके थोड़े दिन बाद ही यह अदायगी जालंधर, अजमेर, भोपाल, और जयपुर क्षेत्रों में भी प्रारम्भ हो गई। ८ जनवरी १९५५ तक २९,३११ दावेदारों को ७ करोड़ ८७ लाख रुपये की राशि अस्थायी क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा चुकी थी।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित

नोआखली में १९४६ में हुए दंगों के तुरन्त बाद ही पूर्वी बंगाल से विस्थापित व्यक्तियों का भारत में आना प्रारम्भ हो गया था। यह आगमन तब से बराबर जारी है किन्तु इसकी गति और परिमाण पूर्वी बंगाल में होने वाली घटनाओं के अनुसार घटते-बढ़ते रहते हैं।

सहायता दान

विपदग्रस्त विस्थापितों को तात्कालिक सहायता देने के लिये प्रव्रजन के प्रारम्भ काल से ही प्रबन्ध किये गये हैं। इन लोगों को आवास देने के लिये कई प्रकार के शिविरों की व्यवस्था है, जहाँ इनके रहने के लिये मुफ्त जगह, पोषण के लिये मुफ्त आहार, मुफ्त पानी, मुफ्त चिकित्सा और बच्चों के लिये मफ्त प्राथमिक शिक्षण का प्रबन्ध है। शिविरों में लोग दो श्रेणियों में विभाजित हैं। प्रथम श्रेणी उन विस्थापित स्त्रियों, बूढ़ों, बच्चों और विकलांगों की है, जिनका कोई सम्बन्धी नहीं है। इस श्रेणी के लोग सरकार की 'स्थायी जिम्मेदारी' बन गये हैं। दूसरी श्रेणी में वे विपदग्रस्त विस्थापित हैं, जिन्हें सरकार द्वारा आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता देकर पुनः बसाना है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के विस्थापितों की, जो सरकारी शिविरों और सहायता-गृहों में रह रहे हैं, कुल संख्या नवम्बर १९५४ के अन्त में क्रमशः ८८,००० और ४१,००० थी।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए उन विस्थापितों की संख्या, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र अर्थात् पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर, अण्डमान और उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ३३ लाख के करीब है। इनमें से २६ लाख व्यक्ति अकेले पश्चिम बंगाल में हैं।

देहाती क्षेत्रों में पुनर्वास और ऋण

पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ३ लाख ५४ हज़ार परिवार बसा दिये गये हैं और जुलाई १९५४ तक उन्हें १३ करोड़ ९२ लाख रुपये तक के ऋण दिये जा चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में, राज्य सरकारों ने जुलाई १९५४ तक ७२,२३० विस्थापित परिवारों को ९ करोड़ ४ लाख रुपये के ऋण दिये हैं।

पूर्वी पाकिस्तान से ३१ दिसम्बर १९५१ के बाद भारत में आये हुए विस्थापितों को पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के लिये एक सूची १ अगस्त, १९५४ से फिर खोल दी गई है। उन विस्थापितों को भी, जो १ जनवरी १९५० और १२ दिसम्बर १९५० के बीच भारत आये हैं, उक्त प्रशासन से ऋण पाने का हक़ है बशर्ते कि वे अपनी सहकारी समितियाँ बना लें और उनके मामलों की राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की जाये।

आवास

पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और मणिपुर के राज्य हैं, सामान्य नीति यह रही है कि विस्थापितों को अपने निजी घर बनाने के लिये आवास-ऋण दिये जायें। सितम्बर १९५४ तक, विस्थापित व्यक्तियों ने लगभग २ लाख ८७ हज़ार मकान अपने लिये बना लिये थे। सरकार ने भी थोड़ा निर्माण-कार्य अपने हाथ में लिया है। उसने पश्चिम बंगाल में फूलिया, हावड़ा, गयेशपुर और हमीरपुर-खोसबास मोहल्ला नाम के चार नये कस्बे स्थापित किये हैं।

तालिका १३८

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय की प्रगति

(लाख रुपयों में)

योजनाएं	१९५३-५४ (वास्तविक)		१९५४-५५ (बजट)		१९५४-५५ (संशोधित)	
	पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित	पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित	पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित
देहाती ऋण . .	९.९६	१४९.११	२०.००	३९०.००	२०.००	३६९.५८
शहरी ऋण . .	५८.६२	९६.८५	४०.००	२३०.५३	४०.००	२३१.०१
औद्योगिक ऋण .	—	—	७५.००	—	७५.००	—
पुनर्वास वित्त प्रशासन ऋण	१७०.८२	६२.७६	२४०.००(क)	—	१५५.०० (क)	—
गृह निर्माण . .	४४८.५९	१४२.६४	७३२.८५	२९४.०५(ख)	६५९.५०	२९७.९०
शिक्षा . .	५६.९१	७०.५७	७५.००	१८०.००	७५.००	९१.२६
औद्योगिक और दस्तकारी प्रशिक्षण . .	३७.४०	२९.९६	५०.००	—	५०.००	४७.४३
योग . .	७८२.३०	५५१.८९	१,२३२.८५	१,०९४.५८	१,०७४.५०	१,०३७.१८

(क) पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों स्थानों से आने वाले विस्थापितों के लिये।

(ख) पुनर्वास सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्य अप्राप्य हैं।

शिक्षण

शिक्षण के क्षेत्र में जुलाई १९५४ तक २ लाख ४९ हज़ार विस्थापित विद्यार्थियों को ऋण और छात्रवृत्तियाँ दी जा चुकी हैं । इसके अतिरिक्त, विस्थापित विद्यार्थियों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने के लिये स्कूल चलाये जा रहे है ।

प्रशिक्षण

श्रम मंत्रालय के पुनर्वास एवं सेवा नियोजन अधिदेश (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ रिसैटिलमेंन्ट एण्ड एम्प्लायमेन्ट), राज्य सरकारों और विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित केन्द्रों में लगभग ११,००० विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । ५,००० व्यक्ति अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

व्यय

१९५४–५५ के अन्त तक विस्थापित व्यक्तियों के विवासन, सहायता-दान और पुनर्वास पर २ अरब २३ करोड़ ६८ लाख रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है । पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विस्थापित पुनर्वास योजनाओं पर किस प्रकार उत्तरोत्तर व्यय हुआ, यह पिछले पेज पर तालिका १३८ में दिया गया है ।

तीसवाँ अध्याय

'क' भाग के राज्य

आन्ध्र

राज्यपाल . . . . . चन्दूलाल एम० त्रिवेदी

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री तथा वित्त, विधान मण्डल, सूचना, गृह (सार्वजनिक सेवाएं) एवं शिक्षा. .	बी० गोपाला रेड्डी
२. उपमुख्य मन्त्री तथा गृह (कानून एवं व्यवस्था), सिंचाई एवं जेल	एन० संजीव रेड्डी
३. सहकारिता, वाणिज्यीयकर, परिवहन एवं कानून	डी० डी० संजीवय्या
४. योजना, विकास उद्योग एवं स्वास्थ्य . .	कालावेंकट राव
५. राजस्व, रजिस्ट्रेशन एवं धार्मिक दान . .	के० चन्द्रमौली
६. बिजली, श्रम एवं समाज सेवाए . .	जी० लतचन्ना
७. कृषि, पशु चिकित्सा एवं जंगल . .	एन० वी० रामाराव
८. स्थानीय प्रशासन एवं मद्यनिषेध . .	ए० वी० नागेश्वर राव

वित्त (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५३–५४ (संशोधित) उत्तरार्ध .	११.९५	१२.९२	−०.९७
१९५४–५५ (बजट) . .	२१.०३	२४.०२	−२.९९
१९५५–५६ (बजट) . .	२१.९१	२४.८८	−२.९७

शिक्षा

राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिये नियुक्त प्रारम्भिक शिक्षा समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया। सरकार ने इसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

उच्चतर शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये तिरुपति में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय का उद्घाटन २ सितम्बर, १९५४ को हुआ और आन्ध्र के मुख्य न्यायाधीश इसके उपकुलपति हैं।

कृषि

सरकार ने अपने अधिकार में पड़ी परती भूमि भूमिहीन मज़दूरों में बाँटने की नीति अपनाई है। एक व्यक्ति को अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधा वाली भूमि ढाई एकड़ अथवा सिंचाई की सुविधा से रहित भूमि ५ एकड़ दी जायेगी। गुन्टूर जिले के रोमपेरू स्थान की भूमि भी भमिहीन मज़दूरों को आवंटित करने का निश्चय किया गया है। जुलाई १९५४ में सरकार ने मालगुज़ारी प्रथा का अध्ययन करने तथा उसमें सुधार करने के उपाय सुझाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की।

कृष्णा बाँध योजना का कार्य जिस पर २.८४ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है, १९५४ में प्रारम्भ हुआ था और १९५७ में पूरा होगा। रोमपेरू ड्रेनेज योजना का लागत व्यय ९६ लाख रुपये से बढ़ा कर १.५४ करोड़ रुपये कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना में सिंचाई कार्यों के लिये सुरक्षित ९.९६ करोड़ रुपये की कुल राशि में से प्रथम तीन वर्षों में ५.९२ करोड़ रुपये या ६० प्रतिशत व्यय हुआ। मचकुंड बिजली घर के जून १९५५ में पूरे होने की तथा तुगभद्रा जेनेरेटिंग यूनिटों के १९५७ के प्रारम्भ में चालू होने की आशा है। बिजली योजना कार्यों के लिये सुरक्षित २०.४१ करोड़ रुपये की कुल राशि में से १९५१–५४ में १०.९६ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

उद्योग

काँच, एनेमेल, कागज, वनस्पति तथा मिठाई बनाने वाले कारखानों के अतिरिक्त आन्ध्र में चीनी के ७ तथा सीमेंट के २ कारखाने हैं। आधनिक ढंग की चूड़ियाँ तथा मनके तैयार करने का शिक्षण देने के लिये कलहस्थी में एक केन्द्र खोला गया है। चूड़ी तथा मनका उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गुंटूर में काँच तैयार करने का एक कारखाना खोला जा रहा है। श्रीकाकुलम् जिले में बरूवा स्थित 'नारियलजटा औद्योगिक स्कूल' में पिछड़ी-जातियों के लोगों को शिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे नारियल की जटा से तैयार होने वाले सामानों के उत्पादन के लिये छोटे-छोटे कारखाने खोल सकें। काकिनाडा तथा वियूरू के दो व्यावसायिक शिक्षण केन्द्रों को छोड़कर, जहाँ ८०० विद्यार्थियों को सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तथा आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का शिक्षण दिया जाता है, सरकार ने तिलहन की उपयोगिता के सम्बन्ध में शोध-कार्य करने तथा आयल-टेकनोलॉजी का शिक्षण देने के लिये अनन्तपुर में एक 'टेकनोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट' स्थापित किया है। १९५१–५४ में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों के विकास पर ९.१ लाख रुपये तथा अन्य उद्योगों पर ३०.७ लाख रुपये व्यय हुए।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

सरकार ने १९५४–५५ में रोगियों के लिये जिला बोर्डों के अस्पतालों में ८४ रोगीशय्याओं की तथा तालुकों के अस्पतालों में ७४ रोगी शय्याओं की वृद्धि करने का निर्णय किया जिससे सरकारी अस्पतालों में रोगियों का बहुत अधिक जमाव न हो सके।

मद्रास राज्य के लिये स्वीकृत ४ मलेरिया निरोधक इकाइयों में से दो इस राज्य के हिस्से में आयीं। बी० सी० जी० के कार्य के लिये एक केन्द्रीय प्रशासनात्मक इकाई तथा तीन क्षेत्रीय इकाइयों को स्वीकृति मिल चुकी है।

अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां

आलोच्य वर्ष में हरिजनों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के बालकों के कल्याण के लिये हरिजन-कल्याण-विभाग की ओर से ४४८ प्रारम्भिक स्कूल तथा दो हाई स्कूल चलाये गये।

हरिजनों के लिये मकान बनाने के स्थान प्राप्त करने के लिये १९५४–५५ के बजट में ३·६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। १० लाख रुपये के प्रारम्भिक अंशदान से एक हरिजन-कल्याण कोष की स्थापना की गयी है।

पंचायतें

राज्य में ३,७५३ पंचायतें हैं और ११,३३२ गाँवों में अभी पंचायतें स्थापित की जानी हैं। ५,००० तथा उससे अधिक की जनसंख्या तथा १०,००० रुपये से अधिक आय वाली पंचायतें प्रथम श्रेणी की पंचायतें हैं और शेष द्वितीय श्रेणी की।

स्वायत्त शासन

राज्य में ३५ नगरपालिकाएं तथा ११ जिला बोर्ड हैं। सरकार ने निर्णय किया है कि इन जिला बोर्डों के स्थान पर जिला पंचायत परिषदें कायम की जायें जिनका निर्वाचन मुख्यतः पचायतों के अध्यक्ष तथा सदस्य करें।

आसाम

राज्यपाल	जयरामदास दौलतराम
मन्त्री	
१ मुख्य मन्त्री तथा गृह, नियुक्ति, समन्वय एव जनजाति-कल्याण	विष्णुराम मेधी
२. वित्त एव राजस्व	मोतीराम बोरा
३. सार्वजनिक कार्य एव परिवहन	सिद्धिनाथ सर्मा
४. श्रम, शिक्षा, एवं पिछडी जाति तथा पिछडे क्षेत्र विकास	ओमियोकुमार दास
५ खाद्य, कृषि, सहकारिता, प्रचार एवं कुटीर उद्योग	महेन्द्र मोहन चौधरी
६. न्याय, पूर्ति, व्यापार और वाणिज्य एवं उद्योग	वैद्यनाथ मुखर्जी
७. सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	रूपनाथ ब्रह्मा
८. जंगल, विधान एवं बिजली	रामनाथदास
९. आबकारी, जेल, रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प	जे० जे० एम० निकोलस राय
१०. स्वायत्त शासन, पशु-चिकित्सा एवं पशु-विभाग	अब्दुल मतलिब मजूमदार
उपमन्त्री	
१. राजस्व, सहायता एवं पुनर्वास	हरेश्वर दास
२. श्रम एवं शिक्षा	पूर्णानन्द चेटिया

वित्त (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२ (लेखा)	११.२९	१०.९३	+०.३६
१९५२–५३ (लेखा)	१४.२८	१२.५८	+१.७०
१९५३–५४ (संशोधित)	१४.४०	१४.९३	−०.५३
१९५४–५५ (बजट)	१४.४२	१६ ७०	−२.२८
१९५५–५६ (बजट)	१९.०५	२१.४७	−२.४२

शिक्षा

१९४८ से १९५३ तक के समय मे शिक्षा के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई। प्राथमिक स्कूलों की सख्या ७,५७४ से ११,४७८ और माध्यमिक स्कूलों की संख्या ९३३ से १,४१४ हो गयी। इसी समय मे प्रवेश करने वाले छात्रों की संख्या प्राथमिक स्कूलों मे ३.९३ लाख से बढ कर ६.६१ लाख और माध्यमिक स्कूलों मे १.५९ लाख से बढ कर १.९४ लाख हो गयी। इससे भी अधिक प्रगति प्रौद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा के क्षेत्र मे दिखायी पड़ी। दस्तकारी की शिक्षा देने वाले स्कूलों की सख्या २९ मे बढकर १,१८६ और प्रौद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा देने वाले कालेजो की सख्या १ मे ४ हो गयी। छात्रों की संख्या प्रौद्योगिक शिक्षा देने वाले स्कूलो में १,७०८ मे बढकर ४६,०५५ तथा कालेजो मे १३६ मे बढ़कर १,७४१ हो गयी।

१९५३–५४ मे ८४२ सामाजिक शिक्षा केन्द्र थे जिनमे से ४२ जनजाति क्षेत्रो मे थे। ४११ ग्राम पुस्तकालयों मे से २० जनजाति क्षेत्रों मे थे। राज्य में बुनियादी शिक्षा के ६ शिक्षण केन्द्र हैं जिनमे से ४ मैदानी क्षेत्र मे तथा २ पहाडी क्षेत्र मे हैं।

कृषि

आसाम राज्य जमीदारी अधिगति कानून १९५१ को सशोधित अवस्था मे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह कानून १५ जून, १९५४ से लागू हुआ। आसाम भूमि (अधियाचन तथा अधिगति) कानून, १९४८ की अवधि जो नवम्बर, १९५३ मे समाप्त हो जाने वाली थी, अगले पांच वर्षों के लिये और बढा दी गयी। इस कानून के अन्तर्गत अधियाचित की गयी तथा चाय के बागानों की १,४६,२४९ बीघे अतिरिक्त भूमि पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों, बाढ़ और भूकम्प पीड़ितों तथा भूमिहीन किसानो में बाँट दी गयी। लगभग ३०,००० बीघे भमि ६,८५३ विस्थापितों को आवंटित की ही जा चुकी है।

वर्ष में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन मे सम्बन्धित उन्नत प्रकार के बीजों के वितरण तथा गुणन, खाद के वितरण, परती भूमि के उपयोग तथा छोटी सिचाई योजनाओ के कार्यान्वित किये जाने जैसी विभिन्न कार्रवाइयाँ जारी रही। बीज के रूप मे किसानों को लगभग ३१,६७६ मन धान, १,६२१ मन दालें तथा ४७९ मन गेहूं दिया गया। वर्ष में ४,४०१ टन देहाती खाद, ४,५०८ टन शहरी खाद, १२,८८४ मन हड्डियों का चूरा तथा १०,५५६ मन खली बाँटी गयी। कृषि विभाग तथा सार्वजनिक कार्य विभाग ने ८·५४ लाख रुपये की कुल लागत पर क्रमशः ८८६ तथा ३७

छोटे सिंचाई कार्य आरम्भ किये। वर्ष में, लगे हुए १६ पम्पिंग सेटों के अतिरिक्त ४८ पम्पिंग सेट और लगाये गये जबकि १७ पम्पों का उपयोग तालाबों आदि से पानी निकालने के लिये किया जा रहा था।

मशीनों द्वारा खेती करने की योजना के अन्तर्गत कामरूप, नौगाँव, दरांग तथा कछार जिलों में भूमि को साफ करके खेती योग्य बनाने का काम जारी रहा। नौगाँव में काकी नामक स्थान पर भूमि साफ करने का कार्य बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया जिससे ५,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनायी गयी। ऐसा ही कार्य कामरूप जिले में सुबानखाता नामक स्थान पर ५,००० एकड़ भूमि में आरम्भ किया गया।

उद्योग

रेशम के कीड़े पालना तथा हाथकरघे पर बुनाई इस राज्य के दो प्रमुख कुटीर उद्योग हैं। ये उद्योग किसानों के सहायक धंधे हैं। आजकल आसाम में ५ लाख हाथकरघे है जिनमें से $^{1}/_{10}$ ढरकी वाले करघे हैं। इसके फलस्वरूप लगभग १२.५ लाख व्यक्तियो को पूरे या आंशिक समय के लिये काम मिलता है। गौहाटी स्थित सरकारी बुनाई संस्था मे छात्रवृत्ति पाने वाले ४३ विद्यार्थियों को बुनाई, रंगाई तथा छपाई का शिक्षण दिया जाता है। पहाडी लोगो के कल्याण के लिये स्वायत्त-शासन वाले जिलो मे बुनाई के शिक्षण वर्ग भी चालू किये गये है। खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये एक 'राज्यीय खादी एव ग्राम बोर्ड' स्थापित किया गया है। कुटीर उद्योग विभाग साबुन उद्योग के विकास की भी योजना बना रहा है। गौहाटी की 'सरकारी साबुन कारखाना एव शिक्षण संस्था' मे शिक्षार्थियो को शिक्षण दिया तथा साबुन, फिनाइल, केश तैल, आसुतजल तथा नहाने-धोने के काम मे आने वाला सामान बडी मात्रा मे तैयार किया जाता है। घटे तथा घंटी तैयार करने के काम मे आने वाली धातु के उद्योग, चटाई तथा मीतलपट्टी उद्योग, गुडिया तथा खिलौना उद्योग, मिट्टी के तंन उद्योग, लुहारी, बढईगीरी तथा लकडी के काम की विकास योजनाओ को कार्यान्वित किया जा रहा है।

१९५३–५४ मे विभिन्न व्यापारिक सस्थाओ तथा व्यक्तियो को देने के लिये लगभग १.३० लाख रुपये के ऋण को स्वीकृति दी गयी जिसमे वे कुटीर उद्योग स्थापित और उन्हे उन्नत कर सके

सार्वजनिक स्वास्थ्य

मैदानो तथा गारो पहाडियो में कुल मिलाकर ५६ अस्पताल तथा ४५२ दवाखाने है। इसके अतिरिक्त कालाजार की चिकित्सा के लिये सभी उपकरणो से पूर्णतया सुसज्जित तीन अस्पताल, ३ वार्ड तथा ३ चलती-फिरती टुकडियाँ है। वर्ष मे हुकवर्म रोग की चिकित्सा सम्बन्धी सात चलती-फिरती टुकड़ियो ने सर्वेक्षण तथा चिकित्सा का कार्य किया। ३९ कुष्ठाश्रमो मे ५५७ कुष्ठपीडितों तथा ४४९ कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों का उपचार हुआ। १९५३-५४ मे १,६२,९८२ व्यक्तियों की डाक्टरी जाँच की गयी तथा ८९,४४३ व्यक्तियो को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

डिब्रूगढ के आसाम मेडिकल कालेज में ४३१ विद्यार्थी है जिनमे ३४ छात्राए है।

पिछड़ी जातियाँ तथा जनजाति-कल्याण

राज्य सरकार ने शिक्षा, सेवाओ तथा व्यापार क्षेत्रों मे पिछडी जातियो के लोगों की उन्नति के लिये कई उपायों पर कार्य आरम्भ किया है। सरकारी हाई तथा मिडिल स्कूलों (अंग्रेजी) में ५० प्रतिशत जनजाति छात्रो, २० प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्रो तथा १५ प्रतिशत अहोम छात्रों की फीस पूरी या आधी माफ है।

इसके अतिरिक्त विशेष छात्रवृत्तियों के लिये भी व्यवस्था रखी गयी है। इंजीनियरिंग के अध्ययन के लिये अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रति छात्रवृत्तियों के रूप में विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही डाक्टरी शिक्षा तथा अन्य व्यावसायिक शिक्षा वाली संस्थाओं मे इनके लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते है।

अनुसूचित जातियों के मछुवो को मछली पकड़ने का अधिकार स .से ऊँची बोली बोलने वाले से १० प्रतिशत कम पर दे दिया जाना है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों के लिये आबकारी की दूकानो का एक विशष कोटा निर्धारित है। जनजाति क्षेत्रों मे जंगल के कुछ 'महल' अनुसूचित जनजातियो के लोगो के लिये सुरक्षित रखे जाते है ज.कि अन्य क्षेत्रों मे उन्हें वरीयता दी जाती है तथा कुछ रियायतें मिलती है।

सरकार ने निर्णय किया है कि सेवाओ मे नियुक्तियाँ करते समय अनुसूचित जाति के लोगों के लिये ५ प्रतिशत रिक्त स्थान, मैदानों की अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये १० प्रतिशत स्थान तथा पहाड़ी प्रदेशों की अनुसूचित जनजातियों के लोगो के लिये १२ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायेगे।

सविधान की छठी अनुसूची की व्यवस्था के अनुसार नागा पहाड़ियो को छोड़कर जनजातियो की अधिकता वाले सभी जिलों मे जिला-परिषदे स्थापित की गयी है। परिषदों ने लोगो के कल्याण के लिये कानून तथा नियम लागू करने आरम्भ कर दिये है। वर्ष मे महत्त्वपूर्ण सड़को के जिनमे जगल की सडकें भी है, सर्वेक्षण तथा निर्माण का काम किया गया। पहाडियो मे सहकारी आन्दोलन को बढावा देने के लिये १,००,००० रुपये व्यय किये गये तथा बुनाई तथा रेशम के कीड़े पालने के उद्योगों के विकास के लिये १.९७ लाख रुपये स्वीकार कर लिये गये है। जनजाति वाले क्षेत्रो मे चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यवाइयों के विस्तार तथा शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया गया है।

बिहार

राज्यपाल . . .	रगनाथ आर० दिवाकर
मन्त्री	
१. मुख्य मन्त्री तथा राजनीतिक एव नियुक्ति	श्री कृष्ण सिह
२ वित्त, कृषि एव श्रम .	अनुग्रह नारायण सिह
३. लगान, जंगल एव आबकारी .	कृष्णबल्लभ सहाय
४ शिक्षा . .	बदरीनाथ वर्मा
५. सिचाई एवं बिजली .	रामचरित्र सिह
६ नागरिक पूर्ति, चिकित्सा एव स्वास्थ्य .	हरिनाथ मिश्र
७ उद्योग, परिवहन एव सूचना .	महेशप्रसाद सिह
८ न्याय एव विधान . . .	शिवनन्दन प्रसाद मंडल
९. सहकारिता एव पशु चिकित्सा .	दीपनारायण सिह
१०. स्वायत्तशासन एवं पिछड़ी जाति-कल्याण	भोला पासवान
११. जेल, सहायता एवं पुनर्वास .	एम० मोहम्मद उजैर
१२. सार्वजनिक कार्य . .	(रिक्त)
उपमन्त्री	
१. निरापद मुखर्जी	
२. वीरचन्द्र पटेल	
३. अब्दुल अहद मुहम्मद नूर	

वित्त

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२ (लेखा)	३४·३०	३२·८२	+१·४८
१९५२–५३ (लेखा)	३६·२२	२८·२५	+७·९७
१९५३–५४ (संशोधित)	३६·६०	३५·३६	+१·२४
१९५४–५५ (बजट)	३२ ११	३९·७३	− ७·६२
१९५५–५६ (बजट)	३७·७०	५२·६७	−१४·९७

शिक्षा

१९४८ से १९५३ तक के समय में प्राथमिक स्कूलों की संख्या २०,८५० से २४,६२८ हो गयी तथा विद्यार्थियों की संख्या ९·९८ लाख से बढ़कर ११·७ लाख हो गयी। माध्यमिक स्कूलों की संख्या में १,३४८ की वृद्धि हुई और छात्रों की संख्या ३·८४ लाख से ५·६७ लाख हो गयी। आर्ट्स तथा साइंस कालेजों की संख्या २३ से बढ़कर ३८ तथा प्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेजों की सख्या ७ से १९ हो गयी और दोनों वर्गों के कालेजों के छात्रों की संख्या में क्रमशः ६,२७५ तथा ६,९२२ की वृद्धि हुई। प्रौद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा वाले स्कूलों की संख्या १४५ से २,४५३ तथा इनके छात्रों की संख्या ६,३७५ से ८३,७३६ हो गयी।

भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गयी योजना को कार्यान्वित करने के सिलसिले में ५,००० नये अध्यापक तथा २५० समाज शिक्षा निर्देशक नियुक्त करके शिक्षित बेरोजगारों की सहायता की गयी। अध्यापकों की संख्या में १९५४–५५ मे ६५० की तथा अगले दो वर्षो मे क्रमशः १,२५० तथा ६५० की वृद्धि करने का विचार किया गया। इस के साथ-साथ स्कूलों की इमारतों तथा साज सामान के लिये भी अनुदान देने का कार्यक्रम रखा गया। विभिन्न स्तरों पर प्रौद्योगिक शिक्षा का विकास करने के लिये मुजफ्फरपुर मे सिविल इंजीनियरिंग का एक डिग्री कालेज खोला गया। १९५३–५४ मे राँची तथा सिन्द्री मे भी डिप्लोमा कोर्स की सुविधा के साथ दो इंजीनियरिंग स्कूल खोले गये।

कृषि

बिहार भूमि सुधार (संशोधन) कानून, १९५३ को १७ मई, १९५४ को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ५०,००० रुपये से अधिक की सकल वार्षिक आय वाली जमींदारियाँ सरकार द्वारा ले ली जा चुकी हैं। गया, पूर्णिया, सहरसा चम्पारन, दरभंगा, मुंगेर, हजारी बाग तथा पालामऊ जिलों की सभी जमीदारियाँ अब राज्य के आधीन हैं। शेष जिलों की जमींदारियाँ १९५५ के अन्त तक अधिसूचित कर दी जायेंगी और बाद में वे राज्य सरकार द्वारा ले ली जायेंगी। जमींदारी-उन्मूलन योजना के अन्तर्गत किसानों की भलाई के लिये सिंचाई, शिक्षा, पीने के पानी के वितरण तथा डाक्टरी सुविधाओं जैसे सुधारों कार्यों के लिये वसूल किये गये धन का १२½ प्रति शत व्यय करने का एक कार्यक्रम रखा गया है।

१९५३–५४ मे इसी कार्यक्रम के लिये २९·९६ लाख रुपये जिलों को आवंटित किये गये थे जिनमे से २७·९० लाख रूपये व्यय कर दिये गये। भूदान यज्ञ में भूमि-दान के अनुकूल स्थिति पैदा करने तथा भूमिहीन लोगों में इसके वितरण के लिये राज्य विधानमण्डल ने बिहार भूदान यज्ञ विधेयक, १९५३ पास किया जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति २० जून, १९५४ को मिली।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों तथा योजनाओं पर वर्ष में काम होता रहा। पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में १०,२०५ कुँऐं साफ किये गये और उनकी मरम्मत की गयी। इनमें से ७८१ नये कुँऐं १९५३–५४ मे खोदे गये। भारत-अमेरिका-टेक्निकल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये जाने वाले नलकूपों में से २३९ कूपों की खुदाई की गई और २१३ कुँऐं पूरे हो गये। योजना के प्रथम तीन वर्षों मे कुँओं से पानी निकालने के लिये किसानों को २,३६५ डीज़ेल या बिजली के इंजिन दिये गये। १९५३–५४ में २११ रहट (पर्शियन व्हील) लगाये गये।

१९५३–५४ मे लगभग ७१,००० एकड़ परती भूमि को कृषियोग्य बनाया गया जिसमे से ९२२ एकड़ भूमि राज्यीय ट्रैक्टर सगठन द्वारा, ६२,६०५ एकड़ भूमि शारीरिक श्रम द्वारा तथा ७,४७२ एकड़ भूमि निजी उद्यम द्वारा कृषि योग्य बनायी गयी।

उद्योग

सिन्द्री स्थित सरकारी सुपरफॉस्फेट कारखाने के निर्माण मे जिसके १९५५ के मध्य तक पूरे हो जाने की आशा थी, सतोषप्रद प्रगति हुई। सिन्द्री मे एक सीमेन्ट का कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है। उद्योगों की वित्तीय सहायता की दृष्टि से सरकार द्वारा २ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी तथा ५० रुपये की चुकता पूजी के साथ एक राज्यीय वित्तीय निगम की स्थापना की गयी है।

जिन क्षेत्रो मे कारीगर अधिक हैं, उनमे बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने, कटलरी का सामान तैयार करने, पत्थर के काम, रगाई, छपाई, चमड़ा कमाने तथा चमड़े का सामान तैयार करने का शिक्षण देने के लिये ३५ शिक्षण वर्ग चालू किये गये हैं।

१९५३–५४ मे राज्य मे हाथकरघा तथा खादी उद्योगो के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने १८ लाख रुपये सुरक्षित किये थे। यह सहायता सहकारी संगठनों के माध्यम से दी जानी थी। इस प्रकार ५५,००० बुनकरों को सहकारी संगठनों में संगठित किया गया और सहकारी समितियों मे उन्हें हिस्से (शेयर) खरीदने योग्य बनाने के लिये ३·७५ लाख रुपये पेशगी दिये गये। बुनकरों तथा सहकारी समितियों के लिये सूत की तथा हाथकरघे पर बनी वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करने के लिये 'हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ' को ५ लाख रुपये दिये गये। ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योगो को १०,००० रुपये की सहायता तथा २·३२ लाख रुपये का ऋण दिया गया। २० औद्योगिक तथा प्रोद्यौगिक संस्थानों को ८५,००० रुपये के सहायता-अनुदान दिये गये।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

१९५३–५४ में राज्य में ७६६ अस्पताल तथा दवाखाने थे। २५० रोगीशय्याओं से युक्त राजेन्द्र शल्य चिकित्सा केन्द्र का निर्माण कार्य जो पूर्व के सर्वोत्तम आधुनिक शल्यचिकित्सा-केन्द्रों में से एक होगा, लगभग पूरा होन को है। छत को बीमारियों का ५० रोगीशय्याओं का एक अस्पताल पटना में स्थापित हो चका है। 'तपेदिक प्रदर्शन केन्द्र' में स्वास्थ्य निरीक्षकों को शिक्षण दिया जा

रहा है तथा इतकी सेनिटोरियम मे ४८ रोगी-शय्याओं से युक्त एक तपेदिक विभाग भी स्थापित किया गया है। सरकार ने राँची में डुंगरी स्थित राम कृष्ण मिशन के तपेदिक सेनिटोरियम को २·२५ लाख रुपये का अनुदान देने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय जल-वितरण एवं सफाई योजना के अन्तर्गत जल-वितरण तथा सफाई के लिये राज्य के १९५४–५५ के बजट में ४२·७९ लाख रुपये की व्यवस्था रखी गयी है।

संयक्त राष्ट्र संघ के विश्व-स्वास्थ्य संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष की सहायता से कई मातृ-कल्याण तथा शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये है। सात नियन्त्रण-इकाइयों के रूप मे राष्ट्रीय मलेरिया-निरोधक कार्यक्रम पर अमल किया जा रहा है। ८ अतिरिक्त टुकड़ियों की रचना करके बी० सी० जी० के टीका आन्दोलन का विस्तार किया गया है। कुष्ठ रोग के बढ़ने से रोकने के उपाय ज़ोर-शोर से किये जा रहे हैं तथा चेचक और छूत की अन्य बीमारियों का सामना करने के लिये किये जाने वाले उपायों मे भी सुधार किये जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियाँ तथा जनजातियाँ

१९५१ की जनगणना के अनुसार राज्य मे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की क्रमशः १२ ६ तथा १०·५ प्रतिशत है। हरिजनोद्धार कार्य मे छात्रों तथा संस्थानो को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ, औद्योगिक तथा छात्रावास की सुविधा वाले स्कूलों का खोला जाना, छात्रावास स्थापित करना और उन्हे चलाना, कुटीर उद्योगों तथा सहकारी समितियों का विकास, भूमिहीन तथा घरहीन लोगों के लिये घरों का निर्माण, हरिजनों की बस्ती वाले गाँवों में कुँएँ खोदना आदि-आदि आते है। १९५४–५५ के बजट में स्कूल के छात्रों के लिये ७,७७२ छात्रवृत्तियों के लिये ६·५ लाख रुपये के तथा कालेजों के छात्रों के लिये २२३ छात्रवृत्तियो के लिये ९७,५६० रुपये के अनुदान की व्यवस्था की गयी थी। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिक संस्थानो के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये भी ५०,००० रुपये की व्यवस्था की गयी थी। स्कूल तथा कालेजों में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों से पढ़ाई की कोई फीस नही ली जाती। उन्हें विश्वविद्यालयों के परीक्षा-शुल्क से भी मुक्ति मिली हुई है।

अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये महत्त्वपूर्ण उपाय के रूप मे अनाज के गोल (गोदाम) स्थापित किये गये जिनसे आदिम जातियों के लोगो को बीज तथा उपभोग के लिये अनाज दिया जाता है। संथाल परगना, भागलपुर, मुंगेर, शाहाबाद तथा छोटा नागपुर डिवीज़न के जिलों मे अनाज के ऐसे २५६ गोल है।

अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उत्थान के लिये छोटा नागपुर डिवीज़न तथा संथाल परगना में क्रमशः 'आदिम जाति सेवा मण्डल' तथा 'पहाडिया सेवा मण्डल' द्वारा एक विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है। दोनों मण्डल ३६९ प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों, २२३ चिकित्सा केन्द्रों और दवाखानों तथा ४ छात्रावासों की व्यवस्था कर रहे है।

उपरोक्त लोगो के अतिरिक्त पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये, मुख्यतः छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देने के लिये ६ लाख रुपये सुरक्षित रखे गये थे।

पंचायतें

राज्य में ४,३८७ सरकारी तथा १,९३६ गैर सरकारी पंचायतें हैं। १९५३–५४ में इन पंचायतों के तत्त्वावधान में उन कृषि खण्डों में जहाँ खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है, खाद के १,५२,९९८ गढ़े खोदे गये। लगभग ८२४ मील नई सड़क बनायी गयी और १,३६० मील पुरानी

सड़क की मरम्मत की गयी। नये जलाशय, जिनमें तालाब, कुँएं तथा नहरे सम्मिलित हैं, बड़ी संख्या में बनवाये गये तथा पुरानों की मरम्मत करायी गयी। ३ लाख से अधिक वृक्षों का रोपण किया गया। कई पंचायत-क्षेत्रों में कताई, टोकरी-बिनाई तथा मधुमक्खी पालन जैसे कुटीर उद्योग जारी किये गये।

सहकारी-आन्दोलन

१९५३–५४ में ५·६१ लाख रुपये की हिस्सेदार पूंजी के साथ १,७२७ सहकारी समितियाँ संगठित की गयीं। इस प्रकार सहकारी समितियों की कुल संख्या १२,३४४ हो गयी जिनमें से ५२ सहकारी बैंक तथा ८,०३७ बहुधंधी सहकारी समितियाँ थी और शेष समितियाँ बुनकरों, मछुवों अध्यापकों तथा साग-सब्जी बोने वालों की थी।

स्वायत्त शासन

राज्य मे ५३ नगरपालिकाएँ, एक नगर निगम, १४ अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ तथा १७ जिला बोर्ड है।

बम्बई

राज्यपाल	हरे कृष्ण मेहताब
मन्त्री	
१. मुख्य मन्त्री तथा गृह, राजनीति एवं सेवाएँ	मुरारजी आर० देसाई
२. राजस्व एवं कृषि	बी० एस० हिरे
३. शिक्षा एवं कानून	दिनकरराव एन० देसाई
४. वित्त, मद्यनिषेध एव उद्योग	जीवराज एन० मेहता
५. सहकारिता	एम० पी० पाटील
६. सार्वजनिक कार्य	एम० एम० नायक निम्बालकर
७. पुनर्वास, मछली उद्योग एवं पिछड़ी जातियाँ	जी० डी० तपासे
८. श्रम एव स्वास्थ्य	शान्तिलाल एच० शाह
९. नागरिक पूर्ति, जंगल एव स्वायत्त शासन	वाई० बी० चव्हाण
उपमंत्री	
१. शिक्षा	श्रीमती इन्दुमति चमनलाल
२. सार्वजनिक कार्य	बी० जे० पटेल
३. पिछड़ी जातियाँ	डी० एन० वाण्डेकर
४. कृषि एवं जंगल	के० एफ० पाटील
५. सार्वजनिक स्वास्थ्य	बी० डी० जत्ती
६. स्वायत्त शासन एवं सहकारिता	बी० डी० देशमुख
७. मद्यनिषेध	टी० आर० नरवाने
८. राजस्व	एम० जी० फ़ाकी
९. नागरिक पूर्ति	बी० के० साठे

वित्त

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२ (लेखा) . .	६२·७०	६२.५८	+०·१२
१९५२–५३ (लेखा) . .	६२·५०	६८.४४	−५·९४
१९५३–५४ (संशोधित) . .	७०·४७	७२.०६	−१·५९
१९५४–५५ (बजट) . .	७२·३८	७२·१९	+० १९
१९५५–५६ (बजट) . .	८०·११	७९·८८	+० २३

शिक्षा

बम्बई सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के अपने कार्यक्रम के एक अंश के रूप मे अगले तीन वर्षों मे १०,००० अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल अध्यापक भरती करने का निर्णय किया है। १,००० तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी स्थानों मे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना लागू कर दी गयी है। अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले २८·१६ लाख बालक-बालिकाओं में से १७ लाख बालक-बालिकाएँ स्कूलों मे पहले ही भरती किये जा चुके थे।

विगत ६ वर्षों में राज्य मे पाँच नये विश्वविद्यालय स्थापित किये गये तथा आर्ट्स और साइंस कालेजों की संख्या ३५ से ७१ और प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेजो की सख्या २९ से ६० पहुँच गयी। इसी समय में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या मे भी क्रमशः ७,९१२ और २८९ की वृद्धि हुई। १९,८६७ नये प्रौद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा वाले स्कूल खोले गये। इस समय राज्य में १६७ बुनियादी शिक्षा वाले स्कूल है जिनमें ३०,६८३ छात्र विद्याध्ययन करते हैं।

कृषि

१,४०,००० एकड़ भूमि के पंचवर्षीय लक्ष्य के मुकाबिले मे पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों मे ८०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई आरम्भ की गयी। ताप्ती घाटी योजना के कार्य में काफी प्रगति हुई है और मुख्य-मुख्य इमारतों का निर्माण प्रायः पूरा हो चुका है। बाँयें किनारे की "घाटप्रभा नहर योजना" का कार्य संतोषजनक रूप मे आगे बढ़ रहा है तथा १९५३–५४ के अन्त तक ३०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई के लक्ष्य के मुकाबिले में ४०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई आरम्भ की जा चुकी है। योजना के प्रथम तीन वर्षों मे ११,३९१ कुँएं बनवाये गये या उनकी मरम्मत करायी गयी तथा १,२०० डीज़ेल तथा बिजली के इंजिन पानी को ऊपर ले जाने के लिये किसानों को दिये गये। १·४५ करोड़ रुपये की लागत पर १० लाख एकड़ भूमि में बाँध बनाने के पंचवर्षीय लक्ष्य के मुकाबिले मे १·९८ करोड़ रुपये की लागत पर १० ५ लाख एकड़ भूमि में बाँध बना दिया गया। इस प्रकार काम निर्धारित लक्ष्य से अधिक ही हुआ। "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत राज्य की २४१ नगरपालिकाओं ने शहरों में खाद तैयार करने का काम अपने ऊपर ले लिया है जब कि पूना और बम्बई के शहरी और छावनी-क्षेत्रों में भूमि में खाद डालने के लिये खून से बनी खाद बाँटी जा रही है।

छोटे सिंचाई कार्यों के अन्तर्गत जिन पर २·२५ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है, जून १९५४ के अन्त तक १,३७३ कार्य पूरे कर लिये गये थे। अगस्त, १९५३ में आरम्भ किये गये कई छोटे तथा मध्यम सिंचाई कार्यों के १९५५ के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है। अभाव वाले क्षेत्रों में जिनके लिये राज्यीय साधनों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार से ऋण भी प्राप्त हुआ है, कई छोटे सिंचाई कार्य आरम्भ किये गये हैं।

उद्योग

मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिये बम्बई राज्य वित्तीय निगम स्थापित किया गया था। अगस्त १९५३ से अप्रैल १९५४ तक १·२६ लाख रुपये ऋण के रूप में विभिन्न उद्योगो को दिये गये।

"केन्द्रीय क्रय संगठन" स्वदेशी वस्तुओ तथा कुटीर उद्योग की वस्तुओं के क्रय को प्रोत्साहन देता रहा।

शिक्षित बेरोज़गारों, कारीगरों, पिछड़ी जाति के कारीगरो तथा सहकारी समितियों की सहायता के लिये सरकार सहायता-अनुदान देती है जिससे ये लोग कुटीर उद्योग का प्रारम्भ या उनका विकास कर सकें।

हाथकरघा-बुनकरो की सहायता सम्बन्धी योजना के कार्य मे १९५४–५५ में प्रगति हुई। इस योजना के अन्तर्गत २०० रुपये प्रति करघे तथा ११ रुपये प्रति नये सदस्य के हिसाब से हाथकरघा-बुनकरो की सहकारी समितियो को ऋण के रूप मे २२ लाख रुपये दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त योजना को कार्यान्वित करने मे सम्भाव्य हानि की पूर्ति के लिये सहकारी समितियों को २० रुपये प्रति करघे के हिसाब से पूरक सहायता दी जायेगी। हाथकरघे से बनी वस्तुओ की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ शर्तों के साथ डेढ़ आने प्रति रुपये तक की रियायत दी जायेगी। इसके साथ-साथ हाथकरघों से बनी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये २ लाख रुपये की लागत पर ३० बिक्री केन्द्रों तथा ३ चलती-फिरती बिक्री गाड़ियों का प्रबन्ध किया जा रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

अस्पतालो तथा डाक्टरी सहायता के विस्तार की कई योजनाओं पर काम जारी है। औंध मे १२५ रोगी-शय्याओ वाला एक तपेदिक-अस्पताल खोला गया है। पूना तथा अहमदाबाद के मेडिकल कालेज अपनी-अपनी नई इमारतो मे चले गये हैं। पूना के अस्पताल मे रोगी-शय्याओं की संख्या मे १०० की वृद्धि पहले कर दी गयी थी और १०० की वृद्धि १९५४–५५ में की गयी।

राज्य आयुर्वेद प्रणाली को प्रोत्साहन देता आ रहा है। वर्ष मे ६ आयुर्वेदिक कालेजों को जिनमे एक सरकार द्वारा संचालित कालेज भी सम्मिलित है, ढाई लाख रुपये का अनुदान दिया गया। इसके अलावा एक अनुसन्धान मण्डल (बोर्ड), एक आयुर्वेदिक संग्रहालय एवं प्रयोगशाला तथा एक आयुर्वेद सम्बन्धी अधिदेश स्थापित किये गये हैं।

राष्ट्रीय मलेरिया-नियन्त्रण योजना के सिलसिले में जून १९५३ में पूरे राज्य में मलेरिया-नियन्त्रण योजना का विस्तार किया गया। जून १९५३ से नवम्बर १९५३ तक राज्य के २७,००० मलेरियाग्रस्त गाँवों में से प्रत्येक में दो बार डी० डी० टी० छिड़का गया जिससे

२ करोड़ व्यक्तियों को लाभ पहुँचा । डी० डी० टी० ४० लाख से अधिक घरों तथा पशुओं के बाड़ों मे भी छिड़का गया ।

बी० सी० जी० के टीका-आन्दोलन के सम्बन्ध मे १९५३-५४ मे पाँच तथा १९५४-५५ में आठ अतिरिक्त टुकड़ियो को स्वीकृति दी गयी । दक्षिणी डिवीजन के ग्रामीणों ने आँखों के रोगो की चिकित्सा करने वाली चलती-फिरती टुकडी द्वारा किये गये कार्य की बहुत सराहना की । ग्राम क्षेत्रो में चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की मिली-जुली २३ टुकड़ियाँ मातृ-कल्याण तथा शिशु-कल्याण सम्बन्धी सेवाएँ अर्पित करती है । खेडगाँव मे कोढियो की एक बस्ती बसाने के लिये १९५४-५५ के बजट मे १·४४ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी ।

अनुसूचित जातियाँ

राज्य मे २२६ पिछड़ी जातियाँ है जिनमे ३८ अनुसूचित जातियाँ २४ अनुसूचित जन-जातियाँ अथवा आदिवासी तथा १६४ अन्य पिछडी जातियाँ है । पिछड़ी जातियो के लोगो के कल्याण की सरकारी नीति के मुख्य तीन पहलू शिक्षा, आर्थिक पुनर्वास तथा समाज कल्याण के है ।

राज्य मे पिछड़ी जातियो के सभी प्रवेश योग्य सदस्यो के लिये शिक्षा सभी चरणो मे जैसे प्राथमिक, माध्यमिक तथा कालेज मे निःशुल्क है । इसके अतिरिक्त प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलो के साथ-साथ आर्ट्स, साइस और दस्तकारी की शिक्षा वाले कालेजो के भी पिछड़ी जातियो के शिक्षार्थियो को छात्रवृत्तियाँ दी जाती है । पुस्तको तथा स्टेशनरी के क्रय और परीक्षा-शुल्क के लिये व्यक्तिगत तथा अधिक धन वाले अनुदान दिये जाते है । पिछडी जातियो के विद्यार्थियो के पूना तथा हुबली स्थित दो सरकारी छात्रावासो मे भोजन तथा रहने की सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है । इसके अलावा सरकार कई निजी छात्रावासो को भी वित्तीय-सहायता देती है । सस्ते मकानो के निर्माण के लिये "पिछडी जाति गृह-निर्माण सहकारी समितियों" को ऋण तथा पूरक सहायताएँ दी जाती है ।

सरकार ने पिछड़ी जातियों के लोगो के लिये १२½ प्रतिशत सरकारी नौकरियाँ सुरक्षित कर रखी है । तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियो के सम्बन्ध मे प्रतिशत क्रमश. २० तथा २५ है ।

पंचायतें

राज्य में ५,८०० से अधिक पचायतें है । पंचायतो के अधिकार काफी बढ़ा दिये गये है तथा उन्हे काफी वित्तीय सहायता मिलती है । पचायतो के विकास के लिये समाज-अधिकारी तथा अवैतनिक संगठनकर्त्ता नियुक्त किये गये है । बम्बई गाँव पचायत कानून, १९३३ मे जन-प्रतिनिधित्व कानून की कुछ व्यवस्थाओं को सम्मिलित करने तथा पचायतों के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्षों का करने के लिये उसको संशोधित किया गया है ।

सहकारी आन्दोलन

१९५१-५२ मे १६,९३२ सहकारी समितियाँ थी जिनमें २५,३२,४३१ सदस्य थे तथा जिनकी चालू पूंजी ९३·६१ करोड़ रुपये थी । सहकारी आन्दोलन से ३५·२ प्रतिशत जनसंख्या को लाभ पहुँचा है ।

स्वायत शासन

राज्य में तीन नगर-निगम, २१६ नगरपालिकाएँ तथा २७ जिला बोर्ड है । बम्बई नगर निगम की जल-वितरण व्यवस्था को सुधारने की योजना में काफी प्रगति हुई है और इसको

कार्यान्वित करने के लिये उसे केन्द्रीय सरकार से २ करोड़ रुपये का ऋण भी प्राप्त हुआ है। गन्दी बस्तियों की सफाई की व्यवस्था के लिये बम्बई नगर निगम कानून में संशोधन किया गया है।

मध्य प्रदेश

राज्यपाल . . . . . श्री० पट्टाभि सीतारामय्या

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री तथा सामान्य प्रशासन, समन्वय, पुलिस, योजना, प्रचार एवं विकास . .	रविशंकर शुक्ल
२. उद्योग तथा वाणिज्य, कानून एवं जंगल . .	डी० के० मेहता
३. शिक्षा, स्वायत्तशासन एवं भारतीय भाषाएं .	पी० के० देशमुख
४ वित्त, अन्य राजस्व एवं रजिस्ट्रेशन . .	ब्रिजलाल बियाणी
५. कृषि एवं सहकारिता . . .	शंकरलाल तिवारी
६. स्वास्थ्य एव जेल	एम० एस० कन्नमवार
७ जनजाति-कल्याण, सार्वजनिक कार्य एवं बिजली .	नरेशचन्द्र सिंह
८. खाद्य, श्रम एवं पुनर्वास . . .	दीनदयाल गुप्त
९. राजस्व, सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त, भू-लेखा एवं नागरिक पूर्ति	बी० ए० मडलोई

उपमन्त्री

१. वित्त	पी० एल० धगट
२. गृह	बीरेन्द्र बहादुर सिह
३. शिक्षा	अब्दुल कादिर सिद्दिकी
४. कृषि	गणेशराम अनन्त
५. राजस्व	वसन्तराव पी० नाइक
६. वाणिज्य एव उद्योग . . .	श्रीमती पी० बी० जकातदार

वित्त (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२ (लेखा) . .	२३·६०	१८·२२	+५·३८
१९५२–५३ (लेखा) . .	२४·१५	१९·५०	+४·६५
१९५३–५४ (संशोधित) .	२५·७३	२५·२१	+०·५२
१९५४–५५ (बजट) .	२८·८३	३०·६८	− १·८५
१९५५–५६ (बजट) .	३२·८०	३५·६२	− २·८२

शिक्षा

राज्य अपनी कुल आय का १९ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करता है। १९५२–५३ में शिक्षा पर ३·१४ करोड़ रुपये व्यय किये गये और १९५४–५५ में ४·६७ करोड़ रुपये। १,२०९

गाँवों तथा ५३ नगर क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। १९५३–५४ में प्राथमिक स्कूल ११,३५३ थे जब कि १९५२–५३ में इनकी संख्या १०,९५३ थी। १७ नार्मल स्कूलों में प्रति वर्ष १,३६० अध्यापकों ने शिक्षण प्राप्त किया। १९४६ मे जिन हाई स्कूलों की संख्या १७६ थी, १९५२ मे उनकी संख्या २८९ हो गई। इसी समय मे विद्यार्थियो की संख्या भी २३,८८६ से १,१६,४८० तक पहुँच गयी। १९५१–५२ के अन्त में ४० कालेज थे जिनमें से २१ आर्ट्स तथा साइंस कालेज और १९ प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वाले संस्थान थे। प्रौद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा वाले स्कूलो की सख्या जो १९४७–४८ में ४२ थी, १९५१–५२ में ८१ हो गयी।

छत्तीसगढ तथा विलयित रियासतो के विद्यार्थियो की बढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये ३० लाख रुपये की लागत पर रायपुर मे एक साइंस कालेज खोला गया।

कृषि

१९५३–५४ का ज्वार का उत्पादन गत ३० वर्षों मे तथा चावल का उत्पादन गत १० वर्षों मे सबसे अधिक रहा।

मालगुजारी-उन्मूलन के फलस्वरूप भूमिसुधार विभाग का ध्यान "निस्तरो" के नियमन की ओर गया।

मालगुजारी वाली भूमि के आवटन के लिये राज्य सरकार ने प्राथमिकता के क्रम और आवटन की इकाई के सम्बन्ध में निर्णय किये। सर्वप्रथम प्राथमिकता स्कूलो को और उसके बाद ग्राम पचायतो, भूमिहीन मजदूरो की सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगत भूमिहीन मजदूरो को दी गयी।

२१,००० एकड़ भूमि की सिचाई के लिये आयोजित ३२ लाख रुपये का "आरी तालाब योजना कार्य" पूरा हो गया। सरोद, गगुलपारा, गोण्डली, सम्पना तथा दुकरीखेड़ा तालाब योजनाकार्यो को कार्यान्वित किया जा रहा है और इनसे ९८,००० एकड़ भूमि की सिचाई होगी। इसके अतिरिक्त ३६ छोटे सिचाई कार्यो पर भी काम चल रहा है और लगभग ६ स्थानो का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

योजना के प्रथम तीन वर्षों मे राज्य मे २·४५ लाख एकड परती भूमि को केन्द्रीय ट्रैक्टर सगठन द्वारा साफ किया गया। राज्यीय ट्रैक्टर सगठन के ट्रैक्टरो की सख्या जो १९५२–५३ मे १०० थी, १९५३–५४ मे १४४ हो गयी। योजना के प्रथम तीन वर्षो मे राज्यीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा १,९८,००० एकड़ भूमि के लक्ष्य के मुकाबिले मे १,४४,८८९ एकड़ भूमि साफ की गयी। १९५१–५४ में सिंचाई के लिये पानी ऊपर ले जाने के लिये किसानों को ७९२ डीज़ेल तथा बिजली के इंजिन दिये गये। राज्य के १२६ नगर क्षेत्रो मे शहरी खाद तैयार करने तथा उसके वितरण का कार्य किया गया। मार्च १९५४ तक के ९ महीनो मे लगभग ५,२८५ टन उन्नत बीज बाँटे गये।

उद्योग

बल्लारपुर कागज़ और गत्ता मिल का २१ नवम्बर, १९५३ को उद्घाटन हुआ। इस मिल की क्षमता प्रतिवर्ष ७,५०० टन कागज तैयार करने की है। अखबारी कागज़ बनाने

वाली सर्वप्रथम संस्था "नेपा मिल्स" का काम जनवरी, १९५५ से प्रारम्भ हो गया। इस मिल की क्षमता प्रतिदिन १०० टन अखबारी कागज तैयार करने की है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

राज्य में २९२ अस्पताल, १६० अंग्रेजी दवाखाने तथा ४८६ आयुर्वेदिक दवाखाने है। ३·२५ करोड रुपये की लागत पर नागपुर के मेडिकल कालेज के भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति ने २० मार्च, १९५३ को किया।

रायपुर के आयुर्वेदिक स्कूल से अन्तिम परीक्षा पास करके निकलने वाले सभी २७ छात्र को जन पद सभाओ की देख-रेख मे चलने वाले आयुर्वेदिक दवाखानो मे नियुक्त कर लिया गया। राज्य में इस समय सरकारी सहायता पाने वाले १९१ तथा सहायता न पाने वाले १९६ आयुर्वेदिक दवाखाने है।

अगस्त १९५२ मे १०० रोगी-शय्याओ वाला (जिनमे से ५० के लिये कोई शुल्क नही लिया जाता) एक तपेदिक मेनिटोरियम छिंदवाड़ा में खुला। ५० रोगी-शय्याओ वाला एक दूसरा मेनिटोरियम बुलढाना मे खुला। राज्य के विभिन्न अस्पतालो मे तपेदिक के रोगियो के लिये कुल ५३८ शय्याए है।

विभिन्न जिलो में १० मलेरिया-निरोधक टुकड़ियो ने कार्य किया और ११,९६३ गाँवो मे डी० डी० टी० छिडका तथा ५० लाख से अधिक व्यक्तियो को लाभ पहुँचाया।

विश्व स्वास्थ्य सगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाल सकट कोष की सहायता से सरकार द्वारा बनायी गयी एक योजना के अन्तर्गत "या-विरोधी" टुकड़ियाँ ५८५ गाँवो मे गयी, उन्होने ७४,९६२ व्यक्तियो की डाक्टरी जाँच की तथा पता लगाकर ४,०५२ रोगियो का उपचार किया। दोबारा उन्होने २१९ गाँवो में जाकर २१,२१४ व्यक्तियो की डाक्टरी जाँच की और १५७ रोगियो का उपचार किया।

अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ

जनजाति के कल्याण की एक परिवर्द्धित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रो में ४० कल्याण केन्द्रो का सगठन किया जा रहा है। इन केन्द्रों मे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल तथा मातृकल्याण और शिशुकल्याण केन्द्र भी खोले जायेगे। इनमे मुर्गीपालन आदि के भी केन्द्र होगे और डी० डी० टी० छिड़कने की व्यवस्था तथा लोगो को कुटीर उद्योगो और सहकारिता का शिक्षण देने के लिये निर्देशक भी रहेगे।

१९५३-५४ मे राज्य के जनजाति-क्षेत्रो मे २५१ प्राथमिक स्कूल, ३४ मिडिल स्कूल, ३४ छात्रावास तथा ३० कुटीर उद्योग केन्द्र थे। जनजातियों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिये वर्ष मे १,४३३ छात्रवृत्तियाँ दी गयी। १९ बहुधधी सहकारी समितियो ने इन लोगो के लिये इनकी नित्यप्रति की आवश्यक वस्तुओ की व्यवस्था की। इन क्षेत्रों मे २० पशु-नस्ल-सुधार केन्द्र भी कार्य करते रहे।

पंचायतें

राज्य मे ९६ जनपद सभाए, ६,८६६ ग्राम पचायतें तथा १,२६९ न्याय पंचायते है। ग्राम पंचायतों की स्थापना तीन चरणों में हुई। पंचायतों की स्थापना पहले चरण में १,००० की जनसंख्या वाले गाँवों में, दूसरे चरण में ५०० से लेकर १,००० तक की जनसंख्या वाले

गाँवों में तथा तीसरे चरण में ५०० से कम की जनसंख्या वाले गाँवों मे हुई। बरार के कुछ गाँवों को छोड़कर पहला चरण पूरा हो चुका है तथा दूसरे चरण का काम जारी है।

सहकारिता

राज्य मे कुल प्रारम्भिक कृषि-ऋण समितियाँ १०,६१८ है जिनमें ऋण समितियाँ भी सम्मिलित है तथा जिनके अन्तर्गत ११,३९६ गाँव अथवा २६ प्रतिशत जनसंख्या आ जाती है। इन समितियो ने २ करोड़ रुपये के ऋण दिये और उसमे से १·३९ करोड़ रुपये वसूल किये। १९५४ मे राज्य के "क" और "ख" श्रेणी के २२ केन्द्रीय बैंकों को राज्यीय सहकारी बैंक द्वारा दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋण के लिये १·३५ करोड रुपये की सीमा नियत की गयी। १९५३ मे यह सीमा दुगुनी थी।

स्वायत्त शासन

राज्य मे २ नगर निगम तथा ११५ नगरपालिकाए है।

मद्रास

राज्यपाल . . . . श्रीप्रकाश

मन्त्री

१	मुख्य मत्री तथा सार्वजनिक एव पुलिस . .	कामराज नाडर
२	स्वास्थ्य एव चिकित्सा . . .	ए० बी० शेट्टी
३	वित्त, सूचना प्रचार एवं चुनाव . .	सी० सुब्रह्मण्यम
४	कृषि, जगल एव सामूहिक योजना कार्य . .	एम० भक्तवत्सलम
५.	लगान	एम० ए० मानिकवेलु नैकर
६	सार्वजनिक कार्य . .	एस० राजेश्वर सेतुपति
७.	परिवहन, धार्मिक दान एवं मद्यनिषेध .	बी० परमेश्वरन्
८	स्थानीय प्रशासन . . .	एस० एस० रामास्वामी पादयाची

वित्त (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२ (लेखा) .	५९·४३	६४·४४	− ५·०१
१९५२–५३ (लेखा)	५८·४२	६८ ४०	− ९ ९८
१९५३–५४ (संशोधित) . .	६५ ७५	६५ ७५	—
१९५४–५५ (बजट) . .	४४·६०	४५ १८	− ०·५८
१९५५–५६ (बजट) . .	४६ २७	४९ ५८	− ३·३१

शिक्षा

१९५३–५४ मे राज्य के २१,४१५ प्रारम्भिक स्कूलों में १७ ३८ लाख छात्र तथा ९·९१ लाख छात्राएं थी। इसके अतिरिक्त ६३९ बुनियादी शिक्षा वाले स्कूलों मे ५७,२१० छात्र तथा ३५,१२९ छात्राएं थीं। लड़कों के ७७९ माध्यमिक स्कूलों तथा लडकियों के १७७

माध्यमिक स्कूलों में क्रमशः ३·८२ लाख छात्र तथा १·०९ लाख छात्राएं थी। अन्नमलई विश्वविद्यालय मे १,९३१ छात्र-छात्राएं थी तथा मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लड़के तथा लड़कियों के कालेजों में क्रमशः ३४,२६९ छात्र तथा ५,४२३ छात्राएं थीं। राज्य में १० शिक्षण कालेज, ९९ शिक्षण स्कूल, ४२ बुनियादी शिक्षा के शिक्षण स्कूल, ५ मेडिकल कालेज ६ इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिक शिक्षा वाले कालेज, ९ धंधो की शिक्षा देने वाली संस्थाएं, ३५ औद्योगिक स्कूल, १९ आर्ट्स और क्राफ्ट्स स्कूल, ३ फाइन आर्ट स्कूल तथा कृषि, पशु-चिकित्सा-विज्ञान और वन-उद्योग मे से प्रत्येक का एक-एक कालेज है।

१९५४–५५ के बजट-अनुमानों मे शिक्षा के लिये ८·५४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी।

कृषि

हाल के वर्षों मे किसानो के हितो की रक्षा करने वाले महत्त्वपूर्ण कानून पास किये गये। इनमे से तंजावूर काश्तकार और पन्नैयाल सुरक्षा कानून १९५२, मलाबार काश्तकारी (संशोधन) कानून १९५४ तथा दक्षिण कनारा काश्तकार-सुरक्षा कानून १९५४ का उल्लेख किया जा सकता है।

योजना के प्रथम तीन वर्षों मे ७,३९४ कुँएं तैयार किये गये या उनकी मरम्मत करायी गयी तथा किसानों को ९४६ डीजेल तथा बिजली के इंजिन दिये गये। सिंचाई योजनाओ के लिये सुरक्षित २०·१९ करोड रुपयो मे से प्रथम तीन वर्षों मे ११·४९ करोड़ या ५७ प्रतिशत रुपये व्यय किये गये। लोअर भवानी योजनाकार्य करीब-करीब पूरा होने को है। कावेरी डेल्टा मे ड्रेनेज के सुधार की १२ योजनाओ मे से ११ पूरी हो गयी। मणिमुठर और मलमपुज्ञा योजनाकार्यों तथा मेट्टूर नहर योजना के कार्य संतोषजनक रूप से चलते रहे।

उद्योग

हाल के वर्षों मे चीनी, सीमेन्ट तथा अन्य उद्योगों के लिये आवश्यक भारी मशीनों के निर्माण के लिये मद्रास के निकट तोडियारपेट मे एक कारखाना खोला गया। प्रति दिन ५ टन कास्टिक सोडा के उत्पादन की क्षमता का एक कारखाना तिरुनेल्वेलि जिले मे मिलवत्तन मे खोला जा रहा है। पेराम्बूर के रेलगाडी के डिब्बों के कारखानों मे उत्पादन इस वर्ष शुरू हो जायेगा।

हाथकरघा उद्योग के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। केन्द्रीय सरकार ने हाथकरघा-उपकर-कोष मे से ९८·३९ लाख रुपये राज्य मे हाथकरघा-उद्योग के विकास के लिये आवंटित किये। मद्रास राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति राज्य मे एक सहकारी कताई मिल खोलने का जिसके लिये हाथकरघा-उपकर-कोष मे १० लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया गया है विचार कर रही है, जिससे हाथकरघा बुनकर अपनी आवश्यकता के अनुकूल अंक का सूत लागत मूल्य पर प्राप्त कर सके। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सहायता से राज्य मे रेशम उद्योग के विकास की कई योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। रेशम के कीड़े पालने का एक प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र कोल्लगल में खोला गया है। मद्रास औद्योगिक विनियोग निगम अब तक १·०७ करोड़ रुपये ऋण के रूप में दे चुका है। ग्राम क्षेत्रों के औद्योगीकरण की विश्वेश्वरय्या-योजना के अन्तर्गत वर्ष में ३५ नये कुटीर उद्योग चालू किये गये।

"मद्रास प्लान्ट एक्स्टेन्शन" के प्रथम चरण के साथ-साथ "मोयार जल विद्युत् योजना" तथा "पापनाशम द्वितीय चरण एक्स्टेन्शन" पूरे हो चुके हैं जिससे ६८,००० किलोवाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था होनी है ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

राज्य में १७,६३४ रोगी-शय्याओं की सुविधा के ३७५ अस्पताल है । १२६ ग्रामीण दवाखानो मे से ११० दवाखानों को सरकार से सहायता मिलती है । इसके अतिरिक्त २८६ ऐसे ग्रामीण दवाखाने तथा एक अस्पताल है जहाँ देशी उपचार किया जाता है ।

राष्ट्रीय मलेरिया-नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य मे २ मलेरिया-नियन्त्रण टुकडियाँ काम कर रही है । ५४ मलेरिया निरोधक योजनाओ के लिये सरकार ने अनुदान दिये है । ८ नगर क्षेत्रो में जल-वितरण की नयी योजनाओ को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा अन्य १२ योजनाओ में सुधार किया गया है । ग्राम जल-वितरण कार्यक्रम का उद्देश्य अगले तीन वर्षो मे प्रति वर्ष २,५०० कुएँ तैयार करना है । तजावूर जिले मे मोंगीपट्टी, दक्षिण कनारा जिले मे मूदशेड्डे तथा मलाबार जिले मे पेरियारम नामक स्थानों मे तपेदिक सेनिटोरियम खोले गये है ।

अनुसूचित जातियाँ

केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्पृश्यता-उन्मूलन के प्रचार के लिये, विशेषकर ग्राम क्षेत्रो मे, १·९९ लाख रुपये आवटित किये गये थे । हरिजन विद्यार्थियो को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियाँ दी जाती है और उन्हे परीक्षा-शुल्क से छूट प्राप्त है । हरिजन-कल्याण स्कूलो मे पढने वाले बालक-बालिकाओ को मध्याह्न का खाना दिया जाता है । इस पर २१·४५ लाख रुपये का वार्षिक खर्च आता है ।

सार्वजनिक सेवाओ की नियुक्तियो के सम्बन्ध मे हरिजनो को विशेष रियायतें दी जाती है ।

कुँओ, मार्गों, टट्टियो आदि के निर्माण जैसे कल्याण सम्बन्धी प्रत्येक कार्य के लिये जिला-धीशो को ४,५०० रुपये तक के अनावर्तक व्यय की स्वीकृति देने के अधिकार दिये गये है । हरिजन-कल्याण-सचालक को भी ७,५०० रुपये तक के व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है ।

पंचायतें

अप्रैल १९५१ से लागू हुए मद्रास ग्राम पचायत कानून, १९५० के अन्तर्गत ५०० तथा उससे अधिक की जनसख्या वाले प्रत्येक गाँव के लिये एक "पचायत" अवश्य होनी चाहिए । पचायतें वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाती है । पंचायतो के चुनाव के लिये विधान सभा के लिये तैयार की गयी मतदाता-सूचियाँ ही काम मे आती है ।

सहकारिता

मद्रास राज्य सहकारी बैंक के १७२ सदस्य है जिनमे १५ केन्द्रीय सहकारी बैंक भी है । इसकी चुकता पूजी १०.९१ लाख रुपये की, चालू पूजी ६·८२ करोड़ रुपय की तथा जमा रकमें ३.८२ करोड रुपये की है । १५ केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कुल सदस्य १४,०८८ है जिनमे से २,०५७ व्यक्तिगत सदस्य तथा शेष सहकारी संस्थान है ।

राज्य की १०,२०३ ग्राम-ऋण समितियों के अन्तर्गत ६८ प्रतिशत गाँव आ जाते हैं तथा इनसे २० प्रतिशत जनसंख्या को लाभ पहुँचता है। इसके अतिरिक्त राज्य में ८४५ कृषि व्यतिरिक्त ऋण समितियाँ हैं जिनमें से १७७ शहरी बैंक, ४६१ कर्मचारी सहकारी समितियाँ तथा २०७ अन्य ऋण समितियाँ हैं।

मद्रास के केन्द्रीय भूमि-प्रतिबन्धक बैंक में ७३ प्रारम्भिक भूमि-प्रतिबन्धक बैंक तथा ४५८ व्यक्तिगत सदस्य हैं। ३ सहकारी बिक्री संघ तथा १०७ बिक्री समितियाँ हैं। इसके अलावा राज्य में अन्य कई सहकारी संगठन और भी हैं।

स्वायत्त शासन

मद्रास नगर निगम के अलावा राज्य में १३ नगरपालिका-परिषदें तथा १३ जिला बोर्ड हैं।

उड़ीसा

राज्यपाल . . . . . पी० एस० कुमारस्वामी राजा

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल, विकास, कार्य, पुनर्वास एवं सार्वजनिक सम्बन्ध . . नवकृष्ण चौधरी
२. वित्त एवं शिक्षा . . . . राधानाथ रथ
३. गृह, कानून एव स्वास्थ्य . . . एस० पी० महन्ती
४. राजस्व, पूर्ति एवं आबकारी . . . सदाशिव त्रिपाठी
५. उद्योग एवं परिवहन . . . किशोरचन्द्र देवभंज
६. जनजाति तथा ग्राम-कल्याण, श्रम एवं वाणिज्य . सोनाराम सोरेन

उपमन्त्री

१. स्वास्थ्य . . . . वसन्तमजरी देवी
२. कार्य . . . . . भैरवचन्द्र महन्ती
३. गृह . . . . . नीलमणि रुतड़े
४. परिवहन एवं जगल . . . तीर्थबासी प्रधान
५. पूर्त्ति एवं कृषि . . . . कृपानिधि नायक
६. स्वायत्त शासन एवं सहकारिता . . शान्तनु कुमार दास
७. पुनर्वास एवं सार्वजनिक सम्बन्ध . . अनूपसिंह देव

वित्त

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२ (लेखा) .	११·९६	१०·८६	+१·१०
१९५२–५३ (लेखा) .	१२·६२	११·५२	+१·१०
१९५३–५४ (संशोधित) .	१२·४७	१४·६७	−२·२०
१९५४–५५ (बजट) .	१४·१२	१४·८६	−०·७४
१९५५–५६ (बजट) .	१६·६९	१८·५७	−१·८८

शिक्षा

१९५३–५४ में ५०० लोअर प्राइमरी स्कूल तथा ६० जूनियर बुनियादी शिक्षा के स्कूल स्थापित किये गये तथा ३२ लोअर प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी स्कूलों मे परिवर्तित कर दिया गया । एक अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूलों में ३०० अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये गये । वर्ष के अन्त में शिक्षित नवयुवकों को काम में लगाने के लिये एक योजना के अन्तर्गत १,२०० नये लोअर प्राइमरी स्कूल भी खोले गये ।

पार्लकीमेडी तथा बंकी के शहरी क्षेत्रों मे चालू अनिवार्य शिक्षा योजना को पाँच और स्थानों मे लागू किया गया—अथगढ़, बारीपद, अंगुल, सुन्दरगढ़ तथा अथमल्लिक थाना के शहरी क्षेत्र । ५० नये स्कूल खोले गये और २९६ नये अध्यापक नियुक्त किये गये । सात प्रारम्भिक शिक्षण स्कूल खोले गये तथा चलती-फिरती शिक्षण टुकड़ियों की संख्या ३ से ५ हो गयी । १ मार्च, १९५३ से सभी प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के वेतन में ४ रुपये की वृद्धि स्वीकार कर ली गयी । सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में लगे सभी अध्यापकों को अंशदातव्य निर्वाहनिधि (कन्ट्रिब्युटरी प्राविडेट फण्ड) का भी लाभ पहुँचाने का निर्णय किया ।

१९५३–५४ में हाई स्कूलों तथा मिडिल स्कूलों की संख्या क्रमशः २०९ तथा ५७० थी जबकि पिछले वर्ष में इनकी संख्या क्रमशः २०० तथा ५५८ थी ।

कृषि

उड़ीसा जागीर-उन्मूलन कानून २७ नवम्बर, १९५२ को लागू हुआ और अगले दो वर्षों में ज़मीदारी उन्मूलन के कार्य मे भारी प्रगति हुई ।

१९५३–५४ के अन्त तक १८,००० एकड़ परती भूमि साफ की गयी तथा लगभग १०,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनायी गयी ।

आतरिक मछली उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये १९५३–५४ मे राज्य में ५४ मछली-पालन केन्द्रों की व्यवस्था की गयी । इसके अलावा २ लाख रुपये के व्यय से दलदलों को साफ करके १३ स्थानो में आदर्श मछली-पालन केन्द्र स्थापित किये गये ।

राज्य मे पशुओं की नस्ल-सुधार योजनाओं का कार्य अच्छी प्रगति पर है । कृत्रिम गर्भाधान काफी लोकप्रिय हो चुका है और १९५३–५४ मे ३ मुख्य केन्द्रों तथा ७४ सहायक केन्द्रो का काम सफलतापूर्वक चलता रहा । केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई वित्तीय सहायता से कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाओं से युक्त ३ केन्द्रग्रामों की स्थापना की गयी है ।

उद्योग

राज्य सरकार नये उद्योगों की स्थापना के लिये निजी व्यावसायियों को सहायता देती रही । १९५३–५४ में बड़े पैमाने के जो उद्योग स्थापित हुए उनमें —७०० टन शीशे का सामान तैयार करने के लिये बरंग स्थित श्री दुर्गा ग्लास वर्क्स लि० तथा इस्पात के पाइप तैयार करने वाला उद्योग "कलिंग ट्यूब्स लि०" है । फेरो-मैगनीज़ के एक कारखाने की स्थापना के लिये जेपुर मैंगनीज़ सिन्डीकेट को लाइसेंस दिया गया । ब्रजराजनगर स्थित "ओरियन्ट पेपर मिल्स" तथा राजगंगापुर स्थित "उड़ीसा सीमेन्ट लि०" के विस्तार के लिये उपाय किये गये । टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी चौद्वार में एक नयी पेपर मिल स्थापित करने का विचार कर रही है ।

केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक नीति का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये एक "कुटीर उद्योग बोर्ड" स्थापित किया है। १९५३–५४ में केन्द्रीय सरकार से १० लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करके हाथ-करघा-बुनाई, बढ़ईगिरी, लुहारी, मिट्टी के बर्तन, चटाई-बुनाई, कटलरी, साइकिल के पुर्जे मधुमक्खी-पालन तथा चमड़ा कमाना जैसे उद्योगों के विकास की नयी योजनाओं को आरम्भ किया गया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

१९५३–५४ में राज्य में ४७४ अस्पताल तथा दवाखाने थे। इनमें से ३७७ अंग्रेजी दवाखाने, ९३ आयुर्वेदिक, ३ होमियोपेथिक तथा एक यूनानी दवाखाना थे। कुल रोगी-शय्याएं ३,२४८ थी। ४६ शिशुकल्याण केन्द्रों में से १६ की व्यवस्था सरकार, २५ की रेडक्राम तथा ५ की व्यवस्था निजी सस्थाएं करती थी।

राष्ट्रीय मलेरिया-नियत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित दो मलेरिया नियंत्रण टुकडियों ने आठ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। १९५३–५४ में मलेरिया निरोधक कार्रवाइयो पर सरकार ने २,३३,२०० रुपये व्यय किये तथा १९५४–५५ के बजट में २ नयी टुकड़ियो के लिये व्यवस्था रखी गयी।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के तत्त्वावधान में स्थापित "फिलारियासिस अनुसंधान घटक" फिलारियासिस के उपचार के सम्बन्ध में हेट्राजन के गुण-दोष की जाँच पडताल करता रहा।

बी० सी० जी० का टीका-आन्दोलन जो १९५० में छोटे पैमाने पर चलता आ रहा था, अगस्त, १९५३ में जन-आन्दोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस कार्य के लिये १९५४–५५ के बजट में १·९१ लाख रुपये की व्यवस्था रखी गयी।

अनुसूचित जातियाँ

विगत ३ वर्षों में अनुसूचित जातियो तथा जनजातियों के लोगों की उन्नति सम्बन्धी कार्रवाइयों में काफी विस्तार हुआ तथा १९५४–५५ के बजट में ४४ लाख रुपये की व्यवस्था रखी गयी जबकि १९५२–५३ के बजट में ३० लाख रुपये की ही व्यवस्था की गयी थी।

१९५४–५५ में पहले के ३२ आश्रमो में ३ नये आश्रमों की तथा पहले के ५७५ सेवाश्रमों में ५० नये सेवाश्रमों की वृद्धि करने का विचार किया गया। १९५३–५४ में इन संस्थानों पर १५ लाख रुपये व्यय किये गये। वर्ष में कोरापट, फुलबनी तथा क्योंझर जिलों के तीन शिक्षण केन्द्रों में १२३ शिक्षार्थियो ने अपना शिक्षण पूरा किया। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिये ४·१४ लाख रुपये की व्यवस्था रखी गयी। १९५४–५५ में ६ आदिवासी विद्यार्थियों के लिये शीघ्रलिपि, टाइपराइटिंग तथा मेकेनिक्स के शिक्षण का प्रबन्ध करने का विचार किया गया।

आदिवासियों की बस्तियाँ बसाने की योजना के अन्तर्गत १,१७५ परिवारों को १९५३–५४ के अन्त तक ७१ बस्तियों की १३,१८४ एकड़ भूमि में बसाया गया।

सरकारी नौकरियों की भरती के सम्बन्ध में १८ प्रतिशत रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों के लोगों तथा २० प्रतिशत रिक्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये सुरक्षित

रख गये है । तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध मे ऐसे लोगों के लिये ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे गये है ।

पंचायतें

१९५३–५४ म ७७४ नयी पंचायते स्थापित की गयी । अदालती पंचायतों की संख्या जो १९५२–५३ मे १७९ थी बढकर वर्ष मे २०५ हो गयी ।

सहकारिता

१९५२–५३ मे राज्य मे ६,०२२ सहकारी समितियाँ थी । ३१ मार्च, १९५४ तक ३३४ सहकारी समितियाँ रजिस्टर्ड की गयी ।

पंजाब

राज्यपाल . . . . . चन्द्रिकेश्वर प्रसाद नारायण सिह

मन्त्री

१ मुख्य मन्त्री तथा सामान्य प्रशासन (प्रचार सहित), कानून तथा व्यवस्था (जेल तथा न्यायसहित), पंचायत, खाद्य एवं नागरिक पूर्त्ति — भीमसेन सच्चर

२ लगान, विकास (कृषि, जंगल तथा पशुचिकित्सा) एव चकबन्दी . . — प्रतापसिह कैरो

३ सिचाई, बिजली एवं सहकारी समितियाँ . — लहरीसिह

४. वित्त, उद्योग, सहायता एव पुनर्वास . — उज्जलसिह

५. शिक्षा, स्वास्थ्य एव परिवहन . — जगतनारायण

६ श्रम, स्टेशनरी तथा छपाई, आबकारी तथा कर, अनुसूचित एव पिछडी जातियाँ . . — सुन्दरसिह

७ सार्वजनिक कार्य (इमारत तथा सडके), बडे कार्य एव स्वायत्त शासन . . — गुरबचनसिह बजवा

वित्त (करोड रुपयों मे)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२ (लेखा) . .	१८ १७	१६ ४५	+१·७२
१९५२–५३ (लेखा) . .	१८ ७४	१६ ९०	+१·८४
१९५३–५४ (संशोधित) . .	१९·७१	१९ ५५	+०·१६
१९५४–५५ (बजट) . .	२२·१९	२३·१४	−०·९५
१९५५–५६ (बजट)	२८·९०	२९·६७	−०·७७

शिक्षा

राज्य में इस समय ७,०५५ प्राथमिक स्कूल, ७५६ मिडिल स्कूल, ६१० हाई स्कूल, ५१ आर्ट्स तथा साइंस कालेज तथा १३ व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेज है । विद्यार्थियों की संख्या प्राथमिक स्कूलों में ६,०३,५४३; माध्यमिक स्कूलों में ५,०४,३२१; आर्ट्स तथा साइंस कालेजों मे २६,८४५ तथा व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेजों में २,७०६ है ।

एक चतुस्सूत्री शिक्षा-विकास योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके उद्देश्य हैं—शिक्षा पर होने वाले व्यय तथा पाठ्यपुस्तकों के मूल्यों में कमी; १,००० स्कूलों का खुलना तथा प्रतिवर्ष २,००० अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना। पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण उनके मूल्यों में कमी करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अब तक ७५ पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है तथा कुछ मामलों में मल्यों में ३० प्रतिशत तक की कमी आई है।

कृषि

यह राज्य, जिसमें १९४७–४८ मे ३५ हजार टन खाद्य का अभाव था, अब केवल स्वालम्बी ही नही हो गया है, किन्तु कुछ वर्षों से काफी मात्रा में खाद्य अन्य राज्यों को देता आ रहा है। १९५३–५४ मे लगभग ८९,००० टन चावल तथा २८,००० टन गेहूं का निर्यात हुआ। १९५३–५४ में अमेरिकी कपास २,८०,००० एकड़ भूमि में बोयी गयी जबकि १९४७–४८ मे अमेरिकी कपास ४०,००० एकड़ भमि मे ही बोयी गयी थी। पिछले वर्ष ३८,००० एकड़ भूमि मे चावल की खेती जापानी ढंग से की गयी।

१९५३–५४ मे १,८५८ ऐसे कुँएं जिनमें रिस-रिस कर पानी आता है तथा २,९०० साधारण कुँएं खोदे गये। कृषि विभाग ने ५०० पम्पिग सेट बाँटे तथा ४०० कुँओं की बोरिंग की। विभाजन के बाद से राज्य मे १,५०० नलकूप लगाये जा चुके है।

१९५३–५४ मे लगभग ५६ लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ गयी जबकि १९४७–४८ में ४० लाख एकड़ भूमि में ही सिंचाई होती थी। पिछले पाँच वर्षों में कई छोटी सिचाई योजनाएं पूरी की गयी जिनके फलस्वरूप १० लाख से अधिक भूमि मे सिचाई होने लगी।

मार्च १९५४ के अन्त तक १·५९ करोड एकड़ भूमि मे से ३० लाख एकड़ भूमि से कुछ अधिक की चकबन्दी कर दी गयी। इस पर ५ करोड़ रुपये के कुल व्यय का अनुमान है।

उद्योग

१९५३ में १ करोड रुपये की चुकता पूजी के साथ राज्यीय औद्योगिक वित्त निगम स्थापित हुआ जिससे उद्योगपतियों को वित्तीय कठिनाई पर विजय प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिली।

राज्य में कारखानों की संख्या १९५३–५४ के अन्त में बढ़कर १,९०० हो गयी जब कि १९४७ में यह संख्या ५७२ ही थी। खेलकूद का सामान तैयार करन वाला उद्योग जो पहले पश्चिमी पंजाब में स्यालकोट में था, अब जालन्धर में स्थापित हो चुका है जहाँ १२५ कारखानों में प्रतिवर्ष लगभग ७५ लाख रुपये का खेलकूद का सामान तैयार होता है। मौजा-बनियान-उद्योग अब अपनी पहले की स्थिति तक पहुँच चुका है तथा देश के कुल ८७३ कारखानों में से राज्य में ८०३ कारखाने है।

१९५३ में सोनीपत स्थित एटलस साइकिल उद्योग का कुल उत्पादन ४४,३४० साइकिलों का रहा जबकि पिछले वर्ष म केवल २२,००० साइकिलों का ही उत्पादन हुआ था। हाल ही में, एक ब्रिटिश फर्म के साथ मिलकर प्रतिवर्ष १ लाख साइकिलें तैयार करने के लिये एक अन्य फर्म को लाइसेंस दिया गया।

पंजाब मे राज्य कर्मचारी बीमा योजना अप्रैल १९५३ में लागू की गयी । ३५,००० से अधिक कर्मचारी इसके साथ अपना बीमा करा चुके है । राज्य में सात श्रम-कल्याण केन्द्र हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

जून, १९५४ के अन्त मे राज्य में ६२८ अस्पताल तथा दवाखाने थे । १९५२ में इन में ५९ लाख रोगियों का उपचार किया गया ।

अमृतसर मे मानसिक रोगों का एक नया अस्पताल खोला गया है । भिवानी, शिमला, लुधियाना, अमृतसर तथा करनाल में मातृकल्याण केन्द्र है । कांगडा जिले में टांडा नामक स्थान में एक नया सेनिटोरियम स्थापित किया गया है ।

बी० सी० जी० आन्दोलन का श्रीगणेश सर्वप्रथम पंजाब में ही हुआ था । अब तक १५ लाख व्यक्तियों का बी० सी० जी० परीक्षण किया जा चुका है तथा ४ लाख व्यक्तियों को, टीके लगाये जा चुके हैं ।

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ५ टुकड़ियाँ गुड़गाँव, करनाल, अम्बाला अमृतसर तथा फीरोजपुर जिलों में कार्य कर रही है ।

अनूसूचित जातियाँ

राज्य के भूमिहीन किसानों में अधिकाश हरिजन हैं । उनके हितों की रक्षा तथा उनकी अन्य सुविधाओं की दृष्टि से पिछले पाँच वर्षों में कई कानून पास किये गये । इनमें "पंजाब भूमि भोगावधि सुरक्षा कानून", १९५३; "पंजाब ग्राम-उपकर-उन्मूलन (कुरी कामिनी) कानून, १९५०" तथा "पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (नियमन) कानून," १९५३ है ।

शिक्षा के सभी चरणों में विद्याध्ययन-शुल्क से छट मिलने के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी हाई स्कूलों तथा कालेजों में ६ रुपये से लेकर २५ रुपये मासिक तक की छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं । १५ रुपये मासिक की छात्रवृत्तियाँ शिक्षण संस्थानों के जूनियर और सीनियर छात्र-अध्यापकों को दी जाती है । कालेजों में विज्ञान का विषय लेने वाले विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-हरिजन-कल्याण कोष से आर्थिक सहायता लेने का अधिकार है ।

सरकारी नौकरियों में हरिजनों के लिये सुरक्षित रिक्त स्थानों का अनुपात १५ से बढ़कर २१ प्रतिशत हो गया है तथा उनके लिये आयु की सीमा में भी तीन साल की रियायत कर दी गयी है । नये ग्राम-पंचायत कानून के अन्तर्गत पंचायतों में भी हरिजनों के लिये स्थान सुरक्षित रखे गये है । सरकार ने कम से कम १०० हरिजनों की जनसंख्या के मालगुजारी वाले प्रत्येक हल्के में हरिजन लम्बरदार की नियुक्ति के भी आदेश जारी किये हैं ।

पंचायतें

ग्राम पंचायत कानून, १९५२ के अन्तर्गत राज्य भर में ग्राम पंचायतों का जाल सा बिछा हुआ है । १९५३ में मालगुजारी वाले १६,४५६ हल्कों में ९,११७ ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ । नये कानून के अन्तर्गत ५०० तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्यक गाँव म एक

पंचायत होती है। छोटी जनसंख्या वाले गांवो को बड़ी जनसंख्या वाले गाँवों में मिला दिया गया है। एक ग्राम पंचायत मे ५ से लेकर ९ पंच होते है जो लोगों द्वारा चुने जाते है। मत देने का अधिकार प्रत्येक वयस्क को होता है। पंचायतो को प्रशासन तथा न्याय सम्बन्धी काफी अधिकार दिये गये है।

सहकारिता

१९५३–५४ मे राज्य मे १६,१६७ सहकारी समितियाँ थी जबकि १९५१–५२ मे इनकी संख्या १४,८७२ थी। सहकारी बैंक के पास २५ लाख रुपये की हिस्सेदार पूजी है। सरकार का गृह-निर्माण, कुटीर उद्योगो, दुग्धालयो, श्रम तथा सहकारी कृषि के लिये सहकारी समितियाँ संगठित करने का विचार है। सहकारी विभाग ने चण्डीगढ में गृह-निर्माण के लिये हाल ही मे कई सहकारी समितियाँ सगठित की।

उत्तर प्रदेश

राज्यपाल . . . कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री तथा सामान्य प्रशासन एव गृह	सम्पूर्णानन्द
२. वित्त, बिजली, जगल एव सहकारिता	हाफिज मोहम्मद इब्राहीम
३. कृषि, सहायता एव पुनर्वास . .	हुकुमसिह
४. आबकारी एवं रजिस्ट्रेशन . .	गिरधारी लाल
५. योजना, स्वास्थ्य, उद्योग एव पूर्त्ति	चन्द्रभानु गुप्त
६. राजस्व एवं परिवहन . .	चरणसिह
७ न्याय एवं स्वायत्त शासन . .	सैयद अली ज़हीर
८. शिक्षा एव हरिजन सहायक . .	हरगोविन्द सिह
९ सूचना एवं सिचाई . . .	कमलापति त्रिपाठी
१०. सार्वजनिक कार्य . . .	विचित्र नारायण शर्मा
११ श्रम-कल्याण	जुगल किशोर

उपमन्त्री

१. मगलाप्रसाद
२. जगमोहन सिह नेगी
३. जगन्नाथ प्रसाद रावत
४ मुजफ्फर हुसैन
५. चतुर्भुज शर्मा
६. राममूर्ति
७. फूल सिह
८. सीताराम

वित्त (करोड रुपयों मे)

वर्ष	राजस्व	व्यय	चत (+) या घाटा (-)
१९५१–५२ (लेखा)	५५ ५६	५५ ५०	+०.०६
१९५२–५३ (लेखा)	६४.८३	६४ ८३	—
१९५३–५४ (संशोधित)	७३.५४	७३ ५४	—
१९५४–५५ (बजट)	७७ १६	८१ ०७	– ३.९१
१९५५–५६ (बजट)	८४.५६	९०.०६	– ५ ५०

शिक्षा

१९५२–५३ तक के पाँच वर्षो मे प्राथमिक स्कूलो की संख्या २१,७९७ से ३१,९६२, माध्यमिक स्कूलो की सख्या २,४९७ मे ४,४५९ और प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वाले स्कूलो की सख्या १६२ मे १,४३९ हो गयी। इसी समय में आर्ट्स तथा साइंस कालेजो की संख्या १६ से ५६ तथा प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेजों की संख्या २१ से २५ हो गयी।

सरकार ने गाँवो के प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलो को सामूहिक विस्तार सेवा केन्द्रों में बदलने का निर्णय किया। इसके लिये स्कूलो मे कृषि को अनिवार्य विषय बनाने तथा प्रत्येक संस्थान के साथ कृषि-भूमि सम्बद्ध करने का विचार किया गया।

हिन्दी के विद्वानों तथा लेखको को प्रोत्साहन देने की दृष्टि मे सरकार ने महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिये कई पारितोषिक देने का निर्णय किया। देवनागरी सम्मेलन की सिफारिशो के अनुसार सरकार ने देवनागरी लिपि को सुधारने के प्रयत्न किये। मुद्रकों तथा प्रकाशको मे भी सुधारी गयी लिपि अपनाने का अनुरोध किया गया।

कृषि

जमीदारी-उन्मूलन के बाद ३१ मार्च, १९५४ को कोर्ट ऑफ वार्ड्स भग कर दिया गया। जमीदारी-उन्मूलन से करीब ३०.१७ लाख मध्यवर्तियो पर प्रभाव पडा और उन्हें ७५ करोड़ रुपये का मुआविजा देने का अनुमान लगाया गया। इस राशि मे से १० करोड़ रुपये तो नकद तथा शेष राशि हस्तान्तरणीय बाण्डो मे दी जानी थी। उत्तर प्रदेश चकबन्दी कानून राज्य में ८ मार्च, १९५४ से लागू हुआ।

योजना के प्रथम दो वर्षो मे राज्य में १८,४६७ कुँऐं बनाये गये या उनकी मरम्मत की गयी। भारत-अमेरिका प्रौद्योगिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये जाने वाले १,२७५ नलकूपो मे से प्रथम तीन वर्षो मे ४५० कुँओ की खुदाई की गयी तथा ३३५ कुँऐं तैयार किये गये। केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने १९५३–५४ मे ६१,००० एकड़ भूमि साफ की। इस प्रकार राज्य मे योजना के प्रथम तीन वर्षो में कुल १.७१ लाख एकड़ भूमि साफ की गयी। १९५१–५४ में राज्यीय ट्रैक्टर सगठन ने तीन वर्षों के २.५९ लाख एकड़ भूमि के लक्ष्य के मुकाबिले में १·९२ लाख एकड़ भूमि ही साफ की। "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन की वितरण योजनाओं

के अन्तर्गत ७.३० लाख मन बीज, १.०५ लाख मन खाद तथा १ लाख से अधिक औजार आदि किसानों में बाँटे गये ।

उद्योग

दो वर्ष के अपने जीवन काल में राज्य के "सूक्ष्म यंत्र कारखाने" में ८६ अनुवीक्षण यंत्र तथा पानी के ६,१०० मीटर तैयार किये गये। १९५५–५६ के लिये ५०० अनुवीक्षण यन्त्रों तथा पानी के १२,००० मीटरों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

कुटीर उद्योग अधिदेश ने शिक्षित नवयुवकों को आर्ट्स तथा क्राफ्टस का शिक्षण देने के लिये कई योजनाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है । उदाहरण के लिये, लखनऊ में दर्जी के काम का एक शिक्षण केन्द्र खोला गया है ।

हाथकरघा-विकास योजना के अन्तर्गत ५० बिक्री केन्द्र तथा रंगाईघर स्थापित किये गये हैं तथा अधिक संख्या में उत्पादन-केन्द्र, रंगाई-घर तथा बिक्री-केन्द्र खोलने के उपाय किये जा रहे हैं ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

१५० विशेष अस्पतालों के अलावा, राज्य द्वारा ४३७ सामान्य अस्पताल तथा दवाखाने चलाये जा रहे हैं। स्थानीय संस्थाएँ ३५१ अस्पताल तथा दवाखाने चला रही हैं जब कि राज्य में ५० सहायता प्राप्त, ८५ आर्थिक सहायता प्राप्त तथा बिना सहायता के ३० निजी अस्पताल तथा दवाखाने हैं। राष्ट्र संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष की सहायता से राज्य में मातृकल्याण तथा शिशुकल्याण सेवाओं के विकास की एक विस्तृत तीन वर्षीय योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत लखनऊ तथा आगरे में दो शिशु-अस्पताल खोले जायेंगे, स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा दाइयों के लिये शिक्षण की सुविधाएँ बढ़ाई जायेंगी तथा २०० ग्राम मातृकल्याण केन्द्र खोले जायेंगे ।

अनुसूचित जातियाँ

अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के लोगों के उत्थान के लिये १९५४–५५ के बजट में ७० लाख रुपये की व्यवस्था रखी गई जबकि १९५३–५४ के बजट में ५४.५५ लाख रुपये की ही व्यवस्था थी ।

हरिजनों को शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। प्राथमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के सभी संस्थानों में उनके लिये स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। १९५४–५५ में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ तथा शुल्क की रियायतें देने के लिये १.८१ लाख रुपये सुरक्षित रखे गये ।

१९५३–५४ में ६,१४९ छात्रवृत्तियाँ दी गई जिनमें औद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा वाले संस्थानों में शिक्षार्थियों को दी गई १५६ छात्रवृत्तियाँ भी सम्मिलित हैं। पुस्तकों के क्रय तथा परीक्षा-शुल्क देने के लिये सहायता के रूप में लगभग ३९,००० रुपये व्यय किये गये। सरकार १.५१ लाख रुपये की लागत पर हरिजनों के लिये दो औद्योगिक-शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र और खोलने का विचार कर रही है ।

सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये सुरक्षित रखे जाने वाले स्थान १० से बढ़ाकर १८ प्रतिशत कर दिये गये हैं।

पंचायतें

राज्य में ३६,००० गाँव-पंचायतें, ४८,००० गाँव समाज तथा ८,१०० पंचायती अदालतें हैं। १९५३–५४ में पंचायतों ने ५,९०० मील सड़कें, ८४८ गान्धी चबूतरे, ३,४३० कुँएं तथा १०,००० से अधिक सिंचाई की छोटी-छोटी नहरें तैयार करायी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ११,६०० मील पुरानी सड़कों की मरम्मत की, १०५ मील लम्बी नालियाँ खोदीं, १,०५२ पुस्तकालय, १,२३८ स्कूल तथा ९,९२५ अखाड़े खोले, ७७५ सामूहिक रेडियो सेट लगाये तथा गलियों में १६,००० लालटेनें लगायी, १६.४३ लाख वृक्षों का रोपण किया तथा ५,६७८ दवा-पेटियाँ खरीदी। मार्च १९५४ तक पंचायती अदालतों ने १४ लाख से अधिक मामले निपटाये।

सहकारिता

राज्य में कुल ३५,२८१ प्राथमिक सहकारी समितियाँ हैं जिनके सदस्यों की संख्या १४,२०,९७५, जिनकी पूजी २ करोड़ १३.७४ लाख रुपये तथा जिनके पास ७ करोड़ ६७ लाख ३ हजार रुपये की जमा रकम है।

हाल के वर्षों में सहकारी समितियों की ऋण तथा बैंकिंग सम्बन्धी व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है। इनके प्रकार में भी परिवर्तन हुआ है। केवल ऋण देने की अपेक्षा ये समितियाँ अधिकाधिक बहुधंधी कार्यों में संलग्न होती जा रही हैं।

स्वायत्त शासन

राज्य में ५० जिला बोर्ड, १२० नगरपालिकाएं, २६५ कस्बा क्षेत्र समितियाँ तथा २७ अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ हैं। नगरपालिकाओं, कस्बा तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों का सामान्य चुनाव १९५३–५४ में हुआ था।

पश्चिम बंगाल

राज्यपाल	एच० सी० मुकर्जी
मन्त्री	
१. मुख्य मन्त्री तथा गृह, वाणिज्य, उद्योग एवं विकास	विधानचन्द्र राय
२. कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योग . .	जादवेन्द्र नाथ पंज
३. जंगल एवं मछली उद्योग . .	हेमचन्द्र नस्कर
४. सिंचाई एवं जलमार्ग . . .	अजयकुमार मुखर्जी
५. आबकारी	श्यामाप्रसाद बर्मन
६. कार्य एवं इमारतें . . .	खगेन्द्रनाथ दास गुप्त
७. जनजाति-कल्याण . . .	राधागोविन्द राय
८. स्वायत्त शासन . . .	ईश्वरदास जालान
९. शरणार्थी सहायता एवं पुनर्वास . .	श्रीमती रेणुका रे

१० खाद्य, सहायता एवं पूर्ति	प्रफुल्लचन्द्र सेन
११. शिक्षा	पन्नालाल बोस
१२. कृषि एवं सहकारी ऋण	रफीउद्दीन अहमद
१३ श्रम	कालिपद मुखर्जी
१४. न्याय, विधान, भूमि एवं लगान	सत्येन्द्र कुमार बसु

मिनिस्टर ऑफ स्टेट

१. चिकित्सा एव सार्वजनिक स्वास्थ्य	अमूल्यधन मुखोपाध्याय
२ जेल	जीवनरतन धर

उपमन्त्री

१ परिवहन	एम० सी० राय सिन्हा
२ गृह विभाग की प्रतिरक्षा शाखा	एम० सी० घोष मलिक
३ प्रचार एव जनसम्पर्क	गोपिका बिलास सेन गुप्त
४ नगर निर्माण एव सहायता	तरुणकान्ति घोष
५ वाणिज्य एव उद्योग	सुरेन्द्रमोहन मिश्र
६ जनजाति-कल्याण एव आबकारी	तैनजिग वागडी
७. पुनर्वास	विजेशचन्द्र सेन
८. खाद्य	समरजीत बन्द्योपाध्याय
९ पूर्ति	रजनीकान्त प्रमाणिक
१० कृषि	अब्दुस्शकूर
११ श्रमदीय कार्य	देवेन्द्रचन्द्र दे
१२ सहकारिता	चित्तरंजन राय
१३ स्त्री-शिक्षा	श्रीमती पूरबी मुखर्जी
१४ श्रम	शिवकुमार राय

वित्त

(करोड रुपयो मे)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (–)
१९५१–५२ (लेखा)	३८.५९	३७.३१	+१.२८
१९५२–५३ (लेखा)	३७.४६	३८.९४	– १ ४८
१९५३–५४ (संशोधित)	३८ ८२	५०.५७	–११ ७५
१९५४–५५ (बजट)	३९.९३	५३.३१	–१३.३८
१९५५–५६ (बजट)	४५.७६	६२.८८	–१७.१२

शिक्षा

राज्य में ५७ डिग्री कालेज सहित कुल ८९ कालेज हैं । लडकियों के दो इंटर कालेज तथा १२ डिग्री कालेज हैं । औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वाले संस्थानों में से तीन अध्यापकों

के शिक्षण के लिये, ६ इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलौजी के लिये, ९ डाक्टरी शिक्षा के लिये २ कानून की शिक्षा के लिये, ३ संगीत तथा अन्य ललित कलाओं के लिये तथा पशुचिकित्सा विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, पूर्वी भाषाओं तथा शरीरशिक्षा मे से प्रत्येक के लिए एक-एक है ।

छात्रों के लिये २,३६९ माध्यमिक स्कूल तथा १६,३९४ प्राथमिक और जूनियर बेसिक स्कूल तथा छात्राओं के लिये ४५६ माध्यमिक स्कूल तथा ७६३ प्राथमिक और नर्सरी स्कूल है । माध्यमिक स्कूलों मे कुल विद्यार्थी ५,७०,१२८ है जिनमे से १,००,२२० छात्राएं है । प्राथमिक स्कूल के १७.९२ लाख विद्यार्थियों मे से ५.२२ लाख छात्राएं है ।

१९५४ में सरकार ने जूनियर बेसिक शिक्षा के स्कूलो के लिये आवश्यक अध्यापकों के लिये बाँकुरा जिले में सारेंगा स्थित प्राथमिक शिक्षण स्कूल को बुनियादी शिक्षण स्कूल में परिवर्तित करने की एक योजना स्वीकार की । डेविड हेअर शिक्षण स्कूल का पुनर्गठन किया गया और इसके महिला विभाग को इससे अलग करके महिलाओं की शिक्षा संस्था के रूप मे परिवर्तित कर दिया गया ।

कृषि

पश्चिम बंगाल जमीदारी अधिगति कानून (१९५३) १२ फरवरी, १९५४ से लागू हुआ । पचवर्षीय योजना मे सम्मिलित ५९ सिचाई योजना कार्यो मे से ५५ कार्य प्रथम तीन वर्षों मे पूरे हो गये । सुरक्षित १५ ३७ करोड रुपयो मे से इसी समय मे ८ ६८ करोड रुपयो का या ५७ प्रतिशत व्यय हुआ । सोनारपुर-अरपच योजना के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है और मयूराक्षी योजना का कार्य पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सतोषप्रद ढंग से चल रहा है ।

१९५३-५४ मे ३९६ टन धान के उन्नत बीज बाँटे गये तथा ४३३ प्रदर्शन केन्द्र स्थापित हुए । ६१,८३९ एकड भूमि मे धान की खेती जापानी ढंग से की गयी जिससे ११,७२,००० मन धान पैदा हुआ ।

उद्योग

पश्चिम बंगाल राज्य-वित्त निगम १ मार्च, १९५४ को स्थापित हुआ था । बंगाल राज्य द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली सहायता कानून (१९३१) मे १९५४ में संशोधन किया गया । औद्योगिक उद्यम अब अपनी सम्पत्ति के शुद्ध मूल्य के ७५ प्रतिशत तक का ऋण ले सकते है ।

"पश्चिम बंगाल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड", "राज्य हाथकरघा बोर्ड" तथा "राज्य कुटीर उद्योग बोर्ड" सरकार को छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर सलाह देते है ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

१९४८-४९ की तुलना में १९५४-५५ में चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होने वाले प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि हुई । १९४८ से १९५४ तक में अस्पतालों, दवाखानों, चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य-लाभ केन्द्रों की संख्या १,२०१ से १,४५४ हो गयी और रोगीशय्याओं की

संख्या भी १७,५४९ से २०,४१९ हो गयी । १९५३ में करीब ६५ लाख व्यक्तियों को चेचक के तथा ४२ लाख व्यक्तियो को हैजे के टीके लगाये गये ।

१९५३–५४ में १६ मलेरिया निरोधक टुकड़ियों ने राज्य में काम किया । इस समय राज्य में बी० सी० जी० की १२ टुकड़ियाँ अपना-अपना काम कर रही हैं ।

अनुसूचित जातियाँ

१९५४ में केन्द्र से १० लाख रुपये का अनुदान प्राप्त होने के फलस्वरूप अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के कल्याणकार्य को बल प्राप्त हुआ । इस धन की सहायता से विभिन्न कल्याण-योजनाओं पर काम आरम्भ किया गया । टोटोपारा, चौकन, फुलखुसमा तथा युक्तादीही मे कल्याण केन्द्र खोले गये । अब तक बाँकुरा, मेदिनीपुर, माल्दा, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग तथा पश्चिम दीनाजपुर के जिलों में अनाज के १० गोल बनाये गये है जिससे पिछड़ी जातियो के लोगों को अनाज सस्ते दाम पर दिया जा सके ।

अनुसूचित जातियो तथा जनजातियो के लोगों के लिये कुछ रिक्त स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं ।

अनुसूचित जनजातियो के कल्याण की योजनाओं की रचना तथा उन्हें कार्यान्वित करने की दृष्टि से ११ जिलो मे जनजाति-परामर्श परिषदें तथा जिला जनजाति-कल्याण समितियाँ स्थापित की गयी हैं ।

सहकारिता

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद मे सहकारी आन्दोलन ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की । इस समय १६,०७२ सहकारी समितियाँ हैं ।

स्वायत्त शासन

कलकत्ता नगर निगम के अतिरिक्त राज्य में ८१ नगरपालिकाएं हैं जिनके अन्तर्गत ३० लाख की जनसंख्या आती है । राज्य मे १३ जिला बोर्ड भी है ।

इकतीसवाँ अध्याय

'ख' भाग के राज्य

हैदराबाद

राजप्रमुख — निजाम हैदराबाद

मन्त्री

१ मुख्य मन्त्री तथा सामान्य प्रशासन, सूचना एव सेवाएं	बी० रामकृष्ण राव
२. गृह, पुनर्वास एवं कानून	डी० जी० बिन्दु
३. आबकारी, राजस्व एवं जंगल	के० वी० रंगारेड्डी
४. वित्त, आँकड़ा, चुगी, वाणिज्य एवं उद्योग	विनायकराव विद्यालंकार
५ सार्वजनिक कार्य एवं श्रम	जी० एस० मलकोटे
६. स्वास्थ्य एवं ग्राम-पुनर्निर्माण	मेहदी नवाज जंग
७. शिक्षा, स्वायत शासन एव विधान	गोपाल राव एकबोट
८. कृषि, पूर्ति, योजना एवं विकास	एम० चेन्ना रेड्डी

उपमन्त्री

१. समाज सेवाए	शंकरदेव वेदालंकार
२. गृह	श्रीनिवासराव रामराव एखलीकर
३. राजस्व एवं आबकारी	पी० हनुमन्त राव
४. वाणिज्य तथा उद्योग, चुगी एव बिक्री कर	विरूपाक्षप्पा
५ सार्वजनिक कार्य एवं श्रम	एम० एस० राजलिंगम
६. ग्राम-पुनर्निर्माण	भगवन्तराव गम्भीरराव गढ़े
७. पूर्ति	अरिगे रामस्वामी
८. शिक्षा	संगम लक्ष्मी बाई

वित्त

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२ (लेखा)	२९.८७	२८.१९	+१.६८
१९५२–५३ (लेखा)	२६.७४	२५ ३२	+१.४२
१९५३–५४ (संशोधित)	२५.९३	२७.४४	−१.५१
१९५४–५५ (बजट)	२७.९६	२९.०२	−१.०६
१९५५–५६ (बजट)	३०.६२	३२.८३	−२.२१

खाद्य एवं कृषि

वित्तीय सहायता के फलस्वरूप किसान कृषि-उत्पादन में ५,६०,००० टन की वृद्धि कर सके।

भारत सरकार की सहायता से खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित रखे गये तथा सरकार कृषि और नहर-निर्माण को सबसे अधिक प्राथमिकता दे रही है। जापानी ढंग से धान की खेती होने से इस वर्ष की प्रति एकड उपज १०,८७२ पौंड रही।

तुगभद्रा बाँध जिससे ४,५०,००० एकड कृषि-भूमि की सिचाई होगी, १९५४ में पूरा हुआ। इससे १,३५,००० एकड चरागाह तथा जगलों को भी पानी मिलेगा। सभी मध्यम योजनाओं का कार्य अच्छी प्रगति पर है।

काश्तकारी कानून से जो अभी हाल ही में पास हुआ, किसानों की स्थिति में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। उन्हे कानूनन बेदखली से सुरक्षा प्राप्त हुई तथा उन्हे क्रय का अधिकार दिया गया। उनके खेतो के लिये उचित लगान निर्धारित किया गया है। अन्न वसूली की मुआवजा प्रथा, जिसके द्वारा किसानो को अपना समस्त कृषि उत्पादन देने के लिये बाध्य होना पडता था, समाप्त कर दी गई।

उद्योग

औद्योगिक न्यास (ट्रस्ट) निधि के स्थानीय उद्योग तथा बम्बई की दो कंपनियो मे १ करोड़ ११ लाख ३६ हजार रुपये के मूल्य के हिस्से है। अब तक ऋण के रूप मे २ करोड १३ लाख २६ हजार रुपये दिये जा चुके है।

राज्य मे ताँबे की खानो की छानबीन की जा रही है। सिंगरेनी स्थित कोयले की खानो के पास एक नया बिजलीघर बनाया जा रहा है। आजकल इन खानो मे लगभग १३ लाख टन कोयला निकलता है। इस बिजलीघर के बन जाने पर उत्पादन २० लाख टन हो जायेगा।

विभिन्न कुटीर उद्योगो का प्रशिक्षण देने तथा उत्पादन की आधुनिक पद्धतियों के प्रदर्शन के लिये राज्य मे ६ केन्द्र स्थापित किये गये है।

शिक्षा

गत दो वर्षो मे ४,२०० प्राथमिक स्कूल खोले गये। २८,००० वयस्को की शिक्षा के लिये बुनियादी शिक्षा के ५०० शिक्षण केन्द्र खोले गये है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

वारंगल तथा संगारड्डी मे दो नये अस्पताल खोले गये है। तपेदिक के पुराने रोगियों के लिये राज्य में १०० रोगीशय्याओं का एक नया अस्पताल खोला गया है। हैदराबाद में और अधिक मातृकल्याण केन्द्र खोले गये है। एक मातृकल्याण केन्द्र जोगीपेट में खोला जा रहा है। नर्सों तथा दाइयों को शिक्षण दिया जा रहा है। ७ अप्रैल, १९५४ को हैदराबाद में एक रेडियम संस्था स्थापित की गयी।

बी. सी. जी. आन्दोलन का, जिस पर सरकार को प्रतिवर्ष १,९८,८६० रुपये व्यय करने पड़ते हं, विस्तार अब जिलो तक कर दिया गया है। अगले पाँच या छः वर्षों में राज्यकी २० वर्ष की आयु से कम की समस्त जनसंख्या को बी. सी. जी. के टीके से संरक्षण दिया जायेगा।

राज्य मे लगभग ४० लाख लोगों को संरक्षण देने का काम ४ राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण टुकडियां कर रही है।

अनुसूचित जातियां

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिये १ करोड़ रुपये की पूजी से १९४८ में अनुसूचित जातियां न्यास निधि स्थापित की गयी थी। राज्य के अनुसूचित जातियों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये भारत सरकार ने १.८० लाख रुपयों की स्वीकृति दी थी। यह राशि कुँएं खोदने, गृह-निर्माण के लिये भूमि के आवंटन तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को अनुदान तथा सामग्री देने जैसे कल्याण सम्बन्धी कार्रवाइयों पर व्यय की जा रही है।

अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व जरायम पेशा जनजातियो तथा अन्य पिछडी जातियो के लोगों की स्थिति सुधारने के भी प्रयत्न किये गये। उन्हें भूमि तथा अन्य प्रकारकी सुविधाएं निःशुल्क दी गयी।

नगरपालिकाएं

राज्य में दो नगर निगम, ३८ शहरी नगरपालिकाए, ११८ कस्बों की नगरपालिकाएं तथा १७ जिला बोर्ड हैं। सभी नगरपालिकाओ के चुनाव पूरे हो चुके है।

पंचायतें

हैदराबाद ग्राम पंचायत कानून, १९५१ के अन्तर्गत १,०२० गांवों में ग्रामपंचायतें स्थापित की गयी हैं। इनके चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए।

जम्मू और कश्मीर

सदरे रियासत	युवराज कर्णसिंह
मन्त्री	
१. प्रधान मन्त्री तथा सामान्य प्रशासन, कानून, न्याय, योजना, सामूहिक विकास कार्य, पुलिस एवं परिवहन इत्यादि	. बख्शी गुलाम मुहम्मद
२ शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रचार, सूचना एवं जेल .	. गुलाम मुहम्मद सादिक
३. वित्त, हिसाब, चुंगी, आबकारी, आयकर एवं बैंकिंग	. गिरधारी लाल डोगरा
४. विकास, उद्योग, जंगल, स्वायत्त शासन, पर्यटन, एवं वाणिज्यालय (एम्पोरियम) . .	. शामलाल सराफ
५. राजस्व, कृषि, ग्राम-विकास, सहकारिता सहायता एवं पुनर्वास	. मीर कासिम
उपमंत्री	
१. गृह	. डी० पी० धर
२. सरहदी मामले	. कुशक बकुला
३. विकास	. ए० यू० मीर
४. राजस्व	. प्यारासिह

वित्त

वर्तमान सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया। दूसरी ओर कल्याण विभाग का व्यय बढ़ गया। तो भी वित्त विभाग केवल बजट के सन्तुलन के लिये ही नहीं, बल्कि ४८ लाख रुपये की बचत दिखाने में भी सफल रहा। १९५४–५५ की अनुमानित प्राप्तियाँ ५ करोड़ ५० लाख १२ हज़ार रुपये की तथा व्यय ५ करोड़ १ लाख ५७ हज़ार रुपये का है।

खाद्य एवं कृषि

१९५३–५४ में खाद्य समस्या को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गयी। किसानों को अन्न-वसूली से मुक्त किया गया जिसके अनुसार उन्हें अपनी आवश्यकता के लिये कुछ भी निकाले बिना अपना सारा उत्पादन दे देना पड़ता था। गाँवों तथा कस्बों में रहने वाले लोगों के लिये खाद्य समान रूप से पर्याप्त मात्रा में सस्ते दामों पर सुलभ किया गया। इस प्रकार सरकार को स्वेच्छापूर्वक अन्न देने वाले किसानों को १० प्रतिशत अधिक मूल्य मिलता है तथा उपभोक्ताओं को २० प्रतिशत कम मूल्य पर २५ प्रतिशत अधिक राशन मिलता है। खुले बाज़ार में अन्न अब अगस्त १९५३ के पूर्व के भाव से १६ प्रतिशत कम पर मिलता है।

सिंचाई की सुविधाएँ काफी बढ़ गयी है। राज्य में पहले की ९ नहरों की अपेक्षा अब १४ मुख्य नहरें हैं। पाँच नयी नहरों से १०.३५ लाख एकड़ भूमि सींची जाती है। राज्य में पानी ऊपर ले जाकर सिंचाई करने की प्रथा भी जारी कर दी गयी है तथा इस प्रकार ८,००० एकड़ सूखी भूमि में भी खेती होने लगी है। आशा है राज्य १९५५ के अन्त तक खाद्य की दृष्टि से पूर्ण स्वावलम्बी हो जायगा।

उद्योग

राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का बड़ा महत्त्व है। सैर-सपाटे के लिये अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार ने अतिरिक्त सुख-सुविधाओं की भी व्यवस्था की है। डाक बंगलों तथा विश्रामगृहों का जीर्णोद्धार किया गया है तथा कई नये पर्यटन केन्द्र खोले गये हैं। विभिन्न मार्गों के लिये लिये जाने वाले किराये तथा महसूल की दरें २० से ५० प्रतिशत कम कर दी गयी हैं।

अब एक पर्यटक को पठानकोट से श्रीनगर तथा वापस पठानकोट तक के लिये विशेष बस के किराये के रूप में ४० रुपये के स्थान पर २७ रुपये ही देने पड़ते हैं। ३० जुलाई, १९५४ तक सैर-सपाटे के लिये घाटी में २२,३४६ पर्यटक आये।

पामपुर स्थित 'ज्वाइनरी मिल' का काम जो करीब २५ लाख रुपये की लागत पर स्थापित भारत में अपनी किस्म की पहली है, अब आरम्भ हो गया है। उद्योग विभाग २ लाख तथा ३ लाख रुपयों की लागत पर क्रमशः एक कालीन उद्योग तथा एक नम्दा उद्योग स्थापित करना चाहता है। श्रीनगर, पामपुर तथा श्रीनगर में शीघ्र ही तीन ट्वीड उत्पादन केन्द्र खुलने वाले हैं।

शाल, गालीन, पेपियर मेशी, लकड़ी पर नक्काशी तथा चांदी के काम राज्य के प्रमुख कला तथा उद्योग हैं जिनमें श्रीनगर के एक चौथाई कारीगर लगे हुए हैं। सरकार ने सरकारी आर्ट्स वाणिज्यालय के माध्यम से कारीगरों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया और उन्हें सहकारी समितियों की स्थापना करने में सहायता पहुँचायी। इन समितियों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं की बिक्री इस वाणिज्यालय द्वारा होती है जिसकी समस्त भारत में ३० शाखाएं हैं।

शिक्षा

पूरे राज्य में शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी है। इससे १ लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुँचा है। शिक्षा-संस्थानों को दिये जाने वाले सहायता अनुदान जो बीच में बंद कर दिये गये थे, अब फिर से दिये जाने लगे हैं। अगस्त, १९५३ के बाद से शिक्षा-संस्थानों की संख्या में लगभग २६ प्रतिशत तथा शिक्षा के लिये बजट में की जाने वाली व्यवस्था में भी ३० प्रतिशत वृद्धि हुई।

आजकल राज्य में कई सहायता प्राप्त संस्थानों के अलावा ३ डिग्री कालेज, १ शिक्षण कालेज, १ शिक्षण स्कूल, ८१ हाई स्कूल, ९९ मिडिल स्कूल, ११० केन्द्रीय स्कूल, १,२८८ प्राथमिक स्कूल और २४३ मकतब तथा पाठशालाएं हैं।

डोगरी, कश्मीरी तथा लद्दाखी जैसी प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये उपाय सुझाने के लिये कई समितियाँ स्थापित की गयी हैं। १९५४–५५ में शिक्षा पर ७० लाख रुपये व्यय किये जाने हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

राज्य में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। चिकित्सकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। बटौट में तपेदिक का एक नया अस्पताल खुला है तथा जम्मू और कश्मीर के तपेदिक अस्पतालों में रोगीशय्याओं की संख्या बढ़ायी जा रही है। ११ नये यूनानी और आयुर्वेदिक दवाखाने खोले गये हैं। बी० सी० जी० के टीका-आन्दोलन के फलस्वरूप ५०,००० से अधिक लोगों की डाक्टरी जाँच हुई और ३५,००० को टीके लगाये गये। नर्सों आदि को विशेष शिक्षण दिया जा रहा है तथा मलेरिया और लैंगिक बीमारियों की रोकथाम के उपाय किये जा रहे हैं।

मध्य भारत

राजप्रमुख — महाराजा ग्वालियर

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री तथा सामान्य प्रशासन, नियुक्तियाँ, एवं योजना	तख्तमल जैन
२. सार्वजनिक कार्य, सूचना, खाद्य एवं नागरिक पूर्ति	श्याम लाल पण्ड्या
३. चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनजाति-कल्याण, अनुसूचित जातियाँ एवं जंगल	प्रेम सिंह राठौर
४. शिक्षा, कानून एवं न्याय	मनोहर सिंह मेहता
५. विकास, श्रम एवं बिजली कार्य	वी० वी० द्रविड
६. वित्त, वाणिज्य तथा उद्योग एवं सरकारी रोडवेज	सीताराम जाजू
७. राजस्व एवं स्वायत्त शासन	सौभाग्यमल जैन
८. गृह, सहायता एवं पुनर्वास	नरसिंह राव दीक्षित

उपमन्त्री

१. सार्वजनिक कार्य, सूचना, वाणिज्य तथा उद्योग एवं रोडवेज	राधा वल्लभ विजयवर्गीय
२. विकास, श्रम एवं बिजली कार्य	सवाई सिंह सिसोदिया
३. हरिजन एवं जनजाति-कल्याण	सज्जन सिंह विषनार

वित्त

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२ (लेखा)	११.४९	११.३१	+०.१८
१९५२–५३ (लेखा)	११ ८१	१२.२६	−०.४५
१९५३–५४ (संशोधित)	१४ ०९	१४.२०	−०.११
१९५४–५५ (बजट)	१५.१०	१४.९६	+०.१४
१९५५–५६ (बजट)	१८.६९	१८.८७	−०.१८

खाद्य एवं कृषि

राज्य मे ऊसर भूमि के बड़े-बड़े खण्डों में खेती तथा जापानी ढंग मे धान की खेती प्रारम्भ की गयी। गन्ने, लम्बे रेशे की कपास, चावल तथा दालो की किस्म सुधारने के लिये शोध कार्य किये जा रहे हैं।

मध्य भारत के सिचाई कार्यक्रम को दो भागों में बाँटा गया हे :—(क) बड़े कार्य तथा (ख) छोटे कार्य। बड़े कार्यों पर १.२४ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है तथा ये कार्य योजनाकाल मे कार्यान्वित किये जाने है। छोटे कार्यों पर २.१६ करोड रुपये व्यय होंगे। पंचवर्षीय योजना के पूरे होने पर १,२१,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि में भी सिंचाई की जा रही होगी।

राज्य भर मे लगान की एक सी प्रणाली लागू की गयी है। जमीदारी तथा जागीरदारी प्रथाए उन्मूलित कर दी गयी हे।

उद्योग

सरकार ने छोटे तथा बड़े पैमाने के दोनों प्रकार के उद्योगो के विकास पर बहुत जोर दिया है। राज्य के प्रमुख उद्योगों मे सूती वस्त्र, सीमेन्ट, चीनी, तेल, मिट्टी के बर्तन, वनस्पति, बर्फ, आटा तथा रबड़ की पेटी उद्योग आदि हैं।

मध्य भारत के हाथकरघा उद्योग में लगभग १५,००० करघे तथा ७५,००० परिवार और ऊन-बुनाई उद्योग मे २,००० बुनकर परिवार लगे हुए हैं। राज्य सरकार उद्योग की उन्नति करने तथा बुनकरों की स्थिति सुधारने में जोरशोर से संलग्न है। ग्रामोद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये कुटीर उद्योग बोर्ड तथा ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापित किये गये हैं।

शिक्षा

राज्य मे ६,०१८ शिक्षा सस्थान हैं जिनमें ५ डिग्री कालेज, २ शिक्षण कालेज, १७ इंटर कालेज ६९ हाई स्कूल, ३६५ मिडिल स्कूल, ४,८८३ प्राथमिक स्कूल, २ संस्कृत कालेज, २६ संस्कृत स्कूल तथा २ प्रौद्योगिक शिक्षा वाले स्कूल हैं। इनमें कुल ४,४०,००१ छात्र-छात्राएं विद्याध्ययन करती हैं। १९५३–५४ मे १५ करोड़ रुपये से अधिक के बजट मे से २,४३,५५,२४० रुपये शिक्षा के लिये सुरक्षित रखे गये थे।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार १० कस्बों तथा ९०० से अधिक गाँवों मे और किया गया है। करीब ९० प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी शिक्षा के स्कूलों में परिवर्तित किया गया है अध्यापकों के शिक्षण के लिये चार बुनियादी शिक्षा के शिक्षण स्कूल खोले गये हैं। बच्चों की शिक्षा के लिये मान्टेसरी पद्धति के आधार पर २५ शिशु मन्दिर चालू किये गये है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

राज्य मे ६२६ चिकित्सा-संस्थान हैं जिनमे ५४ विशेष सस्थान और अस्पताल, २४९ नागरिक और अश्रेणीकृत दवाखाने, २६६ आयुर्वेदिक दवाखाने तथा ५७ मातृकल्याण केन्द्र आदि है। १९५३–५४ में इन संस्थानों में १,१३,४५,९६० रोगियों का उपचार तथा आयुर्वेदिक दवाखानों मे ३८,९४,४६४ रोगियो का उपचार किया गया।

सभी जिलो के अस्पतालो को आधुनिकतम उपकरण दिये गये है। लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत को दवाओ की एक पेटी दी गयी है तथा गाँवों में दवा बाँटने के लिये दिन निर्धारित कर दिये गये है। अधिकाश ग्रामीणो को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये है।

अनुसूचित जातियाँ

अनुसूचित जातियो तथा जनजातियो के लोगों के उत्थान के लिये व्यवस्थित ढग से काम किये जाने के लिये अलग से एक जनजाति कल्याण विभाग १ मई, १९५३ को स्थापित किया गया है।

१९५३–५४ में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने के लिये ३,६३,६१२ रुपये व्यय किये गये। राज्य सरकार ने ९ हरिजन सहकारी समितियों को ६,४०० रुपये की वित्तीय सहायता दी।

१९५३-५४ मे हरिजन औद्योगिक शिक्षण केन्द्रों के संधारण के लिये १,९७,८१९ रुपये व्यय किये गये। राज्य सरकार १० आदिवासी निवास गृह चला रही है जिनमें २०८ विद्यार्थी हैं। इसके अलावा राज्य मे १४ सहायता प्राप्त हरिजन कल्याण समितियाँ, ५२ आदिवासी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा १२ आदिवासी कल्याण केन्द्र है।

पंचायतें

मध्य भारत मे ४,१११ ग्राम पंचायतें, २२५ केन्द्र पंचायतें तथा २२५ न्यायपंचायतें है। सभी जिलों में मण्डल पंचायतें है। पंचायतों के खर्च आदि के लिये भूमिकर, गृहकर तथा श्रमकर पंचायतों के ही अधीन है।

नगरपालिकाएं

मध्य भारत नगरपालिका कानून, १९५४ के लागू होने के बाद से राज्य की सभी नगरपालिकाओं का प्रशासन एक जैसा है। प्रत्येक नगरपालिका मे अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित हैं।

मैसूर

राजप्रमुख — महाराजा मैसूर

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री तथा वित्त, नागरिक सेवाएँ, राजमहल, हाई कोर्ट, योजना एवं दलित जाति-कल्याण — के० हनुमन्तैया;

२. कानून, शिक्षा, श्रम एवं सूचना . .	. ए० जी० रामचन्द्र राव
३. स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, आबकारी एवं ग्राम विकास	. टी० चन्नय्या
४. राजस्व, सार्वजनिक कार्य, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन .	. के० मंजप्पा
५. गृह, उद्योग, सड़क-परिवहन, खाद्य एवं नागरिक पूर्ति :	. एच० सिद्धवीरप्पा
६. कृषि, जंगल, पशु-चिकित्सा, सहकारिता, सहायता एवं पुनर्वास . . .	. आर० नागन गौड

वित्त

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२ (लेखा	१८.३१	१८.३५	−०.०४
१९५२–५३ (लेखा)	१८.७९	१८.०४	+०.७५
१९५३–५४ (संशोधित)	१९.६६	२२.०४	−२.३८
१९५४–५५ (बजट)	२१.२१	२४.३०	−३.०९
१९५५–५६ (बजट)	२२.९६	२७.०६	−४.१०

खाद्य एवं कृषि

खुले बाजार में खाद्यानों के मूल्य पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से उनका वितरण सरकारी दूकानो से ही जारी रहा ।

पाँच वर्षो के लिये ४ करोड़ ४२ लाख ९८ हज़ार रुपये के व्यय पर १८ योजनाएं तैयार की गयी थी । गत दो वर्षों में (१९५२–५४) इन पर १ करोड़ ९४ लाख ६१ हज़ार रुपये व्यय किये गये । खेत के लिये १,६०० एकड़ भूमि साफ की गयी, १,५०९ कुँएं खोदे गये, २७० ताल्ल। साफ किये गये तथा ५७ कार्यो को कार्यान्वित किया गया ।

साधारण तौर पर प्रतिवर्ष ३,५०० टन अमोनियम सल्फेट की निकासी की अपेक्षा १९५३-५४ में उनमे २०,००० टन अमोनियम सल्फेट बाँटने की एक योजना आरम्भ की गयी । इसी के साथ-साथ जापानी ढंग से धान की खेती करने वाले किसानों को अल्पकालीन ऋण देने का प्रबन्ध किया गया । १९५४–५५ के कार्यक्रम पर १० लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

उद्योग

राज्य के औद्योगिक उद्यमों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये उपाय किये जा रहे है भद्रावती स्थित 'मैसूर लोहा एवं इस्पात उद्योग, में दो बिजली की भट्टियाँ जिनमे से प्रत्येक की दैनिक उत्पादन क्षमता १०० टन की है, प्रति दिन २०० टन की उत्पादन क्षमता का अतिरिक्त सीमेन्ट तैयार करने वाला एक यन्त्र, डेढ़ टन की दैनिक उत्पादन-क्षमता का एक एनिटिक एसिड यन्त्र तथा १२ टन प्रति दिन की उत्पादन क्षमता का एक फेरो—सिलिकोन यन्त्र लगाये गये । इसके अतिरिक्त अन्य कई कारखाने और खोले जाने हैं ।

उद्योग बोर्ड की सिफारिशों पर कई निजी उद्योगों को ऋण तथा अन्य प्रकार की सहायता दी गयी। सरकार शिभोगा में एक चीनी कारखाने की स्थापना के लिये अनुमति दे ही चुकी है।

बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा गाँवों की गिरती हुई आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने ग्राम-औद्योगीकरण योजना का राज्य के सभी जिलों में विस्तार करने का निर्णय किया है। कुटीर उद्योगों तथा दस्तकारियों के विकास के प्रति, विशेषकर हाथ करघा तथा खादी उद्योग के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शिक्षा

मैसूर सरकार के व्यय में अधिक भाग शिक्षा से सम्बन्धित है। मैसूर विश्वविद्यालय में ३९ कालेज तथा एक मेडिकल स्कूल हैं जिनके कुल विद्यार्थियों की संख्या १९,७१८ है। सार्वजनिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत १३,८८८ शिक्षा संस्थानें हैं जिनमें ९२,७१,३३० विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं। बेलारी जिले के सात ताल्लुकों को मैसूर राज्य में मिला दिये जाने के फलस्वरूप बेलारी जिले मे एक जिला शिक्षाधिकारी नियुक्त किया गया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

राज्य मे ग्राम-क्षेत्रों के लिये १३५ पूर्ण सुसज्जित स्वास्थ्य टुकड़ियों का जाल बिछा हुआ है। साढ़े तीन वर्षों मे ५० लाख लोगों की मलेरिया से रक्षा करने के लिये ४ नवम्बर, १९५३ को राज्य मे मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया गया। सरकार ने सभी नगरपालिकाओं के क्षत्रों में डी. डी. टी. छिकड़ने का निर्णय किया है।

चार बी० सी० जी० टुकड़ियाँ १७ कस्बों तथा १,१६७ गाँवों में गयी तथा उन्होंने लोगों को टीके लगाये

राज्य के दवाखानो तथा अस्पतालों की संख्या १९५४ में ४९३ से ५०९ हो गयी। कोढ़ की रोकथाम के लिये १९५४-५५ के बजट में ३०,००० रुपये की विशेष व्यवस्था रखी गयी। सरकार ने बंगलोर में मानसिक रोगों के अस्पताल के उन्नयन का निर्णय किया जिससे उसे मानसिक तथा स्नायु सम्बन्धी बीमारियों के लिये "अखिल भारतीय स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र" का रूप दिया जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य अस्पतालों के उन्नयन के लिये भी १ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

अनुसूचित जातियाँ

अनूसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों की स्थिति सुधारने की दृष्टि से कई कल्याणकारी उपाय किये गये। एक दलित जाति आयुक्त नियुक्त किया गया। सरकार ने अनुसूचित जातियों के लोगो के चतुर्मुखी विकास के लिये १९५४–५५ के बजट में २५ लाख रुपये की व्यवस्था की।

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासत संघ

राजप्रमुख — महाराजा पटियाला

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री तथा सामान्य प्रशासन, राजनीतिक, न्याय, प्रेस, पुलिस, सूचना, उद्योग, श्रम, परिवहन, जेल, कानून तथा विधान मण्डल पिछड़ी जातियाँ एवं धर्मार्थ — वधभान

२. सार्वजनिक कार्य, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा .	शिवदेव सिंह
३. राजस्व, पुनर्वास, सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त . .	हरचरण सिंह
४. वित्त, विकास, आबकारी, पूर्ति, योजना, कृषि, बिक्री-कर सहकारी समितियाँ एवं संग्रहालय . . .	सुरेन्द्र सिंह

वित्त

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२ (लेखा)	६.०९	४.६६	+१.४३
१९५२–५३ (लेखा	६.१७	५.४१	+०.७६
१९५३–५४ (संशोधित)	६.९६	७.२६	−०.३०
१९५४–५५ (बजट)	७.३३	७.४०	−०.०७
१९५५–५६ (दजट) .	८.२४	१०.२९	−२.०५

खाद्य एवं कृषि

आला मिल्कियत अधिकार कानून, मौरूसी काश्तकार कानून तथा काश्तकारी एवं कृषि भूमि कानून १९५३–५४ में लागू हुए। इन कानूनों का उद्देश्य उन किसानों की स्थिति सुधारना है जिन्हें पट्टे की सुरक्षा तथा खेत खरीदने तथा उनमें सुधार करने का अधिकार दिया गया है।

१९५३–५४ में २१,२४४ एकड़ भूमि साफ की गयी तथा ६१२ गाँवों में चकबन्दी का काम पूरा किया गया। सिंचाई की छोटी-बड़ी कई योजनाओं पर काम शुरू हुआ। सामूहिक विकास क्षेत्रों में १,४८९ नये कुँएं खोदे गये तथा ५२८ पुराने कुँओं की मरम्मत की गयी। खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों में २३,६७० मन रासायनिक खाद बाँटी गयी तथा ७,७१० कृषि औज़ार बेचे गये। इसके अतिरिक्त धुरी के सामूहिक विकास क्षेत्र में ३०० नलकूपों की स्वीकृति दी गयी। अब तक १९० नलकूप लगाये जा चुके हैं तथा शेष का कार्य १९५४-५५ के अन्त तक समाप्त होने की आशा है। इस कार्य पर १.९३ करोड़ रुपये के व्यय होने की आशा है तथा इससे १,९२,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

उद्योग

उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में राज्य ने अच्छी प्रगति की। राज्य में ५५० रजिस्टर्ड कारखाने हैं। राज्य सरकार राज्य के विभिन्न भागों में छोटे पैमाने के कई कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये, विशेषकर हाथकरघा उद्योग के लिये, सक्रिय कार्रवाई कर रही है।

शिक्षा

पेप्सू में शिक्षा-संस्थानों का एक भारी जाल बिछा हुआ है। राज्य में १२ कालेज, १७१ हाई स्कूल, १८८ मिडिल स्कूल, १०७ लोअर मिडिल स्कूल तथा १,८५८ प्राथमिक स्कूल हैं जिनमें कुल २,२४,०८१ विद्यार्थी हैं।

१५ अगस्त ,१९५३ को प्रत्येक ५,००० गाँवों के लिये केवल ९२१ प्राथमिक स्कूल थे। अगले साढ़े सात महीनों में ३१ मार्च, १९५४ तक २१४ दो-अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूल खोले गये। ६९९ एक अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूल भी खोले गये। प्राथमिक स्कूलों को १,४०,००० रुपये के उपकरण दिये गये हैं। प्रत्येक स्कूल को प्रत्येक अध्यापक के पीछे मेज-कुर्सी तथा वैज्ञानिक उपकरणों के लिये २०० रुपये दिये गये। दस हाई स्कूलों को २२,००० रुपये के व्यय पर अधिक संख्या में अध्यापक तथा मेजकुर्सियाँ आदि दी गई तथा अन्य ५ हाई स्कूलों को ७५,००० रुपये की मेज कुर्सियाँ तथा उपकरण दिये गये।

सभी श्रेणी के अध्यापक-शिक्षण संस्थान प्रतिवर्ष ७०० अध्यापकों को शिक्षण देते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

राज्य में एक मेडिकल कालेज की स्थापना करने की पेप्सू की चिरपोषित अभिलाषा ५ नवम्बर, १९५३ को पूरी हुई। इस संस्थान में ३०० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

५०० रोगीशय्याओं से युक्त नये राजेन्द्र अस्पताल पर लगभग ५१ लाख रुपये का व्यय होने का अनुमान है। इस अस्पताल के लिये आवश्यक उपकरणों तथा कर्मचारियों पर १५ लाख रुपये और व्यय होंगे। ढाई लाख रुपये की लागत पर दाइयों का भी एक अस्पताल खोला गया है।

संगरूर के मुख्य अस्पताल में एक तपेदिक चिकित्सा विभाग भी जोड़ दिया गया है। ८०,००० रुपये की लागत पर डालमिया दादरी में भी एक नागरिक अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। कुछ अन्य अस्पतालों में नये वार्ड और जोड़ दिये गये हैं।

. तापा, गोविन्दगढ़, नालागढ़, रानीपुर, तलवन्डी साबोम कनीना, झूलन तथा राजपुरा में मातृकल्याण तथा शिशुकल्याण केन्द्र स्थापित किये गये है। कुल मिलाकर पेप्सू में अब १३९ अस्पताल हैं।

अनुसूचित जातियाँ

पेप्सू की जनसंख्या के १९.५ प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों के हैं। १९५३–५४ में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के रूप में ४,४२,००० रुपये दिये गये। इस प्रकार १९५३-५४ में लाभ प्राप्त करने वाले बालक-बालिकाओं की संख्या १९,५५७ थी। अनुसूचित जातियों के नवयुवकों को दर्जीगिरी, लुहारी, सुनारी, बिनाई आदि का शिक्षण देने के लिये दस्तकारी की शिक्षा के शिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये है। अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये १२.५ प्रतिशत रिक्त स्थान सुरक्षित रखे जाने के सिलसिले में २७१ लोगों को सरकारी नौकरियाँ दिलायी गयी जिसके फलस्वरूप १९५३–५४ मे सरकारी नौकरियों में लगे अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या १,७४५ हो गयी जब कि १९५२–५३ में यह संख्या १,३५९ ही थी। अनुसूचित जातियों के लोगों को दी जाने वाली आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी रियायतों का विस्तार अन्य १० जातियों के लोगों के लिये भी किया गया जिन्हें पिछड़ी जातियों के लोग स्वीकार किया गया।

सहकारी समितियाँ

पेप्सू में आजकल २,३८० से अधिक सहकारी समितियाँ हैं। १९५३ के मध्य से १९५४ के मध्य तक २०० नयी सहकारी समितियाँ स्थापित की जानी थी पर वास्तव में इस अवधि में

४८५ सहकारी समितियाँ पंजीकृत की गयी। इन समितियों के लिये पेप्सू राज्य सहकारी बैंक से पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गयी जबकि राज्य सरकार ने ७३,००० रुपये की सहायता दी।

राजस्थान

राजप्रमुख — महाराजा जयपुर

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री तथा सामान्य प्रशासन, राजनीतिक नियुक्तियाँ, राजस्व, योजना, विकास एवं शिक्षा . . .	मोहनलाल सुखाड़िया
२. वाणिज्य तथा उद्योग, खाद्य तथा नागरिक पूर्ति, अनुसूचित जातियाँ, जन जातियाँ एवं पिछड़ी जातियाँ . .	भोगीलाल पण्ड्या
३. गृह, कानून, न्याय, विधान सभा, चुनाव एवं सामूहिक विकास .	राम किशोर व्यास
४. चिकित्सा, तथा स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन एवं अकाल सहायता .	कुम्भाराम आर्य
५. वित्त, परिवहन, श्रम एवं जंगल . . .	बृज सुंदर शर्मा
६. शरणार्थी पुनर्वास एवं सहकारिता . . .	अमृत लाल यादव
७. कृषि एवं सार्वजनिक कार्य	राम निवास मिर्धा

उपमन्त्री

१. श्रीमती कमला बेनीवाल

२. सम्पतराम

वित्त

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२ (लेखा)	१५.५१	१५.७६	−०.२५
१९५२–५३ (लेखा)	१८.१५	१५.९४	+२.२१
१९५३–५४ (संशोधित)	१८.८३	१८.८९	−०.०६
१९५४–५५ (बजट)	२१.५५	२१.५५	—
१९५५–५६ (बजट)	२२.३०	२४.६९	−२.३९

खाद्य एवं कृषि

१९५३–५४ में सहायता कार्यों पर ४७,८९,००० रुपये व्यय करने के अलावा सरकार ने तकावी ऋण के रूप में किसानों को ६३,००,००० रुपये दिये। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने ऋण के रूप में ४७,६३,००० रुपये तथा अनुदानों के रूप में ४,३३,००० रुपये दिये।

उद्योग

सवाई माधोपुर में अभी हाल में स्थापित सीमेन्ट-कारखाने में मई १९५३ से काम आरम्भ हो गया। राज्य के सीमेन्ट के कारखानों की कुल उत्पादनक्षमता अब ३५,००० टन मासिक है।

सरकार ने गंगानगर के चीनी के कारखाने को अपने अधिकार में ले लिया है। कोटा में एक हड्डी-कारखाना और खोला गया जिसकी हड्डी पीसने की उत्पादन-क्षमता २५ टन प्रतिदिन है। जोधपुर स्थित हड्डी-कारखाना राजस्थान का अपनी किस्म का सबसे बड़ा कारखाना है जिसकी उत्पादन-क्षमता ८० टन प्रतिदिन है।

राजस्थान की विभिन्न कारीगरियों मे पीतल के बर्तन, हाथी दाँत की वस्तुएं तथा सती वस्त्र पर सुन्दर छपाई है। सरकार इनके विकास के लिये एक योजना बना रही है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिये मशीनो आदि का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा बिक्री की सुविधाओं में सुधार किये जा रहे हैं। १९५३-५४ मे कुटीर उद्योगो के विकास पर ३,६२,१९७ रुपये व्यय किये गये।

शिक्षा

राजस्थान ही केवल एक ऐसा राज्य है जहाँ शिक्षा पहले से ही निःशुल्क है। विश्वविद्यालयों म ही कुछ मामूली सा शुल्क लिया जाता है। लड़कियो तथा महिलाओं से विद्याध्ययन-शुल्क नही लिया जाता।

जयपुर मे एक पूर्णतया सुसंगठित विश्वविद्यालय है। इसके अन्तर्गत ११ स्नातकोत्तर तथा डिग्री कालेज, २५ इटर कालेज तथा १९४ हाई स्कूल है। १९५३-५४ मे ५० प्राथमिक स्कूलो को मिडिल स्कूल के स्तर का तथा १० मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल के स्तर का कर दिया गया।

राज्य मे प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। आजकल प्रौद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा वाले १८ कालेज है। कोटा, सवाई माधोपुर तथा उदयपुर में पूर्णतया सुसज्जित तीन कृषि-स्कूल भी है। समाज शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा भी आरम्भ की जा रही है। रात्रि-वर्गो तथा अल्पकालीन शिक्षण-शिविरों का भी संगठन किया जा रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

राजस्थान में ५,२३८ रोगीशय्याओं से युक्त ३८८ चिकित्सा संस्थाने है। हैजा, मलेरिया, अतिसार, प्लेग, इन्फल्यूएन्ज़ा, निमोनिया, चेचक तथा कोढ जैसी बीमारियों के उपचार की पर्याप्त सुविधाओ के अतिरिक्त राज्य में तपेदिक तथा दाँत की बीमारियों के उपचार के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये है। राज्य में २७४ रोगीशय्याओं से युक्त ६ तपेदिक-अस्पताल तथा सेनिटोरियम है।

३० अस्पतालो मे एक्सरे तथा उपचार की सुविधाएँ है। राजस्थान सरकार ने आँख की बीमारियों के विरुद्ध एक जन-आन्दोलन शुरू किया है। १९५२-५३ में सरकारी अस्पतालों तथा दवाखानों में आँख की बीमारियों के ७,१६,३१३ रोगियों का उपचार किया गया तथा सरकार द्वारा संगठित शिविरो में १,७११ आपरेशन भी किये गये। १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में २५-२५ आयुर्वेदिक दवाखाने खोले जाने वाले थे।

राज्य में ६ बी० सी० जी० टुकड़ियाँ अगले चार या पाँच वर्षों में प्रत्येक गाँव में जायेंगी। जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर में मानसिक रोगों के तीन अस्पताल है।

अनुसूचित जातियाँ

अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को उनके उत्थान के लिये कई प्रकार की रियायतें दी गयी है। १९५३–५४ में पिछड़ी जातियों के लोगों के कल्याण के लिये २,४२,३७० रुपये व्यय किये गये।

पंचायतें

राज्य मे २,९५५ पंचायतें है। इनमें से कुछ ने गाँवों में एक-अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूल चालू किये है तथा कुछ राष्ट्र-निर्माण के विभिन्न कार्यों में भाग ले रही है।

सौराष्ट्र

राजप्रमुख — नवानगर के जाम साहब

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री तथा गृह, सेवाएँ, मन्त्रिमंडल तथा समन्वय, परिवहन एवं सूचना	आर० यू० पारीख
२. वित्त, उद्योग तथा योजना, संचार, मद्यनिषेध एवं आबकारी	एम० एम० शाह
३. शिक्षा एवं सार्वजनिक कार्य	जे० के० मोदी
४. कानून तथा न्याय, स्वास्थ्य, जंगल एवं पुनर्वास	डी० टी० दवे
५. राजस्व, श्रम, स्वायत शासन एवं नगर योजना	जी० सी० ओझा
६. कृषि, विकास, सहकारिता, पिछड़ी जातियाँ, ग्रामोद्योग एवं ग्राम पंचायत	आर० एम० अडानी

उपमन्त्री

१. कृषि	के० ए० पटेल
	श्रीमती जयाबेन शाह

वित्त

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (–)
१९५१–५२ (लेखा)	७.५२	८.६३	–१.११
१९५२–५३ (लेखा)	९.८३	११.७४	–१.९१
१९५३–५४ (संशोधित)	९.७०	९.८६	–०.१६
१९५४–५५ (बजट)	११.३३	११.८१	–०.४८
१९५५–५६ (बजट)	१२.९०	१४.०४	–१.१४

खाद्य एवं कृषि

अत्यन्त संतोषप्रद वर्षा के फलस्वरूप १९५३–५४ में खाद्यस्थिति बहुत अच्छी रही। तदनुसार खाद्य-नियंत्रण ढीले कर दिये गये तथा अन्न वसूली की प्रथा समाप्त कर दी गयी।

सौराष्ट्र में ८६ लाख एकड़ भूमि में खेती होती है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये नये कुँएँ खोदे जाने तथा पुरानों की मरम्मत कराये जाने और मिश्रित खाद, गढ़े की खाद तथा हरी खाद के तैयार किये जाने और उसके वितरण की अधिक से अधिक २४ योजनाएँ योजना में सम्मिलित हैं। पाँच वर्षों में कुल ३ करोड ५२ लाख ५७ हज़ार रुपये व्यय हुए ।

सौराष्ट्र राज्य की स्थापना के समय से ही सरकार सिचाई की ओर ध्यान दे रहा ह। पंच-वर्षीय योजना में १५ सिचाई योजनाएं सम्मिलित है तथा इनमे से २३ का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है। योजनाओ के पूरे होने पर १,२५,५०० एकड़ भूमि में सिचाई होगी जबकि योजना में लक्ष्य ७८,००० एकड़ भूमि की सिचाई का ही है।

कुटीर उद्योग

कुटीर उद्योगों के उन्नयन के लिये उपाय किये जा रहे है। इन उपायों में कारीगरों के शिक्षण की और खादी एवं ग्राम बोर्ड तथा हाथ-करघा बोर्ड की स्थापना का व्यवस्था कार्य सम्मिलित है।

८,००,००० रुपये की लागत पर सौराष्ट्र की लागत पर सौराष्ट्र छोटे पैमाने के उद्योग एवं दस्तकारी बोर्ड के तत्वावधान में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये एक योजना आरम्भ की गयी है। इन उद्योगों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं की बिक्री एक वाणिज्यालय के द्वारा की जायेगी जो राजकोट में स्थापित किया जा रहा है ।

शिक्षा

राज्य में ४,५७५ शिक्षा संस्थानें है जिनमें से ३,५०० प्राथमिक स्कूल, ३७ माध्यमिक स्कूल, ३ आर्ट्स तथा साइंस कालेज, १ कामर्स कालेज, १ इंजीनियरिंग कालेज, २ प्रौद्योगिक शिक्षा संस्थान तथा ९८६ समाज शिक्षा केन्द्र है। अन्धे और बहरों का भी एक केन्द्रीय शिक्षा संस्थान है। प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के शिक्षण की सुविधाएं ४ शिक्षण कालेजों मे हैं। उच्चतर प्रौद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये मोर्वी इंजीनियरिंग कालेज को उच्च श्रेणी का कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछडी जातियों के विद्यार्थियों को विशेष रियायतें दी गयी ।

सार्वजानिक स्वास्थ्य

राज्य के २,३६९ चिकित्सा संस्थानों में से ६ प्रथम श्रेणी के अस्पताल, २२ द्वितीय श्रेणी के अस्पताल, १३५ अंग्रेजी दवाखाने तथा १५० आयुर्वेदिक दवाखाने हैं। १९५३–५४ में इन संस्थानों में कुल ३०,६१,००० रोगियों का उपचार किया गया। जिला-अस्पतालों के लिये प्रस्तावित २५० अतिरिक्त रोगी-शय्याओ में से ११० की व्यवस्था हो चुकी है। इस प्रकार अस्पतालों में अब कुल २,१६९ रोगीशय्याएँ है। राजकोट तथा भावनगर में तपेदिक के क्लिनिक खोले गये हैं। १९५३–५४ में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल ७३,४६,००० रुपये व्यय हुए जो राज्यीय बजट के ७.४ प्रतिशत थे। मलेरिया नियंत्रण का कार्य ज़ोरों पर है। राष्ट्रीय फिलारिया–नियंत्रण कार्यक्रम भी चालू है। बी० सी० जी० की टीका योजना भी संतोषप्रद रूप से चल रही है। मातृ-कल्याण तथा शिशुकल्याण के लिये काफी सहायता अनुदान दिये गये।

तिरुवांकुर-कोचीन

राजप्रमुख — महाराजा तिरुवाकुर

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री तथा सामान्य प्रशासन, वित्त, शिक्षा, योजना उद्योग एवं श्रम	गोविंद मेनन
२. गृह, लगान, खाद्य एवं जंगल	ए० जे० , जॉन
३. नगरपालिकाएँ	के० कोचुकुट्टन
४. स्वास्थ्य, मद्यनिषेध, मछली उद्योग एवं कृषि	ए० ए० रहीम
५. सार्वजनिक कार्य, परिवहन एवं बिजली	के० आई० वेलायुधन

वित्त — (करोड़ रुपयों में)

वर्ष		राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५१–५२	(लेखा)	१७.९१	१३.६३	+४.२८
१९५२–५३	(लेखा)	१६.६३	१६.१६	+०.४७
१९५३–५४	(संशोधित)	१७.०४	१६ १५	+०.८९
१९५४–५५	(बजट)	१७.२८	१८.६०	−१ ३२
१९५५–५६	(बजट)	१७.१८	२१.५६	−४.३८

खाद्य एवं कृषि

सरकार ने ९ करोड़ २९ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर ६ बड़े सिंचाई कार्यों पर कार्य आरम्भ किया। इन कार्यों के पूरे होने पर ३,३०,८०० एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। इनमें से पेरिनचनी योजना, पीची योजना तथा चलकुडी योजना के पहले चरण के कार्य पूरे हो चुके हैं तथा अन्य का काम सतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है।

इसके अतिरिक्त ३७ लिफ्ट-सिचाई कार्यो पर भी काम जारी है तथा इनसे २४,००० एकड़ भूमि सींची जायेगी। १ लाख एकड़ भूमि से पानी निकालने के लिये बिजली पहुँचायी जा रही है।

५० लाख रुपये की १६,००० टन खाद किसानों में प्रति वर्ष बाँटी जाती है। खेतों में अच्छी तरह खाद देने के फलस्वरूप १९५३–५४ में १५,००० अतिरिक्त टन धान पैदा हुआ।

१९५३–५४ में राज्य में जापानी ढंग से धान की खेती करने का जोरों से प्रचार किया गया।

उद्योग

राज्य के पाँच उद्योग सरकार के स्वामित्व में है। कई कारखानें निजी पूंजी द्वारा ही चलाये जा रहे है।

उद्योगों के लिये चालू पूजी की व्यवस्था करने की दृष्टि से १ करोड़ रुपये की पूंजी के साथ एक औद्योगिक वित्त निगम स्थापित किया गया है जिसमें राज्य सरकार ५० प्रतिशत पूजी लगायेगी। निगम जिसका काम १ दिसम्बर १९५३ से प्रारम्भ हुआ, अब तक १२ लाख रुपये के ऋण दे चुका है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का महत्त्वपूर्ण हाथ है। सरकार की नीति कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने, उनका संगठन करने तथा कुछ मामलों में उनका संचालन करने की है। इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उद्योग नारियल जटा-उद्योग है जिसमें ५–६ लाख व्यक्ति लगे हुए हैं।

नारियल जटा, हाथकरघा-बुनाई, ताड़-गुड़, तेलघानी तथा मधुमक्खी पालन उद्योगों के पुर्नसंगठन की योजनाएँ सहकारिता के आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं।

शिक्षा

राज्य में ५३.७६ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। स्कूल जाने वाले बालक-बालिकाओं की संख्या १७ लाख से अधिक है। यह संख्या पाँच से दस वर्षों तक की आयु के कुल बालक-बालिकाओं की ९५ प्रतिशत है। कालेजों में १२ .५ लाख विद्यार्थी है। राज्य में ३६ आर्ट्स कालेज, ८ साइंस कालेज, १ शिक्षण कालेज, ६०४ हाई स्कूल, ८३२ मिडिल स्कूल, ४,१८३ प्राथमिक स्कूल, १ संस्कृत कालेज २५ संस्कृति स्कूल, ६९ शिक्षण संस्थाएँ तथा ७७ विशेष स्कूल हैं। प्रौद्योगिक शिक्षा वर्तमान चार के संस्थानों का केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार विकास किया जाना है। संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार सरकार ने १९५४–५५ से मिडिल की प्रथम दो श्रेणियो में शिक्षा निःशुल्क कर दी है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

मलेरिया तथा फिलारियासिस की रोकथाम के उपाय ज़ोर-शोर से किये जा रहे हैं। बढती हुई माग के अनुरूप बड़े-बड़े अस्पतालों में तपेदिक के वार्ड खोले जा रहे है। तपेदिक सम्बन्धी सभी प्रकार के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक मुख्य तपेदिक-अधिकारी हाल ही में नियुक्त किया गया है। त्रिचूर जिले में बी० सी० जी० के टीके बड़े पैमाने पर लगाये गये तथा यह काम कोट्टय्यम तथा क्वीलोन जिलों में भी चालू है।

१९५३–५४ में २२ मातृकल्याण तथा शिशु-कल्याण केन्द्र खोले गये। मेडिकल कालेज के ४५० रोगीशय्याओं से युक्त जनरल अस्पताल का काम इस वर्ष से आरम्भ हुआ।

अनुसूचित जातियाँ

राज्य १२ डिवीजनों में बाँट दिया गया है और प्रत्येक डिवीजन एक क्षेत्र-अधिकारी के अधीन है। पिछड़ी जाति के लोगों के उन्नयन-विभाग की ओर से १७० हरिजन बस्तियाँ चलायी जा रही हैं तथा उनके लिये ४८ विशेष स्कूल भी चलाये जाते हैं। मकान बनाने तथा खेती करने के लि हरिजनों को 'पुरमबोक' भूमि भी रियायती दरों पर दी जा रही है। पिछडी जातियों तथा अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के लोगों की शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बत्तीसवाँ अध्याय

'ग' भाग के राज्य और 'घ' भाग के प्रदेश

अजमेर

मुख्य आयुक्त — एम० के० कृपलानी

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री — हरिभाऊ उपाध्याय

२. गृह, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य एवं वन — बालकृष्ण कौल

३. शिक्षा, राजस्व, श्रम एवं स्वायत्त शासन — बृजमोहनलाल शर्मा

वित्त

१९५४–५५ के लिये बजट का अनुमान इस प्रकार था—

	(करोड़ रुपयों में)
राजस्व	२.७४
व्यय	२.७४

शिक्षा

राज्य के कुल व्यय का ३१ प्रतिशत से अधिक भाग शिक्षा पर खर्च होता है। साक्षरता का औसत २०.३ प्रतिशत है। राज्य के समस्त देहाती क्षेत्र में ४३० बुनियादी स्कूलों का जाल बिछा दिया गया है जिसका अर्थ है दो से भी कम गाँवों के लिए एक स्कूल। १९५४ के अन्त में राज्य में ४३० बुनियादी स्कूल, ३३ माध्यमिक स्कूल, २७ हाई स्कूल और ९ कालेज थे।

खाद्य और कृषि

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत १०५ कुँएं अधिक गहरे किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त ४४२ पुराने कुँओं को अधिक गहरा करने के लिये १,५६,३७५ रुपये का तकावी ऋण बाँटा गया। किसानों में लगभग ७,४३६ टन खाद, लगभग १,२४० मन गेहूँ के बढ़िया बीज, ३०० मन अन्य प्रकार के बीज, ६९८ मन एमोनियम सल्फेट और ८० मन सुपर-फास्फेट बाँटा गया। इस तरह कृषि उत्पादन में प्रचुर वृद्धि हुई।

जून १९५२ में विधान सभा के ११ सदस्यों की एक समिति ज़मीदारी उन्मूलन के लिये सिफारिशें करने के लिये बनाई गई थी। सर्वसाधारण की सूचना के लिये समिति की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है और सिफारिशों को लागू करने के लिये कानून बनाया जा रहा है।

उद्योग

बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए बहुत कम गुजायश है। राज्य के ४ सती कपड़ा मिल मोटा कपड़ा तैयार करते हैं जिसकी सारे राजस्थान मे मांग है। अभ्रक की खानें, ऊन उद्योग, तम्बाकू और बीड़ी बनाना अन्य प्रमुख उद्योग हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

विक्टोरिया अस्पताल के विस्तार और इसे नवीनतम साज-सज्जा से सुसज्जित करने के लिये कदम उठाये जा रहे है। १ अप्रैल, १९५४ को नर्सों के स्कूल और छात्रावास के भवन का उद्घाटन किया गया। ब्यावर में एक नया अस्पताल बन रहा है। श्रीनगर और जबाजा मे एक-एक दवाखाना खोला गया और एक चलता-फिरता दवाखाना सामूहिक योजना क्षेत्र में खोला गया। ब्यावर, केंकड़ी और पुष्कर में मलेरिया नियंत्रण केन्द्र खोले गये।

भोपाल

मुख्य आयुक्त के० पी० भार्गव

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री तथा गृह, शिक्षा, राजस्व, सामान्य प्रशासन, योजना तथा समन्वय, वित्त, वाणिज्य, उद्योग, आबकारी एवं कृषि — शंकरदयाल शर्मा

२. खाद्य, नागरिक पूर्ति, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण सिंचाई, सहकारिता एवं पंचायत राज — इनायतउल्ला खाँ तरज़ी मशरिकी

उपमन्त्री

१. वन, सहकारिता, हरिजन उद्धार, वाणिज्य एवं उद्योग — उमरावसिंह

वित्त

१९५४–५५ के लिये बजट के अनुमान इस प्रकार है—

राजस्व	३.४७	करोड़ रुपये
व्यय	३.७९	करोड रुपये
घाटा	०.३२	करोड़ रुपये

शिक्षा

राज्य मे केवल एक डिग्री कालेज और एक इटरमीडियेट कालेज है। राज्य में १३ हाई स्कूल, ३८ माध्यमिक स्कूल और ४८३ प्राथमिक स्कूल है। १८ जूनियर बुनियादी स्कूल और १ शहरी बुनियादी स्कूल है। छात्रो की सख्या १९४९ मे १३, ८५३ से बढ कर १९५४ में ३१,७९३ हो गई है।

हरिजनों की शिक्षा और उद्धार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरिजनों के बच्चों को कालेज स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है और अनुसूचित जातियो की शिक्षा के लिये चालू बजट में ४४,००० रुपया अलग रख दिया गया है।

खाद्य और कृषि

राज्य मे १०६ बिचवैयों के पास ९९ जागीरें थीं। १ अक्तूबर, १९५३ को भोपाल जागीरदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के लागू होने से पहले इनमें से ६० जागीरों को मनसब (नकद वार्षिक) में परिवर्तित किया जा चुका था। शेष ३९ जागीरों को समाप्त किया जा चुका है। १९५३–५४ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने ४०,००० एकड से अधिक भूमि का पुनरुद्धार किया। यांत्रिक खेती के परिणामस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन ४ मन २० सेर से बढ़ कर १० मन हो गया।

नये तालाबों और कुओं की सहायता से १५,६०१ एकड़ भूमि की सिचाई की गई। साथ ही नये कुँओं की मरम्मत की गई।

१५ अगस्त १९५३ को १९५३ का भोपाल पंचायत राज्य अधिनियम लागू किया गया। राज्य में ५३२ गाँव सभाएँ और ४२ न्याय पंचायतें स्थापित करने का प्रस्ताव है।

उद्योग

राज्य के औद्योगिक कार्यों में भोपाल टेक्स्टाइल लिमिटेड सबसे बड़ी है। अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने राज्य में ४२ दस्तकारियो के संवर्धन की योजना बनाई है। मिट्टी के बर्तन, चटाई और खिलौने बनाने को योजना में प्रमुख स्थान दिया गया है। इन उद्योगो में लगे कारीगरों को सहकारी समितियो के आधार पर संगठित किया जायेगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

राज्य में ५ अस्पताल (जिनमें ५५७ रोगी-शय्या हैं) और २२ दवाखाने है। इसके अतिरिक्त ६ प्रसूति-गृह और शिशु-कल्याण केन्द्र, एक पागलखाना, ३८ आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाने और भोपाल नगर मे १ आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल है।

एक हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले प्रायः सभी कस्बो और गाँवों मे बी० सी० जी० के टीका लगाने वाले यूनिट अपना कार्य समाप्त कर चुके है। समस्त राज्य मे मलेरिया के विरुद्ध आन्दोलन छेडा गया और करीब १,२०० गाँवो के घरो मे डी० डी० टी० छिड़का गया। ग्रामक्षेत्रों मे डाक्टरी सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से चार चलते-फिरते दवाखानो ने राज्य के विभिन्न भागो का दौरा किया।

कुर्ग

मुख्य आयुक्त — दयासिह बेदी

मन्त्री

१. मुख्य मन्त्री तथा राजस्व, आबकारी, वन, कृषि योजना एवं विकास — सी० एम० पुनाचा
२. गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं न्याय — के० मल्लप्पा

वित्त

१९५५–५६ के लिए बजट का अनुमान इस प्रकार है—

राजस्व	१.५९ करोड रुपये
व्यय	१.९१ करोड़ रुपये
घाटा	०.३२ करोड़ रुपये

शिक्षा

कुर्ग में प्रथम श्रेणी का एक ही कालेज है जो मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त ११ हाई स्कूल, ४८ माध्यामिक स्कूल, ७० प्राथमिक स्कूल और ५७ शिशुओ के स्कूल हैं। जिला बोर्डों के सब स्कूलों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और अब शिक्षकों का वतन सरकारी वेतन-दरों के समान है। सभी सरकारी हाई स्कूलों में युवक कल्याण आन्दोलन (सहायक केडेट कोर) आरम्भ कर दिया गया है।

सरकार अपने कुल राजस्व का चौथाई भाग शिक्षा पर खर्च कर रही है जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता की औसत ४५ प्रतिशत तक बढ़ गई है।

खाद्य और कृषि

८६,८०० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये ४५ नये तालाब खोदे गये और २९ तालाबों का पुनरुद्धार किया गया। २७ बाँधों का निर्माण और सुधार किया गया और करीब ७५० एकड़

बंजर भमि को पुन: खेती योग्य बनाया गया। करीब ८० मील लम्बी सिंचाई की नालियाँ खोदी गईं अथवा उनकी मरम्मत की गई।

१९५३ मे सामूहिक कार्य योजना के अन्तर्गत एक विकास खण्ड और एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोलने की अनुमति दी गई और इस प्रकार समस्त राज्य योजना के अन्तर्गत आ गया।

उद्योग

राज्य में बडे पैमाने का कोई उद्योग नही है, परन्तु मधु-मक्खी-पालन, कुक्कुट-पालन जैसे कुछ कुटीर-उद्योग है जिनको पूरी तरह विकसित किया जा रहा है। शहद के अतिरिक्त इनके समस्त उत्पादन की खपत राज्य में ही हो जाती है। शहद का वार्षिक उत्पादन करीब १,७०,००० पौंड हैं। राज्य के उद्योग सलाहकार बोर्ड के निरीक्षण मे मधु-मक्खी पालन को विकसित किया जा रहा है। १९५४ में राज्य में रेशम व्यवसाय के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया और विशेषज्ञों की रिपोर्ट का निरीक्षण किया जा रहा है। अंतर्देशीय मत्स्य-पालन-व्यवसाय की ओर भी विधिवत् ध्यान दिया जा रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

१९५४ में राज्य में १५ अस्पताल, ८ दवाखाने, ५ सप्ताह में दो बार खुलने वाले दवाखाने और ९ सप्ताह में एक बार खुलने वाले दवाखाने थे। करीब ४ लाख व्यक्तियों का इलाज किया गया। नवम्बर १९५३ मे बी० सी० जी० के टीके लगाना आरम्भ किया गया। मलेरिया नियंत्रण कार्यो ने रोग को बहुत कम कर दिया है।

दिल्ली

मुख्य आयुक्त — ए० डी० पण्डित

मन्त्री

१. मुख्य मंत्री और वित्त, शिक्षा, प्रेस और प्रचार, गोपनीय और मंत्रिमंडलीय नियुक्तियाँ और आबकारी — गुरुमुख निहाल सिह

२. राजस्व, कर, विकास और योजना, स्वायत शासन, परिवहन, विधि और न्याय एवं हरिजन और परिगणित जातियाँ — ब्रह्म परकाश

३. चिकित्सा, सहायता और पुनर्वास, उद्योग और श्रम, राशनिग और नागरिक पूर्ति एवं जेल — युद्धवीर सिंह

वित्त (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५२-५३ (संशोधित)	३.६२	३.६२	....
१९५३-५४ (संशोधित)	४.३५	४.२४	+०.११
१९५४-५५ (बजट)	४.५८	५.०५	−०.४७
१९५५-५६ (बजट)	४.९८	५.९७	−०.९९

शिक्षा

मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या १९५२–५३ में ७२५ से बढ कर १९५३–५४ में ७५५ हो गई। इस प्रकार २३,८७६ अधिक छात्रों को शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध हुई। देहाती क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी गई है।

अनुसूचित और पिछड़ी जाति के छात्रो को उच्च माध्यमिक स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अनुसूचित जातियों के छात्रों को १,१३,००० रुपये के नकद अनुदान दिये गये और विस्थापित छात्रों को ४,६८,००० रुपये तक की सहायता दी गई।

समाज कार्य के जनता कालेज मे विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये। इनमे प्लास्टिक और केनवस का काम, बढ़ईगिरी, कृषि, पशु-पालन और साबुन बनाना सम्मिलित है।

खाद्य और कृषि

१९५४ पर्यन्त चकबन्दी का काम जारी रहा और करीब १०० गाँवों में यह कार्य पूरा हो चुका है। तथापि भूमि सुधार अधिनियम के लागू होने से कुछ काल के लिये चकबन्दी का कार्य स्थगित कर दिया गया है।

किसानों के गोदाम बनाने के लिये बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा लोहा और इस्पात तथा कृषि यंत्र दिये गये। कीड़ो और पौधो की बीमारियो की रोक-थाम एवं उनसे बचाव के लिये २ लाख ५० हजार रुपये की व्यवस्था की गई।

राज्य का समस्त देहाती क्षेत्र चार विकास खण्डो में विभक्त कर दिया गया है—अलीपुर, नजफगढ, महरौली और शाहदरा। सामूहिक योजना खण्ड के अन्तर्गत १०५ गाँव है और इसका प्रधान कार्यालय अलीपुर में है। राष्ट्रीय विस्तार खण्ड का प्रधान कार्यालय नजफगढ में है और इसके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत ८५ गाँव है।

उद्योग

कुटीर-उद्योगों और छोटे पैमाने के उपयोगो के विकास पर राज्य ने विशेष जोर दिया है। कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगो को सहायता देने के लिये औद्योगिक वित्त निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रारभिक कदम उठाये जा चुके है। खादी उद्योग के विकास के लिये नरेला की खादी और ग्राम-उद्योग समिति को अनुदान के रूप में ६०,००० रुपये दिये गये।

१९५३-५४ में ७५ नई निर्माता-कम्पनियाँ खुली। उद्योग डायरेक्टरेट ने इन कम्पनियों को कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहायता दी, वाणिज्य सम्बन्धी और टेक्निकल मामलों में मुफ्त सलाह दी और बिजली तथा परिवहन के लिये सुविधाएं एवं वित्तीय सहायता प्रस्तुत की।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

१९५३–५४ में सिल्वर जुबली तपेदिक अस्पताल में १२० रोगशय्याएँ बढ़ाई गईं। शल्य-चिकित्सा का एक विशेष औरस शल्य चिकित्सा एकक स्थापित किया गया। एक्सरे यंत्रों और शल्य-चिकित्सा के बाद की क्रियाओ के उपयुक्त प्रकोष्ठ सहित एक प्रयोगशाला खण्ड बनाया गया। संक्रामक बीमारियों का अस्पताल में एक दो मंजिला वार्ड बढ़ाया गया जिसमें ४६ रोग-शय्याओं के लिये स्थान हैं।

अबतक १० लाख लोगों की परीक्षा की जा चुकी है कि उन्हें तपेदिक तो नहीं है और दो लाख लोगो को बी० सी० जी० के टीके लगाये जा चुके हैं। दिल्ली के मलेरिया ग्रस्त शहरी क्षेत्रों और प्रायः सभी गाँवों और बस्तियों में डी० डी० टी० छिड़का जा चुका है।

हिमाचल प्रदेश

उपराज्यपाल — बजरंग बहादुर सिंह

मन्त्री

१. मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, वित्त, एवं राजस्व — यशवन्तसिंह परमार

२. शिक्षा, पुलिस, जेल, विकास, उद्योग, एवं नागरिक पूर्ति — पद्मदेव

३. सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन एवं स्वायत्त शासन — गौरी प्रसाद

१५ अप्रैल, १९४८ को पंजाब की ३० छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतों को मिला कर हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। २६ जनवरी, १९५० को शिमला जिले की कोटगढ़ और कोटखाई उप-तहसीलों की छोटी-छोटी बस्तियाँ भी राज्य को हस्तान्तरित कर दी गईं। बिलासपुर राज्य को भी जो पहले 'ग' भाग का राज्य था, १९५४ में इस राज्य में विलीन कर दिया गया।

वित्त

(करोड़ों रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५२–५३ (संशोधित)	२.३९	२.३६	+०.०३
१९५३–५४ (सशोधित)	२.८२	२.८२	—
१९५४–५५ (बजट)	२.९६	२.९६	—
१९५५–५६ (बजट)	३.४०	३.४९	−०.०९

शिक्षा

राज्य में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पास किया गया। अनेक मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल और लोअर मिडिल स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाया गया। अनेक नये प्राथमिक बुनियादी स्कूल खोले गये और सामाजिक शिक्षा की एक व्यापक योजना तैयार की गई।

खाद्य और कृषि

अगस्त १९५३ में कृषि विभाग को वन विभाग से पृथक् किया गया। आलू और गेहूँ बोनेवालों को बढ़िया किस्म के बीज दिये गये और धान बोने की जापानी प्रणाली अपनाने के लिये राजी किया गया। किसानों को मिश्र खाद बनाने और उर्वरक तथा हरी खादों का प्रयोग करने की सलाह दी गई। विभागीय नर्सरियों से बागबानी करनेवालों को फलों की १६,५९७ कलमें दी गईं और पौधों को कीड़ों से बचाने के लिये कदम उठाये गये।

उद्योग

ऊन की बुनाई और कताई, चमड़ा तैयार करने और चमड़े का साभान बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने, टोकरियाँ बनाने, बच्चों के लिए स्लेटें बनाने और दियासलाई तथा दियासलाई की डिबियाँ बनाने के लिये प्रशिक्षण एवं उत्पादन के नवीन केन्द्र खोले गये। मण्डी, सिरमौर और चम्बा जिलों में शहतूत के पेड लगाने के लिये नई नर्सरियाँ खोली गई। मण्डी जिले में रेशम का तार बनाने और रेशमी वस्त्रों की बुनाई के केन्द्र स्थापित किये गये। नाहन के हिमाचल रोजिन और तारपीन फैक्टरी ने ७७,२०० मन बिरोजा और १,५४,००० गैलन तारपीन तैयार किया जिसका मूल्य लगभग २४,७०,००० रुपये होगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

धर्मपुर के निकट मन्दोधार में तपेदिक का एक नया सेनिटोरियम खोला गया जिसमें ३५ रोगी-शय्याएँ है। महासू, मण्डी, चम्बा और सिरमौर जिलों में चार आयुर्वेदिक और चार एलोपैथिक दवाखाने खोले गये। शिमला के हिमाचल प्रदेश अस्पताल में एक शक्तिशाली एक्स-रे-यत्र लगाया गया। डाक्टर नियमित रूप से गाँवों का दौरा करते है और डाक्टरी सहायता देने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर सलाह भी देते है।

सभी मलेरियाग्रस्त क्षेत्रों में डी० डी० टी० छिडका जा रहा है। इन क्षेत्रों में मलेरिया निरोधक औषधियाँ बाँटी जा रही है। मण्डी और चम्बा जिलों में बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके लगाये गये और कस्बों में बड़े पैमाने पर एक्स-रे किये गये। सुन्दरनगर, चम्बा, तिस्सा और रुदारु में चार प्रसूति-गृह और शिशु-कल्याण केन्द्र खोले गये। माताएँ बननेवाली स्त्रियों को मछली का तेल, अनेक विटामिनयुक्त टिकियाँ, डिब्बों में बन्द दूध आदि बाँटा गया।

कच्छ

मुख्य आयुक्त एस० ए० चाटगे

१ जून १९४८ को कच्छ भारत में मुख्य आयुक्त के प्रान्त के रूप में मिलाया गया। राज्य में कोई विधान मंडल नहीं है। 'ग' भाग क राज्यों की सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य आयुक्त के सहायतार्थ सलाहकारों की एक परिषद है। सलाहकारों के नाम और विभाग इस प्रकार है —

१. कृषि, वन, सिचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य और नागरिक प्रेमजी भवानजी ठक्कर पूर्ति उद्योग, परिवहन, संचार साधन और विकास

२. राजस्व, सीमा-शुल्क, चुगी, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, सहकारिता और वित्त जमितराय जी० वैद्य

शिक्षा

राज्य में एक कालेज है जिसमें १५० छात्र है। २० हाई स्कूल, ६४८ प्राथमिक स्कूल और पूव-प्रा मिक स्कूल है। नई संस्थाए स्थापित की जा रही हैं और वर्तमान संस्थाओं का स्तर बढ़ाया जा रहा है।

खाद्य और कृषि

बाजरा, गेहूँ जौ और कपास मुख्य फ़सलें है। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों मे १० टन सुपर-फास्फेट, ४३ टन अमोनियम सलफेट, ५६४ मन गेहूँ के बढ़िया बीज और बाजरा,

ज्वार की बढ़िया किस्मों के बीज तथा धान के बीज बाँटे गये। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत २१६ कुँएँ खोदे गये। सिंचाई के ३२ छोटे-छोटे तालाब प्रायः तैयार हो चुके हैं। आशा है इनसे १,१०० एकड से अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी। सामूहिक योजना प्रशासन द्वारा सामूहिक योजना क्षेत्र के १,४०० एकड़ भूमि के पुनरुद्धार की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। १९५४ मे किसानों को बीज, यंत्र और बैल खरीदने के लिये २० लाख रुपये का थोड़ा-थोड़ा तकावी ऋण बाँटा गया। योजना के अन्तर्गत सिंचाई के चार बडे कार्यों और सात छोटे कार्यों के निर्माण की योजना है जिन पर ९१ लाख रुपये खर्चा आयेगा।

उद्योग

राज्य खडिया, बढ़िया मिट्टी और चूने के पत्थर के सम्बन्ध में समृद्ध है। लिग्नाइट, फिटकरी और मगमरमर के वृहत् संग्रह है। कच्छ अपनी कशीदाकारी और चाँदी पर पच्चीकारी के लिये प्रसिद्ध है। कुटीर उद्योगों के विकास के लिए एक कुटीर उद्योग बोर्ड बनाया गया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

इस समय राज्य सरकार ७ अस्पताल, एक तपेदिक सेनिटोरियम, और १५ दवाखाने चला रही है। इसके अतिरिक्त ३ प्राइवेट अस्पताल और ३२ प्राइवेट दवाखाने है। मलेरिया नियंत्रण की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत इस रोग के नियंत्रण के लिये कई कदम उठाये गये। १९५४ में दुधई में एक देहाती दवाखाना और नखतराना ताल्लुके में एक चलता-फिरता दवाखाना खोला गया।

मणिपुर

मुख्य आयुक्त — पी० सी० मैथ्यू

मणिपुर में कोई मंत्रि-परिषद नहीं है परन्तु मुख्य आयुक्त के ५ सलाहकार हैं। इनके नाम ये है —

१. डी० बी० सर्मा
२. एस० के० सिंह
३. एल० काम्पू
४. एस० तोम्बी सिंह
५. ए० डायहो

शिक्षा

मणिपुर में दो कालेज, २५ हाई स्कूल, ६६ मिडिल स्कूल और ७३७ प्राथमिक स्कूल हैं। इन संस्थाओं मे छात्रो की संख्या निरन्तर बढ़ रही है और १९५३-५४ में इनकी संख्या ६३,२२६ थी। १९५३–५४ में २५ सरकारी लोअर प्राइमरी स्कूल खोले गये। राज्य में पहली बार प्रौढ़ शिक्षा आरम्भ की गई। अब तक ५,००० प्रौढ़ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है।

कृषि और खाद्य

पर्वतीय क्षेत्र में 'झुमिग'' या भूमि बदल-बदल कर खेती करने की प्रथा है। घाटी में २ लाख एकड़ से अधिक भूमि में खेती होती है।

लूशीपत के पानी को खारुंगपत में डालने की योजना के आधीन पहाड़ी को काट कर नहर बनाने का कार्य प्रगति कर रहा है।

उद्योग

राज्य में कोई बड़ा उद्योग नहीं है परन्तु कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाथकरघा उद्योग प्रमुखतम कुटीर उद्योग है और इसमें डेढ़ लाख आदमी लगे हुए हैं। अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड की देख-रेख में हाथकरघा बुनकरों को धीरे-धीरे सहकारी समितियों के रूप में संगठित किया जा रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

राज्य में १७ अस्पताल, जिनमें एक तपेदिक का अस्पताल है, और ३४ दवाखाने है। इनमें चिकित्सा सम्बन्धी कार्य करने वालों की संख्या १७९ है।

जनजातियों का कल्याण

संविधान के २७५ (१) अनुच्छेद के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने राज्य में अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिये १९५३–५४ में ९ लाख रुपये और १९५४–५५ में १० लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया। यह अनुदान जन-जातियों के कल्याण के लिये साधारण बजट में नियत रुपये से अतिरिक्त था।

परिवहन

इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य टडाबी-तुगजोई सड़क का निर्माण है। उखरूल क्षेत्र के व्यक्तियों को सरकार द्वारा ३०,००० रुपये की सहायता दी गई। उन्होंने ऐच्छिक श्रम द्वारा ३० मील लम्बी सड़क का निर्माण किया था।

पांडिचेरी

मुख्य आयुक्त केवल सिंह

१ नवम्बर १९५४ को फ्रांसीसी बस्तियां—पांडिचेरी, कराइकल, माही और यनान भारतीय संघ में मिल गईं। इन बस्तियों का भारतीय संघ में 'ग' भाग का एक पृथक् राज्य बना दिया गया।

विलय के समय भारत सरकार ने निर्णय किया कि इन क्षत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाये और पंचवर्षीय योजना में इन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाये।

विन्ध्य प्रदेश

उपराज्यपाल के० सन्तानम

मन्त्री

१ मुख्यमन्त्री तथा सामान्य प्रशासन, वित्त एवं राजस्व	शम्भुनाथ शुक्ल
२ शिक्षा एवं सामाजिक सेवाएँ	महेन्द्रकुमार मानव
३ गृह एवं स्वायत्तशासन	लालाराम बाजपेयी
४ योजना एवं न्याय	गोपाल शरण सिंह
५ उद्योग एवं नागरिक पूर्ति	दान बहादुर सिंह

बचत (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	व्यय	बचत (+) या घाटा (−)
१९५२–५३ (संशोधित)	३.१८	३.०७	+०.११
१९५३–५४ (संशोधित)	४.३५	४.४६	−०.११
१९५४–५५ (बजट)	४.७७	४.७६	+०.०१
१९५५–५६ (बजट)	५.७४	५.८२	−०.०८

शिक्षा

प्राथमिक स्कूलों की संख्या १९५२–५३ में १,८५८ थी जो १९५३–५४ मे बढ़ कर २,१९३ हो गई। अनेक स्कूलों के नये भवनों का निर्माण हो रहा है और १९५४ में नये मकानों पर २०,००० रुपया खर्च किया गया।

१०५३–५४ में ८ जिला प्रधान कार्यालयों में एक-एक बुनियादी स्कूल और कुण्डेश्वर में एक बुनियादी प्रशिक्षण कालेज खोला गया। १३७ हिन्दी मिडिल स्कूलों को अंगरेजी मिडिल स्कूल बनाया गया।

सामाजिक शिक्षा की योजना जो कि पंचवर्षीय योजना का एक अंग है लागू की जा रही है। १९५४ में सामाजिक शिक्षा विभाग की एक मोटर गाड़ी ने जो दृश्य-श्रव्य प्रणाली की साज-सज्जा से युक्त थी, बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

खाद्य और कृषि

१९५१–५२ मे ३८·८३ लाख एकड भूमि में फसलें बोई गई थी, १९५४ मे ४१·९३ लाख एकड कृषि-योग्य भूमि में फसले बोई गई। कृषि की नवीनतम प्रणालियों का प्रदर्शन करने के लिये कई आधुनिक कृषि फार्म खोले गये। राज्य सरकार ने नवगाँव के निकट ३०० वर्गमील के क्षेत्र मे एक ग्राम विकास मार्गदर्शक योजना आरंभ की है। बहु-उद्देशीय ग्राम-स्तर-कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला है।

जुलाई १९५४ मे राज्य से जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया। जमींदारों को मुआवजा १० वार्षिक किश्तों द्वारा अदा किया जाता है। मुआवजे की योजना में भुगतान अपने आप होता जाता है और राज्य को कुछ खर्च नही करना पड़ता।

उद्योग

लाख के उत्पादन में समस्त भारत में राज्य का नम्बर तीसरा है। लगभग एक दर्जन अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजों का भी उत्पादन होता है जो कि राज्य की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। १९५४ में हड्डियों से खाद बनाने का एक कारखाना चालू किया गया। 'मायराबलम' से चमड़ा तैयार करने की सामग्री प्राप्त करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने की बातचीत चल रही है।

राज्य में चमड़ा तैयार करने, जूते, बीड़ी, खिलौने, कम्बल बनाने, हाथकरघे आदि के अनेक कुटीर उद्योग है। इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के अभिप्राय से राज्य सरकार अपने विभागों के लिये सामान खरीदने के समय इनकी वस्तुओं को वरीयता देती है और रीवा में एक एम्पोरियम भी खोला है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप

मुख्य आयुक्त : एस० एन० मैत्र

सलाहकार परिषद् के सदस्य

१. बी० के० गुप्त

२. रामकृष्ण

३. उमा प्रसाद

४. लछमन सिंह

५. गुलाम मुहम्मद

वित्त

१९५४–५५ के कुल राजस्व का अनुमान १ ·३० करोड़ रुपये है और खर्च का अनुमान २.९१ करोड़ रुपये है।

शिक्षा

इन प्रदेशो मे १ हाई स्कूल, २ मिडल स्कूल, १९ प्राथमिक स्कूल और ५ बुनियादी प्राथमिक स्कल है। इन स्कूलो में छात्रों की संख्या २,१०० है। सभी प्राथमिक स्कलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित कर देने का प्रस्ताव है।

खाद्य और कृषि

३१ मार्च, १९५४ को विभिन्न फसलों का कुल क्षेत्र इस प्रकार था

	(एकड़ों में)
वार्षिक फ़सलें	८,०५४
नारियल	३,९५१
रबड़	४३०
काजू	११६
कहवा	३७
मैंगोस्टीन	८

इन द्वीपों में ज़मीदारी जैसी कोई प्रथा नहीं है और किसान सीधे सरकार को लगान अदा करते हैं। वर्तमान भूमि कानूनों के अनुसार लगातार पाँच वर्ष तक खेती करने वाले किसानों को दखल के अधिकार प्राप्त हो जाते है।

उद्योग

अण्डमान द्वीपों का प्रमुख उत्पादन इमारती लकड़ी है। वन-विभाग पोर्ट ब्लेयर में एक आरा मिल चलाता है जो एशिया में सब से बड़ा कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर की वेस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी तख्ते आदि भी बनाती है।

कोई उल्लेखनीय कुटीर या छोटे पैमाने का उद्योग नहीं है। केवल अन्डमान माईनर फॉरेस्ट्स इंडस्ट्रीज सोसाइटी मूंज के रस्सों, बेंत और बाँस की वस्तुओं और नारियल के तेल का निर्माण करती है।

विकास

पंचवर्षीय उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत यह निर्णय किया जा चुका है कि मध्य और उत्तर अन्डमान में लगभग ४,००० परिवारों को बसाया जायेगा। योजना के अन्तर्गत ५७५ परिवार बसाये जा चुके हैं और खेती के लिये प्रत्येक को धान बोने योग्य ५ एकड़ भूमि दे दी गई है।

सहकारी समितियाँ

द्वीप समूह में ३२ सहकारी समितियाँ हैं जिनमें २२ क्रय-विक्रय समितियाँ हैं।

सिक्किम

५ दिसम्बर १९५० को भारत सरकार और सिक्किम के बीच जिस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये थे, उसके अनुसार सिक्किम भारत का संरक्षित प्रदेश है। इसलिए राज्य के वित्त, वैदेशिक सम्बन्ध और संचार-साधनों के सम्बध में भारत का एक विशेष उत्तरदायित्व है।

तेतीसवाँ अध्याय

१९५४ में पास किये गये कानून

कानून का नाम	कब प्रस्तुत किया गया	जिस सभा में कानून पहले प्रस्तुत किया गया उस में पारित होने की तिथि	दूसरी सभा में पारित होने की तिथि	राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि
१	२	३	४	५
१ अपहृत व्यक्ति (प्राप्ति और प्रत्यास्थापन) संशोधन कानून, १९५४	२ फरवरी १९५४	१९ फरवरी १९५४	२५ फरवरी १९५४	२७ फरवरी १९५४
२ स्वीकृतिकरण कानून, १९५४	२४ फरवरी १९५४	२४ फरवरी १९५४	१ मार्च १९५४	१८ मार्च १९५४
३ स्वीकृतिकरण (रेलवे) कानून, १९५४	२५ फरवरी १९५४	२५ फरवरी १९५४	१० मार्च १९५४	१८ मार्च १९५४
४ 'ग' भाग के राज्यो का शासन (संशोधन) कानून, १९५४	१५ दिसम्बर १९५३	२३ फरवरी १९५४	२७ फरवरी १९५४	१८ मार्च १९५४
५ स्वीकृतिकरण (वोट ऑन अकाउंट) कानून, १९५४	९ मार्च १९५४	९ मार्च १९५४	१५ मार्च १९५४	१८ मार्च १९५४
६ नौ-परिवहन-नियंत्रण (संशोधन) कानून, १९५४	१६ फरवरी १९५४	२२ फरवरी १९५४	१३ मार्च १९५४	१८ मार्च १९५४
७ वायु निगम (संशोधन) कानून, १९५४	२३ फरवरी १९५४	१ मार्च १९५४	१३ मार्च १९५४	१८ मार्च १९५४
८ स्वीकृतिकरण (रेलवे) कानून नं० २, १९५४	९ मार्च १९५४	९ मार्च १९५४	१३ मार्च १९५४	१८ मार्च १९५४
९ विस्थापित व्यक्तियो के (दावे) अनुपूरक कानून, १९५४	२३ दिसम्बर १९५३	२३ दिसम्बर १९५३	१ मार्च १९५४	१८ मार्च १९५४
१० प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) संशोधन कानून, १९५४	१५ दिसम्बर १९५३	१३ मार्च १९५४	१८ मार्च १९५४	२५ मार्च १९५४
११ बरसी लाइट रेलवे (हस्तान्तरित दायित्व) कानून, १९५४	१७ फरवरी १९५४	२७ फरवरी १९५४	९ मार्च १९५४	२६ मार्च १९५४
१२ विवासितों के निक्षेप का हस्तांतरण कानून, १९५४	१० मार्च १९५४	१३ मार्च १९५४	१८ मार्च १९५४	२६ मार्च १९५४
१३ स्वीकृतिकरण कानून (नं० २), १९५४	१७ अप्रैल १९५४	१७ अप्रैल १९५४	२४ अप्रल १९५४	२७ अप्रैल १९५४

१	२	३	४	५
१४ वित्त कानून १९५४	२७ फरवरी १९५४	२२ अप्रैल १९५४	२६ अप्रैल १९५४	२७ अप्रैल १९५४
१५ लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट (नाम परिवर्तन) कानून १९५४	१५ फरवरी १९५४	२२ फरवरी १९५४	२४ अप्रैल १९५४	२९ अप्रैल १९५४
१६ निर्योग्यता निवारण (संसद् और 'ग' भाग के राज्यों के विधान मंडल) संशोधन कानून १९५४	२६ अप्रैल १९५४	२७ अप्रैल १९५४	२९ अप्रैल १९५४	२९ अप्रैल १९५४
१७ आत्मसात्कृत क्षेत्र (विधान) कानून १९५४	७ दिसम्बर १९५३	२२ फरवरी १९५४	२६ अप्रैल १९५४	३० अप्रैल १९५४
१८ औषध और जादू द्वारा उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) कानून १९५४	२ दिसम्बर १९५३	१६ फरवरी १९५४	२६ अप्रैल १९५४	३० अप्रैल १९५४
१९ भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) कानून १९५४	१० दिसम्बर १९५३	२२ फरवरी १९५४	२६ अप्रैल १९५४	३० अप्रैल १९५४
२० सरकारी कार्य के लिये राज्य द्वारा भूमि अधिगति (प्रमाणीकरण) कानून १९५४	१५ फरवरी १९५४	९ मार्च १९५४	२६ अप्रैल १९५४	३० अप्रैल १९५४
२१ स्वेच्छापूर्वक वेतन में कटौती (कर से छूट) संशोधन कानून १९५४	१४ फरवरी १९५३	२३ अप्रैल १९५४	२९ अप्रैल १९५४	५ मई १९५४
२२ फैक्टरी (संशोधन) कानून १९५४	३ सितम्बर १९५३	९ मार्च १९५४	२८ अप्रैल १९५४	७ मई १९५४
२३ न्यूनतम भत्ता (संशोधन) कानून १९५४	५ मार्च १९५३	२३ अप्रैल १९५४ और १८ मई १९५४ (*)	११ मई १९५४	२० मई १९५४
२४ पुस्तकों का प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) कानून १९५४	१५ दिसम्बर १९५३	२४ अप्रैल १९५४ और ८ मई १९५४ (†)	११ मई १९५४	२० मई १९५४
२५ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (सेवा निबन्धन) कानून १९५४	२० दिसम्बर १९५४	२४ अप्रैल १९५४ तथा ८ मई १९५४ (‡)	१२ मई १९५४	२० मई १९५४

(*) ११ मई १९५४ को राज्य सभा द्वारा इसमें संशोधन किया गया और १८ मई १९५४ को लोक सभा ने इस पर विचार करके उसे स्वीकार कर लिया।

(†) ११ मई १९५४ को राज्य सभा द्वारा इसमें संशोधन किया गया और १८ मई १९५४ को लोक सभा ने उस पर विचार करके उसे स्वीकार कर लिया।

(‡) १२ मई १९५४ को राज्य सभा द्वारा इसमें संशोधन किया गया और १८ मई १९५४ को लोक सभा ने उस पर विचार करके उसे स्वीकार कर लिया।

१	२	३	४	५
२६ मुस्लिम वक्फ कानून १९५४	१६ जुलाई १९५२	१२ मार्च १९५४	२३ अप्रैल १९५४	२१ मई १९५४
२७ संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ता कानून १९५४	८ मई १९५४	१४ मई १९५४	१९ मई १९५४	२२ मई १९५४
२८ शिलांग (राइफल रेंज और उमलांग) छावनी के विधानों का एकीकरण कानून १९५४	१० मार्च १९५४	१९ अप्रैल १९५४ तथा १५ मई १९५४ (*)	८ मई १९५४	२८ मई १९५४
२९ हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) कानून १९५४	१५ मार्च १९५४	१९ अप्रैल १९५४ और १५ मई १९५४ (†)	८ मई १९५४	२८ मई १९५४
३० भारतीय आयकर (संशोधन) कानून १९५४	३ सितम्बर १९५४	१८ सितम्बर १९५४	२१ सितम्बर १९५४	२५ सितम्बर १९५४
३१ केन्द्रीय उत्पादकर और नमक (संशोधन) कानून १९५४	३० अगस्त १९५४	२० सितम्बर १९५४	२४ सितम्बर १९५४	२८ सितम्बर १९५४
३२ भारतीय तटकर (संशोधन) कानून १९५४	१ मई १९५४	२१ सितम्बर १९५४	२४ सितम्बर १९५४	२८ सितम्बर १९५४
३३ चन्दननगर (विलीनीकरण) कानून १९५४	१५ सितम्बर १९५४	२० सितम्बर १९५४	२३ सितम्बर १९५४	२९ सितम्बर १९५४
३४ खाद्य में मिलावट का निवारण कानून १९५४	६ नवम्बर १९५२	२६ अगस्त १९५४	१४ सितम्बर १९५४	२९ सितम्बर १९५४
३५ आय पर मध्य भारत के कर (प्रमाणीकरण) कानून, १९५४	१ सितम्बर १९५४	२७ सितम्बर १९५४	२० सितम्बर १९५४	२ अक्तूबर १९५४
३६ भारतीय तटकर (द्वितीय संशोधन) कानून, १९५४	११ सितम्बर १९५४	२५ सितम्बर १९५४	२९ सितम्बर १९५४	२ अक्तूबर १९५४
३७ स्वीकृतिकरण (संख्या ३) कानून १९५४	२८ सितम्बर १९५४	२८ सितम्बर १९५४	३० सितम्बर १९५४	४ अक्तूबर १९५४
३८ कर संबंधी विधानो को (जम्मू और कश्मीर पर लागू करने सम्बन्धी) कानून १९५४	१ सितम्बर १९५४	२७ सितम्बर १९५४	२९ सितम्बर १९५४	८ अक्तूबर १९५४
३९ विवासितों की संपत्ति का प्रशासन (संशोधन) कानून १९५४	२१ मई १९५४	२५ सितम्बर १९५४	२९ सितम्बर १९५४	८ अक्तूबर १९५४

(*) ५ मई १९५४ को लोक सभा द्वारा इसमें संशोधन किया गया और १८ मई १९५४ को राज्य सभा ने उस पर विचार करके उसे स्वीकार किया।

(†) ८ मई १९५४ को लोक सभा द्वारा इसमें संशोधन किया गया और १५ मई १९५४ को राज्य सभा ने उस पर विचार करके उसे स्वीकार कर लिया।

१	२	३	४	५
४० विशेष विवाह कानून, १९५४	२८ जुलाई १९५२	८ मई १९५४ और २३ सितम्बर १९५४ (*)	१७ सितम्बर १९५४	९ अक्तूबर १९५४
४१ विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति और पुनः संस्थापन) कानून १९५४	१४ मई १९५४	२२ सितम्बर १९५४	२५ सितम्बर १९५४	९ अक्तूबर १९५४
४२ आन्ध्र राज्य विधान मंडल (को अधिकार सौंपना) कानून १९५४	३० नवम्बर १९५४	२ दिसम्बर १९५४	३ दिसम्बर १९५४	६ दिसम्बर १९५४
४३ भारतीय तट कर (तृतीय संशोधन) कानून १९५४	९ दिसम्बर १९५४	१४ दिसम्बर १९५४	२० दिसम्बर १९५४	२३ दिसम्बर १९५४
४४ स्वीकृतिकरण (संख्या ४) कानून १९५४	१७ दिसम्बर १९५४	१७ दिसम्बर १९५४	२१ दिसम्बर १९५४	२३ दिसम्बर १९५४
४५ औद्योगिक विवाद (संशोधन) कानून १९५४	६ मई १९५४	१५ मई १९५४	१४ दिसम्बर १९५४	२३ दिसम्बर १९५४
४६ चाय (संशोधन) कानून १९५४	२४ नवम्बर १९५४	१४ दिसम्बर १९५४	१८ दिसम्बर १९५४	२३ दिसम्बर १९५४
४७ कहवा बाज़ार विस्तार (संशोधन) कानून १९५४	१३ मई १९५४	२३ नवम्बर १९५४	२ दिसम्बर १९५४	२४ दिसम्बर १९५४
४८ नजरबन्दी निरोध (संशोधन) कानून १९५४	२३ नवम्बर १९५४	१३ दिसम्बर १९५४	१३ दिसम्बर १९५४	२४ दिसम्बर १९५४
४९ चाय (द्वितीय संशोधन) कानून १९५४	२७ सितम्बर १९५४	३० नवम्बर १९५४ व २२ दिसम्बर १९५४(†)	१८ दिसम्बर १९५४	२५ दिसम्बर १९५४
५० निर्योग्यता निवारण (संसद और 'ग' भाग के राज्यों के विधान मंडल) द्वितीय संशोधन कानून १९५४	१५ दिसम्बर १९५४	१८ दिसम्बर १९५४	२२ दिसम्बर १९५४	२५ दिसम्बर १९५४
५१ रबड़ (उत्पादन और मार्केटिंग) संशोधन कानून १९५४	१९ दिसम्बर १९५४	२४ दिसम्बर १९५४	३ दिसम्बर १९५४	२५ दिसम्बर १९५४
५२ परिसीमन आयोग (संशोधन) कानून १९५४	१६ दिसम्बर १९५४	२३ दिसम्बर १९५४	२४ दिसम्बर १९५४	२५ दिसम्बर १९५४
५३ आन्ध्र स्वीकृतिकरण कानून १९५४	१८ दिसम्बर १९५४	१८ दिसम्बर १९५४	२२ दिसम्बर १९५४	२९ दिसम्बर १९५४
५४ संविधान (तृतीय संशोधन) कानून १९५४	६ सितम्बर १९५४	२३ सितम्बर १९५४	२८ सितम्बर १९६४	राष्ट्रपति क स्वीकृति मिलनी शेष है

(*) ९ सितम्बर १९५४ को लोक-सभा द्वारा उसमें संशोधन किया गया और उसी दिन राज्य सभा द्वारा उस पर विचार किया जाकर उसे स्वीकार किया गया।

(†) ११ दिसम्बर १९५४ को लोक सभा द्वारा उसमें संशोधन किया गया और उसी दिन राज्य सभा द्वारा वह स्वीकार कर लिया गया।

चौंतीसवाँ अध्याय

खेल कूद

गत वर्ष की खेल कूद विषयक सब से महत्त्वपूर्ण घटना श्री नवल० एच० टाटा की अध्यक्षता में एक 'ऑल इण्डिया कौसिल ऑफ स्पोर्ट' की स्थापना रही। २७ नवम्बर, १९५५ को कौसिल की पहली बैठक नई दिल्ली मे हुई, जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। यह कौंसिल शौकिया और पेशे के रूप में खेल कूद की उन्नति के लिये सलाहकार परिषद् की तरह कार्य करेगी और दूसरी संस्थाएँ पूरी स्वतत्र होगी।

हॉकी

हाकी के खेल में १९२८ में एम्स्टर्डम की ओलम्पिक खेलों में मिली पहली विजय से लेकर भारत का स्थान सर्व श्रेष्ठ रहा है। पिछली ओलम्पिक खेलों में, जो कि १९५२ में हेलसिंकी में हुई थी, भारत ने हालैंड को ६–१ से हरा कर अपनी विश्वविजयिनी स्थिति को कायम रखा।

राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता (मार्च-अप्रैल १९५४)

पिछले वर्ष की विजयी सर्विसेज की टीम को दुबारा खेले गये फाइनल में ३-२ गोल से हरा कर पंजाब ने फिर एक बार रंगस्वामी कप जीत लिया।

बाइटन कप टूर्नामेंट (अप्रैल-मई १९५४)

टाटा स्पोर्ट्स क्लब ने वैस्टर्न रेलवे को १–० से हरा कर इस वर्ष भी बाइटन कप जीत लिया। इस वर्ष चौथी बार टाटा क्लब इसमें विजयी हुआ है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता, अप्रैल १९५४ (स्त्रियों के लिये)

मध्यप्रदेश ने महाराष्ट्र को ३–० गोल से हराया।

पिछले विजेता : बम्बई और बंगाल, संयुक्त विजयी (१९५३), बम्बई (१९५२).

फुटबाल

संतोष ट्रॉफी (अगस्त १९५४)

इस प्रतियोगिता मे सर्विसेज को २–१ गोल मे हरा कर पहली बार बम्बई ने चैम्पियनशिप प्राप्त की। ये लोग १९४७ और १९५१ मे रनर्स-अप रह चुके थे।

आई० एफ० ए० शील्ड (सितम्बर १९५४)

मोहन बागान ने हैदराबाद स्पोर्टिंग क्लब को १–० गोल से हरा कर यह शील्ड जीती।

रोवर्स कप (अक्तूबर-नवम्बर १९५४)

कीमार यूनियन, कराची, को १ गोल से हरा कर हैदराबाद पुलिस ने लगातार पाँचवीं बार यह कप जीता।

डूराण्ड टूर्नामेंट (अक्तूबर-नवम्बर १९५४)

दुबारा खेले गये फाइनल में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट को एकमात्र गोल से हरा कर हैदराबाद पुलिस ने यह ट्रॉफी जीती।

एशियन क्वाड्रेङ्गलर टूर्नामेंट (दिसम्बर १९५४)

एक के मुकाबिले तीन गोल से पाकिस्तान को हरा कर भारत ने इस वर्ष लगातार तीसरी बार एशियन क्वाड्रेङ्गलर फुटबाल चैम्पियनशिप प्राप्त की।

क्रिकेट

रंजी ट्रॉफी (मार्च १९५४)

पिछले वर्ष की विजयी होल्कर की टीम को बम्बई ने ८ विकट से हरा कर ट्रॉफी जीती। रनों की संख्या इस प्रकार थी :

बम्बई— पहली पारी ३७६ (आर० एस० मोदी १४१, एम० के० मंत्री ९१; सर्वते ने ७६ रन दे कर ४ विकट लिये)

दूसरी पारी १११ (२ विकटों पर)

होल्कर—पहली पारी २९२ (सी० टी० सर्वते ८२; माँकड़ ने ६५ रन देकर ३ विकट लिये)

दूसरी पारी १९३ (जगदले ५३; माँकड़ ने ६१ रन दे कर ४ विकट लिये)

पाकिस्तान में भारतीय क्रिकेट टीम

१ मार्च १९५५ को भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का अपना सर्व प्रथम दौरा पूरा किया। अपने ६ सप्ताह के दौरे में उन्होंने १४ मैच खेले। यद्यपि टैस्ट मैचों का क्रम बराबरी में ही समाप्त हुआ परन्तु प्रान्तों के साथ खेले गये मैचों मे भारत की टीम ने ५ मैच एक-एक पारी से जीते। भारतीय टीम के उप कप्तान पाली उमरीगर ६५ रनों की औसत पर सब से अग्रणी रहे। जसू पटेल ने औसतन १०·६८ रन प्रति विकेट दे कर ३५ विकेट दिये। टैस्ट मैचों की विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार है :

प्रथम टैस्ट पाकिस्तान : २५७ (वक़ार ५२, इम्तियाज़ ५४ : गुलाम अहमद ने १०९ रन देकर ५ विकेट लिये) और १५८ (अलीमुद्दीन ५१, वक़ार हसन ५१ : गुप्ते ने १८ रन देकर ५ विकेट लिये)

भारत : १४८ (महमूद हुसेन ने ६७ रन देकर ६ विकेट और खान मुहम्मद ने ४२ रन देकर ४ विकेट लिये) और २ विकटों पर १४७ रन (मांजरेकर ने ७४ और राय ने ६७ रन बनाये। दोनों आउट नही हुए। खान मुहम्मद ने १८ रन देकर २ विकेट लिये)। मैच अनिर्णीत रहा।

दूसरा टैस्ट भारत : २३५ (तम्हाने ५४-आउट नहीं हुआ—रामचन्द ५३, मांजरेकर ५० : खान मुहम्मद ने ७४ रन देकर ५ विकेट और फजल महमूद ने ८६ रन देकर ४ विकेट लिये) और २०९ रन ५ विकटों पर (राय ७८, मांजरेकर ५९)

पाकिस्तान : ३१२ रन ६ विकटों पर (हनीफ मुहम्मद १४२, अलीमुद्दीन ६४, वक़ार हसन ४८ : उमरीगर ने ७४ रन देकर ६ विकेट लिये) मैच अनिर्णीत रहा।

तीसरा टेस्ट	पाकिस्तान :	३२८ (मक़सूद अहमद ६६, इम्तियाज़ ५५, वज़ीर मुहम्मद ५५, कारदार ४४ : गुप्ते ने १३३ रन देकर ५ विकेट लिये) और १३६ रन ५ विकटों पर (अलीमुद्दीन ५८, शुजाउद्दीन ४० : माँकड़ ने ३३ रन देकर ३ विकेट लिये)
	भारत :	२५१ (उमरीगर ७८, गोपीनाथ ४१ : महमूद हुसेन ने ७० रन देकर ५ विकेट लिये) और ७४ रन २ विकेटों पर (करदार ने २० रन देकर २ विकेट लिये) मैच अनिर्णीत रहा ।
चौथा टेस्ट	पाकिस्तान :	१८८ (वक़ार हसन ४३ : गुप्ते ने ६३ रन देकर ५ विकेट और फडकर ने १९ रन देकर २ विकेट लिये) और १८२ (इम्तियाज़ ६९, मकसूद ४४ : माँकड़ ने ६४ रन देकर ५ विकेट लिये)
	भारत :	२४५ (उमरीगर १०८ : खान मुहम्मद ने ७९ रन देकर ४ विकेट लिये) और २३ रन १ विकेट पर (हनीफ ने १ रन देकर १ विकेट लिया)
पाँचवाँ टेस्ट	पाकिस्तान :	१६२ (रामचन्द ने ४९ रन देकर ६ विकेट लिये) और २४१ रन ५ विकेट पर घोषित (अलीमुद्दीन १०३-आउट नहीं हुआ, कारदार ९३)
	भारत :	१४५ (फज़ल महमूद ने ४९ रन देकर ५ विकेट और खान मुहम्मद ने ७३ रन देकर ५ विकेट लिये) और ६९ रन २ विकेट पर । मैच अनिर्णीत रहा ।

टैनिस

राष्ट्रीय लॉन टैनिस प्रतियोगिता (दिसम्बर १९५४-जनवरी १९५५)

पुरुषों का (एकाकी)

जैक आर्किन्स्टाल (आस्ट्रेलिया) ने पिछले वर्ष के विजेता आर० कृष्णन् को ३–६, ६–३, ३–६, ६–२, ६–३ से हराकर फिर इस टाइटल को प्राप्त किया ।

स्त्रियों की (एकाकी)

कुमारी रीता डावर ने कुमारी उर्मिला थापर को ६–४, ६–१ से पराजित किया ।

(पुरुषों का युगल)

आर्किन्स्टाल और हॉवे (आस्ट्रेलिया) ने कृष्णन् और नरेश कुमार को २–६, ६–३, ६–३, ६–३ से हराया ।

मिले जुले (युगल)

सुमन्त मिश्र और कुमारी उर्मिला थापर ने हॉवे और वुडब्रिज को ६–४, ७–५ से हराया।

स्त्रियों के (युगल)

कुमारी रीताडाबर और कुमारी उर्मिला थापर ने लौरा वुडब्रि और विवियन एलेक्सी को ६–४, और ६–३ से हराया।

बैड्मिण्टन

राष्ट्रीय बैडमिटन प्रतियोगिता (दिसम्बर १९५४-जनवरी १९५५)

पुरुषों की (एकाकी)

पिछले वर्ष के विजेता नन्दु नटेकर ने टी० एन० मठ (यू० पी०) को ६–१५, १५–१०, १५–२ से हरा कर अपने टाइटल को कायम रखा।

पुरुषों की (युगल)

मनोज गुह और गजानन हेम्मादी (बंगाल) ने नन्दु नटेकर और आर० ए० धोंगड़े (बम्बई) को ६–१५, १५–१२, १५–१३ से हराया।

स्त्रियों की (एकाकी)

श्रीमती सुन्दर पटवर्धन (बम्बई) ने कुमारी सुमन देवधर को ११–४, ११–५ से हराया।

स्त्रियों की (युगल)

कुमारी सुमन देवधर और श्रीमती सुन्दर पटवर्धन ने श्रीमती पी० प्रागर और कुमारी शशि भट्ट को १७–१६, १५–३ से पराजित किया।

टेबल टैनिस

राष्ट्रीय प्रतियोगिता (नवम्बर १९५४)

पुरुषों की (एकाकी)

यू० एम० चन्दराना (बम्बई) ने एस० मोतीवाला को २१–१७, २१–११ २१–२३, २१–१३ से हराया।

पुरुषों की (युगल)

ग्रॅल ब्राशी और ग्रॅल अश्वामी (मिस्र) ने के० जयन्त और आर० भण्डागे को १३–२१, २१–१६, १४–२१, २२—२४, २१–१२ से हराया।

स्त्रियों की (एकाकी)

कुमारी मीना परानडे (महाराष्ट्र) ने कुमारी सईद सुलताना को २१–१८, २१–१७, २१–१९ से हराया।

स्त्रियों की (युगल)

कुमारी सईद सुलताना और कुमारी पी० के० नलिनी ने श्रीमती नासिकवाला और कुमारी एनिड बोकारो को १८–२१, २१–७, २१–१२, २१–१६ से हराया

अन्तर्राज्यीय प्रतियोगिता (नवम्बर १९५४)

बर्न-शेलक कप (पुरुषों के लिये)

बंगाल को २ के मुकाबले में ५ मैचों से हरा कर बम्बई ने इस वर्ष भी कप अपने पास रखा।

जयलक्ष्मी कप (स्त्रियों के लिये)

इस वर्ष बम्बई को हरा कर महाराष्ट्र ने कप जीता।

राष्ट्रीय खेल कूद (१९५४)[1]

पुरुषों के खेल

१०० मीटर की दौड़

१. बलवन्त सिंह (सेना)
२. एम० गैब्रियल (सेना)
३. करनैल सिंह (दिल्ली)

समय १०.८ सै०

राष्ट्रीय रिकार्ड १०.६ सै० (एल० पिण्टो)

२०० मीटर की दौड़

१. रामस्वरूप (सेना)
२. बलवन्त सिंह (सेना)
३. करनैल सिंह (दिल्ली)

समय २२ सै०

राष्ट्रीय रिकार्ड २१.८ सै० (एल० पिण्टो)

४०० मीटर की दौड़

१. जोगिन्दर सिंह (सेना)
२. इवान जैकब (मद्रास)
३. हरजीत सिंह (पंजाब)

समय : ५०.८ सै०

राष्ट्रीय रिकार्ड : ४९.६ सै०
(इवान जैकब)

८०० मीटर की दौड़

१. सोहन सिंह (सेना)
२. बाबू सिंह (पंजाब)
३. भगवान सिंह (सेना)

समय १ मि० ५६.६ सै०

राष्ट्रीय रिकार्ड १ मि० ५४.२ सै०
(सोहन सिंह, सेना, १९५३)

१,५०० मीटर की दौड़

१. करनैल सिंह (सेना)
२. जबर सिंह
३. बेवी सिंह (पंजाब)

समय : ४ मि० ४.६ सै०

राष्ट्रीय रिकार्ड : ४ मि० ४.२ सै०
(चांद सिंह, पटियाला)

३,००० मीटर की दौड़

१. मुनिस्वामी (सेना)
२. डालू राम (सेना)
३. अरजीत सिंह (सेना)

समय ९ मि० ३०.४ सै०

राष्ट्रीय रिकार्ड ९ मि० ३१.४ सै०
(गुलजारा सिंह, पेप्सू)

५,००० मीटर की दौड़

१. डालू राम (सेना)
२. गुरमित सिंह (सेना)
३. रौनक सिंह (पेप्सू)

समय १५ मि० २२.७ सै०

राष्ट्रीय रिकार्ड : १५ मि० ९.४ सै०
(रौनक सिंह, १९३६)

१०,००० मीटर की दौड़

१. बूटा सिंह (सेना)
२. गुरदयाल सिंह (सेना)
३. गुलज़ारा सिंह (बंगाल)

समय : ३२ मि० ३८.२ सै०

राष्ट्रीय रिकार्ड ३२ मि० २.६ सै०
(रौनक सिंह, १९३६)

११० मीटर की बाधा दौड़

१. सरवन सिंह (सेना)
२. जदुराज सिंह (पंजाब)
३. सिरीचन्द राम (सेना)

---

[1]नई दिल्ली में आयोजित

समय : १५ सै०
राष्ट्रीय रिकार्ड १५.२ सै०
(जे० विकर्स, बम्बई १९४६)

१०० मीटर की बाधा दौड़

१. जगदेव सिंह (पंजाब)
२. जगराज सिंह (पंजाब)
३. प्रीतम सिंह (सेना)

समय : ५४.३ सै०
राष्ट्रीय रिकार्ड : ५५.६ सै०
(जोगिन्दर सिंह, १९५३ और तेजा सिंह सेना १९५१)

५० किलोमीटर चलना

१. कलत नाथ (उत्तर प्रदेश)
२. लक्ष्मण सिंह (सेना)
३. एल० आर० खन्ना (दिल्ली)

समय ५ घं० ७ मि० १.२ सै०
राष्ट्रीय रिकार्ड ५ घं० १५ मि० ८.४ सै०
(बख्तावर सिंह पटियाला १९४४)

१०,००० मीटर चलना

१. हरनायक सिंह (सेना)
२. एन० लिंगप्पा (मैसूर)
३. बोगा सिंह (सेना)

समय : ५० मि० २६.६ सै०
राष्ट्रीय रिकार्ड ५२ मि० २९ सै०
(रौनक सिंह, पटियाला १९४९)

४×१०० मीटर रिले दौड़

१. सेना
२. दिल्ली
३. बम्बई

समय ४३.३ सै०
राष्ट्रीय रिकार्ड : ४३ सै०
(पंजाब, १९३६ और सेना १९५२)

४×४०० मीटर रिले दौड़

१. पंजाब
२. सेना
३. पेप्सू

समय : ३ मि० २२.१ सै०
राष्ट्रीय रिकार्ड : ३ मि० २३.६ सै०
(सेना १९५३)

मैराथन दौड़

१. सूरत सिंह माथुर (दिल्ली)
२. गुरचरण सिंह (सेना)
३. छोटा सिंह (पेप्सू)

समय : २ घं० ४८ मि० ६.६ सै०
राष्ट्रीय रिकार्ड २ घं० ३३ मि० २१.४ सै०
(छोटा सिंह, पटियाला)

ऊँची कूद

१. के० चटर्जी (बंगाल)
२. अजीत सिंह (पंजाब)
३. हरदित्त सिंह (सेना)

ऊँचाई ६ फुट २ इंच
राष्ट्रीय रिकार्ड : ६ फुट ३ १/२ इ०
(मेंहगा सिंह, पटियाला १९५१ और अजीत सिंह, पंजाब १९५३)

लम्बी कूद

१. जी० डी० नायर (दिल्ली)
२. मोहिन्दर सिंह (सेना)
३. टी० एम० एस० देव (मध्यभारत)

फासला २२ फुट ७ १/२ इंच
राष्ट्रीय रिकार्ड : २२ फुट १० १/२ इंच
(निरंजन सिंह, पंजाब १९३४)

उछलना, कदम भरना और कूदना

१. केहर सिंह (सेना)
२. सुखदर्शन सिंह (पेप्सू)
३. रिबैल्लो (सेना)

फासला ४८ फुट ७ १/२ इंच
राष्ट्रीय रिकार्ड ५० फुट २ इंच
(एच० रिबैल्लो, मैसूर, १९४९)

बाँस से कूदना

१. लक्ष्मीनारायण (सेना)
२. एस० जार्ज (सेना)
३. पी० वासवन् (तिरुवांकुर-कोचीन)

ऊँचाई १२ फुट १ इं०

राष्ट्रीय रिकार्ड १२ फुट ३ इ०
(एस० जार्ज, सेना, १९५३)

गोला फेंकना

१. परदुमन सिंह (सेना)
२. ईशर सिंह (पेप्सू)
३. सूरत सिंह (सेना)

फ़ासला ४७ फुट १० ½ इ०
राष्ट्रीय रिकार्ड ४५ फुट २ ½ इ०

डिस्क फेंकना

१. परदुमन सिंह (सेना)
२. बलखर सिंह (सेना)
३. ईशर सिंह (पेप्सू)

दूरी : १३७ फुट ½ इ०
राष्ट्रीय रिकार्ड : १४० फुट ८ ½
(माखन सिंह, सेना, १९५३)

जैवेलन फेंकना

१. मालवीय (उत्तर प्रदेश)
२. गोविन्द (दिल्ली)
३. के० बोसन (मद्रास)

दूरी : १७९ फुट १० ½ इ०
राष्ट्रीय रिकार्ड, १८५ फुट ४ ½ इ०
(परसा सिंह, पटियाला, १९५२)

भार फेंकना

१. हरदेव सिंह (सेना)
२. रतन सिंह (सेना)
३. सोमनाथ (पेप्सू)

दूरी : १४७ फुट १ ½ इ०
राष्ट्रीय रिकार्ड : १५३ फुट ८ इ०
(सोमनाथ, १९४६)

स्त्रियों के खेल

१०० मीटर की दौड़

१. एम० डी० सूजा (बम्बई)
२. सी० ब्राउन (बम्बई)
३. कैचचूर (बंगाल)

समय : १२.३ सै०
राष्ट्रीय रिकार्ड : १२.४ सै०
(डी० बीक, बंगाल, १९४८)

२०० मीटर की दौड़

१. एस० डी० सूजा (बम्बई)
२. एम० डी० सूजा (बम्बई)
३. ए० क्लार्क (उत्तर प्रदेश)

समय : २७.८ सै०
राष्ट्रीय रिकार्ड २६.१ सै०
(एम० डी० सूजा, बम्बई (१९५२)

८० मीटर की बाधा दौड़

१. वायलेट पीटर्स (बम्बई)
२. मेरी फयमो (बम्बई)
३. नीलिमा घोष (बंगाल)

समय : १२.५ सै०
राष्ट्रीय रिकार्ड : १२.७ सै०
(एम० डी० सूजा, १९५३)

४×१०० मीटर की रिले दौड़

१. बम्बई
२. बंगाल
३. तिरुवांकुर-कोचीन

समय : ५०.२ सै०
राष्ट्रीय रिकार्ड : ५०.० स० (बम्बई)

ऊँची कूद

१. सी० ब्राउन (बम्बई)
२. एम० सुआर्स (मैसूर)
३. मनजीत कौर (पेप्सू)

ऊँचाई ४ फुट ६ ½ इ०
राष्ट्रीय रिकार्ड : ४ फुट ११ ½ इ०
(य० ल्योन्स, पंजाब, १९४०)

लम्बी कूद

१. सी० ब्राउन (बम्बई)
२. ए० क्लार्क (उत्तर प्रदेश)
३. एम० लीला राव (बम्बई)

फ़ासला : १७ फुट ५ इ०

राष्ट्रीय रिकार्ड : १६ फुट ४ $^{9}/_{८}$ इ०
(एम० सुग्रर्स मसूर, १९४८)

गोला फेंकना

१. ग्रार० थानवर (बम्बई)
२. ई० जे० डेवेन पोर्ट (बिहार)
३. डी' सूजा (मध्य भारत)

दूरी : ३० फुट १० इ०

राष्ट्रीय रिकार्ड : ३१ फुट १०$^{१}/_{२}$ इ०
(एम० डी० येट्स, उत्तर प्रदेश, १९५१

डिस्क फेंकना

१. डी' सूजा (मध्य भारत)
२. पी० प्राउडफुट (बम्बई)
३. के० कपिला (बम्बई)

दूरी : ९२ फुट १० इ०

राष्ट्रीय रिकार्ड : ९२ फुट १०$^{१}/_{४}$ इ०
(एम० गिलबर्ट, बम्बई १९४२)

जैवेलिन फेंकना

१. ई० जे० डेवेनपोर्ट (बिहार)
२. एम० वेन्सन (उड़ीसा)
३. एम० साइमन्स (बम्बई)

दूरी : १०६ फुट ७ इ०

राष्ट्रीय रिकार्ड : १९९ फुट $^{१}/_{२}$ इ०
(एस० प्रीस्टले, मैसूर, १९३६)

टीम चैम्पियनशिप

१. सेना (३५७.४२) प्वाइण्ट्स
२. पंजाब (३३२.२५)
३. दिल्ली (२८०.२८)

व्यक्तिगत चैम्पियनशिप

१. के० बी० प्रभाकन (सेना-७९.९२)
२. वीर सिंह (पंजाब-७१.९)
३. मस्सा सिंह (सेना-७१.२३)

बास्केट बोल

मैसूर ने पेप्सू को हराया ४९–३१

वॉलीबाल

पंजाब ने दिल्ली को हराया–१२–१५,
१५–३, १५–१९ १६–१४

वॉलीबाल (स्त्रियों की)

उत्तर प्रदेश ने दिल्ली को हराया
१५–४, १५–५

कबड्डी

बंगाल ने बम्बई को हराया ६६–१५

पैंतीसवाँ अध्याय

घटनाओं की सूची

१९५४

जनवरी

१. भारत सरकार ने मोटे अनाज पर से नियंत्रण हटा लेने के निर्णय की घोषणा की ।

—प्रधान मंत्री ने टाटा इंस्टीट्यूट् ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च के भवन की आधार शिला रखी ।

३. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी कांग्रेस का सप्त-दिवसीय अधिवेशन समाप्त हुआ ।

५. भारत सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये जाने वाले विभिन्न सम्मानसूचक उपपदों की घोषणा की ।

—प्रधान मंत्री ने नागपुर में स्पष्ट किया कि "अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य होने वाली प्रस्तावित सुरक्षा संधि न केवल भारत की स्वतंत्रता के अपितु सम्पूर्ण एशिया की स्वतंत्रता के विरुद्ध है" ।

१५. प्रधान मंत्री के साथ वार्तालाप करने के लिये श्रीलंका के प्रधानमंत्री सर जान कोटलेवाला नई दिल्ली पहुँचे ।

१७. पहली पंचवर्षीय योजना के अवशिष्ट समय में १५० करोड़ से १७५ करोड़ रु०की लागत वाली अतिरिक्त परियोजनाओं पर कार्य चालू करने का निर्णय किया गया ।

१८. श्रीलंका निवासी भारतीय उद्भव वाले नागरिकों के भविष्य के सम्बन्ध में एक भारत-श्रीलंका समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये ।

फरवरी

३. प्रयाग के कुम्भ मेले में ५०० तीर्थ यात्रियों के प्राणनाश की दुर्घटना हुई ।

—मूल सिद्धान्तों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने कश्मीर के संविधान पर अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया ।

६. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा के पुनस्संगठन की सिफ़ारिश की ।

१०. सर्वोच्च न्यायालय की 'संविधान बैंच' ने मद्रास इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग्स (एक्वीज़ीशन) कानून १९४६ को अवैध घोषित किया ।

१३. भारत और श्रीलंका ने दिल्ली समझौते की पुष्टि की ।

१४. पश्चिम बंगाल सरकार ने माध्यमिक स्कलों की स्थिति की जाँच पड़ताल करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की ।

१५. राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण दिया।
—बम्बई उच्च न्यायालय ने अंग्रेज़ी के माध्यम द्वारा शिक्षा देने वाले स्कूलों में प्रवेश विषयक बम्बई सरकार के आदेश को रद्द कर दिया।

१६. उड़ीसा के रूरकेला नामक स्थान पर फ़ौलाद का नया कारखाना स्थापित करने के विषय में भारत सरकार ने अपने निश्चय की घोषणा की।
—मद्रास में श्री टी० के० चिदम्बरनाथ मुदलियार का देहावसान हुआ।

१९. संसद् में रेल तथा परिवहन मंत्री ने बचत वाला रेलवे बजट प्रस्तुत किया
—प्रैसीडेंट आइसनहोवर ने कोरिया में गई हुई भारतीय संरक्षक सेना के कार्य की प्रशंसा की।

२१. कलकत्ता में माध्यमिक स्कूलों के २३,००० अध्यापकों की २० दिन से चल रही हड़ताल समाप्त हुई।

२३. लोक सभा ने 'ग' भाग के राज्य कानून के संशोधक विधेयक को पास कर दिया।

२४. तिरुवांकुर-कोचीन राज्य में मतदान का कार्य समाप्त हुआ।

२७. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने १९५४–५५ के वित्तीय वर्ष के लिये लोक सभा में घाटे का बजट उपस्थित किया।

मार्च

१. प्रधान मंत्री ने प्रैसीडेंट आइसनहोवर के भारत को सैन्य सहायता देने विषयक —प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

२. पेप्सू के चुनावों में काग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ।

३. तिरुवांकुर-कोचीन के मन्त्रिमण्डल ने त्याग पत्र दिया दे दिया।
—भारतीय भाषाओं में साहित्य के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये २० पारितोषिक प्रदान करने की भारत सरकार ने घोषणा की।

७. प्रधान मंत्री ने मध्यभारत में गान्धीसागर बाँध की आधारशिला रखी।

११. केन्द्रीय सूचना तथा प्रसार मंत्री ने लोक सभा में घोषणा की कि अखिल भारतीय आकाशवाणी फ़िल्मी गानों के प्रसारण पर रोक नहीं लगाना चाहती किन्तु उस पर नियंत्रण रखना चाहती है।

१३. संसद् ने प्रेस कानून को जारी रखने का प्रस्ताव पास कर दिया।

१५. श्री पुत्तम थानू पिल्लई ने तिरुवांकुर-कोचीन राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

१७. स्वराष्ट्र मंत्री ने राज्य सभा में आन्ध्र के लिये ५ जुलाई से नया उच्च न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की।

१८. भारतीय कपास और सूती वस्त्रोद्योग ने बम्बई में अपनी शताब्दी मनाई।

१९. भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों ने जनमत लिये बिना भारत में विलय की मांग की।

२२. प्रधान मंत्री ने फ्रांसीसी बस्तियों के भारत में शान्तिपूर्ण विलय की मांग की।

२३. चन्दननगर जाँच-पड़ताल आयोग ने पश्चिम बंगाल के साथ चन्दननगर के एकीकरण की सिफ़ारिश की ।

२८. नई दिल्ली के समीप तिलपट में भारतीय वायु सेना द्वारा हवाई प्रदशन ।किया गया ।

२९. प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन का उद्घाटन किया ।

—मध्य प्रदेश के श्रमिक नेता श्री आर० एस० रुइकर का बम्बई में प्राणान्त हो गया ।

अप्रैल

१. सारे देश में भारतीय वायु सेना की २१वीं वर्षगाँठ मनाई गई ।

—एयर मार्शल मुकर्जी ने भारतीय वायु सेना के प्रधान का पद संभाला । इस पद पर आसीन होने वाले ये प्रथम भारतीय थे ।

२. प्रधान मंत्री ने उद्जन बमों के परीक्षणों को स्थगित कर देने की मांग की ।

—राज्य सभा को समाप्त करने विषयक एक गैर सरकारी प्रस्ताव को राज्य सभा ने अस्वीकृत कर दिया ।

४. संविधान में परिवर्तन पर विचार करने के लिये काग्रेस कार्य समिति ने एक उपसमिति नियुक्त की ।

५. कांग्रेस समिति ने मद्य-निषेध विषयक कांग्रेस की नीति को फिर दोहराया ।

८. भारत सरकार पृथक् होने से पहले लिये गये बर्मा के कर्जे में कमी करने को सहमत हुई ।

१०. प्रधान मंत्री ने भावनगर में सैन्ट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया ।

१२. भारत सरकार ने एक नये नेशनल प्लान लोन जारी करने की घोषणा की ।

१३. के० कामराज नाडर के मुख्य मंत्रित्व में मद्रास में नये मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की ।

१५. पुर्तगाल के प्रधान मंत्री की इस धारणा की ओर संकेत करते हुये कि उत्तरी अट-लांटिक संधि संगठन में गोआ भी सम्मिलित है प्रधान मंत्री नेहरू ने संसद् में घोषणा की कि भारत किसी भी ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय या प्रादेशिक व्यवस्था से बँधा हुआ नहीं है जिस में वह भागीदार न हो ।

१६. प्रधान मंत्री ने अखिल भारतीय लेखकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया ।

१७. भारत सरकार ने बागान उद्योग की स्थिति की जाँच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की ।

१८. पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष डा० सत्यपाल का शिमला में हृदय की गति रुक जाने से देहांत हो गया ।

१९. बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में विलीन कर देने विषयक गृह मंत्री के विधेयक को राज्य सभा ने स्वीकार कर लिया ।

२२. प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि किसी भी विदेशी सेना को भारतीय प्रदेश में से गुजरने नहीं दिया जायेगा ।

२४. प्रधान मंत्री ने हिन्द चीन की समस्या के लिये एक ६ सूत्री हल उपस्थित किया।

—राज्य पुनर्गठन आयोग को दिये गये अपने ज्ञापन में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने शीघ्र भाषावार प्रान्तों के निर्माण की मांग की।

२६. नैरोबी स्थित भारतीय राजदूत के कार्यालय पर किये गये आक्रमण के लिये केनिया की सरकार ने भारत सरकार से क्षमा याचना की।

२८. कोलम्बो में एशिया के प्रधान मंत्रियों की वार्ता प्रारम्भ हुई।

२९. तिब्बत के विषय में भारत और चीन में व्यापार और पारस्परिक आदान प्रदान समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

मई

२. एशियाई प्रधान मंत्रियों का कोलम्बो सम्मेलन समाप्त हुआ।

—कम्पनी विधेयक संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

३. १८९८ के जाब्ता फौजदारी कानून में संशोधन करने के लिये केन्द्रीय गृह मंत्री ने लोक सभा मे एक विस्तृत विधेयक उपस्थित किया।

४. फ्रांसीसी भारतीय बस्तियों के विषय में पेरिस में वार्तालाप करने के लिये फ्रांस सहमत हुआ।

८. भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के साथ चन्दननगर के एकीकरण का निणर्य किया।

१०. प्रधान मंत्री ने अणु विखण्डन के कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले कच्चे सामान पर बाह्य नियंत्रण की योजना के विषय में भारत का विरोध घोषित किया।

११. भारत सरकार ने काली मिर्च, रुई, तेल और सिगार पर लगने वाले निर्यात कर में कमी की घोषणा की।

१३. मद्रास विधान सभा के कांग्रेस दल ने श्री सी० राजगोपालाचारी द्वारा प्रवर्तित प्रारम्भिक शिक्षा योजना को समाप्त कर दिया।

१४. लोक सभा ने संसद् सदस्यों का मासिक वेतन ४००) और दैनिक भत्ता २१) स्थिर किया।

१८. प्रतिरक्षा संगठन मंत्री श्री महावीर त्यागी ने सहायक प्रादेशिक सेना के निर्माण की व्यवस्था के लिये लोक सभा में विधेयक उपस्थित किया।

१९. भारत सरकार ने एक नेशनल फिल्म बोर्ड बनाया और एक फिल्म प्रोडक्शन ब्यरो तथा फिल्म इंस्टीट्यूट स्थापित करन का निणर्य किया।

जून

१. आन्ध्र विधान सभा ने श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया।

३. भारत सरकार ने १९५४–५५ में ग्रामोद्योग छोटे पैमाने पर चल सकने वाले उद्योगों और शिल्प के लिये ५.३१ करोड़ रुपये की राशि नियत की।

—केन्द्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में बेकारी की समस्या हल की जायेगी।

जुलाई

१. दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीय आयुक्त का कार्यालय बन्द कर दिया गया ।

५. स्वराष्ट्र मंत्री ने आन्ध्र के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया ।

६. भाखड़ा नहरों के लिये सतलज के पानी को रोक लेने विषयक पाकिस्तान द्वारा लगाये गये आरोपों का भारत ने खंडन किया ।

८. संसार के सब से बड़े नहरों के जाल भाखड़ा नहरों का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि वे इन स्थानों को मन्दिर और पूजा के स्थान मानते हैं ।

९. तिरुवांकुर-तमिलनाड कांग्रेस ने तिरुवांकुर-कोचीन के तमिल बोलने वाले प्रदेशों को मद्रास में विलीन कराने के लिये सत्याग्रह शुरू किया ।

१४. प्रेस आयोग ने दिल्ली में अपने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये ।

१५. भारत सरकार ने चावल के लाने ले जाने पर लगे हुये सब प्रतिबन्धों को उठा लिया ।

१६. माही के लोगों को कार्यरूपेण अधिकार सौपने के फ्रांसीसी सरकार के निर्णय को कार्य रूप दिया गया ।

१९. भारत, कनाडा और पोलेड को हिन्दचीन के लिये संधि आयोग के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया ।

२२. गोआ के स्वयं सेवकों ने दामन की सेलवासा पुर्तगाली बस्ती के दादरा ग्राम को मुक्त करा लिया ।

—एक प्रस्ताव में कांग्रेस उच्च सत्ता ने देश के लिये समाजवादी अर्थ व्यवस्था की पसन्दगी प्रकट की ।

२५. प्रेस आयोग ने एक अखिल भारतीय प्रेस परिषद् बनाने पर जोर दिया ।

—भारत ने वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया के लिये नियुक्त किये गये तीनों निरीक्षक आयोगों की अध्यक्षता स्वीकार की ।

२८. भारतीय प्रदेश में से सेना भेजने की पुर्तगाली प्रार्थना को भारत सरकार न ठुकरा दिया ।

२९. बिहार की नदियों में आई हुई बाढ़ के कारण सैकड़ों गाँव डूब गये ।

३०. प्रधान मंत्री ने तिरुवांकुर-तमिलनाड कांग्रेस द्वारा चलाये गये सत्याग्रह को वापस लेने के लिये कहा ।

३१. नई दिल्ली में हिन्दचीन सन्धि आयोग की बैठक हुई ।

—भारत ने पुर्तगाली बस्तियों में सत्याग्रहियों के प्रति शक्ति का प्रयोग न करने के लिये पुर्तगाल से कहा ।

अगस्त

२. भारत सरकार ने सीधे प्रधान मंत्री के नियंत्रण में अणु शक्ति सम्बन्धी एक पृथक् विभाग बनाने का निर्णय किया ।

४. भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों के गवर्नर ने धमकी दी कि यदि पुर्तगालियों को डियू को छोड़ने के लिये बाधित किया जायेगा तो वे तहस-नहस करने की नीति अपनायेंगे ।

५. भारत और फ्रांस ने भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों प्रदेशों के विलय के विषय में फिर समझौते की बातचीत शुरू की ।

१०. गोआ के लिये एक 'तटस्थ अध्ययन वार्ता दल' की नियुक्ति के लिये भारत सहमत हो गया ।

१३. नई दिल्ली में प्रधान मंत्री ने अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया ।

२०. भारत सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ बैंकों के झगड़े के विषय में पंचाट को स्वीकार कर लिया ।

२३. संसद् का पतझड़ कालीन अधिवेशन प्रारम्भ हुआ ।

२५. संसद् के दोनों सदनों में प्रेस आयोग का प्रतिवेदन उपस्थित किया गया ।

—मास्को जाने वाले भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमंडल ने वायुयान द्वारा प्रस्थान किया ।

२७. वर्ल्ड बैंक ने भारत तथा पाकिस्तान में विद्यमान नहरी पानी विवाद को निबटाने के लिये नये प्रस्ताव रखे ।

२९. जालंधर में ५० किलोवाट मध्यम तरंग का ट्रांसमीटर स्थापित किया गया ।

३१. अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया ।

सितम्बर

३. केन्द्रीय सिचाई तथा बिजली मंत्री ने एक केन्द्रीय बाढ नियंत्रण बोर्ड बनाने विषयक भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की ।

५. प्रजा समाजवादी दल की कार्यकारिणी ने दल के मंत्री पद से डा० राम मनोहर लोहिया का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया ।

७. प्रधान मंत्री ने गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटियों में बाढ़ों के नियंत्रण की कार्यवाही करने के लिये दो बड़े नदी घाटी आयोगों की स्थापना विषयक सरकार के निर्णय की घोषणा की ।

९. प्रधान मंत्री ने विचार प्रकट किया कि "सीटो" लोगों के मन में असुरक्षा की भावना को बढ़ायेगा ।

१५. बच्चों के लिये चल चित्रों का चुनाव करने के लिये सरकार ने एक केन्द्रीय समिति की नियुक्ति की ।

१६. विशेष विवाह विधेयक में सहमति द्वारा तलाक की व्यवस्था सम्बन्धी धारा को लोक सभा ने स्वीकार कर लिया ।

१७. 'फोर्ड फाउण्डेशन' के सहयोग से देहाती क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिये एक ठोस नीति के विषय में सिफारिश करने के लिये सरकार ने पाँच व्यक्तियों की एक समिति बनाई ।

—बैंकों सम्बन्धी झगड़े के विषय में अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले में सरकार द्वारा सुधार करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने न्यायाधीश राजध्यक्ष को नियुक्त किया ।

२०. पश्चिम बंगाल में चन्दननगर के विलय सम्बन्धी विधेयक को लोक सभा न पारित कर दिया ।

२२. इण्डोनीशिया के प्रधान मंत्री डा० शास्त्रोअमितजयो नई दिल्ली पहुँचे ।

२४. भारत सरकार ने १ अक्तूबर से रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन सम्बन्धी अपने निर्णय की घोषणा की ।

२५. भारत और इण्डोनीशिया के प्रधान मंत्रियों ने एशिया और अफ्रीका के देशों का एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया ।

—लोक सभा के १४ सदस्यों ने आचार्य कृपालानी की अध्यक्षता में 'यूनियन ऑफ सोशलिस्ट्स एण्ड प्रोग्रेस्सिव्स' नामक एक नये दल के निर्माण का निश्चय किया ।

२७. भारत सरकार ने चित्तरंजन के इंजिनो के कारखाने से अधिक संख्या में इंजिन बनाने वाले एक नये कारखाने की स्थापना का निर्णय किया ।

२९. कर जाँच समिति ने भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन दिया ।

अक्तूबर

१. फिल्म डिवीजन की समाचार चित्रावली के आवश्यक प्रदर्शन सम्बन्धी सरकारी आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया ।

२. सूचना तथा प्रसार मंत्री ने रेडियो मास का उद्घाटन किया ।

४. भारत और पाकिस्तान के विवादों के शान्तिपूर्ण निबटारे के लिये प्रधान मंत्री ने फिर अपनी अभिलाषा प्रकट की ।

६. श्रीलंका स्थित भारतीय उद्भव वाले व्यक्तियों के भविष्य के विषय में भारतीय प्रधान मंत्री के साथ वार्तालाप करने के लिये सर जान कोटलेवाला भारत आये ।

७. बम्बई से १० मील दूर कुर्ला नामक स्थान पर प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय श्रम संस्थान की आधार शिला रखी ।

१०. श्रीलंका स्थित भारतीय उद्भव वाले व्यक्तियों की समस्या के सम्बन्ध में भारत और श्रीलंका ने समझौते पर हस्ताक्षर किये ।

१२. श्री जवाहर लाल नेहरू ने काग्रेस के अध्यक्ष पद के लिये खड़ा न होने का निश्चय प्रकट किया ।

१३. विश्व बैंक के उपाध्यक्ष मि० राबर्ट एल० गार्नेट ने एक वक्तव्य दिया कि भारत द्वारा एकतरफा कार्यवाही करके पाकिस्तान को नहरों को जाने वाले पानी को नहीं रोका गया ।

१४. भारत और चीन में द्विवर्षीय व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये ।

—अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन ने मांग की कि प्रेस आयोग के सम्मुख दी गई साक्षियों को प्रकाशित किया जाये ।

१८. भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों की नगरपालिकाओं के सदस्यों तथा धारा सभा के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में मत दिया ।

१९. प्रधान मंत्री ने चीनी गणराज्य के अध्यक्ष माओ त्से तुंग के साथ पेकिंग में भेंट की ।

२०. एशिया में शान्ति स्थापित रखने के लिये किये जाने वाले भारत के प्रयत्नों में चीन के प्रधान मंत्री चाउ एन लाई ने सहायता का वचन दिया ।

२१. फ्रांस और भारत की सरकारों ने पाण्डिचेरी, कराइकल, माही और यनाम के भारत को कार्यरूपेण हस्तांतरित किये जाने के समझौते पर हस्ताक्षर किये ।

२३. नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की पहली बैठक हुई ।

२५. नई दिल्ली में श्री रफी अहमद किदवई का देहावसान हो गया ।

२७. अमृतसर और लाहौर के मध्य रेल यातायात फिर से स्थापित हुआ ।

३०. चीन की १२ दिन की ऐतिहासिक यात्रा के पश्चात् प्रधान मंत्री ने कैण्टन से प्रस्थान किया ।

नवम्बर

१. पाण्डिचेरी, कराइकल, माही और यनाम की फ्रांसीसी बस्तियों का कार्यरूपेण भारत के साथ विलय सम्पन्न हुआ ।

३. संयुक्त राष्ट्रों के प्रौद्योगिक सहायता प्रोग्राम के अन्तर्गत भारत को मिलने वाली रूसी प्रौद्योगिक सहायता का केन्द्रीय व्यापार तथा उद्योग मंत्री ने स्वागत किया ।

४. ३१ जनवरी १९५५ को लन्दन में होने वाले राष्ट्र मंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिये प्रधान मंत्री सहमत हो गये ।

—प्रधान मंत्री ने दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्था की आधारशिला रखी ।

५. अपनी चीन यात्रा समाप्त करके प्रधान मंत्री नई दिल्ली लौट आये ।

६. आन्ध्र में प्रकाशम् मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया ।

११. प्रधान मंत्री ने १९४८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव पर पुनर्विचार किये जाने की इच्छा व्यक्त की ।

—केन्द्रीय वित्त मंत्री ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कुल खर्च का अनुमान ५,५०० करोड़ रुपये लगाया और जिस में से ३,००० करोड रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिये निर्धारित किये जायेंगे ।

१३. नई दिल्ली में एक सम्वाददाता सम्मेलन में बोलते हुये प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के साथ सब मुख्य प्रश्नों पर सीधी बातचीत का स्वागत किया ।

१९. केन्द्रीय उत्पादन मंत्री ने ट्राम्बे स्थित स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल रिफाइनरी का उद्-घाटन किया ।

—पुनर्निर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने बम्बई में एक थर्मल इलैक्ट्रिक प्लांट के लिये १,६२,००,००० डालर का कर्ज देने की घोषणा की ।

२१. श्रीप्रकाशम कांग्रेस में सम्मिलित हुए ।

२५. भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के संचालकों के समक्ष भाषण देते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि यहाँ किया जाने वाला कार्य 'भारतीय जीवन के सजीव प्रवाह' से सम्बद्ध होना चाहिए।

२७. आचार्य कृपालानी ने प्रजा समाजवादी दल की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया।

२८. बिहार के मुख्य मंत्री ने २.५ करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सिन्द्री के ६० भट्टी वाले कोक प्लान्ट का उद्घाटन किया।

—आचार्य नरेन्द्र देव प्रजा समाजवादी दल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

दिसम्बर

२. मद्रास विधान सभा की तमिलनाड टॉयलर्स पार्टी और कामनवल्थ पार्टी ने कांग्रेस में सम्मलित होने का निर्णय किया।

३. वर्तमान कानूनो को सरल बनाने के लिये भारत सरकार ने एक विधि आयोग की स्थापना का निश्चय किया।

५. बम्बई में श्री गिरजाशंकर बाजपेयी की मृत्यु हो गयी।

—तमिलनाड के सिद्ध उपन्यासकार श्री आर० कृष्णमूर्ति की मद्रास में मृत्यु हुई।

६. स्वराष्ट्र मंत्री ने फरवरी १९५५ में आन्ध्र में आम चुनाव करने विषयक सरकारी निर्णय को दोहराया।

१०. सौराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री यू० एन० ढेबर अगले दो वर्ष के लिये कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिये गये।

११. सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री पतंजलि शास्त्री ने संविधान में बार-बार संशोधन करने के खतरे की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

—डा० सम्पूर्णानन्द सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की कांग्रेस पार्टी के नेता चुन लिये गये।

१२. तिरुवांकुर-कोचीन के विधान सभाई कांग्रेस दल ने राज्य के प्रजा समाजवादी दल के मंत्रिमंडल को दी जाने वाली सामान्य सहायता को वापिस लेने का निर्णय किया।

१५. लखनऊ मे श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई।

१७. युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो दिल्ली पहुँचे।

१८. अध्यक्ष के प्रति उपस्थित किये गये अविश्वास प्रस्ताव को लोक सभा ने ठुकरा दिया।

—उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पद से श्री गोविन्द बल्लभ पन्त ने त्यागपत्र दिया।

२०. संविधान में संशोधन करने के लिये लोक सभा में एक विधेयक उपस्थित किया गया।

२३. श्री बी० के० मुकर्जी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल लिया।

—युगोस्लाविया के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री ने फिर इस बात की पुष्टि की कि इस अणु युग में सभ्यता की रक्षा देशों के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व पर ही निर्भर है।

२४. आन्ध्र की कांग्रेस, कृषक लोक प्रजा तथा समाजवादी पार्टी ने एक संयुक्त चुनाव घोषणा पत्र जारी किया।

२८. उत्तर प्रदेश में सम्पर्णानन्द मंत्रिमण्डल ने कार्यभार सम्भाल लिया।

छत्तीसवाँ अध्याय

सामान्य जानकारी

अग्रिमता का वारण्ट

(मई १९५४)

१. भारत के राष्ट्रपति

२. भारत के प्रधानमंत्री

३. राज्यपाल, राजस्थान के महाराजप्रमुख और राजप्रमुख अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्दर

३क. भारत के उप-राष्ट्रपति

४. भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व गवर्नर-जनरल

४क. अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर उप-राज्यपाल

५. अपने राज्यों में १७ तोपों या उस से अधिक की सलामी प्राप्त करने वाले भारतीय राज्यों के नरेश

६. भारत मे विदेशी राजदूत
भारत में राष्ट्रमंडलीय सरकारों के हाई कमिश्नर

७. भारत के प्रमुख न्यायाधीश
लोक-सभा के अध्यक्ष

८. अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर राज्यपाल, राजस्थान के महाराजप्रमुख और राज-प्रमुख

९. भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री

९क. अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर उप-राज्यपाल

१०. अपने राज्यों से बाहर १७ या उस से अधिक तोपों की सलामी प्राप्त करने वाले भारतीय राज्यों के नरेश

११. अपने-अपने राज्यों में 'क' और 'ख' भाग के राज्यों के मुख्य मंत्री

११क. केन्द्रीय मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री (मंत्रिमडल के सदस्यों के अतिरिक्त)

१२. १३ या १५ तोपों की सलामी प्राप्त करने वाले भारतीय राज्यों के नरेश

१३. पूर्णाधिकारापन्न मंत्री और एन्वाय एक्स्ट्राआर्डिनरी

१४. 'ग' भाग के मुख्य आयुक्त, जिन के मंत्रिमंडल उन के अधिकार-क्षेत्र के अन्दर हैं

१४क. अपने-अपने राज्यों में 'ग' भाग के राज्यों के मुख्यमंत्री

१४ख. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

१५. भारत के राजदूत और दौरे पर गये हुए राजदूत
भारत के दौरे पर आये हुए विदेशी राजदूत

दौरे पर आये हुए भारत के हाई कमिश्नर और भारत के दौरे पर आये हुए अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों के हाई कमिश्नर

१६. शा० दाफेयर्स और 'ए-पीड' एवं 'एड् इंटरिम' स्थानापन्न हाई कमिश्नर

१७. चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ और प्रधान सेनाध्यक्ष, बशर्ते कि उन्हें पूरे जनरल या उसके बराबर का ओहदा प्राप्त हो

१८. अपने-अपने राज्यों के बाहर भाग 'क' राज्यों के मुख्य मंत्री
अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्री
केन्द्रीय सरकार के उपमंत्री
भारत के अटर्नी-जनरल
भारत के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल
राज्य सभा के उपाध्यक्ष
लोक-सभा के उपाध्यक्ष

१९. उच्च न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश
'क' और 'ख' भाग के राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष
'क' और 'ख' भाग के राज्यों के विधान-मण्डलों के अध्यक्ष

२०. चीफ-ऑफ़-स्टाफ़ और प्रधान सेनाध्यक्ष, बशर्ते कि उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल या उस के बराबर का ओहदा प्राप्त हो

२१. ११ या ९ तोपों की सलामी प्राप्त करने वाले भारतीय नरेश

२२. 'क' और 'ख' भाग के राज्यों के मंत्री

२३. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
प्रधान चुनाव आयुक्त

२४. उच्च-न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश

२५. भाग 'क' राज्यों के उप-मंत्री

२६. लोक-सभा के सदस्य

२७. पूरे जनरल के ओहदे प्राप्त अफसर या उस के बराबर के ओहदे वाले अफसर
राष्ट्रपति के सचिव
भारत सरकार के सचिव और
प्रधान मंत्री के मुख्य निजी सचिव
अनुसूचित जातियों और जन जातियों के कमिश्नर
पुनर्वास सम्बन्धी मामलों के परामर्शदाता
स्थानापन्न चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ और प्रधान-सेनापति, जिनको मेजर-जनरल या उसके बराबर का ओहदा प्राप्त हो
'ग' भाग के चीफ़ कमिश्नर जिन के मंत्रिमण्डल उनके अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं
बाहर से आगत भारत के पूर्णाधिकार प्राप्त मंत्री और भारत आये हुए पूर्णाधिकार प्राप्त विदेशी मंत्री
रेलवे-बोर्ड के अध्यक्ष

रेलवे वित्त-आयुक्त
भारत के सॉलिसिटर जनरल
सिक्किम स्थित भारतीय राजनीतिक पदाधिकारी

२७क. अपने-अपने राज्यों के बाहर 'ग' भाग के मुख्य मंत्री

२७ख. अपन-अपने राज्यों के बाहर 'ग' भाग के राज्यों के विधान मंडलों के अध्यक्ष

२७ग. अपने-अपने राज्यों के अन्दर और बाहर 'ग' भाग के राज्यों के मंत्री

२८. रेलवे बोर्ड के सदस्य
राष्ट्रमंडलीय और विदेशी मिशनों के मंत्री, जो पूर्णाधिकार प्राप्त नहीं हैं
लेफ्टिनेन्ट-जनरल के ओहदे के या उस के समान ओहदा रखने वाले अफसर

२९. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ, त्रिपुरा और मणिपुर के मुख्य आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में ;
भारतीय सरकार के अतिरिक्त सचिव
भारतीय तटकर आयोग के अध्यक्ष
केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अध्यक्ष
भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के उप-प्रधान
वित्त मंत्रालय (सुरक्षा) के वित्तीय परामर्शदाता
केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष
*सशस्त्र-सेना के मेजर-जनरल या उस के बराबर का ओहदा रखने वाले पी० एस० ओ०

३०. राज्यों के लोक सेवा आयोग के प्रधान
'क' भाग के राज्य सरकारों के प्रधान सचिव
वित्तीय आयुक्त
केन्द्रीय लोकसेवा आयोग के सदस्य
भारतीय जल-सेना के स्क्वाड्रन के रीयर-एड्मिरल
राजस्व बोर्डों के सदस्य

३१. स्वास्थ्य सेवाओं के प्रधान संचालक
डाक-तार के प्रधान संचालक
गुप्तचर-विभाग के संचालक
रेलवे के जनरल मैनेजर
भारत सरकार के इस्टेब्लिशमेंट अफसर
भारत सरकार के संयुक्तसचिव (मन्त्रि-मण्डल के संयुक्त सचिव भी शामिल हैं)

---

*यदि एक पी० एस० ओ० को लेफ्टिनेन्ट-जनरल का ओहदा प्राप्त है, तो उस की अग्रिमता इस अनुसूची की २८वीं धारा में वर्णित "लेफ्टिनेंट-जनरल या उसी के समान ओहदा रखने वाले अफ़सरों" को प्राप्त व्यक्तियों के बराबर हो जायेगी।

मेजर-जनरल या उस के समान ओहदा रखने वाले अफसर
भारत के प्रधान सर्वेयर
भारतीय तटकर बोर्ड के सदस्य
'क' भाग के राज्यों की पुलिस के इन्स्पेक्टर-जनरल
डिवीज़नों के आयुक्त
भारत मे नागरिक वायु यात्रा के संचालक
सप्लाई और डिस्पोजल के संचालक
आर्डनेंस कारखानों के प्रधान सचालक
भारतीय जल-सेना से सम्बन्धित जल-सेना के ठहरने के बन्दरगाहों और स्थाना के कमोडोर-इन्चार्ज
हवाई कमोडोर का ओहदा रखने वाले आई० ए० एफ० के कमांडर
*समुद्री और हवाई बेड़े के सदर-मुकाम के पी० एस० ओ०, जिन्हें कमोडोर और हवाई-कमोडोर का ओहदा प्राप्त है
अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह, कच्छ, त्रिपुरा और मणिपुर के अपने अधिकारों के बाहर चीफ़-कमिश्नर
आकाशवाणी के प्रधान संचालक
राष्ट्रपति के सेना सचिव (जब तक उन को सरकारी अतिथि सत्कार संस्था के प्रधान संचालक का स्थान भ. प्राप्त है)
भारत मे राष्ट्रमंडलीय और विदेशी मिशनों के कौन्सिलर
'क' भाग राज्यों के पुलिस के इस्पेक्टर जनरल
डिवीज़नो के कमिश्नर

नोट १. अग्रिमता के प्राह्वान का नियम राज्यों के सरकारी समारोहो के अवसरों के लिये ही है। अन्य अनौपचारिक अवसरो पर उन का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता नही है।

नोट २. यह वारन्ट भारतीय राज्यो और 'ख' भाग के राज्यो के नरेशो की अग्रिमता के नियमो मे कोई अन्तर नही लायेगा और वे उन के स्थानीय रस्म-रिवाजो के अनुसार ही निर्धारित रहेंगे और नाही यह १५ अगस्त, १९४७ के ठीक पहले नरेशो के स्थानीय आपसी अग्रिमता क्रम को प्रभावित करेगा।

नोट ३. अग्रिमता की तालिका मे अफ़सर अपने प्रवेश की संख्यानुसार ही दर्जा प्राप्त करेंगे। एक संख्या मे शामिल अफसरों की एक दूसरे के मुकाबले मे अग्रिमता उन की प्रवेश तिथि के अनुसार निर्धारित होगी।

नोट ४. लोक-सभा के सब सदस्यों को एक साथ राज्य के प्रमुख समारोहों में आमंत्रित किये जाने के समय उन के बैठने का स्थान राजदूतों, भारत के प्रधान न्यायाधीशो, लोक-सभा के अध्यक्ष, राज्यपाल आदि के बाद आयेगा।

नोट ५. गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल के मुकाबले में अग्रिमता प्राप्त होगी, चाहे ३१ धारा में उस की प्रवेश-तिथि कुछ भी हो।

---

* पिछले पृष्ठ पर दी हुई पाद-टिप्पणी को देखें।

नोट ६. मेजर-जनरलों को भारतीय-जल-सेना के कमोडोर-इन्चार्ज और भारतीय वायु-सेना के कमोडोरों के मुकाबले में अग्रिमता प्राप्त होगी, चाहे ३१ धारा में उन की प्रवेश-तिथि कुछ भी हो ।

नोट ७. 'क' भाग की राज्य-सरकारों के प्रधान सचिवों को राजस्व-बोर्ड के सदस्यों के मुकाबले में अग्रिमता प्राप्त होगी, चाहे धारा ३० में उन की प्रवेश-तिथि कुछ भी हो ।

नोट ८. अग्रिमता के वारण्ट-सम्बन्धी मामलों मे नई दिल्ली और लाल किला को दिल्ली राज्य से बाहर समझना चाहिए ।

नोट ९. जब राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव एक ही तिथि को हुआ हो तो विधान सभा के अध्यक्ष से विधान परिषदों के अध्यक्षों की अग्रिमता रहेगी ।

नोट १०. ऐसे रियासती राजाओं की अपेक्षा जिन की सलामी के तोपों की संख्या कम है उन राजाओं को अग्रिमता मिलेगी जिन की सलामी के तोपों की संख्या अधिक है । एक समान सलामी की तोपों वाले राजाओं के सम्बन्ध में अग्रिमता का क्रम उनके राज्यारोहण की तिथि के अनुसार होगा ।

उपाधियां तथा उपपद

भारतरत्न

कला, साहित्य विज्ञान की उन्नति के लिये किये गये असाधारण कार्य के लिये और सर्वोत्कृष्ट देश सेवा के लिये यह सम्मान प्रदान किया जाता है ।

इस सम्मान का सूचक एक पदक होता है जिस का आकार पीपल के पत्ते जैसा होता है । जो २$^{५}/_{११}$ इंच लम्बा और १$^{१}/_{८}$ इंच चौड़ा और $^{१}/_{८}$ इंच मोटा होता है । यह ठोस कांसे का बना होता है । इस के उपरले भाग पर सूर्य की आकृति उभरी हुई होती है जिस के नीचे हिन्दी में 'भारतरत्न' उभरे हुए अक्षरों में लिखा होता है । इस के पिछले भाग पर राज्य चिन्ह और उस के नीचे 'सत्यमेव जयते' हिन्दी में लिखा होता है । सूर्य की आकृति, राज्य चिन्ह और चारों ओर का किनारा प्लाटिनम का होता है ।

अब तक यह सम्मान निम्न व्यक्तियों को मिला है :—

१९५४ : १. श्री सी० राजगोपालाचारी, मद्रास के भूतपूर्व मुख्य मंत्री
२. डा० एस० राधाकृष्णन्, भारत के उपराष्ट्रपति
३. श्री सी० वी० रमन, नोबल पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक

१९५५ : १. डा० भगवानदास, बनारस के सुप्रसिद्ध दार्शनिक
२. श्री एम० विश्वेश्वरैया, मैसूर के इंजीनियर-राजनीतिज्ञ
३. श्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधान मंत्री ।

पद्मविभूषण

यह सम्मान असामान्य और विशिष्ट सेवा के लिये जिस में सरकारी सेवा भी सम्मिलित है दिया जाता है ।

इस सम्मान का सूचक पदक आकार में गोल होता है जिस पर एक ज्यामितिक आकार ऊपर उभरा हुआ होता है । इस के बहुलाकार भाग का व्यास १ $^{१}/_{४}$ इंच होता है और मोटाई १ इंच का $^{१}/_{८}$ भाग । ऊपर के भाग पर गोल हिस्से में कमल का फूल उभरा हुआ होता है ।

फूल के ऊपर 'पद्म' और 'नीचे 'विभूषण' उभरे हुए होते हैं। पिछली ओर राज्य चिन्ह और उद्देश्य वाक्य लिखा होता है। यह भी ठोस काँसे का बना होता है। इसका घेरा, किनारे और पदक के नाम के अतिरिक्त उभरा हुआ भाग 'श्वेत स्वर्ण' के होते हैं और नाम के अक्षर चांदी के होते हैं।

इस सम्मान के प्राप्तकर्ता :—

१९५४ : १. श्री बी० जी० खेर, लन्दन में भारत के भूतपूर्व उच्च आयुक्त
२. श्री वी० के० कृष्ण मेनन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि
३. एम० नन्दलाल बोस, सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार
४. सत्येन्द्रनाथ बोस, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक
५. ज़ाकिर हुसैन, शिक्षातत्त्ववेत्ता

१९५५ : १. धोंदो केशव कर्वे, सामाजिक कार्यकर्ता, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी, पूना।
२. जहाँगीर रतनजी दादाभाई टाटा, बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति

पद्म भूषण

किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिये, जिस में सरकारी सेवा भी शामिल है, यह सम्मान दिया जाता है।

इस का डिज़ाइन 'पद्मविभूषण' के पदक जैसा ही है; अन्तर केवल इतना है कि पिछली ओर शब्द कमल के पुष्प के नीचे और भूषण के ऊपर उभरा होता है। इस के अतिरिक्त इस का घेरा, किनारे और दोनों ओर का उभरा हुआ भाग स्टैंडर्ड सोने का होता है किन्तु पदक का नाम गिल्ट सोने का होता है।

सम्मान प्राप्तिकर्ताओं के नाम :

१९५४ : १. पी० एस० राव, पेप्सू के राजप्रमुख के भूतपूर्व सलाहकार
२. सुकुमार सेन, सूडान के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष
३. के० एस० थिमय्या, (ले० जनरल), कोरिया में तटस्थ राष्ट्रों के युद्ध-बन्दी वापसी आयोग के अध्यक्ष तथा भारत के भूतपूर्व प्रतिनिधि।
४. होमी जहाँगीर भाभा, अध्यक्ष, अणुशक्ति आयोग
५. शान्तिस्वरूप भटनागर, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव
६. जी० महादेव गणपति अय्यर, विकास आयुक्त, कण्डला पोर्ट योजना
७. ज्ञान चन्द्र घोष, उपकुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय
८. मैथिलीशरण गप्त, संसद् सदस्य, हिन्दी के कवि, झाँसी
९. राधाकृष्ण गुप्त, भाखड़ा नंगल योजना के मुख्य इंजीनियर
१०. रघुनाथ राय हाण्डा, भाखड़ा नहरों के मुख्य इंजीनियर
११. अमरनाथ झा, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
१२. अयोध्यानाथ खोसला, केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष।

१३. के० एस० कृष्णन्, संचालक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली
१४. हुसेन अहमद मदनी, मदरसल उल उलेमा के प्रिंसिपल, देवबन्द, यू० पी०
१५. जोश मलीहाबादी, उर्दू के कवि, दिल्ली
१६. वैकुण्ठलाल लल्लूभाई मेहता, अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष
१७. वी० नारायण मैनन, मलयालम के कवि
१८. ए० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार, उपकुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय
१९. व्याकरण नरहरि राव, भारत के अवकाश प्राप्त
२०. जामिनी राय, प्रसिद्ध कलाकार, कलकत्ता
२१. सत्यनारायण शास्त्री, आयुर्वेदिक चिकित्सक
२२. श्रीमती एम० एस० सुब्बलक्ष्मी, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञा, मद्रास

१९५५ : १. सुनीतिकुमार चटर्जी, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान परिषद्
२. पी० के० परीजा, सहायक कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय
३. फतेहचन्द बधवार, भूतपूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
४. सुन्दरदास खुंगर, जनरल मैनेजर, भाखड़ा बाँध योजना
५. ए० रंगस्वामी वेंकट आचार्य, सलाहकार, दामोदर घाटी निगम
६. ललितमोहन बनर्जी, सभापति, मैडिकल एजूकेशन सोसाइटी ऑफ बंगाल
७. वसन्त रामजी खनोलकर, संचालक, भारतीय नासूर शोध केन्द्र, बम्बई
८. माणेक लाल साकलचन्द ठक्कर, संचालक, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर ।
९. श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय, प्रसिद्ध सामाजिक और सार्वजनिक कार्यकर्त
१०. सुरेन्द्र कुमार दे, प्रशासक सामूहिक कार्य
११. मदपति हनुमन्त राव, सामाजिक कार्यकर्ता, हैदराबाद
१२. श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, सामाजिक और सार्वजनिक कार्यकर्त

पद्म श्री

यह सम्मान भी सरकारी सेवा सहित किसी भी असामान्य सेवा के लिये प्रदान किया जाता है ।

इस का नाम उपरले भाग पर उभार लिये हुए हिन्दी में लिखा होता है । पद्म शब्द कमल के फूल के ऊपर और श्री शब्द नीचे लिखा रहता है । इस का घेरा, किनारे और दोनों ओर किया गया उभारदार काम पदक के नाम को छोड़ कर स्वच्छ (स्टेनलैस) फौलाद के होते हैं । नाम गिल्ट चांदी से लिखा जाता है । शेष सब बातों में इस का डिज़ाइन पद्म विभूषण जैसा होता है ।

इस सम्मान के प्राप्ति कर्ता :

१९५४ : १. एस० पी० पी० थोरट (मेजर जनरल) कोरिया भेजी गई भारत की संरक्षक सेना के भूतपूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग
२. श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम्, वर्धा
३. वीरभान भाटिया, गांधी स्मारक मैडिकल कालेज लखनऊ में चिकित्सा शास्त्र के प्राध्यापक
४. श्रीमती वेरिन कैप्टेन, ओरियण्ट क्लब बिल्डिंग, बम्बई
५. क्षितीशरंजन चक्रवर्ती, चीफ टैक्नोलॉजिस्ट, सिन्द्री
६. कुमारी अमला प्रवा दास, गौहाटी, आसाम
७. सुरेन्द्र कुमार दे, प्रशासक सामूहिक कार्य
८. गोविन्दलाल, कार्यकारी इंजीनियर, विस्त दोआब नहर पंजाब
९. वसन्तराम जी खनोलकर, संचालक भारतीय नासूर शोध केन्द्र, बम्बई
१०. श्रीमती अचम्मा मथाई, बम्बई
११. मथरादास, चक्षु-शल्यक्रिया विशेषज्ञ, पंजाब
१२. श्रीमती भाग मेहता
१३. अखिल चन्द्र मित्र, मुख्य इंजीनियर, सिंचाई विभाग
१४. अप्पा साहेब बाला साहेब पन्त, पूर्वी अफ्रीका में भूतपूर्व भारतीय आयुक्त
१५. शंकर पिल्लई, सम्पादक, शंकर्स वीकली, नई दिल्ली
१६. श्रीमती मृण्मयी राय, जितेन्द्रनारायण राय शिशु पालन गृह और विद्यालय की संस्थापिका, कलकत्ता
१७. खुशीराम शर्मा, अधीक्षक इंजीनियर, पंजाब
१८. एम० सोमप्पा, सदस्य, अखिल भारतीय हाथ करघा बोर्ड, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
१९. तरलोक सिंह, संयुक्त सचिव, योजना आयोग

१९५५ : १. कृष्णकान्त हाण्डीकि, भूतपूर्व उपकुलपति, गोहाटी विश्वविद्यालय
२. दिगम्बर वासुदेव नोगलेकर, संचालक, हाइड्रॉलिक शोध केन्द्र, पूना
३. हबीबुर्रहमान, आर्किटैक्ट, सी० पी० डब्ल्यू० डी०, नई दिल्ली
४. पी० वी० बैंजामिन, चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं के डायरेक्टर जनरल के टी० बी० सलाहकार
५. सिद्धनाथ कौल, चक्षु-विशेषज्ञ, दिल्ली
६. महेशप्रसाद महराय, सीतापुर चक्ष-चिकित्सालय के संस्थापक, यू० पी०
७. श्रीमती मेरी क्लबवाला जाधव, सदस्य विधान परिषद्, मद्रास
८. श्रीमती जरीना करीमभाई, बम्बई
९. श्रीमती रतन शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर
१०. लक्ष्मी नारायण साहू, लेखक, उड़ीसा
११. ओंकारनाथ ठाकुर, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ

१२. केवल सिंह चौधरी, मुख्य आयुक्त, पाण्डिचेरी
१३. माणेक जहाँगीर भीकाजी माणेक जी, कमाण्डेण्ट, हाउस गार्ड्स, बम्बई
१४. हुमायूं मिर्ज़ा, बंगनपल्ली के भूतपूर्व दीवान

कृषि पण्डित

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा कृषि पण्डित की उपाधि प्रति वर्ष उन किसानों को दी जाती है जिन्होंने भारतीय कृषि की उन्नति में असाधारण योगदान दिया हो। जिन किसानों को यह उपाधि दी गई है उन के नाम अन्य विवरण के साथ नीचे की सारणी में दिये गये हैं :—

वर्ष	नाम	फसल	उत्पादन
१९४९	गंगासरन किसान (हापुड़, यू० पी०).	आलू	५४८ मन प्रति ए०
१९५०	रतन प्रकाश (हापुड़, यू० पी०) .	"	६७९ मन प्रति ए०
१९५१	माधो कृपाल (हापुड़, यू० पी०)	"	७२६ मन ३ सेर ३ छ० प्रति ए०
१९५१	के० वैलैय्य गौण्डर (थट्टम्पट्टी, मद्रास) ।	धान .	१५० मन प्रति ए०
१९५१	पदम सिंह (श्यामपुर, यू० पी०) .	गेहूं .	५९ मन २५ सेर ११ छ० प्रति ए०
१९५२	जंगम, सी० संगय्या (अलूर, कुर्ग)	धान .	१३६ मन ५ सेर १४ छ० प्रति ए०
१९५२	जयपाल चन्द्र (बुलन्दशहर, यू० पी०).	आलू	७३५ म. २४ से. "
१९५२	गुरदेवसिंह (कलालमाजरा, पंजाब)	गेहूं .	७१ मन २३ सेर एक छ० प्र. ए.
१९५२	बलायतीराम लम्बरदार (अगवार खाजू बाजू, पंजाब)	दाल .	४६ मन २ सेर १० छ० प्रति ए०
१९५२	भीमगोण्डा दादा पटेल (तमाडल्गे, बम्बई).	ज्वार	८४ मन २३ सेर ५ छ० प्रति ए०
१९५२	वामन रामचन्द्र मराठे (अर्थे बीके०, बम्बई)	बाजरा	२९ मन ११ सेर १० छ० प्र० ए०
१९५४	रामकृष्ण सिंह (बरकतपुर, यू० पी०).	गेहूं .	६४ मन ११ सेर ७ छ० ४½ तोले प्रति एकड़ ।
१९५४	के० व्यातरंगप्पा (नीलमंगला, बंगलौर जिला) ।	आलू	६४९ मन १७ सेर १२ छ० प्रति एकड़ ।

सूचना : चावल, दाल, ज्वार, और बाजरा के उत्पादन के लिये की गई प्रतियोगिता के परिणाम अभी घोषित नहीं किये गये। १९५२-५३ के वर्ष में अखिल भारतीय रूप में कोई फसल प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई।

नोबल पुरस्कार विजेता

रवीन्द्रनाथ ठाकुर	साहित्य (१९१३)
चन्द्रशेखर वेंकट रमन . . .	भौतिक शास्त्र (१९३०)

रायल सोसाइटी के भारतीय सदस्य

१. स्व० करसेट जी
२. स्व० एस० रामानुजम्
३. स्व० जे० सी० बोस
४. श्री मेघनाद साहा
५. श्री सी० वी० रमन
६. स्व० बीरबल साहनी
७. श्री के० एस० कृष्णन्
८. स्व० शान्तिस्वरूप भटनागर
९. श्री होमी जहाँगीर भाभा
१०. श्री एस० चन्द्रशेखर
११. श्री पी० एस० महालनोबिस

भारत में प्रथम

सब से बड़ी झील	वुलर झील, कश्मीर
सब से ऊँचा शिखर	नन्दा देवी (२५,६४५ फुट)
सब से बड़ा शहर	कलकत्ता (हावड़ा को मिला कर) जनसंख्या २९,८२,३०७
सब से बड़ा झरना	गेरसोप्पा झरना (९६० फुट ऊँचा) मैसूर राज्य
सब से बड़ा राज्य	मध्य प्रदेश (१,३०,२७२ वर्ग मील)
सब से अधिक वर्षा	चेरापूंजी (४२६ इंच प्रति वर्ष)
सब से अधिक वन प्रदेश वाला राज्य	आसाम
सब से बड़ा मुहाना	सुन्दरवन मुहाना (८,००० वर्ग मील)
सब से लम्बा कैंटीलीवर स्पान पुल	हावड़ा पुल
सब से बड़ा गुहा मन्दिर	हैदराबाद में एलोरा
सब से बड़ी मस्जिद	दिल्ली की जामा मस्जिद
सब से लम्बा बरामदा	रामेश्वरम मन्दिर का बरामदा (४,००० फुट लम्बा
सब से लम्बा पुल	सोन पुल
सब से ऊँचा प्रवेशद्वार	बुलन्द दरवाजा, फतहपुर सिकरी, (१७६ फुट)
सब से ऊँची मूर्ति	गोमतेश्वर की मूर्ति (५६ फूट ऊँची) मैसूर राज्य
सब से लम्बा प्लेटफार्म	सोनपुर प्लेटफार्म
सब से लम्बी सड़क	ग्राण्ड ट्रंक रोड, (१,५०० मील)
सब से ऊँची मीनार	कुतब मीनार, दिल्ली
सब से बड़ा गुम्बद	गोल गुम्बद, बीजापुर

सब से बड़ा पशु मेला	सोनपुर मेला
सब से लम्बी नहर	नेपाल, अवध और रुहेलखण्ड में
सब से बड़ा चिड़ियाघर	अलीपुर का चिड़ियाघर, कलकत्ता
सब से बड़ा अजायबघर	इण्डिया अजायबघर, कलकत्ता
सब से अधिक जनसंख्या वाला राज्य	उत्तर प्रदेश

पर्वतीय स्थान

नाम	वे राज्य जहाँ ये स्थित है	समुद्र तल से ऊँचाई (फुट में)
१. गुलमर्ग	जम्मू और कश्मीर	८,७००
२. डलहौजी	पंजाब	७,८६७
३. उदकमंडलम्	मद्रास	७,५००
४. दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	७,१६८
५. कोडईकनाल	मद्रास	७,०००
६. शिमला	पंजाब	७,०००
७. कुनूर	मद्रास	६,७४०
८. मसूरी	उत्तर प्रदेश	६,६००
९. नैनीताल	उत्तर प्रदेश	६,३५०
१०. कसौली	पंजाब	६,२००
११. लैंसडाउन	उत्तर प्रदेश	६,०६०
१२. अल्मोड़ा	उत्तर प्रदेश	५,५००
१३. शिलङ	आसाम	४,९८०
१४. कुल्लू और काँगड़ा घाटी	पंजाब	४,७००
१५. महाबलेश्वर	बम्बई	४,५००
१६. माउंट आबू	बम्बई	४,५००
१७. पंचमढ़ी	मध्य प्रदेश	४,५००
१८. चेरापूंजी	आसाम	४,४५५
१९. कलिम्पोंग	पश्चिम बंगाल	३,९३३
२०. बंगलोर	मैसूर	३,०००
२१. माथेरान	बम्बई	२,६५०
२२. राँची	बिहार	२,१००

सबसे ऊँचे पर्वत

	(फुट)
एवरेस्ट (तिब्बत, नेपाल)	२९,०२८
के० २ गॉडविन ऑस्टिन (कश्मीर)	२८,२५०
कंचनजंघा (नेपाल, सिक्किम)	२८,१४६

	(फुट)
नंगा पर्वत (कश्मीर)	२६,६५३
ग्वाशब्राटी (कश्मीर)	२६,४७०
दिस्ताघित सर (कश्मीर)	२५,८६८
मशेरब्रम (कश्मीर)	२५,६६०
नन्दा देवी (उत्तर प्रदेश)	२५,६४५
राकापोशी (कश्मीर)	२५,५५०
कामेत (उत्तर प्रदेश)	२५,४४७
चोमो हारी (भूटान, तिब्बत)	२३,९९६
बद्रीनाथ (उत्तरप्रदेश, तिब्बत)	२३,१९०
गंगोत्री (उत्तर प्रदेश)	२१,७००
बन्दरपूंछ (पंजाब)	२०,७२०

सबसे लम्बे पुल

	(फुट)
सोनपुर	१०,०५२
गोदावरी पुल	९,०९६
महानदी पुल	६,९१२
हार्डिंग पुल	५,३८०
विलिंगडन पुल	२,६१०
हावड़ा पुल	२,१५०
गोराइ पुल	१,७४४
जुबली पुल	१,२१३
मेघना पुल	१,२१३

लखनऊ में गोमती का पुराना लोहे का पुल भारत में सबसे पुराना है ।

परिशिष्ट

(९) घटनाक्रम*

तिथि		घटना
ईसापूर्व—		
लगभग	३०००–१५००	सिन्धुघाटी सभ्यता
लगभग	२७००	कीश में प्राप्त सिन्धुघाटी-मुद्राओं की तिथि
लगभग	१४००	पश्चिमी एशिया में आर्य राजा तथा आर्य देवी-देवताएं ऋग्वेद तथा संहिताएं
	८१७	पार्श्वनाथ का जन्म (परम्परा)
	५४४	बुद्ध का निर्वाण (सिंहली परम्परा)
	५२७	महावीर का निर्वाण (परम्परा)
लगभग	५१८	सिन्धु, गाधार आदि पर ईरानियों की विजय
	३२७–३२६	भारत पर सिकन्दर का आक्रमण
लगभग	३२४	मौर्य साम्राज्य का उत्थान
लगभग	२७३–२३२	अशोक का शासन
लगभग	१५०	तक्षशिला के यूनानी राजा के राजदूत तथा विष्णु के उपासक हेलियोडोरस द्वारा बेसनगर मे गरुड़स्तम्भ की स्थापना
लगभग	११५–९०	यूनानी राजा मिनान्दर : बुद्धधर्म का संरक्षक
	५८	विक्रम सम्वत् का प्रारम्भ
लगभग	२६-२०	ऑगस्ट्स के दरबार में भारतीय राजदूत
ईस्वी—		
	६४	हान सम्राट् मिंग के अनुरोध पर चीन को बुद्ध धर्म के प्रचारकों का प्रस्थान
	७८	शक सम्वत् का प्रारम्भ, कनिष्क का राज्यारोहण
लगभग	१००	रोमन सम्राट् ट्राँजन के दरबार में भारतीय राजदूत
लगभग	१२०	गौतमीपुत्र शातकर्णी द्वारा नहपाण की पराजय
	१५०	रुद्रदामन् का जूनागढ़-वाला शिलालेख
	३२०	गुप्त वर्ष
लगभग	३६०	समुद्रगुप्त के दरबार में श्री लंका का राजदूत
लगभग	३८०-४१५	चन्द्रगुप्त द्वितीय का शासन (कालिदास के आश्रयदाता विक्रमादित्य)
	४०५-४११	गुप्त साम्राज्य में फाह्यान की यात्राएं

*दूसरे अध्याय का परिशिष्ट

४५०-४७५ . हूणों के आक्रमण

५३३ . यशोधर्मन् द्वारा हूण राजा मिहिरकुल की पराजय

६०६-६४७ . हर्षवर्धन, उत्तर भारत का राजा और हुएनत्सांग का मित्र

६०९-६४२ . पुलकेशिन द्वितीय (चालुक्य)

६३९ . तिब्बत के सर्वप्रथम बौद्ध राजा स्रोंगत्सान गम्पू द्वारा ल्हासा का शिलान्यास

६२९-६४५ . भारत में हुएनत्सांग की यात्राएं

६७५-६८५ . नालन्दा में आई० त्सिंग

७११ . मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिन्ध पर आक्रमण

७१३ . मुसलमानों का मुल्तान पर अधिकार

७३५ . भारत में पारसियों की पहली बस्ती

लगभग ७५० . गोपाल वंग गौड (बंगाल) के राजा निर्वाचित

लगभग ७५०-८०० . तिब्बत में बुद्धधर्म का प्रचार : संघरक्षित तथा पद्मसम्भव को आमन्त्रण : लामाओं का उत्कर्ष

७५३ . राष्ट्रकूट साम्राज्य का उत्कर्ष

८१५-८७७ . अमोघवर्ष, अरब जिन्हें बल्लहार के नाम से पुकारते थे

८३६-१,००० . प्रतिहार साम्राज्य : भोज महेन्द्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम आदि; कवि राजशेखर

९०७ . परान्तक प्रथम (चोल) का राज्यारोहण

१०००-१०२६ . सुलतान महमूद गजनी का आक्रमण

१०५० . अतिस श्री ज्ञान दीपंकर की तिब्बत यात्रा। तिब्बत में बुद्ध धर्म का पुनरुत्थान और सुधार

१०७०-११२२ . राजेन्द्र तृतीय तथा कुलोत्तुंग प्रथम (चोल राजा)

११५८ . विजय सेन के बाद बल्लाल सेन(बंगाल) गद्दी पर बैठा

११७०-११९४ . कन्नौज का जयचन्द्र

११७५-११९२ . गोर के मुहम्मद-बिन-साम के आक्रमण

११९२ . दिल्ली और अजमेर नरेश पृथ्वीराज चौहान की पराजय

११९०-१२९० . उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना। गुलाम वंश का शासन

१२२१ . सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण (चंगेज़ खां)

१२३१-१२३२ . कुतब-मीनार

१२८८ . कयाल में मार्को-पोलो

१२९०-१३१६ . दक्षिण भारत मे मुस्लिम राज्य का विस्तार। देवगिरि, वारंगल, डोरसमुद्र, मदुरई तथा रामेश्वरम् पर खिलजियों की चढाइयां। मेवाड़ के राणा के साथ संग्राम।

		अमीर खुसरो—कवि तथा संगीतज्ञ तथा निजामुद्दीन औलिया—मुस्लिम सन्त ।
	१३२०-१४१४ .	दिल्ली के तुगलक़ सुल्तान
	१३३४-१३४२ .	भारत में इब्न बतूता
	१३५१-१३८८ .	सिंचाई तथा सार्वजनिक कार्यों के लिये प्रसिद्ध फीरोज़ तुगलक
	१३९८ .	तैमूर का आक्रमण
	१४२० .	निकोलो कोण्टी की विजयनगर या
	१४२०-१४७० .	जैन-उल-आब्दीन, कश्मीर नरेश
	१४५१-१५२६ .	दिल्ली के लोदी सुल्तान
	१४६९ .	गुरुनानक का जन्म
लगभग	१४८६-१५३३ .	चैतन्य महाप्रभु
	१४९७-१४९८ .	वास्को-डि-गामा की प्रथम यात्रा
लगभग	१५०९-१५२७ .	मेवाड़ में राणा सागा का शासन
	१५२६ .	बाबर का आक्रमण और पानीपत में लोदियों की पराजय उत्तर भारत में मुगल शासन की स्थापना
	१५३८-१५४५ .	शेरशाह का शासन ; हुमायूं का देश-निष्कासन
	१५५५-१५५६ .	हुमायूं की वापसी और मृत्यु
	१५५६ .	अकबर का राज्याभिषेक और पानीपत में पठानों की अन्तिम पराजय
	१५५६-१६०५ .	अकबर का शासन; मुगल शक्ति का विस्तार
	१५६४ .	जजिया का उन्मूलन
	१५७१ .	फतेहपुर सीकरी की स्थापना
	१५८० .	आगरा में पहला ईसाई मिशन
	१५८२ .	अकबर द्वारा एक नये धर्म (दीन-ए-इलाही) का प्रचलन
	१५९७ .	राणा प्रताप की मृत्यु
	१६०० .	भारत और पूर्व के साथ व्यापार करने के लिये लन्दन में एक चार्टर्ड कम्पनी की स्थापना
	१६०५-१६२७ .	जहाँगीर का शासन
	१६०९ .	पुलीकाट में डच फैक्टरी
	१६१२ .	सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्टरी
	१६१५-१६१९ .	जहाँगीर के दरबार में सर थामस रो का दूत के रूप में आगमन
	१६२७-१६५७ .	शाहजहाँ का शासन
	१६२७ .	शिवाजी का जन्म
	१६३४ .	अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का फरमान
	१६३९ .	मद्रास में फोर्ट सेंट जार्ज की स्थापना

१६५७ . शाहजहाँ की बीमारी और भाइयों का युद्ध
१६५८ . औरंगज़ेब का राज्याभिषेक
१६६१ . पुर्तगाल द्वारा ब्रिटेन को बम्बई का हस्तान्तरण
१६६४ . शिवाजी द्वारा राजकीय उपाधि का उपभोग
१६६६ . आगरा के मुगल दरबार में शिवाजी का जाना, कैद होना और कैद से भागना
१६६८ . सूरत में पहली फ्रेंच फैक्टरी
१६७५ . सिखों के नवम गुरु तेग बहादुर का वध
१६७९ . जज़िया कर का दुबारा लगाया जाना
१६८० . शिवाजी की मृत्यु
१६८० . अंग्रेज़ी कम्पनियों को व्यापार की सुविधाएं प्रदान करने वाला औरंगज़ेब का फरमान
१६८६-१६८७ . बीजापुर और गोलकुण्डा राज्यों का पतन
१६९८ . अंग्रेज़ों द्वारा तीन गाँवों—सूतानटी, कालीघाट और गोविन्दपुर की ज़मींदारी प्राप्त करना : भावी कलकत्ते के केन्द्र
१७०७ . औरंगज़ेब की मृत्यु
१७१४ . बालाजी विश्वनाथ की पेशवा के रूप में नियुक्ति
१७२४ . दक्षिण में निजाम का स्वतंत्र होना
१७४२ . पांडिचेरी का गवर्नर डूप्ले
१७४४-१७४८ . प्रथम आंग्ल-फ्रेंच युद्ध
१७५०-१७५४ . अंग्रेजो और फ्रासीसियों में कर्नाटक के लिये युद्ध
१७५६-१७६३ . सात वर्षीय युद्ध : भारत मे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का युद्ध
१७५७ . प्लासी का युद्ध
१७६१ . पानीपत की तीसरी लड़ाई
१७६१ . हैदरअली का अभ्युदय
१७६५ . अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उडीसा की दीवानी की प्राप्ति
१७७० . बंगाल का अकाल
१७७४-१७८५ . वारेन हेस्टिंग्ज़—भारत के गवर्नर जनरल
१७७५ . नन्दकुमार का वध
१७८१ . चेतसिंह का सिंहासन से उतारा जाना
१७८२ . अवध की बेगमों के मामले
१७८४ . ब्रिटिश पार्लमेंट द्वारा पिट इण्डिया बिल की स्वीकृति
१७९३ . बंगाल में अंग्रेज़ों द्वारा भूमि का इस्तमरारो बन्दोबस्त
१७९४ . महादजी सिन्धिया की मृत्यु
१७९८ . अंग्रेज़ों और निज़ाम की सन्धि : पहला सहायता समझौता

१७९९	.	टीपू सुल्तान की मृत्यु : मैसूर का विभाजन
१८०१	.	अंग्रेजों द्वारा कर्नाटक को अपने राज्य में मिलाना
१८०९	.	सिखों और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की सन्धि
१८१७-१८१९	.	अन्तिम आंग्ल-मराठा युद्ध
१८२४-१८२६	.	प्रथम बर्मा युद्ध
१८२९	.	सती प्रथा पर प्रतिबन्ध
१८३३	.	राजा राममोहन राय की मृत्यु
१८३३	.	कम्पनी के अधिकार-पत्र का दुबारा २० वर्ष के लिये जारी होना और व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति
१८३५	.	शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारम्भ
१८३९	.	रणजीतसिंह की मृत्यु
१८३९-१८४२	.	आंग्ल-अफगान युद्ध
१८४३	.	अंग्रेजों द्वारा सिन्ध विजय
१८४५-१८४९	.	आंग्ल-सिख युद्ध
१८५२	.	द्वितीय आंग्ल-बर्मा युद्ध
१८५३	.	रेलों और तार के संचार-साधनों का श्रीगणेश
१८५४	.	सूती और जूट मिलों की स्थापना
१८५४	.	शिक्षा पर वुड का प्रतिवेदन
१८५६	.	अवध का विलय
१८५६	.	हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
१८५७	.	क्रान्ति
१८५८	.	कम्पनी के शासन की समाप्ति ; ताज द्वारा दश का शासन संभालना
१८७२	.	विशेष विवाह अधिनियम
१८७८-१८८०	.	द्वितीय अफ़गान युद्ध
१८८३	.	अलबर्ट बिल : यूरोपियन और भारतीयों में समानता लाने का प्रयास
१८८३-१८८५	.	स्थानीय स्वायत्त-शासन अधिनियम
१८८५	.	भारत की राष्ट्रीय काग्रेस का प्रथम अधिवेशन
१८८६	.	ऊपरी बर्मा का अंग्रेजों द्वारा अपने राज्य में मिलाया जाना
१८९९-१९०५	.	लार्ड कर्जन —भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल
१९०५	.	बंगाल का विभाजन
१९०६	.	मुस्लिम लीग की स्थापना
१९०९	.	मॉर्ले मिन्टो सुधार : प्रथक् निर्वाचक-मण्डल का प्रारम्भ
१९११	.	बंगाल के विभाजन का रद्द किया जाना
१९१४-१९१८	.	प्रथम विश्व युद्ध
१९१५	.	भारतीय सुरक्षा अधिनियम

१९१७	.	भारत के राजनीतिक भविष्य के बारे में मांटेग्यू की घोषणा
१९१९	.	मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
१९२०	.	मोहनदास करमचन्द गान्धी के हाथ में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व ; असहयोग आन्दोलन का आरम्भ
१९२०-१९२२	.	मोपला विद्रोह
१९२३	.	स्वराज्यवादियों का विधान मंडलों में प्रवेश
१९२५	.	चितरंजनदास की मृत्यु
१९२७-१९२९	.	लार्ड साइमन की अध्यक्षता में एक अनुविहित आयोग की स्थापना और भारतीयों द्वारा उस का बहिष्कार
१९२८	.	नेहरू (मोतीलाल) रिपोर्ट
१९३०-१९३४	.	सविनय अवज्ञा आन्दोलन
१९३५	.	गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट १९३५ का पास होना
१९३७	.	प्रान्तीय स्वशासन का श्रीगणेश : अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल
१९३९-४५	.	द्वितीय विश्व-युद्ध : प्रान्तों के काग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा पद-त्याग ; अंग्रेजों द्वारा अधिक सुधारों का वचन ; क्रिप्स मिशन ; सविनय अवज्ञा आन्दोलन ; युद्ध के दिनों में भारत युद्धभूमि का एक अड्डा ; बंगाल का अकाल
१९४६	.	अन्तरिम सरकार : जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधान मंत्री
१५ अगस्त १९४७	.	भारत और पाकिस्तान—दो देशों का जन्म
२६ जनवरी १९५०	.	नये संविधान का श्रीगणेश: भारत का सर्वप्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनना ।

(२) लोक सेवा आयोग*

अध्यक्ष—एन० गोविन्दराजन्

सदस्य—सी० बी० नागरकर, ए० ए० ए० फैजी, और एस० वी० कानूनगो, एस० एस० पिल्ले ।

---

*अध्याय ७ का परिशिष्ट

(३) आय-कर और सम्पदा-शुल्क*

आय-कर की दरें

(अ) (क) प्रत्येक विवाहित व्यक्ति और प्रत्येक अविभाजित हिन्दू परिवार के सम्बन्ध

	दर	अधिभार
१. कुल आय के पहले २,००० रुपये पर	–	–
२. कुल आय के अगले ३,००० रुपये पर	रुपये में ९ पाई .	पूर्ववर्ती कालम में निर्दिष्ट दर का बीसवाँ भाग
३. कुल आय के अगले २,५०० रुपये पर	रुपये में एक आना ९ पाई	,,
४. कुल आय के अगले २,५०० रुपये पर	रुपये में २ आने ३ पाई	,,
५. कुल आय के अगले ५,००० रुपये पर	रुपये में ३ आने ३ पाई	,,
६. कुल आय के शेष भाग पर .	रुपये में ४ आने .	,,

(ख) प्रत्येक अविवाहित व्यक्ति और प्रत्येक अपंजीकृत फर्म या अन्य जन-संस्था के संबंध में, यदि उन पर इस भाग के पैरा 'आ' या 'इ' लागू नही होते :

	दर	अधिभार
१. कुल आय के पहले १,००० रुपये पर .	–	–
२. कुल आय के अगले ४,००० रुपये पर	रुपये में ९ पाई .	पूर्ववर्ती कालम में निर्दिष्ट दर का बीसवाँ भाग
३. कुल आय के अगले २,५०० रुपये पर	रुपये में १ आना ९ पाई	,,
४. कुल आय के अगले २,५०० रुपये पर	रुपये में २ आने ३ पाई	,,
५. कुल आय के अगले ५,००० रुपये पर	रुपये में ३ आने ३ पाई	,,
६. कुल आय के शेष भाग पर .	रुपये में चार आने .	,,

बशर्ते कि

(१) किसी ऐसी कुल आय पर कोई आय-कर नहीं लगेगा जोकि अर्जित आय के लिये दी गई छूट को (यदि कोई हो तो) घटाने से पूर्व नीचे निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है ;

(२) किसी भी दशा में आय-कर कुल आय (अर्जित आय पर यदि कोई छूट हो तो उस के घटाने से पहले) में उक्त सीमा से अधिक रक़म के आधे भाग से अधिक न होगा ;

---

*अध्याय १२ का परिशिष्ट

(३) कुल आय में से अर्जित आय के लिये दी गई छूट घटाने के बाद कुल आय पर आय-कर निम्न राशियों से अधिक न होगा :—

(क) उतनी रक़म से जिसका कुल आय (अर्जित आय की छूट घटाने से पहले) में उक्त सीमा से अधिक रक़म के आधे भाग से वही अनुपात है जो इस प्रकार घटाई गई कुल आय का बिना घटाई गई कुल आय के साथ है, या

(ख) इस प्रकार घटाई गई आय पर यहाँ निर्दिष्ट दरों के अनुसार देय आयकर कम है।

ऊपर की व्यवस्था में उल्लिखित सीमा होगी—

(१) प्रत्येक ऐसे अविभाजित हिन्दू परिवार के सम्बन्ध में जिस में गत वर्ष के अन्त में—

(क) कम से कम दो ऐसे सदस्य थे जिन्हें बँटवारे का अधिकार था . . . . ८,४०० रुपये

(ख) कम से कम ४ ऐसे सदस्य थे जिन्हें बँटवारे का अधिकार था . . . . १२,६०० रुपये

बशर्ते कि उप-खण्ड (क) के मामले में कोई भी सदस्य और उप-खण्ड (ख) के मामले में चार सदस्यों की न्यूनतम संख्या में से कोई भी—

(क) १८ वर्ष से कम आयु का नहीं है, या

(ख) किसी अन्य सदस्य के वंशक्रम में नहीं है या किसी अन्य सदस्य के साथ कुटम्ब के किसी ऐसे जीवित सदस्य के वंशक्रम में नहीं है जिसे विभाजन का अधिकार नहीं है, और

(२) प्रत्येक अन्य मामले में . . . . ४,२०० रुपये

और बशर्ते कि

(१) किसी ऐसी कुल आय पर कोई अधिभार नहीं लगेगा जो यदि अर्जित आय की कोई छूट हो तो उसे घटाने से पहले नीचे निर्दिष्ट सीमा से अधिक नही है ;

(२) किसी भी दशा में अधिभार उस रक़म के आधे से ज्यादा न होगा जो कुल आय (यदि अर्जित आय पर कोई छूट हो तो उसे घटाने से पहले) में उक्त सीमा से ज्यादा होगी। उपर्युक्त व्यवस्था में उल्लिखित सीमा होगी—

(१) प्रत्येक अविभाजित हिन्दू परिवार के सम्बन्ध में जोकि पूर्ववर्ती व्यवस्था की शर्तों को पूरा करता है और जिस में कि गत वर्ष के अन्त में—

(क) कम से कम दो ऐसे सदस्य थे जिन्हें बँटवारे का अधिकार था . . . . १४,४०० रुपय

(ख) कम से कम चार ऐसे सदस्य थे जिन्हें बँटवारे का अधिकार था . . . २१,६०० रुपये

और (२) प्रत्येक अन्य मामले में . . . . ७,२०० रुपये

व्याख्या—इस पैरा के उद्देश्यों के लिये, मिताक्षरा कानून द्वारा नियंत्रित प्रत्येक अविभाजित हिन्दू परिवार के मामले में एक पुत्र अपने पिता अथवा दादा से सहभागी जायदाद का बँटवारे का अधिकारी समझा जायेगा, यदि कोई रिवाज इस के विरुद्ध न हो।

(आ) प्रत्येक कम्पनी के सम्बन्ध में :

	दर	अधिभार
समस्त कुल आय पर . .	रुपये में चार आने .	पूर्ववर्ती कालम में निर्दिष्ट दर का बीसवाँ भाग

बशर्ते कि एक कम्पनी के मामले में, जिस के लाभ पर ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर वाजिब है और जिसने भारत में ऐसे लाभों में से लाभांश घोषित एवं अदा करने के निर्दिष्ट प्रबन्ध कर लिये हैं और उक्त अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (३डी) के उपबन्धों के अनुसार लाभांशों से अधिकर काट लिया है —

(१) जहाँ कि कुल आय, रुपये में से सात आने और आय-कर से मुक्त रक़म (यदि कोई हो तो) काट कर, गत पूरे वर्ष या उस के किसी अंश के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के कर-निर्धारण के लिये घोषित लाभांशों (एक निश्चित दर पर अदा किये जाने वाले लाभांशों सहित) की रक़म से बढ़ जाती है और कम्पनी पर आय-कर अधिनियम की धारा २३ए के उपबन्ध लागू नहीं होते, वहाँ ऐसी अतिरिक्त रकम पर रुपये में एक आने की छूट मिलेगी।

(२) जहाँ कि खण्ड (१) में उल्लिखित लाभांशों की रक़म, कुल आय में से रुपये में सात आने और आय-कर से मुक्त रक़म (यदि कोई हो तो) काटने के बाद प्राप्त रक़म से बढ़ जाती है, वहाँ कुल आय पर उस रकम (यदि कोई हो तो) के बराबर एक अतिरिक्त आय-कर लगेगा जितनी कि अतिरिक्त लाभांशों पर रुपये में पाँच आने के हिसाब से लगाये गये आय-कर की अपेक्षा ऐसी अतिरिक्त रक़म (इस से आगे अतिरिक्त लाभांश के रूप में उल्लेख किया जायगा) पर दिये गये वास्तविक आय-कर में कमी रह जाती।

उपर्युक्त व्यवस्था के उद्देश्यों के लिये "लाभांश" शब्द का वही अर्थ होगा जोकि आय-कर अधिनियम की धारा २ के खण्ड (६ए) में दिये गये हैं, परन्तु उस व्याख्या में सम्मिलित कोई भी वितरण जो ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष पर्यन्त किया जायेगा, गत वर्ष या उस के किसी भाग के सम्बन्ध में घोषित लाभांश समझा जायेगा।

उपर्युक्त व्यवस्था के खण्ड (२) के उद्देश्यों के लिये, अतिरिक्त-लाभांश पर लगने वाले वास्तविक आय-कर की कुल रक़म का निश्चय इस प्रकार होगा—

(१) अतिरिक्त लाभांश गत वर्ष के ठीक पहले के एक या अधिक वर्षों के जितने अतिरिक्त लाभांश की रक़म पूरी करने के लिये काफ़ी हो, पूरे अवितरित लाभों या उन के एक भाग में से घोषित समझा जायेगा और जो किसी पूर्ववर्ती वर्ष के अतिरिक्त लाभांश को पूरा करने के लिये हिसाब में न लगाये गये होंगे ;

(२) उक्त वर्षों में से प्रत्येक के अवितरित लाभों में से घोषित समझे गये अतिरिक्त लाभांश के भाग पर कर लगा समझा जायेगा—

(क) यदि उस वर्ष के अवितरित लाभों के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम की धारा २३ए की उपधारा (१) के अन्तर्गत रुपये में पाँच आने की दर की आज्ञा जारी कर दी गई है, और

(ख) किसी अन्य वर्ष के सम्बन्ध में, उस वर्ष कम्पनी की कुल आय की प्रयोज्य दर में से अवितरित लाभों पर दी गई छूट (यदि कोई हो तो) घटा कर।

(इ) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में ऐसे मामलों में जहाँ आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम दर पर आय-कर लगना है—

	दर	अधिभार
समस्त कुल आय पर . .	रुपये मे ४ आने .	पूर्ववर्ती कालम में निर्दिष्ट दर का बीसवाँ भाग

अधि-कर की दरें

(अ) प्रत्येक व्यक्ति, अविभाजित हिन्दू परिवार, गैर-पंजीकृत फर्म और जन-संस्थाओं के सम्बन्ध में, यदि वह ऐसा मामला नही है जिस पर इस 'भाग' का कोई अन्य पैरा लागू होता है—

	दर	अधिभार
१. कुल आय के प्रथम २०,००० रुपये पर	—	—
२. कुल आय के अगले ५,००० रुपये पर	रुपये में १ आना .	पूर्ववर्ती कालम में निर्दिष्ट दर का बीसवाँ भाग
३. कुल आय के अगले १५,००० रुपये पर	रुपये में ३ आने .	,,
४. कुल आय के अगले १०,००० रुपये पर	रुपये में ५ आने .	,,
५. कुल आय के अगले १०,००० रुपये पर	रुपये में ६ आने .	,,
६. कुल आय के अगले २०,००० रुपये पर	रुपये में ७ आने .	,,
७. कुल आय के अगले २०,००० रुपये पर	रुपये में ८ आने .	,,
८. कुल आय के अगले ५०,००० रुपये पर	रुपये में ९ आने .	,,
९. कुल आय के शेष भाग पर .	रुपये में ९$^{1}/_{2}$ आने .	,,

(आ) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में—

	दर	अधिभार
समस्त कुल आय पर . .	रुपये में २$^{1}/_{2}$ आने .	रुपये में ३ पाई

(इ) एक जन-संस्था के मामले में जोकि आय-कर अधिनियम की धारा २ के खण्ड (५बी) में परिभाषित सहकारी समिति (बम्बई राज्य में सनिकट्टा साल्ट ग्रोनर्ज सोसाइटी के अतिरिक्त) के रूप में है—

	दर	अधिभार
१. कुल आय के प्रथम २५,००० रुपये पर	—	—
२. कुल आय के शेष भाग पर	रुपये में ढाई आने	रुपये मे ३ पाई

(ई) प्रत्येक कम्पनी के सम्बन्ध में—

	दर
समस्त कुल आय पर	रुपये में ४ आने ९ पाई

बशर्ते कि—

(१) किसी भी कम्पनी को कुल आय पर रुपये मे ३ आने की छूट दी जायेगी—

(क) जिस ने कि ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिये आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लगने वाले अपने लाभो के सम्बन्ध मे ऐसे लाभों में से भारत में अदा किये जाने वाले लाभांशों की घोषणा और अदायगी के लिये और उक्त अधिनियम की धारा १९ की उप-धारा (३ डी) के उपबन्धों के अनुसार लाभांशों में से अधि-कर काटने के निर्दिष्ट प्रबन्ध कर लिये ह, और

(ख) जोकि एक सार्वजनिक कम्पनी है जिस की कुल आय २५,००० रुपये से ज्यादा नही है ।

(२) किसी भी ऐसी कम्पनी को जो पूर्ववर्ती खण्ड (क) की शर्त को पूरा करती है और (ख) की शर्त को नही—कुल आय पर रुपये मे २ आने की छूट मिलेगी, और

(३) किसी भी कम्पनी को कुल आय के ऐसे भाग पर जो किसी सहायक भारतीय कम्पनी के लाभांशों के रूप में प्राप्त हुआ है रुपये मे १½ आने की छूट मिलेगी और कुल आय मे सम्मिलित किसी भी आय पर रुपये में ६ पाई की छूट मिलेगी यदि वह किसी भी पूर्ववर्ती खण्ड के अन्तर्गत छूट पाने की अधिकारी नही है, और

(क) एक सार्वजनिक कम्पनी है, या

(ख) ऐसी कम्पनी है जिसके सभी हिस्से गत वर्ष के अन्त में एक या अधिक सार्वजनिक कम्पनियों के स्वामित्व मे थे ।

और बशर्ते कि जिस कम्पनी की कुल आय २५,००० रुपये से अधिक है और उसके द्वारा अदा किये जाने वाला अधि-कर इन रकमों के जोड़ से अधिक न होगा —

(क) कम्पनी द्वारा अदा किये जाने वाले अधि-कर की रकम से यदि कम्पनी की कुल आय २५,००० रुपये होती, और

(ख) कम्पनी की कुल आय के २५,००० रुपये से अधिक भाग की आधी रकम से ।

व्याख्या—इस भाग के इस पैरा के उद्देश्यों के लिये एक कम्पनी सार्वजनिक कम्पनी तभी समझी जायेगी जबकि इस मे जनता का आय-कर अधिनियम की धारा २३ए की व्याख्या में के अर्थों में काफ़ी हित निहित हो ।

सम्पदा शुल्क की दर

भाग १

ऐसी जायदाद के सम्बन्ध में जोकि मिताक्षरा, मरुमकतायम या अलियसन्तान कानूनों द्वारा नियंत्रित किसी हिन्दू परिवार की संयुक्त परिवार जायदाद में से है—

	शुल्क की दर
(१) जायदाद के मुख्य मूल्य के पहले ५०,००० रुपये पर .	—
(२) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले ५०,००० रुपये पर .	५ प्रतिशत
(३) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले ५०,००० रुपये पर .	७½ प्रतिशत
(४) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले ५०,००० रुपये पर .	१० प्रतिशत
(५) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले १,००,००० रुपये पर .	१२½ प्रतिशत
(६) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले २,००,००० रुपये पर .	१५ प्रतिशत
(७) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले ५,००,००० रुपये पर .	२० प्रतिशत
(८) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले १०,००,००० रुपये पर .	२५ प्रतिशत
(९) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले १०,००,००० रुपये पर .	३० प्रतिशत
(१०) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले २०,००,००० रुपये पर .	३५ प्रतिशत
(११) जायदाद के मुख्य मूल्य के शेष भाग पर . .	४० प्रतिशत

भाग २

किसी अन्य प्रकार की जायदाद के सम्बन्ध में :

	शुल्क की दर
(१) जायदाद के मुख्य मूल्य के प्रथम १,००,००० रुपये पर .	—
(२) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले ५०,००० रुपये पर .	७½ प्रतिशत
(३) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले ५०,००० रुपये पर .	१० प्रतिशत
(४) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले १,००,००० रुपये पर .	१२½ प्रतिशत
(५) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले २,००,००० रुपये पर .	१५ प्रतिशत
(६) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले ५,००,००० रुपये पर .	२० प्रतिशत
(७) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले १०,००,००० रुपये पर .	२५ प्रतिशत
(८) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले १०,००,००० रुपये पर .	३० प्रतिशत
(९) जायदाद के मुख्य मूल्य के अगले २०,००,००० रुपये पर .	३५ प्रतिशत
(१०) जायदाद के मुख्य मूल्य के शेष भाग पर . .	४० प्रतिशत

भाग ३

एक मृत सदस्य के ऐसी कम्पनी के हिस्सों के सम्बन्ध में जो भारत से बाहर संस्थापित हो परन्तु वह व्यक्ति भारतीय आय-कर के लिये पूर्ववर्ती कर-निर्धारण से ठीक पहले के ३ पूर्ण कर-निर्धारणों में से दो में भारतीय अधिवासी माना जाता रहा हो—

	शुल्क की दर
(१) यदि हिस्सों का मुख्य मूल्य ५,००० रुपये से अधिक नहीं है .	—
(२) यदि मुख्य मल्य ५,००० रुपये से अधिक है . .	७½ प्रतिशत

(४) डाक की चालू दरें*

देश के अन्दर के पत्र

एक तोले से अधिक नहीं	२ आने
प्रत्येक अतिरिक्त तोला या उसके भग्नांश के लिये	१ आना

पोस्ट कार्ड

(१) स्थानीय	
(क) एक	६ पाई
(ख) जवाबी	१ आना
(२) साधारण	
(क) एक	९ पाई
(ख) जवाबी	१ आना ६ पाई
(३) अन्तर्देशीय पत्र	१ आना ६ पाई

पुस्तक पैटर्न या नमूने के पैकेट

५ तोले तक	१ आना
प्रति अतिरिक्त २½ तोला या उस के भग्नांश के लिये	६ पाई
अधिक से अधिक वजन जो भेजा जा सकता है	२०० तोला

समाचार-पत्र : देश के अन्दर की दर

१० तोले से अधिक नही	३ पाई
१० तोले से ऊपर या २० तोले तक	६ पाई
दो औंस की प्रति इकाई या उस के भग्नांश के लिये	३ पाई
प्रति दस तोल या उस के भग्नांश के लिये	६ पाई

पार्सल

४० तोले से अधिक नहीं	८ आने
प्रत्येक अतिरिक्त ४० तोले या उस के भग्नांश के लिये	८ आने
अधिक से अधिक वजन जो भेजा जा सकता है	१,००० तोला या १२½ सेर

४४० तोले से अधिक के पार्सलों की रजिस्ट्री अनिवार्य है।

रजिस्ट्री

रजिस्ट्री की फीस	६ आने प्रति अदद

बीमा

१०० रुपये के मूल्य तक की वस्तु के लिये बीमा की फीस	६ आने
प्रति अतिरिक्त १०० रुपये के बीमा मूल्य के लिये	३ आने
अधिक से अधिक बीमा कितने का हो सकता है	५,००० रुपये

बुवाई डाक

पत्रों, पोस्ट कार्डों और अन्तर्देशीय पत्रों के लिये कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।

पैकेटों के लिये प्रति तोला ६ पाई के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क लगता है।

---

*अध्याय २१ का परिशिष्ट

आन्तरिक हवाई पार्सलों के लिये प्रति २० तोला या उस के भग्नांशों के लिये १० आने लगते हैं।

विदेशी डाक

१ पत्र

एक औंस से अधिक नहीं	४ आना
प्रति अतिरिक्त औंस या भग्नांश के लिये . .	२ आने ६ पाई

२. पोस्टकार्ड

एक	२ आने ६ पाई
जवाबी	५ आने
छपे हुए कागज प्रति २ औंस या उस के भग्नांश के लिये .	१ आना

३. व्यापार सम्बन्धी कागजात

८ औंस से अधिक नही	४ आने
प्रति अतिरिक्त २ औंस या उस के भग्नांश के लिये .	१ आना

४. नमूने के पैकेट

८ औंस से अधिक नही	२ आने
प्रति अतिरिक्त २ औंस या उस के भग्नाश के लिये .	१ आना

हवाई शुल्क : विदेशी

	पत्र (प्रति आधा औंस या उसका अंश)	पोस्टकार्ड	हवाई पत्र
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
अफगानिस्तान . . .	० ६ ०	० ४ ०	० ५ ०
बर्मा	० ६ ०	० ४ ०	० ५ ०
चीन	० १० ०	० ६ ०	० ८ ०

	पत्र (प्रति आधा औंस या उसका अंश)			पोस्ट कार्ड			हवाई पत्र		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
हिन्द-चीन	०	१०	०	०	६	०	०	८	०
इण्डोनीशिया	०	१०	०	०	६	०	०	८	०
ईरान, ईराक, इजराइल	०	१०	०	०	६	०	०	८	०
जापान, कोरिया, मलय	०	१०	०	०	६	०	०	८	०
मिस्र, तुर्की	०	१०	०	०	६	०	०	८	०
आस्ट्रिया	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
डेनमार्क	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
फ्रांस	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
जिब्राल्टर	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
ग्रेट ब्रिटेन	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
ग्रीस	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
नार्वे	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
पोलैंड	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
स्विट्ज़रलैण्ड	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
सोवियत यूनियन	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
इथियोपिया	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
केनिया	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
लिबिया	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
सूडान	०	१४	०	०	६	०	०	८	०
आस्ट्रेलिया	१	२	०	०	८	०	०	१०	०
न्यूज़ीलैण्ड	१	२	०	०	८	०	०	१०	०
गोल्ड कोस्ट	१	२	०	०	८	०	०	१०	०
मॉरीशस	१	२	०	०	८	०	०	१०	०
दक्षिण-पश्चिमी अफ़्रीका	१	२	०	०	८	०	०	१०	०
दक्षिण-अफ़्रीका यूनियन	१	२	०	०	८	०	०	१०	०
बरमूडा	१	८	०	०	१०	०	०	१२	०
कनाडा	१	८	०	०	१०	०	०	१२	०
क्यूबा	१	८	०	०	१०	०	०	१२	०
मेक्सिको	१	८	०	०	१०	०	०	१२	०
अमेरिका	१	८	०	०	१०	०	०	१२	०
ब्रिटिश गयाना	१	८	०	०	१०	०	०	१२	०
कोलम्बिया	१	८	०	०	१०	०	०	१२	०
पेरू	१	८	०	०	१०	०	०	१२	०
वेनेज्युएला	१	८	०	०	१०	०	०	१२	०

पुस्तकों, नमूने के पैकेटों तथा पैटर्न्स को द्वितीय श्रेणी के हवाई डाक से लंका, पाकिस्तान और पुर्तगाली भारत भेजने के लिये साधारण अन्तर्देशीय डाक-महसूल के अतिरिक्त डेढ़ आना प्रति तोला वायु-अधिभार भी लिया जायेगा ।

हवाई पार्सल

हवाई पार्सल	प्रथम पौंड के लिये डाक-महसूल (जिसमें वायु-शुल्क भी शामिल है)	उस के बाद प्रति ४ औंस या उस के अंशों के लिये डाक महसूल (जिस में वायु शुल्क भी शामिल है)
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
अफगानिस्तान . .	५ ८ ०	० ११ ०
आस्ट्रेलिया . .	१० ८ ०	२ ५ ०
लंका . . .	२ ० ०	
	(प्रति पौंड तथा उस के अंश के लिये)	
मिस्र . . .	७ १२ ०	१ २ ०
फ्रांस . . .	११ ० ०	१ १४ ०
इंग्लैंड . . .	९ १२ ०	१ १४ ०
स्विट्ज़रलैण्ड . .	९ ८ ०	१ १२ ०
अमेरिका . .	१५ ८ ०	३ ८ ०

विविध

मनीआर्डर

५ रुपये तक	२ आना
५ रुपये से अधिक और १० रुपये तक . .	३ आना
१० रुपये से अधिक और १५ रुपये तक . .	४ आना
१५ रुपये से अधिक और २५ रुपये तक . .	६ आना
प्रति २५ रुपये	६ आना

तार द्वारा मनीआर्डर

तार द्वारा मनीआर्डर भेजने के लिये साधारण मनीआर्डर द्वारा भेजने में जो शुल्क लगता है उस में तार का मूल्य और २ आने का अधिभार जोड़ कर शुल्क देना होता है ।

पोस्टल आर्डर

पोस्टल आर्डर	१ आना प्रति आर्डर
एक्सप्रेस डिलीवरी	२ आना
व्यापारी जवाबी पोस्ट कार्ड व लिफाफे (वार्षिक परमिट)	१० रुपये

पोस्ट बॉक्स थैले

वार्षिक	१२ रुपये
त्रैमासिक	४ रुपये
सम्मिलित पोस्ट बॉक्स व बैग (वार्षिक) . .	१५ रुपये

सेविंग्स बैंक

यह निश्चय किया गया है कि :

(१) जमा किये जा सकने वाले धन का अधिकतम परिमाण बढ़ा कर प्रति व्यक्ति १५,००० रुपया और सम्मिलित रूप से ३०,००० रुपया कर दिया जाये;

(२) १०,००० रुपये तक की जमा रकम पर २ प्रतिशत ब्याज तथा १०,००० से अधिक की जमा रकम पर डेढ़ प्रतिशत ब्याज दिया जाये;

(३) सप्ताह में दो बार धन निकालने दिया जाये ; और

(४) बम्बई जी० पी० ओ० तथा बम्बई सर्किल के कुछ विशेष हैड पोस्टआफिसों से चेक द्वारा धन निकालने दिया जाये ।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स

बारह वर्षीय सर्टिफिकेट्स

दर्जा—५ रु०, १० रु०, ५० रु०, १०० रु०, ५०० रु०, १००० रु०, और ५,००० रु० ।

भुनाने के समय मूल्य—७ रु० ८ आ०, १५ रु०, ७५ रु०, १५० रु०, ७५० रु०, १,५०० रु० और ७,५०० रु० ।

सात वर्षीय सर्टिफिकेट्स

दर्जा—५ रु०, १० रु०, ५० रु०, १०० रु०, १,००० रु० और ५,००० रु० ।

भुनाने के समय मूल्य—६ रु० ४ आ०, १२ रु० ८ आ०, ६२ रु० ८ आ०, १२५ रु०, १,२५० रु० और ६,२५० रु० ।

पाँच वर्षीय सर्टिफिकेट्स

दर्जा—५ रु०, १० रु०, ५० रु०, १०० रु०, १,००० रु० और ५,००० रु० ।

भुनाने के समय मूल्य—५ रु० १२ आ०, ११ रु० ८ आ०, ५७ रु० ८ आ, ११५ रु०, १,१५० रु० और ५,७५० रु० ।

कोई अकेला व्यक्ति २५,००० रु० के मूल्य तक के सर्टिफिकेट ले सकता है पर किसी अन्य व्यक्ति के संग मिल कर वह संयुक्त रूप से ५०,००० रु० के मूल्य तक के सर्टिफिकेट ले सकता है । पंच और सप्तवर्षीय सर्टिफिकेट कभी भी भुनाये जा सकते है, परन्तु बारह वर्षीय सर्टिफिकेट केवल एक निर्धारित अवधि के बीत जाने पर ही भुनाये जा सकते हैं ।

पोस्टल जीवन-बीमा

१ जनवरी, १९४९ से सेना-विभाग के कर्मचारियों को पोस्टल जीवन बीमा फंड से लाभ उठाने की सुविधा दी गई । इस योजना को उन औद्योगिक कार्यों के कर्मचारियों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है जो सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं, अथवा जिन में सरकार का बड़ा भाग है ।

देशी तार

भारत, बर्मा, लंका या पाकिस्तान स्थित स्थानों को या उन स्थानों से भेजे गये तार देशी तारों के वर्ग में आते है । देशीय तारों पर निम्नलिखित दरों के अनुसार महसूल लिया जाता है :

भारत में

	एक्सप्रेस			साधारण		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
न्यूनतम शुल्क (८ शब्दों तक के लिये) . .	१	८	०	०	१२	०
८ से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द पर . .	०	२	०	०	१	०

बर्मा और पाकिस्तान के लिये

	एक्सप्रेस			साधारण		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
न्यूनतम शुल्क (८ शब्दों के लिये) . .	२	१२	०	१	६	०
८ से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द पर . .	०	४	०	०	२	०

प्रेस तार : भारत में

न्यूनतम शुल्क (५० शब्दों तक के लिये) . .	१	८	०	०	१२	०
५० से ऊपर प्रति अतिरिक्त ५ शब्दों पर . .	०	२	०	०	१	०

बधाई के तार

उत्सवों के अवसर पर बधाई के तार, भारत के किसी भी तारघर से भारत के किसी भी तार-घर को, विशेष रूप से घटाई गई दरों पर भेजे जा सकते है :

शब्दों की संख्या

(क) प्राप्त करने वाले का नाम व पता . .	४ शब्द
(ख) बधाई (एक विशेष अंक द्वारा इंगित) .	१ शब्द
(ग) भेजने वाले का नाम . . .	१ शब्द
	६ शब्द

	एक्सप्रेस			साधारण		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
इन ६ शब्दों के लिये	१	०	०	०	८	०
६ से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द के लिये .	०	२	०	०	१	०

स्थानीय तार

भारत के समस्त तार-घरों और डाक-प्राप्त करने वाले कार्यालयों में स्थानीय तार भेजने की व्यवस्था है जिस के लिये न्यूनतम शुल्क ६ आना है (८ या उस से कम शब्दों के लिये) और ८ से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द के लिये ६ पाई शुल्क देना होता है।

फ्लैश तार

प्रेस की सुविधा के लिये १५ अगस्त, १९४७ से एक नये प्रकार के तार चलाये गये जिन्हें "फ्लैश समाचार" कहा जाता है। यद्यपि इस तार के लिये उसी दर से शुल्क देना पड़ता है जो वैयक्तिक एक्सप्रेस तार के लिये है तथापि इसे उससे उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त होती है। फ्लैश तारों के लिये टेलिफोन द्वारा भेजने की भी सुविधा उपलब्ध है।

जीवन संकट तार

ये तार दुर्घटना, गम्भीर रुग्णावस्था, अथवा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर भेजे जा सकते हैं और इन पर देशीय एक्सप्रेस तारों की दर पर शुल्क लगाया जाता है। इस प्रकार के तारों को अन्य सभी अर्जेन्ट और एक्सप्रेस तारों से अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

(५) सांस्कृतिक और विद्वत् समितियाँ

१. ऑल इण्डिया ओरियण्टल कान्फ्रेन्स, पूना
२. दि आन्ध्र हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी, राजमुन्द्री
३. दि एसोसिएशन ऑफ़ इण्डियन कल्चर, कलकत्ता
४. दि भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना
५. दि बंगाल लायब्रेरी एसोसिएशन, कलकत्ता
६. दि भारत इतिहास संशोधक मण्डल, पूना
७. बिहार रिसर्च सोसाइटी, पटना
८. भारतीय विद्या भवन, बम्बई
९. बम्बई ब्राच ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई
१०. सी० पी० एण्ड बरार जैन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, यवतमाल
११. सी० पी० एण्ड बरार लायब्रेरी एसोसिएशन नागपुर
१२. दि सी० पी० रिसर्च सोसाइटी, नागपुर
१३. दकन कालेज पोस्ट-ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना
१४. एथनोग्राफिक एण्ड फोक कल्चर सोसाइटी, लखनऊ
१५. गंगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद
१६. ग्रेटर इण्डिया सोसाइटी, कलकत्ता
१७. गुजरात रिसर्च सोसाइटी, बम्बई
१८. दि हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी, इलाहाबाद
१९. इण्डियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली
२०. इण्डियन हिस्टोरिकल रिकार्ड्स कमीशन, नई दिल्ली
२१. इण्डियन हिस्ट्री काग्रेस एसोसिएशन, इलाहाबाद
२२. इण्डियन हिस्टोरिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बम्बई
२३. इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कल्चर, बंगलौर
२४. दि इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ फिलासफी, आमलनेर
२५. इण्डियन लायब्रेरी एसोसिएशन, कलकत्ता
२६. इण्डियन लायब्रेरी एसोसिएशन, दिल्ली
२७. इण्डियन फिलासोफिकल कांग्रेस, दिल्ली
२८. दि इण्डियन पोलिटिकल साइन्स एसोसिएशन, अलीगढ़
२९. इण्डियन साइकालोजिकल एसोसिएशन, कलकत्ता
३०. इण्डियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकानामिक्स, बम्बई
३१. इण्टरनेशनल अकादमी ऑफ़ इण्डियन कल्चर, नागपुर
३२. ईरान सोसाइटी, कलकत्ता

---

* अध्याय २५ का परिशिष्ट

३३. इस्लामिक रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई
३४. जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर
३५. दि के० आर० कामा ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बम्बई
३६. कुप्पुस्वामी शास्त्री रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मद्रास
३७. महाबोधि सोसाइटी ऑफ़ इण्डिया, कलकत्ता
३८. मद्रास लायब्रेरी सोसाइटी ऑफ़ इण्डिया, कलकत्ता
३९. ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा
४०. दि माइथिक सोसाइटी, बंगलौर
४१. दि न्युमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इण्डिया, बम्बई
४२. प्राच्यवाणी (इन्स्टीट्यूट ऑफ़ ओरियण्टल लर्निंग), कलकत्ता
४३. राजस्थान शोध परिषद्, उदयपुर
४४. राम वर्मा रिसर्च इन्स्टीट्यूट, त्रिचूर
४५. दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता
४६. शारदाश्रम, यवतमाल
४७. टाटा इन्स्टीट्यूट, ऑफ़ सोशल साइंस, बम्बई
४८. दि यू० पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, लखनऊ
४९. वारेन्द्र रिसर्च सोसाइटी, राजशाही
५०. वेंकटेश्वर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, तिरुपति
५१. विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, होशियारपुर

साहित्य संगठन

आम

१. आल इण्डिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, बम्बई
२. पी० ई० एन० आल इण्डिया सेंटर, बम्बई

असमिया

१. असम साहित्य सभा, गोहाटी
२. असम छात्र संघ, जोरहट
३. कामरूप अनुसन्धान समिति, गोहाटी
४. कामरूप साहित्य समाज, गोहाटी
५. जयश्री संघ, डिब्रूगढ़
६. मुकुल संघ, शिलङ
७. सेनजी समाज, सिबसागर
८. तरुण लेखक संघ, गोहाटी

बंगला

१. बंगीय साहित्य परिषद्, कलकत्ता
२. प्रवासी बंग साहित्य परिषद्, इलाहाबाद
३. निखिल बंग साहित्य सम्मेलन, दिल्ली

४. रवीन्द्र साहित्य परिषद्, कलकत्ता
५. साहित्य बासर, अगरतला

गुजराती

१. भावनगर साहित्य सभा, भावनगर, सौराष्ट्र
२. गुजरात साहित्य परिषद्, बम्बई
३. गुजरात साहित्य परिषद्, अहमदाबाद
४. गुजरात साहित्य सभा, अहमदाबाद
५. गुजरात लेखक मिलन, अहमदाबाद
६. जूनागढ़ साहित्य सभा, जूनागढ़, सौराष्ट्र
७. लेखक मिलन, बम्बई
८. नर्मदा साहित्य सभा, अहमदाबाद
९. प्रेमानन्द साहित्य सभा, अहमदाबाद
१०. प्राच्य विद्या मन्दिर, बड़ौदा
११ राजकोट साहित्य सभा, राजकोट, सौराष्ट्र ७
१२. यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ़ गुजराती लैंग्वेजेज् एण्ड लिटरेचर, अहमदाबाद

हिन्दी

१. अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद
२. आसाम प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गोहाटी,
३. बंगीय हिन्दी साहित्य परिषद्, कलकत्ता
४. भारतीय हिन्दी परिषद्, इलाहाबाद
५. बिहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पटना
६. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना
७. बम्बई प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, बम्बई
८. बम्बई हिन्दी सभा, बम्बई
९. ब्रज साहित्य मण्डल, मथुरा
१०. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास
११. देव साहित्य परिषद्, टीकमगढ़, विन्ध्य प्रदेश
१२. गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अहमदाबाद
१३. हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर, राजस्थान
१४. हिन्दी साहित्य परिषद्, मेरठ
१५. हिन्दी विद्यापीठ, देवघर, बिहार
१६. हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद
१७. हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद
१८. कर्नाटक प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा, धारवाड़
१९. काशी नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस
२०. केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिपुनीतहुरा. कोचीन

२१. मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर
२२. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पूना
२३. मध्य प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, जबलपुर
२४. मैसूर हिन्दी साहित्य परिषद्, मैसूर
२५. नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा
२६. पेप्सू हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कपूरथला
२७. प्रसाद परिषद्, बनारस
२८. पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, अम्बाला छावनी
२९. राजस्थान प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, जयपुर
३०. रघुराज साहित्य परिषद्, रीवा, विन्ध्य प्रदेश
३१ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा
३२. साहित्यकार संसद्, इलाहाबाद
३३. साहित्य सदन, अबोहर, फिरोज़पुर, पंजाब
३४. ससदीय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली
३५. शासन साहित्य परिषद्, नागपुर
३६. तमिलनाड हिन्दी प्रचार सभा, तिरुच्चिरापल्लि
३७. उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद
३८. उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कटक
३९. विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुर

कन्नड़

१. कन्नड़ साहित्य परिषद्, बंगलौर
२. कर्नाटक सेवा संघ, मद्रास
३. कर्नाटक विद्यावर्द्धक संघ, धारवाड़

कश्मीरी

१. बज्मी कुंग पोश, द्वारा कश्मीरी कल्चरल कांग्रेस, श्रीनगर
२. कश्मीरी बज्मी अदब, लाल चौक, श्रीनगर

मलयालम

१. केरल कला संसत्, त्रिवेन्द्रम
२. पुरोगमन साहित्य संगठन, कोट्टय्यम
३. समस्त केरल साहित्य परिषद्, एरणाकुलम

मराठी

१. दिल्ली मराठी साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
२. मुम्बई मराठी साहित्य संघ, बम्बई
३. मराठी साहित्य परिषद्, पूना
४. मराठी साहित्य सभा, इन्दौर

५. मरथवाड़ा साहित्य परिषद्, औरंगाबाद
६. विदर्भ साहित्य परिषद्, नागपुर

उड़िया

१. उत्कल साहित्य समाज, कटक

पंजाबी

१. खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, अमृतसर
२. पंजाबी साहित्य परिषद्, अमृतसर
३. पंजाबी साहित्य अकादमी, लुधियाना
४. पंजाबी साहित्य सभा, नई दिल्ली
५. पंजाबी सभा, कैम्प कालेज, नई दिल्ली

संस्कृत

१. एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता
२. संस्कृत साहित्य परिषद्, कलकत्ता
३. संस्कृत विश्व परिषद्, बम्बई
४. संस्कृत साहित्य संघ, लखनऊ
५. गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस

तमिल

१. मद्रास प्रेजीडैन्सी तमिल संगम, तिनिवेली
२. तमिल अकादमी, मद्रास
३. तमिल वल्लारची कलागम, मद्रास
४. तमिल राइटर्स एसोसिएशन, मद्रास

तेलुगु

१. आन्ध्र साहित्य परिषद्, काकीनाडा
२. आन्ध्र सारस्वत परिषद्, हैदराबाद
३. रायलसीमा कवि पण्डित परिषद्
४. तेलंगाना राइटर्स एसोसिएशन, हैदराबाद
५. तेलुगु भाषा समिति (तेलुगु अकादमी), मद्रास

उर्दू

१. अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू, अलीगढ़
२. अंजुमन-ए-तामीर पसन्द मुसनफीन, भोपाल
३. दार-उल-मुसनफीन (शिबली अकादमी), आजमगढ़
४. इदारा-ए-अदबीयात-ए-उर्दू, हैदराबाद
५. जामिया-ए-उर्दू, आगरा
६. उर्दू सभा, दिल्ली

संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाएँ

नृत्य, नाटक और संगीत

१. सिलचर संगीत विद्यालय, डाकखाना सिलचर, कछार (आसाम)
२. गौरीपुर म्यूज़िक स्कूल, गौरीपुर (आसाम)
३. वीणापाणि नाट्य समिति, होइबोरगाँव, नवगाँव (आसाम)
४. डिब्रूगढ़ ज्ञानदायिनी संगीतायन, डाकखाना राहबरी, डिब्रूगढ़ (आसाम)
५. अजमेर म्यूजिक कालेज, अजमेर
६. पूना भारत ज्ञान समाज, ८६१, सदाशिव पेठ, पूना (बम्बई)
७. विष्णु संगीत विद्यालय, महात्मा गान्धी रोड, नासिक (बम्बई)
८. श्रीकृष्ण संगीत विद्यालय, बीजापुर (बम्बई)
९. गान्धर्व महाविद्यालय, डालमिया बिल्डिंग, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद (बम्बई)
१०. गान्धर्व महाविद्यालय, पूना (बम्बई)
११. ज्ञान समाज एण्ड देवल क्लब, खास बाग, कोल्हापुर (बम्बई)
१२. व्यास अकादमी ऑफ म्यूजिक, दादर, बम्बई
१३. भारतीय संगीत शिक्षापीठ, भारतीय विद्या भवन, बम्बई
१४. गान्धर्व महाविद्यालय मण्डल, (स्कूल ऑफ इण्डियन म्यूजिक), रायल ओपेरा हाउस के समीप, बम्बई ।
१५. यूनियन हाई स्कूल म्यूजिक सर्किल, मालजी रोड, भडौच (बी० एस०)
१६. आनन्द प्रकाश कर्नाटक नाट्य संघ, डाकखाना हुलयाल, ताल्लुका जामखण्डी, बीजापुर (बम्बई)
१७. इण्डियन नैशनल थियेटर, कृष्णाबाई हाल, बाबुलनाथ मन्दिर, बाबुलनाथ रोड, बम्बई
१८. सरस्वती ज्ञान समाज, पण्ढरपुर, पूना (बम्बई)
१९. बिहार सेक्रेटैरियट क्लब, पटना (बिहार)
२०. श्री मरुधंधान शाहाबाद संगीत संघ, आरा (बिहार)
२१. भारतीय नृत्य कला मन्दिर, झाझी कोठी, कदमकुआँ, पटना–३ (बिहार)
२२. विन्ध्य कला मन्दिर, काजीपुर, पटना (बिहार)
२३. आन्ध्र नाटक कला परिषत्, मद्रास
२४. गीताविताल, १५५, रुमा रोड, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
२५. पेराम्बूर संगीत सभा, पेराम्बूर, मद्रास
२६. त्याग ब्रह्म गान सभा, वानी महल, गोपीनाथ नारायणस्वामी चेट्टी रोड, त्यागराज नगर, मंद्रास
२७. श्री पार्थसारथी स्वामी सभा, ६८, टी० पी० कोइल स्ट्रीट, त्रिप्लीकेन, मद्रास
२८. म्यूज़िक अकादमी, मद्रास
२९. कलई कञ्चगम, देवकोट्टई, ज़िला रामनाड (मद्रास)
३०. नाटक कञ्चगम, १४, माउण्ट रोड, मद्रास
३१. इण्डियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी, वाई० एम० आई० ए० बिल्डिंग, ९, आरमीनियन स्ट्रीट, मद्रास

३२. मद्रास सेक्रेटेरियट आन्ध्र एसोसिएशन, फोर्ट सेंट जार्ज, मद्रास
३३. मद्रास सेक्रेटेरियट पार्टी, फोर्ट सेंट जार्ज, मद्रास
३४. कला क्षेत्र, अद्यार, मद्रास
३५. एगमोर ड्रामैटिक सोसायटी, ४३, गैंगू रेड्डी स्ट्रीट, मद्रास
३६. श्री वरालक्ष्मी अकादमीज़ ऑफ़ फाइन आर्ट्स, मैसूर
३७. दिल्ली नाट्य संघ, २७ अकबर रोड, नई दिल्ली
३८. भारतीय संगीत विद्यालय, १६५-डी, कमला नगर, दिल्ली
३९. संगीत निकेतन, बारादरी, बल्लीमारान दिल्ली
४०. इण्डियन नेशनल थियेटर, १४, नरेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली
४१. संगीत भारती, जी० ब्लाक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली
४२. भारतीय कला केन्द्र, १८, कर्ज़न रोड, नई दिल्ली
४३. कला मण्डल, ८५४, सुल्तान बाजार, हैदराबाद
४४. हैदराबाद म्यूज़िक एण्ड डान्स अकादमी, हैदराबाद
४५. विजय फाइन आर्ट्स एसोसिएशन, ट्रूप बाज़ार, हैदराबाद
४६. संगीत समाज कालेज, तिलक रोड, मेरठ (उत्तर प्रदेश)
४७. शंकर गन्धर्व विद्यालय, लश्कर, ग्वालियर (मध्य भारत)
४८. कला विकास केन्द्र, गंगामन्दिर, कटक (उड़ीसा)
४९. उड़ीसा संगीत परिषद्, पुरी (उड़ीसा)
५०. नेशनल म्यूज़िक एसोसिएशन, बख्शी बाजार, कटक (उड़ीसा)
५१. ऋषिकेश संगीत विद्यालय, नवद्वीप (पश्चिम बंगाल)
५२. भारतीय लोक कला मण्डल उदयपुर (राजस्थान)
५३. केरल कला मण्डलम् चेरूथरुथी, (तिरुवांकुर-कोचीन)
५४. आन्ध्र गानकला परिषद्, राजमन्द्री (एस० आई०)
५५. भातखण्डे कालेज ऑफ़ हिन्दुस्तानी म्यूज़िक, कैसर बाग़, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
५६. भातखण्डे संगीत विद्यापीठ कैसर बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

कला संस्थाएं और समितियां

१. गवर्नमेंट स्कूल आफ़ आर्ट, पटना (बिहार)
२. शारदा उकील स्कूल ऑफ़ आर्ट, ६६ क्वीन्सवे, नई दिल्ली
३. उकील स्कूल ऑफ़ आर्ट, भेलूपुरा, बनारस (उत्तर प्रदेश)
४. स्कूल ऑफ़ आर्ट्स, त्रिवेन्द्रम (तिरुवांकुर-कोचीन)
५. महाराजा स्कूल ऑफ़ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, जयपुर (राजस्थान)
६. गवर्नमेंट स्कूल ऑफ़ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
७. गवर्नमेंट स्कूल ऑफ़ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, मद्रास, पी० टी०
८. सर जे० जे० स्कूल ऑफ़ आर्ट, बम्बई
९. कला-भवन, विश्व-भारती, शान्तिनिकेतन (पश्चिम बंगाल)

१०. इण्डियन आर्ट स्कूल, १३९, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता
११. गवर्नमेंट कालेज ऑफ़ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, २८, चौरंगी, कलकत्ता
१२. श्री लक्ष्मी कला-भवन, धार (मध्य भारत)
१३. ए० वी० एस० स्कूल ऑफ आर्ट, भीमावरम, पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र)
१४. मॉडल आर्ट इन्स्टीट्यूट, नूर बिल्डिंग, दादर, बम्बई-१४
१५. इलाहाबाद स्कूल ऑफ आर्ट, ९, लोथियन रोड, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
१६. कला-निकेतन, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
१७. श्री विक्रम स्कूल ऑफ आर्ट, जेपुर (उड़ीसा)
१८. आर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली पोलिटेक्निक, कश्मीरी गेट, दिल्ली
१९. आर्ट डिपार्टमेंट, सिन्धिया स्कूल, ग्वालियर (मध्य भारत)
२०. कला विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राजस्थान)
२१. आर्ट डिपार्टमेंट, दून स्कूल, देहरादून (उत्तर प्रदेश)
२२. आर्ट डिपार्टमेंट, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, दिल्ली
२३. आर्ट डिपार्टमेंट, डेली कालेज, इन्दौर (मध्य भारत)
२४. आर्ट डिपार्टमेंट, मेयो कालेज, अजमेर
२५. गवर्नमेंट आर्ट स्कूल, त्रिचूर (तिरुवाकुर-कोचीन)
२६. आर्ट डिपार्टमेंट, श्यामसुन्दर मेमोरियल इन्स्टीट्यूशन, चन्दौसी (उत्तर प्रदेश)
२७. कलकत्ता आर्ट सोसाइटी ७ लिण्डसे स्ट्रीट, कलकत्ता
२८. इण्डियन सोसाइटी ऑफ़ ओरियण्टल आर्ट, सेनेट हाल, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता
२९. अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स, इण्डियन म्यूजियम हाउस, कलकत्ता
३०. 'रूप-वाणी', ४२-ए० जयमित्र स्ट्रीट, कलकत्ता-५
३१. दि इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्ट इन इण्डस्ट्री, आर्टिस्ट्री हाउस पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता
३२. कलकत्ता ग्रुप, १९० बी, रासबिहारी एवेन्यू, कलकत्ता-२९
३३. दि गुजराती कला मण्डल, १००-१०२, विट्ठलभाई पटेल रोड, बम्बई
३४. यूथ्स आर्ट एण्ड कल्चर सर्किल, मेक्सरिया चैम्बर्स, १३९, मीडोज स्ट्रीट, बम्बई
३५. आर्ट सोसाइटी ऑफ इण्डिया, सेण्डहर्स्ट रोड, बम्बई
३६. बम्बई आर्ट सोसाइटी जहाँगीर आर्ट गैलरी, महात्मा गान्धी रोड, फोर्ट, बम्बई
३७. इण्डियन अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स, कूपर रोड, अमृतसर (पंजाब)
३८. शिल्प-कला परिषद्, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, पटना (बिहार)
३९. नागपुर स्कूल ऑफ़ फाइन आर्ट सोसाइटी, नागपुर (मध्य प्रदेश)
४०. यू० पी० आर्टिस्ट्स एसोसिएशन, ३७, हजरतगंज, लखनऊ
४१. गुजरात कला संघ चित्रशाला, ४३, ब्राह्मण मित्र मण्डल सोसायटी, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद
४२. नेशनल हैरीटेज प्रिजर्वेशन सोसायटी, बूंदी (राजस्थान)
४३. प्रोग्रेसिव पेण्टर्ज एसोसिएशन, २, कासा मेजर रोड, एग्मोर, मद्रास-२
४४. प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स एसोसिएशन, पी० बी० नं० ३२ श्रीनगर (कश्मीर)
४५. राजपूताना फाइन आर्ट्स एसोसिएशन, गवर्नमेंट कालेज, अजमेर

४६. फाइन आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स सोसाइटी, बाजार मुल्ला जरीफ, रामपुर (उ० प्र०)
४७. कला दर्शन, भद्रा, मिशन रोड, अहमदाबाद (बम्बई)
४८. अजमेर-मारवाड़ फाइन आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स सोसाइटी, जोन्सगज, अजमेर
४९. कलाकार परिषद्, ५५०, कर्नलगंज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
५०. कल्चर सेन्टर, इण्डियन यूनियन क्लब, उदकमण्डलम् (मद्रास)
५१. हैदराबाद आर्ट सोसाइटी, द्वारा गवर्नमेंट स्कूल आफ़ आर्ट, हैदराबाद
५२. विद्या-भवन सोसाइटी, उदयपुर (राजस्थान)
५३. दि फाइव ग्रुप ऑफ़ आर्टिस्ट्स, ९३, नन्दलालपुरा, इन्दौर, (मध्य भारत)
५४. गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स, हैदरगडा, हैदराबाद
५५. ऑल इण्डिया फाइन आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स सोसाइटी, ओल्ड मिल रोड, नई दिल्ली
५६. त्रिवेणी कला संगम, एम० ब्लाक, कनाट सर्कस, नई दिल्ली
५७. दिल्ली शिल्पी चक्र, क्वीन्सवे, नई दिल्ली
५८. इण्डियन स्कल्पटर्स एसोसिएशन, बम्बई
५९. बम्बई आर्टिस्ट्स ग्रुप, बम्बई
६०. इन्स्टीट्यूट ऑफ़ आर्किटेक्ट्स, बम्बई
६१. साउथ इण्डियन पेण्टर्ज एसोसिएशन, मद्रास
६२. कला क्षेत्र, मद्रास
६३. कला भवन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस (उत्तर प्रदेश)

संगीत, नृत्य और नाटक के लिये अकादमी के पुरस्कार

१९५३

संगीत

१. हिन्दुस्तानी कंठ-संगीत . . रजब खाँ
२. हिन्दुस्तानी वाद्य-संगीत . . अहमद जान थिरकवा
३. कर्नाटक कंठ-संगीत . . . वासुदेवाचार
४. कर्नाटक वाद्य-संगीत . . पल्लडम संजीवराव

१९५३ में नृत्य और नाटक के लिये कोई अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तथापि संगीत नाटक अकादमी ने निम्नलिखित कलाकारों को अपनी 'फैलोशिप' प्रदान की :

१. अरियाकुड्डी रामानुजम् आयंगर
२. अलाउद्दीन खाँ
३. हाफ़िज़अली खाँ
४. पृथ्वीराज कपूर

१९५४

संगीत

१. हिन्दुस्तानी कंठ-संगीत . . अनन्त मनोहर जोशी
२. हिन्दुस्तानी वाद्य-संगीत . . गोविन्दराव बुरहानपुरकर
३. कर्नाटक कंठ-संगीत . . . महाराजपुरम् विश्वनाथ अय्यर
४. कर्नाटक वाद्य-संगीत . . राजरत्नम् पिल्लइ

नृत्य

१. भरतनाट्यम . . . श्रीमती बालसरस्वती
२. कथक . . . . शंभू महाराज

नाटक

१. बाल गन्धर्व
२. गुब्बी वीरण्ण

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें जो ५,००० रुपये के नकद पुरस्कार के लिये चुनी गईं

१. असमिया 'बनफूल' (कविताएं) –जतीन्द्रनाथ द्विराह
२. बंगला . 'श्रेष्ठ कविता' (कविताएं)—स्वर्गीय जीवनानन्ददास
३. गुजराती 'महादेव भैनी' स्वर्गीय महादेव देसाई की डायरी
४. हिन्दी . 'हिम तरंगिणी' (कविताएं) माखनलाल चतुर्वेदी
५. कन्नड़ . 'श्री रामायण दर्शन' (महाकाव्य) 'कुवेम्पू '
६. मलयालम 'भाषा साहित्य चरित्रम्' (मलयाली साहित्य का इतिहास–७ भाग)—आर० नारायण पणिक्कर
७. मराठी . 'वैदिक संस्कृतिचा विकास' (वैदिक भारत का सांस्कृतिक इतिहास)—लक्ष्मण शास्त्री जोशी
८. उड़िया . 'अन्नतेर सन्तान' (जनजाति जीवन पर उपन्यास)—गोपीनाथ महन्ती
९. पंजाबी . 'मेरे साईं जिओ' (कविताएं)—भाई वीरसिंह
१०. तमिल . 'तमिल इनबम' (निबन्ध)—आर० पी० सेतु पिल्ले
११. तेलुगु . 'आंध्रुला संघिका चरित्र' (आंध्रों के साहित्य में परिचारित सामाजिक इतिहास)—एस० प्रताप रेड्डी
१२. उर्दू . 'महाल-ओ-मशीयत' (दार्शनिक निबन्ध)—जफर हुसैन खां

पुरस्कार के लिये कश्मीरी पुस्तक का चुनाव अभी होना है। स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित संस्कृत और अंग्रेजी की मौलिक रचनाओं में पुरस्कार के उपयुक्त कोई रचना नहीं थी।

———

Paljee's

POINEER MANUFACTURERS OF RICHFRUIT BAR IN INDIA

LEADS AGAIN

WE HAVE NOW MIXED ORIGINAL VITAMINS OF F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO. LTD.,

SWITZERLAND

NOW EVERY PACKET OF PALJEE'S RICH FRUIT BAR CONTAINS

Vitamin B 1	0.6 Mg.,	Vitamin B 2	0.9 Mg.
NIACIN	10.9 Mg.,	IRON	31.2 Mg.

Test carried out by industrial Testing and Analytical Laboratory Ltd., Bombay. Certificate No. P/1604 Dated 12-2-55 of PALJEE & Co., New Delhi-5

Paljee's

QUALITY PRODUCTS

Rich Fruit Bar
With Eleven Original Preserved Fruits.
Extra Vitamins & Glucose

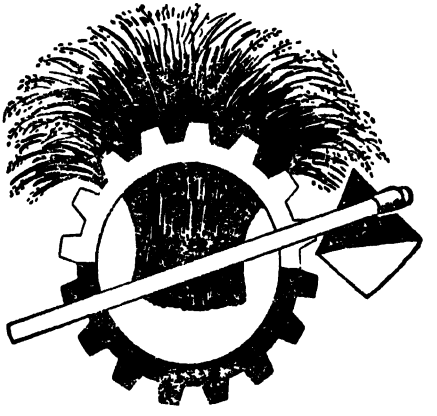
Golden Rusks
Malted & Toasted with Vitamins and Glucose

Available At All Leading Stores

Paljee & Co. NEW-DELHI-5

Telephone "44750" *Telegrams* "FRUITBAR"

भारत की सेवा करो
धन बचाओ और समृद्ध बनों



अल्प बचत-योजना के अर्थ होत हैं प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचना और प्रत्येक व्यक्ति जो इस मद मे धन देता है वह न केवल अपने धन को सरकारी सिक्योरिटी में लगाता है वरन् नवीन भारत के निर्माण में एक भागीदार बनता है ।

अपनी बचत के पैसों को स्वयं अपने और राष्ट्र के कल्याण के काम में लगाइये !

१२—वर्षीय नेशनल सेविंग्ज़ सार्टफिकेटस

१०—वर्षीय ट्रेज़री सेविंग्ज़ डिपाज़िट सर्टिफिकेट्स

पोस्ट आफ़िस सेविंग्ज़ बैंक डिपाज़िट्स

१५—वर्षीय एनुइटी सर्टिफ़िकेट्स

१०—वर्षीय नेशनल प्लान सर्टिफ़िकेट्स

इन सभी में मिलने वाला ब्याज आय-कर से मुक्त हैं

भारत के भविष्य में धन लगाइये

रामतीर्थ ब्राह्मी तैल

(स्पेशल नं० १)

आयुर्वेदिक औषधी (रजिस्टर्ड)

स्मरण शक्ति बढ़ती है, गाढ निंद्रा आती है तथा बाल काले होते है। बाल, मगज और शरीर मालिश के लिए श्रेष्ठ है।



बाल के छेदों को साफ करता है। सर्व ऋतु में अबाल, वृद्ध सबको उपयोगी।

(कीमत : बड़ी शीशी रु० ३॥, छोटी शीशी रु० २)
प्रत्येक स्थान पर प्राप्य है।

निम्नांकित स्थान पर प्रात : ७-३० बजे से ९-३० बजे तक और सायंकाल ६ से ७-३० बजे तक यौगिक कक्षाएं नियमित रूप से होती हैं (प्रत्येक रविवार को प्रातः १० बजे व्याख्यान) तंदुरस्त और निरोगी रहने के लिये हमारे आकर्षक 'योगासन चार्ट' (नक्शा) मंगाइए, जिसमें यौगिक आसनों के चित्र दिये हुए हैं। चार्ट रु० १॥।) म० ओ० भेजने से भेजा जायगा इन आसनों का अभ्यास घर पर सुगमता पूर्वक किया जा सकता है।

श्री रामतीर्थ योगाश्रम

दादर (सेन्ट्रल रेलवे), बम्बई-१४

टेलीफोन नं० ६२८९९ तार का पता : "Pranayam" Dadar, Bombay.

QUALITY PRODUCTS
OF
MADRAS GOVERNMENT

SOAPS KERALA SOAP INSTITUTE CALICUT

- TOILET SOAPS
- MEDICINAL SOAPS
- WASHING SOAP
- SHAVING SOAP
- SHAMPOO
- INDUSTRIAL SOAP
- DOMESTIC CLEANING SOAP
- DENTAL CREAM ETC., ETC.,

VITAMIN OIL GOVERNMENT OIL FACTORY, CALICUT

High Potency Shark Liver Oil rich in Vitamin A & D

(Superior to Cod Liver Oil)

ADAMIN—(Capsules and Liquid)

Gramme : 12,000 I. U. Vit A. & 1,000 I. U. Vit D. p/g.

SHARK LEVER OIL (Liquid)

Grame : 1,500 I. U. Vit A. & 100 I. U. Vit D. p/g.

SILK GOVERNMENT SILK FILATURES, KOLLEGAL :

FABRICS: SAREES, COATING, SHIRTINGS, DHOTIES, ANGAVASTHRAMS, CHOLI, PIECES ETC.

YARNS : 13 TO 30 DENIERS (PEACOCK CHOP).

DIVISIONS OF THE DEPT. OF INDUSTRIES & COMMERCE, GOVERNMENT OF MADRAS, CHEPAUK, MADRAS.

उत्तम

छायाचित्रण का विश्वसनीय मार्ग

हर फोटोग्राफरके जीवनमें वह समय ज़रूर आता है जब सभी प्रकारकी फिल्मोंका उपयोग करने पर उसे आग्फा फिल्मके उत्कृष्ट गुणोंमें ही दृढ़ विश्वास हो जाता है। आजकल संसारभरमें मशहूर आग्फा आइसोपान आइ एस एस फिल्म इतनी अत्यधिक सूक्ष्मग्राही होती है कि प्रतिकूल प्रकाशमें भी छाया-चित्रण सुस्पष्ट होता है। यह फिल्म अत्यंत तेज़ होनेके बावजूद भी एक्स्पोजर जरा-सा कम या अधिक होने पर चित्र बिगड़ता नहीं, बल्कि उसकी सूक्ष्म छटाएँ बनी रहती हैं। क्या प्राकृतिक दृश्य तथा खेलकूदके चित्र अथवा क्या घर पर या रात्रिकालीन फोटोग्राफी, सभी प्रकारके छाया-चित्रणके लिए यह आदर्श फिल्म है।



आग्फा

आइसोपान आइ एस एस फिल्म

भारतमें एकमेव वितरक:

आग्फा इंडिया लिमिटेड

बंबई • नयी दिल्ली • कलकत्ता • मद्रास

AGFA-55 4 HIN



करघा

निर्मित कपड़ा खरीदिये

भारत के करघा-बुनकर अपनी परंपरागत निपुणता, कलात्मक बुनाई तथा सुन्दर, विविध डिज़ाइनों की निर्मिति के लिए विख्यात हैं। भारतीय करघों द्वारा निर्मित कपड़ा बनावट, सफ़ाई, डिज़ाइन तथा टिकाऊपन के लिए सदैव प्रशंसा का पात्र रहा है।

हर प्रयोजन के लिए करघा-निर्मित कपड़ा

१–महिलाओं के वस्त्रों के लिए सूती और रेशमी कपड़ा वितानकर्षक रंगों और विविध नमूनों में ज़रीदार साड़ियां; करघा-निर्मित मश्रु, हिमरु, किनखाब और ब्रोकेड।

२–सूटिंग और शर्टिंग क्लाथ

३–रंग-बिरंगे चैक नमूनों का कपड़ा : लूंगियों, कैलियों, सारंग, कैम्बाया और मद्रासी रूमाल।

४–सजावट के लिए टेपेस्ट्रीज़, पर्दे, हैंगिज़; समरूप नमूनों के नेपकिनों सहित मेज़पोश और सुन्दर रंगों और आकर्षक चैक नमूनों में बिस्तर की चादरें और पलंग पोश।

५–करघानिर्मित कालीन और दरियों में परंपरागत नमनों तथा चालू फैशन का सुन्दरतम मेल है।

०टिकाव ०सजावटी ०बेगोड़

आपक द्वारा खरीदा गया प्रति गज़ कपड़ा स्वतंत्र भारत के लाखों करघा-बुनकरों की समृद्धि में सहायक होता है।

विस्तृत विवरण के लिए कृपया

ऑल इन्डिया हैंडलूम बोर्ड, सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइज़ेशन,
११५५, माउट रोड, मद्रास-२ (भारत) को लिखिये।

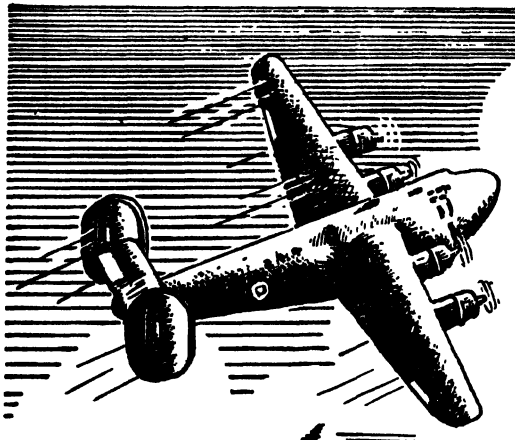
AD-58.

ड्यूमेक्स बेबी फूड बच्चों को बढ़ने में किस प्रकार मदद करता है ?

हाल ही में, शिशु-पोषण के संबंध मे बहुत-कुछ अनुसंधान किये गये और उनके सुपरिणामस्वरूप **ड्यूमेक्स** तैयार किया गया। यह एक उत्कृष्ट बेबी फ़ूड है जो विशेषरूप से भारत के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस देश के बच्चे चर्बीली चीज़ को उस मात्रा में सहन नहीं कर सकते जिस मात्रा में ठण्डे देशों के बच्चे कर सकते है। इसीलिए किसी दूसरे दूध के मुकाबले **ड्यूमेक्स** में चर्बी का अंश कम रहता है जिसके कारण वह आसानी के साथ पच जाता है और बच्चे का स्वास्थ्य-निर्माण भी अच्छा होता है। **ड्यूमेक्स** बेबी फ़ूड मे विशेषरूप से विटामिन 'बी६' तो रहता ही है, इसमें दूध की प्राकृतिक मिठास, विटामिन 'डी' और लौह-तत्व भी शामिल किये जाते है। इसीलिए इसमें अचरज की कोई बात नहीं कि **ड्यूमेक्स** बच्चो को स्वस्थ रखता है।

ड्यूमेक्स
बेबी फ़ूड

बच्चों को ड्यूमेक्स दीजिए और उन्हें फलता-फूलता देखिए!



आपकी
उच्चतर
उमंगों
की पूर्ति



भारतीय वायुसेना द्वारा

INDIAN AIR FORCE

सविस्तार विवरण के लिए अपने निकटस्थ एयर फोर्स रेक्रूटिंग एडजुटेण्ट को मिलिए अथवा लिखिए

AC-571

दि

पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड

(स्थापित १८९५)

प्रधान कार्यालय : दिल्ली

●

अपनी ३१७ शाखाओ द्वारा बैंकिंग और विनिमय सम्बन्धी
प्रत्येक प्रकार की सेवा अर्पित करता है

जमा..... ...८६ करोड़ रुपये से अधिक

सम्पत्तियां.....१०४ करोड़ रुपये से अधिक

(३० जून, १९५५ के अनुसार)

●

शान्ति प्रसाद जैन
चेयरमैन

बी० एन० पुरी
जनरल मैनेजर

देश की ६० वर्षों से सेवा कर रहा है ।

INDIA AT A GLANCE

Revissd and Enlarged Edition

THE FIRST COMPREHENSIVE REFERENCE BOOK ON INDIA

Size : Demy ¼, Pages : 1,756, Price Rs. 40/- per copy
An extremely useful compilation wherein one could find in one single volume all about India. An Indispensable rereference book to business, company executive, industrialists, administrators, educationists and libraries.

Managing Editor: **G. D. BINANI**

Editor: **T. V. RAMA RAO**

THAT IS WHAT OTHERS SAID OF THE FIRST EDITION

" . . . It contains a great deal of information about our country and will be found useful as a reference book"—*Dr. S. Radhakrishnan*

" . . . I am sure it will be extremely useful as a work of reference on many matters concerning the country"—*Dr. John Matthai*

" . . . An admirable publication . . . subject have been dealt with in a masterly way."—*Amrit Bazar Patrika.*

" . . . a book of outstanding merit . . . coverage of subjects is competent and comprehensive . . . "—*Hindustan Standard*

" . . . This monument to diligence . . . would be of considerable assistance to people who really need to have ready access to a variety of information about the Indian Union."—*Capital*

" . . . perhaps the most comprehensive of its kind in this country."—*Commerce*

" . . . Indeed, it is doubtful whether such a wide range has been covered at all before."—*Hindustan Times*

" . . . presents a mass of information, esperially on the agriculture and industries of the country in a readable form . . . "—*The Hindu*

" . . . This volume deserves an enthusiastic reception : the article on finance is indeed one of the best we have seen. Some of the information is also surprisingly up-to-date."—*The times of India*

Orient Longmans Limited

BOMBAY CALCUTTA MADRAS





नौनिहाल पीने वाले बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में अधिक स्फूर्ति वाले होते हैं।

नौनिहाल

नन्हें बच्चों को हृष्ट पुष्ट बनाने वाला टानिक

हर ऋतु में प्रयोग किया जा सकता है।



FORMULA		
One Full Dose (4. 50 c c) of NAUNEHAL CONTAINS -		
Vitamin B_1	0 4	mg
Vitamin B_2	0 6	mg
Niacinamide	5 0	mg
Ascorbic Acid	15. 0	mg
Vitamin A	1000 I	U
Vitamin D_2	500 I	U
Dist Ext mint	5	Min
Dist Ext Cumin	5	Min
Aqua Menth	½	Min
Aqua Anisi	1½	Min
Cal Hypophosphis	½	grains
Sod Bromidum	¼	grain
Sucrose	64	grains

CAUTION

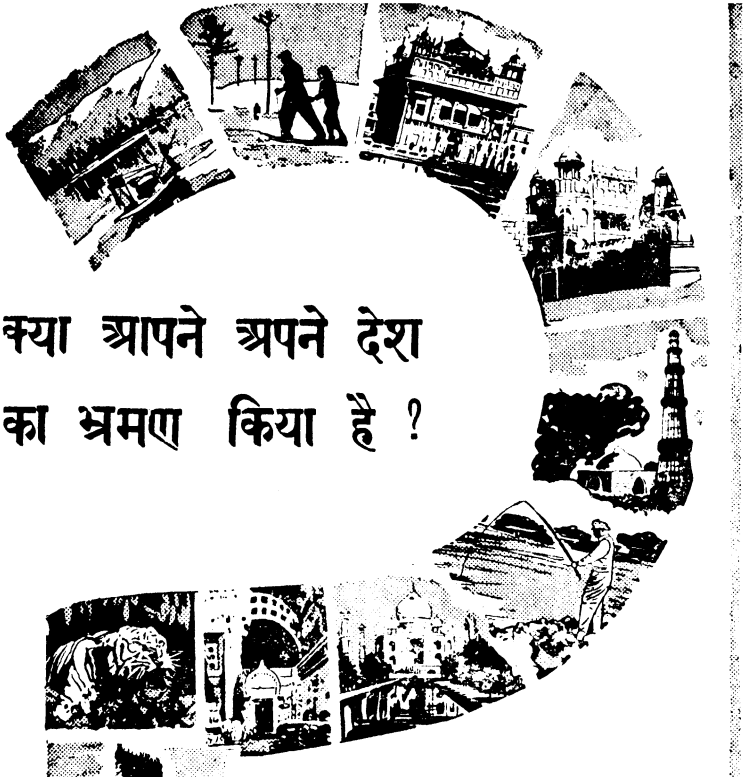
Always keep the phial intact inside the Carton after use.

हमदर्द दवाखाना (वक़्फ़) देहली

जब भी आप नौनिहाल खरीदें तो बक्स खोल कर देखलें। यदि इसमें इनामी कूपन निकल आए तो यह कूपन आप हमारे किसी भी स्टाकिस्ट या एजेन्ट को देकर एक शीशी नौनिहाल मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं।

इनामी कूपन

नोट:—नौनिहाल देवी दो माह फ़रवरी १९५६ में होगा। सही तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।



क्या आपने अपने देश का भ्रमण किया है ?

भारत

आपकी मातृभूमि

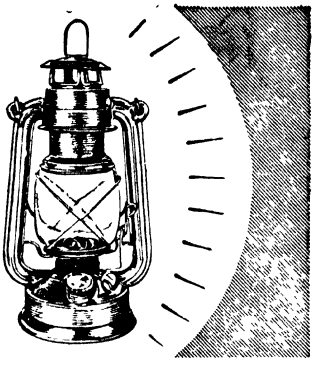
जहां आप वर्ष के किसी भी भाग में अपनी छुट्टियां आनन्द से बिता सकते हैं ।

सूचना के लिए

भारत सरकार के किसी टरिस्ट दफ्तर से पूछिए

AC 55/9

In the remotest corners of the villages...





HIND *Lantern*

gives unfailing service

इण्डिया इन्डस्ट्रीयल वर्क्स लिमिटेड,

५५/१, धर्मतला रोड (सलकिया), हावडा

मिश्रा डाइरेक्टरी व वर्षबोध

१९५५

- राष्ट्र-भाषा हिन्दी में प्रकाशित होने वाली अद्वितीय डाइरेक्टरी है।
- व्यापारिक वर्ग के जीवन में आने वाली सुचनाओं का भण्डार है।
- इनकम-टैक्स, सेल्स-टैक्स, मृत्यु-कर, पंचवर्षीय योजना, आयात-निर्यात, वित्तीय व्यवस्था, कम्पनी कानून आदि विषयों की कुजी है।
- ७००० व्यापारियों व निर्माताओं के पते दिये गये हैं।
- प्रमुख व्यापारियों व राजनैतिक पुरुषों का संक्षिप्त परिचय है।

३५० पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ५) मात्र है।

प्रकाशक :—

मिश्रा डाइरेक्टरी

२०, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट, कलकत्ता-१

सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं व रेलवे बुक स्टालों पर प्राप्य।

नोट :—जहां एजेण्ट न हों वहां की एजेंसी के लिये आवेदन करें।

क ख ग ...



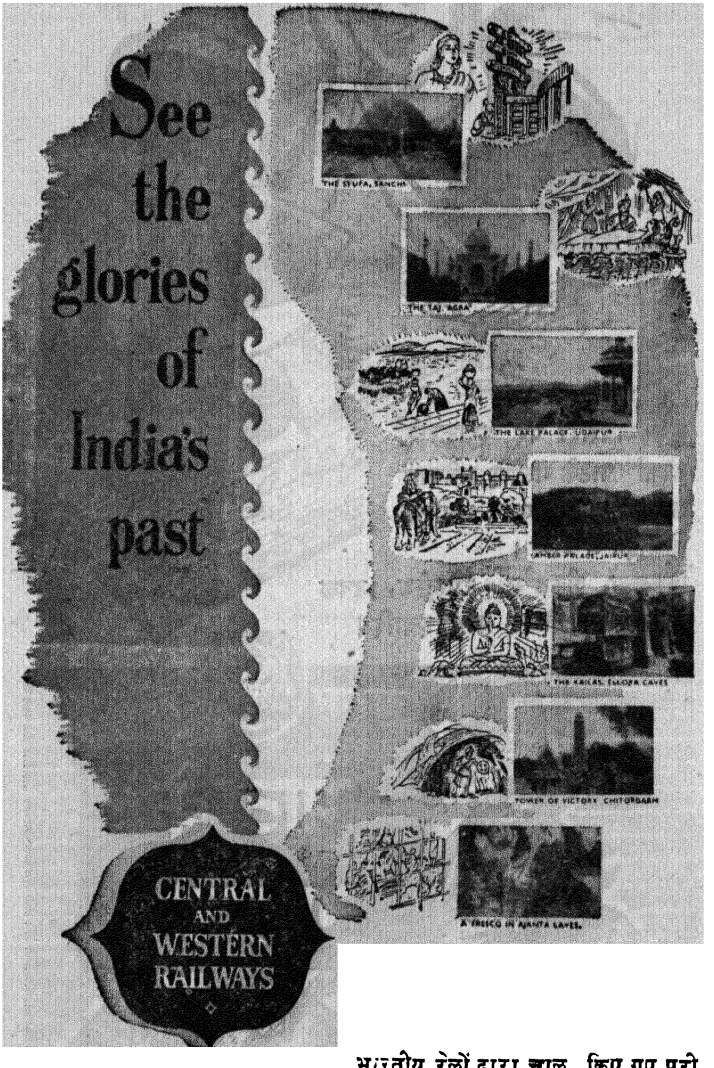
शुभ अवसरों पर 'टाइगर' मार्का पाटके गलीचे इस्तेमाल करें। एक से एक मनोरम डिजाइन में प्राप्य।
विल्टन्स, जैकर्ड्स, टैपेस्ट्रीज, डबल बीम रनर्स, चेअर क्लाथ इत्यादि।

टाइगर ब्रांड

पाट के गलीचे

श्री हनुमान जूट मिल्स

८, डलहौसी स्क्वायर, कलकत्ता–१



भारतीय रेलों द्वारा चालू किए गए पूरी यात्रा के नए रियायती टिकटों से आप कम खर्च पर छुट्टियों का प्रोग्राम बना सकते हैं, देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को देख सकते हैं जो कि भारत के शानदार अतीत की जीवित यादगारें हैं।

भारतीय रेलें सदा आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं ।

'नवीन भारत के निर्माण का यह महान कार्य ...'

देखिए राष्ट्रीय योजनाओं के लिए धन जुटाने में बीमा कंपनियां किस प्रकार मदद पहुंचाती हैं

अप्रैल, १९५४ में राष्ट्रीय योजना-ऋण का श्रीगणेश करते हुए हमारे प्रधान मंत्री ने भारतीय जनता से अपील की थी कि वह मुक्त हस्त के साथ इस निधि में धन देकर 'नवीन भारत के निर्माण के इस महान् कार्य' में हाथ बंटायें। और देश की जनता ने भी दिल खोल कर योग दिया। निधि में भारतीय बीमा कंपनियों का भाग विशेषरूप से महत्वपूर्ण रहा। बीमा कंपनियां नियमित रूप से गवर्नमेन्ट सेक्युरिटीज में अपने कोष का काफी बड़ा भाग लगाती रहती है इस प्रकार से लगाई जाने वाली पूंजी सन् १९५३ के अन्त में १५० करोड़ रुपए थी।

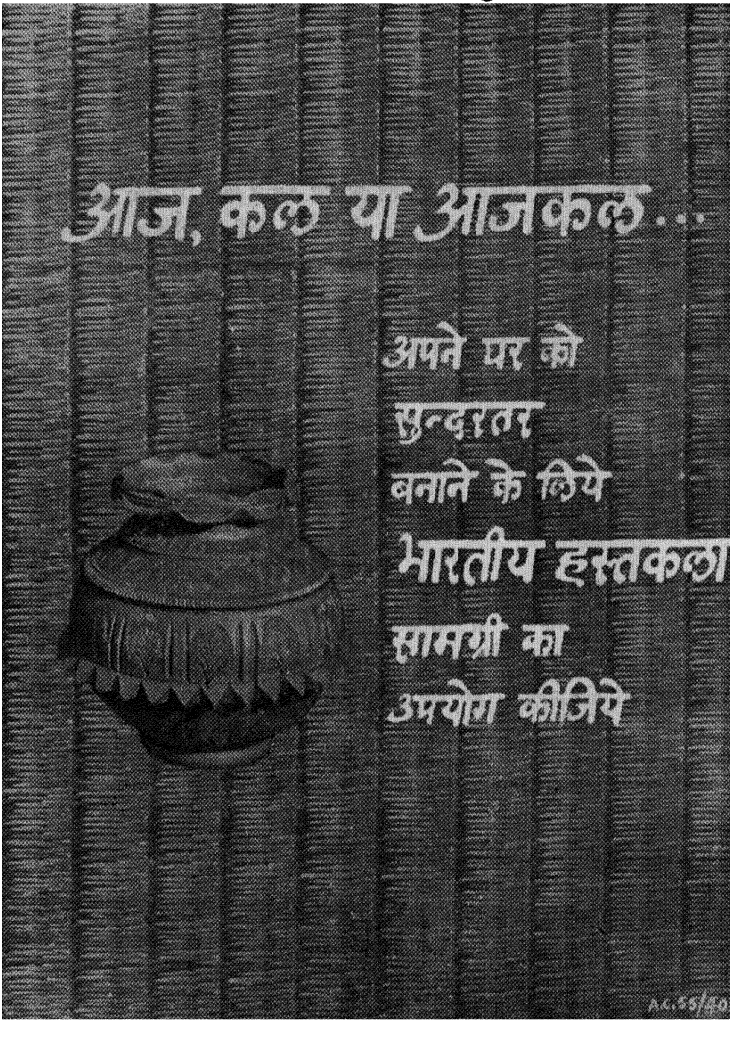
बीमा कम्पनियां देश की जनता द्वारा बचाये गये धन का सदुपयोग कर सरकार को धन की सहायता प्रदान करती है ताकि वह उन राष्ट्रीय योजनाओं को पूरा कर सके जिनके सुफल स्वरूप जनसाधारण का जीवन-स्तर ऊंचा उठेगा।

न्यु इंडिया, जो हर तरह के बीमे करने वाली भारत की सब से बड़ी बीमा कम्पनी है देश के घर घर में जीवन-बीमा कराने के महत्व को फैला रही है। देश की जनता की ओर से वह हर साल करोड़ों रुपए गवर्नमेन्ट सेक्युरिटीज और ऐसे उद्योगों में लगाती है जो देश की स्थिति को सुधारने में मदद पहुंचा रहे हैं।



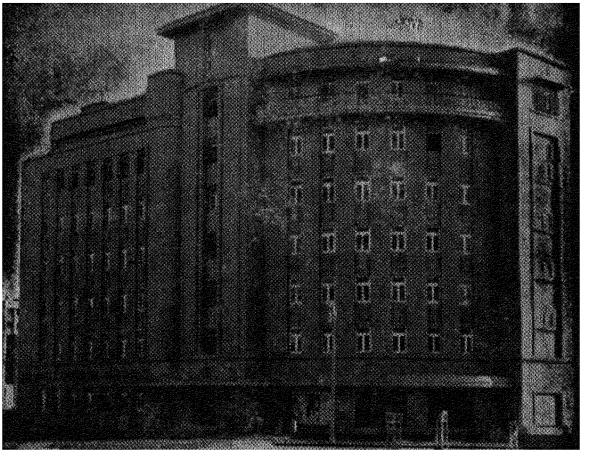
दी न्यु इंडिया एश्योरेन्स कंपनी, लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, बम्बई


आज, कल या आजकल...
अपने घर को
सुन्दरतर
बनाने के लिये
भारतीय हस्तकला
सामग्री का
उपयोग कीजिये
A.C. 55/40

श्रेष्ठ वायरिंग का अर्थ है

निक्को वायरिंग



इंडस्ट्री हाऊस
चर्चगेट रिक्लेमेशन, बम्बई–१
एक सुन्दर भवन जिसमें 'निक्को' के बिल्ज़ का वायरिंग किया गया

ठेकेदार : मेसर्स वेस्टर्न इण्डिया इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई



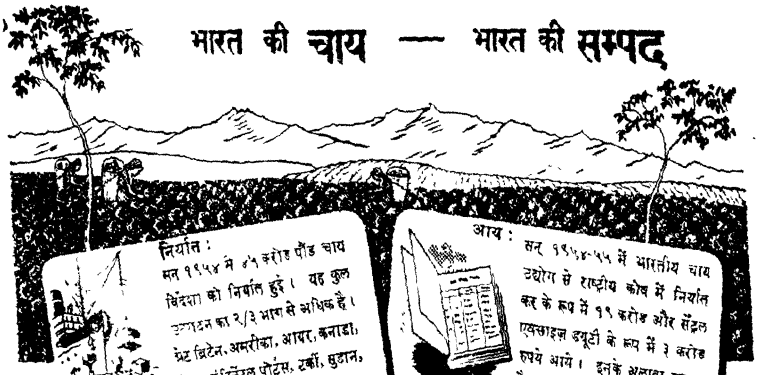
दूरदर्शी इंजिनियर, निर्माता और ठेकेदार जो नए सर्वश्रेष्ठ से ही संतुष्ट होते हैं, अत्याधिक कुशलता और रोक के लिए निक्को वायरिंग पर ही विश्वास करते हैं।

NICCO
WIRES & CABLES

INDIA'S OWN
INDIA'S BEST

दि नेशनल इनसूलेटिड केबिल कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड
स्टीफन हाऊस, डलहोजी स्क्वेयर, कलकत्ता–१
कारखाना : शामनगर (पश्चिमी बंगाल)
शाखा : काश्मीरी दरवाज़ा, दिल्ली। ऐजेंट सभी राज्यों में हैं।

भारत की चाय — भारत की सम्पद



निर्यात :

सन १९५४ में ४१ करोड़ पौंड चाय विदेशों को निर्यात हुई। यह कुल उत्पादन का २/३ भाग से अधिक है। ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका, आयर, कनाडा, मिस्र, कांटिनेंटल पोर्टस, टर्की, सूडान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईरान, तथा अन्य देशों को भारतीय चाय निर्यात हुई।

आय :

सन् १९५४-५५ में भारतीय चाय उद्योग से राष्ट्रीय कोष में निर्यात कर के रूप में १९ करोड़ और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में ३ करोड़ रुपये आये। इनके अलावा इनकम टैक्स, कृषि-कर, रोड टैक्स और अन्यान्य करों के रूप में बड़ी २ रकमें चाय उद्योग से मिली।

विश्व में खपत :

भारत दुनिया में चाय की मांग को ५० प्रतिशत पूरा करता है जो अनुमानतः प्रतिवर्ष एक अरब २० करोड़ पौंड है जिसमें चीन, जापान और रूस शामिल नहीं है।

विदेश विनिमय :

सन् १९५४-५५ में भारतीय चाय उद्योग को विदेश विनिमय से १अरब ४७ करोड़ रुपये कमाये।

भारत में खपत :

प्रतिवर्ष भारत में १७ करोड़ ६० लाख पौंड चाय खपत होती है जो औसतन प्रति व्यक्ति १/२ पौंड प्रतिवर्ष है।

श्रम का उपयोग :

भारत के चाय बगानों में १० लाख से अधिक लोग काम करते हैं जो किसी भी उद्योग से अधिक है। इसलिए चाय उद्योग भारत में सबसे अधिक श्रम का उपयोग करता है। इसके अलावा चाय व्यापार से बहुत बड़ी संख्या में लोग फायदा उठाते हैं।

पूंजी :

भारतीय चाय उद्योग में लगभग ७५ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है।

उपज का क्षेत्र और उत्पादन :

समूचे भारत में ६१०० चाय बगान हैं जिनका क्षेत्रफल ७८९००० एकड़ है। इनका वार्षिक उत्पादन ६२ करोड़ पौंड है।

सहायक उद्योग :

भारतीय चाय उद्योग अन्य उद्योगों जैसे प्लाइवुड, सेरामिक्स, कोयला, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, वाष मशीनरी और यातायात को भी सहायता पहुँचाता है।

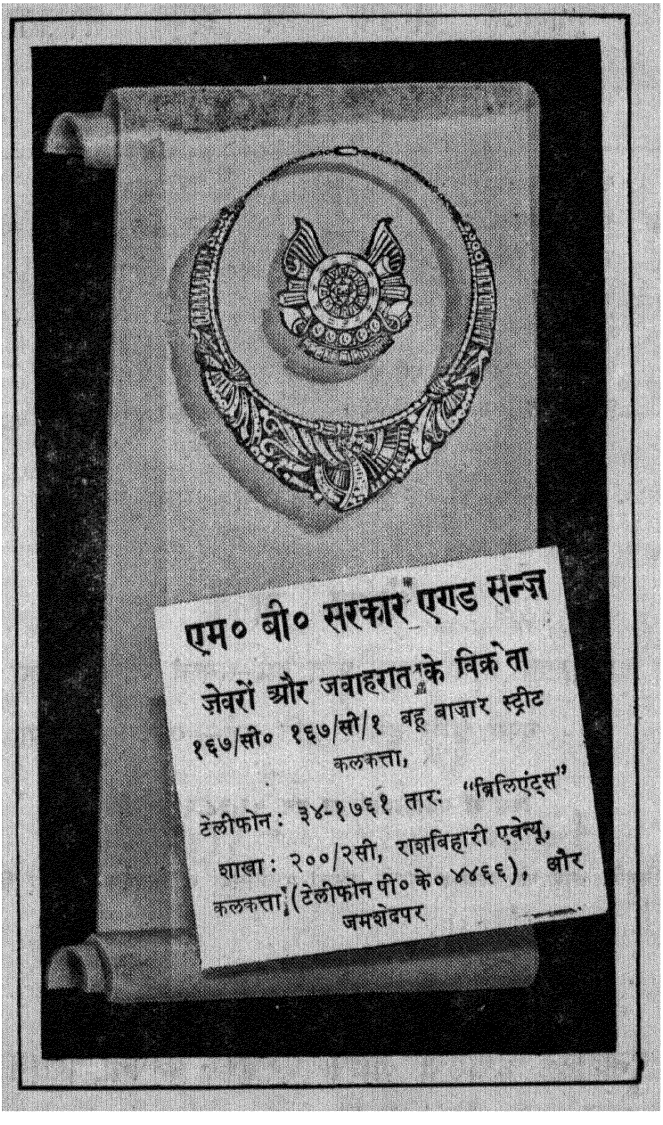
पता :-

पूर्वी ज़ोन :
२७ ब २९, वेन्टिंक रोड, कलकत्ता-१
दक्षिण ज़ोन :
३६ इ, माउन्ट रोड, मद्रास-२
पश्चिमी ज़ोन :
१३, विजय विलास, ऊमर पार्क, वार्डेन रोड, बंबई-२६

पता :

सेन्ट्रल ज़ोन :
लिबर्टी बिल्डिंग, रेसीडेंसी रोड, नागपुर १
नार्थ ज़ोन :
के० ब्लाक, शंकरलाल बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली

TEA BOARD INDIA


एम० बी० सरकार एण्ड सन्ज़
ज़ेवरों और जवाहरात के विक्रेता
१६७/सी० १६७/सी/१ बहू बाजार स्ट्रीट
कलकत्ता,
टेलीफोन: ३४-१७६१ तार: "ब्रिलिएंट्स"
शाखा: २००/२सी, राशबिहारी एवेन्यू,
कलकत्ता (टेलीफोन पी० के० ४४६६), और
जमशेदपर

१९५४

'यूनाइटिड इन्डिया' की अपूर्व सफलता का एक वर्ष

पोलिसी होल्डरों	१,२९,८००	
चालू जीवन बीमा	३०,५६,२६,०००	रुपये
कुल देना-पावन	९,७३,००,०००	,,
कुल आय	१,६८,००,०००	,,
जीवन बीमा फण्ड	८,७७,००,०००	,,
१९५४ में अदा किए गए कुल क्लेम्ज	५२,८५,०००	,,
नया प्राप्त किया हुआ बिजनेस	५,३०,००,०००	,,

३१-१२-५४ को हमारा द्वैवार्षिक मूल्य निरुपण

घोषित बोनस

१७ रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष—समस्त जीवन बीमा

१५ रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष—एन्डोमेंट बीमा

दिखाया गया अतिरिक्त धन ५१,३८,२२१ रुपये

सेवानिवृत्ति आय की व्यवस्था वाली हमारी पालीसियों के वितरण के लिए लिखिये:

दि यूनाइटिड इण्डिया लाईफ एश्योरेंस कम्पनी, लिमिटिड,

(संस्थापित : १९०६)

प्रधान कार्यालय: मद्रास—१

यह है आपके

कम खर्च, आनन्दमय सवारी

के लिये

रु० ९८४५

कारखाने से



लैण्डमास्टर एक श्रेष्ठ, सुविधापूर्ण मोटर कार है। रबर के झाग की गद्दियों और सुरुचिपूर्ण साज सज्जा से युक्त इसम पांच और आवश्कतानुसार ६ व्यक्तियों तक के बैठने का पर्याप्त आरामदेह स्थान उपलब्ध है। फिर भी लैण्डमास्टर की कीमत और इसके चलाने का खर्च आश्चर्य जनक रूप से कम है। वास्तव में जब आप लैण्डमास्टर खरीदते हैं तो आपको छोटी गाड़ी की कीमत में ही बड़ी गाड़ी की सुविधा और आनन्द प्राप्त हो जाते हैं।

हिन्दुस्थान लैण्डमास्टर

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता

स्वीकृति प्राप्त विक्रेता निम्नलिखित स्थानों पर हैं।

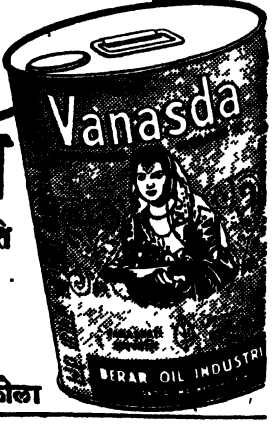
आगरा; अहमदाबाद; इलाहाबाद; बड़ोदा; बंलोर; बम्बई; बरेली; बनारस; कलकत्ता; कटक; कोयम्बटूर; डिब्रूगढ़; देहरादून; इन्दौर; जयपुर; जोधपुर; जलगोन; जोराट; जमशेदपुर; जालन्धर शहर; जम्मू; कानपुर; कोलापुर; लखनऊ; मद्रास; मथुरा; मंलोर; नागपुर; नई दिल्ली; नेपाल; पटना; पूना; राजकोट; सम्बलपुर; सिकन्द्राबाद; सरीनगढ़; तेजपुर; ट्रीवन्ड्रम; विजयबाद; विजियानगराम;



रुचि-वर्द्धक भोजन
बनाने का श्रेष्ठतम
माध्यम....

वनस्पति

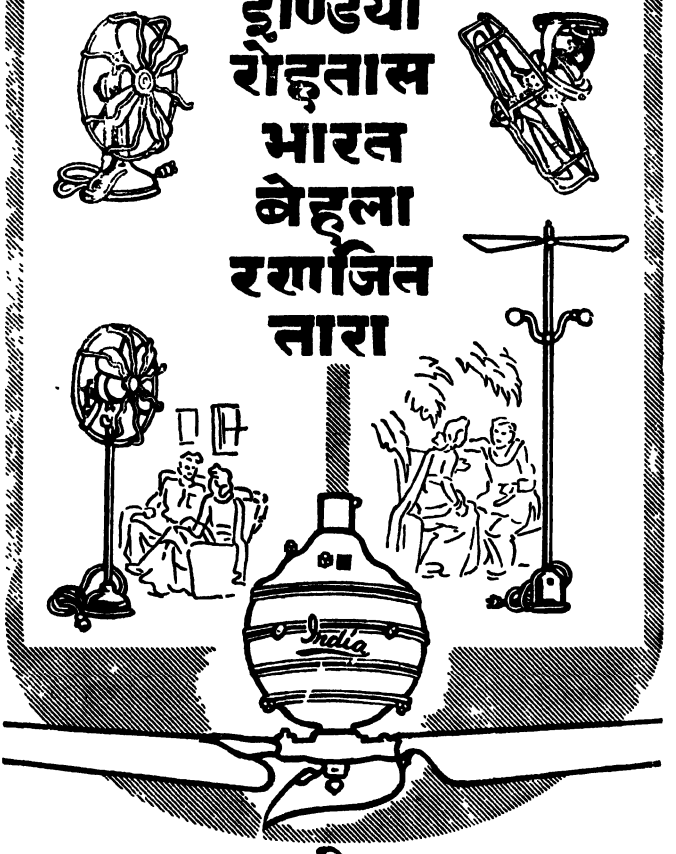
विटामिन-मिश्रित वनस्पति



बरार ऑयल इन्डस्ट्रीज़, अकोला

सुप्रसिद्ध आई·ई·डब्लू पंखे

इण्डिया
रोहतास
भारत
बेहला
रणजित
तारा



द्वी

इण्डिया इलेक्ट्रीक वर्क्स लि०

डायमण्ड हार्बर रोड, बेहला, कलकत्ता–३४

HORN & UNIT

For Want of a Proper  the  was Lost

For Want of  the SOUND was Lost

For Want of SOUND the  was Lost

For Want of  Everything was Lost

Rely on

BALKAR SOUND EQUIPMENT

PATRONIZED BY

A.I.R., CENTRAL GOVT., HYDERABAD, KASHMIR, PEPSU, PUNJAB, U.P. & BIHAR STATE GOVTS. ON APPROVED LIST OF D.G.S.D. NEW DELHI. IMPORTED BY LEADING FIRMS OF BURMA, CEYLON PAKISTAN Etc.

Ask for Balkar Technical Bulletin on Reflex Horns

PHONE: 298



GRAMS: SOUNDKIND

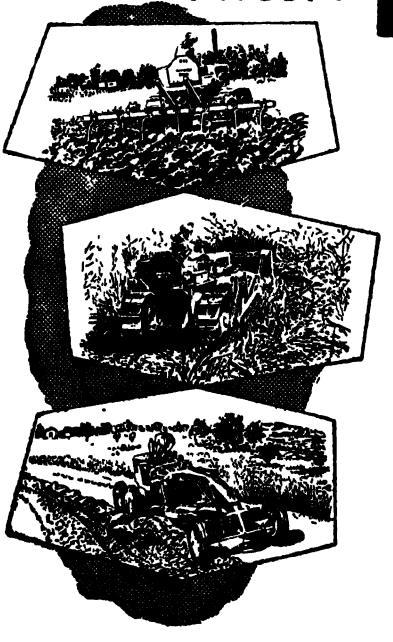
Manufactured by:—

G.W. BALKAR & CO.

Railway Road, Jullundur City

For Profits Today And Security Tomorrow

Invest in Caterpillar



"कैटरपिरल" द्वारा जुताई करने से मिट्टी की उर्वरता सुरक्षित रहती है जिसके परिणामस्वरूप फसल अच्छी और अधिक होती है।

बाढ़ों तथा भूमि-क्षय के कारण नष्ट होने वाली भूमि की उर्वरता की रक्षा और न जोती-बोई गई नयी भूमि में खेती आरंभ करने के महत्त्वपूर्ण कार्य 'कैटरपिलर' द्वारा संतोषजनक रूप से सम्पन्न होते हैं।

स्मरण रखिए, भूमि को समतल करने वाले आज के सुलभ उपकरणों में 'कैटरपिलर मोटर गेडर' सर्वोत्तम है।

अपने 'कैटरपिलर' को लाभप्रद बनाये रखने के लिए आप अपने 'कैटरपिलर' विक्रेता से मूल उपकरण उसके असली पुर्जे और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

IN SERVICE L&T LIES SUCCESS

LARSEN & TOUBRO LIMITED

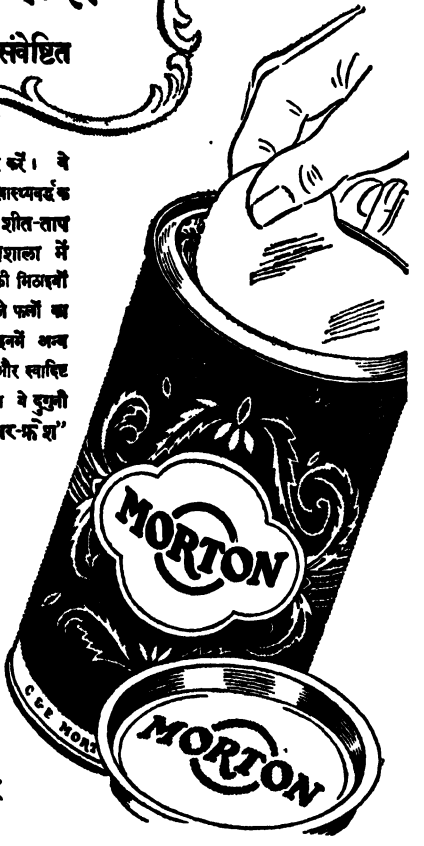
BOMBAY P O. BOX 278 - MADRAS P.O. BOX 5247, - BANGALORE P.O BOX 98 - COCHIN P O. BOX 55

आपका मधुमय आनन्द

एवर-फ्रेश

डिब्बों में संवेष्टित

आज ही एक टीन खरीदकर व्यवहार करें। ये अन्य मिठाइयों की तरह नहीं इन्हें स्वास्थ्यवर्द्धक रीति से भारत की एकमात्र शीत-ताप नियन्त्रित खण्ड खाद्य निर्माणशाला में तैयार किया जाता है। मॉर्टन की मिठाइयों में केवल उत्तम संघटक और ताजे फलों का प्रयोग होता है। इसीलिए तो इनमें अन्य मिठाइयों के विपरीत सुमधुर सुवास और स्वादिष्ट रसमाधुर्य की प्रचुरता है। और अब ये दुगुनी ताजगी के साथ नये सुलभ "एवर-फ्रेश" डिब्बों में आपके सन्मुख प्रस्तुत हैं।



"एवर-फ्रेश" डिब्बों में विभिन्न उपलब्ध मिठाइयाँ:

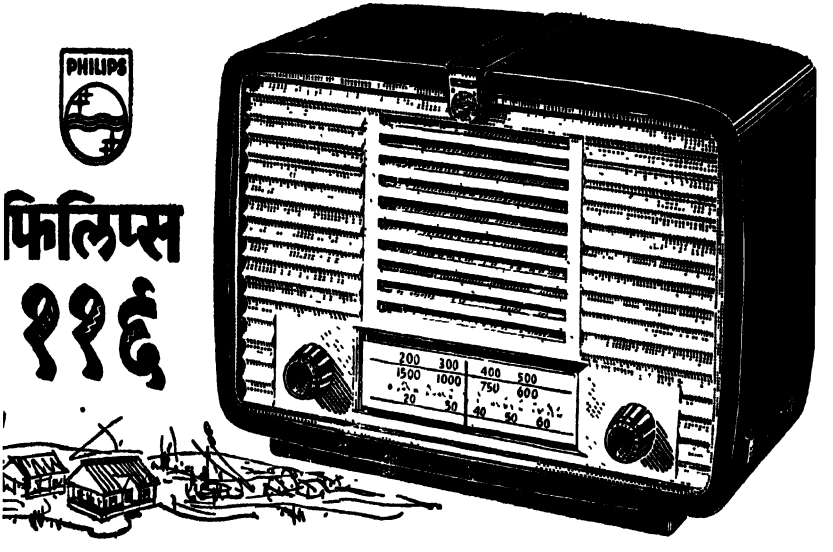
- लौकटो बान-बान
- आर्चाड्स फ्रूट्स
- चाकलेट एक्लेयर्स
- इनी कूम्ब
- मॉर्टन डेलिकेसीज्
- चाकलेट नाभेल्टीज
- सुपर बटर स्काच
- चाकलेट कैनलूस
- बार्ली सुगर व फ्रूट लालीज्
- लाइम लीक्वर

सी० एच्ड ई० मॉर्टन (इण्डिया) लि०। उच्च कोटि के मिश्रण निर्माता

आगया बैटरी रेडियो

PHILIPS

फिलिप्स ११६



....हरकहीं, हरएक
के लिए सुन्दर रेडियो....

अब फिलिप्स ११६ रेडियो की बैटरीवाली किस्म बाजार में आ गई है। अब सचमुच यह रेडियो हरएक के लिए हर जगह उपयोगी बन गया है। बिजली वाले की तरह यह बैटरीवाला फिलिप्स ११६ रेडियो सुपर एम टेकनिक से लैस है। एक खास बात इसमें यह है कि बैटरी बहुत कम खर्च होती है।

शार्ट और
मीडियम वेव
रेडियो
मूल्य केवल १७५) रु०
स्थानीय कर अलावा

यही रेडियो एसी/डीसी करेंट
का भी मिलता है।

फिलिप्स डीलर से दिखाने को कहिए

फिलिप्स सुपर एम रेडियो

भारतीय रेडियो निर्माता संघ के सदस्य

PH 138

स्वस्थ मन से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है

●

शैंक्स के आधुनिक सेनिटरी सम्बन्धी उपकरणों के लिए



एजेंट : जे० बी० नॉर्टन एण्ड सन्ज लि०,

स्टीफेन हाउस, कलकत्ता-१

फोन : २३-५१०२/५ तार : 'नार्टन्सन'